निर्वाचन विधि निर्देशिका

[जिल्द 1]

Manual of Election Law

[VOLUME I]

PREFACE

The Primary object of the Law of elections in a true democracy is to ensure free and fair elections. With this object in view, our Election Law contains elaborate provisions especially as to the allocation of seats and delimitation of constituencies, registration of electors, qualifications and disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures and conduct of elections.

The present edition of the Manual of Election Law reproduces in a convenient form the relevant provisions of the Constitution, the Representation of the People Act, 1950, the Representation of the People Act, 1951, the States Reorganisation Act, 1956, the Delimitation Act, 2002, the Central and State Acts pertaining to the removal of disqualifications for being chosen as or for being Members of Parliament or of the State Legislatures, rules and orders under the Constitution, etc., in Volume I and rules and orders made under the enactments relating to elections in Volume II. All the Acts, rules and orders have been reproduced as amended up to 1st March, 2024.

The Eighteenth General Elections are in the offing and to facilitate every citizen, contesting candidates, Member of Parliament, State Legislatures, political parties and election officers to have the entire law relating to elections, the present edition of Manual of Election Law in diglot form has been brought up to date in two volumes.

NEW DELHI;
The 1*st March,* 2024.

Dr. RAJIV MANI,
Secretary to the Government of India.

प्राक्कथन

निर्वाचन विधियों का, वास्तविक लोकतंत्र में, मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने का होता है । इस उद्देश्य के दृष्टव्य, निर्वाचन विधि में विशिष्टतया स्थानों के आबंटन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण, संसद् और राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताओं तथा निरर्हताओं और निर्वाचनों के संचालन के बारे में विस्तृत उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

निर्वाचन विधि निर्देशिका के वर्तमान संस्करण में संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 परिसीमन अधिनियम, 2002, संसद् के या राज्य विधान-मंडलों के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने संबंधी निरर्हताओं को दूर करने से तात्पर्यित केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के उद्धरण, सुसंगत उपबंधों को तथा संविधान के अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों, आदि को सुगम रूप में जिल्द 1 में और निर्वाचनों से संबंधित अधिनियमितियों के अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों को जिल्द 2 में पुनः उद्धरित किया गया है। सभी अधिनियमों, नियमों और आदेशों को 1 मार्च, 2024 तक संशोधित रूप में पुनः उद्धरित किया गया है।

अठारहवें साधारण निर्वाचन शीघ्र ही होने वाले हैं और प्रत्येक नागरिक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, संसद् सदस्यों, विधान-मंडलों के सदस्यों, राजनैतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्वाचनों से संबंधित संपूर्ण विधि को सुलभ कराने की दृष्टि से निर्वाचन विधि निर्देशिका के विद्यमान संस्करण को द्विभाषी रूप में दो जिल्दों में अद्यतन किया गया है।

नई दिल्ली;
1 मार्च, 2024

डा० राजीव मणि,
सचिव, भारत सरकार।

LIST OF ABBREVIATIONS USED

Cl.	.....	*for* Clause
Ins.	.....	" inserted
Notifin.	.....	" Notification
P.	.....	" Page
Rep.	.....	" Repealed
S. & Sec.	.....	" Section
Sch.	.....	" Schedule
Subs.	.....	" Substituted
w.e.f.	.....	" with effect from.

संक्षेपाक्षरों की सूची

(अ)	.....	असाधारण
आ॰ अ॰	.....	आदेश अधिसूचना
का॰ आ॰	.....	कानूनी आदेश
का॰ नि॰ आ॰	.....	कानूनी नियम और आदेश
पृ॰	.....	पृष्ठ
सा॰ का॰ नि॰	.....	साधारण कानूनी नियम
सं॰	.....	संख्यांक ।

MANUAL OF ELECTION LAW

VOLUME 1

CONTENTS

PART I

EXTRACTS FROM THE CONSTITUTION

EXTRACTS FROM THE CONSTITUTION

PART II

ACTS OF PARLIAMENT

1. Extracts from The Indian Penal Code (45 of 1860)
2. The Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950)
3. The Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)
4. Extracts from the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)
5. Extracts from the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963)
6. Extracts from the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992)
7. The Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Act, 1968 (3 of 1968)
8. The Delimitation Act, 2002 (33 of 2002)
9. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (108 of 1976)
10. Extracts from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989)

PART III

RULES AND ORDERS UNDER THE CONSTITUTION

1. Officers Before Whom Candidates May Make Or Subscribe Oath Or Affirmation
2. The Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950
3. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
4. The Constitution (Scheduled Castes) (Union territories) Order 1951
5. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
6. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
7. The Constitution (Puducherry) Scheduled Castes Order, 1964
8. The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
9. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
10. The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951
11. The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959
12. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
13. The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967
14. The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
15. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
16. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
17. The Constitution (Puducherry) Scheduled Tribes Order, 2016

PART IV

LAWS RELATING TO REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS

1. The Parliament (Prevention of Disqualifiation) Act, 1959.
2. Acts of the State Legislatures relating to Removal of Disqualifications.

निर्वाचन विधि निर्देशिका

जिल्द 1

विषय सूची

भाग 1

संविधान से उद्धरण

		पृष्ठ
	संविधान से उद्धरण	1

भाग 2

संसद् के अधिनियम

1.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) से उद्धरण	28
2.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43)	32
3.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)	57
4.	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) से उद्धरण	124
5.	संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) से उद्धरण	125
6.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) से उद्धरण	129
7.	जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968 (1968 का 3)	133
8.	परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33)	134
9.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 108)	139
10.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) से उद्धरण	143

भाग 3

संविधान के अधीन नियम और आदेश

1.	वे अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे	148
2.	समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950	150
3.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950	151
4.	संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951	168
5.	संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956	170
6.	संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962	171
7.	संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964	172
8.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978	173
9.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950	174
10.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951	189
11.	संविधान (अंदमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959	190
12.	संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962	191
13.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967	192
14.	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970	193
15.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978	194
16.	संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989	195
17.	संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016	

भाग 4

निरर्हताओं को हटाने संबंधित विधियां

1.	संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 ।	196
2.	निरर्हताओं को हटाने से संबंधित राज्य विधान मंडलों के अधिनियम।	

भाग 1

संविधान से उद्धरण

PART 1

Extracts from the Constitution

PART I

EXTRACTS FROM THE CONSTITUTION

* * * * *

PART V

THE UNION

CHAPTER I.—THE EXECUTIVE

The President and Vice-President

52. The President of India.—There shall be a President of India.

* * * * *

54. Election of President.—The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—

(*a*) the elected members of both Houses of Parliament; and

(*b*) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

[1][*Explanation.*—In this article and in article 55, "State" includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of [2][Puducherry].]

55. Manner of election of President.—(*1*) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

(*2*) For the purpose of securing such uniformity among the States *inter se* as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—

(*a*) every elected member of the legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;

(*b*) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (*a*) shall be further increased by one;

(*c*) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (*a*) and (*b*) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding one-half being counted as one and other fractions being disregarded.

(*3*) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

[3][*Explanation.*—In this article, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year [4][2026] have been published, be construed as a reference to the 1971 census.]

56. Term of office of President.—(*1*) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that—

(*a*) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;

(*b*) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;

---

1. Ins. by the Constitution (Seventieth Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 1-6-1995).
2. Subs. by Act 44 of 2006, s. 3 (w.e.f. 1-10-2006).
3. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 12, for the *Explanation* (w.e.f. 3-1-1977).
4. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 2, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

भाग 1

संविधान से उद्धरण

* * * * * * *

भाग 5

संघ

अध्याय 1—कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति

52. भारत का राष्ट्रपति—भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

* * * * * * *

54. राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ; और

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य,

होंगे ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में "राज्य" के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और [2][पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र हैं।]

55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति—(1) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी ।

(2) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद् और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है, उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए;

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा ;

(ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।

(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

[3][**स्पष्टीकरण**—इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् [4][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।]

56. राष्ट्रपति की पदावधि—(1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परंतु—

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ;

---

1. संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (1-6-1995 से) अंत:स्थापित ।
2. 2006 के अधिनियम सं0 44 की धारा 3 द्वारा (1-10-2006 से) प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 12 द्वारा (3-1-1977 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*c*) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(*2*) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

57. Eligibility for re-election.—A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

58. Qualifications for election as President.—(*1*) No person shall be eligible for election as President unless he—

(*a*) is a citizen of India,

(*b*) has completed the age of thirty-five years, and

(*c*) is qualified for election as a member of the House of the People.

(*2*) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor [1]*** of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

59. Conditions of President's office.—(*1*) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.

* * * * *

62. Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.—(*1*) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

(*2*) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

63. The Vice-President of India.—There shall be a Vice-President of India.

64. The Vice-President to be *ex officio* Chairman of the Council of States.—The Vice-President shall be *ex officio* Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit:

Provided that during any period when the Vice-President acts as President or discharges the functions of the President under article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under article 97.

* * * * *

1. The words "or Rajpramukh or Uparajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s.29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) खंड (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष को तुरन्त दी जाएगी ।

57. पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता—कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

58. राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है ;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है ; और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है ।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल[1]*** है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है ।

59. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें—(1) राष्ट्रपति संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

* * * * * * *

62. राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि—(1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा ।

(2) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा ।

63. भारत का उपराष्ट्रपति—भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।

64. उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना—उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा :

परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

* * * * * * *

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

66. Election of Vice-President.—(*1*) The Vice-President shall be elected by the [1][members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament] in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(*2*) The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected Vice-President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Vice-President.

(*3*) No person shall be eligible for election as Vice-President unless he—

(*a*) is a citizen of India;

(*b*) has completed the age of thirty-five years; and

(*c*) is qualified for election as a member of the Council of States.

(*4*) A person shall not be eligible for election as Vice-President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor [2]*** of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

67. Term of office of Vice-President.—The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that—

(*a*) a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;

(*b*) a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution;

(*c*) a Vice-President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

68. Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.— (*1*) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the term.

(*2*) An election to fill a vacancy in the office of Vice-President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 67, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

* * * * *

[3][**71. Matters relating to, or connected with, the election of a President or Vice-President.—**(*1*) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

1. Subs. by the Constitution (Eleventh Amendment) Act, 1961, s. 2, for "members of both Houses of Parliament assembled at a joint meeting" (w.e.f. 19-12-1961).
2. The words "or Rajpramukh or Uparajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
3. Subs. by the Constitution (Thirty-Ninth Amendment) Act, 1975, s. 2 (w.e.f. 10-81975) and further Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 10 (w.e.f. 20-6-1979).

66. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन—(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन [1][संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों] द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा ।

(2) उपराष्ट्रपति संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।

(3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है ;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है ; और

(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है ।

(4) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल [2]*** है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

67. उपराष्ट्रपति की पदावधि—उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परंतु—

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो ;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

68. उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि—(1) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा ।

(2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा ।

* * * * *

[3][**71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय**—(1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

1. संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 द्वारा (19-12-1961 से) "संयुक्त अधिवेशन में समवेत् संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
3. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2 द्वारा (10-8-1975 से) प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 10 द्वारा (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित ।

(*2*) If the election of a person as President or Vice-President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice-President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.

(*3*) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice-President.

(*4*) The election of a person as President or Vice-President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him.]

* * * * *

75. Other provisions as to Ministers.—(*1*) * * * * *

[1][(1*A*) The total number of Ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed fifteen per cent. of the total number of members of the House of the People.

(1*B*) A member of either House of Parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister under clause (1) for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to either House of Parliament before the expiry of such period, till the date on which he is declared elected, whichever is earlier.]

* * * * *

CHAPTER II.—PARLIAMENT

GENERAL

79. Constitution of Parliament.—There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.

80. Composition of the Council of States.—(*1*) [2][[3]*** The Council of States] shall consist of—

(*a*) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and

(*b*) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States [4][and of the Union territories].

(*2*) The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States [4][and of the Union territories] shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourth Schedule.

(*3*) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art and social service.

---

1. Ins. by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 1-1-2004).
2. Subs. by the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, s. 3, for "The Council of States" (w.e.f. 1-3-1975).
3. The words and figure "Subject to the provisions of paragraph 4 of the Tenth Schedule" omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).
4. Added by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3 (w.e.f. 1-11-1956).

(2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे ।

(3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी ।

(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।]

* * * * * * *

75. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध—(1) * * * * *

[1][(1क) मंत्री परिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(1ख) किसी राजनीतिक दल का संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा ।]

* * * * * * *

अध्याय 2—संसद्

साधारण

79. संसद् का गठन—संघ के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे ।

80. राज्य सभा की संरचना—(1) [2][[3]*** राज्य सभा]—

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और

(ख) राज्यों के [4][और संघ राज्यक्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों,

से मिलकर बनेगी ।

(2) राज्य सभा में राज्यों के [4][और संघ राज्यक्षेत्रों के] प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा ।

(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात् :—

साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा ।

---

1. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (1-1-2004 से) अंत:स्थापित ।
2. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा (1-3-1975 से) "राज्य सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) "दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) जोड़ा गया ।

(*4*) The representatives of each State [1]*** in the Council of States shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(*5*) The representatives of the [2][Union territories] in the Council of States shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe.

[3][81. **Composition of the House of the People.—**(*1*) [4][Subject to the provisions of article 331 [5]***], the House of the People shall consist of—

(*a*) not more than [6][five hundred and thirty members] chosen by direct election from territorial constituencies in the States, and

(*b*) not more than [7][twenty members] to represent the Union territories, chosen in such manner as Parliament may by law provide.

(*2*) For the purposes of sub-clause (*a*) of clause (*1*),—

(*a*) there shall be allotted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between that number and the population of the State is, so far as practicable, the same for all States; and

(*b*) each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is, so far as practicable, the same throughout the State:

[8][Provided that the provisions of sub-clause (*a*) of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the House of the People to any State so long as the population of that State does not exceed six millions.]

(*3*) In this article, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

[9][Provided that the reference in this clause to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year [10][2026] have been published, [11][be construed,—

(*i*) for the purposes of sub-clause (*a*) of clause (2) and the proviso to that clause, as a reference to the 1971 census; and

(*ii*) for the purpose of sub-clause (*b*) of clause (2) as a reference to the [12][2001] census.]]

82. Readjustment after each census.—Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:

Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House:

[13][Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:

---

1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3 (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by s. 3, *ibid.,* for "States specified in Part C of the First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).
3. Subs. by s. 4, *ibid.,* for articles 81 and 82 (w.e.f. 1-11-1956).
4. Subs. by the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, s.4, for "Subject to the provisions of article 331" (w.e.f. 1-3-1975).
5. The words and figure "and paragraph 4 of the Tenth Schedule" omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).
6. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 63, for "five hundred and twenty-five members" (w.e.f. 30-5-1987).
7. Subs. by the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, s. 2, for "twenty-five members" (w.e.f. 17-10-1973).
8. Ins. by s.2, *ibid.,* (w.e.f. 17-10-1973).
9. Added by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 15 (w.e.f. 3-1-1977).
10. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 3, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).
11. Subs. by s.3, *ibid.,* for certain words (w.e.f. 21-2-2002).
12. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 2, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003).
13. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 16 (w.e.f. 3-1-1977).

(4) राज्य सभा में प्रत्येक [1]*** राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

(5) राज्य सभा में [2][संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद् विधि द्वारा विहित करे ।

[3][**81. लोक सभा की संरचना**—(1) [4][अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए [5]***] लोक सभा—

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए [6][पांच सौ तीस] से अनधिक [6][सदस्यों], और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद् विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए [7][बीस] से अनधिक [7][सदस्यों],

से मिलकर बनेगी ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, और

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो :

[8][परंतु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य को लोक सभा में स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं हो जाती है ।]

(3) इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

[9][परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् [10][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, [11][यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह--

(i) खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए, 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है; और

(ii) खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, [12][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है ।]]

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन:समायोजन—प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन:समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे:

परंतु ऐसे पुन:समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है:

[13][परंतु यह और कि ऐसा पुन:समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे

---

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची में भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 81 और 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 4 द्वारा (1-3-1975 से) "अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) "और दसवीं अनुसूची के पैरा 4" शब्दों और अंक का लोप किया गया।
6. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) "पांच सौ पच्चीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (17-10-1973 से) "पच्चीस सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (17-10-1973 से) अंत:स्थापित ।
9. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 15 द्वारा (3-1-1977 से) अंत:स्थापित ।
10. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
11. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा (21-2-2002 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
12. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (22-6-2003 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
13. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 द्वारा (3-1-1977 से) अंत:स्थापित ।

Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year [1][2026] have been published, it shall not be necessary to [2][readjust—

(*i*) the allocation of seats in the House of the People to the States as readjusted on the basis of the 1971 census; and

(*ii*) the division of each State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the [3][2001] census,

under this article.]]

83. Duration of Houses of Parliament.—(*1*) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

(*2*) The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for [4][five years] from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of [4][five years] shall operate as a dissolution of the House:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

84. Qualification for membership of Parliament.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he—

[5][(*a*) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;]

(*b*) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and

(*c*) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law[6] made by Parliament.

[7]**[85. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution.—**(*1*) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(*2*) The President may from time to time—

(*a*) prorogue the Houses or either House;

(*b*) dissolve the House of the People.]

* * * * *

1. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 4, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).
2. Subs. by s. 4, *ibid*., for certain words (w.e.f. 21-2-2002).
3. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 3, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003).
4. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 13, for "six years" (w.e.f. 20-6-1979).
5. Subs. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 3, for cl. (*a*) (w.e.f. 5-10-1963).
6. See the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), ss. 3 and 4, in Part II, *infra*.
7. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 6, for article 85 (w.e.f. 18-6-1951).

पुन:समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुन:समायोजन के पहले विद्यमान हैं:

परंतु यह और भी कि जब तक सन् [1][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक [2][इस अनुच्छेद के अधीन,—

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुन: समायोजित स्थानों के आबंटन का; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो [3][2001] की जनगणना के आधार पर पुन: समायोजित किए जाएं, [पुन:समायोजन आवश्यक नहीं होगा।]

83. संसद् के सदनों की अवधि—(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए, उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [4][पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [4][पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, तब, संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

84. संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

[5][(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[6] द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

[7][**85. संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन**—(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर—

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा ।]

* * * * * * *

1. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा (21-2-2002 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (22-6-2003 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 13 द्वारा (20-6-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा (5-10-1963 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 3 और 4 आगे भाग 2 में देखिए ।
7. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा (18-6-1951 से) अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Conduct of Business

99. Oath or affirmation by members.—Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

* * * * *

Disqualifications of Members

101. Vacation of seats.—(*1*) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(*2*) No person shall be a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State [1]***, and if a person is chosen a member both of Parliament and of a House of the Legislature of [2][a State], then, at the expiration of such period as may be specified in rules[3] made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of the State.

(*3*) If a member of either House of Parliament—

(*a*) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in [4][clause (*1*) or clause (*2*) of article 102], or

[5][(*b*) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Chairman or the Speaker, as the case may be, and his resignation is accepted by the Chairman or the Speaker, as the case may be,]

his seat shall thereupon become vacant:

[6][Provided that in the case of any resignation referred to in sub-clause (*b*), if from information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Chairman or the Speaker, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.]

(*4*) If for a period of sixty days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

102. Disqualifications for membership.—(*1*) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament—

[7][(*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;]

(*b*) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(*c*) if he is an undischarged insolvent;

(*d*) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;

(*e*) if he is so disqualified by or under any law[8] made by Parliament.

[9][*Explanation.*—For the purposes of this clause] a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

---

1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by s. 29 and Sch. *ibid*., for "such a State" (w.e.f. 1-11-1956).
3. See the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950, in Vol. I, Part III, *infra.*
4. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 2, for "clause (*1*) of article 102" (w.e.f. 1-3-1985).
5. Subs. by the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, s. 2, for sub-clause (*b*) (w.e.f. 19-5-1974).
6. Ins. by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 19-5-1974).
7. Subs. by the Consitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 19 to read as "(*a*) if he holds any such office of profit under the Government of India or the Government of any State as is declared by Parliament by law to disqualify its holder" (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).
8. See the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), s.7, in Part II, *infra.*
9. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 3, for "(*2*) For the purposes of this article" (w.e.f. 1-3-1985).

कार्य संचालन

99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

* * * * * * *

सदस्यों की निरर्हताएं

101. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद् विधि द्वारा उपबंध करेगी ।

(2) कोई व्यक्ति संसद् और किसी [1]*** राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और [2][किसी राज्य] के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों[3] में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(3) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य—

(क) [4][अनुच्छेद 102 के खंड (1) या खंड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

[5][(ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,]

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

[6][परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।]

(4) यदि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है ।

102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

[7][(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;]

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी [8]विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[9][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

---

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ऐसे किसी राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 जिल्द 1 के भाग 3 में देखिए विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 एफ0 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृ0 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 ।
4. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2 द्वारा (1-3-1985 से) "अनुच्छेद 102 के खंड (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (19-5-1974 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (19-5-1974 से) अंत:स्थापित ।
7. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 19 द्वारा (तारीख अधिसूचति नहीं की गई) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है: ''(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है, जिसे संसद् ने विधि द्वारा उसके धारक को निरर्हित घोषित किया है''। इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया है।
8. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।
9. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 3 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(*2*) A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament if he is so disqualified under the Tenth Schedule.]

[2]**[103. Decision on questions as to disqualifications of members.—**(*1*) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (*1*) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(*2*) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified.— If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

* * * * *

PART VI

THE STATES[3]***

* * * * *

CHAPTER II.—THE EXECUTIVE

The Governor

* * * * *

158. Conditions of Governor's office.—(*1*) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

* * * * *

164. Other provisions as to Ministers.—(1)* * * * *

[4][(1*A*) The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed fifteen per cent. of the total number of members of the Legislative Assembly of that State:

Provided that the number of Ministers, including the Chief Minister, in a State shall not be less than twelve:

Provided further that where the total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in any State at the commencement of the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003 exceeds the said fifteen per cent. or the number specified in the first proviso, as the case may be, then, the total number of Ministers in that State shall be brought in conformity with the provisions of this clause within six months from such date [5][***] as the President may by public notification appoint.

---

1. Ins. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 3, (w.e.f. 1-3-1985).
2. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 14, for article 103 (w.e.f. 20-6-1979).
3. The words "IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
4. Ins. by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 3, (w.e.f. 1-1-2004).
5. *Vide* notifin. S.O. No. 21 (E), dated 7 January, 2004.

[1][(2) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[2][**103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय**—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]

104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

* * * * * * *

भाग 6

[3]***राज्य

* * * * * * *

अध्याय 2—कार्यपालिका

राज्यपाल

* * * * * * *

158. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें—(1) राज्यपाल संसद् के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।

* * * * * * *

164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध—(1)* * * * *

[4][(1क) किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् में मुख्य मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु किसी राज्य में मुख्य मंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् में मुख्य मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पन्द्रह प्रतिशत या पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख [5][***] से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करें, छह मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी ।

---

1. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 3 द्वारा (1-3-1985 से) अंत:स्थापित ।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 14 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क में के" शब्दों का (1-11-1956 से) लोप किया गया।
4. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (1-1-2004 से) अंत:स्थापित ।
5. जनवरी 7.1.2004, देखिए अधिसूचना सं. का.आ. 21(अ), तारीख 7 जनवरी, 2004.

(1B) A member of the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister under clause (*1*) for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council, as the case may be, before the expiry of such period, till the date on which he is declared elected, whichever is earlier.]

* * * * *

CHAPTER III.—THE STATE LEGISLATURE

General

168. Constitution of Legislatures in States.—(*1*) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and—

(*a*) in the States of [1]*** [2][Andhra Pradesh], Bihar, [3]*** [4][Madhya Pradesh], [5]*** [6][Maharashtra], [7][Karnataka], [8]***[9][[10]Tamil Nadu, Telengana] [11][and Uttar Pradesh], two Houses;

(*b*) in other States, one House.

(*2*) Where there are two Houses of the Legislature of a State, one shall be known as the Legislative Council and the other as the Legislative Assembly, and where there is only one House, it shall be known as the Legislative Assembly.

169. Abolition or creation of Legislative Councils in States.—(*1*) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

(*2*) Any law referred to in clause (*1*) shall contain such provisions for the amendment of this Constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary.

(*3*) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

[12][**170. Composition of the Legislative Assemblies.—**(*1*) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty, members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.

---

1. The words "Andhra Pradesh" omitted by the Andhra Pradesh Legislative Council (Abolition) Act, 1985 (34 of 1985), s. 4 (w.e.f. 1-6-1985)
2. Ins. by the Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005 (1 of 2006), s. 3 (w.e.f. 30-3-2007).
3. The word "Bombay" omitted by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 20 (w.e.f. 1-5-1960)
4. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 8 (w.e.f. 1-11-1956)
5. The words "Tamil Nadu" omitted by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986 (40 of 1986), s. 4 (w.e.f. 1-11-1986).
6. Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 20 (w.e.f. 1-5-1960).
7. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 4, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973) which was inserted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 8 (1) (w.e.f. 1-11-1956).
8. The word ", Punjab," omitted by the Punjab Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (46 of 1969), s. 4 (w.e.f. 7-1-1970).
9. The word "Tamil Nadu" ins. by the Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010 (16 of 2010), s. 3 (w.e.f. 18-5-2016).
10. Subs. by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), s. 96, for "Tamil Nadu" (w.e.f. 2-6-2014)
11. Subs. by the West Bengal Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (20 of 1969), s. 4, for "Uttar Pradesh and West Bengal" (w.e.f. 1-8-1969).
12. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 9, for article 170 (w.e.f. 1-11-1956).

(1ख) किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधान सभा का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद् है, कोई सदस्य जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा के लिए या विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा ।]

* * * * * * *

अध्याय 3—राज्य का विधान-मंडल

साधारण

168. राज्यों के विधान-मंडलों का गठन—(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होगा जो राज्यपाल और—

(क) [1]*** [2][आंध्र प्रदेश] बिहार, [3]*** [4]मध्य प्रदेश [5]*** [6][महाराष्ट्र], [7][कर्नाटक],[8]*** [9][[10]तमिलनाडु, तेलंगाना] [11][और उत्तर प्रदेश] राज्यों में दो सदनों से;

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से,

मिलकर बनेगा ।

(2) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद् और दूसरे का नाम विधान सभा होगा और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधान सभा होगा ।

169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन—(1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद् नहीं है, विधान परिषद् के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधान सभा ने, इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।

(2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे ।

(3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

[12][**170. विधान सभाओं की संरचना**—(1) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।

---

1. ''आंध्र प्रदेश'' शब्द का आंध्र प्रदेश विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1985 (1985 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-6-1985 से) लोप किया गया।
2. आंध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005 (2006 का 1) की धारा 3 द्वारा (30-3-2007 से) अंत:स्थापित।
3. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से) ''मुंबई'' शब्द का लोप किया गया।
4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित।
5. तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 40) की धारा 4 द्वारा (1-11-1986 से) ''तमिलनाडु'' शब्द का लोप किया गया।
6. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से) अंत:स्थापित।
7. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 4 द्वारा (1-11-1973 से) ''मैसूर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित किया गया था।
8. पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 46) की धारा 4 द्वारा (7-1-1970 से) ''पंजाब'' शब्द का लोप किया गया।
9. तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का 16) की धारा 3 द्वारा (18-5-2016 से) अंत:स्थापित।
10. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 96 द्वारा (2-6-2014 से) ''तमिलनाडु'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. बंगाल विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 20) की धारा 4 द्वारा (1-8-1969 से) ''उत्तर प्रदेश'' और पश्चिमी बंगाल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
12. संविधान (सातवां-संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 9 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 170 के स्थान पर प्रतिस्थपित।

(*2*) For the purposes of clause (1), each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the State.

[1][*Explanation.*—In this clause, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year [2][2026] have been published, be construed as a reference to the [3][2001] census.]

(*3*) Upon the completion of each census, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:

Provided that such readjustment shall not affect representation in the Legislative Assembly until the dissolution of the then existing Assembly]:

[4][Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the Legislative Assembly may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:

Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year [2][2026] have been published, it shall not be necessary to [5][readjust—

(*i*) the total number of seats in the Legislative Assembly of each State as readjusted on the basis of the 1971 census; and

(*ii*) the division of such State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the [3][2001] census,

under this clause.]]

171. Composition of the Legislative Councils.—(*1*) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed [6][one-third] of the total number of members in the Legislative Assembly of that State:

Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

(*2*) Until Parliament by law otherwise provides, the composition of the Legislative Council of a State shall be as provided in clause (3).

(*3*) If the total number of members of the Legislative Council of a State—

(*a*) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify;

(*b*) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons residing in the State who have been for at least three years graduates of any university in the territory of India or have been for at least three years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by Parliament as equivalent to that of a graduate of any such university;

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 29, for the *Explanation* (w.e.f. 3-1-1977).
2. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 5, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).
3. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 4, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003).
4. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 29, (w.e.f. 3-1-1977).
5. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 5, for certain words (w.e.f. 21-2-2002).
6. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 10, for "one-fourth" (w.e.f. 1-11-1956).

(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस खंड में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् [2][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह [3][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन:समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे:

परंतु ऐसे पुन:समायोजन से विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है :]

[4][परंतु यह और कि ऐसा पुन:समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन:समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुन:समायोजन के पहले विद्यमान हैं :

परंतु यह और भी कि जब तक सन् [2][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक [5][इस खंड के अधीन,--

(i) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुन:समायोजित स्थानों की कुल संख्या का; और

(ii) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो [3][2001] की जनगणना के आधार पर, पुन:समायोजित किए जाएं,

पुन:समायोजन आवश्यक नहीं होगा ।]

171. विधान परिषदों की संरचना—(1) विधान परिषद् वाले राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के [6][एक-तिहाई] से अधिक नहीं होगी :

परंतु किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी ।

(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद् की संरचना खंड (3) में उपबंधित रीति से होगी ।

(3) किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का—

(क) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जो संसद् विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा ;

(ख) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताएं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों ;

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 29 द्वारा (3-1-1977 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 5 द्वारा "2000" के स्थान पर (21-2-2002 से) प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा "1991" के स्थान पर (22-6-2003 से) प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 29 द्वारा (3-1-1977 से) अंत:स्थापित ।
5. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 5 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (21-2-2002 से) प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 10 द्वारा (1-11-1956 से) "एक चौथाई" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*c*) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least three years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed by or under any law made by Parliament;

(*d*) as nearly as may be, one-third shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly;

(*e*) the remainder shall be nominated by the Governor in accordance with the provisions of clause (5).

(*4*) The members to be elected under sub-clauses (a), (*b*) and (*c*) of clause (*3*) shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and the elections under the said sub-clauses and under sub-clause (*d*) of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(*5*) The members to be nominated by the Governor under sub-clause (*e*) of clause (*3*) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art, co-operative movement and social service.

172. Duration of State Legislatures.—(*1*) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for [1][five years] from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of [1][five years] shall operate as a dissolution of the Assembly:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

(*2*) The Legislative Council of a State shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

173. Qualification for membership of the State Legislature.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he—

[2][(*a*) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;]

(*b*) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and

(*c*) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law[3] made by Parliament.

[4]**[174. Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution.—**(*1*) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(*2*) The Governor may from time to time—

(*a*) prorogue the House or either House;

(*b*) dissolve the Legislative Assembly.]

---

1. Subs. by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976, s. 30, for "Five years" (w.e.f. 1-3-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-Fourth Amendments) Act, 1978, s. 24, for "six years" (w.e.f. 6-9-1979).
2. Subs. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 4, for cl. (*a*) (w.e.f. 5-10-1963).
3. See the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), ss. 5, 5A and 6, in Part II, *infra*.
4. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 8, for article 174 (w.e.f. 18-6-1951).

(ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य. के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं ;

(घ) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जाएंगे, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे ।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्:—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा ।

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि—(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [1][पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [1][पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

(2) राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

[2][(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[3] द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

[4][**174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन**—(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर—

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।]

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 द्वारा (3-1-1977 से) "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 द्वारा (6-9-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4 द्वारा (5-10-1963 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 5, 5क और 6 आगे भाग 2 में देखिए ।
4. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 8 द्वारा (18-6-1951 से) अनुच्छेद 174 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* * * * *

Conduct of Business

188. Oath or affirmation by members.—Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

* * * * *

Disqualifications of Members

190. Vacation of seats.—(*1*) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(*2*) No person shall be a member of the Legislatures of two or more States specified in the First Schedule and if a person is chosen a member of the Legislatures of two or more such States, then, at the expiration of such period as may be specified in rules[1] made by the President, that person's seat in the Legislatures of all such States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the States.

(*3*) If a member of a House of the Legislature of a State—

(*a*) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in [2][clause (*1*) or clause (*2*) of article 191]; or

[3][(*b*) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman, as the case may be, and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman, as the case may be,]

his seat shall thereupon become vacant:

[4][Provided that in the case of any resignation referred to in sub-clause (b), if from information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.]

(*4*) If for a period of sixty days a member of a House of the Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

191. Disqualifications for membership.—(*1*) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

[5][(*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;]

(*b*) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(*c*) if he is an undischarged insolvent;

---

1. See the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950 published by the Ministry of Law Notification number F. 46/50-C, dated the 26th January, 1950, Gazette of India, Extraordinary, p. 678, in Vol. I, Part III, *infra*.
2. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 4, for "clause (*1*) of article 191" (w.e.f. 1-3-1985).
3. Subs. by the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, s. 3, for sub-clause (*b*) (w.e.f. 19-5-1974).
4. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 19-5-1974).
5. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 32 to read as "(a) if he holds any such office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule as is declared by Parliament by law to disqualify its holder" (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

* * * * * * *

कार्य संचालन

188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान— राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

* * * * * * *

सदस्यों की निरर्हताएं

190. स्थानों का रिक्त होना— (1) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों[1] में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधान-मंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(3) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य—

(क) [2][अनुच्छेद 191 के खंड (1) या खंड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है ; या

[3][(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,]

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

[4][परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।]

(4) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है ।

191. सदस्यता के लिए निरर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

[5][(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;]

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

---

1. समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 1950, भारत का राजपत्र असाधारण, पृ. 678 में प्रकाशित आगे जिल्द 1 के भाग 3 में देखिए ।
2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 4 द्वारा (1-3-1985 से) "अनुच्छेद 191 के खंड (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा (19-5-1974 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा (19-5-1974 से) अंत:स्थापित ।
5. संविधान (बायालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 32 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया ''(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है, जिसे संसद् ने विधि द्वारा उसके धारक को निरर्हित घोषित किया है ।''। इस संशोधन को संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया।

(*d*) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;

(*e*) if he is so disqualified by or under any law[1] made by Parliament.

[2][*Explanation.*—For the purposes of this clause], a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

[3][(*2*) A person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he is so disqualified under the Tenth Schedule.]

[4]**[192. Decision on questions as to disqualifications of members.—**(*1*) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(*2*) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

193. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified.—If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State.

* * * * *

PART XV

ELECTIONS

324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission.—(*1*) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution [5]*** shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).

(*2*) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President.

(*3*) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission.

1. See the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), s. 7, in Part II, *infra*.
2. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 5, for "(*2*) For the purposes of this article" (w.e.f. 1-3-1985).
3. Ins. by s. 5, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1985).
4. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 25, for article 192 (w.e.f. 20-6-1979).
5. Certain words omitted by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, s. 2 (w.e.f. 11-12-1966).

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[1] द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

[3][(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[4][**192. सदस्यों की निर्रहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय**—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

193- अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

* * * * * * *

भाग 15

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना—(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण [5]*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

---

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।
2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) अंत:स्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (11-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

(*4*) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the Commission by clause (1).

(*5*) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine:

Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment:

Provided further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.

(*6*) The President, or the Governor[1]*** of a State, shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by clause (1).

325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex.—There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.— The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than [2][eighteen years] of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.

327. Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures.—Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

328. Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.— Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

329. Bar to interference by courts in electoral matters.—[3][Notwithstanding anything in this Constitution 4***-]

---

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988, s. 2, for "twenty-one years" (w.e.f. 28-3-1989).
3. Subs. by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, s. 3, for "Notwithstanding anything in this Constitution" (w.e.f. 10-8-1975).
4. Certain words omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 35 (w.e.f. 20-6-1979).

(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे ।

(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे :

परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल [1]***निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना— संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा ।

326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना— लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम [2][अठारह वर्ष] की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा ।

327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति—इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

328. किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति— इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद् इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक, किसी राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन—[3][इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी [4]***]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (10-8-1975 से) "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 35 द्वारा (20-6-1979 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

(*a*) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;

(*b*) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

* * * * *

PART XVI

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.—(*1*) Seats shall be reserved in the House of the People for—

(*a*) the Scheduled Castes;

[1][(*b*) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and]

(*c*) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

(*2*) The number of seats reserved in any State [2][or Union territory] for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State [2][or Union territory] in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State [2][or Union territory] or of the Scheduled Tribes in the State [2][or Union territory] or part of the State [2][or Union territory], as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State [2][or Union territory].

[3][(*3*) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that State a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous districts bears to the total population of the State.]

[4][*Explanation.*—In this article and in article 332, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year [5][2026] have been published, be construed as a reference to the [6][2001] census.]

331. Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People.— Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.

---

1. Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 2, for sub-clause (*b*) (w.e.f. 16-6-1986).
2. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.(w.e.f. 1-11-1956)
3. Ins. by the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, s. 3 (w.e.f. 17-10-1973).
4. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 47 (w.e.f. 3-1-1977).
5. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 6, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).
6. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 5, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003).

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधि-मान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों में आबंटन से संबंधित है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं ।

* * * * *

भाग 16

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण—(1) लोक सभा में—

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

[1][(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और]

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए,

स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] की या उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] की कुल जनसंख्या से है ।

[3][(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा, जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।]

[4][स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् [5][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह [6][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है ।]

331. लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व—अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा ।

---

1. संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (16-6-1986 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित ।
3. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा (17-10-1973 से) अंत:स्थापित ।
4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 47 द्वारा (3-1-1977 से) अंत:स्थापित ।
5. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 6 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा (22-6-2003 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States.—(*1*) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes,[1][except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam], in the Legislative Assembly of every State [2]***.

(*2*) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

(*3*) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.

[3][(3*A*) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the re-adjustment, on the basis of the first census after the year [4][2026], of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be, —

(*a*) if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all the seats except one;

(*b*) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said dat*e*) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly.]

[5][(3*B*) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes effect on the basis of the first census after the year [4][2026], of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly.]

(*4*) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.

(*5*) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district [6]***.

(*6*) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district [6]***.

[7][Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of Assam, the representation of the Scheduled tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas District, so notified, and existing prior to the constitution of the Bodoland Territorial Areas District, shall be maintained.]

333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.— Notwithstanding anything in article 170, the Governor [8]*** of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, [9][nominate one member of that community to the Assembly].

---

1. Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 3, for certain words (w.e.f. 16-6-1986).
2. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956)
3. Ins. by the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987, s. 2 (w.e.f. 21-9-1987).
4. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 7, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).
5. Ins. by the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 5-12-1992).
6. Certain words omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (w.e.f. 21-1-1972).
7. Ins. by the Constitution (Ninetieth Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 28-9-2003).
8. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
9. Subs. by the Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969, s. 4, for certain words (w.e.f. 23-1-1970).

332. राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण—(1) [1]*** प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और [2][असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर] अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

[3][(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी सन् [4][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के अनुच्छेद 170 के अधीन, पुन:समायोजन के प्रभावी होने तक,जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे—

(क) यदि संविधान (सतावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् विद्यमान विधान सभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है ।]

[5][(3ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् [4][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुन:समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।]

(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

(5) [6]*** असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा ।

(6) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिए [6]*** उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा :

[7][परंतु असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैरअनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाए रखा जाएगा ।]

333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व—अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल [8]*** की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में [9][उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा]।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
2. संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (16-6-1986 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (सतावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (21-9-1987) से अंत:स्थापित ।
4. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 7 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंत:स्थापित ।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
7. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (28-9-2003 से) अंत:स्थापित ।
8. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
9. संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 4 द्वारा (23-1-1970 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

334. [1]**[Reservation of seats and special representation to cease after certain period].—**Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to—

(*a*) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and

(*b*) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination,

shall cease to have effect on the expiration of a period of [2][eighty years in respect of clause (*a*) and seventy years in respect of clause (b)] from the commencement of this Constitution:

Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

* * * * *

341. Scheduled Castes.—(*1*) The President [3][may with respect to any State [4][or Union territory], and where it is a State [5]***, after consultation with the Governor [6]*** thereof,] by public notification[7], specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State [4][or Union territory, as the case may be].

(*2*) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

342. Scheduled Tribes.—(*1*) The President [8][may with respect to any State [4][or Union territory], and where it is a State [5]***, after consultation with the Governor [6]*** thereof,] by public notification[7], specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State [4][or Union territory, as the case may be].

(*2*) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

* * * * *

PART XVIII

EMERGENCY PROVISIONS

* * * * *

356. Provisions in case of failure of constitutional machinery in States.—(*1*) If the President, on receipt of a report from the Governor [6]*** of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may by Proclamation—

---

1. Subs. by the Constitution (One Hundred and fourth Amendment) Act, 2019, s. 2, for marginal heading (w.e.f. 25-1-2020).
2. Subs. by the s. 2, *ibid,* for "Seventy years" (w.e.f. 25-1-2020).
3. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 10, for "may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State" (w.e.f. 18-6-1951).
4. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
5. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by s. 29 (w.e.f. 1-11-1956) *ibid.*
6. The words "or Rajpramukh" omitted by sec. 29 and Sch. *ibid* (w.e.f. 1-11-1956)].
7. See Manual of Election Law, Vol. I, Part III, *infra*.
8. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s.11, for "may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State" (w.e.f. 18-6-1951).

334. [1][स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना]—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी ; और

(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी,

इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से [2][खंड (क) के संबंध में ''अस्सी वर्ष'' और खंड (ख) के संबंध में ''सत्तर वर्ष''] की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे :

परंतु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय, विद्यमान लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

* * * * * * *

341. अनुसूचित जातियां—(1) राष्ट्रपति [3][किसी राज्य [4][या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहां वह [5]*** राज्य है वहां उसके राज्यपाल [6]*** से परामर्श करने के पश्चात] लोक अधिसूचना[7] द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, [4][यथास्थिति] उस राज्य [4][या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति [8][किसी राज्य [4][या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहां वह [5]*** राज्य है वहां उसके राज्यपाल [6]*** से परामर्श करने के पश्चात] लोक अधिसूचना[7] द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, [4][यथास्थिति] उस राज्य [4][या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति, या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

* * * * * * *

भाग 18

आपात उपबंध

* * * * * * *

356. राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध—(1) यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल [6]*** से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

1. संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा (25-1-2020 से) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा (25-1-2020 से) ''सत्तर वर्ष'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 द्वारा (18-6-1951 से) "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (सांतवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित ।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
6. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
7. निर्वाचन विधि निर्देशिका जिल्द 1 का भाग 3 देखिए ।
8. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्" के स्थान पर (18-6-1951 से) प्रतिस्थापित ।

(*a*) assume to himself all or any of the functions of the Government of the State and all or any of the powers vested in or exercisable by the Governor [1]*** or any body or authority in the State other than the Legislature of the State;

(*b*) declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

(*c*) make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to any body or authority in the State:

Provided that nothing in this clause shall authorise the President to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend in whole or in part the operation of any provision of this Constitution relating to High Courts.

(*2*) Any such Proclamation may be revoked or varied by a subsequent Proclamation.

(*3*) Every Proclamation under this article shall be laid before each House of Parliament and shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament:

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the House of the People is dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months referred to in this clause, and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.

(*4*) A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of [2][six months from the date of issue of the Proclamation]:

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both Houses of Parliament, the Proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of [3][six months] from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to operate, but no such Proclamation shall in any case remain in force for more than three years:

Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of [3][six months] and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to the continuance in force of such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the continuance in force of the Proclamation has been also passed by the House of the People:

[4][Provided also that in the case of the Proclamation issued under clause (1) on the 11th day of May, 1987 with respect to the State of Punjab, the reference in the first proviso to this clause to "three years" shall be construed as a reference to [5][five years].

[6][(*5*) Notwithstanding anything contained in clause (4), a resolution with respect to the continuance in force of a Proclamation approved under clause (3) for any period beyond the expiration of one year from the date of issue of such Proclamation shall not be passed by either House of Parliament unless—

1. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 38, for "one year from the date of the passing of the second of the resolutions approving the Proclamation under clause (3)" (w.e.f. 20-6-1979).
3. Subs. by s. 50, *ibid.*, for "one year" (w.e.f. 20-6-1979).
4. Ins. by the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 16-4-1990).
5. Successively subs. by the Constitution (Sixty-seventh Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 4-10-1990) and the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Act, 1991, s. 2 to read as above (w.e.f. 12-3-1991).
6. Ins. by the Constitution (Thirty-eight Amendment) Act, 1975, s. 6 (with retrospective effect) and subsequentyly Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 38, for cl. (*5*) (w.e.f. 20-6-1979).

(क) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल[1]*** में या राज्य के विधान-मंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपनें हाथ में ले सकेगा ;

(ख) यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी;

(ग) राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णत: या भागत: निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों :

परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णत: या भागत: निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ।

(2) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(3) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है ।

(4) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, [2][ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से छह मास] की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, [3][छह मास] की और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किंतु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी :

परंतु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन [3][छह मास] की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है :

[4][परन्तु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में, इस खंड के पहले परंतुक में तीन वर्ष के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानों वह [5][पांच वर्ष] के प्रति निर्देश हो ।

[6][(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद् के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब—

---

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा (20-6-1979 से) "खंड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीख से एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा (20-6-1979 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (16-4-1990 से) अंत:स्थापित ।
5. संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (4-10-1990 से) तत्पश्चात् संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 2 द्वारा (12-3-1991 से) संशोधित होकर वर्तमान रूप में आया ।
6. संविधान (अठतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 6 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंत:स्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा (20-6-1979 से) खंड (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*a*) a Proclamation of Emergency is in operation, in the whole of India or, as the case may be, in the whole or any part of the State, at the time of the passing of such resolution, and

(*b*) the Election Commission certifies that the continuance in force of the Proclamation approved under clause (3) during the period specified in such resolution is necessary on account of difficulties in holding general elections to the Legislative Assembly of the State concerned:]

[1][Provided that nothing in this clause shall apply to the Proclamation issued under clause (1) on the 11th day of May, 1987 with respect to the State of Punjab.]

* * * * *

PART XIX

MISCELLANEOUS

[2][**361B. Disqualification for appointment on remunerative political post.—**A member of a House belonging to any political party who is disqualified for being a member of the House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to hold any remunerative political post for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or till the date on which he contests an election to a House and is declared elected, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this article,—

(*a*) the expression "House" has the meaning assigned to it in clause (a) of paragraph 1 of the Tenth Schedule;

(*b*) the expression "remunerative political post" means any office—

(*i*) under the Government of India or the Government of a State where the salary or remuneration for such office is paid out of the public revenue of the Government of India or the Government of the State, as the case may be; or

(*ii*) under a body, whether incorporated or not, which is wholly or partially owned by the Governemnt of India or the Government of a State and the salary or remuneration for such office is paid by such body,

except where such salary or remuneration paid is compensatory in nature.]

* * * * *

PART XXI

[3][TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS]

* * * * *

[4][**371F. Special provisions with respect to the State of Sikkim.—**Notwithstanding anything in this Constitution,—

(*a*) the Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than thirty members;

(*b*) as from the date of commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 (hereafter in this article referred to as the appointed day)—

(*i*) the Assembly for Sikkim formed as a result of the elections held in Sikkim in April, 1974 with thirty-two members elected in the said elections (hereinafter referred to as the sitting members) shall be deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly constituted under this Constitution;

(*ii*) the sitting members shall be deemed to be the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly elected under this Constitution; and

(*iii*) the said Legislative Assembly of the State of Sikkim shall exercise the powers and perform the functions of the Legislative Assembly of a State under this Constitution;

1. The Proviso omitted by the Constitution (Sixty-third Amendment) Act, 1989, s. 2. (w.e.f. 6-1-1990) and subsequently. Ins. by the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 16-4-1990).
2. Ins. by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 4 (w.e.f. 1-1-2004).
3. Subs. by the Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1962, s. 2, for "TEMPORARY AND TRANSITIONAL PROVISIONS" (w.e.f. 1-12-1963).
4. Ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 3 (w.e.f. 26-4-1975).

(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा, यथास्थिति, सम्पूर्ण भारत में अथवा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है ; और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण, आवश्यक है:]

[1][परन्तु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी ।]

* * * * *

भाग 19

प्रकीर्ण

[2][**361ख. लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता**—किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या उस तारीख तक जिसको वह किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है और निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निरर्हित होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए—

(क) "सदन" पद का वही अर्थ है जो उसका दसवीं अनुसूची के पैरा 1 के खंड (क) में है ;

(ख) "लाभप्रद राजनीतिक पद" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है,—

(i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद, जहां ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक राजस्व से किया जाता है ; या

(ii) किसी निकाय के अधीन, चाहे निगमित हो या नहीं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन है, कोई पद और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से किया जाता है,

सिवाय वहां के जहां संदत्त ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिकरात्मक स्वरूप का है ।]

* * * * *

भाग 21

[3][अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]

* * * * *

[4][**371च. सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध**—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सिक्किम राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ;

(ख) संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ की तारीख से (जिसे इस अनुच्छेद में इसके पश्चात् नियत दिन कहा गया है)—

(i) सिक्किम की विधान सभा, जो अप्रैल, 1974 में सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित बत्तीस सदस्यों से (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आसीन सदस्य कहा गया है) मिलकर बनी है, इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से गठित सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी जाएगी ;

(ii) आसीन सदस्य इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्य समझे जाएंगे ; और

(iii) सिक्किम राज्य की उक्त विधान सभा इस संविधान के अधीन राज्य की विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी ;

---

1. संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 2 द्वारा (6-1-1990 से) परंतुक का लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (16-4-1990 से) अंत:स्थापित ।
2. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा (1-1-2004 से) अंत:स्थापित ।
3. संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 2 द्वारा (1-12-1963 से) "अस्थायी तथा अंत:कालीन उपबंध" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (26-4-1975 से) अन्त:स्थापित ।

(*c*) in the case of the Assembly deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim under clause (b), the references to the period of [1][five years] in clause (*1*) of article 172 shall be construed as references to a period of [2][four years] and the said period of [2][four years] shall be deemed to commence from the appointed day;

(*d*) until other provisions are made by Parliament by law, there shall be allotted to the State of Sikkim one seat in the House of the People and the State of Sikkim shall form one parliamentary constituency to be called the parliamentary constituency for Sikkim;

* * * * *

(*f*) Parliament may, for the purpose of protecting the rights and interests of the different sections of the population of Sikkim make provision for the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim which may be filled by candidates belonging to such sections and for the delimitation of the assembly constituencies from which candidates belonging to such sections alone may stand for election to the Legislative Assembly of the State of Sikkim;

* * * * *

[3][**371G. Special provision with respect to the State of Mizoram.—**Notwithstanding anything in this Constitution,—

(*a*) no Act of Parliament in respect of—

(*i*) religious or social practices of the Mizos,

(*ii*) Mizo customary law and procedure,

(*iii*) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law,

(*iv*) ownership and transfer of land,

shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution so decides:

Provided that nothing in this clause shall apply to any Central Act in force in the Union territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986;

(*b*) the Legislative Assembly of the State of Mizoram shall consist of not less than forty members.]

[4][**371H. Special provision with respect to the State of Arunachal Pradesh.—**Notwithstanding anything in this Constitution,—

(*a*) the Governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh and in the discharge of his functions in relation thereto, the Governor shall, after consulting the Council of Ministers, exercise his individual judgment as to the action to be taken:

Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is under this clause required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in the exercise of his individual judgment:

Provided further that if the President on receipt of a report from the Governor or otherwise is satisfied that it is no longer necessary for the Governor to have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh, he may by order direct that the Governor shall cease to have such responsibility with effect from such date as may be specified in the order;

---

1. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 43, for "six years" (w.e.f. 6-9-1979).
2. Subs. by s. 43, *ibid*., for "five years" (w.e.f. 6-9-1979).
3. Ins. by the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986, s. 2 (w.e.f. 20-2-1987).
4. Ins. by the Constitution (Fifty-fifth Amendment) Act, 1986, s. 2 (w.e.f. 20-2-1987).

(ग) खंड (ख) के अधीन सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी गई विधान सभा की दशा में, अनुच्छेद 172 के खंड (1) में [1][पांच वर्ष] की अवधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे [2][चार वर्ष] की अवधि के प्रति निर्देश है और [2][चार वर्ष] की उक्त अवधि नियत दिन से प्रारंभ हुई समझी जाएगी ;

(घ) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं करती है तब तक सिक्किम राज्य को लोक सभा में एक स्थान आबंटित किया जाएगा और सिक्किम राज्य एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा जिसका नाम सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा ;

* * * * *

(च) संसद् सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों के अधिकारों और हितों की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की संख्या के लिए जो ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे और ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, जिनसे केवल ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थी ही सिक्किम राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए खड़े हो सकेंगे, उपबंध कर सकेगी ।

* * * * *

[3][**371छ. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध**—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद् का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात् :—

(i) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं ;

(ii) मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया ;

(iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं ;

(iv) भूमि का स्वामित्व और अंतरण :

परन्तु इस खंड की कोई बात, संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी ;

(ख) मिजोरम राज्य की विधान सभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ।]

[4][**371ज. अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध**—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहेगा और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रि-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् करेगा :

परन्तु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस खंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए था या नहीं :

परन्तु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ;

---

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 43 द्वारा (6-9-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 43 द्वारा (6-9-1979 से) "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 द्वारा (20-2-1987 से) अन्तःस्थापित ।
4. संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 द्वारा (20-2-1987 से) अन्तःस्थापित ।

(*b*) the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh shall consist of not less than thirty members.]

[1][**371-I. Special provision with respect to the State of Goa.—**Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.]

* * * * *

THIRD SCHEDULE

[Articles 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 and 219]*

Forms of Oaths or Affirmations

* * * * *

[2][III

A

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to Parliament:—

"I, A.B., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States (or the House of the People) do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by solemnly affirm law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India."

* * * * *]

* * * * *

[3][VII

A

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to the Legislature of a State:—

"I, A.B., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly (or Legislative Council), do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as solemnly affirm by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India."

* * * * *

1. Ins. by the Constitution (Fifty-sixth Amendment) Act, 1987, s. 2 (w.e.f. 30-5-1987).
* *See* also articles 84(*a*) and 173(*a*).
2. Subs. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 5, for "Form III" (w.e.f. 5-10-1963).
3. Subs. by s. 5, *ibid.*, for "Form VII" (w.e.f. 5-10-1963).

(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ।]

[1][**371झ. गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध**—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, गोवा राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ।]

* * * * * * *

तीसरी अनुसूची

[अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219]*

शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप

* * * * * * *

[2][3

क

संसद् के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप :—-

"मैं, अमुक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं

ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा ।"

* * * * * * *

* * * * * * *

[3][7

क

किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

"मैं, अमुक, _____ जो विधान सभा (या विधान परिषद्) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं

ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा ।"

* * * * * * *

1. संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (30-5-1987 से) अन्त:स्थापित ।

* अनुच्छेद 84(क) और 173(क) भी देखिए ।

2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) प्ररूप 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) प्ररूप 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][FOURTH SCHEDULE

[Articles 4(*1*) and 80(2)]

Allocation of seats in the Council of States

To each State or Union territory specified in the first column of the following table, there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State or that Union territory, as the case may be:

TABLE

1.	Andhra Pradesh	[2][11]
[3][2.	Telangana	7]
[4][3.]	Assam	7
[4][4.]	Bihar	[5][16]
[6][[4][5.]	Jharkhand	6]
[7][[8][[4][6.]	Goa	1]]
[9][[8][[4][7.]	Gujarat	11]]
[10][[8][[4][8.]	Haryana	5]]
[8][[4][9.]	Kerala	9
[8][[4][10].	Madhya Pradesh	[11][11]
[12][[8][[4][11.]	Chhattisgarh	5]]
[13][[8][[4][12.]	Tamil Nadu	[14][18]]
[15][[8][[4][13.]	Maharashtra	19]]
[16][[8][[4][14.]	Karnataka	12]]
[8][[4][15.]	[17][Odisha]	10]
[8][[4][16.]	Punjab	[18][7]
[8][[4][17.]	Rajasthan	10]
[8][[4][18.]	Uttar Pradesh	[19][31]
[20][[8][[4][19.]	[21][Uttarakhand]	3]]
[8][[4][20.]	West Bengal	16]
[22][[8][[4][**	***	*]

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3, for "Fourth Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by the andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), s. 12, for "18" (w.e.f. 2-6-2014.
3. Ins. by s. 12, *ibid* (w.e.f. 2-6-2014).
4. Entries 2 to 30 renumberd as entries 3 to 31 respectively by s. 12, *ibid* (w.e.f. 2-6-2014).
5. Subs. by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7, for "22" (w.e.f. 15-11-2000).
6. Ins. by 2. 7, *ibid* (w.e.f.15-11-2000).
7. Ins. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 6 (w.e.f. 30-5-1987).
8. Entries 4 of 29 renumbered as entries 5 to 30 by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7 (w.e.f.15-11-2000).
9. Subs. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 6, for entry "4" renumbered as "6" (w.e.f.1-5-1960).
10. Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 9 (w.e.f.1-11-1966).
11. Subs. by the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 o 2000), s. 7, for "16" (w.e.f. 1-11-2000).
12. Ins. by s. 7, *ibid* (w.e.f. 1-11-2000).
13. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 (53 of 1968), s. 5, for "8 Madras" (renumbered as *11) (w.e.f. 14-1-1969).
14. Subs. by the Andhra Pradesh and Madras (Alteation of Boundaries) Act, 1959 (56 of 1959) s. 8 for "17" (w.e.f. 1-4-1960).
15. Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 6 (w.e.f. 1-5-1960).
16. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 5, for "10. Mysore" (re-numbered) as "13") (w.e.f. 1-11-1973).
17. Subs. by the Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), s. 7 for "Orissa" (w.e.f. 1-11-2011).
18. Subs. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 9 for "11" (w.e.f. 1-11-1966),
19. Subs. by the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), s. 7 for "34" (w.e.f. 9-11-2000).
20. Ins. by s. 7, *ibid*. (w.e.f. 9-11-2000).
21. Subs. by the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (52 of 2006), s. 5 for "Uttaranchal" (w.e.f. 1-1-2007).
22. **Entry 21 relating to Jammu and Kashmir deleted by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 8 (w.e.f. 31-10-2019),

[1][चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं ।

सारणी

1.	आंध्र प्रदेश	[2][11]
[3][2.	तेलंगाना	7]
[4][3.]	आसाम	7
[4][4.]	बिहार	[5][16]
[6][[4][5.]	झारखंड	6]
[7][[8][[4][6.]]	गोआ	1]]
[9][[8][[4][7.]]	गुजरात	11]]
[10][[8][[4][8.]	हरियाणा	5]]
[8][[4][9.]	केरल	9
[8][[4][10].	मध्यप्रदेश	[11][11]
[12][[8][[4][11.]]	छत्तीसगढ़	5]]
[13][[8][[4][12.]	तमिलनाडू	[14][18]]
[15][[8][[4][13.]	महाराष्ट्र	19]]
[16][[8][[4][14.]	कर्नाटक	12]]
[8][[4][15.]	[17][ओडिशा]	10]
[8][[4][16.]	पंजाब	[18][7]
[8][[4][17.]	राजस्थान	10]
[8][[4][18.]]	उत्तर प्रदेश	[19][31]
[20][[8][[4][19.]	[21][उत्तराखंड]	3]]
[8][[4][20.]	पश्चिम बंगाल	16]
[22][[8][[4][**]]	***	*]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) ''18'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) अंत:स्थापित।
4. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की प्रविष्टियों को क्रमश: 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनसंख्यांकित किया गया।
5. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) ''22'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) अंत:स्थापित।
7. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंत:स्थापित।
8. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
9. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि ''4'' के स्थान पर ''प्रविष्टि 6'' पुन:संख्यांकित किया गया।
10. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंत:स्थापित।
11. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) ''16'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
12. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) अंत:स्थापित।
13. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) ''8, मद्रास'' (''11'' के रूप में पुन:संख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) ''17'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
15. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंत:स्थापित।
16. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) ''10. मैसूर'' (''13'' के रूप में पुन:संख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
17. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 7 द्वारा (1-11-2011 से) '' उड़ीसा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
18. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) ''11'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
19. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) ''34'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
20. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) अंत:स्थापित।
21. उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 5 द्वारा (1-1-2007 से) ''उत्तरांचल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
22. **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-1.-2019 से) जम्मू-कश्मीर से संबंधित प्रविष्टि 21 को हटा दिया गया है।

[1][2][3][4][21.]	Nagaland	1]]
[5][3][4][2][22.]	Himachal Pradesh	3]]]
[4][3][2][23.]	Manipur	1]
[4][3][2][24.]	Tripura	1]]
[4][3][2][25.]	Meghalaya	1]]
[6][4][3][2][26.]	Sikkim	1]]
[7][4][3][2][27.]	Mizoram	1]]
[8][4][3][2][28.]	Arunachal Pradesh	1]]
[4][3][2][29.]	Delhi	3]
[4][3][2][30.]	[9][Pudducherry]	1]]
[10][4][3][2][31.]	Jammu and Kashmir	4]
	Total =	[11][233]

* * * * *

1. Ins. by the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), s. 7 (*w.e.f.* 1-12-1963).
2. Entries 22 to 31 renumbered as entries 21 to 31, respectively by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 8 (*w.e.f.* 31-10-2019).
3. Entries 4 to 29 renumbered as entries 5 to 30 by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7 (*w.e.f.* 15-11-2000).
4. Entries 2 to 30 renumbered as entries 3 to 31 respectively by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), s. 12 (*w.e.f.* 2-6-2014).
5. Ins. by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 5 (*w.e.f.* 25-1-1971).
6. Ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 4 (*w.e.f.* 26-4-1975).
7. Ins. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 5 (*w.e.f.* 20-2-1987).
8. Ins. by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 5 (*w.e.f.* 20-2-1987).
9. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4 for "Pondicherry" (*w.e.f.* 1-10-2006).
10. Ins. by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 8 (*w.e.f.* 31-10-2019).
11. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 6 for "232" (*w.e.f.* 30-5-1987).

[1][2][3][4][21.]] नागालैंड	1]]
[5][3][4][2][22.]]हिमाचल प्रदेश	3]]]
[4][3][2][23.]] मणिपुर	1]
[4][3][2][24.]] त्रिपुरा	1]]
[4][3][2][25.]] मेघालय	1]]
[6][4][3][2][26.]] सिक्किम	1]]
[7][4][3][2][27.]] मिजोरम	1]
[8][4][3][2][28.]] अरुणाचल प्रदेश	1]
[4][3][2][29.]] दिल्ली	3
[4][3][2][30.] [9][पुडुचेरी]	1
[10][4][3][2][31.जम्मू और कश्मीर	4
योग:—	[11][233]]

* * * * *

1. नागालैंड राज्य अधिनियम, 2962 (1962 का 27) की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से) अंत:स्थापित।
2. जम्मू-कम़ीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 22 से प्रविथिट 31 को क्रमश: प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया है।
3. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
4. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की प्रविष्टियों को क्रमश: 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रुप में पुन:स्थापित किया गया।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से) अंत:स्थापित।
6. संविधान (छतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) अंत:स्थापित।
7. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित।
8. अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित।
9. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) ''पांडिचेरी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) अंत:स्थापित।
11. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) ''232'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][TENTH SCHEDULE

[Articles 102(*2*) and 191(2)]

Provisions as to disqualification on ground of defection

1. **Interpretation.—** In this Schedule, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "House" means either House of Parliament or the Legislative Assembly or, as the case may be, either House of the Legislature of a State;

(*b*) "legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or [2]*** paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the said provisions;

(*c*) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (*1*) of paragraph 2;

(*d*) "paragraph" means a paragraph of this Schedule.

2. Disqualification on ground of defection.—(*1*) Subject to the provisions of [3][paragraphs 4 and 5], a member of a House belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the House—

(*a*) if he has voluntarily given up his membership of such political party; or

(*b*) if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs or by any person or authority authorised by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority and such voting or abstention has not been condoned by such political party, person or authority within fifteen days from the date of such voting or abstention.

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph,—

(*a*) an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member;

(*b*) a nominated member of a House shall,—

(*i*) where he is a member of any political party on the date of his nomination as such member, be deemed to belong to such political party;

(*ii*) in any other case, be deemed to belong to the political party of which he becomes, or, as the case may be, first becomes, a member before the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or, as the case may be, article 188.

(*2*) An elected member of a House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after such election.

---

1. Added by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 6 (w.e.f. 1-3-1985).
2. Certain words omitted by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 5 (w.e.f. 1-1-2004).
3. Subs. by s. 5, ibid., for "paragraphs 3, 4 and 5" (w.e.f. 1-1-2004).

[1][दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102 (2) और अनुच्छेद 191 (2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वचन—इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सदन" से, संसद् का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या, विधान-मंडल का कोई सदन अभिप्रेत है ;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, पैरा 2 [2]*** या पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, "विधान-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं ;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, "मूल राजनीतिक दल" से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है ;

(घ) "पैरा" से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है ।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—(1) [3][पैरा 4 और पैरा 5] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा, जिसमें—

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है ; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण—इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था ;

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में,—

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है ।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है ।

---

1. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 द्वारा (1-3-1985 से) जोड़ा गया ।
2. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा (1-1-2004 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
3. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा (1-1-2004 से) "पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*3*) A nominated member of a House shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or, as the case may be, article 188.

(*4*) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this paragraph, a person who, on the commencement of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, is a member of a House (whether elected or nominated as such) shall,—

(*i*) where he was a member of a political party immediately before such commencement, be deemed, for the purposes of sub-paragraph (*1*) of this paragraph, to have been elected as a member of such House as a candidate set up by such political party;

(*ii*) in any other case, be deemed to be an elected member of the House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party for the purposes of sub-paragraph (*2*) of this paragraph or, as the case may be, be deemed to be a nominated member of the House for the purposes of sub-paragraph (*3*) of this paragraph.

[1]* * * * *

4. Disqualification on ground of defection not to apply in case of merger.—(*1*) A member of a House shall not be disqualified under sub-paragraph (*1*) of paragraph 2 where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other members of his original political party—

(*a*) have become members of such other political party or, as the case may be, of a new political party formed by such merger; or

(*b*) have not accepted the merger and opted to function as a separate group,

and from the time of such merger, such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (*1*) of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of this sub-paragraph.

(*2*) For the purposes of sub-paragraph (*1*) of this paragraph, the merger of the original political party of a member of a House shall be deemed to have taken place if, and only if, not less than two-thirds of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger.

5. Exemption.—Notwithstanding anything contained in this Schedule, a person who has been elected to the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the House of the People or the Deputy Chairman of the Council of States or the Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State or the Speaker or the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of a State, shall not be disqualified under this Schedule,—

(*a*) if he, by reason of his election to such office, voluntarily gives up the membership of the political party to which he belonged immediately before such election and does not, so long as he continues to hold such office thereafter, rejoin that political party or become a member of another political party; or

(*b*) if he, having given up by reason of his election to such office his membership of the political party to which he belonged immediately before such election, rejoins such political party after he ceases to hold such office.

6. Decision on questions as to disqualification on ground of defection.—(*1*) If any question arises as to whether a member of a House has become subject to disqualification under this Schedule, the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of such House and his decision shall be final:

Provided that where the question which has arisen is as to whether the Chairman or the Speaker of a House has become subject to such disqualification, the question shall be referred for the decision of such member of the House as the House may elect in this behalf and his decision shall be final.

(*2*) All proceedings under sub-paragraph (*1*) of this paragraph in relation to any question as to disqualification of a member of a House under this Schedule shall be deemed to be proceedings in Parliament within the meaning of article 122 or, as the case may be, proceedings in the Legislature of a State within the meaning of article 212.

1. Paragraph 3 omitted by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 5 (w.e.f. 1-1-2004).

(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है ।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित)—

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है ;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उपपैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उपपैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है ।

[1]* * * * * * *

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना—(1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य—

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए है; या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है,

और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है ।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं ।

5. छूट—इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा,—

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है ; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है ।

6. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं ।

1. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा पैरा 3 का (1-1-2004 से) लोप किया गया ।

***7. Bar of jurisdiction of courts.**—Notwithstanding anything in this Constitution, no court shall have any jurisdiction in respect of any matter connected with the disqualification of a member of a House under this Schedule.

8. Rules.—(*1*) Subject to the provisions of sub-paragraph (*2*) of this paragraph, the Chairman or the Speaker of a House may make rules for giving effect to the provisions of this Schedule, and in particular, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may provide for—

(*a*) the maintenance of registers or other records as to the political parties, if any, to which different members of the House belong;

(*b*) the report which the leader of a legislature party in relation to a member of a House shall furnish with regard to any condonation of the nature referred to in clause (*b*) of sub-paragraph (*1*) of paragraph 2 in respect of such member, the time within which and the authority to whom such report shall be furnished;

(*c*) the reports which a political party shall furnish with regard to admission to such political party of any members of the House and the officer of the House to whom such report shall be furnished; and

(*d*) the procedure for deciding any question referred to in sub-paragraph (*1*) of paragraph 6 including the procedure for any inquiry which may be made for the purpose of deciding such question.

(*2*) The rules made by the Chairman or the Speaker of a House under sub-paragraph (*1*) of this paragraph shall be laid as soon as may be after they are made before the House for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and shall take effect upon the expiry of the said period of thirty days unless they are sooner approved with or without modifications or disapproved by the House and where they are so approved, they shall take effect on such approval in the form in which they were laid or in such modified form, as the case may be, and where they are so disapproved, they shall be of no effect.

(*3*) The Chairman or the Speaker of a House may, without prejudice to the provisions of article 105 or, as the case may be, article 194, and to any other power which he may have under this Constitution direct that any wilful contravention by any person of the rules made under this paragraph may be dealt with in the same manner as a breach of privilege of the House.]

* * * * *

---

* Paragraph 7 declared invalid for want of ratification in accordance with the proviso to clause (2) of article 368 as per majority opinion in *Kihoto Hollohon* Vs. *Zachilhu and Others* A.I.R. 1993 SC 412.).

***7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।

8. नियम—(1) इस पैरा के उपपैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा;

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जांएगे; और

(घ) पैरा 6 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए ।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है । यदि वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे । यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे निष्प्रभाव हो जाएंगे ।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी, अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है ।]

* * * * * * *

---

*पैरा 7 को किहोतो होलोहन बनाम जेचिल्हु और अन्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 412 में बहुमत की राय के अनुसार अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के अनुसार अनुसमर्थन के अभाव में अविधिमान्य घोषित किया गया।

भाग 2

संसद् के अधिनियम

PART II

Acts of Parliament

PART II

ACTS OF PARLIAMENT

EXTRACTS FROM THE INDIAN PENAL CODE

(45 OF 1860)

* * * * *

[1]**[153A. Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony.—***(1)* Whoever—

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, or

(b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity, [2][or]

[2][*(c)* organizes any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence or participates in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to the use of criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community,]

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(2) **Offence committed in place of worship, etc.**—Whoever commits an offence specified in sub-section (*1*) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]

[3][**153AA. Punishment for knowingly carrying arms in any procession or organizing, or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms.**—Whoever knowingly carries arms in any procession or organizes or holds or takes part in any mass drill or mass training with arms in any public place in contravention of any public notice or order issued or made under section 144A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months and with fine which may extend to two thousand rupees.

Explanation.—"Arms" means articles of any description designed or adapted as weapons for offence or defence and includes fire arms, sharp edged weapons, lathis, dandas and sticks.

[2]**[153B. Imputations, assertions prejudicial to national integration.—***(1)* Whoever, by words either spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise,—

(a) makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India, or

---

1. Subs. by Act 35 of 1969, s. 2, for s. 153A (w.e.f. 4-9-1969).
2. Ins. by Act 31 of 1972, s. 2 (w.e.f. 14-6-1972).
3. Ins. by Act 25 of 2005, s. 44 (w.e.f. 23-6-2005).

भाग 2

संसद् के अधिनियम

भारतीय दण्ड संहिता से उद्धरण

(1860 का अधिनियम संख्यांक 45)

* * * * *

[1][**153क. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना**—(1) जो कोई—

(क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और लोक-प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो, [2][अथवा]

[2][(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है,]

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

(2) पूजा के स्थान, आदि में किया गया अपराध—जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।]

[3][**153कक. किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना**—जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144क के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित जानबूझकर संचालन या आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—"आयुध" से अपराध या सुरक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अग्नि शस्त्र, नुकीली धार वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी है।]

[2][**153ख. राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान**—(1) जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेत द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा—

(क) ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखण्डता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा

---

1. 1969 के अधिनियम सं॰ 35 की धारा 2 द्वारा धारा 153क के स्थान पर (4-9-1969 से) प्रतिस्थापित।
2. 1972 के अधिनियम सं॰ 31 की धारा 2 द्वारा (14-6-1972 से) अंत:स्थापित।
3. 2005 के अधिनियम सं॰ 25 की धारा 44 द्वारा (23-6-2005 से) अंत:स्थापित।

(b) asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons shall, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, be denied or deprived of their rights as citizens of India, or

(c) makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill-will between such members and other persons,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(2) Whoever commits an offence specified in sub-section (1), in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]

* * * * *

[1][CHAPTER IXA

OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS

171A. "Candidate", "Electoral right" defined.—For the purposes of this Chapter—

[2][*(a)* "candidate" means a person who has been nominated as a candidate at any election;]

(b) "electoral right" means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at an election.

171B. Bribery.—*(1)* Whoever—

(i) gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercise any such right; or

(ii) accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right,

commits the offence of bribery:

Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2) A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

171C. Undue influence at elections.—*(1)* Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.

---

1. Ins. by Act 39 of 1920, s. 2 (w.e.f. 14-9-1920).
2. Subs. by Act 40 of 1975, s. 9, for cl. (*a*) (w.e.f. 6-8-1975).

(ख) यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को, इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा

(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की, बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक् करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं,

वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।]

*　　*　　*　　*　　*

[1][अध्याय 9क

निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

171क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

[2][(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;]

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।

171ख. रिश्वत—(1) जो कोई—

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा

(ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है:

परन्तु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा ।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतुस्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।

171ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना—(1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है ।

---

1. 1920 के अधिनियम सं॰ 39 की धारा 2 द्वारा (14-9-1920 से) अंत:स्थापित ।
2. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 9 द्वारा (6-8-1975 से) खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section *(1)*, whoever—

(a) threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or

(b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or of spiritual pleasure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section *(1)*.

(3) A declaration of public policy or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.

171D. Personation at elections.—Whoever at an election applies for a voting paper or votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way, commits the offence of personation at an election:

[1][Provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorised to vote as proxy for an elector under any law for the time being in force in so far as he votes as a proxy for such elector.]

171E. Punishment for bribery.—Whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both:

Provided that bribery by treating shall be punished with fine only.

Explanation.—"Treating" means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment, or provision.

171F. Punishment for undue influence or personation at an election.—Whoever commits the offence of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

171G. False statement in connection with an election.—Whoever with intent to affect the result of an election makes or publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine.

171H. Illegal payments, in connection with an election.—Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees:

Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

171-I. Failure to keep election accounts.—Whoever being recruited by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.]

* * * * *

1. Ins. by Act 24 of 2003, s. 5 (w.e.f. 22-9-2003).

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई—

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

171घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपण—जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है :

[1][परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।]

171ङ. रिश्वत के लिए दंड—जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—"सत्कार" से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है ।

171च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड—जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

171छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन—जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

171ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय—जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।

171झ. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता—जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।]

* * * * *

1. 2003 के अधिनियम सं॰ 24 की धारा 5 द्वारा (22-9-2003 से) अंत:स्थापित ।

[1]**[505. Statements conducing to public mischief.**—[2]*(1)* Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report,—

(*a*) with intent to cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, [3][sailor or airman] in the Army, [4][Navy or Air Force] [5][of India] to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such; or

(*b*) with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public, or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against the State or against the public tranquillity; or

(*c*) with intent to incite, or which is likely to incite, any class or community of persons to commit any offence against any other class or community,

shall be punished with imprisonment which may extend to [6][three years], or with fine, or with both.

[7][(*2*) **Statements creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes.—**Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumour or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) **Offence under sub-section (*2*) committed in place of worship, etc.** —Whoever commits an offence specified in sub-section (*2*) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]

Exception.—It does not amount to an offence, within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumour or report, has reasonable grounds for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it [7][in good faith and] without any such intent as aforesaid.

* * * * *

1. Subs. by Act 4 of 1898, s. 6 for s. 505.
2. S. 505 re-numbered as sub-section (*1*) of that section by Act 35 of 1969, s. 3. (w.e.f. 4-9-1969).
3. Subs. by Act 10 of 1927, s.2 and the First Sch., for "or sailor" (w.e.f. 4-4-1927).
4. Subs. by s. 2 and the First Sch., *ibid.*, for "or Navy", (w.e.f. 4-4-1927).
5. The words "or in the Royal Indian Marine" occurring after the word "Majesty" omitted by Act 35 of 1934, s. 2 and Sch. (w.e.f. 8-9-1934) and Subs. by A.O. 1950, for "of Her Majesty or in the Imperial Service Troops."
6. Subs. by Act 41 of 1961, s.4 for "two years" (w.e.f. 12-9-1961).
7. Ins. by Act 35 of 1969, s. 3 (w.e.f. 4-9-1969).

[1][**505. लोक रिष्टिकारक वक्तव्य**—[2][(1)] जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को,—

(क) इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, [3][भारत की] सेना, [4][नौसेना या वायुसेना] का कोई आफिसर, सैनिक, [5][नाविक या वायुसैनिक] विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते, अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, अथवा

(ख) इस आशय से कि, या जिससे वह सम्भाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा

(ग) इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए,

रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो [6][तीन वर्ष] तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

[7][(2) **विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन**—जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, इस आशय से कि, या जिससे वह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(3) **पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा (2) के अधीन अपराध**—जो कोई उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।]

अपवाद—ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और [7][वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना] रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है ।

* * * * *

1. 1898 के अधिनियम सं॰ 4 की धारा 6 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1969 के अधिनियम सं॰ 35 की धारा 3 द्वारा धारा 505 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा ''हर मजेस्टी की या इम्पीरियल सर्विस टॅप्स'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। ''मजेस्टी'' शब्द के पश्चात्वर्ती ''या रायल इंडियन मैरिन में'' शब्दों का 1934 के अधिनियम सं॰ 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया था।
4. 1927 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा ''या नौसैना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1927 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा ''या नौसैनिक'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1961 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 4 द्वारा ''दो वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1969 के अधिनियम सं॰ 35 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title.
2. Definitions.

PART II

ALLOCATION OF SEATS AND DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

The House of the People

3. Allocation of seats in the House of the People.

3A. [*Repealed.*].

4. Filling of seats in the House of the People and Parliamentary Constituencies.

5-6. [*Repealed.*]

The State Legislative Assemblies

7. Total number of seats in Legislative Assemblies and Assembly Constituencies.

7A. Total number of seats in the Legislative Assembly of Sikkim and Assembly Constituencies.

The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order

8. Consolidation of delimitation orders.

8A. Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the States of Arunchal Pardesh, Assam, Manipur or Nagaland.

9. Power of Election Commission to maintain Delimitation Order up-to-date.

9A. [*Repealed.*]

9B. [*Repealed.*]

The State Legislative Councils

10. Allocation of seats in the Legislative Councils.

11. Delimitation of Council constituencies.

Provisions as to orders delimiting constituencies

12. Power to alter or amend orders.

13. Procedure as to orders delimiting constituencies.

PART IIA

OFFICERS

13A. Chief electoral officers.

13AA. District election officers.

13B. Electoral registration officers.

13C. Assistant electoral registration officers.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

धाराओं का क्रम

भाग 1

प्रारम्भिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम ।
2. परिभाषाएं ।

भाग 2

स्थानों का आबंटन और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

लोक सभा

3. लोक सभा में स्थानों का आबंटन ।

3क. [निरसित।]

4. लोक सभा में स्थानों का भरा जाना और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।

5-6. [निरसित।]

राज्य विधान सभाएं

7. विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।

7क. सिक्किम की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश

8. परिसीमन आदेशों का समेकन ।

8क. अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।

9. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति ।

9क. [निरसित।]

9ख. [निरसित।]

राज्य विधान परिषदें

10. विधान परिषदों में के स्थानों का आबंटन ।

11. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में उपबंध

12. आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति ।

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया ।

भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर ।

13कक. जिला निर्वाचन आफिसर ।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ।

SECTIONS

13CC. Chief electoral officers, district election officers, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.

PART IIB

ELECTORAL ROLLS FOR PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES

13D. Electoral rolls for parliamentary constituencies.

PART III

ELECTORAL ROLLS FOR ASSEMBLY CONSTITUENCIES

14. Definitions.
15. Electoral roll for every constituency.
16. Disqualifications for registration in an electoral roll.
17. No person to be registered in more than one constituency.
18. No person to be registered more than once in any constituency.
19. Conditions of registration.
20. Meaning of "ordinarily resident".
20A. Special provisions for citizens of India residing outside India.
21. Preparation and revision of electoral rolls.
22. Correction of entries in electoral rolls.
23. Inclusion of names in electoral rolls.
24. Appeals.
25. Fee for applications and appeals.
25A. Conditions of registration as elector in Sangha constituency in Sikkim.

PART IV

ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES

26. [*Repealed.*]
27. Preparation of electoral rolls for Council Constituencies.

PART IVA

MANNER OF FILLING SEATS IN THE COUNCIL OF STATES TO BE FILLED BY REPRESENTATIVES OF UNION TERRITOREIS

27A. Constitution of electoral colleges for the filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.
27B-27F. [*Repealed.*]
27G Termination of membership of electoral college for certain disqualifications.
27H. Manner of filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.
27-I. [*Repealed.*]
27J. Power of electoral colleges to elect notwithstanding vacancies therein.
27K. [*Repealed.*]

PART V

GENERAL

28. Power to make rules.
29. Staff of local authorities to be made available.
30. Jurisdiction of civil courts barred.

धाराएं

13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना ।

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां ।

भाग 3

सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

14. परिभाषाएं ।

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं ।

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें ।

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ ।

20क. भारत से बाहर निवास कर रहे भारत के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध ।

21. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण ।

22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की शुद्धि ।

23. निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना ।

24. अपीलें ।

25. आवेदनों और अपीलों के लिए फीस ।

25क. सिक्किम के संघ निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की शर्तें ।

भाग 4

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

26. [निरसित ।]

27. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी ।

भाग 4क

संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति

27क. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचकगणों का गठन ।

27ख-27च. [निरसित ।]

27छ. कतिपय निरर्हताओं के लिए निर्वाचकगण की सदस्यता का पर्यवसान ।

27ज. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति ।

27झ. [निरसित ।]

27ञ. निर्वाचकगणों में रिक्तियां होते हुए भी उनकी निर्वाचन करने की शक्ति ।

27ट. [निरसित ।]

भाग 5

साधारण

28. नियम बनाने की शक्ति ।

29. स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृन्द का उपलब्ध किया जाना ।

30. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित ।

SECTIONS

31. Making false declarations.

32. Breach of official duty in connection with the preparation, etc., of electoral rolls.

THE FIRST SCHEDULE.—ALLOCATION OF SEATS IN THE HOUSE OF THE PEOPLE.

THE SECOND SCHEDULE.—TOTAL NUMBER OF SEATS IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLIES.

THE THIRD SCHEDULE.—ALLOCATION OF SEATS IN THE LEGISLATIVE COUNCILS.

THE FOURTH SCHEDULE.—LOCAL AUTHORITIES FOR PURPOSES OF ELECTIONS TO LEGISLATIVE COUNCILS.

THE FIFTH SCHEDULE.—[REPEALED.]

THE SIXTH SCHEDULE.—[REPEALED.]

THE SEVENTH SCHEDULE.—[REPEALED.]

धाराएं

31. मिथ्या घोषणाएं करना ।

32. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग ।

प्रथम अनुसूची—लोक सभा में स्थानों का आबंटन ।

द्वितीय अनुसूची—विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या ।

तृतीय अनुसूची—विधान परिषदों में के स्थानों का आबंटन ।

चतुर्थ अनुसूची—विधान परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी ।

पंचम् अनुसूची— निरसित।]

षष्ठम् अनुसूची—[निरसित।]

सप्तम् अनुसूची—[निरसित।]

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950

(43 OF 1950)

[12*th May*, 1950.]

An Act to provide the allocation of seats in, and the delimitation of constituencies for the purpose of election to, the House of the People and the Legislatures of States, the qualifications of voters at such elections, the preparation of electoral rolls, [1][the manner of filling seats in the Council of States to be filled by representatives of [2][Union territories]], and matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament as follows:—

PART I

PRELIMINARY

1. Short title. —This Act may be called the Representation of the People Act, 1950.

2. Definitions.— [3]* * * In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "article" means an article of the Constitution;

(*b*) "Assembly constituency" means a constituency provided [4][by law] for the purpose of elections to the Legislative Assembly of a State;

(*c*) "Council constituency" means a constituency provided [5][by law] for the purpose of elections to the Legislative Council of a State;

[6]* * * * *

(*d*) "Election Commission" means the Election Commission appointed by the President under article 324;

(*e*) "order" means an order published in the Official Gazette;

(*f*) "Parliamentary constituency" means a constituency provided [7][by law] for the purpose of elections to the House of the People;

[8]* * * * *

(*g*) "person" does not include a body of persons;

(*h*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

[9][(*i*) "State" includes a Union territory;]

(*j*) "State Government", in relation to a Union territory, means the administrator thereof.

[10]* * * * *

---

1. Ins. by Act 73 of 1950, s. 2 (w.e.f. 23-12-1950).
2. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C States" (w.e.f. 1-11-1956).
3. The brackets and figure "(*1*)" omitted by Act 103 of 1956, s. 65 (w.e.f. 1-1-1957).
4. Subs. by Act 2 of 1956, s. 2, for "by order made under section 9" (w.e.f. 1-3-1956).
5. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "by order made under section 11" (w.e.f. 1-11-1956).
6. Ins. by Act 73 of 1950, s. 3, for cl. (*cc*) and subsequently omitted by Act 103 of 1956, s. 65 (w.e.f. 1-1-1957).
7. Subs. by Act 2 of 1956, s. 2, for "by section 6 or by order made thereunder" (w.e.f. 1-3-1956).
8. Ins. by Act 67 of 1951, s. 2 for cl. (*ff*) and was subsequently omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Sch. (w.e.f. 21-1-1972).
9. Subs. by s. 3, and the Sch., *ibid,* for cl. (*i*) (w.e.f. 21-1-1972).
10. Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम संख्यांक 43)

[12 मई, 1950]

लोक सभा और राज्यों के विधान-मण्डलों में स्थानों के आबंटन और उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों से मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, [1][राज्य सभा में [2][संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को भरने की रीति] और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कहा जा सकेगा ।

2. परिभाषाएं— [3]*** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ख) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" से राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ [4][विधि द्वारा] उपबन्धित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ग) "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ [5][विधि द्वारा] उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

[6]* * * * *

(घ) "निर्वाचन-आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "आदेश" से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है ;

(च) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" से लोकसभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ [7][विधि द्वारा] उपबन्धित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

[8]* * * * *

(छ) "व्यक्ति" के अंतर्गत व्यक्तियों का निकाय नहीं आता है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

[9][(झ) "राज्य" के अंतर्गत कोई भी संघ राज्यक्षेत्र आता है ;]

(ञ) "राज्य सरकार" से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है ।

[10]* * * * *

---

1. 1950 के अधिनियम सं॰ 73 की धारा 2 द्वारा (23-12-1950 से) अंत:स्थापित ।
2. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) "(1)" कोष्ठकों और अंक का लोप किया गया ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 2 द्वारा (1-3-1956 से) "धारा 9 के अधीन किए गए आदेश द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "धारा 11 के अधीन किए गए आदेश द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1950 के अधिनियम सं॰ 73 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित खण्ड (गग) का 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) लोप किया गया।
7. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 2 द्वारा "धारा 6 के द्वारा या उसके अधीन किए गए आदेश द्वारा" के स्थान पर (1-3-1956 से) प्रतिस्थापित ।
8. 1951 के अधिनियम सं॰ 67 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (चच) का पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) लोप किया गया ।
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (21-1-1972 से) खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा उपधारा (2) का (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

PART II

ALLOCATION OF SEATS AND DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

The House of the People

[1][**3. Allocation of seats in the House of the People.**—The allocation of seats to the States in the House of the People and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of each State shall be as shown in the First Schedule.

[**3A. Reservation of seats in the House of People for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in certain Part C States.**]—Repealed. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1958 (58 of 1958), s. 3 (w.e.f. 30-12-1958).

4. Filling of seats in the House of the People and parliamentary constituencies.—[2]* * * * *

[3][(*2*) All the seats in the House of the People allotted to the States under section 3 shall be seats to be filled by persons chosen by direct election from parliamentary constituencies in the States.]

(*3*) Every parliamentary constituency referred to in sub-section (*2*) shall be a single-member constituency.

(*4*) Every State to which only one seat is allotted under section 3 shall form one parliamentary constituency.

[4][(*5*) Save as provided in sub-section (*4*), the extent of all parliamentary constituencies except the parliamentary constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and the extent of the parliamentary constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as provided for in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 having regard to the provisions of sections 10A and 10B of the Delimitation Act, 2002.]]

5. [*Parliamentary constituencies.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1956 (2 *of* 1956), *s.* 4.

6. [*Delimitation of parliamentary constituencies.*] *Rep. by the Adaptation of Laws* (*No.* 2) *Order,* 1956.

The State Legislative Assemblies

[5][**7. Total number of seats in Legislative Assemblies and Assembly Constituencies.**—*(1)* [6][Subject to the provisions of [7][sub-sections (*1A*), (*1B*) and (*1C*)], the total number of seats] in the Legislative Assembly of each State specified in the Second Schedule, to be filled by persons chosen by direct election from Assembly Constituencies, and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State, shall be as shown in that Schedule:

Provided that for the period referred to in clause (*2*) of article 371A, the total number of seats allotted to the Legislative Assembly of the State of Nagaland shall be [8][fifty-two], of which—

(a) [9][twelve seats] shall be allocated to the Tuensang district and shall be filled by persons chosen by the members of the regional council, referred to in that article, from amongst themselves in such manner as the Governor, after consulting that Council may, by notification in the Official Gazette, specify, and

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 2, for ss. 3 and 4 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Omitted by Act 29 of 1975, s. 11 (w.e.f. 15-8-1975).
3. Subs. by s. 11, *ibid.*, for sub-section (*2*) (w.e.f. 15-8-1975).
4. Subs. by Act 10 of 2008, s. 2, for sub-section (*5*) (w.e.f. 16-4-2008).
5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 4, for s. 7 (w.e.f. 14-12-1966). Original ss. 8 and 9 were rep. by Act 2 of 1956, s. 5 (w.e.f. 1-3-1956) and the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, respectively (w.e.f. 1-11-1956).
6. Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-9-1979).
7. Subs. by Act 38 of 1992, s. 2, for "sub-sections (*1A*) and (*1B*)" (w.e.f. 5-12-1992).
8. Subs. by Act 61 of 1968, s. 4, for "forty-six" (w.e.f. 31-12-1968).
9. Subs. by s. 4, *ibid*., for "six seats" (w.e.f. 31-12-1968).

भाग 2
स्थानों का आबंटन और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन
लोक सभा

[1][**3. लोक सभा में स्थानों का आबंटन**—लोक सभा में राज्यों को स्थानों का आबंटन और हर एक राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या वह होगी जो प्रथम अनुसूची में दर्शित है ।

[3क. कतिपय भाग (राज्यों) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में स्थानों के लिए आरक्षण—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1958 (1958 का 58) की धारा 3 द्वारा (30-12-1958 से) निरसित।]

4. लोक सभा में स्थानों का भरा जाना और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र— [2]* * * * *

[3][(2) राज्यों को धारा 3 के अधीन आबंटन में मिले लोक सभा में के सभी स्थान ऐसे स्थान होंगे जो राज्यों में के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे ।]

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

(4) हर राज्य, जिसको धारा 3 के अधीन आबंटन में केवल एक स्थान मिला है, एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

[4][(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो ।]

5. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 4 द्वारा निरसित ।

6. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन ।]—विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित ।

राज्य विधान सभाएं

[5][**7. विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र**—(1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान सभा में [6][[7][उपधारा (1क), उपधारा (1ख) और उपधारा (1ग)] के उपबंधों के अधीन उन स्थानों की कुल संख्या] जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे तथा उन स्थानों की, यदि कोई हों, जो राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जानी है, संख्या वह होगी जो उस अनुसूची में दर्शित है :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैण्ड के राज्य की विधान सभा को आबंटित स्थानों की कुल संख्या [8][बावन] होगी, जिनमें से—

(क) [9][बारह स्थान] ट्यूनसांग जिले को आबंटित किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से ऐसी रीति में, जैसी राज्यपाल उस परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, चुने जाएं, तथा

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 2 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 3 और धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1975 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) लोप किया गया ।
3. 1975 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 द्वारा (16-4-2008 से) उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 4 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 5 द्वारा (1-3-1956 से) और विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) मूल धाराएं 8 और 9 क्रमशः निरसित की गई थीं ।
6. 1980 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1992 के अधिनियम सं॰ 38 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) "उपधारा (1क) और (1ख)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1968 के अधिनियम सं॰ 61 की धारा 4 द्वारा "छियालीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. 1968 के अधिनियम सं॰ 61 की धारा 4 द्वारा (31-12-1968 से) "छह स्थानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*b*) the remaining forty seats shall be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies in the rest of the State.

[1][(*1A*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), the total number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1980 (8 of 1980), to be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies shall be thirty-two, of which—

(*a*) twelve seats shall be reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin;

(*b*) two seats shall be reserved for the Scheduled Castes of that State; and

(*c*) one seat shall be reserved for the Sanghas referred to in section 25A.

Explanation.—In this sub-section "Bhutia" includes Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa and Yolmo.]

[2][(*1B*) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Third Amendment) Act, 1987 (40 of 1987), —

(*a*) [3][fifty-nine seats] shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh;

(*b*) fifty-five seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Meghalaya;

(*c*) thirty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Mizoram; and

(*d*) fifty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Nagaland.]

[4][(*1C*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), twenty seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Tripura to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1992 (38 of 1992).]

(*2*) Every assembly constituency referred to [5][in sub-section (*1*) or sub-section (*1A*)] shall be a single-member constituency.

[6][(*3*) The extent of each assembly constituency in all the States and Union Territories except the assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and the extent of each assembly constituency in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as provided for in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 having regard to the provisions of sections 10A and 10B of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).]

[7][**7A. Total number of seats in the Legislative Assembly of Sikkim and Assembly constituencies.**—(*1*) Notwithstanding anything contained in section 7, in the Legislative Assembly of the State of Sikkim [deemed under the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 to be the Legislative Assembly of that State duly constituted], the total number of seats to be filled by persons chosen by direct election from Assembly constituencies shall be 32.

---

1. Ins. by Act 8 of 1980, s. 2 (w.e.f. 1-9-1979).
2. Ins. by Act 40 of 1987, s. 2 (w.e.f. 22-9-1987).
3. Subs. by Act 10 of 2008, s. 3, for "thirty-nine seats" (w.e.f. 16-4-2008).
4. Ins. by Act 38 of 1992, s. 2 (w.e.f. 5-12-1992).
5. Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for "in sub-section (*1*)" (w.e.f. 1-9-1979).
6. Subs. by Act 10 of 2008, s. 3, for sub-section (*3*) (w.e.f. 16-4-2008).
7. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

(ख) शेष चालीस स्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे जो शेष राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्र में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे ।

[1][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 8) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है उन स्थानों की कुल संख्या जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, बत्तीस होगी जिसमें से—

(क) बारह स्थान भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित होंगे;

(ख) दो स्थान उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे; और

(ग) एक स्थान धारा 25क में निर्दिष्ट संघा के लिए आरक्षित होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "भूटिया" के अंतर्गत चुम्बिपा, डोप्थापा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा और योल्मो भी हैं ।]

[2][(1ख) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाओं में, जो लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 40) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है—

(क) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए [3][उनसठ स्थान] आरक्षित होंगे ;

(ख) मेघालय राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए पचपन स्थान आरक्षित होंगे ;

(ग) मिजोरम राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनतालीस स्थान आरक्षित होंगे; और

(घ) नागालैण्ड राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनसठ स्थान आरक्षित होंगे ।]

[4][(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 38) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए बीस स्थान आरक्षित होंगे ।]

(2) [5][उपधारा (1)या उपधारा (1क) में] निर्दिष्ट हर सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

[6][(3) अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो ।]

[7][**7क. सिक्किम की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और सभा निर्वाचन-क्षेत्र**—(1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में जो [संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के अधीन उस राज्य की सम्यक् रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है] सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 32 होगी ।

---

1. 1980 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) अंत:स्थापित ।
2. 1987 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 2 द्वारा (22-9-1987 से) अंत:स्थापित ।
3. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 3 द्वारा (16-4-2008 से) "उनतालीस स्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1992 के अधिनियम सं॰ 38 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंत:स्थापित ।
5. 1980 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) "उपधारा (1) में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 3 द्वारा (16-4-2008 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1976 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अंत:स्थापित ।

(*2*) Every Assembly constituency referred to in sub-section (*1*) shall be a single-member constituency.

(*3*) In the Legislative Assembly so deemed to be duly constituted, the extent of each constituency and the reservation of seats shall be as provided for immediately before the commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975.]

The Delimiation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order

8. Consolidation of delimitation orders.— [1][(*1*) Having regard to all the orders referred to in sub-section (*5*) of section 4 and sub-section (*3*) of section 7 relating to the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in all States and Union Territories, except the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland, made by the Delimitation Commission and published in the Official Gazette, the Election Commission shall—

(*a*) after making such amendments as appear to it to be necessary for bringing up-to-date the description of the extent of the parliamentary and assembly constituencies as given in such orders, without, however, altering the extent of any such constituency;

(*b*) after taking into account the provisions of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, as made applicable pursuant to the orders made by the President under section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) relating to delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland, and the provisions of section 10B of the said Act relating to delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State of Jharkhand,

consolidate all such orders into one single order to be known as the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 and shall send authentic copies of that Order to the Central Government and to the Government of each State having a Legislative Assembly; and thereupon that Order shall superseed all the orders referred to in sub-section (*5*) of section 4 and sub-section (*3*) of section 7 and shall have the force of law and shall not be called in question in any court.]

(*2*) As soon as may be, after the said Order is received by the Central Government or by the Government of a State, that Government shall cause it to be laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State.

[2][(*3*) The consolidation under sub-section (*1*) of the orders referred to in sub-section (*5*) of section 4, or as the case may be, sub-section (*3*) of section 7 shall not, [3][as provided in sub-section (*5*) of section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002)], affect the representation in, and the territorial constituencies of, the House of the People or the Legislative Assembly of the State existing on the date of publication in the Gazette of India of any such order or orders as may be relevant.]

[4][**8A. Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland.**— (*1*) If the President is satisfied that the situation and the conditions prevailing in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland are conducive for the conduct of delimitation exercise, he may, by order, rescind the deferment order issued under the provisions of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) in relation to that State, and provide for the conduct of delimitation exercise in the State by the Election Commission.

(*2*) As soon as may be after the deferment order in respect of a State is rescinded under sub-section (*1*), the Election Commission may, by order, determine—

(*a*) the parliamentary constituencies into which such State to which more than one seat is allotted in the First Schedule shall be divided;

(*b*) the extent of each constituency; and

(*c*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

---

1. Subs. by Act 10 of 2008, s. 4. for sub-section (*1*) (w.e.f. 16-4-2008).
2. Ins. by Act 88 of 1976, s. 4 (w.e.f. 2-9-1976).
3. Subs. by Act 10 of 2008, s. 4, for certain words (w.e.f. 16-4-2008).
4. Ins. by s. 5, *ibid*. (w.e.f. 16-4-2008).

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

(3) इस प्रकार सम्यक् रूप से गठित समझी गई विधान सभा में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और स्थानों का आरक्षण वैसा ही होगा जैसा कि संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उपबंधित था।]

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश

8. परिसीमन आदेशों का समेकन—[1][(1) अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए और राजपत्र में प्रकाशित समस्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग,—

(क) किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को परिवर्तित किए बिना, ऐसे संशोधन करने के पश्चात् जो ऐसे आदेशों में दिए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन को अद्यतन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ;

(ख) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क और झारखंड राज्य की संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेशों के अनुसरण में लागू किए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए,

ऐसे सभी आदेशों को एकल आदेश में समेकित करेगा, जो संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के नाम से ज्ञात होगा और उस आदेश की अधिप्रमाणित प्रतियां, केंद्रीय सरकार को और ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार को, जिसमें विधान सभा हो, भेजेगा ; और तदुपरि वह आदेश धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी आदेशों को अधिष्ठित करेगा और विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।]

(2) उक्त आदेश के केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वह सरकार उसको, यथास्थिति, लोक सभा के समक्ष या राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

[2][(3) धारा 4 की उपधारा (5) में, या यथास्थिति, धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेशों का उपधारा (1) के अधीन समेकन, [3][परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उपधारा (5) में उपबंधित रूप में], किसी ऐसे आदेश या किन्हीं ऐसे आदेशों के, जो सुसंगत हों, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान लोक सभा में या राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व को और प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगा।]

[4][8**क. अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन**—(1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्य में विद्यमान स्थिति और दशाएं परिसीमन की कार्यवाही करने के लिए अनुकूल हैं तो वह उस राज्य के संबंध में परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क के उपबंधों के अधीन जारी आस्थगन आदेश को, आदेश द्वारा विखंडित कर सकेंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में परिसीमन की कार्यवाही किए जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे।

(2) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा,—

(क) उन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें किसी ऐसे राज्य को, जिसे प्रथम अनुसूची में एक से अधिक स्थान आबंटित किए गए हैं, विभाजित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, यदि कोई है, अवधारण कर सकेगा।

---

1. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 4 द्वारा (16-4-2008 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं॰ 88 की धारा 4 द्वारा (2-9-1976 से) अंत:स्थापित।
3. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 4 द्वारा (16-4-2008 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 5 द्वारा (16-4-2008 से) अंत:स्थापित।

(*3*) As soon as may be after the deferment order in respect of a State is rescinded under sub-section (*1*), the Election Commission may, by order, determine—

(*a*) the assembly constituencies into which such State shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of that State;

(*b*) the extent of each constituency; and

(*c*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(*4*) Subject to the provisions of sub-section (*1*), the Election Commission shall, having regard to the provisions of the Constitution and the principles specified in clauses (*c*) and (*d*) of sub-section (*1*) of section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) determine the parliamentary and assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland in which seats shall be reserved, if any, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(*5*) The Election Commission shall,—

(*a*) publish its proposals under sub-sections (*2*), (*3*) and (*4*) with respect to any State in the Official Gazette and also in such other manner as it thinks fit;

(*b*) specify a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(*c*) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;

(*d*) hold, for the purpose of such consideration, if it thinks fit so to do, one or more public sittings at such place or places in such State as it thinks fit;

(*e*) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine, by order, the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State and also the constituency or constituencies in which seats shall be reserved, if any, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and cause such order to be published in the Official Gazette; and, upon such publication, the order shall have the force of law and shall not be called in question in any court and the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 shall be deemed to have been amended accordingly.

(*6*) Every order made under sub-sections (*1*) and (*2*) and clause (*e*) of sub-section (*5*) shall be laid before each House of Parliament.

(*7*) Every order made under sub-sections (*1*) and (*3*) and clause (*e*) of sub-section (*5*) shall, as soon as may be after it is published under that sub-section, be laid before the Legislative Assembly of the State concerned.]

9. Power of Election Commission to maintain Delimitation Order up-to-date.— (*1*) The Election Commission may, from time to time, by notification published in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned,—

[1][(*a*) correct any printing mistake in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 or any error arising therein from inadvertent slip or omission;

(*aa*) make such amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 as appear to it to be necessary or expedient for consolidating with that Order any notification or order relating to delimitation of Parliamentary or assembly constituencies (including reservation of seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in such constituencies) issued under section 8A of this Act or any other Central Act;]

1. Subs. by Act 10 of 2008, s. 6 for cl. (*a*) (w.e.f. 16-4-2008).

(3) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा,—

(क) ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें ऐसे राज्य को, उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का, यदि कोई है,

अवधारण कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयोग, संविधान के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हैं, आरक्षित होंगे, का अवधारण करेगा ।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) किसी राज्य के संबंध में, उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन अपने प्रस्तावों का प्रकाशन राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति में भी जिसे वह ठीक समझे, करेगा;

(ख) उस तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ग) सभी आक्षेपों और सुझावों पर, विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हुए हों;

(घ) ऐसे विचार के प्रयोजन के लिए, यदि ऐसा करना ठीक समझे, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें ऐसे राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, करेगा;

(ङ) ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का, और उस निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करेगा जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हों, आरक्षित रहेंगे और ऐसे आदेश राजपत्र में प्रकाशित कराएगा तथा ऐसे प्रकाशन पर आदेश, विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(7) उपधारा (1) और उपधारा (3) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उस उपधारा के अधीन प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।]

9. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संपृक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

[1][(क) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें उद्भूत किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा ;

(कक) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे उसे इस अधिनियम की धारा 8क के या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में, (जिसके अन्तर्गत ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी है) जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उक्त आदेश के साथ समेकित करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;]

1. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 6 द्वारा (16-4-2008 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*b*) where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in the Order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date.

[1][(*c*) make such amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date by including therein and excluding there from the relevant areas, consequent upon the exchange of one hundred and eleven enclaves of India and fifty one enclaves of Bangladesh with effect from 31st July, 2015, in pursuance of the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.]

(*2*) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.]

[**9A. Power of Election Commission to determine the constitutencies to be reserved for Scheduled Tribes in certain States.**] Omitted by Act 10 of 2008. s. 7 (w.e.f. 16-4-2008).

[**9B. Power of Election Commission to determine the constitutencies to be reserved for Scheduled Tribes in State of Tripura.**] Omitted by Act 10 of 2008. s. 7 (w.e.f. 16-4-2008).

The State Legislative Councils

10. Allocation of seats in the Legislative Councils.—(*1*) The allocation of seats in the Legislative Councils of the States having such Councils shall be as shown in the Third Schedule.

(*2*) In the Legislative Council of each State specified in the first column of the Third Schedule, there shall be the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State, and of those seats,—

(*a*) the numbers specified in the third, fourth and fifth columns shall be the number of seats to be filled by persons elected, respectively, by the electorates referred to in sub-clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of clause (3) of article 171;

(*b*) the number specified in the sixth column shall be the number of seats to be filled by persons elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of that Assembly; and

(*c*) the number specified in the seventh column shall be the number of seats to be filled by persons nominated by the Governor [2]* * * of the State in accordance with the provisions of clause (*5*) of article 171.

[3]* * * * *

11. Delimitation of Council Constituencies.—As soon as may be after the commencement of this Act, the President shall, by order, determine—

(*a*) the constituencies into which each State having a Legislative Council shall be divided for the purpose of elections to that Council under each of the sub-clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of clause (3) of article 171;

(*b*) the extent of each constituency; and

(*c*) the number of seats allotted to each constituency.

Provisions as to orders delimiting constituencies

12. Power to alter or amend orders.—[4][(1)] The President may, from time to time, after consulting the Election Commission, by order, alter or amend any order made by him under [5]* * * section 11.

[6][(*2*) An order under sub-section (*1*) may contain provisions for the allocation of any member representing any council constituency immediately before the making of the order to any constituency delimited a new or ltered by the order and for such other incidental and consequential matters as the President may deem necessary.]

1. Ins. by Act 10 of 2016, s. 2 (w.e.f. 4-3-2016).
2. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
3. Omitted by Act 37 of 1957, s. 12. (w.e.f. 18-9-1957).
4. S. 12 re-numbered as sub-section (*1*) of that section by Act 20 of 1960, s. 2 and subsequently repealed by the Repealing and Amending Act, 1960 (58 of 1960), s. 2 and Sch. I (w.e.f. 26-12-1960).
5. The words and figures "section 6, section 9, or" omitted by Act 2 of 1956, s. 7. (w.e.f. 8-5-1960).
6. Ins. by Act 20 of 1960, s. 2. (w.e.f. 8-5-1960)

(ख) वहां, जहां कि उस आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी क्षेत्रीय खंड की सीमाएं या नाम परिवर्तित कर दी जाती हैं या कर दिया जाता है, ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

[1][(ग) संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, 31 जुलाई, 2015 से भारत की एक सौ ग्यारह बस्तियों और बांग्लादेश की इक्यावन बस्तियों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो सुसंगत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके तथा उसमें से सुसंगत क्षेत्रों को अपवर्जित करके आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।]

(2) इस धारा के अधीन हर अधिसूचना अपने निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लोक सभा के तथा संपृक्त राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

[**9क. निर्वाचन आयोग की कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करने की शक्ति ।**]—2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 7 द्वारा (16-4-2008 से) लोप किया गया ।

[**9ख. निर्वाचन आयोग की त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करने की शक्ति ।**]—2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 7 द्वारा (16-4-2008 से) लोप किया गया ।

राज्य विधान परिषदें

10. विधान परिषदों में के स्थानों का आबंटन—(1) उन राज्यों में, जिनमें विधान परिषदें हैं, ऐसी परिषदों में के स्थानों का आबंटन ऐसा होगा जैसा तृतीय अनुसूची में दर्शित है।

(2) तृतीय अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान परिषद् में स्थानों की संख्या वह होगी जो उसके द्वितीय स्तम्भ में उस राज्य के सामने विनिर्दिष्ट है और उन स्थानों में से—

(क) तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तम्भों में विनिर्दिष्ट संख्याएं उन स्थानों की संख्याएं होंगी जो अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्वाचक-मंडलों द्वारा क्रमश: निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं;

(ख) षष्ठ स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं जो उस सभा के सदस्य नहीं हैं; तथा

(ग) सप्तम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो राज्य के राज्यपाल [2]*** द्वारा अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं।

[3]* * * * *

11. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राष्ट्रपति—

(क) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें हर एक राज्य जिसमें विधान परिषद् है, उस परिषद् के लिए अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में से हर एक के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभक्त किया जाएगा;

(ख) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को; तथा

(ग) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटन में मिले स्थानों की संख्या को,

आदेश द्वारा अवधारित करेगा।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में उपबंध

12. आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति—[4][(1)] राष्ट्रपति [5]*** धारा 11 के अधीन अपने द्वारा किए गए आदेश को निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा समय-समय पर परिवर्तित या संशोधित कर सकेगा ।

[6][(2) उपधारा (1) के अधीन के आदेश के किए जाने से अव्यवहित पूर्व जो कोई सदस्य किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस सदस्य का आबंटन उस आदेश द्वारा नए सिरे से परिसीमित या परिवर्तित किसी निर्वाचन-क्षेत्र को किए जाने के लिए और ऐसे अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उपबंध उस आदेश में अन्तर्विष्ट हो सकेंगे।]

---

1. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 10) की धारा 2 द्वारा (4-3-2016 से) अन्त:स्थापित ।
2. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख, यथास्थिति" शब्दों का लोप किया गया ।
3. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 12 द्वारा (18-9-1957 से) लोप किया गया ।
4. 1960 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 2 द्वारा धारा 12 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया और तत्पश्चात, निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की धारा 2 और अनसूची द्वारा (26-12-1960 से) निरसित किया गया।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 7 द्वारा "धारा 6, धारा 9 या" शब्दों और अंकों का लोप किया गया (8-5-1960)।
6. 1960 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 2 द्वारा (8-5-1960 से) अंत:स्थापित ।

13. Procedure as to orders delimiting constituencies.—[1]* * * * *

(3) Every order made under [2]* * * section 11 or section 12 shall be laid before Parliament as soon as may be after it is made, and shall be subject to such modifications as Parliament may make on a motion made within twenty days from the date on which the order is so laid.

[3][PART IIA

OFFICERS

13A. Chief electoral officers.—(*1*) There shall be for each State a chief electoral officer who shall be such officer of Government as the Election Commission may, in consultation with that Government, designate or nominate in this behalf.

(*2*) Subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the chief electoral officer shall supervise the preparation, revision and correction of all electoral rolls in the State under this Act.

[4][**13AA. District election officers.**—(*1*) For each district in a State, [5]***, the Election Commission shall, in consultation with the Government of the State, designate or nominate a district election officer who shall be an officer of Government:

Provided that the Election Commission may designate or nominate more than one such officer for a district if the Election Commission is satisfied that the functions of the office cannot be performed satisfactorily by one officer.

(*2*) Where more than one district election officer are designated or nominated for a district under the proviso to sub-section (*1*), the Election Commission shall in the order designating or nominating the district election officers also specify the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction.

(*3*) Subject to the superintendence, direction and control of the chief electoral officer, the district election officer shall coordinate and supervise all work in the district or in the area within his jurisdiction in connection with the preparation and revision of the electoral rolls for all parliamentary, assembly and council constituencies within the district.

(*4*) The district election officer shall also perform such other functions as may be entrusted to him by the Election Commission and the chief electoral officer.]

13B. Electoral registration officers.—(*1*) The electoral roll [6][[7][for each parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly], each assembly constituency and each Council constituency] shall be prepared and revised by an electoral registration officer who shall be such officer of Government or of a local authority as the Election Commission may, in consultation with the Government of the State in which the constituency is situated, designate or nominate in this behalf.

---

1. Sub-sections (*1*) and (*2*) omitted by Act 2 of 1956, s. 8 (w.e.f. 1-3-1956).
2. The words and figures "section 6, section 9," omitted by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1956).
3. Ins. by s. 9, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1956).
4. Ins. by Act 47 of 1966, s. 5 (w.e.f. 14-12-1966).
5. The words "other than a Union territory," omitted by Act 2 of 2004, s. 2 (w.e.f. 29-10-2003).
6. Subs. by Act 103 of 1956, s. 65, for certain words (w.e.f. 1-1-1957).
7. Subs. by Act 47 of 1966, s. 6, for certain words (w.e.f. 14-12-1966).

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया— [1]* * * * *

(3) [2]***धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे ।

[3][भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर—(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर**—(1)[5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा:

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—(1)[6][[7][जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
3. 1956 के अधिनियम स॰ 2 की धारा 9 द्वारा (1-3-1956 से) अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित ।
5. 2004 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 2 द्वारा (29-10-2003 से) "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*2*) An electoral registration officer may, subject to any prescribed restrictions, employ such persons as he thinks fit for the preparation and revision of the electoral roll for the constituency.

13C. Assistant electoral registration officers.—(*1*) The Election Commission may appoint one or more persons as assistant electoral registration officers to assist any electoral registration officer in the performance of his functions.

(*2*) Every assistant electoral registration officer shall, subject to the control of the electoral registration officer, be competent to perform all or any of the functions of the electoral registration officer.

[1][**13CC. Chief Electoral Officers, District Election Officers, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.**—The officers referred to in this Part and any other officer or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.]

PART IIB

ELECTORAL ROLLS FOR PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES

[2][**13D. Electoral rolls for parliamentary constituencies.**— (*1*) The electoral roll for every parliamentary constituency, other than a parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly, shall consist of the electoral rolls for all the assembly constituencies comprised within that parliamentary constituency; and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such parliamentary constituency:

Provided that for the period referred to in clause (*2*) of article 371A, it shall be necessary to prepare and revise separately the electoral roll for that part of the parliamentary constituency of Nagaland which comprises the Tuensang district and the provisions of Part III shall apply in relation to the preparation and revision of the electoral roll of the said part as they apply in relation to an assembly constituency.

(*2*) The provisions of Part III shall apply in relation to every parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly as they apply in relation to an assembly constituency.]

PART III

[3][ELECTORAL ROLLS FOR ASEMBLY [4]* * * CONSTITUENCIES]

[5][**14. Definitions.**—In this Part, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "constituency" means an Assembly constituency [4]* * *;

(*b*) "qualifying date", in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this Part, means [6][the 1st day of January, the first day of April, the 1st day of July and the 1st day of October] of the year in which it is so prepared or revised:]

---

1. Ins. by Act 1 of 1989, s. 2 (w.e.f. 15-3-1989).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 7, for s. 13D (w.e.f. 14-12-1966).
3. Subs. by Act 2 of 1956, s. 10, for the heading "REGISTRATION OF PARLIAMENTARY ELECTORS" (w.e.f. 1-3-1956).
4. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 65 (w.e.f. 1-1-1957).
5. Subs. by Act 2 of 1956, s. 11, for s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
6. Subs. by Act 49 of 2021, s. 2, for “the 1st day of January” (w.e.f. 1-8-2022).

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—(1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना**—इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां**—(1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो टयूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

भाग 3

[3][[4]* * * निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

[5][**14. परिभाषाएं—इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—**

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; [4]* * *

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है:]

---

1. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 10 द्वारा (1-3-1956 से) "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 11 द्वारा (1-3-1956 से) धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 2 द्वारा (1-8-2022 से) "जनवरी का पहला दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][Provided that "qualifying date", in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this Part in the year 1989, shall be the 1st day of April, 1989.]

15. Electoral roll for every constituency.—For every constituency there shall be an electoral roll which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the superintendence, direction and control of the Election Commission.

16. Disqualifications for registration in an electioral roll.—(*1*) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he—

(*a*) is not a citizen of India; or

(*b*) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(*c*) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt [2]* * * practices and other offences in connection with elections.

(*2*) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included:

[3][Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a constituency by reason of a disqualification under clause (*c*) of sub-section (*1*) shall forthwith be re-instated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under any law authorising such removal.]

17. No person to be registered in more than one constituency.—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency [4]* * *.

18. No Person to be registered more than once in any constituency. —No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once.

[5][**19. Conditions of registration.**—Subject to the foregoing provisions of this Part, every person who—

(*a*) is not less than [6][eighteen years] of age on the qualifying date, and

(*b*) is ordinarily resident in a constituency,

shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.]

20. Meaning of "ordinarily resident".—[7][(*1*) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in a constituency on the ground only that he owns, or is in possession of, a dwelling house therein.

(*1A*) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

---

1. Ins. by Act 21 of 1989, s. 3 (w.e.f. 28-3-1989).
2. Omitted by Act 58 of 1960, s. 3 and Sch. II for certain words (w.e.f. 26-12-1960).
3. Ins. by Act 73 of 1950, s. 4 (w.e.f. 23-12-1950).
4. Omitted by Act 58 of 1958, s. 6 for certain words (w.e.f. 30-12-1958).
5. Subs. by s. 7, *ibid.* for s. 19 (w.e.f. 30-12-1958).
6. Subs. by Act 21 of 1989, s. 4, for "twenty-one years" (w.e.f. 28-3-1989).
7. Subs. by Act 58 of 1958, s. 8, for sub-section (*1*) (w.e.f. 30-12-1958).

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में,"अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी।]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली—हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं—(1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]***आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है:

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुन:स्थापित कर दिया जाएगा।]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

[5][**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो—

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ—[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

---

1. 1989 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंत:स्थापित ।
2. 1960 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा (23-12-1950 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
3. 1950 के अधिनियम सं॰ 73 की धारा 4 द्वारा (23-12-1950 से) अंत:स्थापित ।
4. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 6 द्वारा (30-12-1958 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
5. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 7 द्वारा (30-12-1958 से) धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1989 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1959 से) ''इक्कीस वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 8 द्वारा (30-12-1958 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*1B*) A member of Parliament or of the Legislature of a State shall not during the term of his office cease to be ordinarily resident in the constituency in the electoral roll of which he is registered as an elector at the time of his election as such member, by reason of his absence from that constituency in connection with his duties as such member.]

(*2*) A person who is a patient in any establishment maintained wholly or mainly for the reception and treatment of persons suffering from mental illness or mental defectiveness, or who is detained in prison or other legal custody at any place, shall not by reason thereof be deemed to be ordinarily resident therein.

[1][(*3*) Any person having a service qualification shall be deemed to be ordinarily resident on any date in the constituency in which, but for his having such service qualification, he would have been ordinarily resident on that date.]

(*4*) Any person holding any office in India declared[2] by the President in consultation with the Election Commission to be an office to which the provisions of this sub-section apply, [3]* * * shall be deemed to be ordinarily resident [4]*** on any date in the constituency in which, but for the holding of any such office [5]* * *, he would have been ordinarily resident [6]* * * on that date.

(*5*) The statement of any such person as is referred to in sub-section (*3*) or sub-section (*4*) made in the prescribed form and verified in the prescribed manner, that [7][but for his having the service qualification] or but for his holding any such office [8]* * * as is referred to in sub-section (4) he would have been ordinarily resident in a specified place [9]* * * on any date, shall, in the absence of evidence to the contrary, be [7][accepted as correct].

(*6*) The [10] [spouse] of any such person as is referred to in sub-section (*3*) or sub-section (*4*) shall [11][if such spouse] be ordinarily residing with such person [12]* * * be deemed to be ordinarily resident on [13]*** in the constituency specified by such person under sub-section (*5*).

[14][(*7*) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case and to such rules as may be made in this behalf by the Central Government in consultation with the Election Commission.]

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 8, for sub-section (*3*) (w.e.f. 14-12-1966).
2. The following offices have been declared by the President by Notification No. S.O. 959, dated the 18th April, 1960:—
   1. The President of India.
   2. The Vice-President of India.
   3. The Governors of States.
   4. The Cabinet Ministers of the Union or of any State.
   5. The Deputy Chairman and Members of the Planning Commission.
   6. The Ministers of State of the Union or of any State.
   7. The Deputy Ministers of the Union or of any State.
   8. The Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly.
   9. The Chairman of any State Legislative Council.
   10. The Lieutenant Governors of Union territories.
   11. The Deputy Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly.
   12. The Deputy Chairman of the Council of States or of any State Legislative Council.
   13. The Parliamentary Secretaries of the Union or of any State.
3. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).
4. The words "during any period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
5. The words "or employment" omitted by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).
6. The words "during any period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
7. Subs. by Act 47 of 1966, s. 8, for certain words (w.e.f. 14-12-1966).
8. Certain words omitted by s. 8, *ibid*. (w.e.f. 14-12-1966).
9. The words "during any period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
10. Subs. by Act 49 of 2021, s. 3, for “wife” (w.e.f. 1-8-2022).
11. Subs. by s. 3, *ibid*, for “if she” (w.e.f. 1-8-2022).
12. The words "during any period" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
13. The words "during that period" omitted by s. 14, *ibid*. (w.e.f. 1-3-1956).
14. Ins. by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).

(1ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान-मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।]

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णत: या मुख्यत: पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में, कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है।

[1][(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।]

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित[2] कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू हैं [3]*** उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को [4]*** उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण [5]*** न किए होता तो वह, उस तारीख को [6]*** मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि [7][यदि मेरी सेवा अर्हता] न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण [8]*** न किए होता । जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को [9]*** मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह [7][स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है]।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति [10]*** [11][का पति या पत्नी], जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से [12]***निवास [13][करता/करती हो, तो ऐसे पति या पत्नी] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

[14][(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।]

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पदों को अधिसूचना सं॰का॰ आ॰ 959, तारीख 18 अप्रैल, 1960 द्वारा घोषित किया गया:—
   (1) भारत का राष्ट्रपति ।
   (2) भारत का उपराष्ट्रपति ।
   (3) राज्यों के राज्यपाल ।
   (4) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री ।
   (5) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य ।
   (6) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री ।
   (7) संघ या किसी राज्य के उप मंत्री ।
   (8) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष ।
   (9) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति ।
   (10) संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल ।
   (11) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष ।
   (12) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उप सभापति ।
   (13) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव ।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 14 द्वारा (1-3-1956 से) "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) "या नियोजन" शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 14 द्वारा (1-3-1956 से) "उस कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
9. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 14 द्वारा (1-3-1956 से) "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।
10. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 14 द्वारा (1-3-1956 से) "किसी कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।
11. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 3 द्वारा (1-8-2022 से) "की पत्नी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
12. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 14 द्वारा (1-3-1956 से) "उस कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।
13. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 3 द्वारा (1-8-2022 से) "करती हो, तो ऐसी पत्नी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित।

(*8*) In sub-sections (*3*) and (*5*) "service qualification" means—

(*a*) being a member of the armed forces of the Union; or

(*b*) being a member of a force to which the provisions of the Army Act, 1950 (46 of 1950), have been made applicable whether with or without modifications; or

(*c*) being a member of an armed police force of a State, who is serving outside that State; or

(*d*) being a person who is employed under the Government of India, in a post outside India.

[1][**20A. Special provisions for citizens of India residing outside India.**—(*1*) Notwithstanding anything contained in this Act, every citizen of India—

(*a*) whose name in not included in the electoral roll;

(*b*) who has not acquired the citizenship of any other country; and

(*c*) who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise outside India (whether temporarily or not),

shall be entitled to have his name registered in the electoral roll in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.

(*2*) The time within which the name of persons referred to in sub-section (*1*) shall be registered in the electoral roll and the manner and procedure for registering of a person in the electoral roll under sub-section (*1*) shall be such as may be prescribed.

(*3*) Every person registered under this section shall, if otherwise eligible to exercise his franchise, be allowed to vote at an election in the constituency.]

[2][**21. Preparation and revision of electoral rolls.**—(*1*) The electoral roll for each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this Act.

[3][(*2*) The said electoral roll—

(*a*) shall, unless otherwise directed by the Election Commission for reasons to be recorded in writing, be revised in the prescribed manner by reference to the qualifying date—

(*i*) before each general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State; and

(*ii*) before each bye-election to fill a casual vacancy in a seat allotted to the constituency; and

(*b*) shall be revised in any year in the prescribed manner by reference to the qualifying date if such revision has been directed by the Election Commission:

Provided that if the electoral roll is not revised as aforesaid, the validity or continued operation of the said electoral roll shall not thereby be affected.]

(*3*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*2*), the Election Commission may at any time, for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit:

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the constituency, as in force at the time of the issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

[4][**22. Correction of entries in electoral rolls.**—If the electoral registration officer for a constituency, on application made to him or on his own motion, is satisfied after such inquiry as he thinks fit, that any entry in the electoral roll of the constituency—

(*a*) is erroneous or defective in any particular,

---

1. Ins. by Act 36 of 2010, s. 2 (w.e.f. 10-2-2011).
2. Subs. by Act 2 of 1956, s. 15, for ss. 21 to 25 (w.e.f. 1-3-1956).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 9, for sub-section (*2*) (w.e.f. 14-12-1966).
4. Subs. by Act 58 of 1958, s. 9, for s. 22 (w.e.f. 30-12-1958).

(8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता से"—

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है,

अभिप्रेत है।

[1][**20क. भारत से बाहर निवास कर रहे भारत के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध**—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक,—

(क) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है;

(ख) जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है; और

(ग) जो भारत में अपने मामूली निवास-स्थान से, अपने नियोजन, शिक्षा या अन्यथा भारत से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहा है (चाहे अस्थायी रूप से है या नहीं),

ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार होगा।

(2) वह समय, जिसके भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उपधारा (1) के अधीन निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अन्यथा पात्र है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले किसी निर्वाचन में मतदान करने की अनुज्ञा दी जाएगी।]

[2][**21. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण**—(1) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से और विहित रीति में तैयार की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने अंतिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगी।

[3][(2) उक्त निर्वाचक नामावली का—

(क) विहित रीति में पुनरीक्षण तब के सिवाय जब कि उन कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले, तथा

(ii) निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उप-निर्वाचन से पहले,

अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा; तथा

(ख) विहित रीति में किसी वर्ष में पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है:

परन्तु यदि निर्वाचक नामावली का यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण न किया गया हो तो उससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधिमान्यता या निरन्तर प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निदेश, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी भी समय दे सकेगा:

परन्तु उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपने उस रूप में, जिसमें वह किसी ऐसे निदेश के निकाले जाने के समय प्रवृत्त है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक ऐसे निर्दिष्ट किया गया विशेष पुनरीक्षण समाप्त न हो जाए।

[4][**22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की शुद्धि**—यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, हो जाता है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि—

(क) किसी विशिष्ट में गलत है या त्रुटिपूर्ण है,

---

1. 2010 के अधिनियम सं॰ 36 की धारा 2 द्वारा (10-2-2011 से) अंत:स्थापित ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 15 द्वारा (1-3-1956 से) धारा 21 से धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 9 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 9 द्वारा (30-12-1958 से) धारा 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*b*) should be transposed to another place in the roll on the ground that the person concerned has changed his place of ordinary residence within the constituency, or

(*c*) should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinarily resident in the constituency or is otherwise not entitled to be registered in that roll,

the electoral registration officer shall, subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, amend, transpose or delete the entry [1][after proper verification of facts in such manner as may be prescribed]:

Provided that before taking any action on any ground under clause (*a*) or clause (*b*) or any action under clause (*c*) on the ground that the person concerned has ceased to be ordinarily resident in the constituency or that he is otherwise not entitled to be registered in the electoral roll of that constituency, the electoral registration officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him [1][after proper verification of facts in such manner as may be prescribed].

[2][**23. Inclusion of names in electoral rolls.**—(*1*) Any person whose name is not included in the electoral roll of a constituency may apply to the electoral registration officer for the inclusion of his name in that roll.

(*2*) The electoral registration officer shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the electoral roll, direct his name to be included therein [3][after proper verification of facts in such manner as may be prescribed]:

Provided that if the applicant is registered in the electoral roll of any other constituency, the electoral registration officer shall inform the electoral registration officer of that other constituency and that officer shall, on receipt of the information, strike off the applicant's name from that roll [3][after proper verification of facts in such manner as may be prescribed].

(*3*) No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made under section 22 and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a constituency shall be given under this section, after the last date for making nominations for an election in that constituency or in the parliamentary constituency within which that constituency is comprised and before the completion of that election.]

[4][(*4*) The electoral registration officer may for the purpose of establishing the identity of any person require that such person may furnish the Aadhaar number given by the Unique Identification Authority of India as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsides, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016):

Provided that the electoral registration officer may also require the Aadhaar number from persons already included in the electoral roll for the purposes of authentication of entries in electoral roll and to identify registration of name of the same person in the electoral roll of more than one constituency or more than once in the same constituency.

(*5*) Every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as may be prescribed, on or before a date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

(*6*) No application for inclusion of name in the electoral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed:

Provided that such individual may be allowed to furnish such other alternate documents as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*a*) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).

[5][**24. Appeals.**—An appeal shall lie within such time and in such manner as may be prescribed—

(*a*) to the [6][district magistrate or additional district magistrate or executive magistrate or district collector or an officer of equivalent rank], from any order of the electoral registration officer under section 22 or section 23 [7]***.

[8][(*b*) to the chief electoral officer, from any order of the district magistrate or the additional district magistrate under clause (*a*)]

25. Fee for applications and appeals.—Every applications under section 22 or section 23 and every appeal under section 24 shall be accompanied by the prescribed fee which shall, in no case, be refunded.]

[9][**25A. Conditions of registration as elector in Sangha constituency in Sikkim.**—Notwithstanding anything contained in sections 15 and 19, for the Sangha constituency in the State of Sikkim, only the Sanghas belonging to monasteries, recognised for the purpose of the elections held in Sikkim in April, 1974, for forming the Assembly for Sikkim, shall be entitled to be registered in the electoral roll, and the said electoral roll shall, subject to the provisions of sections 21 to 25, be prepared or revised in such manner as may be directed by the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim.]

---

1. Ins. by Act 36 of 2010, s. 3 (w.e.f. 10-2-2011).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 10, for s. 23 (w.e.f. 14-12-1966).
3. Ins. by Act 36 of 2010, s. 4 (w.e.f. 10-2-2011).
4. Ins. by Act 49 of 2021, s. 4 (w.e.f. 1-8-2022).
5. Ins. by Act 40 of 1961, s. 3 (w.e.f. 20-9-1961).
6. Subs. by Act 41 of 2009, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-2-2010).
7. The word "and" omitted by Act 47 of 1966, s. 11 (w.e.f. 14-12-1966).
8. Ins. by Act 41 of 2009, s. 2 for certain words (w.e.f. 1-2-2010).
9. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

(ख) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति ने उस निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर अपना मामूली निवास-स्थान बदल दिया है नामावली में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए, अथवा

(ग) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति मर गया है या उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, निकाल दी जानी चाहिए,

तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, ऐसे किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अध्यधीन रहते हुए [1][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस प्रविष्टि को संशोधित कर सकेगा, अन्यत्र रख सकेगा या निकाल सकेगा:

परन्तु खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाही या खंड (ग) के अधीन इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है कोई कार्यवाही करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर सम्पृक्त व्यक्ति को [1][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस व्यक्ति के संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।]

[2][**23. निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना**—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र नामावली में सम्मिलित नहीं है, उस नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को आवेदन कर सकेगा ।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है तो [3][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] वह यह निदेश देगा कि उसका नाम उसमें सम्मिलित किया जाए:

परन्तु यदि आवेदक किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को इत्तिला देगा और वह आफिसर ऐसी इत्तिला प्राप्त होने पर [3][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस नामावली में से आवेदक के नाम को काट देगा ।

(3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें वह निर्वाचन-क्षेत्र समाविष्ट है, निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति से पूर्व धारा 22 के अधीन कोई भी प्रविष्टि न तो संशोधित की जाएगी, न अन्यत्र रखी जाएगी और न निकाली जाएगी और न इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने के लिए कोई निर्देश ही दिया जाएगा।]

[4][(4) निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दी गई आधार संख्या प्रस्तुत करे: (2016 का 18):

परन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में उसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण की पहचान करने के लिए निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित व्यक्तियों की आधार संख्या की अपेक्षा भी कर सकेगा।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व अपनी आधार संख्या संसूचित कर सकेगा ।

(6) निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए किसी आवेदन से इंकार नहीं किया जाएगा और निर्वाचक नामावली में किन्हीं प्रविष्टियों का किसी व्यष्टि द्वारा ऐसे पर्याप्त कारण, से जो विहित किया जाए, आधार संख्या प्रस्तुत करने या संसूचित करने में असमर्थता के कारण लोप नहीं किया जाएगा:

परंतु ऐसे व्यष्टि को ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''आधार संख्या'' पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।] (2016 का 18)

[5][**24. अपीलें**—यथाविहित समय के अन्दर और रीति में, अपील—

(क) किसी ऐसे आदेश के खिलाफ जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ने धारा 22 या धारा 23 के अधीन किया है, [6][जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी] को होगी; [7]***

[8][(ख) खंड (क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आफिसर को होगी।]

25. आवेदनों और अपीलों के लिए फीस—धारा 22 या धारा 23 के अधीन हर आवेदन और धारा 24 के अधीन हर अपील के साथ विहित फीस होगी जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी ।]

[9][**25क. सिक्किम के संघ निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**—धारा 15 और धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य में संघ निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, मठों के केवल वे संघ, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार होंगे, जिन्हें सिक्किम की सभा बनाने के लिए अप्रैल, 1974 में सिक्किम में किए गए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई थी और उक्त निर्वाचक नामावली को, धारा 21 से धारा 25 तक की धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा या पुनरीक्षित किया जाएगा, जो सिक्किम सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्दिष्ट की जाए।]

---

1. 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 3 द्वारा (10-2-2011 से) अंत:स्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 10 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 4 द्वारा (10-2-2011 से) अंत:स्थापित ।
4. 2021 के अधिनियम सं0 49 की धारा 4 द्वारा (1-8-2022 से) अंत:स्थापित ।
5. 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 3 द्वारा (20-9-1961 से) अंत:स्थापित ।
6. 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 2 द्वारा (1-2-2010 से) प्रतिस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 11 द्वारा (14-12-1966 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।
8. 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 2 द्वारा (1-2-2010 से) अंत:स्थापित ।
9. 1976 के अधिनियम सं0 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अंत:स्थापित ।

PART IV

[1][ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES]

26. [*Preparation of electoral rolls for Assembly constituencies.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1956 (2 of 1956), s. 17.

27. Preparation of electoral roll for Council constituencies.—(*1*) In this section, "local authorities' constituency", "graduates' constituency" and "teachers' constituency" mean a constituency for the purpose of elections to a Legislative Council under sub-clause (*a*), sub-clause (*b*) and sub-clause (*c*), respectively, of clause (*3*) of article 171.

[2][(*2*) For the purpose of elections to the Legislative Council of a State in any local authorities' constituency—

(*a*) the electorate shall consist of members of such local authorities exercising jurisdiction in any place or area within the limits of that constituency as are specified in relation to that State in the Fourth Schedule;

(*b*) every member of each such local authority within a local authorities' constituency shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency;

(*c*) the electoral registration officer for every local authorities' constituency shall maintain in his office in the prescribed manner and form the electoral roll for that constituency corrected up-to-date;

(*d*) in order to enable the electoral registration officer to maintain the electoral roll corrected up-to-date, the chief executive officer of every local authority (by whatever designation such officer may be known) shall immediately inform the electoral registration officer about every change in the membership of that local authority; and the electoral registration officer shall, on receipt of the information, strike off from the electoral roll the names of persons who have ceased to be, and include therein the names of persons who have become, members of that local authority; and

(*e*) the provisions of sections 15, 16, 18, 22 and 23 shall apply in relation to local authorities' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies.]

(3) For the purpose of elections to the Legislative Council of a State in the graduates' constituencies and the teachers' constituencies, the State Government concerned may, with the concurrence of the Election Commission, by notification in the Official Gazette, specify—

(*a*) the qualifications which shall be deemed to be equivalent to that of a graduate of a university in the territory of India, and

(*b*) the educational institutions within the State not lower in standard than that of a secondary school.

[3][(*4*) The provisions of sections 15, 16, 18, 21, 22 and 23 shall apply in relation to graduates' constituencies and teachers' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies.]

(*5*) Subject to the foregoing provisions of this section,—

[4]* * * * *

[5][(*a*)] every person who [6][is] ordinarily resident in a graduates' constituency and has, for at least three years [7][before the qualifying date], been either a graduate of a University in the territory of India or in possession of any of the qualifications specified under clause (*a*) of sub-section (*3*) by the State Government concerned, shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency; and

1. Subs. by Act 2 of 1956, s. 16, for the heading (w.e.f. 1-3-1956).
2. Subs. by s. 18, *ibid.,* for sub-section (*2*) (w.e.f. 1-3-1956).
3. Subs. s. 18, *ibid.,* for sub-section (*4*) (w.e.f. 1-3-1956).
4. Cl. (*a*) omitted by s. 18, *ibid*. (w.e.f. 1-3-1956).
5. Cl. (*b*) re-lettered as cl. (*a*) by s. 18, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1956).
6. Subs. by Act 40 of 1961, s. 4, for " on the qualifying date was" (w.e.f. 20-9-1961).
7. Subs. by s. 4, *ibid*., for "before that date" (w.e.f. 20-9-1961).

भाग 4

[1][परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

26. [सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 17 द्वारा निरसित ।

27. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी—(1) इस धारा में ''स्थानीय प्राधिकारी", "निर्वाचन-क्षेत्र", "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" और "शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र" से विधान परिषद् के लिए अनुच्छेद 171 के खंड (3) के क्रमश: उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

[2][(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए—

(क) निर्वाचक मंडल उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर के किसी स्थान या क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे उस राज्य के संबंध में चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर के हर एक ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का हर सदस्य उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा;

(ग) हर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अद्यतन शोधित करके विहित रीति और प्ररूप में अपने कार्यालय में बनाए रखेगा;

(घ) निर्वाचक नामावली को अद्यतन शोधित करके बनाए रखने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को समर्थ बनाने के लिए हर स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक आफिसर (चाहे ऐसा आफिसर किसी भी पदाभिधान से ज्ञात क्यों न हो) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को उस स्थानीय प्राधिकारी की सदस्यता में के हर परिवर्तन की बाबत तुरन्त इत्तिला देगा, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस इत्तिला के प्राप्त होने पर, निर्वाचक नामावली से उन व्यक्तियों के नाम काट देगा जो उस स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य नहीं रहे और उन व्यक्तियों के नाम उसमें सम्मिलित कर लेगा जो उस स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य हो गए हैं, तथा

(ङ) धारा 15, 16, 18, 22 और 23 के उपबंध स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं ।]

(3) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों में किसी राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए सम्पृक्त राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग की सहमति से, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) वे अर्हताएं, जो भारत के राज्यक्षेत्र में के विश्वविद्यालय के स्नातक के समतुल्य समझी जाएंगी, तथा

(ख) राज्य के भीतर की वे शैक्षणिक संस्थाएं, जो माध्यमिक विद्यालय के स्तर से नीचे की नहीं हैं, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

[3][(4) धारा 15, 16, 18, 21, 22 और 23 के उपबंध स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं ।]

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि—

[4]* * * * *

[5][(क)] हर व्यक्ति, जो किसी स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी [6][है] और [7][अर्हता की तारीख से पहले] कम से कम तीन वर्ष तक या तो भारत के राज्यक्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय का स्नातक था या सम्पृक्त राज्य सरकार द्वारा उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता था, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा, तथा

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 16 द्वारा (1-3-1956 से) पूर्ववर्ती शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 18 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 18 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 18 द्वारा (1-3-1956 से) खंड (क) का लोप किया गया।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 18 द्वारा (1-3-1956 से) खंड (ख) को खंड (क) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया।
6. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) ''अर्हता की तारीख को था'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) ''उस तारीख से पहले'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(*b*)] every person who [2][is] ordinarily resident in a teachers' constituency, and has, within the six years immediately [3][before the qualifying date] for a total period of at least three years, been engaged in teaching in any of the educational institutions specified under clause (*b*) of sub-section (*3*) by the State Government concerned shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.

[4][(*6*) For the purposes of sub-sections (*4*) and (*5*) the qualifying date shall be the 1st day of November of the year in which the preparation or revision of the electoral roll is commenced.]

[5][PART IVA

MANNER OF FILLING SEATS IN THE COUNCIL OF STATES TO BE FILLED BY REPRESENTATIVES OF [6][UNION TAERRITORIES]

27A. Constitution of electoral colleges for the filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.—(*1*) [7][For the purpose of filling any seat] or seats in the Council of States allotted to any [6][Union territory] [8]* * * in the Fourth Schedule to the Constitution there shall be an electoral college for [9][each such territory] [10] * * *.

[11]* * * * *

[12]* * * * *

[13][(*3*) The electoral college for the Union territory of Delhi shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992).]

[14][(*4*) [15][The electoral college for the Union territory of [16]*** Pondicherry] shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963).]

[17]* * * * *

[18]* * * * *

27B. [*Electoral College constituencies.*] *Rep. by the Territorial Councils Act,* 1956 (103 of 1956)*, s.* 65.

27C. [*Delimitation of Electoral College constituencies.*] *Rep. by s.* 65*, ibid.*

27D. [*Power to alter or amend orders.*] *Rep. by s.* 65*, ibid.*

---

1. Cl. (*c*) re-lettered as cl. (*b*) by Act 2 of 1956, s. 18 (w.e.f. 1-3-1956).
2. Subs. by Act 40 of 1961, s. 4, for "on the qualifying date was" (w.e.f. 20-9-1961).
3. Subs. by s. 4, *ibid.*, for "before that date" (w.e.f. 20-9-1961).
4. Subs. by Act 40 of 1960, s. 4, for sub-section (*6*) (w.e.f. 20-9-1961).
5. Ins. by Act 73 of 1950, s. 8 (w.e.f. 23-12-1950).
6. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C State" .
7. Subs. by Act 29 of 1975, s. 11, for certain words (w.e.f. 15-8-1975).
8. The words "or group of such States" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 23-12-1950).
9. Subs. by, s. *ibid.*, for "each such State".
10. The words "or group of States" and proviso omitted by Act 2 of 1956. s. 19 (w.e.f. 1-3-1956).
11. Proviso omitted by s.19, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1956).
12. Sub-section (*2*) omitted by Act 20 of 1963, s. 57 and Sch. II (w.e.f. 13-5-1963).
13. Subs. by Act 1 of 1992, s. 55, for sub-section (*3*) (w.e.f. 2-10-1993).
14. Subs. by Act 20 of 1963, s. 57 and Sch. II, for sub-section (*4*) (w.e.f. 13-5-1963).
15. Subs. by Act 69 of 1986, s. 7, for certain words (w.e.f. 20-2-1987).
16. The word "Mizoram" omitted by Act 34 of 1986, s.7 (w.e.f. 20-2-1987).
17. Sub-section (*5*) omitted by Act 29 of 1975, s.11 (w.e.f. 15-8-1975).
18. Sub-section (*6*) omitted by Act 32 of 1954, s. 7 (w.e.f. 1-7-1954).

[1][(ख)] हर व्यक्ति, जो किसी शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी [2][है] और [3][अर्हता की तारीख से अव्यवहित पूर्व] छह वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष की कुल कालावधि के लिए सम्पृक्त राज्य सरकार द्वारा उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में से किसी में शिक्षा देने में लगा रहा हो, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा ।

[4][(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए अर्हता की तारीख उस वर्ष के नवम्बर के पहले दिन की तारीख होगी जिसमें निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण प्रारम्भ किए जाएं।]

[5][**भाग 4क**

[6][**संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति**

27क. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचकगणों का गठन—(1) किसी [6][संघ राज्यक्षेत्र] [7]*** को संविधान की चतुर्थ अनुसूची में आबंटन में मिले राज्य सभा के [8][किसी स्थान या किन्हीं स्थानों को भरने के प्रयोजन के] लिए [9][हर एक ऐसे राज्यक्षेत्र][10] *** के लिए एक निर्वाचकगण होगा ।

[11]* * * * *

[12]* * * * *

[13][(3) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण उस राज्यक्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) के अधीन गठित विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा ।]

[14][(4) [15][[16]*** पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण] उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के अधीन उस राज्यक्षेत्र के लिए गठित की गई हो ।]

[17]* * * * *

[18]* * * * *

27ख. [निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र ।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 65 द्वारा निरसित।

27ग. [निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन ।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 65 द्वारा निरसित ।

27घ. [आदेश का परिवर्तन और संशोधन करने की शक्ति ।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 65 द्वारा निरसित ।

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 18 द्वारा (1-3-1956 से) खंड (ग) को खंड (ख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया ।
2. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) "अर्हता की तारीख को था" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) "उस तारीख से पहले" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. के अधिनियम सं॰ 73 की धारा 8 द्वारा (23-12-1950 से) अन्त:स्थापित ।
6. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-3-1956 से) "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-3-1956 से) "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।
8. 1975 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1975 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 11 द्वारा "ऐसा प्रत्येक राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 19 द्वारा (1-3-1956 से) "या राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया।
11. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 19 द्वारा (1-3-1956 से) परन्तुक का लोप किया गया।
12. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (13-5-1963 से) उपधारा (2) का लोप किया गया।
13. 1992 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 55 द्वारा (2-10-1993 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
14. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (13-5-1963 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
15. 1986 के अधिनियम सं॰ 69 की धारा 7 द्वारा (20-2-1987 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
16. 1986 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 7 द्वारा (20-2-1987 से) "मिजोरम" शब्द का लोप किया गया ।
17. 1975 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) उपधारा (5) का लोप किया गया ।
18. 1954 के अधिनियम सं॰ 32 की धारा 7 द्वारा (1-7-1954 से) उपधारा (6) का लोप किया गया ।

27E. [*Procedure as to orders delimiting constituencies.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1956 (2 *of* 1956), *s.* 21.

27F. [*Electoral rolls for Council of States constituencies.*] *Rep. by s.* 22, *ibid.*

27G. Termination of membership of electoral college for certain disqualifications.—If a person who is a member of an electoral college becomes subject to any disqualification for membership of Parliament under the provisions of any law relating to corrupt and illegal practices and other offences in connection with elections to Parliament, he shall thereupon cease to be such member of the electoral college.

27H. Manner of filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.—[1]* * * The seat or seats in the Council of States allotted to any [2][Union territory] [3]* * * in the Fourth Schedule to the Constitution shall be filled by a person or persons elected by the members of the electoral college for [4][that territory] [5]* * * in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:

[6][Provided that the person who immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, is filling the seat allotted to the Part C States of Manipur and Tripura shall, as from such commencement, be deemed to have been duly elected to fill the seat allotted to the Union territory of Tripura.]

27-I. *[Special provisions for the filling of the seats in the Council of States allotted to the States of Ajmer and Coorg and the States of Manipur and Tripura.] Rep. by the Adaptation of Laws* (No. 2) *Order,* 1956.

27J. Powers of electoral colleges to elect notwithstanding vacancies therein.—No election by the members of an electoral college [7]*** under this Act shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in the membership of such college [7]* * *.

27K. [*Electoral colleges for certain States for which Legislative Assemblies have been constituted.] Rep. by the Adaptation of Laws* (No. 2) *Order,* 1956.]

PART V

GENERAL

28. Power to make rules.—(*1*) The Central Government may, after consulting the Election Commission, by notification in the Official Gazette, make rules[8] for carrying out the purposes of this Act.

(*2*) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

[9][(*a*) the determination of ordinary residence under sub-section (*7*) of section 20;

(*aa*) the particulars to be entered in the electoral rolls;]

(*b*) the preliminary publication of electoral rolls [10]* * *;

1. Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs.by *ibid*., for "Part C States" (w.e.f. 1-11-1956).
3. The words "or group of such States" omitted, *ibid.*
4. Subs.by *ibid*., for "such State" (w.e.f. 1-11-1956).
5. The words "or group of States" omitted by Act 2 of 1956, s. 23 (w.e.f. 1-3-1956).
6. Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
7. Certain words omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and the Sch. V (w.e.f. 6-9-1951).
8. *See* the Registration of Electors Rules, 1960, in Vol. II, *infra*.
9. Subs. by Act 47 of 1966, s. 12, for cl. (*a*) (w.e.f. 14-12-1966).
10. Certain words omitted by Act 73 of 1950, s. 9 (w.e.f. 23-12-1950).

27ङ [निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित आदेशों की प्रक्रिया।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 21 द्वारा निरसित ।

27च. [राज्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 22 द्वारा निरसित ।

27छ. कतिपय निरर्हताओं के लिए निर्वाचकगण की सदस्यता का पर्यवसान—यदि वह व्यक्ति, जो किसी निर्वाचकगण का सदस्य है, संसद् की सदस्यता के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन ऐसी किसी विधि के उपबंधों के अधीन हो जाए जो संसद् के निर्वाचनों में सम्बद्ध भ्रष्ट और अवैध आचरणों और अन्य धाराओं के संबंध में है तो वह ऐसा होने पर उस राज्य निर्वाचकगण का सदस्य नहीं रह जाएगा।

27ज. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति—किसी [1][संघ राज्यक्षेत्र] [2]*** को संविधान की [3]***चतुर्थ अनुसूची में आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को [4][उस राज्यक्षेत्र] [5]***के लिए निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति या व्यक्तियों से भरा जाएगा :

[6][परन्तु जो व्यक्ति संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ के अव्यवहितपूर्व मणिपुर और त्रिपुरा के भाग ग राज्यों को आबंटन में मिले स्थान को धारण किए हुए है उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह त्रिपुरा के संघ राज्यक्षेत्रों के आबंटन में मिले स्थान को ऐसे प्रारम्भ से ही भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है ।]

27झ. [राज्य सभा के लिए अजमेर और कुर्ग राज्यों और मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के स्थान भरने के लिए विशेष उपबंध ।]—विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित ।

27ञ. निर्वाचकगणों में रिक्तियां होते हुए भी उनका निर्वाचन करने की शक्ति—किसी निर्वाचकगण [7]*** के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी निर्वाचन ऐसे गण की सदस्यता में किसी रिक्ति के विद्यमान होने के आधार पर ही प्रश्नगत न किया जाएगा ।

27**ट. [कुछ राज्यों के लिए जिनके लिए विधान सभाएं बनाई गई हैं, निर्वाचकगण ।]**—विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित ।

भाग 5

साधारण

28. **नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम[8] निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

[9][(क) मामूली तौर से निवास की धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन अवधारण ;

(कक) निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ;]

(ख) निर्वाचक नामावलियों [10]*** का प्रारंभिक प्रकाशन ;

---

1. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "भाग ग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।
3. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
4. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा "ऐसा राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 23 द्वारा (1-3-1956 से) "या राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।
6. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा अंत:स्थापित ।
7. 1951 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (6-9-1951 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
8. आगे जिल्द 2 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 देखिए ।
9. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 12 द्वारा (14-12-1966 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 1950 के अधिनियम सं॰ 73 की धारा 9 द्वारा (23-12-1950 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

(*c*) the manner in which and the time within which claims and objections as to entries in electoral rolls may be preferred;

[1]* * * * *

(*e*) the manner in which notices of claims or objections shall be published;

(*f*) the place, date and time at which claims or objections shall be heard and the manner in which claims or objections shall be heard and disposed of;

(*g*) the final publication of electoral rolls;

[2][(*h*) the revision and correction of electoral roll and inclusion of names therein;]

[3][(*hh*) the procedure for proper verification of facts for amending, transposing or deleting any entry in the electoral rolls, under section 22;

(*hhh*) the procedure for proper verification of facts for inclusion of or striking off, names in the electoral rolls, under sub-section (*2*) of section 23;]

[4][(*hhha*) the authority and the form and manner of intimation of Aadhaar number under sub-section (*5*) of section 23;

(*hhhb*) the sufficient cause and furnishing of alternate documents to be provided by the individual under sub-section (*6*) of section 23;]

(*i*) any other matter required to be prescribed by this Act.

[5][(*3*) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to be validity of anything previously done under that rule.]

[6][**29. Staff of local authorities to be made available.**—Every local authority in a State shall, when so requested by the chief electoral officer of the State, make available to any electoral registration officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with the preparation and revision of electoral rolls.]

30. Jurisdiction of civil courts barred.—No civil court shall have jurisdiction—

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a constituency; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an electoral registration officer, or of any decision given by any authority appointed under this Act for the revision of any such roll.

[7][[8][**31. Making false declarations.—**If any person makes in connection with—

(*a*) the preparation, revision or correction of an electoral roll, or

(*b*) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.]

32. Breach of official duty in connection with the preparation, etc., of electoral rolls.—(*1*) If any electoral registration officer, assistant electoral registration officer or other person required by or under this Act to perform any official duty in connection with the preparation, revision or correction of an electoral roll or the inclusion or exclusion of any entry in or from that roll, is without reasonable cause, guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall be punishable [9][with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine].

---

1. Cl. (*d*) omitted by Act 20 of 1960, s. 3 (w.e.f. 8-5-1960).
2. Subs. by Act 2 of 1956, s. 24, for cl. (*h*) (w.e.f. 1-3-1956).
3. Ins. by Act 36 of 2010, s. 5 (w.e.f. 10-2-2011).
4. Ins. by Act 49 of 2021, s. 5 (w.e.f. 1-8-2022).
5. Subs. by Act 88 of 1976, s. 6, for sub-section (*3*) (w.e.f. 2-9-1976).
6. Subs. by Act 2 of 1956, s. 25, for s. 29 (w.e.f. 1-3-1956).
7. Ins. by Act 58 of 1958, s. 11 (w.e.f. 30-12-1958).
8. Subs. by Act 20 of 1960, s. 4, for s. 31 (w.e.f. 8-5-1960).
9. Subs. by Act 21 of 1996, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-8-1996).

(ग) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की बाबत दावे और आक्षेप किए जा सकेंगे ;

[1]* * * * *

(ङ) वह रीति जिसमें दावों या आक्षेपों की सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी ;

(च) वह स्थान, तारीख और समय, जिसमें या जिस पर दावे या आक्षेप सुने जांएगे और वह रीति जिसमें दावे या आक्षेप सुने और निपटाए जाएंगे ;

(छ) निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन ;

[2][(ज) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और शुद्धि तथा उसके अंदर नामों को सम्मिलित करना ;]

[3][(जज) धारा 22 के अधीन निर्वाचक नामावलियों में किसी प्रविष्टि का संशोधन करने, उसे अन्यत्र रखने या लोप करने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया ;

(जजज) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचक नामावलियों में नामों को सम्मिलित करने या काटने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया ;]

[4][(जजजक) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी और आधार संख्या संसूचित करने का प्ररूप और रीति;

[(जजजख) धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन वह पर्याप्त कारण और व्यष्टि द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वैकल्पिक दस्तावेज।]

(झ) कोई भी ऐसी अन्य बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

[5][(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[6][29. **स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृंद का उपलब्ध किया जाना**—राज्य में का हर स्थानीय प्राधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचक आफिसर द्वारा ऐसे अपेक्षित किए जाने पर किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को ऐसा कर्मचारिवृंद उपलब्ध करेगा जैसा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो ।]

30. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित**—किसी भी सिविल न्यायालय को—

(क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है या नहीं ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की, अथवा

(ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन की गई किसी कार्यवाही की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की,

अधिकारिता न होगी ।

[7][[8][31. **मिथ्या घोषणाएं करना**—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।]

32. **निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग**—(1) यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह [9][कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से] दंडनीय होगा ।

1. 1960 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 3 द्वारा (8-5-1960 से) खंड (घ) का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 24 द्वारा (1-3-1956 से) खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2010 के अधिनियम सं॰ 36 की धारा 5 द्वारा (10-2-2011 से) अंत:स्थापित ।
4. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 5 द्वारा (1-8-2022 से) अंत:स्थापित ।
5. 1976 के अधिनियम सं॰ 88 की धारा 6 द्वारा (2-9-1976 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 25 द्वारा (1-3-1956 से) धारा 29 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 11 द्वारा (30-12-1958 से) अंत:स्थापित ।
8. 1960 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 4 द्वारा (8-5-1960 से) धारा 31 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 2 द्वारा (1-8-1996 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*2*) No suit or other legal proceeding shall lie against any such officer or other person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(*3*) No court shall take cognizance of any offence punishable under sub-section (1) unless there is a complaint made by order of, or under authority from, the Election Commission or the Chief Electoral Officer of the State concerned.]

[1][THE FIRST SCHEDULE

(*See* section 3)

Allocation of Seats in the House of the People

Name of the State/Union territory	Number of seats in the House as constituted in 2004 on the basis of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 as amended from time to time			Number of seats in the House as subsequently constituted as per the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008		
	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes
1	2	3	4	5	6	7
I. STATES						
[2][1. Andhra Pradesh	42	6	2	25	4	1]
2. Arunachal Pradesh	2	-	-	2	-	-
3. Assam	14	1	2	14	1	2
4. Bihar	40	7	-	40	6	-
5. Chhattisgarh	11	2	4	11	1	4
6. Goa	2	-	-	2	-	-
7. Gujarat	26	2	4	26	2	4
8. Haryana	10	2	-	10	2	-
9. Himachal Pradesh	4	1	-	4	1	-
[3][*	*	*	*	*	*	*]
10. Jharkhand	14	1	5	14	1	5
11. Karnataka	28	4	-	28	5	2
12. Kerala	20	2	-	20	2	-
13. Madhya Pradesh	29	4	5	29	4	6
14. Maharashtra	48	3	4	48	5	4
15. Manipur	2	-	1	2	-	1
16. Meghalaya	2	-	-	2	-	2
17. Mizoram	1	-	1	1	-	1
18. Nagaland	1	-	-	1	-	-
19. Odisha	21	3	5	21	3	5
20. Punjab	13	3	-	13	4	-
21. Rajasthan	25	4	3	25	4	3
22. Sikkim	1	-	-	1	-	-
23. Tamil Nadu	39	7	-	39	7	-
[4][24. Telangana	-	-	-	17]	3	2]
25. Tripura	2	-	1	2	-	1
26. Uttarakhand	5	-	-	5	1	-
27. Uttar Pradesh	80	18	-	80	17	-
28. West Bengal	42	8	2	42	10	2
II. UNION TERRITORIES:						
1. Andaman and Nicobar Islands	1	-	-	1	-	-
2. Chandigarh	1	-	-	1	-	-
[5][3. Dadra and Nagar Haveli Daman & Diu	1	-	1	2	-	1]
4. Delhi	7	1	-	7	1	-
5. Lakshadweep	1	-	1	1	-	1
6. Puducherry	1	-	-	1	-	-
[6][7. Jammu and Kashmir	5	-	-	5	-	-]
8. Ladakh	1	-	-	1	-	-
	543	**79**	**41**	**543**	**84**	**47**

1. Subs. by Act 10 of 2008, s. 8, for the First Sch. (w.e.f. 16-4-2008).
2. Subs. by Act 6 of 2014, s. 4 and the Second Sch., for "1. Andhra Pradesh 42 6 2 42 7 3" (w.e.f. 2-6-2014).
3. Entry "10. Jammu and Kashmir" deleted by Act 34 of 2019, s. 10 (w.e.f. 31-10-2019). Now Jammu and Kashmir is a Union Territory, *vide* Act 34 of 2019, s. 2. (w.e.f. 31-10-2019).
4. Ins. by Act 6 of 2014, s. 14 and the Second Sch. (w.e.f. 2-6-2014).
5. Subs. by Act 44 of 2019, ss. 3 and 6 (w.e.f. 26-1- 2020).
6. Ins. by Act 34 of 2019, ss. 3 and 10 (w.e.f. 31-10-2019).

(2) पूर्वोक्त जैसे किसी कार्य या कार्यलोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के खिलाफ न होगी ।

(3) जब तक कि निर्वाचन आयोग या सम्पृक्त राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन परिवाद न किया गया हो, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान न करेगा ।]

[1][प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लोक सभा में स्थानों का आबंटन

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	समय-समय पर यथा संशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन आदेश, 1976 के आधार पर 2004 में यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
I. **राज्य**						
[2][1. आन्ध्र प्रदेश	42	6	2	25	4	1]
2. अरूणाचल प्रदेश	2	-	-	2	-	-
3. असम	14	1	2	14	1	2
4. बिहार	40	7	-	40	6	-
5. छत्तीसगढ	11	2	4	11	1	4
6. गोवा	2	-	-	2	-	-
7. गुजरात	26	2	4	26	2	4
8. हरियाणा	10	2	-	10	2	-
9. हिमाचल प्रदेश	4	1	-	4	1	-
[3][*	*	*	*	*	*	*]
10. झारखंड	14	1	5	14	1	5
11. कर्नाटक	28	4	-	28	5	2
12. केरल	20	2	-	20	2	-
13. मध्य प्रदेश	29	4	5	29	4	6
14. महाराष्ट्र	48	3	4	48	5	4
15. मणिपुर	2	-	1	2	-	1
16. मेघालय	2	-	-	2	-	2
17. मिजोरम	1	-	1	1	-	1
18. नागालैंड	1	-	-	1	-	-
19. ओडिशा	21	3	5	21	3	5
20. पंजाब	13	3	-	13	4	-
21. राजस्थान	25	4	3	25	4	3
22. सिक्किम	1	-	-	1	-	-
23. तमिलनाडु	39	7	-	39	7	-
[4][24. तेलंगाना	-	-	-	17]	3	2]
25. त्रिपुरा	2	-	1	2	-	1
26. उत्तराखंड	5	-	-	5	1	-
27. उत्तर प्रदेश	80	18	-	80	17	-
28. पश्चिम बंगाल	42	8	2	42	10	2
II. संघ राज्यक्षेत्र:						
1. अंडमान और निकोबार द्वीप	1	-	-	1	-	-
2. चंडीगढ़	1	-	-	1	-	-
[5][3. दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	1	-	1	2	-	1]
4. दिल्ली	7	1	-	7	1	-
5. लक्षद्वीप	1	-	1	1	-	1
6. पुडुचेरी	1	-	-	1	-	-
[6][7. जम्मू-कश्मीर	5	-	-	5	-	-]
8. लद्दाख	1	-	-	1	-	-
	543	**79**	**41**	**543**	**84**	**47**

1. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 8 द्वारा (16-4-2008 से) प्रथम अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2014 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 4 की दूसरी अनुसूची द्वारा (2-6-2014 से) ''1 आंध्र प्रदेश 42 6 2 42 7 3'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 10 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि ''10 जम्मू-कश्मीर'' की हटा दिया गया। उक्त अधिनियम के अनुसार अब (31-10-2019 से) जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य क्षेत्र है।
4. 2014 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 14 और दूसरी अनुसूची द्वारा (2-6-2014 से) अंत:स्थापित।
5. 2019 के अधिनियम सं॰ 44 की धारा 3 और 6 द्वारा (26-1-2020 से) प्रतिस्थापित।
6. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 3 और 10 द्वारा (31-10-2019 से) अंत:स्थापित।

[1][THE SECOND SCHEDULE

(*See* sections 7 and 7A)

Total number of Seats in the Legislative Assemblies

Name of the State/Union territory	Number of seats in the House as constituted on the basis of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 as amended from time to time			Number of seats in the House as subsequently constituted as per the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008		
	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes
1	2	3	4	5	6	7
I. STATES						
[2][1. Andhra Pradesh	294	39	15	175	29	7]
2. Arunachal Pradesh	60	-	59	60	-	59
3. Assam	126	8	16	126	8	16
4. Bihar	243	39	-	243	38	2
5. Chhattisgarh	90	10	34	90	10	29
6. Goa	40	1	-	40	1	-
7. Gujarat	182	13	26	182	13	27
8. Haryana	90	17	-	90	17	-
9. Himachal Pradesh	68	16	3	68	17	3
[3][*	*	*	*	*	*	*]
[4][10. Jharkhand	81	9	28	81	9	28
11. Karnataka	224	33	2	224	36	15
12. Kerala	140	13	1	140	14	2
13. Madhya Pradesh	230	34	41	230	35	47
14. Maharashtra	288	18	22	288	29	25
15. Manipur	60	1	19	60	1	19
16. Meghalaya	60	-	55	60	-	55
17. Mizoram	40	-	39	40	-	[5][39]
18. Nagaland	60	-	59	60	-	59
19. Odisha	147	22	34	147	24	33
20. Punjab	117	29	-	117	34	-
21. Rajasthan	200	33	24	200	34	25
22. Sikkim	32	2	12**	32	2	12**
23. Tamilnadu	234	42	3	234	44	2
[6][24. Telangana	-	-	-	119	19	12]
25. Tripura	60	7	20	60	10	20
26. Uttarakhand	70	12	3	70	13	2
27. Uttar Pradesh	403	89	-	403	85	-
28. West Bengal	294	59	17	294	68	16
II. UNION TERRITORIES:						
1. Delhi	70	13	-	70	12	-
2. Puducherry	30	5	-	30	5	-
[7][3. Jammu and Kashmir	83	6	-	83	6	-]

1. Subs. by Act 10 of 2008, s. 8 for the Second Sch. (w.e.f. 16-4-2008).
2. Subs. by Act 6 of 2014, s. 17 for entry 1 (w.e.f. 2-6-2014).
3. Entry 10 omitted by Act 34 of 2019, s. 14 (w.e.f. 31-10-2019).
4. Entries 11 to 29 re-numbered as 10 to 28 by Act 34 of 2019, s. 14 (w.e.f. 31-10-2019).
5. Subs. by Act 41 of 2009, s. 3, for "38" (w.e.f. 1-12-2010).
6. Ins. by Act 6 of 2014, s. 17 (w.e.f. 2-6-2014).
7. Ins. by Act 34 of 2019, s. 14 (w.e.f. 31-10-2019).

[1][द्वितीय अनुसूची

(धारा 7 और धारा 7क देखिए)

विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	समय-समय पर यथा संशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन आदेश, 1976 के आधार पर 2004 में यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
I. राज्य						
[2][1. आन्ध्र प्रदेश	294	39	15	175	29	7]
2. अरूणाचल प्रदेश	60	-	59	60	-	59
3. असम	126	8	16	126	8	16
4. बिहार	243	39	-	243	38	2
5. छत्तीसगढ	90	10	34	90	10	29
6. गोवा	40	1	-	40	1	-
7. गुजरात	182	13	26	182	13	27
8. हरियाणा	90	17	-	90	17	-
9. हिमाचल प्रदेश	68	16	3	68	17	3
[3][*	*	*	*	*	*	*]
[4][10. झारखंड	81	9	28	81	9	28
11. कर्नाटक	224	33	2	224	36	15
12. केरल	140	13	1	140	14	2
13. मध्य प्रदेश	230	34	41	230	35	47
14. महाराष्ट्र	288	18	22	288	29	25
15. मणिपुर	60	1	19	60	1	19
16. मेघालय	60	-	55	60	-	55
17. मिजोरम	40	-	39	40	-	[5][39]
18. नागालैंड	60	-	59	60	-	59
19. ओडिशा	147	22	34	147	24	33
20. पंजाब	117	29	-	117	34	-
21. राजस्थान	200	33	24	200	34	25
22. सिक्किम	32	2	12**	32	2	12**
23. तमिलनाडु	234	42	3	234	44	2
[6][24. तेलंगाना	-	-	-	119	19	12]
25. त्रिपुरा	60	7	20	60	10	20
26. उत्तराखंड	70	12	3	70	13	2
27. उत्तर प्रदेश	403	89	-	403	85	-
28. पश्चिम बंगाल	294	59	17	294	68	16
II. संघ राज्य क्षेत्र:						
1. दिल्ली	70	13	-	70	12	-
2. पुडुचेरी	30	5	-	30	5	-
[7][3. जम्मू-कश्मीर	83	6	-	83	6	-]

1. 2008 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 8 द्वारा (16-4-2008 से) द्वितीय अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2014 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 17 द्वारा (2-6-2014 से) प्रविष्टि 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 14 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि ''10 जम्मू-कश्मीर'' को हटा दिया गया।
4. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 11 से 29 को प्रविष्टि 10 से 28 के रूप में पुन:संख्यांकित किया।
5. 2009 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 3 द्वारा (1-12-2010 से) ''38'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 2014 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 17 द्वारा (2-6-2014 से) अंत:स्थापित।
7. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 14 द्वारा (31-10-2019) से अंत:स्थापित।

* Under the Constitution of Jammu and Kashmir, the number of seats in the Legislative Assembly of that State excluding the 24 seats earmarked for Pakistan occupied territory is 87 out of which 7 seats have been reserved for the Scheduled Castes in pursuance of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957.

**Reserved 1 seat for Sanghas and 12 seats for the Sikkimese of Bhutia Lepcha origin.

[1][THE THIRD SCHEDULE

(*See* section 10)

Allocation of Seats in the Legislative Councils

Name of State	Total number seats	Number to be elected or nominated under article 171(3)				
		Sub-clause (a)	Sub-clause (b)	Sub-clause (c)	Sub-clause (d)	Sub-clause (e)
1	2	3	4	5	6	7
[2][1. Andhra Pradesh	58	20	5	5	20	8]
[3][2.Bihar	75	24	6	6	27	12]
[4]*	*	*	*	*	*	*
[5][3.] Madhya Pradesh	90	31	8	8	31	12
[6]*	*	*	*	*	*	*
[7][5.Maharashtra	78	22	7	7	30	12]
[8][6.[9][Karnataka]	75	25	7	7	25	11]
[10]*	*	*	*	*	*	*
[11][7. Tamil Nadu	78	26	7	7	26	12]
[12][7A. Telangana	40	14	3	3	14	6]
[13][8. Uttar Pradesh	99	36	8	8	37	10]

1. Subs. by Act 37 of 1957, s. 12, for the Third Sch. (w.ef. 18-9-1957)
2. Subs. by Act 12 of 2015, s. 3, for the existing entry 1 (w.e.f. 29-9-2015).
3. Subs. by Act 30 of 2000, s. 17, for the entry 2 (w.e.f. 15-11-2000).
4. Entry relating to Bombay omitted by Act 11 of 1960, s. 21 (w.e.f. 1-5-1960).
5. Entry 4 renumbered as entry 3 by s. 21, *ibid.* (w.e.f. 1-5-1960).
6. Omitted by Act 40 of 1986, s. 5 (w.e.f. 1-11-1960).
7. Ins. by Act 11 of 1960, s. 21 (w.e.f. 1-5-1960).
8. Subs. by Act 31 of 1987, s. 2 for entry 6 (w.e.f. 8-9-1987)
9. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Sch, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
10. Omitted by Act 46 of 1969, s. 5 (w.e.f. 7-1-1970).
11. Ins. by Act 16 of 2010, s. 4 (w.e.f. 18-5-2010).
12. Ins. by Act 6 of 2014, s. 17 (w.e.f. 2-6-2014).
13. Subs. by Act 29 of 2000, s. 18 for entry 8 (w.e.f. 9-11-2000).

* जम्मू-कश्मीर के संविधान के अधीन उस राज्य की विधान सभा के स्थानों की संख्या, पाकिस्तान के कब्जीधीन क्षेत्र के लिए नियत 24 स्थानों का अपवर्जन करके 87 है जिनमें से 7 स्थान जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के अनुसरण में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

**संघों के लिए एक स्थान और भूटिया लेप्चा-मूल के सिक्किमियों के लिए 12 स्थान आरक्षित।

[1][तृतीय अनुसूची

(धारा 10 देखिए)

विधान परिषदों में स्थानों का आबंटन

राज्य का नाम	स्थानों की कुल संख्या	अनुच्छेद 171(3) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए जाने वालों की संख्या				
		उपखंड (क)	उपखंड (ख)	उपखंड (ग)	उपखंड (घ)	उपखंड (ङ)
1	2	3	4	5	6	7
[2][1. आन्ध्र प्रदेश	58	20	5	5	20	8]
[3][2. बिहार	75	24	6	6	27	12]
[4]*	*	*	*	*	*	*
[5][3.] मध्य प्रदेश	90	31	8	8	31	12
[6]*	*	*	*	*	*	*
[7][5. महाराष्ट्र	78	22	7	7	30	12]
[8][6.[9][कर्नाटक]	75	25	7	7	25	11]
[10]*	*	*	*	*	*	*
[11][7. तमिलनाडु	78	26	7	7	26	12]
[12][7क. तेलंगाना	40	14	3	3	14	6]
[13][8. उत्तर प्रदेश	99	36	8	8	37	10]

1. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 12 द्वारा अनुसूची 3 के स्थान पर (18-9-1957 से) प्रतिस्थापित।
2. 2015 के अधिनियम सं॰ 12 की धारा 3 द्वारा (29-9-2015 से) प्रतिस्थापित।
3. 2000 के अधिनियम सं॰ 30 की धारा 17 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1960 के अधिनियम सं॰ 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) मुम्बई संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।
5. 1960 के अधिनियम सं॰ 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 को प्रविष्टि 3 के रूप में पुन:संख्यांकित ।
6. 1986 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 5 द्वारा (1-11-1986 से) तमिलनाडु संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।
7. 1960 के अधिनियम सं॰ 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) अंत:स्थापित ।
8. 1987 के अधिनियम सं॰ 31 की धारा 2 द्वारा (18-9-1987 से) प्रतिस्थापित ।
9. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-11-1973 से) "मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 1969 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 5 द्वारा (7-1-1970 से) लोप किया गया।
11. 2010 के अधिनियम सं॰ 16 की धारा 4 द्वारा (18-5-2010 से) अंत:स्थापित।
12. 2014 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 17 द्वारा (2-6-2014 से) अंत:स्थापित।
13. 2000 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 18 द्वारा (9-11-2000 से) प्रविष्टि 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[THE FOURTH SCHEDULE

[(*See* section 27 (2)]

Local authorities for purposes of elections to Legislative Councils

[1][ANDHRA PRADESH

1. Municipal Corporations.
2. Municipalities.
3. Nagar Panchayats.
4. Cantonment Boards.
5. Zila Praja Parishads.
6. Mandal Praja Parishads.]

[2][BIHAR

1. Nagar Parishads.
2. Cantonment Boards.
3. Nagar Panchayats.
4. Zila Parishads.
5. Panchayat Samitis.
6. Nagar Nigams (Corporations).
7. Gram Panchayats.]

[3][MADHYA PRADESH

[4][1. Municipalities.
2. Janapada Sabhas.
3. Mandal Panchayats.
4. Cantonment Boards.
5. Notified Area Committees.
6. Town Area Committees.]]

[5]* * * * *

[6][MAHARASHTRA

[7][1. Municipalities.
2. Contonment Boards.

[8]* * * * *

4. Zilla Parishad.]]

1. Ins. by Act 1 of 2006, s. 4 (*b*) (w.e.f. 11-1-2006).
2. Subs. by Act 6 of 2003, s. 2., "for "BIHAR" (w.e.f. 6-1-2003).
3. Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
4. Subs. by Act 37 of 1957, s. 12, (*e*) (*iii*) for the former entries (w.e.f. 18-9-1957).
5. The heading "Tamil Nadu" and the entries relating thereto omitted by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986, s. 5 (w.e.f. 1-11-1986).
6. Ins. by Act 40 of 1961, s. 6 (w.e.f. 20-9-1961).
7. Subs. by Act 2 of 1963, s. 2, for the former entries (w.e.f. 25-1-1963).
8. Omitted by Act 21 of 1989, s. 5 (w.e.f. 22-5-1989).

चतुर्थ अनुसूची

[धारा 27(2) देखिए]

विधान परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी

[1][**आंध्र प्रदेश**

1. नगर निगम ।
2. नगरपालिकाएं ।
3. नगर पंचायतें ।
4. छावनी बोर्ड ।
5. जिला प्रजा परिषदें ।
6. मंडल प्रजा परिषदें ।]

[2][**बिहार**

1. नगर परिषदें ।
2. छावनी बोर्ड ।
3. नगर पंचायतें ।
4. जिला परिषदें ।
5. पंचायत समितियां ।
6. नगर निगम (कारपोरेशन) ।
7. ग्राम पंचायतें ।]

[3][**मध्य प्रदेश**

[4][1. नगरपालिकाएं ।
2. जनपद सभाएं ।
3. मंडल पंचायतें ।
4. छावनी बोर्ड ।
5. अधिसूचित क्षेत्र समितियां ।
6. नगर क्षेत्र समितियां ।]]

[5]* * * * *

[6][**महाराष्ट्र**

[7][1. नगरपालिकाएं ।
2. छावनी बोर्ड ।

[8]* * * * *

4. जिला परिषद् ।]]

---

1. 2006 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 4 (ख) द्वारा (11-1-2006 से) अंत:स्थापित ।
2. 2003 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 2 द्वारा (6-1-2003 से) "बिहार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित ।
4. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 12 द्वारा (18-9-1957 से) पहले की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा (1-11-1986 से) "तमिलनाडु" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।
6. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 6 द्वारा (20-9-1961 से) अंत:स्थापित ।
7. 1963 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 2 द्वारा (25-1-1963 से) पहले की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1989 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 5 द्वारा (22-5-1989 से) लोप किया गया ।

[1][KARNATAKA]

[2][1. City Municipal Corporations.

2. City Municipal Councils.

3. Town Municipal Councils.

4. Town Panchayats.

5. Zilla Panchayats.

6. Taluk Panchayats.

7. Grama Panchayats.

8. Cantonment Boards.]]

[3]* * * * *

[4][TAMIL NADU

1. Municipalities as referred to in article 243Q of the Constitution.

2. Panchayat Union Councils.

3. Cantonment Board.

4. District Panchayats referred to in the Tamil Nadu Panchayat Act, 1994 (Tamil Nadu Act 21 of 1994)]

[5][TELANGANA

1. Municipal Corporartions.

2. Municipalities.

3. Nagr Panchayats.

4. Cantonment Boards.

5. Zila Praja Parishads.

6. Mandal Praja Parishads.]

1. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws of on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Sch., for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
2. Subs. by Act 29 of 1996, s. 2 for "entries 1 to 5" (w.e.f. 13-9-1996).
3. Omitted by Act 46 of 1969, s. 5 (w.e.f. 7.1.1970).
4. Ins. by Act 16 of 2010, s. 4 (w.e.f. 18-5-2010).
5. Ins. by Act 6 of 2014, s. 23(2) (*ii*) (w.e.f. 2-6-2014).

[1][**कर्नाटक**]

[2][1. शहरी नगर निगम ।

2. शहरी नगरपालिका परिषदें ।

3. नगरी नगरपालिका परिषदें ।

4. नगर पंचायतें ।

5. जिला पंचायतें ।

6. तालुक पंचायतें ।

7. ग्राम पंचायतें ।

8. छावनी बोर्ड ।]]

[3]* * * * *

[4][**तमिलनाडु**

1. संविधान के अनुच्छेद 243थ में यथानिर्दिष्ट नगरपालिकाएं ।

2. पंचायत संघ परिषदें ।

3. छावनी बोर्ड ।

4. तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 (1994 का तमिलनाडु अधिनियम 21) में निर्दिष्ट जिला पंचायतें ।]

[5][**तेलंगाना**

1. नगर निगम ।

2. नगर पालिकाएं ।

3. नगर पंचायतें ।

4. छावनी बोर्ड ।

5. जिला प्रजा परिषदें ।

6. मंडल प्रजा परिषदें ।]

---

1. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनूकूलन) आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-11-1973 से) "मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1996 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 2 द्वारा (13-9-1996 से) प्रविष्टि 1 से 5 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1969 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 5 द्वारा (7-1-1970 से) लोप किया गया ।
4. 2010 के अधिनियम सं॰ 16 की धारा 4 द्वारा (18-5-2010 से) अंत:स्थापित ।
5. 2014 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 23 (2)(ii) द्वारा (2-6-2014 से) अन्त:स्थापित ।

UTTAR PRADESH

[1][1. Municipal Corporations.

2. Municipal Councils.

3. Zila Panchayats.

4. Nagar Panchayats.

5. Kshettra Panchayats.

6. Cantonment Boards.]

[2]* * * * *

[3]* * * * *

[*THE FIFTH SCHEDULE.*] *Rep. by the Government of Union Territories Act,* 1963 *(*20 *of* 1963*) , s.* 57 *and the Second Schedule.*

[*THE SIXTH SCHEDULE.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1956 *(2 of* 1956*), s.* 27.

[*THE SEVENTH SCHEDULE.*] *Rep. by the s.* 27 *ibid.*

1. Subs. by Act 29 of 1996 s. 2, for entries 1 to 6 (w.e.f. 13-9-1996).
2. Omitted by Act 20 of 1969, s. 5 (w.e.f. 1-8-1969).
3. Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956. (w.e.f. 1-11-1956).

उत्तर प्रदेश

[1][1. नगर निगम ।

2. नगरपालिका परिषदें ।

3. जिला पंचायतें ।

4. नगर पंचायतें ।

5. क्षेत्र पंचायतें ।

6. छावनी बोर्ड ।]

[2]* * * * *

[3]* * * * *

[पंचम् अनुसूची ।]—संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा निरसित ।

[षष्ठम् अनुसूची ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 27 द्वारा निरसित ।

[सप्तम् अनुसूची ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 27 द्वारा निरसित ।

1. 1996 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 2 द्वारा (13-9-1996 से) प्रविष्टि 1 से 6 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1969 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 5 द्वारा (1-8-1969 से) लोप किया गया।
3. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश 1956 द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया।

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title.
2. Interpretation.

PART II

QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS

CHAPTER I.—*Qualifications for Membership of Parliament*

3. Qualification for membership of the Council of States.
4. Qualifications for membership of the House of the People.

CHAPTER II.—*Qualifications for Membership of State Legislatures*

5. Qualifications for membership of a Legislative Assembly.
5A. Qualifications for membership of Legislative Assembly of Sikkim.
6. Qualifications for membership of a Legislative Council.

CHAPTER III.—*Disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures*

7. Definitions.
8. Disqualification on conviction for certain offences.
8A. Disqualification on ground of corrupt practices.
9. Disqualification for dismissal for corruption or disloyalty.
9A. Disqualification for Government contracts, etc.
10. Disqualification for office under Government company.
10A. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.
11. Removal or reduction of period of disqualification.

CHAPTER IV.—*Disqualifications for Voting*

11A. Disqualification arising out of conviction and corrupt practices.
11B. Removal of Disqualifications.

PART III

NOTIFICATION OF GENERAL ELECTIONS

12. Notification for biennial election to the Council of States.
12A. Notification for election to fill the seat allotted to the State of Sikkim in the Council of States.
13. [*Repealed.*]
14. Notification for general election to the House of the People.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

धाराओं का क्रम

भाग 1

प्रारंभिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम ।
2. निर्वचन ।

भाग 2

अर्हताएं और निरर्हताएं

अध्याय 1—संसद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं

3. राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्हता ।
4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।

अध्याय 2—राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।

5क. सिक्किम की विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।

6. विधान परिषद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।

अध्याय 3—संसद् और राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए निरर्हताएं

7. परिभाषाएं ।
8. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता ।

8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता ।

9. भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता ।

9क. सरकार के साथ की गई संविदाओं, आदि के लिए निरर्हता ।

10. सरकारी कंपनी के अधीन पद के लिए निरर्हता ।

10क. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता ।

11. निरर्हता की कालावधि को हटाना या कम करना ।

अध्याय 4—मत देने के लिए निरर्हताएं

11क. दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरर्हता ।

11ख. निरर्हताओं का हटाया जाना ।

भाग 3

साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना

12. राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना ।

12क. राज्य सभा में सिक्किम राज्य को आबंटन में मिले स्थान को भरने के लिए निर्वाचन की अधिसूचना ।

13. [निरसित ।]

14. लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना ।

SECTIONS

14A. Notification for electing the representative of the State of Sikkim to the existing House of the People.
15. Notification for general election to a State Legislative Assembly.
15A. Notification for certain elections to Legislative Councils.
16. Notification for biennial elections to a State Legislative Council.

PART IV

ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS

19. Definition.
19A. Delegation of functions of Election Commission.
20. General duties of chief electoral officers.
20A. General duties of district election officer.
20B. Observers.
21. Returning officers.
22. Assistant returning officers.
23. Returning officer to include assistant returning officers performing the functions of the returning officer.
24. General duty of the returning officer.
25. Provision of polling stations for constituencies.
26. Appointment of presiding officers for polling stations.
27. General duty of the presiding officer.
28. Duties of a polling officer.
28A Returning officer, presiding officer, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.
29. Special provisions in the case of certain elections.

PART IVA

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES

29A. Registration with the Election Commission of associations and bodies as political parties.
29B. Political parties entitled to accept contribution.
29C. Declaration of donation received by the political parties.

PART V

CONDUCT OF ELECTIONS

CHAPTER I.—*Nomination of Candidates*

30. Appointment of dates for nominations, etc.
31. Public notice of election.
32. Nomination of candidates for election.
33. Presentation of nomination paper and requirements for a valid nomination.
33A. Right to information.
33B. Candidate to furnish information only under the Act and the rules.
34. Deposits.
35. Notice of nominations and the time and place for their scrutiny.
36. Scrutiny of nominations.
37. Withdrawal of candidature.
38. Publication of list of contesting candidates.

धाराएं

14क. विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए अधिसूचना ।
15. राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना ।
15क. विधान परिषदों के कतिपय निर्वाचनों के लिए अधिसूचना ।
16. राज्य विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना ।

भाग 4

निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी

19. परिभाषा ।
19क. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन ।
20. मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साधारण कर्तव्य ।
20क. जिला निर्वाचन आफिसर के साधारण कर्तव्य ।
20ख. प्रेक्षक ।
21. रिटर्निंग आफिसर ।
22. सहायक रिटर्निंग आफिसर ।
23. रिटर्निंग आफिसर के अंतर्गत रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटर्निंग आफिसर आंएगे ।
24. रिटर्निंग आफिसर का साधारण कर्तव्य ।
25. निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबन्ध ।
26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसरों की नियुक्ति ।
27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य ।
28. मतदान आफिसर के कर्तव्य ।
28क. रिटर्निंग आफिसर पीठासीन आफिसर, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना ।
29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबन्ध ।

भाग 4क

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण ।
29ख. राजनैतिक दलों का अभिदाय स्वीकार करने का हकदार होना ।
29ग. राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा ।

भाग 5

निर्वाचनों का संचालन

अध्याय 1—अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

30. नामनिर्देशनों, आदि के लिए तारीखें नियत करना ।
31. निर्वाचन की लोकसूचना ।
32. निर्वाचन अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन ।
33. नामनिर्देशन-पत्र का उपस्थित किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं ।
33क. सूचना का अधिकार ।
33ख. अभ्यर्थी द्वारा केवल अधिनियम और नियमों के अधीन सूचना का दिया जाना ।
34. निक्षेप ।
35. नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा के लिए समय और स्थान ।
36. नामनिर्देशनों की संवीक्षा ।
37. अभ्यर्थिता वापस लेना ।
38. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन ।

SECTIONS

39. Nomination of candidates at other elections.
39A. Allocation of equitable sharing of time.

CHAPTER II.—CANDIDATES AND THEIR AGENTS

40. Election agents.
41. Disqualification for being an election agent.
42. Revocation of the appointment, or death, of an election agent.
43-44. [*Repealed.*]
45. Functions of election agents.
46. Appointment of polling agents.
47. Appointment of counting agents.
48. Revocation of the appointment, or death, of a polling agent or counting agent.
49. Functions of polling agents and counting agents.
50. Attendance of a contesting candidate or his election agent at polling stations and performance by him of the functions of a polling agent or counting agent.
51. Non-attendance of polling or counting agents.

CHAPTER III.—*General Procedure at Elections*

52. Death of candidate of recognised Political Party before Poll.
53. Procedure in contested and uncontested elections.
54. [*Repealed.*]
55. Eligibility of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes to hold seats not reserved for those castes or tribes.
55A. [*Repealed.*]

CHAPTER IV.—*The Poll*

56. Fixing time for poll.
57. Adjournment of poll in emergencies.
58. Fresh poll in the case of destruction, etc., of ballot boxes.
58A. Adjournment of poll or countermanding of election on the ground of booth capturing.
59. Manner of voting at elections.
60. Special procedure for voting by certain classes of persons.
61. Special procedure for preventing personation of electors.
61A. Voting machines at elections.
62. Right to vote.
63. [*Repealed.*]

CHAPTER V.—*Counting of Votes*

64. Counting of votes.
64A. Destruction, loss, etc., of ballot papers at the time of counting.
65. Equality of votes.
66. Declaration of results.
67. Report of the result.
67A. Date of election of candidate.

CHAPTER VI.—*Multiple Elections*

68. Vacation of seats when elected to both Houses of Parliament.
69. Vacation of seats by persons already members of one House on election to other House of Parliament.

धाराएं

39. अन्य निर्वाचनों में अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन ।
39क. समय की साम्यापूर्ण भागीदारी का आबंटन ।

अध्याय 2—अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता

40. निर्वाचन अभिकर्ता ।
41. निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए निरर्हता ।
42. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु ।
43.-44. [निरसित ।]
45. निर्वाचन अभिकर्ताओं के कृत्य ।
46. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति ।
47. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति ।
48. मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु ।
49. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य ।
50. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का उसके द्वारा पालन ।
51. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की गैर-हाजिरी ।

अध्याय 3—निर्वाचनों में साधारण प्रक्रिया

52. मतदान के पूर्व मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी की मृत्यु ।
53. सविरोध और अविरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया ।
54. [निरसित ।]
55. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं है उन्हें धारण करने की उन जातियों या जनजातियों के सदस्यों की पात्रता ।
55क. [निरसित ।]

अध्याय 4—मतदान

56. मतदान के लिए समय नियत करना ।
57. आपात में मतदान का स्थगन ।
58. मतपेटियों के विनष्ट होने, आदि की दशा में नया मतदान ।
58क. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना ।
59. निर्वाचनों में मत देने की रीति ।
60. कुछ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मत दिए जाने के लिए विशेष प्रक्रिया ।
61. निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने के लिए विशेष प्रक्रिया ।
61क. निर्वाचकों में मतदान मशीनें ।
62. मत देने का अधिकार ।
63. [निरसित ।]

अध्याय 5—मतों की गणना

64. मतों की गणना ।
64क. गणना के समय मतपत्रों का विनाश, हानि, आदि ।
65. मत बराबर होना ।
66. निर्वाचन परिणामों की घोषणा ।
67. निर्वाचन परिणामों की रिपोर्ट ।
67क. अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख ।

अध्याय 6—बहुस्थानिक निर्वाचन

68. संसद् के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाने पर स्थानों का रिक्त हो जाना ।
69. जो व्यक्ति संसद् के एक सदन के सदस्य पहले से ही हैं, दूसरे सदन के लिए उनके निर्वाचित हो जाने पर उनके स्थानों का रिक्त हो जाना ।

SECTIONS

70. Election to more than one seat in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State.

CHAPTER VII. —*Publication of Election Results and Nominations*

71. Publication of results of elections to the Council of States and of names of persons nominated by the President.

72. [*Repealed.*]

73. Publication of results of general elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies.

73A. Special provisions as to certain elections.

74. Publication of results of elections to the State Legislative Councils and of names of persons nominated to such Councils.

CHAPTER VIIA.—*Declaration of Assets and Liabilities*

75A. Declaration of assets and liabilities.

CHAPTER VIII.—*Election Expenses*

76. Application of Chapter.

77. Account of election expenses and maximum thereof.

78. Lodging of account with the district election officer.

PART VA

FREE SUPPLY OF CERTAIN MATERIAL TO CANDIDATES OF RECOGNISED POLITICAL PARTIES

78A. Free supply of copies of electoral rolls.

78B. Supply of certain items to candidates, etc.

PART VI

DISPUTES REGARDING ELECTIONS

CHAPTER I.—*Interpretation*

79. Definitions.

CHAPTER II.—*Presentation of Election Petitions to Election Commission*

80. Election petitions.

80A. High Court to try election petitions.

81. Presentation of petitions.

82. Parties to the petition.

83. Contents of petition.

84. Relief that may be claimed by the petitioner.

85. [*Repealed.*]

CHAPTER III.—*Trial of Election Petitions*

86. Trial of election petitions.

87. Procedure before the High Court.

88-92. [*Repealed.*]

93. Documentary evidence.

94. Secrecy of voting not to be infringed.

95. Answering of criminating questions and certificate of indemnity.

96. Expenses of witnesses.

97. Recrimination when seat claimed.

धाराएं

70. संसद् के दोनों सदनों में से किसी में, या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी में के एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन ।

अध्याय 7—निर्वाचन परिणामों और नामनिर्देशनों का प्रकाशन

71. राज्य सभा के निर्वाचन परिणामों का और राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन ।

72. [निरसित ।]

73. लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन ।

73क. कुछ निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध ।

74. राज्य विधान परिषदों के लिए निर्वाचन परिणामों का और ऐसी परिषदों के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन ।

अध्याय 7क—आस्तियों और दायित्वों की घोषणा

75क. आस्तियों और दायित्वों की घोषणा ।

अध्याय 8—निर्वाचन व्यय

76. अध्याय का लागू होना ।

77. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा ।

78. लेखे का जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल किया जाना ।

भाग 5क

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को कतिपय सामग्री का नि:शुल्क प्रदाय

78क. निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों का नि:शुल्क प्रदाय ।

78ख. अभ्यर्थियों, आदि को कतिपय वस्तुओं का प्रदाय ।

भाग 6

निर्वाचन की बाबत विवाद

अध्याय 1—निर्वचन

79. परिभाषाएं ।

अध्याय 2—निर्वाचन अर्जियों का उच्च न्यायालय को उपस्थित किया जाना

80. निर्वाचन अर्जियां ।

80क. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों का विचारण ।

81. अर्जियों का उपस्थित किया जाना ।

82. अर्जी के पक्षकार ।

83. अर्जी की अंतर्वस्तु ।

84. वह अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा ।

85. [निरसित ।]

अध्याय 3—निर्वाचन अर्जियों का विचारण

86. निर्वाचन अर्जियों का विचारण ।

87. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया ।

88-92. [निरसित ।]

93. दस्तावेजी साक्ष्य ।

94. मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न किया जाना ।

95. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण का प्रमाणपत्र ।

96. साक्षियों के व्यय ।

97. स्थान के लिए दावा किए जाने पर प्रत्यारोप ।

SECTIONS

98. Decision of the High Court.
99. Other orders to be made by the High Court.
100. Grounds for declaring election to be void.
101. Grounds for which a candidate other than the returned candidate may be declared to have been elected.
102. Procedure in case of an equality of votes.
103. Communication of orders of the High Court.
104. [*Repealed.*]
105. [*Repealed.*]
106. Transmission of order to the appropriate authority, etc., and its publication.
107. Effect of orders of the High Court.

CHAPTER IV.—*Withdrawal and Abatement of Election Petitions*

108. [*Repealed.*]
109. Withdrawal of election petitions.
110. Procedure for withdrawal of election petitions.
111. Report of withdrawal by the High Court to the Election Commission.
112. Abatement of election petitions.
116. Abatement or substitution on death of respondent.

CHAPTER IVA.—*Appeals*

116A. Appeals to Supreme Court.
116B. Stay of operation of order of High Court.
116C. Procedure in appeal.

CHAPTER V.—*Cost and Security for Costs*

117. Security for costs.
118. Security for costs from a respondent.
119. Costs.
121. Payment of costs out of security deposits and return of such deposits.
122. Execution of orders as to costs.

PART VII

CORRUPT PRACTICES AND ELECTORAL OFFENCES

CHAPTER I.—*Corrupt Practice*

123. Corrupt practices.

CHAPTER III.—*ELECTORAL OFFENCES*

125. Promoting enmity between classes in connection with election.
125A. Penalty for filing false affidavit, etc.
126. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll.
126A. Restriction on publication and dissemination of result of exit polls, etc.
126B. Offences by companies.

धाराएं

98. उच्च न्यायालय का विनिश्चय ।
99. उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले अन्य आदेश ।
100. निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार ।
101. निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा वे आधार ।
102. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया ।
103. उच्च न्यायालय के आदेशों की संसूचना ।
104. [निरसित ।]
105. [निरसित ।]
106. आदेश का समुचित प्राधिकारी, आदि को पारेषण और उसका प्रकाशन ।
107. उच्च न्यायालय के आदेशों का प्रभाव ।

अध्याय 4—निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण और उपशमन

108. [निरसित ।]
109. निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण ।
110 निर्वाचन अर्जियों के प्रत्याहरण के लिए प्रक्रिया ।
111. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रत्याहरण की रिपोर्ट ।
112. निर्वाचन अर्जियों का उपशमन ।
116. प्रत्यर्थी की मृत्यु पर उपशमन या प्रतिस्थापन ।

अध्याय 4क—अपीलें

116क. उच्चतम न्यायालय में अपीलें ।
116ख. उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन का रोका जाना ।
116ग. अपील में प्रक्रिया ।

अध्याय 5—खर्चे और खर्चों के लिए प्रतिभूति

117. खर्चों के लिए प्रतिभूति ।
118. प्रत्यर्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति ।
119. खर्चे ।
121. प्रतिभूति निक्षेपों में से खर्चों का संदाय और ऐसे निक्षेपों की वापसी ।
122. खर्चों संबंधी आदेशों का निष्पादन ।

भाग 7

भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध

अध्याय 1—भ्रष्ट आचरण

123. भ्रष्ट आचरण ।

अध्याय 3—निर्वाचन अपराध

125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना ।
125क. मिथ्या शपथपत्र, आदि फाइल करने के लिए शास्ति ।
126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध ।
126क. निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम, आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बंधन ।
126ख. कंपनियों द्वारा अपराध ।

SECTIONS

127. Disturbances at election meetings.
127A. Restrictions on the printing of pamphlets, posters, etc.
128. Maintenance of secrecy of voting.
129. Officers, etc., at elections not to act for candidates or to influence voting.
130. Prohibition of canvassing in or near polling stations.
131. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations.
132. Penalty for misconduct at the polling station.
132A. Penalty for failure to observe procedure for voting.
133. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyances at elections.
134. Breaches of official duty in connection with election.
134A. Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent.
134B. Prohibition of going armed to or near a polling station.
135. Removal of ballot papers from polling station to be an offence.
135A. Offence of booth capturing.
135B. Grant of paid holiday to employees on the day of poll.
135C. Liquor not to be sold, given or distributed on polling day.
136. Other offences and penalties therefor.
137—138. [*Repealed*.]

PART VIII

DISQUALIFICATIONS

CHAPTER I.—*Disqualifications for Membership*

139—140A. [*Repealed*.]

CHAPTER II.—*Disqualifications for Voting*

141—144. [*Repealed*.]

CHAPTER III.—*Other Disqualifications*

145. [Repealed.]

CHAPTER IV.—*Powers of Election Commission in connection with inquiries as to disqualifications of Members*

146. Powers of Election Commission.
146A. Statements made by persons to the Election Commission.
146B. Procedure to be followed by the Election Commission.
146C. Protection of action taken in good faith.

PART IX

BYE-ELECTIONS

147. Casual vacancies in the Council of States.
148. [*Repealed*.]

धाराएं

127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव ।

127क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों, आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन ।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना ।

129. निर्वाचनों में आफिसर, आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे ।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध ।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विश्रृंखल आचरण के लिए शास्ति ।

132. मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शास्ति ।

132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

133. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति ।

134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग ।

134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति।

134ख. मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध ।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा ।

135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध ।

135ख. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी ।

135ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना ।

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां ।

137.-138. [निरसित ।]

भाग 8

निरर्हताएं

अध्याय 1—सदस्यता के लिए निरर्हताएं

139.-140क. [निरसित ।]

अध्याय 2—मतदान के लिए निरर्हताएं

141.-144. [निरसित ।]

अध्याय 3—निरर्हताएं

145. [निरसित ।]

अध्याय 4—सदस्यों की निरर्हताओं की जांच के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्तियां

146. निर्वाचन आयोग की शक्तियां ।

146क. निर्वाचन आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन ।

146ख. निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

146ग. सद्भावपूर्वक किए गए अभिकार्य का परित्राण ।

भाग 9

उप-निर्वाचन

147. राज्य सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां ।

148. [निरसित ।]

SECTIONS

149. Casual vacancies in the House of the People.

150. Casual vacancies in the State Legislative Assemblies.

151. Casual vacancies in the State Legislative Councils.

151A. Time limit for filling vacancies referred to in sections 147, 149, 150 and 151.

PART X

MISCELLANEOUS

152. List of members of the State Legislative Assemblies and electoral colleges to be maintained by the returning officers concerned.

153. Extension of time for completion of election.

154. Term of office of members of the Council of States.

155. Commencement of the term of office of members of the Council of States.

156. Term of office of members of State Legislative Councils.

157. Commencement of the term of office of members of the Legislative Councils.

158. Return of forfeiture of candidate's deposit.

159. Staff of certain authorities to be made available for election work.

160. Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.

161. Payment of compensation.

162. Power of obtain information.

163. Powers of entry into and inspection of premises, etc.

164. Eviction from requisitioned premises.

165. Release of premises from requisition.

166. Delegation of functions of the State Government with regard to requisitioning.

167. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.

168. [*Repealed*.]

PART XI

GENERAL

169. Power to make rules.

170. Jurisdiction of civil courts barred.

171. [*Repealed*.]

धाराएं

149. लोक सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां ।
150. राज्य विधान सभाओं में हुई आकस्मिक रिक्तियां ।
151. राज्य विधान परिषदों में हुई आकस्मिक रिक्तियां ।
151क. धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने के लिए समय की परिसीमा ।

भाग 10

प्रकीर्ण

152. राज्य विधान सभाओं में और निर्वाचकगणों के सदस्यों की सूची संपृक्त रिटर्निंग आफिसर रखेंगे ।
153. निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय का विस्तारण ।
154. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि ।
155. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ ।
156. राज्य विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि ।
157. विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ ।
158. अभ्यर्थी के निक्षेप की वापसी का समपहरण ।
159. कतिपय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृन्द निर्वाचन के काम के लिए उपलब्ध किए जाएंगे ।
160. परिसर, यानों, आदि का निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण ।
161. प्रतिकर का संदाय ।
162. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति ।
163. किसी परिसर, आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां ।
164. अधिगृहीत परिसर में बेदखली ।
165. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति ।
166. अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन।
167. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति।
168. [निरसित ।]

भाग 11

साधारण

169. नियम बनाने की शक्ति।
170. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित ।
171. [निरसित ।]

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

ACT NO. 43 OF 1951

[17*th July,* 1951.]

An Act to provide for the conduct of elections of the Houses of Parliament and to the House or Houses of the Legislature of each State, the qualifications and disqualifications for membership of those Houses, the corrupt [1]* * * practices and other offences at or in connection with such elections and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections.

BE it enacted by Parliament as follows:—

PART I

PRELIMINARY

1. Short title.—This Act may be called the Representation of the People Act, 1951.

2. Interpretation.—(*1*) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) each of the expressions defined in section 2 or sub-section (*1*) of section 27 of the Representation of the People Act 1950 (43 of 1950), but not defined in this Act, shall have the same meaning as in that Act;

(*b*) "appropriate authority" means, in relation to an election to the House of the People or the Council of States [2]* * *, the Central Government, and in relation to an election to the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State, the State Government;

[3][(*bb*) "chief electoral officer" means the officer appointed under section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);]

(*c*) "corrupt practice" means any of the practices specified in section 123 [4]* * *;

[5][(*cc*) "district election officer" means the officer designated or nominated under section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);]

(*d*) "election" means an election to fill a seat or seats in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State [6][* * *] [7][* * *];

[8][(*e*) "elector" in relation to a constituency means a person whose name is entered in the electoral roll of that constituency for the time being in force and who is not subject to any of the disqualifications mentioned

1. The words "and illegal" omitted by Act 27 of 1956, s. 2 (w.e.f. 28-8-1956).
2. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 66 (w.e.f. 1-1-1957).
3. Ins. by Act 27 of 1956, s. 3 (w.e.f. 28-8-1956).
4. The words and figures "or section 124" omitted by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956).
5. Ins. by Act 47 of 1966, s. 15 (w.e.f. 14-12-1966).
6. Omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10-2019).
7. Certain words omitted by Act 58 of 1958, s. 14 (w.e.f. 30-12-1958).
8. Subs. by Act 27 of 1956, s. 3, for cl. (*e*) (w.e.f. 28-8-1956).

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 43)

[17 जुलाई, 1951]

संसद् के सदनों और हर एक राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचनों के संचालन के लिए, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताओं और निर्हरताओं के लिए ऐसे निर्वाचनों में या उनसे संसक्त/भ्रष्ट [1]* आचरणों और अन्य अपराधों के, और ऐसे निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम**

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. निर्वचन—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) उस हर एक पद का, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 2 में या धारा 27 की उपधारा (1) में परिभाषित है किंतु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में है ;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से लोक सभा या राज्य सभा [2]*** के निर्वाचन के संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के निर्वाचन के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

[3][(खख) "मुख्य निर्वाचन आफिसर" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क के अधीन नियुक्त आफिसर अभिप्रेत है ;]

(ग) "भ्रष्ट आचरण" से धारा 123 में [4]*** विनिर्दिष्ट आचरणों में से कोई भी आचरण अभिप्रेत है ;

[5][(गग) "जिला निर्वाचन आफिसर" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13कक के अधीन पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट आफिसर अभिप्रेत है ;]

(घ) "निर्वाचन" से संसद् के दोनों सदनों से किसी में के या [6]*** [7]***राज्य से भिन्न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है ;

[8][(ङ) "निर्वाचक" से किसी निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन नहीं है ;]

---

1. 1956 के अधिनियम सं. 27 की धारा 2 द्वारा (28-8-1956 से) ''और अवैध'' शब्दों का लोप किया गया।
2. 1956 के अधिनियम सं. 103 की धारा 66 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
3. 1956 के अधिनियम सं. 27 की धारा 3 द्वारा (28-8-1956 से) अंत:स्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं. 27 की धारा 3 द्वारा (28-8-1956 से) ''या धारा 124'' शब्दों और अंकों का लोप किया गया।
5. 1966 के अधिनियम सं. 47 की धारा 15 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
6. 2019 के अधिनियम सं. 34 की धारा 95 और अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) का लोप किया गया।
7. 1956 के अधिनियम सं. 58 की धारा 14 द्वारा (30-12-1958 से) से कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
8. 1956 के अधिनियम सं. 27 की धारा 3 द्वारा (28-8-1956 से) (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

in section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);]

[1][(*f*) "political party" means an association or a body of individual citizens of India registered with the Election Commission as a political party under section 29A;]

(*g*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

[2][(*h*) "public holiday" means any day which is a public holiday for the purposes of section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881);]

[3][(*i*) "sign", in relation to a person who is unable to write his name, means authenticate in such manner as may be prescribed.

[4]* * * * *

[5]* * * * *

(*2*) For the purposes of this Act, [6]* * * a Parliamentary constituency, an Assembly constituency, a Council constituency, a local authorities' constituency, a graduates' constituency and a teachers' constituency shall each be treated as a constituency of a different class.

(*3*) Any requirement under this Act that a notification, order, rule, declaration, notice or list issued or made by any authority shall be published in the Official Gazette, shall, unless otherwise expressly provided in this Act, be construed as a requirement that the notification, order, rule, declaration, notice or list shall—

(*a*) where it is issued or made by the Central Government, be published in the Gazette of India;

(*b*) where it is issued or made by a State Government, be published in the Official Gazette of the State; and

(*c*) where it is issued or made by any other authority, be published in the Gazette of India if it relates to an election to, or membership of, either House of Parliament [6]* * * and in the Official Gazette of the State if it relates to an election to, or membership of, the House or either House of the Legislature of a State.

(*4*) Where, under any of the provisions of this Act, anything is to be prescribed, different provisions may be made for different cases or classes of cases.

1. Ins. by Act 1 of 1989, s. 3 (w.e.f. 15-6-1989).
2. Ins. by Act 47 of 1966, s. 15 (w.e.f. 14-12-1966).
3. Cls. (*k*) and (*i*) re-lettered as cls. (*i*) and (*k*) by Act 27 of 1956, s. 3 (w.e.f. 28-8-1956).
4. Cls. (*i*) Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
5. Cl. (*k*) omitted by Act 47 of 1966, s. 15 (w.e.f. 14-12-1966).
6. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 66 (w.e.f. 1-1-1957).

[1][(च) "राजनैतिक दल" से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है जो धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है ;]

(छ) "विहित" इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

[2][(ज) "लोक अवकाश दिन" से कोई ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक अवकाश दिन है ;]

[3][(झ) "हस्ताक्षर करने" से ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं, ऐसी रीति में अधिप्रमाणित करना अभिप्रेत है जैसी विहित की जाए ।

[4]* * * * *

[5]* * * * *

(2) [6]*** संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, सभा निर्वाचन-क्षेत्र, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र, और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में से हर एक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विभिन्न वर्ग का निर्वाचन-क्षेत्र समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी अपेक्षा का, कि किसी प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या बनाई गई अधिसूचना, आदेश, नियम, घोषणा, सूचना या सूची को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, अर्थ जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, ऐसे लगाया जाएगा मानो यह अपेक्षा है कि वह अधिसूचना, आदेश, नियम, घोषणा, सूचना या सूची—

(क) जहां कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई या बनाई गई है, वहां भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ;

(ख) जहां कि वह राज्य सरकार द्वारा निकाली गई या बनाई गई है, वहां राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए; तथा

(ग) जहां कि वह किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या बनाई गई है, वहां यदि वह संसद् के दोनों सदनों में से किसी के लिए निर्वाचन या उसकी सदस्यता के संबंध में है, तो भारत के राजपत्र में और यदि वह किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन [8]*** या उसकी सदस्यता के संबंध में है, तो उस राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

(4) जहां कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन कोई बात विहित की जानी है वहां विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों के लिए विभिन्न उपबंध किए जा सकेंगे ।

---

1. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 3 द्वारा (15-6-1989 से) अंत:स्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 15 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 3 द्वारा (ट) और (ठ) खंडों को (झ)और (ट) के रूप में (28-8-1956 से) पुन:अक्षरांकित किया गया।
4. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा लोप किया गया।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 15 द्वारा खंड (ट) का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 66 द्वारा कतिपय शब्दों का (1-1-1957 से) लोप किया गया।

[1]* * * * *

[2][(*5*) * * * * *]

[1]* * * * *

PART II

[3][QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS]

CHAPTER I.—*Qualifications for Membership of Parliament.*

[4][**3. Qualification for membership of the Council of States.—**A person shall not be qualified to be chosen as a representative of any State [5]* * * or Union territory in the Council of States unless he is an elector for a Parliamentary constituency [6][in India].]

4. Qualifications for membership of the House of the People.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of the People [7]* * *, [8]* * *unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes in any State, he is a member of any of the Scheduled Castes, whether of that State or of any other State, and is an elector for any Parliamentary constituency;

(*b*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Tribes in any State (other than those in the autonomous districts of Assam), he is a member of any of the Scheduled Tribes, whether of that State or of any other State (excluding the tribal areas of Assam), and is an elector for any Parliamentary constituency;

(*c*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, he is a member of any of those Scheduled Tribes and is an elector for the Parliamentary constituency in which such seat is reserved or for any other Parliamentary constituency comprising any such autonomous district; [9]* * *

[10][(*cc*) in the case of the seat reserved for the Scheduled Tribes in the Union territory of [11][Lakshadweep], he is a member of any of those Scheduled Tribes and is an elector for the Parliamentary constituency of that Union territory; [12]* * *]

[13][(*ccc*) in the case of the seat allotted to the State of Sikkim, he is an elector for the Parliamentary constituency for Sikkim;]

(*d*) in the case of any other seat, he is an elector for any Parliamentary constituency.

---

1. Sub-sections (*5*) and (*7*) omitted and sub-section (*6*) renumbered as sub-section (*5*) by Act 27 of 1956, s. 3 (w.e.f. 28-8-1956).
2. Omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the fifth Schedule (w.e.f. 31-10-2019).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 16 for the heading "Qualifications and Disqualifications for Membership" (w.e.f. 14-12-1966).
4. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for s. 3.
5. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 17 (w.e.f. 14-12-1966).
6. Subs. by Act 40 of 2003, s. 2 for certain words (w.e.f. 28-8-2003).
7. Certain words omitted by Act 49 of 1965, s. 5 (w.e.f. 22-12-1965).
8. Certain words omitted by Act 29 of 1975, s. 12 (w.e.f. 15-8-1975).
9. The word "and" omitted by Act 47 of 1966, s. 18 (w.e.f. 14-12-1966).
10. Ins. by s. 18, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
11. Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Adaptation of Laws Order, 1974 (w.e.f. 1-11-1973).
12. The word "and" omitted by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).
13. Ins. by s. 2 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 9-9-1975).

[1]* * * * *

[2][(5)* * * * *]

[1]* * * * *

भाग 2

[3][अर्हताएं और निरर्हताएं]

अध्याय 1—संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं

[4][**3. राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्हता**—राज्य सभा में, किसी राज्य [5]*** या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह '[भारत में] संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।]

4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं—लोक सभा [7]*** [8]*** में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि—

(क) अनुसूचित जातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में, वह उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) (असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों से भिन्न) अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में वह (असम के जनजाति क्षेत्रों का अपवर्जन करके) उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए जिसमें ऐसा स्थान आरक्षित है या किसी ऐसे स्वशासी जिले को समाविष्ट करने वाले अन्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो; [9]***

[10][(गग) [11][लक्षद्वीप] के संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो; [12]***]

[13][(गगग) सिक्किम राज्य को आबंटन में मिले स्थान की दशा में, वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो, तथा]

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 3 द्वारा (28-8-1956 से) (5) और (7) उपधाराओं का लोप किया और उपधारा (6) को उपधारा (5) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
2. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 95 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) लोप किया गया।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 16 द्वारा (14-12-1966 से) शीर्षक ''सदस्यता के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 17 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
6. 2003 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर (28-8-2003 से) प्रतिस्थापित।
7. 1965 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 5 द्वारा (22-12-1965 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
8. 1975 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 12 द्वारा (15-8-1975 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
9. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 18 द्वारा (14-12-1966 से) ''और'' शब्द का लोप किया गया।
10. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 18 द्वारा (14-12-1966 से) अन्त:स्थापित।
11. लक्षद्वीप (मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह नाम परिवर्तन) विधि अनुकूलन आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित।
12. 1976 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) ''और'' शब्द का लोप किया गया।
13. 1976 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अन्त:स्थापित।

CHAPTER II. —*Qualifications for Membership of State Legislatures*

5. Qualifications for membership of a Legislative Assembly.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of a State unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes of that State, he is a member of any of those castes or of those tribes, as the case may be, and is an elector for any Assembly constituency in that State;

(*b*) in the case of a seat reserved for an autonomous district of Assam, [1]* * * he is a member of a [2][Scheduled Tribe of any autonomous district] and is an elector for the Assembly constituency in which such seat or any other seat is reserved for that district; and

(*c*) in the case of any other seat, he is an elector for any Assembly constituency in that State:

[3][Provided that for the period referred to in clause (*2*) of article 371A, a person shall not be qualified to be chosen to fill any seat allocated to the Tuensang district in the Legislative Assembly of Nagaland unless he is a member of the regional council referred to in that article.]

[4][**5A. Qualifications for membership of Legislative Assembly of Sikkim.** —[5][(*1*)] Notwithstanding anything contained in section 5, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of Sikkim (deemed to be the Legislative Assembly of that State duly constituted under the Constitution) unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin, he is a person either of Bhutia or Lepcha origin and is an elector for any Assembly constituency in the State other than the constituency reserved for the Sanghas;

(*b*) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Nepali origin, he is a person of Nepali origin and is an elector for any Assembly constituency in the State;

(*c*) in the case of a seat reserved for Scheduled Castes, he is a member of any of the castes specified in the Representation of Sikkim Subjects Act, 1974 and is an elector for any Assembly constituency in the State; and

(*d*) in the case of a seat reserved for Sanghas, he is an elector of the Sangha constituency.]

[6][(*2*) Notwithstanding anything contained in section 5, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1980 (8 of 1980), unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin, he is a person either of Bhutia or Lepcha origin and is an elector for any assembly constituency in the State other than the constituency reserved for the Sanghas;

(*b*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes, he is a member of any of those castes in the State of Sikkim and is an elector for any assembly constituency in the State;

(*c*) in the case of a seat reserved for Sanghas, he is an elector of the Sangha constituency; and

(*d*) in the case of any other seat, he is an elector for any assembly constituency in the State.

---

1. Certain words omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974 (w.e.f. 21-1-1972).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 19, for "Scheduled Tribe of that district" (w.e.f. 14-12-1966).
3. Ins. by Act 27 of 1962, s. 11 (w.e.f. 4-9-1962).
4. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and the Sch. (w.e.f. 9-9-1975).
5. S. 5A renumbered as sub-section (*1*) of that section by Act 8 of 1980, s. 3 (w.e.f. 1-9-1979).
6. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 1-9-1979).

अध्याय 2—राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं—किसी राज्य की विधान सभा में के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि—

(क) उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह, यथास्थिति, उन जातियों में से या उन जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) असम [1]*** के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह [2][किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो और उन सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें उस जिले के लिए ऐसा स्थान या कोई अन्य स्थान आरक्षित है निर्वाचक न हो, तथा

(ग) किसी अन्य स्थान की दशा में वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो :

[3][परन्तु अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई व्यक्ति तब तक नागालैण्ड की विधान सभा में ट्यूनसांग जिले को आबंटित किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् का सदस्य न हो ।]

[4][**5क. सिक्किम की विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं**—[5][(1)] धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम की विधान सभा में (जो संविधान के अधीन उस राज्य की सम्यक्त रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है) स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, या तो भूटिया या लेप्चा उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी ऐसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जो संघों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न है, निर्वाचक न हो ;

(ख) नेपाली उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, नेपाली उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, रिप्रजेंटेशन आफ सिक्किम सब्जेक्ट्स ऐक्ट, 1974 में विनिर्दिष्ट जातियों में से किसी जाति का सदस्य न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ; तथा

(घ) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में संघ निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक न हो ।]

[6][(2) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय गठित की जानी है, स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, या तो भूटिया या लेप्चा उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जो संघों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न है, निर्वाचक न हो;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, सिक्किम राज्य में उन जातियों में से किसी का सदस्य न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, संघ निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक न हो ;

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

---

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (21-1-1972 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 19 द्वारा (14-12-1966 से) "उस जिले की अनुसूचित जाति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1962 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 11 द्वारा (4-9-1962 से) अन्तःस्थापित ।
4. 1976 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अन्तःस्थापित ।
5. 1980 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 3 द्वारा (1-9-1979 से) धारा 5क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
6. 1980 के अधिनियम सं॰ 8 की धारा 3 द्वारा (1-9-1979 से) अन्तःस्थापित ।

Explanation.—In this sub-section "Bhutia" includes Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa and Yolmo.]

6. Qualification for membership of a Legislative Council.—(*1*) A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by election unless he is an elector for any Assembly constituency in that State.

(*2*) A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by nomination by the Governor [1]* * * unless he is ordinarily resident in the State.

[2][CHAPTER III. —*Disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures*

7. Definition.—In this Chapter,—

(*a*) "appropriate Government" means in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of either House of Parliament, the Central Government, and in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State, the State Government;

(*b*) "disqualified" means disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State [3][under the provisions of this Chapter, and on no other ground].

8. Disqualification on conviction for certain offences.—[4][(*1*) A person convicted of an offence punishable under—

(*a*) section 153A (offence of promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony) or section 171E (offence of bribery) or section 171F (offence of undue influence or personation at an election) or sub-section (*1*) or sub-section (*2*) of section 376 or section 376A or section 376B or section 376C or section 376D (offences relating to rape) or section 498A (offence of cruelty towards a woman by husband or relative of a husband) or sub-section (*2*) or sub-section (*3*) of section 505 (offence of making statement creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes or offence relating to such statement in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies) of the Indian Penal Code (45 of 1860); or

(*b*) the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) which provides for punishment for the preaching and practice of "untouchability", and for the enforcement of any disability arising therefrom; or

(*c*) section 11 (offence of importing or exporting prohibited goods) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962); or

(*d*) sections 10 to 12 (offence of being a member of an association declared unlawful, offence relating to dealing with funds of an unlawful association or offence relating to contravention of an order made in respect of a notified place) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967); or

(*e*) the Foreign Exchange (Regulation) Act, 1973 (46 of 1973); or

(*f*) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985); or

(*g*) section 3 (offence of committing terrorist acts) or section 4 (offence of committing disruptive activities) of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (28 of 1987); or

---

1. The words "or the Rajpramukh, as the case may be," omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 20, for "Chapter III" (w.e.f. 14-12-1966).
3. Ins. by Act 29 of 2013, s. 2 (w.e.f. 10-7-2013) .
4. Subs. by Act 1 of 1989, s. 4, for sub-sections (*1*) and (*2*) (w.e.f. 15-3-1989).

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "भूटिया" के अन्तर्गत चूम्बिपा, डोप्थापा, दकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, टोमोपा और योल्मो भी है।]

6. विधान परिषद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं—(1) किसी राज्य की विधान परिषद् में के उस स्थान को भरने के लिए, जो निर्वाचन द्वारा भरा जाना है, चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

(2) किसी राज्य की विधान परिषद् में के उस स्थान को भरने के लिए, जो राज्यपाल [1]*** द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरा जाना है, चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह उस राज्य में मामूली तौर से निवासी न हो ।

[2][**अध्याय** 3—**संसद् और राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए निरर्हताएं**

7. **परिभाषाएं**—इस अध्याय में—

(क) "समुचित सरकार" से संसद् के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "निरर्हिता" से [3][इस अध्याय के उपबंधों के अधीन और न कि किसी अन्य आधार पर] संसद् के दोनों सदनों से किसी का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित अभिप्रेत है ।

8. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता—[4][(1) निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति [5][जहां सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति—

(i) केवल जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

(ii) कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा], अर्थात् :—

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153क (धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध) या धारा 171ङ (रिश्वत का अपराध) या धारा 171च (निर्वाचनों में असम्यक्त असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376क या धारा 376ख या धारा 376ग या धारा 376घ (बलात्संग से संबंधित अपराध), या धारा 498क (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध), या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) या (विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध) ;

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) जो "अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करता है ; या

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध) ; या

(घ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 10 से धारा 12 तक (विधिविरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी विधिविरुद्ध संगम की निधियों के बरतने से संबंधित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध) ; या

(ङ) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1973 का 46) ; या

(च) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) ; या

(छ) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 (आतंकवादी कार्य करने का अपराध) या धारा 4 (विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध) ; या

---

1. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "यथास्थिति, या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 20 द्वारा (14-12-1966 से) अध्याय 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित । पूर्ववर्ती अध्याय 4 (10 और 11 धाराएं) का 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 66 द्वारा (1-1-1957 से) निरसित किया गया था ।
3. 2013 के अधिनियम सं॰ 29 की धारा 2 द्वारा (10-7-2013 से) अंत:स्थापित ।
4. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 4 द्वारा (15-3-1989 से) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 2003 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 2 द्वारा (7-1-2003 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*h*) section 7 (offence of contravention of the provisions of sections 3 to 6) of the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988); or

(*i*) section 125 (offence of promoting enmity between classes in connection with the election) or section 135 (offence of removal of ballot papers from polling stations) or section 135A (offence of booth capturing) of clause (*a*) of sub-section (*2*) of section 136 (offence of fraudulently defacing or fraudulently destroying any nomination paper) of this Act; [1][or]

[1][(*j*) section 6 (offence of conversion of a place of worship) of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991);] [2][or]

[3][(*k*) section 2 (offence of insulting the Indian National Flag or the Constitution of India) or section 3 (offence of preventing singing of National Anthem) of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 (69 of 1971)]; [4][or]

[4][(*l*) the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988); or

(*m*) the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988); or

(*n*) the Prevention of Terrorism Act, 2002 (15 of 2002),]

[5][shall be disqualified, where the convicted person is sentenced to—

(*i*) only fine, for a period of six years from the date of such conviction;

(*ii*) imprisonment, from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.]

(*2*) A person convicted for the contravention of—

(*a*) any law providing for the prevention of hoarding or profiteering; or

(*b*) any law relating to the adulteration of food or drugs; or

(*c*) any provisions of the Dowry Prohibition Act, [6]' [1961 (28 of 1961)',]

[6]* * * * *

and sentenced to imprisonment for not less than six months, shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.

(*3*) A person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years [other than any offence referred to in sub-section (*1*) or sub-section (*2*)] shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.]

[7][(*4*)] Notwithstanding anything [8][in sub-section (*1*), sub-section (*2*) or sub-section (*3*)] a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who on the date of the conviction is a member of Parliament or the Legislature of a State, take effect until three months have elapsed from that date or, if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or the sentence, until that appeal or application is disposed of by the court.

---

1. Ins. by Act 42 of 1991, s. 8 (w.e.f. 18-9-1991).
2. Added by Act 21 of 1996, s. 3 (w.e.f.1-8-1996).
3. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 1-8-1996).
4. Ins. by Act 9 of 2003, s. 2 (w.e.f. 7-1-2003).
5. Subs. by s. 2, *ibid.* for certain words. (w.e.f. 7-1-2003).
6. Omitted by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 7-1-2003).
7. Sub-section (*3*) renumbered as sub-section (*4*) by Act 1 of 1989, s. 4 (w.e.f. 15-3-1989).
8. Subs. by s. 4, *ibid*., for certain words, (w.e.f.15-3-1989).

(ज) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) की धारा 7 (धारा 3 से धारा 6 तक के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध) ; या

(झ) इस अधिनियम की धारा 125 (निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध) या धारा 135क (बूथों के बलात् ग्रहण का अपराध) या धारा 136 की उपधारा (2) का खंड (क) (किसी नामनिर्देशन को कपटपूर्वक विरुपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध) ; [1][या]

[1][(ञ) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 (1991 का 42) की धारा 6 (किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध)] ; [2][या]

[3][(ट) राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) की धारा 2 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध)] ; [4][या]

[4][(ठ) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) ; या

(ड) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49); या

(ढ) आंतकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15) ।]

(2) कोई व्यक्ति जो—

(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबंध करने वाली किसी विधि ; या

(ख) खाद्य या ओषधि के अपमिश्रण से संबंधित किसी विधि ; या

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के किन्हीं उपबंधों ; [5]***

[6]* * * * *

के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा ।]

[6][(4)] [7][उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में] किसी बात के होते हुए भी दोनों उपधाराओं में से किसी के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति की दशा में जो दोषसिद्धि की तारीख को संसद् का या राज्य के विधान-मंडल का सदस्य है, तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक उस तारीख से तीन मास न बीत गए हों, अथवा, यदि उस कालावधि के भीतर उस दोषसिद्धि या दंडादेश की बाबत अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है तो जब तक न्यायालय द्वारा उस अपील या आवेदन का निपटारा न हो गया हो ।

---

1. 1991 के अधिनियम सं॰ 42 की धारा 8 द्वारा (18-9-1991 से) अंत:स्थापित ।
2. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 3 द्वारा (1-8-1996 से) जोड़ा गया ।
3. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 3 द्वारा (1-8-1996 से) अंत:स्थापित ।
4. 2003 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 2 द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
5. 2003 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।
6. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 4 द्वारा (15-3-1989 से) उपधारा (3) को उपधारा (4) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
7. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 4 द्वारा (15-3-1989 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Explanation.—In this section,—

(*a*) "law providing for the prevention of hoarding or profiteering" means any law, or any order, rule or notification having the force of law, providing for—

(*i*) the regulation of production or manufacture of any essential commodity;

(*ii*) the control of price at which any essential commodity may be bought or sold;

(*iii*) the regulation of acquisition, possession, storage, transport, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;

(*iv*) the prohibition of the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(*b*) "drug" has the meaning assigned to it in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940);

(*c*) "essential commodity" has the meaning assigned to it in the Essential Commodity Act, 1955 (10 of 1955);

(*d*) "food" has the meaning assigned to it in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954).

[1][**8A. Disqualification on ground of corrupt practices.**—(*1*) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, [2][as soon as may be, within a period of three months from the date such order takes effect], by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.

(*2*) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period.

(*3*) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (*1*) or on any petition submitted under sub-section (*2*), the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion.]

9. Disqualification for dismissal for corruption or disloyalty. —(*1*) A person who having held an office under the Government of India or under the Government of any State has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be disqualified for a period of five years from the date of such dismissal.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), a certificate issued by the Election Commission to the effect that a person having held office under the Government of India or under the Government of a State, has or has not been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be conclusive proof of the fact:

Provided that no certificate to the effect that a person has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be issued unless an opportunity of being heard has been given to the said person.

9A. Disqualification for Government contracts, etc. —A person shall be disqualified if, and for so long as, there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government.

Explanation.—For the purposes of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entered into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the Government has not performed its part of the contract either wholly or in part.

10. Disqualification for office under Government company.—A person shall be disqualified if, and for so long as, he is a managing agent, manager or secretary of any company or corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the appropriate Government has not less than twenty-five per cent. share.

---

1. Subs. by Act 40 of 1975, s. 2, for s. 8A (w.e.f. 6-8-1975).
2. Subs. by Act 41 of 2009, s. 4 for certain words (w.e.f. 1-2-2010).

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाली विधि" से कोई ऐसी विधि या विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा आदेश, नियम या अधिसूचना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है----

(i) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन,

(ii) उस कीमत का नियंत्रण जिस पर कोई आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सके,

(iii) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन,

(iv) किसी ऐसी आवश्यक वस्तु के विधारण का प्रतिषेध, जो मामूली तौर पर विक्रय के लिए रखा जाता है ;

(ख) "ओषधि" का वह अर्थ है जो उसे ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में समनुदिष्ट है ;

(ग) "आवश्यक वस्तु" का वह अर्थ है जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में समनुदिष्ट है ;

(घ) "खाद्य" का वह अर्थ है जो उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में समनुदिष्ट है।

[1][**8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता**—(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, [2][ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र,] ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार, कार्य करेगा ।]

9. भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता—(1) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था या नहीं, उस तथ्य का निश्चायक सबूत होगा :

परन्तु इस भाव का कोई भी प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उक्त व्यक्ति को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।

9क. सरकार के साथ की गई संविदाओं आदि के लिए निरर्हता—कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रांत किन्ही संकर्मों के निष्पादन के लिए की है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णत: या भागत: पालन नहीं किया है यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है ।

10. सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता—कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक वह (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कम्पनी या निगम का जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है ।

---

1. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 2 द्वारा धारा 8क के स्थान पर (6-8-1975 से) प्रतिस्थापित ।
2. 2009 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 4 द्वारा (1-2-2010 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

10A. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the Election Commission is satisfied that a person—

(*a*) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.]

11. Removal or reduction of period of disqualification.—The Election Commission may, for reasons to be recorded, remove any disqualification under this Chapter [1][(except under section 8A)] or reduce the period of any such disqualification.

CHAPTER IV.—*Disqualifications for Voting*

11A. Disqualification arising out of conviction and corrupt practices.-—[2][(*1*)] If any person, after the commencement of this Act,—

[3]* * * is convicted of an offence punishable under section 171E or section 171F of the Indian Penal Code (45 of 1860), or under section 125 or section 135 or clause (*a*) of sub-section (*2*) of section 136 of this Act, [4]* * *

[5]* * * * *

he shall, for a period of six years from the date of the conviction or from the date on which the order takes effect, be disqualified for voting at any election.

[6][(*2*) Any person disqualified by a decision of the President under sub-section (*1*) of section 8A for any period shall be disqualified for the same period for voting at any election.

(*3*) The decision of the President on a petition submitted by any person under sub-section (*2*) of section 8A in respect of any disqualification for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State shall, so far as may be, apply in respect of the disqualification for voting at any election incurred by him under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 11A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), as if such decision were a decision in respect of the said disqualification for voting also.]

11B. Removal of Disqualifications.—The Election Commission may, for reasons to be recorded, remove [7][any disqualification under sub-section (*1*) of section 11A]].

[8][PART III

NOTIFICATION OF GENERAL ELECTIONS

12. Notification for biennial election to the Council of States.—For the purpose of filling the seats of members of the Council of States retiring on the expiration of their term of office the President shall, by one or more notifications published in the Gazette of India on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon the elected members of the Legislative Assembly or, as the case may be, the members of the electoral college, of each State concerned to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder:

Provided that no notification under this section shall be issued more than three months prior to the date on which the term of office of the retiring members is due to expire.

---

1. Ins. by Act 40 of 1975, s. 3 (w.e.f. 6-8-1975).
2. S. 11A re-numbered as sub-section (*1*) thereof by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 6-8-1975).
3. The brackets and letter "(*a*)" omitted by Act 38 of 1978, s. 3 and the Second Sch. (w.e.f. 26-11-1978).
4. The word "or" omitted by s. 3 and the Second Sch. *ibid.* (w.e.f. 26-11-1978).
5. Cl. (*b*) omitted by Act 40 of 1975, s. 4 (w.e.f. 6-8-1975).
6. Ins. by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 6-8-1975)
7. Subs. by s. 5, *ibid.,* for certain words. (w.e.f. 6-8-1975).
8. Subs. by Act 27 of 1956, s. 7, for Part III (ss. 12 to 18) (w.e.f. 28-8-1956).

10क. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता—यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

1. निरर्हता की कालावधि को हटाना या कम करना—निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे इस अध्याय के अधीन [1][(सिवाय धारा 8क) के अधीन,] की किसी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा ।

अध्याय 4—मत देने के लिए निरर्हताएं

[**11क. दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरर्हता**—[2](1)] यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्—

[3]***भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 171ङ या धारा 171च अथवा इस अधिनियम की धारा 125 या धारा 135 के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है,[4]***

[5]* * * * *

तो वह, दोषसिद्धि की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह आदेश प्रभावशील होता है, छह वर्ष की कालावधि के लिए, किसी भी निर्वाचन में मत देने से निरर्हित होगा ।

[6][(2) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए निरर्हित व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत देने से उसी कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता की बाबत धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर राष्ट्रपति का विनिश्चय, जहां तक हो सके इस अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, जैसा कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारम्भ के ठीक पहले था, किसी निर्वाचन में मत देने के लिए उसके द्वारा उपगत निरर्हता की बाबत, उसी प्रकार लागू होगा मानो ऐसा विनिश्चय मत देने के लिए उक्त निरर्हता की बाबत विनिश्चय हो ।]

[**11ख. निरर्हताओं का हटाया जाना**—निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे, [7][धारा 11क की उपधारा (1) के अधीन किसी निरर्हताट को हटा सकेगा ।]

[8][भाग 3

साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना

12. राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना—राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा हर एक संपृक्त राज्य को, यथास्थिति, विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करे:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है ।

---

1. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 3 द्वारा (6-8-1975 से) अन्तःस्थापित।
2. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा 11क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
3. 1978 के अधिनियम सं॰ 38 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा ''(क)'' अक्षर और कोष्ठकों का (26-11-1978 से) लोप किया गया।
4. 1978 के अधिनियम सं॰ 38 की धारा 3 द्वारा और द्वितीय अनुसूची द्वारा ''या'' शब्द का (26-11-1978 से) लोप किया गया।
5. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा खंड (ख) का (6-8-1975 से) लोप किया गया।
6. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा (6-8-1975 से) अन्तःस्थापित।
7. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर (6-8-1975 से) प्रतिस्थापित।
8. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 7 द्वारा भाग 3 (धारा 12 से धारा 18) के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित।

[1][**12A. Notification for election to fill the seat allotted to the State of Sikkim in the Council of States.**—For the purpose of filling for the first time the seat allotted to the State of Sikkim by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 in the Council of States, the President shall, by a notification published in the Gazette of India, on such date as may be recommended by Election Commission, call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim to elect a member in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder and the election so held shall for all purposes and intent be deemed to have been held under section 12.]

13. [*Notification for reconstitution of electoral colleges for certain Union territories.*] *Omitted by the Territorial Councils Act,* 1956 *(*103 *of* 1956*), s.* 66.

14. Notification for general election to the House of the People. —(*1*) A general election shall be held for the purpose of constituting a new House of the People on the expiration of the duration of the existing House or on its dissolution.

(*2*) For the said purpose the President shall, by one or more notifications published in the Gazette of India on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon all parliamentary constituencies to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder:

Provided that where a general election is held otherwise than on the dissolution of the existing House of the People, no such notification shall be issued at any time earlier than six months prior to the date on which the duration of that House would expire under the provisions of clause (*2*) of article 83.

[1][**14A. Notification for electing the representative of the State of Sikkim to the existing House of the People.** —For the purpose of electing a representative of the State of Sikkim to the House of the People, specified in clause (*e*) of article 371F of the Constitution, the Election Commission shall call upon the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim to elect the representative in accordance with such of the provisions of this Act, and the rules and orders made thereunder, as are applicable to the election of the members of the Council of States.]

15. Notification for general election to a State Legislative Assembly. —(*1*) A general election shall be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly on the expiration of the duration of the existing Assembly or on its dissolution.

(*2*) For the said purpose, [2][the Governor or Administrator, as the case may be], [3]* * * shall, by one or more notifications published in the Official Gazette of the State on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon all Assembly constituencies in the State to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder:

Provided that where a general election is held otherwise than on the dissolution of the existing Legislative Assembly, no such notification shall be issued at any time earlier than six months prior to the date on which the duration of that Assembly would expire under the provisions of clause (*1*) of article 172 [4]* * * [5][or under the provisions of section 5 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) as the case may be.]

[6][**15A. Notification for certain elections to Legislative Councils.**—For the purpose of constituting the Legislative Council of the State of Madhya Pradesh under the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), and constituting the Legislative Council of the State of Andhra Pradesh [7][under the Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005 (1 of 2006)], [8][and constituting the Legislative Council of the State of Tamil Nadu under the Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010 (16 of 2010)] [9][and the Legislative Council of the State of Telangana under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014)] the Governor of each of the aforesaid States shall by one or more notifications published in the Official Gazette of the State on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon the members of the Legislative Assembly of the State and all the Council constituencies to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder.]

1. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).
2. Subs. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Sch., for "the Governor" (w.e.f. 13-5-1963).
3. The words "Rajpramukh, Lieutenant-Governor or Chief Commissioner, as the case may be omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
4. The words "or under the provisions of section 5 of the Government of Part C States Act, 1951 (49 of 1951), as the case may be "omitted by the Adaption of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
5. Ins. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Sch. (w.e.f. 13-5-1963).
6. Ins. by Act 37 of 1957, s. 13 (w.e.f. 13-5-1963.
7. Subs. by Act 1 of 2006, s. 5. for under the legislative Councils Act, 1957(w.e.f. 11-1-2006).
8. Ins. by Act 16 of 2010, s. 5 (w.e.f. 18-5-2010).
9. Ins. by Act 6 of 2014, s. 98 (w.e.f. 2-6-2014).

[1][**12क. राज्य सभा में सिक्किम राज्य को आबंटन में मिले स्थान को भरने के लिए निर्वाचन की अधिसूचना**—राज्य सभा में सिक्किम राज्य को संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा आबंटन में मिले स्थान को प्रथम बार भरने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, सिक्किम राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा आदेशों के उपबंधों के अनुसरण में एक सदस्य को निर्वाचित करें और इस प्रकार से किया गया निर्वाचन सभी प्रयोजनों और आशय के लिए धारा 12 के अधीन किया गया निर्वाचन समझा जाएगा।]

13.[कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्वाचकगण के पुनर्गठन की अधिसूचना।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 66 द्वारा निरसित ।

14. लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना—(1) नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन वर्तमान सदन की अस्तित्वावधि के अवसान पर या उसके विघटन पर किया जाएगा ।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा सब संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :

परन्तु जहां कि वर्तमान लोक सभा के विघटन पर होने से अन्यथा साधारण निर्वाचन होता है वहां ऐसी कोई अधिसूचना उस तारीख से, जिसको सदन की अस्तित्वावधि का अवसान अनुच्छेद 83 के खंड (2) के उपबंधों के अधीन होता, पूर्व के छह मास के पहले न निकाली जाएगी ।

[1][**14क. विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए अधिसूचना**—लोक सभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट है, निर्वाचन आयोग सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के ऐसे उपबंधों के अनुसरण में, जो राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए लागू हैं, प्रतिनिधि निर्वाचित करें।]

15. राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना—(1) नई विधान सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए, साधारण निर्वाचन वर्तमान सभा की अस्तित्वावधि के अवसान पर या उसके विघटन पर किया जाएगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए [2][यथास्थिति, राज्यपाल या प्रशासक] [3]*** ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य में के सब सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :

परन्तु जहां कि वर्तमान विधान सभा के विघटन पर होने से अन्यथा साधारण निर्वाचन होता है वहां ऐसी कोई अधिसूचना उस तारीख से, जिसको सभा की अस्तित्वावधि का अवसान [4][यथास्थिति] अनुच्छेद 172 के खंड (1) [3]*** उपबंधों के अधीन [4][या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 5 के उपबंधों के अधीन होता, पूर्व के छह मास से पहले न निकाली जाएगी।]

[5][**15क. विधान परिषदों के कतिपय निर्वाचनों के लिए अधिसूचना**—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) के अधीन मध्य प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के गठन और [6][आंध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005 (2006 का 1) के अधीन] आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के गठन [7][और तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का 16) के अधीन तमिलनाडु राज्य की विधान परिषद् के गठन] [8][और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) के अधीन तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् के गठन] के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त राज्यों में से हर एक का राज्यपाल, ऐसी तारीख या तारीखों, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा, राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और सब परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें ।]

---

1. 1976 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अन्तःस्थापित।
2. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा (13-5-1963 से) ''राज्यपाल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूल (सं॰ 2) के आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) ''यथास्थापित, राजप्रमुख, उप राज्यपाल या मुख्य आयुक्त'' शब्दों का लोप किया गया।
4. विधि अनुकूल (सं॰ 2) के आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) यथास्थिति, ''भाग ग राज्य सरकार अधिनियम, 1951 (1951 का 49) की धारा 5 के उपबंध के अधीन या'' शब्दों का लोप किया गया।
5. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और द्विवसीय अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।**
6. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 13 द्वारा (18-9-1957 से) अन्तःस्थापित।
7. 2006 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 5 द्वारा (11-1-2006 से) प्रतिस्थापित।
8. 2010 के अधिनियम सं॰ 16 की धारा 5 द्वारा (18-5-2010 से) अन्तःस्थापित।
9. 2014 के अधिनियम सं॰ 6 की धारा 98 द्वारा (2-8-2014 से)अन्तःस्थापित।

16. Notification for biennial election to a State Legislative Council.—For the purpose of filling the seats of members of the Legislative Council of a State retiring on the expiration of their term of office, the Governor [1]* * * shall, by one or more notifications published in the Official Gazette of the State on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon the members of the Legislative Assembly of the State and all the Council constituencies concerned to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder:

Provided that no notification under this section shall be issued more than three months prior to the date on which the term of office of the retiring members is due to expire.]

PART IV

ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS

19. Definition.—In this Part and in Part V, unless the context otherwise requires, "constituency" means [2]* * * a Parliamentary constituency or an Assembly constituency or a Council constituency.

[3][**19A. Delegation of functions of Election Commission.**—The functions of the Election Commission under the Constitution, the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) and this Act or under the rules made thereunder may, subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, be performed also by a Deputy Election Commissioner or by the Secretary to the Election Commission.]

[4][**20. General duties of chief electoral officers.**—Subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the chief electoral officer of each State shall supervise the conduct of all elections in the State under this Act].

[5][**20A. General duties of district election officer.**—(*1*) Subject to the superintendence, direction and control of the chief electoral officer, the district election officer shall co-ordinate and supervise all work in the district or in the area within his jurisdiction in connection with the conduct of all elections to Parliament and the Legislature of the State.

(*2*) The district election officer shall also perform such other functions as may be entrusted to him by the Election Commission and the chief electoral officer.]

[6][**20B. Observers.**—(*1*) The Election Commission may nominate an Observer who shall be an officer of Government to watch the conduct of election or elections in a constituency or a group of constituencies and to perform such other functions as may be entrusted to him by the Election Commission.

(*2*) The Observer nominated under sub-section (*1*) shall have the power to direct the returning officer for the constituency or for any of the constituencies for which he has been nominated, to stop the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result if in the opinion of the Observer booth capturing has taken place at a large number of polling stations or at places fixed for the poll or counting of votes or any ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the returning officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained.

(*3*) Where an Observer has directed the returning officer under this section to stop counting of votes or not to declare the result, the Observer shall forthwith report the matter to the Election Commission and thereupon the Election Commission shall, after taking all material circumstances into account, issue appropriate directions under section 58A or section 64A or section 66.

---

1. The words "or Rajpramukh, as the case may be," omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956. (w.e.f. 1-11-1956).
2. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 66 (w.e.f. 1-1-1957).
3. Ins. by Act 47 of 1966, s. 21 (w.e.f. 14-12-1966).
4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 9, for s. 20 and 21 (w.e.f. 28-8-1956).
5. Ins. by Act 47 of 1966, s. 22 (w.e.f. 14-12-1966).
6. Ins. by Act 21 of 1996, s. 4 (w.e.f. 1-8-1996).

16. राज्य विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना—राज्य की विधान परिषद् के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राज्यपाल [1]*** ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और संपृक्त सब परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है ।]

भाग 4

निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी

19. परिभाषा—इस भाग में और 5 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "निर्वाचन क्षेत्र" से [2]***संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या सभा निर्वाचन-क्षेत्र या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

[3][**19क. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन**—संविधान के, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के और इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, निर्वाचन आयोग के कृत्यों का, उपनिर्वाचन आयुक्त द्वारा या निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, पालन किया जा सकेगा ।]

[4][**20. मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साधारण कर्तव्य**—निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए हर एक राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर उस राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सब निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

[5][**20क. जिला निर्वाचन आफिसर के साधारण कर्तव्य**—(1) मुख्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में संसद् और राज्य के विधान-मण्डल के सब निर्वाचनों के संचालन के संसद् में सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।]

[6][**20ख. प्रेक्षक**—(1) निर्वाचन आयोग, एक प्रेक्षक का, जो सरकार का अधिकारी होगा, किसी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाएं, नामनिर्देशन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित प्रेक्षक को उस निर्वाचन-क्षेत्र के या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी के, जिसके लिए उसे नामनिर्देशित किया गया है, रिटर्निंग आफिसर को परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना रोक देने या परिणाम को घोषित न करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बहुत से मतदान केन्द्रों में अथवा मतदान के लिए नियत स्थानों में या मतों की गणना के लिए नियत स्थानों में बूथों का बलात् ग्रहण किया गया है या किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत किसी स्थान में प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों को रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल लिया गया है या घटनावश या साशय विनष्ट कर दिया गया है या खो दिया गया है या उस सीमा तक उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है या उनमें गड़बड़ की गई है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

(3) जहां किसी प्रेक्षक ने इस धारा के अधीन रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना रोकने या परिणाम की घोषणा न करने का निदेश दिया गया है, वहां प्रेक्षक, उस मामले की रिपोर्ट तुरन्त निर्वाचन आयोग को करेगा और ऐसा होने पर निर्वाचन आयोग, सभी तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, धारा 58क या धारा 64क या धारा 66 के अधीन समुचित निर्देश देगा ।

---

1. विधि अनुकूल (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) ''या राजप्रमुख, यथास्थिति'', शब्दों का लोप किया गया।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 66 द्वारा कतिपय शब्दों का (1-1-1957 से) लोप किया गया।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 21 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 9 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 20 और धारा 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 22 द्वारा (14-12-1966 से) अन्त:स्थापित।
6. 1996 अधिनियम सं॰ 21 की धारा 4 द्वारा (1-8-1996 से) अन्त:स्थापित।

Explanation.—For the purposes of sub-section (*2*) and sub-section (*3*), "Observer" shall include a Regional Commissioner or any such officer of the Election Commission as has been assigned under this section the duty of watching the conduct of election or elections in a constituency or group of constituencies by the Commission.]

21. Returning officers.—For every constituency, for every election to fill a seat or seats in the Council of States and for every election by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State, the Election Commission shall, in consultation with the Government of the State, designate or nominate a returning officer who shall be [1][an officer of Government or of a local authority]:

Provided that nothing in this section shall prevent the Election Commission from designating or nominating the same person to be the returning officer for more than one constituency.]

22. Assistant returning officers.—(*1*) The Election Commission may appoint one or more persons to assist any returning officer in the performance of his functions:

Provided that every such person shall be [2][an officer of Government or of a local authority].

(*2*) Every assistant returning officer shall, subject to the control of the returning officer, be competent to perform all or any of the functions of the returning officer:

Provided that no assistant returning officer shall perform any of the functions of the returning officer which relate [3]* * * to the scrutiny of nominations [4]* * * unless the returning officer is unavoidably prevented from performing the said function.

2**3. Returning officer to include assistant returning officers performing the functions of the returning officer.**—References in this Act to the returning officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include an assistant returning officer performing any function which he is authorised to perform under sub-section (*2*) of section 22.

24. General duty of the returning officer.—It shall be the general duty of the returning officer at any election to do all such acts and things as may be necessary for effectually conducting the election in the manner provided by this Act and rules or orders made thereunder.

[5][**25. Provision of polling stations for constituencies.**—The district election officer shall, with the previous approval of the Election Commission, provide a sufficient number of polling stations for every constituency the whole or greater part of which lies within his jurisdiction, and shall publish, in such manner as the Election Commission may direct, a list showing the polling stations so provided and the polling areas or groups of voters for which they have respectively been provided.]

26. Appointment of presiding officers for polling stations.—(*1*) The [6][district election officer] shall appoint a presiding officer for each polling station and such polling officer or officers as he thinks necessary, but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election:

Provided that if a polling officer is absent from the polling station, the presiding officer may appoint any person who is present at the polling station other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election, to be the polling officer during the absence of the former officer, and inform the [6][district election officer] accordingly:

[7][Provided further that nothing in this sub-section shall prevent the [6][district election officer] from appointing the same person to be the presiding officer for more than one polling station in the same premises.]

(*2*) A polling officer shall, if so directed by the presiding officer, perform all or any of the functions of a presiding officer under this Act or any rules or orders made thereunder.

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 23, for "an officer of Government" (w.e.f. 14-12-1966).
2. Subs. by s. 24, *ibid,* for "an officer of Government" (w.e.f. 14-12-1966).
3. Certain words omitted by Act 27 of 1956, s.10 (w.e.f. 28-8-1956).
4. The words "or to the counting of votes" omitted by s. 10, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956)
5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 25, for s. 25 (w.e.f. 14-12-1966).
6. Subs. by s. 26, *ibid.*, for "returning officer" (w.e.f. 14-12-1966).
7. Ins. by Act 27 of 1956, s.12 (w.e.f. 28-8-1956).

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, "प्रेक्षक" के अन्तर्गत प्रादेशिक आयुक्त या निर्वाचन आयोग का कोई ऐसा अधिकारी है जिसे आयोग द्वारा इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने का कर्तव्य सौंपा गया है।]

21. रिटर्निंग आफिसर—निर्वाचन आयोग, हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए और राज्य की विधान सभा के सदस्य द्वारा राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए, राज्य की सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो [1][सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा:

परन्तु एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने से निर्वाचन आयोग को इस धारा की कोई बात निवारित न करेगी ।

22. सहायक रिटर्निंग आफिसर—(1) निर्वाचन आयोग किसी रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा:

परंतु हर ऐसा व्यक्ति [2][सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा ।

(2) हर सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर के जो कृत्य [3]****नामनिर्देशनों की संवीक्षा [4]***से सम्बद्ध हैं उनमें से किसी को कोई सहायक रिटर्निंग आफिसर तब तक न करेगा जब तक कि रिटर्निंग आफिसर उक्त कृत्य को करने से अपरिवर्जनीयत: निवारित न हो जाए।

23. रिटर्निंग आफिसर के अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटर्निंग आफिसर आएंगे—इस अधिनियम में रिटर्निंग आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा ।

24. रिटर्निंग आफिसर का साधारण कर्तव्य—किसी भी निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह वे सब कार्य और बातें करे जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो।

[5][**25. निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबन्ध**—जिला निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, हर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों का उपबन्ध करेगा जो सम्पूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसे उपबन्धित मतदान केन्द्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए वे क्रमश: उपबन्धित किए गए हैं, दर्शित करने वाली सूची ऐसी रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित करेगा।]

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसरों की नियुक्ति—(1) [6][जिला निर्वाचन आफिसर] हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन आफिसर और ऐसे मतदान आफिसर या ऐसे मतदान आफिसरों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है :

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान आफिसर अनुपस्थित है तो पीठासीन आफिसर उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित आफिसर की अनुपस्थिति के दौरान मतदान आफिसर होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और [6][जिला निर्वाचन आफिसर] को तद्नुसार इत्तिला देगा :

[7][परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात [6][जिला निर्वाचन आफिसर] को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में के एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसर नियुक्त करने से निवारित न करेगी ।]

(2) यदि मतदान आफिसर पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अधीन पीठासीन आफिसर के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा ।

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 23 द्वारा ''सरकार का आफिसर'' शब्दों के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 24 द्वारा ''सरकार का आफिसर'' शब्दों के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 10 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 10 द्वारा (28-8-1956 से) ''या मतगणना से'' शब्दों का लोप किया गया।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 25 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1966 अधिनियम सं॰ 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) ''रिटर्निंग आफिसर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1956 के अधिनियम के सं॰ 27 की धारा 12 द्वारा (28-8-1956 से) अन्त:स्थापित।

(*3*) If the presiding officer, owing to illness or other unavoidable cause, is obliged to absent himself from the polling station, his functions shall be performed by such polling officer as has been previously authorised by the [1][district election officer] to perform such functions during any such absence.

(*4*) References in this Act to the presiding officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include any person performing any function which he is authorised to perform under sub-section (*2*) or sub-section (*3*), as the case may be.

[2]* * * * *

27. General duty of the presiding officer.—It shall be the general duty of the presiding officer at a polling station to keep order thereat and to see that the poll is fairly taken.

28. Duties of a polling officer.—It shall be the duty of the polling officers at a polling station to assist the presiding officer for such station in the performance of his functions.

[3][**28A. Returning officer, presiding officer, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.**—The returning officer, assistant returning officer, presiding officer, polling officer and any other officer appointed under this Part, and any police officer designated for the time being by the State Government, for the conduct of any election shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing on and from the date of the notification calling for such election and ending with the date of declaration of the results of such election and accordingly, such officers shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.]

29. Special provisions in the case of certain elections.—(*1*) The returning officer for an election [4]* * * to fill a seat or seats in the Council of States or for an election by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State shall, with the previous approval of the Election Commission, fix the place at which the poll will be taken for such election and shall notify the place so fixed in such manner as the Election Commission may direct.

(*2*) The returning officer shall preside over such election at the place so fixed and shall appoint such polling officer or officers to assist him as he thinks necessary but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election.

[5][PART IVA

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES

29A. Registration with the Election Commission of associations and bodies as political parties.—(*1*) Any association or body of individual citizens of India calling itself a political party and intending to avail itself of the provisions of this Part shall make an application to the Election Commission for its registration as a political party for the purposes of this Act.

(*2*) Every such application shall be made,—

(*a*) if the association or body is in existence at the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1988 (1 of 1989), within sixty days next following such commencement;

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 26, for "returning officer" (w.e.f. 14 -12-1966.)
2. Omitted by Act 2 of 2004, s. 3 (w.e.f. 29-10-2003).
3. Ins. by Act 1 of 1989, s. 5 (w.e.f. 15-3-1989).
4. The words and brackets "(other than a primary election)" omitted by Act 27 of 1956, s. 13 (w.e.f. 28-8-1956).
5. Ins. by Act 1 of 1989, s. 6 (w.e.f. 15-6-1989).

(3) यदि पीठासीन आफिसर रुग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा जिसे [1][जिला निर्वाचन आफिसर] ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है ।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा ।

[2]* * * * *

27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य—मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान ऋजुता से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य होगा ।

28. मतदान आफिसर के कर्तव्य—मतदान केन्द्र के मतदान आफिसरों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें ।

[3][**28क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना**—किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तद्नुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे ।]

29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबंध—(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के लिए या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए [4]*** रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से वह स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा और ऐसे नियत स्थान को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसे नियत स्थान में ऐसे निर्वाचन में पीठासीन होगा और अपनी सहायता के लिए ऐसा या ऐसे मतदान आफिसर नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है ।

[5][भाग 4क

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण—(1) भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,—

(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा ;

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) ''रिटर्निंग आफिसर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2004 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 3 द्वारा (29-10-2003 से) लोप किया गया।
3. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 5 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 13 द्वारा (28-8-1956 से) (प्राथमिक निर्वाचन से भिन्न)'' शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया गया।
5. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 6 द्वारा (15-6-1989 से) अन्तःस्थापित।

(*b*) if the association or body is formed after such commencement, within thirty days next following the date of its formation.

(*3*) Every application under sub-section (*1*) shall be signed by the chief executive officer of the association or body (whether such chief executive officer is known as Secretary or by any other designation) and presented to the Secretary to the Commission or sent to such Secretary by registered post.

(*4*) Every such application shall contain the following particulars, namely:—

(*a*) the name of the association or body;

(*b*) the State in which its head office is situate;

(*c*) the address to which letters and other communications meant for it should be sent;

(*d*) the names of its president, secretary, treasurer and other office-bearers;

(*e*) the numerical strength of its members, and if there are categories of its members, the numerical strength in each category;

(*f*) whether it has any local units; if so, at what levels;

(*g*) whether it is represented by any member or members in either House of Parliament or of any State Legislature; if so, the number of such member or members.

(*5*) The application under sub-section (*1*) shall be accompanied by a copy of the memorandum or rules and regulations of the association or body, by whatever name called, and such memorandum or rules and regulations shall contain a specific provision that the association or body shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy, and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India.

(*6*) The Commission may call for such other particulars as it may deem fit from the association or body.

(*7*) After considering all the particulars as aforesaid in its possession and any other necessary and relevant factors and after giving the representatives of the association or body reasonable opportunity of being heard, the Commission shall decide either to register the association or body as a political party for the purposes of this Part, or not so to register it; and the Commission shall communicate its decision to the association or body:

Provided that no association or body shall be registered as a political party under this sub-section unless the memorandum or rules and regulations of such association or body conform to the provisions of sub-section (*5*).

(*8*) The decision of the Commission shall be final.

(*9*) After an association or body has been registered as a political party as aforesaid, any change in its name, head office, office-bearers, address or in any other material matters shall be communicated to the Commission without delay.]

[1][**29B. Political parties entitled to accept contribution.**—Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), every political party may accept any amount of contribution voluntarily offered to it by any person or company other than a Government company:

Provided that no political party shall be eligible to accept any contribution from any foreign source defined under clause (*e*) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976).

1. Ins. by Act 46 of 2003, s. 2 (w.e.f. 11-9-2003).

(ख) यदि संगम या निकाय ऐसे प्रारंभ के पश्चात् बनाया जाता है तो उसके बनाए जाने की तारीख के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर किया जाएगा ।

(3) उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर संगम या निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के (चाहे ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के रूप में जाना जाता है या किसी अन्य पदाभिधान से जाना जाता है) हस्ताक्षर होंगे और वह आयोग के सचिव को पेश किया जाएगा या ऐसे सचिव को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा ।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:—

(क) संगम या निकाय का नाम;

(ख) वह राज्य जिसमें उसका प्रधान कार्यालय स्थित है;

(ग) वह पता जिस पर उसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं;

(घ) उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम;

(ङ) उसके सदस्यों की संख्या और यदि उसके सदस्यों के प्रवर्ग हैं तो प्रत्येक प्रवर्ग की संख्या;

(च) क्या उसके कोई स्थानीय एकक हैं, यदि हैं, तो किन स्तरों पर हैं;

(छ) क्या संसद् के या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी सदन में किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है; यदि किया जाता है तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या।

(5) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के, ज्ञापन या नियमों और विनियमों की चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों और विनियमों में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।

(6) आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

(7) आयोग अपने कब्जे में की यथापूर्वोक्त सभी विशिष्टियों और कोई अन्य आवश्यक और सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात् और संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या तो उस संगम या निकाय को इस भाग के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का, या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न करने का, विनिश्चय करेगा; और आयोग अपना विनिश्चय ऐसे संगम या निकाय को संसूचित करेगा:

परंतु कोई संगम या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन या नियम और विनियम उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं ।

(8) आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) किसी संगम या निकाय के यथापूर्वोक्त राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् उसके नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते या किन्हीं अन्य तात्त्विक विषयों में कोई तब्दीली आयोग को अविलंब संसूचित की जाएगी।]

[1][**29ख. राजनैतिक दलों का अभिदाय स्वीकार करने का हकदार होना**—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राजनैतिक दल, सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा उसे स्वेच्छया प्रस्थापित अभिदाय की कोई भी रकम स्वीकार कर सकेगा:

परन्तु कोई भी राजनैतिक दल विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित किसी विदेशी स्रोत से कोई अभिदाय स्वीकार करने का पात्र नही होगा।

1. 2003 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 2 द्वारा (11-9-2003 से) अंत:स्थापित।

Explanation.—For the purposes of this section and section 29C,—

(*a*) "company" means a company as defined in section 3;

(*b*) "Government company" means a company within the meaning of section 617; and

(*c*) "contribution" has the meaning assigned to it under section 293A,

of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes any donation or subscription offered by any person to a political party; and

(*d*) "person" has the meaning assigned to it under clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), but does not include Government company, local authority and every artificial juridical person wholly or partially funded by the Government.

29C. Declaration of donation received by the political parties.—(*1*) The treasurer of a political party or any other person authorised by the political party in this behalf shall, in each financial year, prepare a report in respect of the following, namely:—

(*a*) the contribution in excess of twenty thousand rupees received by such political party from any person in that financial year;

(*b*) the contribution in excess of twenty thousand rupees received by such political party from companies other than Government companies in that financial year.

[1][Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to the contributions received by way of an electoral bond.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, "electoral bond" means a bond referred to in the *Explanation* to sub-section (*3*) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)].

(*2*) The report under sub-section (*1*) shall be in such form as may be prescribed.

(*3*) The report for a financial year under sub-section (*1*) shall be submitted by the treasurer of a political party or any other person authorised by the political party in this behalf before the due date for furnishing a return of its income of that financial year under section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the Election Commission.

(*4*) Where the treasurer of any political party or any other person authorised by the political party in this behalf fails to submit a report under sub-section (*3*) then, notwithstanding anything contained in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) such political party shall not be entitled to any tax relief under that Act.]

PART V

CONDUCT OF ELECTIONS

CHAPTER I.—*Nomination of Candidates*

[2][**30. Appointment of dates for nominations, etc.**—As soon as the notification calling upon a constituency to elect a member or members is issued, the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, appoint-

(*a*) the last date for making nominations, which shall be the [3][seventh day] after the date of publication of the first mentioned notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

1. Ins. by Act 7 of 2017, s. 137 (w.e.f. 1-4-2017).
2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 14, for s. 30 (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by Act 40 of 1961, s. 7, for "tenth day" (w.e.f. 20-9-1961).

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 29ग के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) "सरकारी कंपनी" से धारा 617 के अर्थांतर्गत कोई कंपनी अभिप्रेत है; और

(ग) "अभिदाय" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293क में है और इसके अंतर्गत किसी राजनैतिक दल को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित कोई संदान या अभिदान भी है; और

(घ) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (31) में है किन्तु इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी और सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्त पोषित प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति नहीं है।

29ग. राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा—(1) किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक का अभिदाय;

(ख) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सरकारी कंपनियों से भिन्न कंपनियों से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक अभिदाय:

[1][परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी निर्वाचन बंधपत्र द्वारा प्राप्त अभिदायों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "निर्वाचन बंधपत्र" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई बंधपत्र अभिप्रेत है।]

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट, किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व, निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) जहां किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां, ऐसा राजनैतिक दल, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के अधीन किसी कर राहत का हकदार नहीं होगा।]

भाग 5

निर्वाचनों का संचालन

अध्याय 1—अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

[2][**30. नामनिर्देशनों, आदि के लिए तारीखें नियत करना**—जैसे ही सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख जो प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले [3][सातवें दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

---

1. 2017 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 137 द्वारा (1-4-2017 से) अंत:स्थापित।

2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 14 द्वारा धारा 30 मे स्थान पद (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित।

3. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 7 द्वारा (20-9-1961 से) ''दसवें दिन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*b*) the date for the scrutiny of nominations, which shall be [1][the day immediately following] the last date for making nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(*c*) the last date for the withdrawal of candidatures, which shall be [2][the second day] after the date for the scrutiny of nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(*d*) the date or dates on which a poll shall, if necessary, be taken, which or the first of which shall be a date not earlier than the [3][fourteenth day] after the last date for the withdrawal of candidatures; and

(*e*) the date before which the election shall be completed.

[4]* * * * *]

31. Public notice of election.—On the issue of a notification under section 30, the returning officer [5]*** shall give public notice of the intended election in such form and manner as may be prescribed, inviting nominations of candidates for such election and specifying the place at which the nomination papers are to be delivered.

32. Nomination of candidates for election.—Any person may be nominated as a candidate for election to fill a seat [6]*** if he is qualified to be chosen to fill that seat under the provisions of the Constitution and this Act [7]*** [8][or under the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), as the case may be.]

[9][**33. Presentation of nomination paper and requirements for a valid nomination.**—(*1*) On or before the date appointed under clause (*a*) of section 30 each candidate shall, either in person or by his proposer, between the hours of eleven o'clock in the forenoon and three o'clock in the afternoon deliver to the returning officer at the place specified in this behalf in the notice issued under section 31 a nomination paper completed in the prescribed form and signed by the candidate and by an elector of the constituency as proposer:

[10][Provided that a candidate not set up by a recognised political party, shall not be deemed to be duly nominated for election from a constituency unless the nomination paper is subscribed by ten proposers being electors of the constituency:

Provided further that no nomination paper shall be delivered to the returning officer on a day which is a public holiday:

Provided also that in the case of a local authorities' constituency, graduates' constituency or teachers' constituency, the reference to "an elector of the constituency as proposer" shall be construed as a reference to ten per cent. of the electors of the constituency or ten such electors, whichever is less, as proposers.]

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 27, for "the second day after" (w.e.f. 14-12-1966).
2. Subs. by *ibid.,* for "the third day" (w.e.f. 14-12-1966).
3. Subs. by Act 21 of 1996, s. 5, for "twentieth day" (w.e.f. 1-8-1996).
4. Omitted by Act 47 of 1966, s. 27 (w.e.f. 14-12-1966).
5. The words "for the constituency" omitted by s. 28, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
6. The words "in any constituency" omitted by Act 27 of 1956, s. 15 (w.e.f. 28-8-1956).
7. Certain words, letter and figures omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
8. Ins. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Sch. (w.e.f. 13-5-1963).
9. Subs. by Act 27 of 1956, s. 16, for s. 33 (w.e.f. 28-8-1956).
10. Subs. by Act 21 of 1996, s. 6, for the provisos (w.e.f. 1-8-1996).

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख जो नामनिर्देशन करने के लिए नियत अंतिम तारीख के [1][अव्यवहित आगामी दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख, जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के पश्चात् [2][दूसरे दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो अवकाश दिन नहीं है;

(घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको या जिनको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा और जो तारीख या जिन तारीखों में से पहली तारीख अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चात् [3][चौदहवें दिन] से पूर्वतर न होने वाली तारीख होगी; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा।

[4]* * * * *]

31. निर्वाचन की लोक सूचना—[5]*** रिटर्निंग आफिसर धारा 30 के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने पर ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन आमंत्रित करते हुए, और वह स्थान जहां नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किए जाने हैं, विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित निर्वाचन की लोक सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में देगा जैसा या जैसी विहित किया या की जाए ।

32. निर्वाचन अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन—यदि कोई व्यक्ति [6]*** किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए [7][यथास्थिति] संविधान और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन [8]*** [7][या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के उपबन्धों के अधीन अर्हित है तो वह उस स्थान को भरने के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

[9][**33. नामनिर्देशन-पत्र का उपस्थित किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं**—(1) हर एक अभ्यर्थी विहित प्ररूप में पूरित और अपने द्वारा तथा निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को उस स्थान पर जो धारा 31 के अधीन निकाली गई सूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है धारा 30 के खंड (क) के अधीन नियत तारीख को या के और पूर्व पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच या तो स्वयं या अपने प्रस्थापक द्वारा परिदत्त करेगा:

[10][परन्तु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से तब तक नामनिर्देशित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि नामनिर्देशन-पत्र पर ऐसे दस प्रस्थापकों द्वारा, जो निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हों, हस्ताक्षर न किए गए हों:

परन्तु यह और कि कोई भी नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन हो:

परन्तु यह भी कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र की दशा में, "निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों के दस प्रतिशत द्वारा या ऐसे दस निर्वाचकों द्वारा, इनमें से जो भी कम हो, प्रस्थापकों के रूप में" के प्रति निर्देश हैं।]

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 27 द्वारा (14-12-1966 से) ''दूसरे दिन के पश्चात्'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 27 द्वारा (14-12-1966 से) ''तीसरे दिन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 5 द्वारा (1-8-1996 से) ''बीसवें दिन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 27 द्वारा (14-12-1966 से) लोप किया गया।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 28 द्वारा (14-12-1966 से) ''निर्वाचन-क्षेत्र के लिए'' शब्दों का लोप किया गया।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 15 द्वारा (28-8-1956 से) ''किसी निर्वाचन-क्षेत्र में'' शब्दों का लोप किया गया।
7. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा (13-5-1963 से) अन्तःस्थापित।
8. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) कतिपय शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया गया।
9. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 16 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 6 द्वारा (1-8-1996 से) परन्तुकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][(*1A*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), for election to the Legislative Assembly of Sikkim (deemed to be the Legislative Assembly of that State duly constituted under the Constitution), the nomination paper to be delivered to the returning officer shall be in such form and manner as may be prescribed:

Provided that the said nomination paper shall be subscribed by the candidate as assenting to the nomination, and—

(*a*) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin, also by at least twenty electors of the constituency as proposers and twenty electors of the constituency as seconders;

(*b*) in the case of a seat reserved for Sanghas, also by at least twenty electors of the constituency as proposers and at least twenty electors of the constituency as seconders;

(*c*) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Nepali origin, by an elector of the constituency as proposer:

Provided further that no nomination paper shall be delivered to the returning officer on a day which is a public holiday.]

(*2*) In a constituency where any seat is reserved, a candidate shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat unless his nomination paper contains a declaration by him specifying the particular caste or tribe of which he is a member and the area in relation to which that caste or tribe is a Scheduled Caste or, as the case may be, a Scheduled Tribe of the State.

(*3*) Where the candidate is a person who, having held any office referred to in [2][section 9] has been dismissed and a period of five years has not elapsed since the dismissal, such person shall not be deemed to be duly nominated as a candidate unless his nomination paper is accompanied by a certificate issued in the prescribed manner by the Election Commission to the effect that he has not been dismissed for corruption or disloyalty to the State.

(*4*) On the presentation of a nomination paper, the returning officer shall satisfy himself that the names and electoral roll numbers of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as those entered in the electoral rolls:

[3][Provided that no misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error in regard to the name of the candidate or his proposer or any other person, or in regard to any place, mentioned in the electoral roll or the nomination paper and no clerical, technical or printing error in regard to the electoral roll numbers of any such person in the electoral roll or the nomination paper, shall affect the full operation of the electoral roll or the nomination paper with respect to such person or place in any case where the description in regard to the name of the person or place is such as to be commonly understood; and the returning officer shall permit any such misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error to be corrected and where necessary, direct that any such misnomer, inaccurate description, clerical, technical or printing error in the electoral roll or in the nomination paper shall be overlooked.]

(*5*) Where the candidate is an elector of a different constituency, a copy of the electoral roll of that constituency or of the relevant part thereof or a certified copy of the relevant entries in such roll shall, unless it has been filed along with the nomination paper, be produced before the returning officer at the time of scrutiny.

[4][(*6*) Nothing in this section shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper:

Provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the returning officer for election in the same constituency.]

[5][(*7*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*6*) or in any other provisions of this Act, a person shall not be nominated as a candidate for election,—

(*a*) in the case of a general election to the House of the People (whether or not held simultaneously from all Parliamentary constituencies), from more than two Parliamentary constituencies;

---

1. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and the Sch. (w.e.f. 9-9-1975).
2. Subs. by Act 38 of 1978, s. 3 and the Second Sch., for "clause (*f*) of section 7" (w.e.f. 26-11-1978).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 29, for the proviso (w.e.f. 14-12-1966).
4. Subs. by Act 40 of 1961, s. 8, for sub-section (*6*) (w.e.f. 20-9-1961).
5. Ins. by Act 21 of 1996, s. 6 (w.e.f. 1-8-1996).

[1][(1क) उपखंड (1) में किसी बात के होते हुए भी सिक्किम विधान सभा के (जो संविधान के अधीन उस राज्य की सम्यक्त रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है) निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त किया जाने वाला नामनिर्देशन-पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से होगा जिन्हें विहित किया जाए:

परन्तु उक्त नामनिर्देशन-पत्र अभ्यर्थी द्वारा यह दर्शाने के लिए हस्ताक्षरित किया जाएगा कि उसने नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति दे दी है अथवा—

(क) भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के बीस निर्वाचकों द्वारा भी;

(ख) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा भी;

(ग) नेपाली उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, प्रस्थापक के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा,

हस्ताक्षरित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि रिटर्निंग आफिसर को कोई नामनिर्देशन-पत्र ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन है।]

(2) जिस निर्वाचन-क्षेत्र में कोई स्थान आरक्षित है उसमें कोई अभ्यर्थी उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित न समझा जाएगा जब तक कि उसके अपने नामनिर्देशन-पत्र में वह विशिष्ट जाति या जनजाति जिसका वह सदस्य है और वह क्षेत्र जिसके संबंध में वह जाति या जनजाति उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है विनिर्दिष्ट करने वाली उसके द्वारा की गई घोषणा अन्तर्विष्ट न हो ।

(3) जहां कि अभ्यर्थी [2][धारा 9] में निर्दिष्ट किसी पद को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो पदच्युत कर दिया गया है और पदच्युति से पांच वर्ष की कालावधि बीती नहीं है वहां जब तक कि विहित रीति में निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया यह प्रमाणपत्र कि वह भ्रष्ट आचरण या राज्य के प्रति अभक्ति के लिए पदच्युत नहीं किया गया है उसके नामनिर्देशन-पत्र के साथ न हो तो ऐसा व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्त रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ न समझा जाएगा ।

(4) नामनिर्देशन-पत्र के उपस्थित किए जाने पर रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथाप्रविष्ट अभ्यर्थी और उसके प्रस्थापक के नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक वे ही हैं जो निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्ट हैं:

[3][परन्तु निर्वाचक नामावली या नामनिर्देशन-पत्र में वर्णित अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के बारे में या किसी स्थान के बारे में किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का और निर्वाचक नामावली में या नामनिर्देशन-पत्र में ऐसे किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली संख्यांकों के बारे में लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का प्रभाव ऐसे व्यक्ति या स्थान की बाबत निर्वाचक नामावली या नामनिर्देशन-पत्र के पूरे प्रवर्तन पर किसी ऐसी दशा में नहीं पड़ेगा जिसमें उस व्यक्ति या स्थान के नाम के बारे में वर्णन ऐसा है जो सामान्यत: समझा जा सकने वाला है और रिटर्निंग आफिसर ऐसे किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल को शुद्ध किए जाने की अनुज्ञा देगा और जहां कि आवश्यक हो वहां यह निदेश देगा कि निर्वाचक नामावली में या नामनिर्देशन-पत्र में ऐसे किसी गलत नाम, अशुद्ध वर्णन, लेखन संबंधी, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल की अनुवेक्षा की जाए।]

(5) जहां कि अभ्यर्थी किसी भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक है, वहां उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की या उसके सुसंगत भाग की एक प्रति या ऐसी नामावली में की सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति, जब तक कि वह नामनिर्देशन-पत्र के साथ फाइल न कर दी गई हो, संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पेश की जाएगी।

[4][(6) इस धारा की कोई भी बात किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने से निवारित न करेगी :

परन्तु एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए चार से अधिक नामनिर्देशन-पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से न तो उपस्थित किए जाएंगे और न रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रतिगृहीत किए जाएंगे ।]

[5](7) इस अधिनियम की उपधारा (6) में या उसके किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति,—

(क) लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हों या नहीं), दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से;

---

1. 1976 के अधिनियम सं॰10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अन्त:स्थापित ।
2. 1978 के अधिनियम सं॰ 38 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा "धारा 7 के खण्ड (च)" के स्थान पर (26-11-1978 से) प्रतिस्थापित ।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 29 द्वारा (14-12-1966 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (20-9-1961 से) उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1996 के अधिनियम सं0 21 की धारा 6 द्वारा (1-8-1996 से) अन्त:स्थापित ।

(*b*) in the case of a general election to the Legislative Assembly of a State (whether or not held simultaneously from all Assembly constituencies), from more than two Assembly constituencies in that State;

(*c*) in the case of a biennial election to the Legislative Council of a State having such Council, from more than two Council constituencies in the State;

(*d*) in the case of a biennial election to the Council of States for filling two or more seats allotted to a State, for filling more than two such seats;

(*e*) in the case of bye-elections to the House of the People from two or more Parliamentary constituencies which are held simultaneously, from more than two such Parliamentary constituencies;

(*f*) in the case of bye-elections to the Legislative Assembly of a State from two or more Assembly constituencies which are held simultaneously, from more than two such Assembly constituencies;

(*g*) in the case of bye-elections to the Council of States for filling two or more seats allotted to a State, which are held simultaneously, for filling more than two such seats;

(*h*) in the case of bye-elections to the Legislative Council of a State having such Council from two or more Council constituencies which are held simultaneously, from more than two such Council constituencies.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, two or more bye-elections shall be deemed to be held simultaneously where the notification calling such bye-elections are issued by the Election Commission under section 147, section 149, section 150 or, as the case may be, section 151 on the same date.]

[1][**33A. Right to information.**—(*1*) A candidate shall, apart from any information which he is required to furnish, under this Act or the rules made thereunder, in his nomination paper delivered under sub-section (*1*) of section 33, also furnish the information as to whether—

(*i*) he is accused of any offence punishable with imprisonment for two years or more in a pending case in which a charge has been framed by the court of competent jurisdiction;

(*ii*) he has been convicted of an offence [other than any offence referred to in sub-section (*1*) or sub-section (*2*), or covered in sub-section (*3*), of section 8] and sentenced to imprisonment for one year or more.

(*2*) The candidate of his proposer, as the case may be, shall, at the time of delivering to the returning officer the nomination paper under sub-section (*1*) of section 33, also deliver to him an affidavit sworn by the candidate in a prescribed form verifying the information specified in sub-section (*1*).

(*3*) The returning officer shall, as soon as may be after the furnishing of information to him under sub-section (*1*), display the aforesaid information by affixing a copy of the affidavit, delivered under sub-section (*2*), at a conspicuous place at his office for the information of the electors relating to a constituency for which the nomination paper is delivered.]

[2][**33B. Candidate to furnish information only under the Act and the rules.**—Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or any direction, order or any other instruction issued by the Election Commission, no candidate shall be liable to disclose or furnish any such information, in respect of his election which is not required to be disclosed or furnished under this Act or the rules made thereunder.]

34. Deposits.—[3][(*1*) A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election from a constituency unless he deposits or causes to be deposited,—

(*a*) in the case of an election from a Parliamentary constituency, [4][a sum of twenty-five thousand rupees or where the candidate is a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a sum of twelve thousand five hundred rupees]; and

1. Ins. by Act 72 of 2002, s. 2 (w.e.f. 24-8-2002).
2. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 2-5-2002).
3. Subs. by Act 21 of 1996, s. 7, for sub-section (1) (w.e.f. 1-8-1996).
4. Subs. by Act 41 of 2009, s. 5, for certain words (w.e.f. 1-2-2010).

(ख) राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हों या नहीं), उस राज्य में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से;

(ग) राज्य की विधान परिषद् के लिए, जहां ऐसी परिषद् है, द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में, उस राज्य में दो से अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से;

(घ) किसी राज्य को आबंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिए राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में, ऐसे दो से अधिक स्थानों को भरने के लिए;

(ङ) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से;

(च) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से;

(छ) राज्य को आबंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिए राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक स्थानों को भरने के लिए;

(ज) दो या अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए, जहां ऐसी परिषद् है, उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से,

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक उप-निर्वाचन साथ-साथ कराए गए तब समझे जाएंगे, जब ऐसे उप-निर्वाचनों की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा, यथास्थिति, धारा 147, धारा 149, धारा 150 या धारा 151 के अधीन एक ही तारीख को निकाली जाती है ।]

[1][33क. सूचना का अधिकार—(1) कोई अभ्यर्थी, ऐसी सूचना के अतिरिक्त जिसकी उससे धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त किए गए अपने नामनिर्देशन-पत्र में इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, इस बारे में भी सूचना देगा कि क्या वह,—

(i) किसी ऐसे लंबित मामले में, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिया गया है, दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है ;

(ii) [धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अथवा उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध से भिन्न] किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और एक वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसका प्रस्थापक, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग आफिसर को नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करते समय, विहित प्ररूप में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सूचना सत्यापित करते हुए अभ्यर्थी द्वारा दिया गया शपथपत्र भी परिदत्त करेगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर, उपधारा (1) के अधीन उसको सूचना दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, उपधारा (2) के अधीन परिदत्त शपथपत्र की एक प्रति, किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र से जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किया गया है, संबंधित मतदाताओं की जानकारी के लिए अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका कर पूर्वोक्त सूचना प्रदर्शित करेगा।]

[2][**33ख. अभ्यर्थी द्वारा केवल अधिनियम और नियमों के अधीन ही सूचना का दिया जाना**—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए किसी निदेश, आदेश या किसी अन्य अनुदेश में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी अपने निर्वाचन की बाबत ऐसी कोई सूचना प्रकट करने या देने के दायित्वाधीन नहीं होगा जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रकट किए जाने या दिए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।]

34. निक्षेप—[3][(1) जब तक कि अभ्यर्थी—

(क) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन की दशा में, [पच्चीस हजार रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां बारह हजार पांच सौ रुपए की राशि]; और

---

1. 2002 के अधिनियम सं॰ 72 की धारा 2 द्वारा (24-8-2002 से) अंत:स्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं॰ 72 की धारा 3 द्वारा (2-5-2002 से) अंत:स्थापित ।
3. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 7 द्वारा (1-8-1996 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2009 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 5 द्वारा (1-2-2010 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*b*) in the case of an election from an Assembly or Council constituency, [1][a sum of ten thousand rupees or where the candidate is a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a sum of five thousand rupees]:

Provided that where a candidate has been nominated by more than one nomination paper for election in the same constituency, not more than one deposit shall be required of him under this sub-section.]

(*2*) Any sum required to be deposited under sub-section (*1*) shall not be deemed to have been deposited under that sub-section unless at the time of delivery of the nomination paper [2][under sub-section (*1*) or, as the case may be, sub-section (*1A*) of section 33] the candidate has either deposited or caused to be deposited that sum with the returning officer in cash or enclosed with the nomination paper a receipt showing that the said sum has been deposited by him or on his behalf in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury.

35. Notice of nominations and the time and place for their Scrutiny.—The returning officer shall, on receiving the nomination paper [2][under sub-section (*1*) or, as the case may be, sub-section (*1A*)] of section 33, inform the person or persons delivering the same of the date, time and place fixed for the scrutiny of nominations and shall enter on the nomination paper its serial number, and shall sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the nomination paper has been delivered to him; and shall, as soon as may be thereafter, cause to be affixed in some conspicuous place in his office a notice of the nomination containing descriptions similar to those contained in the nomination paper, both of the candidate and of [3][the proposer].

36. Scrutiny of nominations.—(*1*) On the date fixed for the scrutiny of nominations under section 30, the candidates, their election agents, one proposer [4]* * * of each candidate, and one other person duly authorised in writing by each candidate, but no other person, may attend at such time and place as the returning officer may appoint; and the returning officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination papers of all candidates which have been delivered within the time and in the manner laid down in section 33.

(*2*) The returning officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made to any nomination and may, either on such objection or on his own motion, after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, [5][reject] any nomination on any of the following grounds:—

[6][(*a*) [7][that on the date fixed for the scrutiny of nominations the candidate] either is not qualified or is disqualified for being chosen to fill the seat under any of the following provisions that may be applicable, namely:—

Articles 84, 102, 173 and 191, [8]* * *

[9][Part II of this Act, and sections 4 and 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963)] [10]***; or

(*b*) that there has been a failure to comply with any of the provisions of section 33 or section 34; or

(*c*) that the signature of the candidate or the proposer on the nomination paper is not genuine.

(*3*) Nothing contained in [11][clause (*b*) or clause (*c*)] of sub-section (*2*) shall be deemed to authorise the [12][rejection] of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregularity has been committed.

---

1. Subs. by Act 41 of 2009, s. 6, for certain words (w.e.f. 1-2-2010).
2. Subs. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch., for certain words (w.e.f. 9-9-1975).
3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 18, for certain words (w.e.f. 28-8-1956).
4. The words "and one seconder" omitted by s. 19, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956)
5. Subs. by s. 19, *ibid.,* for "refuse" (w.e.f. 28-8-1956).
6. Subs. by s. 19, *ibid.,* for cls. (*a*) to (*e*) (w.e.f. 28-8-1956).
7. Subs. by Act 40 of 1961, s. 9, for "that the candidate" (w.e.f. 20-9-1961).
8. The word "and" omitted by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Sch. (w.e.f. 13-5-1963).
9. Subs. by s. 57 and the Second Sch. *ibid.,* for certain words. (w.e.f. 13-5-1963).
10. Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).
11. Subs. by Act 27 of 1956, s. 19. for "clause (*c*), clause (*d*) or clause (*e*)" (w.e.f. 28-8-1956).
12. Subs. by s. 19, *ibid.,* for "refusal" (w.e.f. 28-8-1956).

(ख) किसी विधान सभा या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से किसी निर्वाचन की दशा में, [1][दस हजार रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां पांच हजार रुपए की राशि,]

निक्षिप्त न कर दे या निक्षिप्त न करा दे, वह किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक्त रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ वहां समझा जाएगा:

परन्तु जहां अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है वहां इस उपधारा के अधीन उससे एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।]

(2) उपधारा (1) के अधीन निक्षेप के लिए अपेक्षित कोई राशि उस उपधारा के अधीन निक्षिप्त की गई नहीं समझी जाएगी जब तक कि [2][धारा 33 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन] नामनिर्देशन-पत्रों के परिदान के समय अभ्यर्थी ने रिटर्निंग आफिसर के पास या तो नकदी में उसे निक्षिप्त नहीं कर दिया है या निक्षिप्त नहीं करवा दिया है या नामनिर्देशन-पत्र के साथ यह दर्शित करने वाली रसीद कि उक्त राशि रिजर्व बैंक आफ इंडिया या सरकारी खजाने में उसके द्वारा या उसकी ओर से निक्षिप्त कर दी गई है, नहीं लगा दी है।

35. नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा के लिए समय और स्थान—रिटर्निंग आफिसर [2][धारा 33 यथास्थिति, की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन] नामनिर्देशन-पत्र की प्राप्ति पर उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की इत्तिला देगा और नामनिर्देशन-पत्र पर उसका क्रम संख्यांक प्रविष्ट करेगा और उस पर वह तारीख जिसको और वह समय जिस पर उसे नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किया गया है कथित वाला प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित करेगा और तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नामनिर्देशन की ऐसी सूचना जिनमें अभ्यर्थी और [3][प्रस्थापक] दोनों के वैसे ही वर्णन अन्तर्विष्ट हों जैसे वे नामनिर्देशन-पत्र में हैं अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

36. नामनिर्देशनों की संवीक्षा—(1) धारा 30 के अधीन नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, हर एक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक [4]*** और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक्त रूप से प्राधिकृत एक दूसरा व्यक्ति, न कि कोई भी अन्य व्यक्ति, ऐसे समय और स्थान में जैसा रिटर्निंग आफिसर नियत करे हाजिर हो सकेंगे और रिटर्निंग आफिसर सब अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की जो उसे धारा 33 में अधिकथित समय के भीतर और रीति में प्रदत्त किए गए हैं, परीक्षा करने के लिए उन्हें सब युक्तियुक्त सुविधाएं देगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर तब नामनिर्देशन-पत्रों की परीक्षा करेगा और उन सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन की बाबत किए जाएं और ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे किसी नामनिर्देशन को ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, अर्थात् :—

[5][(क) इस आधार पर [6][कि अभ्यर्थी नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख] को निम्नलिखित उपबन्धों, अर्थात्:—

अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191 [7]***

[8][इस अधिनियम के भाग 2 और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धाराओं 4 और 14 [9]*** में से जो भी लागू होती हो उसके अधीन उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए या तो अर्हित नहीं है या निरर्हित है, अथवा

(ख) इस आधार पर कि धारा 33 या धारा 34 के उपबंधों में से किसी का अनुवर्तन करने में असफलता हुई है, अथवा

(ग) इस आधार पर नामनिर्देशन-पत्र पर अभ्यर्थी का या प्रस्थापक का हस्ताक्षर असली नहीं है,

[10][रद्द] कर सकेगा ।

(3) यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे अन्य नामनिर्देशन-पत्र द्वारा जिसके बारे में कोई अनियमितता नहीं की गई है सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया है तो उपधारा (2) के [11][खंड (ख) या खंड (ग)] में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र में किसी अनियमितता के आधार पर [12][प्रतिक्षेपित] करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

1. 2009 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 5 द्वारा (1-2-2010 से) प्रतिस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 18 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 19 द्वारा (28-8-1956 से) "और एक समर्थक" शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 19 द्वारा (28-8-1956 से) खंड (क) से खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 9 द्वारा (20-9-1961 से) "कि अभ्यर्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित "और" शब्द का 1963 के अधिनियम सं0 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा (13-5-1963 से) लोप किया गया।
8. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा (13-5-1963 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
10. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 19 द्वारा (28-8-1956 से) "प्रतिक्षेपित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
11. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 19 द्वारा (28-8-1956 से) "खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
12. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 19 द्वारा (28-8-1956 से) "नामंजूरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*4*) The returning officer shall not reject any nomination paper on the ground of any [1]* * * defect which is not of a substantial character.

(*5*) The returning officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf under clause (*b*) of section 30 and shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riot or open violence or by causes beyond his control:

Provided that in case [2][an objection is raised by the returning officer or is made by any other person] the candidate concerned may be allowed time to rebut it not later than the next day but one following the date fixed for scrutiny, and the returning officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

(*6*) The returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection.

[3][(*7*) For the purposes of this section, a certified copy of an entry in the electoral roll for the time being in force of a constituency shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for that constituency, unless it is proved that he is subject to a disqualification mentioned in section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(*8*) Immediately after all the nomination papers have been scrutinised and decisions accepting or ejecting the same have been recorded, the returning officer shall prepare a list of validly nominated candidates, that is to say, candidates whose nominations have been found valid, and affix it to his notice board.]

37. Withdrawal of candidature.—(*1*) Any candidate may withdraw his candidature by a notice in writing which shall contain such particulars as may be prescribed and shall be subscribed by him and delivered before three o'clock in the afternoon on the day fixed under clause (*c*) of section 30 to the returning officer either by such candidate in person or by his proposer, [4]* * * or election agent who has been authorized in this behalf in writing by such candidate.

[4]* * * * *

(*2*) No person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-section (*1*) shall be allowed to cancel the notice.

[5][(*3*) The returning officer shall, on being satisfied as to the genuineness of a notice of withdrawal and the identity of the person delivering it under sub-section (*1*), cause the notice to be affixed in some conspicuous place in his office.]

[6][**38. Publication of list of contesting candidates.**—(*1*) Immediately after the expiry of the period within which candidatures may be withdrawn under sub-section (*1*) of section 37, the returning officer shall prepare and publish in such form and manner as may be prescribed a list of contesting candidates, that is to say, candidates who were included in the list of validily nominated candidates and who have not withdrawn their candidature within the said period.

[7][(*2*) For the purpose of listing the names under sub-section (*1*), the candidates shall be classified as follows, namely:—

(*i*) candidates of recognised political parties;

(*ii*) candidates of registered political parties other than those mentioned in clause (*i*);

(*iii*) other candidates.

---

1. The word "technical" omitted by Act 27 of 1956, s. 19 (w.e.f. 28-8-1956).
2. Subs. by Act 40 of 1961, s. 9, for "an objection is made" (w.e.f. 20-9-1961).
3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 19, for “sub-section (*7*)” (w.e.f. 28-8-1956).
4. The word "seconder" and the proviso omitted by s. 20, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956).
5. Subs. by Act 40 of 1961, s. 10, for sub-section (*3*) (w.e.f. 20-9-1961).
6. Subs. by Act 27 of 1956, s. 21, for s. 38 (w.e.f. 28-8-1956).
7. Subs. by Act 21 of 1996, s. 8, for sub-section (*2*) (w.e.f. 1-8-1996).

(4) रिटर्निंग आफिसर किसी नामनिर्देशन-पत्र को ऐसी किसी [1]***त्रुटि के आधार पर जो सारवान् रूप की नहीं है, प्रतिक्षेपित न करेगा ।

(5) रिटर्निंग आफिसर धारा 30 के खंड (ख) के अधीन इस निमित्त नियत तारीख को संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों का कोई स्थगन उस दशा के सिवाय अनुज्ञात न करेगा जिसमें ऐसी कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा से या उसके नियंत्रण के बाहर वाले कारणों से विघ्न या बाधा हुई है:

परंतु उस दशा में जिसमें [2][आक्षेप रिटर्निंग आफिसर द्वारा उठाया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है] संपृक्त अभ्यर्थी को संवीक्षा के लिए नियत तारीख से एक दिन छोड़कर अगले दिन तक का न कि उसके पश्चात् का समय उसका खंडन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और रिटर्निंग आफिसर अपना विनिश्चय उस तारीख को, जिस तक कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं; अभिलिखित करेगा ।

(6) रिटर्निंग आफिसर हर एक नामनिर्देशन-पत्र पर उसे प्रतिगृहीत करने या प्रतिक्षेपित करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किया गया है तो ऐसे प्रतिक्षेपण के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

[3][(7) जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरर्हता के अध्यधीन है, किसी निर्वाचन-क्षेत्र की तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह व्यक्ति, जो उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक है ।

(8) रिटर्निंग आफिसर सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा किए जाने और उनके प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित किए जाने के विनिश्चयों के अभिलिखित किए जाने के अव्यवहित पश्चात् विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की अर्थात् उन अभ्यर्थियों की, जिनके नामनिर्देशन विधिमान्य ठहराए गए हैं, सूची तैयार करेगा और उसे अपने सूचना फलक पर लगवाएगा ।]

37. अभ्यर्थिता वापस लेना—(1) कोई भी अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं और जो स्वयं उस द्वारा हस्ताक्षरित होंगी और रिटर्निंग आफिसर को या तो स्वयं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्थापक द्वारा [4]***या ऐसे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन नियत दिन को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त कर दी जाएगी ।

[4]* * * * *

(2) जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना उपधारा (1) के अधीन दी है उसे उस सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा।

[5][(3) रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के असली होने के बारे में और उपधारा (1) के अधीन उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उस सूचना को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।]

[6][**38. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन**—(1) रिटर्निंग आफिसर उस कालावधि के जिसके भीतर धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिताएं वापस ली जा सकेंगी, अवसान के अव्यवहित पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अर्थात् उन अभ्यर्थियों की, जो विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची के अन्तर्गत थे और जिन्होंने उक्त कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, सूची ऐसे प्ररूप और रीति में जैसी विहित की जाए, तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा ।

[7][(2) उपधारा (1) के अधीन नामों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी ;

(ii) खंड (i) में उल्लिखित अभ्यर्थियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी;

(iii) अन्य अभ्यर्थी।]

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 19 द्वारा "प्राविधिक" शब्द का (28-8-1956 से) लोप किया गया ।
2. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 9 द्वारा (20-9-1961 से) "कोई आपत्ति की गई है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 19 द्वारा उपधारा (7) के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 20 द्वारा "समर्थक" शब्द और परन्तुक का (28-8-1956 से) लोप किया गया ।
5. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 10 द्वारा (20-9-1961 से) उपधारा (3) के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 21 द्वारा धारा 38 के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित ।
7. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 8 द्वारा (1-8-1996 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*3*) The categories mentioned in sub-section (*2*) shall be arranged in the order specified therein and the names of candidates in each category shall be arranged in alphabetical order and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers together with such other particulars as may be prescribed.],]

[1][**39. Nomination of candidates at other elections.**—(*1*) As soon as the notification calling upon the elected members or the members of the Legislative Assembly of a State or the members of the electoral college of a [2][Union territory] to elect a member or members is issued, the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, appoint—

(*a*) the last date for making nominations, which shall be the [3][seventh day] after the date of publication of the first mentioned notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(*b*) the date for the scrutiny of nominations, which shall be [4][the day immediately following] the last date for making nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(*c*) the last date for the withdrawal of candidatures, which shall be [5][the second day] after the date for the scrutiny of nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(*d*) the date or dates on which a poll shall, if necessary, be taken, which or the first of which shall be a date not earlier than the seventh day after the last date for the withdrawal of candidatures; and

(*e*) the date before which the election shall be completed.

[6]* * * * *

(*2*) The provisions of sections 31 to 38, excluding sub-sections (*2*) and (*5*) of section 33 and [7][clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 34], shall apply in relation to any such election as they apply in relation to an election in any constituency:

Provided that—

(*a*) any references in the said provisions to the electoral roll of the constituency shall, unless the context otherwise requires, be construed, in the case of an election by the members or the elected members of the Legislative Assembly of the State, as references to the list of members or elected members, as the case may be, of that Assembly maintained under sub-section (*1*) of section 152, and in the case of an election by the members of the electoral college of a [2][Union territory], as references to the list of members of such electoral college maintained under sub-section (*2*) of that section;

[8][(*aa*) the reference in the opening paragraph of sub-section (*1*) of section 33 to "an elector of the constituency as proposer" shall be construed as a reference to "ten per cent. of the elected members or of the members of the Legislative Assembly of a State or of the members of the electoral college of a Union territory, as the case may be, or ten members concerned, whichever is less, as proposers":

Provided that where as a result of the calculation of the percentage referred to in this clause, the number of members arrived at is a fraction and if the fraction so arrived at is more than one-half it shall be counted as one, and if the fraction so arrived at is less than one-half it shall be ignored;]

---

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 22, for s. 39 (w.e.f. 28-8-1956).
2. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C State" (w.e.f. 1-11-1956).
3. Subs. by Act 40 of 1961, s. 11, for "tenth day" (w.e.f. 20-9-1961).
4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 30, for "the second day after" (w.e.f. 14-12-1966).
5. Subs. by s. 30, *ibid.,* for "the third day" (w.e.f. 14-12-1966).
6. *Explanation* omitted by s. 30, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
7. Subs. by Act 58 of 1958, s. 19, for " section 34" (w.e.f. 30-12-1958).
8. Ins. by Act 1 of 1989, s. 8 (w.e.f. 1-4-1989).

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित प्रवर्ग उसमें विनिर्दिष्ट रूप में क्रमबद्ध किए जाएंगे और प्रत्येक प्रवर्ग में से अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रम में तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पते ऐसे जैसे वे नामनिर्देशन-पत्रों में दिए गए हैं, ऐसी अन्य विशिष्टियों सहित, जो विहित की जाएं, क्रमबद्ध किए जाएंगे।]

[1][**39. अन्य निर्वाचनों में अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन**—(1) जैसे ही किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या किसी [2][संघ राज्यक्षेत्र] के निर्वाचकगण के सदस्यों से सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख, जो प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले [3][सातवें दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख जो नामनिर्देशन करने के लिए नियत अंतिम तारीख के [4][अव्यवहित आगामी दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के पश्चात् [5][दूसरे दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है, तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

(घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको या जिनको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा और जो तारीख या जिन तारीखों में से पहली तारीख अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चात् सातवें दिन के पूर्वतर न होने वाली तारीख होगी; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर लिया जाएगा,

नियत करेगा ।

[6]* * * * *

(2) धारा 33 की उपधारा (2) और (5) और [7][धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क)] का अपवर्जन करके धारा 31 से लेकर धारा 38 तक के उपबंध किसी ऐसे निर्वाचन के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे किसी निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन के संबंध में लागू होते हैं:

परंतु—

(क) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के प्रति जो कोई निदेश उक्त उपबंधों में हैं उनका अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे राज्य की विधान सभा के सदस्यों या निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में उस सभा के, यथास्थिति, सदस्यों या निर्वाचित सदस्यों की उस सूची के प्रति निर्देश हैं जो धारा 152 की उपधारा (1) के अधीन रखी जाती हैं, और किसी [2][संघ राज्यक्षेत्र] के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में ऐसे निर्वाचकगण के सदस्यों की उस सूची के प्रति निर्देश हैं जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन रखी जाती है;

[8][(कक) धारा 33 की उपधारा (1) के प्रारम्भिक पैरा में "निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "यथास्थिति, निर्वाचित सदस्यों के या किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों के या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों के दस प्रतिशत द्वारा या संबंधित दस सदस्यों द्वारा, इनमें से जो भी कम हो, प्रस्थापकों के रूप में" के प्रति निर्देश है:

परंतु जहां इस खंड में निर्दिष्ट प्रतिशतता की गणना के परिणामस्वरूप प्राप्त सदस्य संख्या में कोई भिन्न आती है और यदि इस प्रकार प्राप्त भिन्न आधे से अधिक है और उसे एक गिना जाएगा तो यदि इस प्रकार प्राप्त भिन्न आधी से कम है तो उसकी उपेक्षा की जाएगी।]

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 22 द्वारा धारा 39 के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित ।
2. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 11 द्वारा (20-9-1961 से) "दसवें दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 30 द्वारा (14-12-1966 से) "दूसरे दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 30 द्वारा (14-12-1966 से) "तीसरे दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 30 द्वारा (14-12-1966 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
7. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 19 द्वारा "धारा 34" के स्थान पर (30-12-1958 से) प्रतिस्थापित ।
8. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 8 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।

[1][[2][(*ab*)] in the case of an election to the Legislative Council of a State by the members of the Legislative Assembly of that State, clause (*a*) of sub-section (*2*) of section 36 shall be construed as including a reference to sub-clause (*d*) of clause (*3*) of article 171;]

(*b*) any reference in the said provisions to section 30 shall be construed as references to sub-section (*1*) of this section; and

(*c*) at the time of presenting the nomination paper, the returning officer may require the person presenting the same to produce either a copy of the electoral roll, or part of the electoral roll, in which the name of the candidate is included or a certified copy of the relevant entries in such roll.]

[3][**39A. Allocation of equitable sharing of time.**—(*1*) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Election Commission shall, on the basis of the past performance of a recognised political party, during elections, allocate equitable sharing of time on the cable television network and other electronic media in such manner as may be prescribed to display or propagate any election matter or to address public in connection with an election.

(*2*) The allocation of equitable sharing of time under sub-section (*1*), in respect of an election, shall be made after the publication of list of contesting candidates under section 38 for the election and shall be valid till forty-eight hours before the hour fixed for poll for such election.

(*3*) The allocation of equitable sharing of time under sub-section (*1*) shall be binding on all political parties concerned.

(*4*) The Election commission may, for the purposes of this section, make code of conduct for cable operators and electronic media and the cable operators and every person managing or responsible for the management of the electronic media shall abide by such code of conduct.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "electronic media" includes radio and any other broadcasting media notified by the Central Government in the Official gazette;

(*b*) "cable television network" and "cable operator" have the meanings respectively assigned to them under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995).]

CHAPTER II.—*Candidates and their agents*

[4][**40. Election agents.**—A candidate at an election may appoint in the prescribed manner any one person other than himself to be his election agent and when any such appointment is made, notice of the appointment shall be given in the prescribed manner to the returning officer.]

[5][**41. Disqualification for being an election agent.**—Any person who is for the time being disqualified under the Constitution or under this Act for being a member of either House of Parliament or the House or either House of the Legislature of a State or for voting at elections, shall, so long as the disqualification subsists, also be disqualified for being an election agent at any election.]

1. Ins. by Act 47 of 1966, s. 30 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Cl. (*aa*) relettered as cl. (*ab*) by Act 1 of 1989, s. 8 (w.e.f. 1-4-1989).
3. Ins. by Act 46 of 2003, s. 3 (w.e.f. 24-9-2003).
4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 23, for s. 40 (w.e.f. 28-8-1956).
5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 31, for s. 41 (w.e.f. 14-12-1966).

[1][[2][(कख)] किसी राज्य की विधान परिषद् के उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में धारा 36 की उपाधारा (2) के खंड (क) का, अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (घ) के प्रति निर्देश आता है;]

(ख) धारा 30 के प्रति जो कोई निर्देश उक्त उपबंधों में हैं उनका अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे उस धारा की उपधारा (1) के प्रति निर्देश हैं, तथा

(ग) रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन-पत्र के उपस्थित किए जाने के समय उसे पेश करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्वाचक नामावली की या निर्वाचक नामावली के उस भाग की जिसमें अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित है एक प्रति अथवा ऐसी निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति उपस्थित करे।]

[3][**39क. समय की साम्यापूर्ण भागीदारी का आबंटन**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों के दौरान, किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के पूर्व प्रदर्शन के आधार पर, केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय की साम्यापूर्ण भागीदारी का आबंटन ऐसी रीति से करेगा जो किसी निर्वाचन विषय के संप्रदर्शन या प्रचार के लिए या किसी निर्वाचन के संबंध में जनता को संबोधित करने के लिए, विहित की जाए।

(2) किसी निर्वाचन के संबंध में, उपधारा (1) के अधीन समय की साम्यापूर्ण भागीदारी का आबंटन, निर्वाचन के लिए धारा 38 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के पश्चात्, किया जाएगा और वह ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान के लिए नियत समय के अड़तालीस घंटे पूर्व तक विधिमान्य होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन समय की साम्यापूर्ण भागीदारी का आबंटन सभी संबंधित राजनैतिक दलों पर आबद्धकर होगा ।

(4) निर्वाचन आयोग, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केबल आपरेटरों और इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिए आचार संहिता बना सकेगा और केबल आपरेटर तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया का प्रबंध करने वाला या प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी आचार संहिता का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "इलैक्ट्रानिक मीडिया" के अंतर्गत रेडियो और कोई अन्य प्रसारण मीडिया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो;

(ख) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" और "केबल आपरेटर" के वही अर्थ हैं जो क्रमश: उनके केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) में हैं।]

अध्याय 2—अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता

[4][**40. निर्वाचन अभिकर्ता**—निर्वाचन में अभ्यर्थी अपने से भिन्न किसी एक व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और जबकि ऐसी कोई नियुक्ति की जाए तब उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को विहित रीति में दी जाएगी।]

[5][**41. निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए निरर्हता**—कोई भी व्यक्ति, जो संविधान के अधीन या इस अधिनियम के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी का या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का या दोनों सदनों में से किसी का सदस्य होने या रहने के लिए, या निर्वाचनों में मत देने के लिए तत्समय निरर्हित है, तब तक जब तक कि निरर्हता विद्यमान है, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए भी निरर्हित होगा।]

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 30 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 8 द्वारा (1-4-1989 से) खंड (कक) खंड (कख) के रूप में पुन:संख्यांकित।
3. 2003 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 3 द्वारा (24-9-2003 से) अंत:स्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 23 द्वारा धारा 40 के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित ।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 31 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 41 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

42. Revocation of the appointment, or death, of an election agent.—(*1*) Any revocation of the appointment of an election agent, [1]*** shall be signed by the candidate, and shall operate from the date on which it is lodged with the returning officer.

[2][(*2*) In the event of such a revocation or of the death of an election agent whether that event occurs before or during the election, or after the election but before the account of the candidate's election expenses has been lodged in accordance with the provisions of section 78, the candidate may appoint in the prescribed manner another person to be his election agent and when such appointment is made notice of the appointment shall be given in the prescribed manner to the returning officer.]

43. [*Effect of default in appointment of election agent under section* 42.] *Rep. by the Representation of the People* (*Second Amendment*) *Act,* 1956 (27 *of* 1956), *s.* 25.

44. [*Duty of the election agent to keep accounts*.] *Rep. by s*. 25, *ibid.*

[3][**45. Functions of election agents.**—An election agent may perform such functions in connection with the election as are authorised by or under this Act to be performed by an election agent.]

[4][**46. Appointment of polling agents.**—A contesting candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner such number of agents and relief agents as may be prescribed to act as polling agents of such candidate at each polling station provided under section 25 or at the place fixed under sub-section (*1*) of section 29 for the poll.]

[5][**47. Appointment of counting agents.**—A contesting candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner one or more persons, but not exceeding such number as may be prescribed, to be present as his counting agent or agents at the counting of votes, and when any such appointment is made notice of the appointment shall be given in the prescribed manner to the returning officer.]

48. Revocation of the appointment or death of a polling agent or counting agent.—(*1*) Any revocation of the appointment of a polling agent shall be signed by the candidate or his election agent and shall operate from the date on which it is lodged with such officer as may be prescribed, and in the event of such a revocation or of the death of a polling agent before the close of the poll, the candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner another polling agent at any time before the poll is closed and shall forthwith give notice of such appointment in the prescribed manner to such officer as may be prescribed.

(*2*) Any revocation of the appointment of a counting agent shall be signed by the candidate or his election agent and shall operate from the date on which it is lodged with the returning officer, and in the event of such a revocation or of the death of a counting agent before the commencement of the counting of votes, the candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner another counting agent at any time before the counting of votes is commenced and shall forthwith give notice of such appointment in the prescribed manner to the returning officer.

49. Functions of polling agents and counting agents.—(*1*) A polling agent may perform such functions in connection with the poll as are authorised by or under this Act to be performed by a polling agent.

(*2*) A counting agent may perform such functions in connection with the counting of votes as are authorised by or under this Act to be performed by a counting agent.

50. Attendance of contesting candidate or his election agent at polling stations, and performance by him of the functions of a polling agent or counting agent.—(*1*) At every election where a poll is taken, each [6][contesting candidate] at such election and his election agent shall have a right to be present at any polling station provided under section 25 for the taking of the poll or at the place fixed under sub-section (*1*) of section 29 for the poll.

---

1. The words "whether he be the candidate himself or not" omitted by Act 27 of 1956, s. 24 (w.e.f. 28-8-1956).
2. Subs. by s. 24, *ibid.,* for sub-section (*2*) (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by s. 26, *ibid.,* for s. 45 (w.e.f. 28-8-1956).
4. Subs. by s. 27, *ibid.,* for s. 46 (w.e.f. 28-8-1956).
5. Subs. by s. 28, *ibid.,* for s. 47 (w.e.f. 28-8-1956).
6. Subs. by Act 58 of 1958, s. 20, for "candidate" (w.e.f. 30-12-1958).

42. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु—(1) निर्वाचन अभिकर्ता [1]***की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटर्निंग आफिसर के पास दाखिल किया जाए।

[2][(2) ऐसे प्रतिसंहरण की या निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में चाहे वह घटना निर्वाचन के पूर्व या दौरान या निर्वाचन के पश्चात् किन्तु अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखाओं की धारा 78 के उपबंधों के अनुसार दाखिल किए जाने के पूर्व हुई हो, अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता, विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और जबकि ऐसी नियुक्ति हो जाए, तब उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को विहित रीति में दी जाएगी।]

43. [धारा 42 के अन्तर्गत निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की त्रुटि पर प्रभाव।]—लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) की धारा 25 द्वारा निरसित।

44 [निर्वाचन अभिकर्ता का लेखा रखने का कृत्य।]—लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) की धारा 25 द्वारा निरसित।

[3][**45. निर्वाचन अभिकर्ताओं के कृत्य**—निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए जाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत हैं।]

[4][**46. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति**—निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता इतनी संख्या में अभिकर्ता और अवमुक्ति अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा जितनी धारा 25 के अधीन उपबंधित हर एक मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए विहित की जाए ।]

[5][**47. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति**—निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता एक या अधिक किन्तु ऐसी संख्या से अनधिक, जैसी विहित की जाए, व्यक्तियों को अपने गणन अभिकर्ताओं या अभिकर्ताओं के रूप में मतों की गणना के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और जबकि ऐसी कोई नियुक्ति की जाए तब उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को विहित रीति में दी जाएगी ।]

48. मतदान अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु—(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह ऐसे आफिसर के पास, जैसा विहित किया जाए, दाखिल किया गया है और मतदान के बंद होने के पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान बन्द होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा मतदान अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना विहित रीति में ऐसे आफिसर को तक्षण देगा जैसा विहित किया जाए ।

(2) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटर्निंग आफिसर के पास दाखिल किया गया है और मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या गणन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा गणन अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को विहित रीति में तक्षण देगा ।

49. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य—(1) मतदान अभिकर्ता मतदान से संसक्त ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसों का मतदान अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

(2) गणन अभिकर्ता मतों की गणना से संसक्त ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसों का गणन अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है ।

50. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का उसके द्वारा पालन—(1) हर ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है ऐसे निर्वाचन में के हर एक [6][निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी] और उसके निर्वाचन अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह मतदान के लिए धारा 25 के अधीन उपबंधित किसी भी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत किसी भी स्थान में उपस्थित रहे।

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 24 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 24 द्वारा (28-8-1956 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 26 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 27 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 46 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 28 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 47 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 20 द्वारा (30-12-1958 से) "अभ्यर्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*2*) A [1][contesting candidate] or his election agent may himself do any act or thing which any polling agent or the counting agent of such [1][contesting candidate] if appointed, would have been authorised by or under this Act to do, or may assist any polling agent or the counting agent of such [1][contesting candidate] in doing any such act or thing.

51. Non-attendance of polling or counting agents.—Where any act or thing is required or authorised by or under this Act to be done in the presence of the polling or counting agents, the non-attendance of any such agent or agents at the time and place appointed for the purpose shall not, if the act or thing is otherwise duly done, invalidate the act or thing done.

CHAPTER III.—*General Procedure at Elections*

[2][**52. Death of candidate of reorganised political party before poll.**—(*1*) If a candidate, set up by a recognised political party,—

(*a*) dies at any time after 11 A.M. on the last date for making nomination and his nomination is found valid on scrutiny under section 36; or

(*b*) whose nomination has been found valid on scrutiny under section 36 and who has not withdrawn his candidature under section 37 dies,

and in either case, a report of his death is received at any time before the publication of the list of contesting candidate under section 38; or

(*c*) dies as a contesting candidate and a report of his death is received before the commencement of the poll,

the returning officer shall, upon being satisfied about the fact of the death of the candidate, by order, announce an adjournment of the poll to a date to be notified later and report the fact to the Election Commission and also to the appropriate authority:

Provided that no order for adjourning a poll should be made in a case referred to in clause (*a*) except after the scrutiny of all the nominations including the nomination of the deceased candidate.

(*2*) The Election Commission shall, on receipt of a report from the returning officer under sub-section (*1*), call upon the recognised political party, whose candidate has died, to nominate another candidate for the said poll within seven days of issue of such notice to such recognised political party and the provisions of sections 30 to 37 shall, so far as may be, apply in relation to such nomination as they would apply to other nominations:

Provided that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-section (*1*) of section 37 before the adjournment of the poll shall be ineligible for being nominated as a candidate for election after such adjournment.

(*3*) Where a list of contesting candidates had been published under section 38 before the adjournment of the poll under sub-section (*1*), the returning officer shall again prepare and publish a fresh list of contesting candidates under that section so as to include the name of the candidate who has been validly nominated under sub-section (*2*).

Explanation.—For the purposes of this section, sections 33 and 38, "recognised political party" means a political party reorganised by the Election Commission under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.]

---

1. Subs. by Act 58 of 1958, s. 20, for "candidate" (w.e.f. 30-12-1958).
2. Subs. by Act 21 of 1996, s. 9 for section 52 (w.e.f.1-8-1996).

(2) [1][निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी] या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं वह कार्य या बात कर सकेगा जिसे यदि ऐसे [1][निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी] या कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त किया गया होता तो वह उसे करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत होता या ऐसे [1][निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी] के किसी भी मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की किसी ऐसे कार्य या बात करने में सहायता कर सकेगा ।

51. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी—जहां कि कोई कार्य या बात मतदान या गणन अभिकर्ता की उपस्थिति में किए जाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहां उस प्रयोजन के लिए नियत समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी उस किए गए कार्य या बात को, यदि वह कार्य या बात अन्यथा सम्यक् रूप से की गई, अविधिमान्य नहीं करेगी ।

अध्याय 3—निर्वाचनों में साधारण प्रक्रिया

[2][**52. मतदान के पूर्व मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी की मृत्यु**—(1) यदि ऐसे अभ्यर्थी की, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है,—

(क) नामनिर्देशन करने के अंतिम तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे के पश्चात् किसी समय मृत्यु हो जाती है और उसका नामनिर्देशन धारा 36 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है; या

(ख) जिसका नामनिर्देशन धारा 36 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है और जिसने धारा 37 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, मृत्यु हो जाती है,

और दोनों में से प्रत्येक दशा में, उसकी मृत्यु की रिपोर्ट, धारा 38 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के पूर्व किसी समय, प्राप्त हो जाती है; या

(ग) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट, मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है,

तो रिटर्निंग आफिसर, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर, आदेश द्वारा, उस तारीख तक जो बाद में अधिसूचित की जाएगी, मतदान के स्थगन की घोषणा करेगा और इस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को और समुचित प्राधिकारी को भी करेगा:

परंतु खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में, मतदान का स्थगन करने वाला कोई आदेश, सभी नामनिर्देशनों की, जिनके अंतर्गत मृत अभ्यर्थी का नामनिर्देशन है, संवीक्षा के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग आफिसर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से, जिसके अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई है, उक्त मतदान के लिए ऐसे राजनैतिक दल को ऐसी सूचना के जारी किए जाने से सात दिन के भीतर किसी अन्य अभ्यर्थी को नामनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा करेगा और धारा 30 से धारा 37 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे नामनिर्देशन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अन्य नामनिर्देशनों के संबंध में लागू होते:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने मतदान का स्थगन किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दे दी है, ऐसा स्थगन किए जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा।

(3) जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कोई सूची, उपधारा (1) के अधीन मतदान के स्थगन के पूर्व, धारा 38 के अधीन, प्रकाशित की गई थी वहां रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की नई सूची उस धारा के अधीन नए सिरे से तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा जिसमें कि उस अभ्यर्थी का नाम, जिसे उपधारा (2) के अधीन विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है, सम्मिलित किया जा सके।

स्पष्टीकरण—इस धारा, धारा 33 और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है।]

---

1. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 20 द्वारा (30-12-1958 से) "अभ्यर्थी के स्थान पर (1-8-1966 से) प्रतिस्थापित।

2. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 9 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 52 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

53. Procedure in contested and uncontested elections.—[1][(*1*) If the number of contesting candidates is more than the number of seats to be filled, a poll shall be taken.]

(*2*) If the number of such candidates is equal to the number of seats to be filled, the returning officer shall forthwith declare all such candidates to be duly elected to fill those seats.

(*3*) If the number of such candidates is less than the number of seats to be filled, the returning officer shall forthwith declare all such candidates to be elected and the [2][Election Commission] shall, by notification in the Official Gazette, call upon the constituency or the elected members or the members of the State Legislative Assembly or the members of the electoral college concerned [3]***, as the case may be, to elect a person or persons to fill the remaining seat or seats [4]*** :

Provided that where the constituency or the elected members or the members of the State Legislative Assembly or the members of the electoral college [3]*** having already been called upon under this sub-section, has or have failed to elect a person or the requisite number of persons, as the case may be, to fill the vacancy or vacancies, the [2][Election Commission] shall not be bound to call again upon the constituency, or such members to elect a person or persons [5][until it is satisfied that if called upon again, there will be no such failure on the part of the constituency or such members].

54. [S*pecial procedure at elections in constituencies where seats are reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes.*] *Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1961 (40 *of* 1961), *s.* 12 (*w.e.f.* 20-9-1961).

55. Eligibility of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes to hold seats not reserved for those castes or tribes.—For the avoidance of doubt it is hereby declared that a member of the Scheduled Castes or of the Scheduled Tribes shall not be disqualified to hold a seat not reserved for members of those castes or tribes, if he is otherwise qualified to hold such seats under the Constitution and this Act [6][or under the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), as the case may be.]

[7][55A. [*Retirement from contest at elections in Parliamentary and Assembly constituencies.*] *Omitted by the Representation of the People* (*Amendment*) *Act*, 1958 (58 *of* 1958), *s.* 22.

CHAPTER IV.—*The Poll*

56. Fixing time for poll.—The [8][Election Commission] shall fix the hours during which the poll will be taken; and the hours so fixed shall be published in such manner as may be prescribed:

Provided that the total period allotted on any one day for polling at an election in [9][a Parliamentary or Assembly constituency] shall not be less than eight hours.

57. Adjournment of poll in emergencies.—(*1*) If at an election the proceedings at any polling station provided under section 25 or at the place fixed under sub-section (*1*) of section 29 for the poll are interrupted or obstructed by any riot or open violence, or if at an election it is not possible to take the poll at any polling station or such place on account of any natural calamity, or any other sufficient cause, the presiding officer for such polling station or the returning officer presiding over such place, as the case may be, shall announce an adjournment of the poll to a date to be notified later, and where the poll is so adjourned by a presiding officer, he shall forthwith inform the returning officer concerned.

---

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 30, for sub-section (*1*) (w.e.f. 28-8-1956).
2. Subs. by s. 30, *ibid.,* for "appropriate authority" (w.e.f. 28-8-1956).
3. The words "or the elected members of the Coorg Legislative Council" omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and the Fifth Sch. (w.e.f. 6-9-1951).
4. The words "before such date as may be appointed in this behalf by the Election Commission and specified in the notification" omitted by Act 27 of 1956, s. 30 (w.e.f. 28-8-1956).
5. Subs. by s. 30, *ibid.,* for "until such date as the Election Commission may specify in this behalf" (w.e.f. 28-8-1956).
6. Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956. (w.e.f. 1-11-1956).
7. Omitted by Act 58 of 1958, s. 22, (w.e.f. 20-9-1961).
8. Subs. by Act 27 of 1956, s. 34, for "appropriate authority" (w.e.f. 28-8-1956).
9. Subs. by Act 58 of 1958, s. 23, for "a constituency" (w.e.f. 30-12-1958).

53. सविरोध और अविरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया—[1][(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक है, तो मतदान होगा।]

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर है, तो रिटर्निंग आफिसर तक्षण ऐसे सभी अभ्यर्थियों के उन स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा।

(3) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है, तो रिटर्निंग आफिसर तक्षण ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित कर देगा और [2][निर्वाचन आयोग,] यथास्थिति, सम्पृक्त निर्वाचन-क्षेत्र से या निर्वाचित सदस्यों से या राज्य की विधान सभा के सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों से [3]*** शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वे शेष स्थान या स्थानों को भरने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करें [3]*** :

परंतु जहां कि निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचित सदस्यों या राज्य विधान सभा के सदस्यों या निर्वाचकगण के सदस्यों से [3]*** इस उपधारा के अधीन पहले ही ऐसी अपेक्षा की जा चुकी है और वह या वे रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में, यथास्थिति, व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करने में असफल रहा है या रहे हैं वहां [2][निर्वाचन आयोग] व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचित क्षेत्र से या ऐसे सदस्यों से पुनः अपेक्षा करने के लिए तब तक आबद्ध न होगा [5][जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता कि यदि उससे या उनसे पुनः अपेक्षा की गई तो ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र या ऐसे सदस्य ऐसे असफल न रहेगा या न रहेंगे]।

54. [अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जहां स्थान आरक्षित हैं वहां निर्वाचन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों में विशेष प्रक्रिया ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 40) की धारा 2 द्वारा (20-9-1961 से) निरसित।

55. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं हैं उन्हें धारण करने की उन जातियों या जनजातियों के सदस्यों की पात्रता—शंका के परिवर्जन के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों का या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य किसी ऐसे स्थान को जो उन जातियों या जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं हैं, धारण करने के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि वह, [6][यथास्थिति,] संविधान और इस अधिनियम के [6][या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 49)] के अधीन उस स्थान को धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है ।

[7]**55.क. [संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन लड़ने से निवृत्त होना ।]**—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1958 (1958 का 58) की धारा 22 द्वारा निरसित ।

अध्याय 4—मतदान

56. मतदान के लिए समय नियत करना—[8][निर्वाचन आयोग] ऐसा समय नियत करेगा जिसके दौरान मतदान होगा और ऐसा नियत समय ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जैसा विहित किया जाए:

परंतु [9][संसदीय या सभा के निर्वाचन-क्षेत्र] में निर्वाचन के लिए मतदान के लिए आबंटित कुल कालावधि किसी एक दिन में आठ घंटों से कम की न होगी ।

57. आपात में मतदान का स्थगन—(1) यदि निर्वाचन में धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना संभव नहीं है, तो, यथास्थिति, ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन आफिसर या ऐसे स्थान में पीठासीन रिटर्निंग आफिसर मतदान को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने का आख्यापन करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और जहां कि मतदान पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसे स्थगित किया जाता है, वहां वह संयुक्त रिटर्निंग आफिसर को तक्षण इत्तिला देगा ।

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 30 द्वारा (28-8-1956 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 30 द्वारा (28-8-1956 से) ''समुचित प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1951 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (6-9-1951 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 30 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 30 द्वारा (28-8-1956 से) ''जब तक कि निर्वाचन आयोग इस निमित ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करे'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित। 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 32 द्वारा ''या भाग व राज्यों की सरकार अधिनियम, 1951 (1951 का 49) के अधीन जैसी भी स्थिति हो ''अंतःस्थापित शब्दों का विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा लोप किया गया।
7. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 22 द्वारा (20-9-1961 से) लोप किया गया।
8. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 34 द्वारा (28-8-1956 से) ''समुचित प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 23 द्वारा (30-12-1958 से) ''निर्वाचन-क्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*2*) Whenever a poll is adjourned under sub-section (*1*), the returning officer shall immediately report the circumstances to the appropriate authority and the Election Commission, and shall, as soon as may be, with the previous approval of the Election Commission, appoint the day on which the poll shall recommence, and fix the polling station or place at which and the hours during which the poll will be taken and shall not count the votes cast at such election until such adjourned poll shall have been completed.

(*3*) In every such case as aforesaid; the returning officer shall notify in such manner as the Election Commission may direct the date, place and hours of polling fixed under sub-section (*2*).

[1][**58. Fresh poll in the case of destruction, etc., of ballot boxes.**—(*1*) If at any election,—

(*a*) any ballot box used at a polling station or at a place fixed for the poll is unlawfully taken out of the custody of the presiding officer or the returning officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost, or is damaged or tampered with, to such an extent, that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained; or

[2][(*aa*) any voting machine develops a mechanical failure during the course of the recording of votes; or]

(*b*) any such error or irregularity in procedure as is likely to vitiate the poll is committed at a polling station or at a place fixed for the poll,

the returning officer shall forthwith report the matter to the Election Commission.

(*2*) Thereupon the Election Commission shall, after taking all material circumstances into account; either—

(*a*) declare the poll at that polling station or place to be void, appoint a day, and fix the hours, for taking a fresh poll at that polling station or place and notify the day so appointed and the hours so fixed in such manner as it may deem fit, or

(*b*) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station or place will not, in any way, affect the result of the election or that [2][the mechanical failure of the voting machine or] the error or irregularity in procedure is not material, issue such directions to the returning officer as it may deem proper for the further conduct and completion of the election.

(*3*) The provisions of this Act and of any rules or orders made thereunder shall apply to every such fresh poll as they apply to the original poll.]

[3][**58A. Adjournment of poll or countermanding of election on the ground of booth capturing.**—(*1*) If at any election,—

(*a*) booth capturing has taken place at a polling station or at a place fixed for the poll (hereafter in this section referred to as a place) in such a manner that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained; or

1. Subs. by Act 40 of 1961, s. 13, for s. 58 (w.e.f. 20-9-1961).
2. Ins. by Act 1 of 1989, s. 9 (w.e.f. 15-3-1989).
3. Ins. by s. 10, *ibid.* (w.e.f. 15-3-1989).

(2) जब कभी मतदान उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से यथाशक्य शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिसको मतदान पुन: प्रारम्भ होगा और वह मतदान केन्द्र या स्थान जहां, और वह समय जिसके भीतर मतदान होगा, नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में दिए गए मतों की गणना तब तक न करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो ।

(3) रिटर्निंग आफिसर यथापूर्वोक्त हर मामले में, मतदान के लिए वह तारीख, स्थान और समय, जो उपधारा (2) के अधीन नियत की गई या किया गया है, ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

[1][**58. मतपेटियों के विनष्ट होने आदि की दशा में नया मतदान**—(1) यदि किसी निर्वाचन में—

(क) मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है या कर दी जाती है या खो जाती है या खो दी जाती है अथवा इस विस्तार तक उसे नुकसान पहुंचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, अथवा

[2][(कक) किसी मतदान मशीन में अभिलिखित करने के अनुक्रम में कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है, अथवा]

(ख) मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए,

तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तक्षण करेगा ।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, या तो—

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या कि [2][मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता याट प्रक्रिया संबंधी गलती] या अनियमितता तात्विक नहीं है, तो रिटर्निंग आफिसर को उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरा किए जाने के लिए ऐसे निदेश देगा जैसे वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबंध हर ऐसे नए मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू हैं ।]

[3][**58क. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना**—(1) यदि किसी निर्वाचन में,—

(क) किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्थान कहा गया है) बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र या स्थान में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है; अथवा

1. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 13 द्वारा (20-9-1961 से) धारा 58 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 9 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित।
3. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 10 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित।

(*b*) booth capturing takes place in any place for counting of votes in such a manner that the result of the counting at that place cannot be ascertained,

the returning officer shall forthwith report the matter to the Election Commission.

(*2*) The Election Commission shall, on the receipt of a report from the returning officer under sub-section (*1*) and after taking all material circumstances into account, either—

(*a*) declare that the poll at that polling station or place be void, appoint a day, and fix the hours, for taking fresh poll at that polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner as it may deem fit; or

(*b*) if satisfied that in view of the large number of polling stations or places involved in booth capturing the result of the election is likely to be affected, or that booth capturing had affected counting of votes in such a manner as to affect the result of the election, countermand the election in that constituency.

Explanation.—In this section, "booth capturing" shall have the same meaning as in section 135A.]

59. Manner of voting at elections.—At every election where a poll is taken votes shall be given by ballot in such manner as may be prescribed, [1][and, save as expressly provided by this Act, no votes shall be received by proxy:]

[2][Provided that the votes at every election to fill a seat or seats in the Council of States shall be given by open ballot.]

[3][**60. Special procedure for voting by certain classes of persons.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 59, provision may be made, by rules made under this Act, for enabling,—

(*a*) any of the persons as is referred to in cl ause (*a*) or clause (*b*) of sub-section (*8*) of section 20 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) (hereafter in this section referred to as the 1950-Act) to give his vote either in person or by postal ballot or by proxy, and not in any other manner, at an election in a constituency where poll is taken;

(*b*) any of the following persons to give his vote either in person or by postal ballot, and not in any other manner, at an election in a constituency where a poll is taken, namely:—

(*i*) any person as is referred to in clause (*c*) or clause (*d*) of sub-section (*8*) of section 20 of the 1950-Act;

(*ii*) the [4][spouse] of any such person to whom the provisions of sub-section (*3*) of section 20 of the 1950-Act apply and such [4][spouse] being ordinarily residing with that person in terms of sub-section (*6*) of that section;

(*c*) any person belonging to a class of persons notified by the Election Commission in consultation with the Government to give his vote by postal ballot, and not in any other manner, at an election in a constituency where a poll is taken subject to the fulfilment of such requirements as may be specified in those rules.

(*d*) any person subjected to preventive detention under any law for the time being in force to give his vote by postal ballot, and not in any other manner, at an election in a constituency where a poll is taken, subject to the fulfilment of such requirements as may be specified in those rules.]

1. Subs. by Act 24 of 2003, s. 2 for certain words (w.e.f. 22-9-2003).
2. Ins. by Act 40 of 2003, s. 3, (w.e.f. 28-8-2003).
3. Subs. by Act 24 of 2003, s. 3, for s. 60 (w.e.f. 22-9-2003).
4. Subs. by Act 49 of 2021, s. 6, for "wife" (w.e.f. 1-8-2022).

(ख) किसी मतगणना स्थान पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है,

तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तक्षण करेगा ।

(2) निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर से उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सब तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर या तो,—

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को, शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए सिरे से मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी वह ठीक समझे; अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बलात् ग्रहण को देखते हुए, निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है या यह कि बूथों के बलात् ग्रहण का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, तो वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "बूथों के बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।]

59. निर्वाचनों में मत देने की रीति—ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में मत दिए जाएंगे जैसी विहित की जाए [1][और इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, कोई मत परोक्षी के माध्यम से नहीं लिया जाएगा]:

[2][परन्तु राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन में खुले मतपत्र द्वारा मत दिए जाएंगे।]

[3][**60. कुछ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मत दिए जाने के लिए विशेष प्रक्रिया**—धारा 59 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा,--

(क) किसी व्यक्ति को, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् 1950 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है, निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में, स्वयं या डाक मतपत्र द्वारा या परोक्षी द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में ;

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, स्वयं या डाक-मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में, अर्थात् :—

(i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट है ;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसको 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, [4][पति या पत्नी] और जो [4][पति या पत्नी] उस धारा की उपधारा (6) के निबंधनों के अनुसार उस व्यक्ति के साथ मामूली तौर पर निवास कर रही हो ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग का व्यक्ति हो, जो निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया गया है, निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए, जैसी उन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, डाक मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में ;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन है, निर्वाचन-क्षेत्र के ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए, जैसी उन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, डाक मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में,

समर्थ बनाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।]

---

1. 2003 के अधिनियम सं॰ 24 की धारा 2 द्वारा (22-9-2003 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2003 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 3 द्वारा (28-8-2003 से) अंत:स्थापित।
3. 2003 के अधिनियम सं॰ 24 की धारा 3 द्वारा (22-9-2003 से) धारा 60 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 6 द्वारा (1-8-2022 से) ''पत्नी'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][**61. Special procedure for preventing personation of electors.**—With a view to preventing personation of electors provision may be made by rules made under this Act:—

(*a*) for the marking with indelible ink of the thumb or any other finger of every elector who applies for a ballot paper or ballot papers for the purpose of voting at a polling station before delivery of such paper or papers to him;

(*b*) for the production before the presiding officer or a polling officer of a polling station by every such elector as aforesaid of his identity card before the delivery of a ballot paper or ballot papers to him if under rules made in that behalf under the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), electors of the constituency in which the polling station is situated have been supplied with identity cards with or without their respective photographs attached thereto; and

(*c*) for prohibiting the delivery of any ballot paper to any person for voting at a polling station if at the time such person applies for such paper he has already such a mark on his thumb or any other finger or does not produce on demand his identity card before the presiding officer or a polling officer of the polling station.]

[2][**61A. Voting machines at elections.**—Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission may, having regard to the circumstances of each case, specify.

Explanation.—For the purpose of this section, "voting machine" means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise used for giving or recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in this Act or the rules made thereunder shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used at any election.]

62. Right to vote.—(*1*) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of by any constituency shall be entitled to vote in that constituency.

(*2*) No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(*3*) No person shall vote at a general election in more than one constituency of the same class, and if a person votes in more than one such constituency, his votes in all such constituencies shall be void.

(*4*) No person shall at any election vote in the same constituency more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.

1. Subs. by Act 58 of 1958, s. 25, for s. 61 (w.e.f. 30-12-1958).
2. Ins. by Act 1 of 1989, s. 11 (w.e.f. 15-3-1989).

[1][**61. निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने के लिए विशेष प्रक्रिया**—इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण किया जा सके,—

(क) ऐसे हर निर्वाचक के, जो मतदान केन्द्र में मत देने के प्रयोजन के लिए मतपत्र या मतपत्रों के लिए आवेदन करता है, अंगूठे या किसी दूसरी अंगुली को अमिट स्याही से, उसे ऐसे पत्र या ऐसे पत्रों के परिदान के पूर्व, चिह्नित करने के लिए,

(ख) यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के अधीन उस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन, उस निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मतदान केन्द्र स्थित है, अभ्यर्थियों को अभिज्ञान-पत्र उन पर संलग्न उनके अपने फोटोग्राफों के सहित या उनके बिना दिए गए हैं तो यथोपरोक्त ऐसे हर निर्वाचक को मतपत्र या मतपत्रों के परिदान के पूर्व, उसके द्वारा मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर के समक्ष अपना अभिज्ञान-पत्र पेश किए जाने के लिए, तथा

(ग) यदि जिस समय ऐसा व्यक्ति ऐसे मतपत्र के लिए आवेदन करता है उस समय उसके अंगूठे या किसी दूसरी अंगुली पर ऐसा चिह्न पहले से ही है या वह मांग पर अपने अभिज्ञान-पत्र को मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर के समक्ष पेश नहीं करता तो वैसे किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में मत देने के लिए किसी मतपत्र के परिदान का प्रतिषेध करने के लिए,

उपबंध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किया जा सकेगा ।]

[2][**61.क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें**—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मतदान मशीनों से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, मत देना और अभिलिखित करना ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों में अंगीकार किया जा सकेगा जो निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "मतदान मशीन" से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलैक्ट्रानिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हों और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए, नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है ।]

62. मत देने का अधिकार—(1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टत: उपबंधित के सिवाय उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है ।

(3) कोई भी व्यक्ति साधारण निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक में मत न देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में मत दे, तो ऐसे सब निर्वाचन-क्षेत्रों में के उसके मत शून्य होंगे ।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी, मत न देगा कि उसका नाम उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है, तो उस निर्वाचन-क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे ।

---

1. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 25 द्वारा (30-12-1958 से) धारा 61 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 11 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित।

(*5*) No person shall vote at any election if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the police:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force:

[1][Provided further that by reason of the prohibition to vote under this sub-section, a person whose name has been entered in the electoral roll shall not cease to be an elector.]

[2][(*6*) Nothing contained in sub-sections (*3*) and (*4*) shall apply to a person who has been authorised to vote as proxy for an elector under this Act in so far as he votes as a proxy for such elector.]

63. [*Method of voting.*] *omitted by the Representation of the People* (*Amendment*) *Act*, 1961 (40 *of* 1961), s. 14 (*w.e.f.* 20-9-1961).

CHAPTER V.—*Counting of Votes*

64. Counting of votes.—At every election where a poll is taken, votes shall be counted by, or under the [3][supervision and direction] of, the returning officer, and each [4][contesting candidate], his election agent and his [5][counting agents], shall have a right to be present at the time of counting.

[6][**64A. Destruction, loss, etc., of ballot papers at the time of counting.**—(*1*) If at any time before the counting of votes is completed any ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the returning officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with, to such an extent that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained, the returning officer shall forthwith report the matter to the Election Commission.

(*2*) Thereupon, the Election Commission shall, after taking all material circumstances into account, either—

(*a*) direct that the counting of votes shall be stopped, declare the poll at that polling station or place to be void, appoint a day, and fix the hours, for taking a fresh poll at that polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner as it may deem fit, or

(*b*) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station or place will not, in any way, affect the result of the election, issue such directions to the returning officer as it may deem proper for the resumption and completion of the counting and for the further conduct and completion of the election in relation to which the votes have been counted.

(*3*) The provisions of this Act and of any rules or orders made thereunder shall apply to every such fresh poll as they apply to the original poll.]

65. Equality of votes.—If, after the counting of the votes is completed, an equality of votes is found to exist between any candidates, and the addition of one vote will entitle any of those candidates to be declared elected, the returning officer shall forthwith decide between those candidates by lot, and proceed as if the candidate on whom the lot falls had received an additional vote.

66. Declaration of results.—When the counting of the votes has been completed, the returning officer [7][shall, in the absence of any direction by the Election Commission to the contrary, forthwith declare] the result of the election in the manner provided by this Act or the rules made thereunder.

67. Report of the result.—As soon as may be after the result of an election has been declared, the returning officer shall report the result to the appropriate authority and the Election Commission, and in the case of an election to a House of Parliament or of the Legislature of a State also to the Secretary of that House, and the appropriate authority shall cause to be published in the Official Gazette the declarations containing the names of the elected candidates.

---

1. Ins. by Act 29 of 2013, s. 3 (w.e.f. 10-7-2013).
2. Ins. by Act 24 of 2003, s. 4 (w.e.f. 22-9-2003).
3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 36, for "supervision" (w.e.f. 28-8-1956).
4. Subs. by Act 58 of 1958, s. 26, for "candidate" (w.e.f. 30-12-1958).
5. Subs. by Act 27 of 1956, s. 36, for "counting agent"(w.e.f. 28-8-1956).
6. Ins. by Act 47 of 1966, s. 34 (w.e.f. 14-12-1966).
7. Subs. by s. 35, *ibid.,* for "shall forthwith declare" (w.e.f. 14-12-1966).

(5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन या अन्यथा कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्ति को लागू न होगी:

[1][परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जा चुका है, इस उपधारा के अधीन मत देने पर प्रतिषेध के कारण, मतदाता होने से प्रविरत नहीं होगा।]

[2][(6) उपधारा (3) और उपधारा (4) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप मे मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।]

63. [**मतदान पद्धति ।**]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 40) की धारा 14 द्वारा (20-9-1961 से) निरसित ।

अध्याय 5—मतों की गणना

64. मतों की गणना—ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके [3][पर्यवेक्षण और निदेशन] के अधीन की जाएगी और हर एक [4][विरोधी अभ्यर्थी] का, उसके निर्वाचन अभिकर्ता का और उसके [5][गणन अभिकर्ताओं] का यह अधिकार होगा कि वे गणना के समय उपस्थित रहें ।

[6][**64क. गणना के समय मतपत्रों का विनाश, हानि, आदि**—(1) यदि मतों की गणना समाप्त होने से पूर्व, किसी भी समय किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर उपयोग में लाए गए कोई मतपत्र निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल लिए जाते हैं अथवा घटनावश या साशय विनष्ट हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं या खो जाते हैं अथवा इस विस्तार तक उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तक्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, या तो—

(क) निदेश देगा कि मतों की गणना बंद की जाए, घोषणा करेगा कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर का मतदान शून्य है उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान के लिए कोई दिन और समय नियत करेगा तथा ऐसी नियत तारीख और ऐसा नियत समय ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा तो रिटर्निंग आफिसर को गणना के पुनरारम्भ और पूरे किए जाने के लिए और उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरे किए जाने के लिए जिसके बारे में मतों की गणना की गई है ऐसे निदेश देगा, जैसे वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंध हर ऐसे नए मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू हैं।]

65. मत बराबर होना—यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् यह पता चलता है कि किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में से एक मत जोड़ दिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार हो जाएगा तो रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा तक्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के हक में लाट निकली है उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है ।

66. निर्वाचन परिणाम की घोषणा—जब मतों की गणना समाप्त हो जाए तब रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन परिणाम को [7][निर्वाचन आयोग के द्वारा तप्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में तक्षण] उस रीति में घोषित करेगा जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित है ।

67. निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट—निर्वाचन के परिणाम के घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य निर्वाचन आफिसर उस निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को और संसद् के या राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के निर्वाचन की दशा में, उस सदन के सचिव को भी भेज देगा और समुचित प्राधिकारी निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों को अन्तर्विष्ट रखने वाली घोषणाएं शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

---

1. 2013 के अधिनियम सं0 29 की धारा 3 द्वारा (10-7-2013 से) अंत:स्थापित।
2. 2003 के अधिनियम सं॰ 24 की धारा 4 द्वारा (22-9-2003 से) अंत:स्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 36 द्वारा (28-8-1956 से) "पर्यवेक्षण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 26 द्वारा (30-12-1958 से) "अभ्यर्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 36 द्वारा (28-8-1956 से) "गणन अभिकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 34 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित।
7. 1996 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 35 द्वारा (14-12-1966 से) "तत्क्षण घोषित करेगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][**67A. Date of election of candidate.**—For the purposes of this Act, the date on which a candidate is declared by the returning officer under the provisions of section 53, [2]***, [3]*** or section 66, to be elected to a House of Parliament or of the Legislature of a State [4]*** shall be the date of election of that candidate.]

CHAPTER VI.—*Multiple Elections*

68. Vacation of seats when elected to both Houses of Parliament.—(*1*) Any person who is chosen a member of both the Houses of the People and the Council of States and who has not taken his seat in either House may, by notice in writing signed by him and delivered to the Secretary to the Election Commission [5][within ten days from the date, or the later of the dates, on which he is so chosen, intimate] in which of the Houses he wishes to serve, and thereupon, his seat in the House in which he does not wish to serve shall become vacant.

(*2*) In default of such intimation within the aforesaid period, his seat in the Council of States shall, at the expiration of that period, become vacant.

(*3*) Any intimation given under sub-section (*1*) shall be final and irrevocable.

[6][(*4*) For the purposes of this section and of section 69, the date on which a person is chosen to be a member of either House of Parliament shall be in the case of an elected member, the date of his election and in the case of a nominated member, the date of first publication in the Gazette of India of his nomination.]

69. Vacation of seats by persons already members of one House on election to other House of Parliament.—(*1*) If a person who is already a member of the House of the People and has taken his seat in such House is chosen a member of the Council of States, his seat in the House of the People shall, [7][on the date on which he is so chosen], become vacant.

(*2*) If a person who is already a member of the Council of States and has taken his seat in such Council is chosen a member of the House of the People, his seat in the Council of States shall, [7][on the date on which he is so chosen], become vacant.

***70. Election to more than one seat in either House of Parliament or in the House or either House of the legislature of a State.**—If a person is elected to more than one seat in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State, then, unless within the prescribed time he resigns all but one of the seats 8[by writing under his hand addressed to the Speaker or Chairman, as the case may be, or to such other authority or officer as may be prescribed], all the seats shall become vacant.

CHAPTER VII.—*Publication of election Results and Nominations*

[9][**71. Publication of results of elections to the Council of States and of names of persons nominated by the President.**—After the elections held in any year in pursuance of the notifications issued under section 12, there shall be notified by the appropriate authority in the Official Gazette the names of members elected by the elected

1. Ins. by Act 27 of 1956, s. 37 (w.e.f. 28-8-1956).
2. The word and figures "section 54" omitted by Act 40 of 1961, s. 15 (w.e.f. 20-9-1961).
3. The word, figures and letter "section 55A" omitted by Act 58 of 1958, s. 27 (w.e.f. 30-12-1958).
4. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 66 (w.e.f. 1-1-1957).
5. Subs. by Act 27 of 1956, s. 38, for certain words (w.e.f. 28-8-1956).
6. Ins. by section 38, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956).
7. Subs. by s. 39, *ibid.,* for "on the publication in the Gazette of India of the declaration that he has been so chosen" (w.e.f. 28-8-1956).
8. Ins. by s. 40, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956)
9. Subs. by s. 41, *ibid.,* for ss. 71 to 75 (w.e.f. 28-8-1956).

* See rule 91 of the Conduct of Election Rules, 1961 (page 76 of Vol. II). In relation to Prohibition relating to membership both of Parliament and of a House of the Legislature of a State, see also the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950 published under articles 101(2) and 190(2) of the Constitution *vide* Notification No.F.46/50—C, dated, 26th January, 1950, in the Gazette of India, Extraordinary, Page 678 (Pages 140 of Vol. I).

[1][67**क. अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख**—रिटर्निंग आफिसर द्वारा जिस तारीख को अभ्यर्थी के बारे में यह घोषणा की जाती है कि वह संसद् या राज्य के विधान-मंडल के [2]*** किसी सदन के लिए धारा 53 [3]*** [4]*** या धारा 66 के उपबंधों के अधीन निर्वाचित हो गया है, उस तारीख की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख है।]

अध्याय 6—बहुस्थानिक निर्वाचन

68. संसद् के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाने पर स्थानों का रिक्त हो जाना—(1) जो कोई व्यक्ति लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है और जिसने दोनों सदनों में से किसी में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित और निर्वाचन आयोग के सचिव को परिदत्त लिखित सूचना द्वारा [5][उस तारीख के या उन तारीखों के पश्चात् वाली तारीख से दस दिन के भीतर, जिसको या जिनको वह ऐसे चुना गया है, या प्रज्ञापित कर सकेगा] कि वह दोनों सदनों में से किस में सेवा करना चाहता है और ऐसा करने पर उसका उस सदन में स्थान, जिसमें वह सेवा नहीं करना चाहता, रिक्त हो जाएगा।

(2) पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना के देने में व्यतिक्रम करने पर राज्य सभा में का उसका स्थान उस कालावधि के अवसान पर रिक्त हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रज्ञापना अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगी।

[6][(4) जिस तारीख को व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए चुना गया है, इस धारा और धारा 69 के प्रयोजनों के लिए वह तारीख, निर्वाचित सदस्य की दशा में, उसके निर्वाचन की तारीख होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य की दशा में, उसके नामनिर्देशन के भारत के राजपत्र में प्रथम प्रकाशन की तारीख होगी।]

69. जो व्यक्ति संसद् के एक सदन के सदस्य पहले से ही हैं दूसरे सदन के लिए उनके निर्वाचित हो जाने पर उनके स्थानों का रिक्त हो जाना—(1) जो व्यक्ति लोक सभा का पहले से ही सदस्य है और ऐसे सदन में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है यदि वह राज्य सभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो लोक सभा में उसका स्थान [7][उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है], रिक्त हो जाएगा।

(2) जो व्यक्ति राज्य सभा का पहले से ही सदस्य है और ऐसी सभा में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है यदि वह लोक सभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो राज्य सभा में का उसका स्थान [7][उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है,] रिक्त हो जाएगा।

***70. संसद् के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी में के एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन**—यदि कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचित हो गया है तो जब तक कि वह, [8][यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी या आफिसर को, जैसा विहित किया जाए, संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित] लेख द्वारा उन स्थानों में से केवल एक के अतिरिक्त सब के त्यागपत्र विहित समय के अन्दर नहीं दे देता वे सब स्थान रिक्त हो जाएंगे।

अध्याय 7—निर्वाचन परिणामों और नामनिर्देशनों का प्रकाशन

[9][**71. राज्य सभा के निर्वाचन परिणामों का और राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन**—धारा 12 के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में, किसी वर्ष में किए गए निर्वाचनों के पश्चात् उन सदस्यों के नाम, जो

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 37 द्वारा (28-8-1956 से) अन्तःस्थापित ।
2. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 15 द्वारा (20-9-1961 से) "धारा 54" शब्द और अंक का लोप किया गया ।
3. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 27 द्वारा (30-12-1958 से) "धारा 55क" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया गया ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 66 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 38 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 38 द्वारा (28-8-1956 से) अन्तःस्थापित ।
7. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 39 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 40 द्वारा (28-8-1956 से) अन्तःस्थापित ।
9. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 41 द्वारा (28-8-1956 से) 71 से 75 तक की धाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* देखिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिल्द 2 का पृष्ठ 76), दोनों, संसद् और किसी राज्य विधान-मंडल की सदस्यता से संबंधित प्रतिषेध के बारे में संविधान के अनुच्छेद 101(2) और अनुच्छेद 190(2) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, पृष्ठ 678 (अंग्रेजी) (जिल्द 1 के पृष्ठ 140) पर प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 के लिए तारीख 26 जनवरी, 1950 की अधिसूचना सं0 46/50-सी भी देखिए ।

members of the Legislative Assemblies of the States and by the members of the electoral colleges for the various [1][Union territories] at the said elections together with the names of any persons nominated by the President of the Council of States under sub-clause (*a*) of clause (*1*) of article 80 or under any other provisions.

72. [*Publication of results of elections for the reconstitution of electoral colleges for certain Union territories*.] *Omitted by the Territorial Councils Act,* 1956 (103 *of* 1956), *s.* 66 (*w.e.f.* 1-1-1957).

73. Publication of results of general elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies.—Where a general election is held for the purpose of constituting a new House of the People or a new State Legislative Assembly, there shall be notified by [2][the Election Commission] in the Official Gazette, as soon as may be after [3][the results of the elections in all the constituencies [other than those in which the poll could not be taken for any reason on the date originally fixed under clause (*d*) of section 30 or for which the time for completion of the election has been extended under the provisions of section 153] have been declared by the returning officer under the provisions of section 53 or, as the case may be, section 66, the names of the members elected for those constituencies] [4]* * * and upon the issue of such notification that House or Assembly shall be deemed to be duly constituted:

Provided that the issue of such notification shall not be deemed—

[5][(*a*) to preclude—

(*i*) the taking of the poll and the completion of the election in any Parliamentary or Assembly constituency or constituencies in which the poll could not be taken for any reason on the date originally fixed under clause (*d*) of section 30; or

(*ii*) the completion of the election in any Parliamentary or Assembly constituency or constituencies for which time has been extended under the provisions of section 153; or]

(*b*) to affect the duration of the House of the People or the State Legislative Assembly, if any, functioning immediately before the issue of the said notification.

[6][**73A. Special provisions as to certain elections.**—Notwithstanding anything contained in section 73 or in any other provision of this Act, with respect to the general election for the purpose of constituting a new House of the People upon dissolution of the Ninth House of the People,—

(*a*) the notification under section 73 may be issued without taking into account the Parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir; and

(*b*) the Election Commission may take the steps in relation to elections from the Parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir separately and in such manner and no such date or dates as it may deem appropriate.]

74. Publication of results of elections to the State Legislative Councils and of names of persons nominated to such Councils.—After the elections held [7][in pursuance of the notifications issued under section 15A or] in any year in pursuance of the notifications issued under section 16, there shall be notified by the appropriate authority in the Official Gazette the names of the members elected for the various Council constituencies and by the members of the Legislative Assembly of the State at the said elections together with the names of any persons nominated by the Governor [8]*** under sub-clause (*e*) of clause (*3*) of article 171.]

---

1. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C States" (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by Act 40 of 1961, s. 16, for "the appropriate authority" (w.e.f. 20-9-1961).
3. Subs. by Act 10 of 1967, s. 2, for certain words (w.e.f. 11-4-1967).
4. Certain words omitted by Act 40 of 1961, s. 16 (w.e.f. 20-9-1961).
5. Subs. by Act 10 of 1967, s. 2, for cl. (*a*) (w.e.f. 11-4-1967).
6. Subs. by Act 31 of 1991, s. 2, for s. 73A and 73AA (w.e.f. 18-4-1991).
7. Ins. by Act 37 of 1957, s. 13. (w.e.f. 18-9-1957).
8. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Adapatation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).

राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और विभिन्न [1][संघ राज्यक्षेत्रों] के लिए निर्वाचकगणों के सदस्यों द्वारा उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित किए गए हैं, ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के नामों के सहित, जिन्हें राष्ट्रपति ने, राज्य सभा के लिए अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन या किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट किया है, शासकीय राजपत्र में समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

72. [कतिपय संघ राज्यक्षेत्रों के निर्वाचकगण के पुनर्गठन के लिए निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 66 द्वारा निरसित।

73. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन—जहां कि नई लोक सभा या नई राज्य विधान सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन किया जाता है वहां [2][सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में (जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न हों जिनमें धारा 30 के खंड (घ) के अधीन मूलत: नियत तारीख को किसी कारणवश मतदान नहीं हो सका था जिनके लिए निर्वाचन समाप्त होने का समय धारा 153 के उपबंधों के अधीन बढ़ा दिया गया है) यथास्थिति, धारा 53 या धारा 66 के उपबंधों के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणामों की घोषणा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन सदस्यों के नाम, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हों, शासकीय राजपत्र में [3][निर्वाचन आयोग] द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे] [4]*** और ऐसी अधिसूचना के निकलने पर उस लोक सभा या विधान सभा की बाबत यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से गठित हो गई है :

परंतु ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने से यह न समझा जाएगा कि वह—

[5][(क)

(i) किसी संसदीय या किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें धारा 30 के खंड (घ) के अधीन मूलत: नियत तारीख को किसी कारणवश मतदान नहीं हो सका था, मतदान करने और निर्वाचन की समाप्ति को, अथवा

(ii) किसी संसदीय या किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों के, जिनके लिए धारा 153 के उपबंधों के अधीन समय बढ़ा दिया गया है, निर्वाचन की समाप्ति को,

प्रवारित करती है ; अथवा]

(ख) उक्त अधिसूचना के निकाले जाने से अव्यवहित पूर्व कृत्य कर रही लोक सभा या राज्य विधान सभा की, यदि कोई हो, अस्तित्वावधि पर प्रभाव डालती है ।

[6][**73क. कुछ निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध**—इस अधिनियम की धारा 73 में या उसके किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, नवीं लोक सभा के विघटन पर नई लोक सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन के संबंध में,—

(क) धारा 73 के अधीन अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को हिसाब में लिए बिना जारी की जा सकेगी; और

(ख) निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचनों के संबंध में पृथक् रूप से और ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख या तारीखों को, जो वह समुचित समझे, कार्रवाई कर सकेगा।]

74. राज्य विधान परिषदों के लिए निर्वाचन परिणामों का और ऐसी परिषदों के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन—[7][धारा 15क के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में] या धारा 16 के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में, किसी वर्ष में किए गए निर्वाचनों के पश्चात् उन सदस्यों के नाम, जो विभिन्न परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए और राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित किए गए हैं, किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के नामों सहित, जिन्हें राज्यपाल [8]*** के अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया है, शासकीय राजपत्रों में समुचित प्राधिकारी द्वारा अधि सूचित किए जाएंगे।]

---

1. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1967 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 द्वारा (11-4-1967 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 16 द्वारा (20-9-1961 से) "समुचित प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 16 द्वारा (20-9-1961 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1967 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 द्वारा (11-4-1967 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1991 के अधिनियम सं॰ 31 की धारा 2 द्वारा (18-4-1991 से) धारा 73क और धारा 73कक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 13 द्वारा (18-9-1957 से) अंत:स्थापित ।
8. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख जैसी भी स्थिति है" शब्दों का लोप किया गया ।

[1][CHAPTER VIIA.—*Declaration of assets and liabilities*

75A. Declaration of assets and liabilities.—(*1*) Every elected candidate for a House of Parliament shall, within ninety days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation, according to the form set out for the purpose in the Third Schedule to the Constitution, for taking his seat in either House of Parliament, furnish the information, relating to—

(*i*) the movable and immovable property of which he, his spouse and his dependant children are jointly or severally owners or beneficiaries;

(*ii*) his liabilities to any public financial institution; and

(*iii*) his liabilities to the Central Government or the State Government,

to the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be.

(*2*) The information under sub-section (*1*) shall be furnished in such form and in such manner as may be prescribed in the rules made under sub-section (*3*).

(*3*) The Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be, may make rules for the purposes of sub-section (*2*).

(*4*) The rules made by the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, under sub-section (*3*) shall be laid, as soon as may be after they are made, before the Council of States or the House of the People, as the case may be, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and shall take effect upon the expiry of the said period of thirty days unless they are sooner approved with or without modifications or disapproved by the Council of States or the House of the People and where they are so approved, they shall take effect on such approval in the form in which they were laid or in such modified form, as the case may be, and where they are so disapproved, they shall be of no effect.

(*5*) The Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be, may direct that any wilful contravention of the rules made under sub-section (*3*) by an elected candidate for a House of Parliament referred to in sub-section (*1*) may be dealt with in the same manner as a breach of privilege of the Council of States or the House of the People, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*i*) "immovable property" means the land and includes any building or other structure attached to the land or permanently fastened to anything which is attached to the land;

(*ii*) "movable property" means any other property which is not the immovable property and includes corporeal and incorporeal property of every description;

(*iii*) "public financial institution" means a public financial institution within the meaning of section 4A of the Companies Act, 1956 (1of 1956), and includes bank;

(*iv*) "bank" referred to in clause (*iii*) means—

(*a*) State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(*b*) subsidiary bank having the meaning assigned to it in clause (*k*) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(*c*) Regional Rural Bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(*d*) corresponding new bank having the meaning assigned to it in clause (*da*) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); and

(*e*) co-operative bank having the meaning assigned to it in clause (*cci*) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as modified by sub-clause (*i*) of clause (*c*) of section 56 of that Act; and

(*v*) "dependant children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependant on the elected candidate referred to in sub-section (*1*) for their livelihood.]

1. Ins. by Act 72 of 2002, s. 4 (w.e.f. 24-8-2002).

[1][अध्याय 7क

आस्तियों और दायित्वों की घोषणा

75क. आस्तियों और दायित्वों की घोषणा—(1) संसद् के किसी सदन के लिए प्रत्येक निर्वाचित अभ्यर्थी, उस तारीख से, जिसको वह संसद् के किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में उक्त प्रयोजन के लिए वर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, नब्बे दिन के भीतर, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को निम्नलिखित के संबंध में, सूचना देगा—

(i) जंगम और स्थावर संपत्ति, जिसका वह, उसकी पत्नी या उसका पति और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथक्ततः स्वामी है या हिताधिकारी हैं;

(ii) किसी लोक वित्तीय संस्था के प्रति उसके दायित्व ; और

(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रति उसके दायित्व ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से दी जाएगी जो उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए ।

(3) यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा ।

(4) यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, सत्र में ही रखे जाएंगे और वे उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी हो जाएंगे जब तक कि उनका उससे पूर्व राज्य सभा या लोक सभा द्वारा उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदन नहीं कर दिया जाता अथवा अननुमोदन नहीं कर दिया जाता और जहां उनका इस प्रकार अनुमोदन कर दिया जाता है वहां वे ऐसे अनुमोदन पर, यथास्थिति, उस रूप में प्रभावी हो जाएंगे जिसमें वे रखे गए थे या इस प्रकार उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे और जहां उनका इस प्रकार अननुमोदन किया जाता है वहां वे निप्रभावी हो जाएंगे ।

(5) यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संसद् के किसी सदन के लिए किसी निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा, उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियमों के किसी स्वेच्छया उल्लंघन के संबंध में उसी रीति से कार्रवाई की जा सकेगी जिसमें, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा के विशेषाधिकार के भंग की दशा में की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "स्थावर संपत्ति" से भूमि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई भवन या उक्त भूमि से संलग्न अन्य संरचना या ऐसी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई कोई चीज है जो भूमि से संलग्न है ;

(ii) "जंगम संपत्ति" से कोई ऐसी अन्य संपत्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपत्ति नहीं है और इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की मूर्त और अमूर्त संपत्ति भी है ;

(iii) "लोक वित्तीय संस्था" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क के अर्थान्तर्गत लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बैंक भी है ;

(iv) खंड (iii) में निर्दिष्ट "बैंक" से अभिप्रेत है—

(क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(ख) समनुषंगी बैंक, जिसका वही अर्थ है जो उसका भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में है ;

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक;

(घ) तत्स्थानी नया बैंक, जिसका वही अर्थ है जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (घक) में है; और

(ङ) सहकारी बैंक, जिसका वही अर्थ है जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खंड (ग) के उपखंड (i) द्वारा यथाउपांतरित उस अधिनियम की धारा 5 के खंड (गगप) में है; और

(v) "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके उपार्जन के कोई पृथक् साधन नहीं हैं और जो अपनी जीविका के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचित अभ्यर्थी पर पूर्णतः आश्रित हैं।]

---

1. 2002 के अधिनियम सं॰ 72 की धारा 4 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।

CHAPTER VIII.—*Election Expenses*

[1][**76. Application of Chapter.**—This Chapter shall apply only to the elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of a State.

77. Account of election expenses and maximum thereof.—(*1*) Every candidate at an election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between 2[the date on which he has been nominated] and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

[3][*Explanation* 1.—For the removal of doubts, it is hereby declared that—

(*a*) the expenditure incurred by leaders of a political party on account of travel by air or by any other means of transport for propagating programme of the political party shall not be deemed to be the expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate of that political party or his election agent for the purposes of this sub-section.

(*b*) any expenditure incurred in respect of any arrangements made, facilities provided or any other act or thing done by any person in the service of the Government and belonging to any of the classes mentioned in clause (7) of section 123 in the discharge or purported discharge of his official duty as mentioned in the proviso to that clause shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate or by his election agent for the purposes of this sub-section.

Explanation 2.—For the purposes of clause (*a*) of *Explanation* 1, the expression "leaders of a political party", in respect of any election, means,—

(*i*) where such political party is a recognised political party, such persons not exceeding forty in number, and

(*ii*) where such political party is other than a recognised political party, such persons not exceeding twenty in number,

whose names have been communicated to the Election Commission and the Chief Electoral Officers of the States by the political party to be leaders for the purposes of such election, within a period of seven days from the date of the notification for such election published in the Gazette of India or Official Gazette of the State, as the case may be, under this Act:

Provided that a political party may, in the case where any of the persons referred to in clause (*i*) or, as the case may be, in clause (*ii*) dies or ceases to be a member of such political party, by further communication to the Election Commission and the Chief Electoral Officers of the States, substitute new name, during the period ending immediately before forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the last poll for such election, for the name of such person died or ceased to be a member, for the purposes of designating the new leader in his place.]

(*2*) The account shall contain such particulars, as may be prescribed.

(*3*) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed.

78. Lodging of account with the [4][district election officer]—[5][(*1*)] Every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate or, if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates, lodge with the [4][district election officer] an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent under section 77.]

[6]* * * * *

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 42, for ss. 76 to 78 (w.e.f. 28-8-1956).
2. Subs. by Act 40 of 1975, s. 6, for certain words (w.e.f. 6-8-1975).
3. Subs. by Act 46 of 2003, s. 4, for *Explanation* 1 and *Explanation* 3 (w.e.f. 11-9-2003).
4. S. 78 re-numbered as sub-section (*1*) of that section by Act 47 of 1966, s. 36 (w.e.f. 14-12-1966).
5. Subs. by s. 36, *ibid.,* for "returning officer" (w.e.f. 14-12-1966).
6. Omitted by Act 2 of 2004, s. 3(*b*) (w.e.f. 29-10-2003).

अध्याय 8—निर्वाचन व्यय

[1][**76. अध्याय का लागू होना**—यह अध्याय केवल लोक सभा के और राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों को लागू होगा।]

77. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा—(1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो, [2][उस तारीख के, जिसको यह नामनिर्दिष्ट किया गया है] और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा ।

[3][**स्पष्टीकरण** 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायुयान द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की गई यात्रा मद्धे उपगत व्यय इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा;

(ख) सरकार की सेवा में और धारा 123 के खंड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, उस खंड के परन्तुक में यथावर्णित अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में या तात्पर्यित निर्वहन में की गई किन्हीं व्यवस्थाओं, प्रदान की गई सुविधाओं या किए गए किसी अन्य कार्य या बात के संबंध में उपगत कोई व्यय, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन के संबंध में, "राजनैतिक दल के नेताओं" पद से,—

(i) जहां ऐसा राजनैतिक दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, वहां संख्या में चालीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति, और

(ii) जहां ऐसा राजनैतिक दल किसी मान्याप्राप्त राजनैतिक दल से भिन्न है, वहां संख्या में बीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति,

अभिप्रेत हैं जिनके नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नेताओं के रूप में ऐसे निर्वाचन के लिए, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या उस राज्य के राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित कर दिए गए हैं :

परन्तु कोई राजनैतिक दल, उस दशा में जहां, यथास्थिति, खंड (i) में या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह ऐसे राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को और संसूचना द्वारा, ऐसे निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान पूरा होने के लिए नियत समय समाप्त होने के ठीक अड़तालीस घंटे पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, इस प्रकार मृत व्यक्ति या सदस्य न रहे व्यक्ति के नाम के स्थान पर, नए नेता को पदाभिहित करने के प्रयोजनों के लिए नया नाम प्रतिस्थापित कर सकेगी।]

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक न होगा जो विहित की जाए।

78. लेखे को [4][**जिला निर्वाचन आफिसर**] **के पास दाखिल किया जाना**—[5][(1)] निर्वाचन में का हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 77 के अधीन रखा है [4][जिला निर्वाचन आफिसर] के पास दाखिल करेगा।

[6]* * * * *

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 42 द्वारा धारा 76 से 78 के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित।
2. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 6 द्वारा (6-8-1975 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2003 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 4 द्वारा स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 3 के स्थान पर (11-9-2003 से) प्रतिस्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 36 द्वारा धारा 78 को उसकी उपधारा (1) के रूप में (14-12-1966 से) पुनःसंख्यांकित किया गया ।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 36 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 2004 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 3 (ख) द्वारा (29-10-2003 से) लोप किया गया ।

[1][PART VA

FREE SUPPLY OF CERTAIN MATERIAL TO CANDIDATES OF RECOGNISED POLITICAL PARTIES

78A. Free supply of copies of electoral rolls.—(*1*) The Government shall, at any election to be held for the purposes of constituting the House of the People or the Legislative Assembly of a State, supply, free of cost, to the candidates of recognised political parties such number of copies of the electoral roll, as finally published under the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) and such other material as may be prescribed.

(*2*) The material referred to in sub-section (*1*) shall be supplied,—

(*i*) subject to such conditions as may be imposed by the Central Government in consultation with the Election Commission with respect to the reduction of the maximum expenditure which may be incurred by the candidate under section 77; and

(*ii*) through such officers as may be specified by the Election Commission who shall act in accordance with such general or special directions as may be given by the Election Commission.

78B. Supply of certain items to candidates, etc.—(*1*) The Election Commission shall, at any time between the date of publication of the notification calling the election for the purposes of constituting the House of the People or the Legislative Assembly of a State and the date on which the poll is to be taken, supply or cause to be supplied, such items as the Central Government may, by order, determine in consultation with the Election Commission, to the electors in the constituencies concerned or to the candidates set up by the recognised political parties.

(*2*) Where the Election Commission supplies the items to the candidates under sub-section (*1*), the Central Government may, in consultation with the Election Commission, impose conditions with respect to the reduction of the maximum expenditure which may be incurred by the candidate under section 77.

Explanation.—For the purposes of section 39A, this Chapter and clause (*hh*) of sub-section (*2*) of section 169, the expression "recognised political party", has the meaning assigned to it in the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.]

PART VI

DISPUTES REGARDING ELECTIONS

CHAPTER I.—*Interpretation*

79. Definitions.—In this Part and in [2][Part VII] unless the context otherwise requires,—

[3][(*a*) any reference to a High Court or to the Chief Justice or Judge of a High Court shall, in relation to a Union territory having a Court of the Judicial Commissioner, be construed as a reference to the said Court of the Judicial Commissioner or to the Judicial Commissioner or any Additional Judicial Commissioner, as the case may be;]

[4][(*b*) "candidate" means a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at any election;]

(*c*) "costs" means all costs, charges and expenses of, or incidental to, a trial of an election petition;

(*d*) "electoral right" means the right of a person to stand or not to stand as, or [5][to withdraw or not to withdraw] from being, a candidate, or to vote or refrain from voting at an election;

[6][(*e*) "High Court" means the High Court within the local limits of whose jurisdiction the election to which the election petition relates has been held;]

(*f*) "returned candidate" means a candidate whose name has been published under section 67 as duly elected.

---

1. Ins. by Act 46 of 2003, s. 5 (w.e.f. 11-9-2003).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 37, for ''Parts VII and VIII'' (w.e.f. 14-12-1966).
3. Ins. by s. 37, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956).
4. Subs. by Act 40 of 1975, s. 7, for cl. (*b*) (w.ef. 6-8-1975).
5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 37, for "to withdraw" (w.e.f. 14-12-1966).
6. Subs. by s. 37, *ibid.*, for cl. (*e*) (w.e.f. 14-12-1966).

[1][भाग 5क

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को कतिपय सामग्री का निःशुल्क प्रदाय

78क. निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों का निःशुल्क प्रदाय—(1) सरकार, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के प्रयोजनों के लिए होने वाले किसी निर्वाचन में, मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की उतनी प्रतियों का और ऐसी अन्य सामग्री का, जो विहित की जाए, निःशुल्क प्रदाय करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामग्री का,—

(i) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा धारा 77 के अधीन उपगत किया जा सकने वाले अधिकतम व्यय, को कम करने के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिरोपित करे ; और

(ii) ऐसे अधिकारियों के माध्यम से, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और जो ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे, जो निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएं,

प्रदाय किया जाएगा ।

78ख. अभ्यर्थियों आदि, को कतिपय वस्तुओं का प्रदाय—(1) निर्वाचन आयोग, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के प्रयोजनों के लिए किसी निर्वाचन को आहूत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख और उस तारीख के, जिसको मतदान होना है, बीच किसी भी समय, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों को या मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को ऐसी वस्तुं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा अवधारित करे, प्रदाय करेगा या करवाएगा।

(2) जहां निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थियों को वस्तुओं का प्रदाय करता है वहां केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग के परामर्श से, उस अधिकतम व्यय को कम करने के संबंध में, जो अभ्यर्थी द्वारा धारा 77 के अधीन उपगत किया जा सकता है, शर्तें अधिरोपित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—धारा 39क, इस अध्याय और धारा 169 की उपधारा (2) के खंड (जज) के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" का वही अर्थ होगा, जो निर्वाचन संप्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में है ।]

भाग 6

निर्वाचनों की बाबत विवाद

अध्याय 1—निर्वाचन

79. परिभाषाएं—इस भाग में और [2][भाग 7] में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

[3][(क) किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जहां न्यायिक आयुक्त का न्यायालय है, उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के या न्यायाधीश के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, न्यायिक आयुक्त के उक्त न्यायालय के प्रति या न्यायिक आयुक्त के प्रति या किसी अपर न्यायिक आयुक्त के प्रति निर्देश है ;]

[4][(ख) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप मे सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट किया गया है या सम्यक्ततः नामनिर्दिष्ट होने का दावा करता है ;]

(ग) "खर्चे" से निर्वाचन अर्जी के विचारण के या उससे आनुषंगिक सब खर्चे, प्रभार और व्यय अभिप्रेत है;

(घ) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न खड़े होने या अभ्यर्थिता [5][वापस लेने या न लेने] या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है;

[6][(ङ) "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह निर्वाचन हुआ है जिससे निर्वाचन अर्जी सम्बद्ध है;]

(च) "निर्वाचन अभ्यर्थी" से ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसका नाम सम्यक् निर्वाचित के रूप में धारा 67 के अधीन प्रकाशित कर दिया गया है।

---

1. 2003 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 5 द्वारा (11-9-2003) से प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 37 द्वारा (14-12-1966 से) ''भाग 7 और 8'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 37 द्वारा (28-8-1956 से) अन्तस्थापित।
4. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 7 द्वारा (6-8-1975 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 37 द्वारा (14-12-1966 से) ''वापिस लेने'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 37 द्वारा (14-12-1966 से) खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

CHAPTER II.—*Presentation of Election Petitions to* [*Election Commission*]

80. Election petitions.—No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Part.

[1][**80A. High Court to try election petitions.**—(*1*) The Court having jurisdiction to try an election petition shall be the High Court.

(*2*) Such jurisdiction shall be exercised ordinarily by a single Judge of the High Court and the Chief Justice shall, from time to time, assign one or more Judges for that purpose:

Provided that where the High Court consists only of one Judge, he shall try all election petitions presented to that Court.

(*3*) The High Court in its discretion may, in the interests of justice or convenience, try an election petition, wholly or partly, at a place other than the place of seat of the High Court.]

81. Presentation of petitions.—(*1*) An election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in [2][sub-section (*1*)] of section 100 and section 101 to the [3][High Court] by any candidate at such election or any elector [4][within forty-five days from, but not earlier than the date of election of the returned candidate, or if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates].

Explanation.—In this sub-section, "elector" means a person who was entitled to vote at the election to which the election petition relates, whether he has voted at such election or not.

[5]* * * * *

[6][(*3*) Every election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents mentioned in the petition [7]***, and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition.]

[8][**82. Parties to the petition.**—A petitioner shall join as respondents to his petition—

(*a*) where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected, all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates; and

(*b*) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.]

[9][**83. Contents of petition.**—(*1*) An election petition—

(*a*) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(*b*) shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date and place of the commission of each such practice; and

1. Ins. by s. 38, ibid. (w.e.f. 14-12-1966).
2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for "sub-sections (*1*) and (*2*)" (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 39, for "Election Commission" (w.e.f.14-12-1966).
4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for certain words (w.e.f. 28-8-1956).
5. Omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
6. Ins. by Act 40 of 1961, s. 17 (w.e.f. 20-9-1961).
7. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
8. Subs. by Act 27 of 1956, s. 45, for s. 82 (w.e.f. 28-8-1956).
9. Subs. by s. 46, *ibid.,* for s. 83 (w.e.f. 28-8-1956).

अध्याय 2—निर्वाचन अर्जियों का [निर्वाचन आयोग] को उपस्थित किया जाना

80. निर्वाचन अर्जियां—कोई भी निर्वाचन इस भाग के उपबंधों के अनुसार उपस्थित की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा प्रश्नगत किए जाने के सिवाय प्रश्नगत न किया जाएगा ।

[1][**80क. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों का विचारण**—(1) उच्च न्यायालय ही निर्वाचन अर्जी का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय होगा ।

(2) ऐसी अधिकारिता मामूली तौर पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त की जाएगी और मुख्य न्यायमूर्ति उस प्रयोजन के लिए समय-समय पर एक या अधिक न्यायाधीश समनुदिष्ट करेगा :

परंतु जहां कि उच्च न्यायालय केवल एक न्यायाधीश द्वारा गठित है, वहां वह उस न्यायालय को उपस्थापित सब निर्वाचन अर्जियों का विचारण करेगा ।

(3) उच्च न्यायालय न्याय या सुविधा के हितों में किसी निर्वाचन अर्जी का पूर्णत: या भागत: विचारण ऐसे स्थान में जो उच्च न्यायालय की बैठक के स्थान से भिन्न है स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।]

81. अर्जियों का उपस्थित किया जाना—(1) किसी निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचन अर्जी धारा 100 की [2][उपधारा (1)] और धारा 101 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक पर [3][उच्च न्यायालय] को ऐसे निर्वाचन में के किसी अभ्यर्थी द्वारा या किसी निर्वाचक द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी के [4][निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं और निर्वाचन की तारीख भिन्न है तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किंतु उस तारीख से पहले नहीं] उपस्थित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "निर्वाचक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस निर्वाचन से, जिससे निर्वाचन अर्जी सम्बद्ध है मत देने के लिए हकदार था भले ही उसने ऐसे निर्वाचन में मतदान किया हो या न किया हो ।

[5]* * * * *

[6][(3) हर निर्वाचन अर्जी के साथ उसकी उतनी प्रतियां होंगी जितने प्रत्यर्थी उस अर्जी में वर्णित हैं [7]*** और अर्जीदार हर ऐसी प्रति को अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित करेगा कि वह अर्जी की सही प्रति है ।]

[8][**82. अर्जी के पक्षकार**—अर्जीदार अपनी अर्जी में प्रत्यर्थी के रूप में—

(क) उस दशा में, जिसमें कि अर्जीदार इस घोषणा के लिए कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, दावा करने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त घोषणा के लिए भी कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक्त रूप से निर्वाचित हो गया है दावा करता है, अर्जीदार से भिन्न निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और उस दशा मे, जिसमें कि ऐसी अतिरिक्त घोषणा के लिए दावा नहीं किया गया है सब निर्वाचन अभ्यर्थियों को ; तथा

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के अभिकथन अर्जी में किए गए हैं; संयोजित करेगा।]

[9][**83. अर्जी की अन्तर्वस्तु**—(1) निर्वाचन अर्जी—

(क) में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त कथन अन्तर्विष्ट होगा जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है;

(ख) में ऐसे किसी भ्रष्ट आचरण की पूरी विशिष्टियां, जिनका अर्जीदार अभिकथन करता है, उन पक्षकारों के नामों के यथाशक्य पूर्ण कथन के सहित जिनकी बाबत यह अभिकथन है कि उन्होंने ऐसा भ्रष्ट आचरण किया है और हर एक ऐसा आचरण किए जाने की तारीख और स्थान उपवर्णित होगा; तथा

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 38 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 44 द्वारा (28-8-1956 से) ''उपधाराओं (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) ''निर्वाचन आयोग'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 44 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1965 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) लोप किया गया।
6. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 17 द्वारा (20-9-1961 से) अंत:स्थापित।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
8. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 45 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 46 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 83 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*c*) shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) for the verification of pleadings:

[1][Provided that where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of the allegation of such corrupt practice and the particulars thereof.]

(*2*) Any schedule or annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.]

[2][**84. Relief that may be claimed by the petitioner.**—A petitioner may, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claim a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected.]

85. [*Procedure on receiving petition.*] *Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1966 (47 *of* 1966), *s.* 40 (*w.e.f.* 14-12-1966).

CHAPTER III.—*Trial of Election Petitions*

[3][**86. Trial of election petitions.**—(*1*) The High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of section 81 or section 82 or section 117.

Explanation.—An order of the High Court dismissing an election petition under this sub-section shall be deemed to be an order made under clause (*a*) of section 98.

(*2*) As soon as may be after an election petition has been presented to the High Court, it shall be referred to the Judge or one of the Judges who has or have been assigned by the Chief Justice for the trial of election petitions under sub-section (*2*) of section 80A.

(*3*) Where more election petitions than one are presented to the High Court in respect of the same election, all of them shall be referred for trial to the same Judge who may, in his discretion, try them separately or in one or more groups.

(*4*) Any candidate not already a respondent shall, upon application made by him to the High Court within fourteen days from the date of commencement of the trial and subject to any order as to security for costs which may be made by the High Court, be entitled to be joined as a respondent.

Explanation.—For the purposes of this sub-section and of section 97, the trial of a petition shall be deemed to commence on the date fixed for the respondents to appear before the High Court and answer the claim or claims made in the petition.

(*5*) The High Court may, upon such terms as to costs and otherwise as it may deem fit, allow the particulars of any corrupt practice alleged in the petition to be amended or amplified in such manner as may in its opinion be necessary for ensuring a fair and effective trial of the petition, but shall not allow any amendment of the petition which will have the effect of introducing particulars of a corrupt practice not previously alleged in the petition.

(*6*) The trial of an election petition shall, so far as is practicable consistently with the interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion, unless the High Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

(*7*) Every election petition shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court for trial.

---

1. Ins. by Act 40 of 1961, s. 18 (w.e.f. 20-9-1961).
2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 47, for s. 84 (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 41, for ss. 86 to 92 (w.e.f. 14-12-1966).

(ग) अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उस रीति में सत्यापित की जाएगी जो अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (19084 का 5) में अधिकथित है :

[1][परंतु जहां कि अर्जीदार किसी भ्रष्ट आचरण का अभिकथन करता है, वहां ऐसे भ्रष्ट आचरण के अभिकथन के और उसकी विशिष्टियों के समर्थन में विहित प्ररूप में एक शपथपत्र भी अर्जी के साथ होगा ।]

(2) अर्जी में लगी हुई कोई अनुसूची या उपाबन्ध भी अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जिस रीति में अर्जी सत्यापित की जाती है ।]

[2][**84. वह अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा**—अर्जीदार इस घोषणा का कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, दावा करने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त घोषणा का भी दावा कर सकेगा कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है ।]

85. [याचिका प्राप्त होने पर प्रक्रिया ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम,1966 (1966 का 47) की धारा 40 द्वारा (14-12-1966 से) निरसित ।

अध्याय 3—निर्वाचन अर्जियों का विचारण

[3][**86. निर्वाचन अर्जियों का विचारण**—(1) उच्च न्यायालय किसी निर्वाचन अर्जी को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन निर्वाचन अर्जी को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश धारा 98 के खंड (क) के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा ।

(2) उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी उपस्थापित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उसे उस न्यायाधीश को या उन न्यायाधीशों में से एक को निर्दिष्ट किया जाएगा जो निर्वाचन अर्जियों के विचारण के लिए मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा धारा 80क की उपधारा (2) के अधीन समनुदिष्ट किया गया है या किए गए हैं ।

(3) जहां कि उसी निर्वाचन की बाबत एक से अधिक निर्वाचन अर्जियां उच्च न्यायालय को उपस्थापित की जाती हैं, वहां उनमें से सब उसी न्यायाधीश को विचारण के लिए निर्दिष्ट की जाएंगी जो अपने विवेकानुसार उनको पृथक्तत: या एक या अधिक समूहों में विचारित कर सकेगा ।

(4) कोई अभ्यर्थी, जो पहले से ही प्रत्यर्थी न हों, विचारण के प्रारम्भ की तारीख से चौदह दिन के भीतर उच्च न्यायालय से उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर और खर्चों के लिए प्रतिभूति के बारे में किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन, जो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाए, प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किए जाने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और धारा 97 के प्रयोजनों के लिए किसी अर्जी का विचारण उस तारीख को प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा जो प्रत्यर्थियों के उच्च न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने और अर्जी में किए गए दावे या दावों का उत्तर देने के लिए नियत की गई है ।

(5) उच्च न्यायालय खर्चों के बारे में और अन्यथा ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, अर्जी में अभिकथित किसी भ्रष्ट आचरण की विशिष्टियों के ऐसी रीति में संशोधन किए जाने या परिवर्धित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा जैसी अर्जी के ऋजु या प्रभावी विचारण को सुनिश्चित करने के लिए उसकी राय में आवश्यक हों, किन्तु अर्जी का कोई ऐसा संशोधन अनुज्ञात नहीं करेगा जिसका प्रभाव भ्रष्ट आचरण की ऐसी विशिष्टियों को, जो अर्जी में पहले से अभिकथित न हों, प्रविष्ट करने का हो ।

(6) निर्वाचन अर्जी का विचारण, जहां तक कि वह विचारण के बारे में न्याय के हितों से संगत रहते हुए साध्य हो उसकी समाप्ति तक दिन प्रतिदिन चालू रहेगा जब तक उच्च न्यायालय उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह निष्कर्ष न निकाले कि विचारण को आगामी दिन से परे स्थगित करना आवश्यक है ।

(7) हर निर्वाचन अर्जी यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

---

1. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 18 द्वारा (20-9-1961 से) अंत: प्रतिस्थापित।

2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 47 द्वारा 84 के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित।

3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 41 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 86 से 92 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

87. Procedure before the High Court.—(*1*) Subject to the provisions of this Act and of any rules made thereunder, every election petition shall be tried by the High Court, as nearly as may be, in accordance with the procedure applicable under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) to the trial of suits:

Provided that the High Court shall have the discretion to refuse, for reasons to be recorded in writing, to examine any witness or witnesses if it is of the opinion that the evidence of such witness or witnesses is not material for the decision of the petition or that the party tendering such witness or witnesses is doing so on frivolous grounds or with a view to delay the proceedings.

(*2*) The provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), shall, subject to the provisions of this Act, be deemed to apply in all respects to the trial of an election petition.]

93. Documentary evidence.—Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence at the trial of an election petition on the ground that it is not duly stamped or registered.

94. Secrecy of voting not to be infringed.—No witness or other person shall be required to state for whom he has voted at an election:

[1][Provided that this section shall not apply to such witness or other person where he has voted by open ballot.]

95. Answering of criminating questions and certificate of indemnity.—(*1*) No witness shall be excused from answering any question as to any matter relevant to a matter in issue in the trial of an election petition upon the ground that the answer to such question may criminate or may tend to criminate him, or that it may expose or may tend to expose him to any penalty or forfeiture:

Provided that—

(*a*) a witness, who answers truly all questions which he is required to answer shall be entitled to receive a certificate of indemnity from [2][the High Court]; and

(*b*) an answer given by a witness to a question put by or before [2][the High Court] shall not, except in the case of any criminal proceeding for perjury in respect of the evidence, be admissible in evidence against him in any civil or criminal proceeding.

(*2*) When a certificate of indemnity has been granted to any witness, it may be pleaded by him in any court and shall be a full and complete defence to or upon any charge under Chapter IXA of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), or Part VII of this Act arising out of the matter to which such certificate relates, but it shall not be deemed to relieve him from any disqualification in connection with an election imposed by this Act or any other law.

96. Expenses of witnesses.—The reasonable expenses incurred by any person in attending to give evidence may be allowed by [2][the High Court] to such person and shall, unless [2][the High Court] otherwise directs, be deemed to be part of the costs.

97. Recrimination when seat claimed.—(*1*) When in an election petition a declaration that any candidate other than the returned candidate has been duly elected is claimed, the returned candidate or any other party may give evidence to prove that the election of such candidate would have been void if he had been the returned candidate and a petition had been presented calling in question his election:

Provided that the returned candidate or such other party, as aforesaid shall not be entitled to give such evidence unless he has, within fourteen days from the date of [3][commencement of the trial], given notice to [2][the High Court] of his intention to do so and has also given the security and the further security referred to in sections 117 and 118 respectively.

(*2*) Every notice referred to in sub-section (*1*) shall be accompanied by the statement and [4]* * * particulars required by section 83 in the case of an election petition and shall be signed and verified in like manner.

98. Decision of the [2][High Court].—At the conclusion of the trial of an election petition [2][the High Court] shall make an order—

(*a*) dismissing the election petition; or

1. Ins. by Act 40 of 2003, s. 4 (w.e.f. 28-8-2003).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).
3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 52, for "the publication of the election petition under section 90" (w.e.f. 28-8-1956).
4. The words "list of" omitted by s. 52, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956).

87. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया—(1) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, हर निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय द्वारा यथाशक्य निकटतम उस प्रक्रिया के अनुसार विचारित की जाएगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वादों के विचारण को लागू है :

परंतु उच्च न्यायालय को यह विवेकाधिकार होगा कि वह उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे किसी साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने से इन्कार कर दे, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे साक्षी या साक्षियों का साक्ष्य अर्जी के विनिश्चय के लिए तात्त्विक नहीं है या यह कि ऐसे साक्षी या साक्षियों को पेश करने वाला पक्षकार तुच्छ आधारों पर या कार्यवाहियों को निलंबित करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है ।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबन्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सब प्रकार निर्वाचन अर्जी के विचारण को लागू होंगे, यह समझा जाएगा ।]

93. दस्तावेजी साक्ष्य—किसी अधिनियमिति में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी, कोई भी दस्तावेज निर्वाचन अर्जी के विचारण में साक्ष्य के रूप में इस आधार पर कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है अग्राह्य न होगी ।

94. मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न किया जाना—-किसी साक्ष्य या अन्य व्यक्ति से यह कथित करने की अपेक्षा न की जाएगी कि उसने निर्वाचन में किसके लिए मत दिया है :

[1][परन्तु यह धारा ऐसे साक्षी या अन्य व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसने खुले मतपत्र द्वारा मत दिया हो ।]

95. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण का प्रमाणपत्र—(1) कोई साक्षी, निर्वाचन अर्जी के विचारण में विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से, इस आधार पर क्षम्य न होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसा सकेगा या उसकी प्रवृत्ति अपराध में फंसाने की होगी अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न् कर सकेगा या उसकी प्रवृत्ति उच्छन्न करने की हो सकेगी:

परंतु—

(क) वह साक्षी जो उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देता है जिनका उत्तर देने की उससे अपेक्षा की गई है [2][उच्च न्यायालय] से परित्राण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, तथा

(ख) [2][उच्च न्यायालय] के द्वारा या समक्ष किए गए प्रश्न का जो उत्तर साक्षी द्वारा दिया गया है, वह उस साक्ष्य संबंधी शपथ-भंग के लिए दाण्डिक कार्यवाही की दशा में ग्राह्य होने के सिवाय, उसके विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में साक्ष्य में ग्राह्य न होगा ।]

(2) जबकि किसी साक्षी को परित्राण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर दिया गया है तब उसका अभिवचन वह किसी न्यायालय में कर सकेगा और ऐसे किसी विषय से उद्भूत होने वाले, जिसके संबंध में ऐसा प्रमाणपत्र है, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 9क के अधीन या इस अधिनियम के भाग 7 के अधीन किसी आरोप के विरुद्ध या बाबत सम्पूर्ण प्रतिरक्षा होगी, किन्तु उसकी बाबत यह न समझा जाएगा कि वह निर्वाचन से संसक्त किसी ऐसी निरर्हता से, जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित है, उससे अवमुक्त कर देता है ।

96. साक्षियों के व्यय—साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने में किसी व्यक्ति द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय [2][उच्च न्यायालय] ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञात कर सकेगा और जब तक कि [2][उच्च न्यायालय] अन्यथा निर्दिष्ट न करे वे युक्तियुक्त व्यय खर्च के भाग समझे जाएंगे ।

97. स्थान के लिए दावा किए जाने पर प्रत्यारोप—(1) जबकि निर्वाचन अर्जी में इस घोषणा का दावा किया गया है कि निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न कोई अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है तब निर्वाचित अभ्यर्थी या कोई अन्य पक्षकार यह साबित करने के लिए साक्ष्य दे सकेगा कि यदि ऐसा अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी होता और उसके निर्वाचन को प्रश्नगत करने के लिए अर्जी दी गई होती, तो ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य होता:

परंतु जब तक कि निर्वाचित अभ्यर्थी या यथापूर्वोक्त जैसे अन्य पक्षकार ने अपने ऐसा करने के आशय की सूचना [2][उच्च न्यायालय] को [3][विचारण प्रारम्भ होने की] तारीख से चौदह दिन के भीतर न दे दी हो और क्रमश: धाराओं 117 और 118 में निर्दिष्ट प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति भी न दे दी हो, वह ऐसा साक्ष्य देने के लिए हकदार न होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हर सूचना के साथ वह कथन और [4]*** विशिष्टियां होंगी जो निर्वाचन अर्जी की दशा में धारा 83 द्वारा अपेक्षित हैं और वह ऐसी ही रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित होंगी ।

98. [2][उच्च न्यायालय] का विनिश्चय—निर्वाचन अर्जी के विचारण की समाप्ति पर [2][उच्च न्यायालय]—

(क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करने का, अथवा

1. 2003 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 4 द्वारा (28-8-2003 से) अंत: प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 42 द्वारा (14-12-1966 से) 'न्यायाधिकरण' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 52 द्वारा ''धारा 90 के अधीन निर्वाचन याचिका के प्रकाशन की'' के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 52 द्वारा ''की सूची'' शब्दों का (28-8-1956 से) लोप किया गया।

(*b*) declaring the election of [1][all or any of the returned candidates] to be void; or

(*c*) declaring the election, of [1][all or any of the returned candidates] to be void and the petitioner or any other candidate to have been duly elected. [2]* * *

[2]* * * * *

99. Other orders to be made by the [3][**High Court**].—(*1*) At the time of making an order under section 98 [3][the High Court] shall also make an order—

[4][(*a*) where any charge is made in the petition of any corrupt practice having been committed at the election, recording—

(*i*) a finding whether any corrupt practice has or has not been proved to have been committed [5]*** at the election, and the nature of that corrupt practice; and

(*ii*) the names of all persons, if any, who have been proved at the trial to have been guilty of any corrupt practice and the nature of that practice; and]

(*b*) fixing the total amount of costs payable and specifying the persons by and to whom costs shall be paid:

Provided that [6][a person who is not a party to the petition shall not be named] in the order under sub-clause (*ii*) of clause (*a*) unless—

(*a*) he has been given notice to appear before [3][the High Court] and to show cause why he should not be so named; and

(*b*) if he appears in pursuance of the notice, he has been given an opportunity of cross-examining any witness who has already been examined by [3][the High Court] and has given evidence against him, of calling evidence in his defence and of being heard.

[7][(*2*) In this section and in section 100, the expression "agent" has the same meaning as in section 123.]

100. Grounds for declaring election to be void.—[8][(*1*) Subject to the provisions of sub-section (*2*) if [3][the High Court] is of opinion—

(*a*) that on the date of his election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under the Constitution or this Act [9][or the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963)]; or

(*b*) that any corrupt practice has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person with the consent of a returned candidate or his election agent; or

---

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 53, for "the returned candidate" (w.e.f. 28-8-1956).
2. The word "or" and clause (*d*) omitted by s. 53, *ibid*. (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).
4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 54, for cl. (*a*) (w.e.f. 28-8-1956).
5. Certain words omitted by Act 58 of 1958, s. 29 (w.e.f. 30-12-1958).
6. Subs. by Act 27 of 1956, s. 54, for "no person shall be named" (w.e.f. 28-8-1956).
7. Subs. by s. 54, *ibid.,* for sub-section (*2*) (w.e.f. 28-8-1956).
8. Subs. by s. 55, *ibid.,* for sub-sections (*1*) and (*2*) (w.e.f. 28-8-1956).
9. Ins. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Sch. (w.e.f. 13-5-1963) the words "or the Government of Part C States Act, 1951 (49 of 1951)" were omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).

(ख) यह घोषणा करने वाला कि [1][सब निर्वाचित अभ्यर्थियों का या उनमें से किसी] का निर्वाचन शून्य है, अथवा

(ग) यह घोषणा करने वाला कि सब [1][निर्वाचित अभ्यर्थियों का या उनमें से किसी] का निर्वाचन शून्य है और अर्जीदार या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है [2]***

[2]* * * * *

आदेश करेगा ।

99. [3][उच्च न्यायालय] द्वारा किए जाने वाले अन्य आदेश—(1) धारा 98 के अधीन आदेश करते समय [3][उच्च न्यायालय]—

[4][(क) उस दशा में, जिसमें अर्जी में यह आरोप किया गया है कि निर्वाचन में कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है —

(i) यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि निर्वाचन में [5]*** किसी भ्रष्ट आचरण का किया जाना साबित हुआ है या साबित नहीं हुआ है और उस भ्रष्ट आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए, तथा

(ii) उन सब व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हों, जिनकी बाबत विचारण में यह साबित हुआ है कि वे किसी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं और उस आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए, तथा]

(ख) संदेय खर्चों की कुल रकम को नियत करते हुए उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए जिनके द्वारा और जिनको खर्च दिए जाएंगे,

आदेश भी करेगा:

परंतु जब तक [6][उस व्यक्ति को, जो अर्जी का पक्षकार नही है—]

(क) [3][उच्च न्यायालय] के समक्ष उपसंजात होने के लिए और यह हेतुक दर्शित करने की कि उसे क्यों न ऐसे नामित किया जाए, सूचना न दे दी गई हो, तथा

(ख) यदि वह सूचना के अनुसरण में उपसंजात होता है, तो उस [3][उच्च न्यायालय] द्वारा पहले ही जिस साक्षी की परीक्षा की जा चुकी है और जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है उसकी प्रतिपरीक्षा करने का, अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने या कराने का और अपनी सुनवाई का अवसर न दे दिया गया है,

उसे खण्ड (क) के उपखंड (ii) के अधीन आदेश में [6][नामित न किया जाएगा] ।

[7][(2) इस धारा में और धारा 100 में "अभिकर्ता" पद का वही अर्थ है जो उसका धारा 123 में है ।]

100. निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार—[8][(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यह कि यदि [3][उच्च न्यायालय] की यह राय है कि—

(क) निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन की तारीख को स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए संविधान या इस अधिनियम के [9][या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के अधीन अर्हित नहीं था या निरर्हित कर दिया गया था; अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; अथवा

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 53 द्वारा (28-8-1956 से) "निर्वाचित अभ्यर्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 53 द्वारा (28-8-1956 से) "या" और खंड (घ) का लोप किया गया ।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 42 द्वारा (14-12-1966 से) "अधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 54 द्वारा (28-8-1956 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 29 द्वारा (30-12-1958 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 54 द्वारा (28-8-1956 से) "किसी व्यक्ति को नामित न किया जाएगा " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 54 द्वारा (28-8-1956 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 55 द्वारा (28-8-1956 से) उपधाराओं (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. 1963 के अधिनियम सं॰ 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा (13-5-1963 से) अन्तःस्थापित। "भाग ग राज्यों की सरकार अधिनियम, 1951 (1951 का 49)" शब्दों का विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया।

(*c*) that any nomination has been improperly rejected; or

(*d*) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected—

(*i*) by the improper acceptance or any nomination, or

(*ii*) by any corrupt practice committed in the interests of the returned candidate [1][by an agent other than his election agent], or

(*iii*) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or

(*iv*) by any non-compliance with the provisions of the Constitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act,

[2][the High Court] shall declare the election of the returned candidate to be void.]

[3][(*2*)] If in the opinion of [2][the High Court], a returned candidate has been guilty by an agent, other than his election agent, of any corrupt practice [4]*** but [2][the High Court] is satisfied—

(*a*) that no such corrupt practice was committed at the election by the candidate or his election agent, and every such corrupt practice was committed contrary to the orders, and [5][without the consent], of the candidate or his election agent;

[6]* * * * *

(*c*) that the candidate and his election agent took all reasonable means for preventing the commission of corrupt [7]*** practices at the election; and

(*d*) that in all other respects the election was free from any corrupt [7]*** practice on the part of the candidate or any of his agents,

then [2][the High Court] may decide that the election of the returned candidate is not void.

101. Grounds for which a candidate other than the returned candidate may be declared to have been elected.—If any person who has lodged a petition has, in addition to calling in question the election of the returned candidate, claimed a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected and [2][the High Court] is of opinion—

(*a*) that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of the valid votes; or

(*b*) that but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt [8]* * * practices the petitioner or such other candidate would have obtained a majority of the valid votes,

[2][the High Court] shall after declaring the election of the returned candidate to be void declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected.

102. Procedure in case of an equality of votes.—If during the trial of an election petition it appears that there is an equality of votes between any candidates at the election and that the addition of a vote would entitle any of those candidates,—

---

1. Subs. by Act 58 of 1958, s. 30, for certain words (w.e.f. 30-12-1958).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).
3. Sub-section (*3*) re-numbered as sub-section (*2*) by Act 27 of 1956, s. 55 (w.e.f. 28-8-1956).
4. The words and figures "specified in section 123" omitted by s. 55, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956).
5. Subs. by s. 55, *ibid*., for "without the sanction or connivance" (w.e.f. 28-8-1956).
6. Cl. (*b*) omitted by Act 58 of 1958, s. 30 (w.e.f. 30-12-1958).
7. The words "or illegal" omitted by Act 27 of 1956, s. 55 (w.e.f. 28-8-1956).
8. The words "or illegal" omitted by s. 56, *ibid.* (w.e.f. 28-8-1956).

(ग) कोई नामनिर्देशन अनुचित रूप से प्रतिक्षेपित किया गया है; अथवा

(घ) जहां तक कि निर्वाचन का परिणाम निर्वाचित अभ्यर्थी से सम्पृप्त है, वहां तक निर्वाचन परिणाम—

(i) किसी नामनिर्देशन के अनुचित प्रतिग्रहण से, अथवा

(ii) ऐसे किसी भ्रष्ट आचरण से, जो निर्वाचित अभ्यर्थी के हित में [1][उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा] किया गया है; अथवा

(iii) किसी मत के अनुचित तौर पर लिए जाने के इन्कार करने या प्रतिक्षेपित किए जाने के या ऐसे किसी मत के लिए जाने के, जो शून्य हो, कारण से, अथवा

(iv) संविधान के या अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबंधों के किसी अनुपालन से, तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है,

तो [2][उच्च न्यायालय] निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की बाबत यह घोषणा करेगा कि वह शून्य है ।]

[3][(2)] यदि [2][उच्च न्यायालय] की यह राय है कि निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा [4]***किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा है किन्तु [2][उच्च न्यायालय] का यह समाधान हो गया है कि—

(क) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया था और हर ऐसा भ्रष्ट आचरण अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के आदेशों के प्रतिकूल था उसका [5][सम्मति के बिना] किया गया था,

[6]* * * * *

(ग) अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में भ्रष्ट [7]***आचरण किए जाने का निवारण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय किए थे, तथा

(घ) निर्वाचन अन्य सब बातों में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं में से किसी की तरफ से किसी भी भ्रष्ट [7]***आचरण से मुक्त था,

तो [2][उच्च न्यायालय] यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य नहीं है ।

101. निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा वे आधार—यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसने अर्जी दाखिल की है निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिए दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है और [2][उच्च न्यायालय] की यह राय है कि—

(क) अर्जीदार को या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की बहुसंख्या वास्तव में प्राप्त हुई है, अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी को भ्रष्ट [8]***आचरण द्वारा अभिप्राप्त मतों के अभाव में अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधि मान्य मतों की बहुसंख्या अभिप्राप्त हुई होती,

तो [2][उच्च न्यायालय] निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के पश्चात् यह घोषणा करेगा कि, यथास्थिति, अर्जीदार या ऐसा अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है ।

102. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया—यदि निर्वाचित अर्जी के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में एक मत के जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा, तो—

---

1. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 30 द्वारा (30-12-1958 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 42 द्वारा (14-12-1966 से) "न्यायाधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 55 द्वारा (28-8-1956 से) उपधारा (3) को उपधारा (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 55 द्वारा (28-8-1956 से) "धारा 123 में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 55 द्वारा (28-8-1956 से) "बिना मंजूरी और मौनानुकूलता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 30 द्वारा (30-12-1958 से) खंड (ख) का लोप किया गया ।
7. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 55 द्वारा (28-8-1956 से) "या अवैध" शब्दों का लोप किया गया ।
8. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 56 द्वारा (28-8-1956 से) "या अवैध" शब्दों का लोप किया गया ।

(*a*) any decision made by the returning officer under the provisions of this Act shall, in so far as it determines the question between those candidates, be effective also for the purposes of the petition; and

(*b*) in so far as that question is not determined by such a decision [1][the High Court] shall decide between them by lot and proceed as if the one on whom the lot then falls had received an additional vote.

[2][**103. Communication of orders of the High Court.**—The High Court shall, as soon as may be after the conclusion of the trial of an election petition, intimate the substance of the decision to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned and, as soon as may be thereafter, shall send to the Election Commission an authenticated copy of the decision.]

104. [*Difference of opinion among the members of the Tribunal.*] *Omitted by the Representation of the People (Second Amendment) Act*, 1956 (27 *of* 1956), *s.* 57 (*w.e.f.* 28-8-1956).

105. [*Orders of the Tribunal to be final and conclusive.*] *Omitted by s.* 58, *ibid*.

106. Transmission of order to the appropriate authority, etc., and its publication.—As soon as may be after the receipt of any order made by [3][the High Court] under section 98 or section 99, the Election Commission shall forward copies of the order to the appropriate authority and, in the case where such order relates to an election [4]*** to a House of Parliament or to an election to the House or a House of the Legislature of a State, also to the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House concerned and [5][shall cause the order to be published—

(*a*) where the order relates to an election to a House of Parliament, in the Gazette of India as well as in the Official Gazette of the State concerned; and

(*b*) where the order relates to an election to the House or a House of the Legislature of the State, in the Official Gazette of the State.]

[6][**107. Effect of orders of the High Court.**—[7][(*1*) Subject to the provisions contained in Chapter IVA relating to the stay of operation of an order of the High Court under section 98 or section 99, every such order shall take effect as soon as it is pronounced by the High Court.]

(*2*) Where by an order under section 98 the election of a returned candidate is declared to be void, acts and proceedings in which that returned candidate has, before the date thereof, participated as a member of Parliament or as a member of the Legislature of a State shall not be invalidated by reason of that order, nor shall such candidate be subjected to any liability or penalty on the ground of such participation.]

CHAPTER IV.—*Withdrawal and Abatement of Election Petitions*

108. [*Withdrawal of petitions before appointment of Tribunal.*] *Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1966 (47 *of* 1966), *s.* 45 (*w.e.f.* 14-12-1966).

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).
2. Subs. by s. 43, *ibid.,* for s. 103 (w.e.f. 14-12-1966).
3. Subs. by s. 44, *ibid.*, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).
4. The words and brackets "(other than a primary election)" omitted by Act 27 of 1956, s. 59 (w.e.f. 28-8-1956).
5. Subs. by *ibid.,* s. 59, for certain words (w.e.f. 28-8-1956).
6. Subs. by s. 60, *ibid.*, for s. 107 (w.e.f. 28-8-1956).
7. Subs. by Act 47 of 1966, s. 44, for sub-section (*1*) (w.e.f. 14-12-1966).

(क) रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया कोई विनिश्चय वहां तक, जहां तक कि उन अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न का अवधारण करता है, उस अर्जी के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा, तथा

(ख) जहां तक कि वह प्रश्न ऐसे विनिश्चय द्वारा अवधारित नहीं हुआ है, वहां तक [1][उच्च न्यायालय] उनके बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस किसी के पक्ष में लाट निकल आए उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ था।

[2][**103. उच्च न्यायालय के आदेशों की संसूचना**—उच्च न्यायालय निर्वाचन अर्जी के विचारण की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विनिश्चय के सारांश की प्रज्ञापना निर्वाचन आयोग और, यथास्थिति, संसद् के या सम्पृक्त राज्य विधान-मंडल के सदन के अध्यक्ष या सभापति को देगा और तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विनिश्चय की अधिप्रमाणिकृत प्रति निर्वाचन आयोग को भेजेगा।]

104. [न्यायाधिकरण के सदस्यों की राय में भिन्नता।]—लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) की धारा 57 द्वारा (28-8-1956 से) निरसित।

105. [न्यायाधिकरण के आदेश अन्तिम और विनिश्चायक होंगे।]—लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) की धारा 58 द्वारा निरसित।

106. आदेश का समुचित प्राधिकारी आदि को पारेषण और उसका प्रकाशन—निर्वाचन आयोग, [3][उच्च न्यायालय] द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए किसी आदेश की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र आदेश की प्रतियां समुचित प्राधिकारी को भेजेगा, और जहां कि ऐसा आदेश [4]***संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन से या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन से संबद्ध है, वहां, यथास्थिति, सम्पृक्त सदन के अध्यक्ष या सभापति को भी भेजेगा, और [5][आदेश को—

(क) जहां कि आदेश संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन से संबद्ध है, वहां भारत के राजपत्र में और साथ ही सम्पृक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में, तथा

(ख) जहां कि आदेश के राज्य विधान-मंडल के सदन या सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन से संबद्ध है वहां राज्य के शासकीय राजपत्र में,

प्रकाशित कराएगा ।]

[6][**107. उच्च न्यायालय के आदेशों का प्रभाव**—[7][(1) अध्याय 4क में अन्तर्विष्ट उन उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए जो उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन को रोक देने से संबंधित है, यह है कि हर ऐसा आदेश ज्यों ही उच्च न्यायालय द्वारा प्रख्यापित किया जाए त्यों ही प्रभावी हो जाएगा।]

(2) जहां कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन धारा 98 के अधीन आदेश द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है । जहां वे कार्य और कार्यवाही जिनमें उस निर्वाचित अभ्यर्थी ने उसकी तारीख के पूर्व संसद् के सदस्य के रूप में या राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया है, उस आदेश के कारण ही अविधिमान्य न हो जाएगी और न ऐसा अभ्यर्थी ऐसे भाग लेने के आधार पर ही किसी दायित्व या शास्ति के अध्यधीन किया जाएगा।]

अध्याय 4—निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण और उपशमन

108. [न्यायाधिकरण की नियुक्ति से याचिकाओं का प्रत्याहरण।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 47) की धारा 45 द्वारा (14-12-1966 से) निरसित।

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 42 द्वारा (14-12-1966 से) "न्यायाधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 43 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 44 द्वारा (14-12-1966 से) "न्यायाधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 59 द्वारा (28-8-1956 से) "(प्राथमिक निर्वाचन से भिन्न)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 59 द्वारा (28-8-1956 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 60 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 107 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 44 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**109. Withdrawal of election petitions.**—(*1*) An election petition may be withdrawn only by leave of the High Court.

(*2*) Where an application for withdrawal is made under sub-section (*1*), notice thereof fixing a date for the hearing of the application shall be given to all other parties to the petition and shall be published in the Official Gazette.

110. Procedure for withdrawal of election petitions.—(*1*) If there are more petitioners than one, no application to withdraw an election petition shall be made except with the consent of all the petitioners.

(*2*) No application for withdrawal shall be granted if, in the opinion of the High Court, such application has been induced by any bargain or consideration which ought not to be allowed.

(*3*) If the application is granted—

(*a*) the petitioner shall be ordered to pay the costs of the respondents theretofore incurred or such portion thereof as the High Court may think fit;

(*b*) the High Court shall direct that the notice of withdrawal shall be published in the Official Gazette and in such other manner as it may specify and thereupon the notice shall be published accordingly;

(*c*) a person who might himself have been a petitioner may, within fourteen days of such publication, apply to be substituted as petitioner in place of the party withdrawing, and upon compliance with the conditions, if any, as to security, shall be entitled to be so substituted and to continue the proceedings upon such terms as the High Court may deem fit.]

111. Report of withdrawal by the High Court to the Election Commission.—When an application for withdrawal is granted by [2][the High Court] and no person has been substituted as petitioner under clause (*c*) of sub-section (*3*) of section 110, in place of the party withdrawing, [2][the High Court] shall report the fact to the Election Commission [3][and thereupon the Election Commission shall publish the report in the Official Gazette].

[4][**112. Abatement of election petitions.**—(*1*) An election petition shall abate only on the death of a sole petitioner or of the survivor of several petitioners.

(*2*) Where an election petition abates under sub-section (*1*), the High Court shall cause the fact to be published in such manner as it may deem fit.

(*3*) Any person who might himself have been a petitioner may, within fourteen days of such publication, apply to be substituted as petitioner and upon compliance with the conditions, if any, as to security, shall be entitled to be so substituted and to continue the proceedings upon such terms as the High Court may deem fit.]

116. Abatement or substitution on death of respondent.—If before the conclusion of the trial of an election petition, the sole respondent dies or gives notice that he does not intend to oppose the petition or any of the respondents dies or gives such notice and there is no other respondent who is opposing the petition, [5][the High Court] shall cause notice of such event to be published in the Official Gazette, and thereupon any person who might have been a petitioner may, within fourteen days of such publication, apply to be substituted in place of such respondent to oppose the petition, and shall be entitled to continue the proceedings upon such terms as [5][the High Court] may think fit.

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 46, for ss. 109 and 110 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Subs. by s. 47, *ibid*., for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).
3. Ins. by Act 27 of 1956, s. 61 (w.e.f. 28-8-1956).
4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 48, for ss. 112 to 115 (w.e.f. 14-12-1966).
5. Subs. by s. 49, *ibid*., for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

[1][**109. निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण**—(1) निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण केवल उच्च न्यायालय की इजाजत से ही किया जा सकेगा।

(2) जहां कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन किया गया है, वहां उसकी सूचना जिसमें आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख नियत हो अर्जी के अन्य सब पक्षकारों को दी जाएगी और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

110. निर्वाचन अर्जियों के प्रत्याहरण के लिए प्रक्रिया—(1) यदि एक से अधिक अर्जीदार हों, तो निर्वाचन अर्जी के प्रत्याहरण का कोई भी आवेदन सब अर्जीदारों की सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्याहरण का कोई आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा, यदि उच्च न्यायालय की राय में ऐसा आवेदन किसी ऐसे सौदे या प्रतिफल के द्वारा उत्प्रेरित किया गया है जो अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

(3) यदि आवेदन मंजूर किया जाता है तो—

(क) अर्जीदार को आदेश दिया जाएगा कि वह प्रत्यर्थियों को तब तक उपगत खर्चों का या उनके ऐसे प्रभाग का, जैसा उच्च न्यायालय ठीक समझे, संदाय करे;

(ख) उच्च न्यायालय निदेश देगा कि प्रत्याहरण की सूचना शासकीय राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, प्रकाशित की जाएगी और तदुपरि सूचना तद्नुसार प्रकाशित की जाएगी;

(ग) कोई व्यक्ति जो स्वयं अर्जीदार हो सकता था, ऐसे प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर प्रत्याहरण करने वाले पक्षकार के स्थान में अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्रतिभूति के बारे में शर्तों का यदि कोई हों, अनुपालन करने पर ऐसे प्रतिस्थापित किए जाने का और कार्यवाहियों को ऐसे निबन्धनों पर चालू रखने का, जिसे उच्च न्यायालय ठीक समझे, हकदार होगा ।]

111. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रत्याहरण की रिपोट—जबकि प्रत्याहरण का आवेदन [2][उच्च न्यायालय] द्वारा मंजूर कर लिया गया है और धारा 110 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति प्रत्याहरण करने वाले पक्षकार के स्थान में अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, [2][उच्च न्यायालय] इस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा [3][और तदुपरि निर्वाचन आयोग रिपोर्ट को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।]

[4][**112. निर्वाचन अर्जियों का उपशमन**—(1) निर्वाचन अर्जी का उपशमन एकमात्र अर्जीदार की या कई अर्जीदारों में से उत्तरजीवी की मृत्यु पर होगा।

(2) जहां कि किसी निर्वाचन अर्जी का उपधारा (1) के अधीन उपशमन हो जाता है वहां उच्च न्यायालय उस तथ्य का ऐसी रीति में, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशन करवाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो स्वयं अर्जीदार हो सकता था, ऐसे प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्रतिभूति के बारे में शर्तों का, यदि कोई हों, अनुपालन करने पर ऐसे प्रतिस्थापित किए जाने का और कार्यवाहियों को ऐसे निबन्धनों पर चालू रखने का, जैसे उच्च न्यायालय ठीक समझे, हकदार होगा।]

116. प्रत्यर्थी की मृत्यु पर उपशमन या प्रतिस्थापन—निर्वाचन अर्जी के परीक्षण की समाप्ति से पूर्व यदि एक मात्र प्रत्यर्थी मर जाता है या यह सूचना देता है कि वह अर्जी का विरोध करने का आशय नहीं रखता या प्रत्यर्थियों में से कोई मर जाता है या ऐसी सूचना देता है और अर्जी के विरोध करने वाला कोई अन्य प्रत्यर्थी नहीं है तो [5][उच्च न्यायालय] ऐसी घटना की सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा और तदुपरि कोई व्यक्ति, जो अर्जीदार हो सकता था, ऐसे प्रत्यर्थी के स्थान में अर्जी का विरोध करने के लिए प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन ऐसे प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर कर सकेगा और ऐसे निबन्धनों पर, जैसे [2][उच्च न्यायालय] ठीक समझता हो, कार्यवाही को चालू रखने का हकदार होगा।

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 46 द्वारा (14-12-1966 से) 109 और 110 धाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 47 द्वारा (14-12-1966 से) "न्यायाधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 61 द्वारा (28-8-1956 से) अन्तःस्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 48 द्वारा (14-12-1966 से) 112 से 115 तक की धाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 49 द्वारा (14-12-1966 से) "न्यायाधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][CHAPTER IVA.—*Appeals*

[2][**116A. Appeals to Supreme Court.**—(*1*) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the Supreme Court on any question (whether of law or fact) from every order made by a High Court under section 98 or section 99.

(*2*) Every appeal under this Chapter shall be preferred within a period of thirty days from the date of the order of the High Court under section 98 or section 99:

Provided that the Supreme Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

116B. Stay of operation of order of High Court.—(*1*) An application may be made to the High Court for stay of operation of an order made by the High Court under section 98 or section 99 before the expiration of the time allowed for appealing therefrom and the High Court may, on sufficient cause being shown and on such terms and conditions as it may think fit, stay the operation of the order; but no application for stay shall be made to the High Court after an appeal has been preferred to the Supreme Court.

(*2*) Where an appeal has been preferred against an order made under section 98 or section 99, the Supreme Court may, on sufficient cause being shown and on such terms and conditions as it may think fit, stay the operation of the order appealed from.

(*3*) When the operation of an order is stayed by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court, the order shall be deemed never to have taken effect under sub-section (*1*) of section 107; and a copy of the stay order shall immediately be sent by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court, to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned.

116C. Procedure in appeal.—(*1*) Subject to the provisions of this Act and of the rules, if any, made thereunder, every appeal shall be heard and determined by the Supreme Court as nearly as may be in accordance with the procedure applicable to the hearing and determination of an appeal from any final order passed by a High Court in the exercise of its original civil jurisdiction; and all the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), and the Rules of the Court (including provisions as to the furnishing of security and the execution of any order of the Court) shall, so far as may be, apply in relation to such appeal.

(*2*) As soon as an appeal is decided, the Supreme Court shall intimate the substance of the decision to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned and as soon as may be thereafter shall send to the Election Commission an authenticated copy of the decision; and upon its receipt, the Election Commission shall—

(*a*) forward copies thereof to the authorities to which copies of the order of the High Court were forwarded under section 160; and

(*b*) cause the decision to be published in the Gazette or Gazettes in which that order was published under the said section.]

1. Ins. by Act 27 of 1956, s. 62 (w.e.f. 28-8-1956).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 50, for ss. 116A and 116B (w.e.f. 14-12-1966).

[1][**अध्याय 4क—अपीलें**

[2][**116क. उच्चतम न्यायालय में अपीलें**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए हर आदेश से किसी भी प्रश्न पर (चाहे वह विधि का हो या तथ्य का) अपील उच्चतम न्यायालय में होगी।

(2) इस अध्याय के अधीन हर अपील उच्च न्यायालय के धारा 98 या धारा 99 के अधीन के आदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी:

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक था तो वह तीस दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

116ख. उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन का रोका जाना—(1) उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए आवेदन, उस आदेश से अपील करने के लिए अनुज्ञात समय के अवसान के पूर्व उच्च न्यायालय को किया जा सकेगा और उच्च न्यायालय, पर्याप्त हेतुक के दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को रोक सकेगा; किन्तु उच्चतम न्यायालय को अपील कर देने के पश्चात्, रोकने के लिए कोई भी आवेदन, उच्च न्यायालय को नहीं किया जाएगा।

(2) जहां कि धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, वहां उच्चतम न्यायालय, पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसकी अपील की गई है, रोक सकेगा।

(3) जहां किसी आदेश का प्रवर्तन, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रोका जाता है, वहां उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह आदेश धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन कभी भी प्रभावी नहीं हुआ ; और उस रोक आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को और, यथास्थिति, संसद् के या सम्पृक्त राज्य विधान-मंडल के सदन के अध्यक्ष या सभापति को तुरंत भेजी जाएगी।

116ग. अपील में प्रक्रिया—(1) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों के, यदि कोई हों, उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए हर अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा उस प्रक्रिया के यथाशक्य निकटतम अनुसार सुनी और अवधारित की जाएगी जो ऐसी अपील की सुनवाई और अवधारण को लागू होती है जो उच्च न्यायालय द्वारा उसकी मूल सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित किसी अन्तिम आदेश से की जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के और उस न्यायालय के नियमों के सभी उपबन्ध (जिनके अन्तर्गत प्रतिभूति देने और न्यायालय के किसी आदेश के निष्पादन से सम्बद्ध उपबन्ध आते हैं) ऐसी अपील के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे।

(2) ज्यों ही अपील विनिश्चित की जाए त्योंही उच्चतम न्यायालय, विनिश्चय का सार, निर्वाचन आयोग को और, यथास्थिति, संसद् के या संपृक्त राज्य विधान-मंडल के सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रज्ञापित करेगा और तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विनिश्चय की एक अधिप्रमाणीकृत प्रति निर्वाचन आयोग को भेजेगा, और उसकी प्राप्ति पर निर्वाचन आयोग—

(क) उसकी प्रतियां उन प्राधिकारियों को भेजेगा जिनको उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतियां धारा 106 के अधीन भेजी गई थीं; तथा

(ख) उस विनिश्चय को उस राजपत्र में या उन राजपत्रों में प्रकाशित करवाएगा जिसमें या जिनमें वह आदेश उक्त धारा के अधीन प्रकाशित किया गया था।]

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 62 द्वारा (28-8-1956 से) अन्तःस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 50 द्वारा (14-12-1966 से) 116क और 116ख धाराएं प्रतिस्थापित।

CHAPTER V.—*Cost and Security for Costs*

[1][**117. Security for costs.**—(*1*) At the time of presenting an election petition, the petitioner shall deposit in the High Court in accordance with the rules of the High Court a sum of two thousand rupees as security for the costs of the petition.

(*2*) During the course of the trial of an election petition, the High Court may, at any time, call upon the petitioner to give such further security for costs as it may direct.

118. Security for costs from a respondent.—No person shall be entitled to be joined as a respondent under sub-section (*4*) of section 86 unless he has given such security for costs as the High Court may direct.

119. Costs.—Costs shall be in the discretion of the High Court:

Provided that where a petition is dismissed under clause (*a*) of section 98, the returned candidate shall be entitled to the costs incurred by him in contesting the petition and accordingly the High Court shall make an order for costs in favour of the returned candidate.]

121. Payment of costs out of security deposits and return of such deposits.—(*1*) If in any order as to costs under the provisions of this Part there is a direction for payment of costs by any party to any person, such costs shall, if they have not been already paid, be paid in full, or so far as possible, out of the security deposit and the further security deposit, if any, made by such party under this Part on an application made in writing in that behalf [2][within a period of one year, from the date of such order] to [3][the High Court] by the person in whose favour the costs have been awarded.

(*2*) If there is any balance left of any of the said security deposits after payment under sub-section (1) of the costs referred to in that sub-section, such balance, or where no costs have been awarded or no application as aforesaid has been made within the said period of [4][one year] the whole of the said security deposits may, on an application made in that behalf in writing to [3][the High Court] by the person by whom the deposits have been made, or if such person dies after making such deposits, by the legal representative of such person, be returned to the said person or to his legal representative, as the case may be.

122. Execution of orders as to costs.—Any order as to costs under the provisions of this Part may be produced before the principal civil court of original jurisdiction within the local limits of whose jurisdiction any person directed by such order to pay any sum of money has a place of residence or business, or where such place is within a presidency-town, before the court of small causes having jurisdiction there, and such court shall execute the order or cause the same to be executed in the same manner and by the same procedure as if it were a decree for the payment of money made by itself in a suit:

Provided that where any such costs or any portion thereof may be recovered by an application made under sub-section (*1*) of section 121, no application shall lie under this section [5][within a period of one year from the date of such order] unless it is for the recovery of the balance of any costs which has been left unrealised after an application has been made under that sub-section owing to the insufficiency of the amount of the security deposits referred to in that sub-section.

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 51, for ss. 117, 118, 119, 119A and 120 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Subs. by Act 58 of 1958, s. 34, for certain words (w.e.f. 30-12-1958).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 52, for "the Election Commission" (w.e.f. 14-12-1966).
4. Subs. by Act 58 of 1958, s. 34, for "six months" (w.e.f. 30-12-1958).
5. Subs. by s. 35, *ibid*., for certain words (w.e.f. 30-12-1958).

अध्याय 5—खर्चे और खर्चों के लिए प्रतिभूति

[1][**117. खर्चों के लिए प्रतिभूति**—(1) निर्वाचन अर्जी के उपस्थापन के समय अर्जीदार उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार अर्जी के खर्चों के लिए प्रतिभूति के रूप में दो हजार रुपए की राशि का निक्षेप उच्च न्यायालय में करेगा।

(2) निर्वाचन अर्जी के विचारण के दौरान उच्च न्यायालय किसी भी समय अर्जीदार से खर्चों के लिए ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसी वह निर्दिष्ट करे।

118. प्रत्यर्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति—जब तक किसी व्यक्ति ने खर्चों के लिए ऐसी प्रतिभूति न दे दी हो, जैसी उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाए, तब तक वह व्यक्ति धारा 86 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किए जाने का हकदार नहीं होगा।

119. खर्चे—खर्चों का अधिनिर्णय उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होगा:

परन्तु जहां कि अर्जी धारा 98 के खण्ड (क) के अधीन खारिज की जाती है, वहां निर्वाचित अभ्यर्थी ने अर्जी का प्रतिविरोध करने में जो खर्च उपगत किए हैं उन्हें पाने का वह हकदार होगा और उच्च न्यायालय खर्चे का आदेश निर्वाचित अभ्यर्थी के पक्ष में तदनुसार करेगा।]

121. प्रतिभूति निक्षेपों में से खर्चों का संदाय और ऐसे निक्षेपों की वापसी—(1) यदि इस भाग के उपबन्धों के अधीन खर्चों की बाबत किसी आदेश में किसी व्यक्ति को किसी पक्षकार द्वारा खर्चों का संदाय किए जाने के लिए निदेश है तो यदि ऐसे खर्चे पहले ही संदत्त नहीं कर दिए गए हों तो ऐसे खर्चे ऐसे पक्षकार के द्वारा इस भाग के अधीन किए गए प्रतिभूति निक्षेप में से और यदि अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप हो तो उनमें से भी तन्निमित्त उस लिखित आवेदन पर पूर्णत: या यावत्साध्य दिए जाएंगे जो उस व्यक्ति ने, जिसके पक्ष में खर्चे अधिनिर्णीत किए गए हैं, [2][ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर] [3][उच्च न्यायालय] से किया है।

(2) यदि उक्त प्रतिभूति निक्षेपों में से किसी में से अतिशेष उपधारा (1) में निर्दिष्ट खर्चों का उस उपधारा के अधीन संदाय करने के पश्चात् बच जाता है, तो ऐसा अतिशेष, या जहां कि खर्चे अधिनिर्णीत नहीं किए गए हैं या यथापूर्वोक्त आवेदन [4][एक वर्ष] की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया गया है वहां उक्त प्रतिभूति निक्षेप पूर्णत: ऐसे आवेदन पर जो उस व्यक्ति द्वारा, जिसने निक्षेप किए हैं, या यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निक्षेप करने के पश्चात् मर गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा तन्निमित्त [3][उच्च न्यायालय] से लिखित रूप में किया गया है, यथास्थिति, उक्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दिए जाएंगे।

122. खर्चों संबंधी आदेशों का निष्पादन—इस भाग के उपबन्धों के अधीन खर्चों की बाबत कोई आदेश उस आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस व्यक्ति के निवास-स्थान पर कारबार का स्थान है, जिससे धन की कोई राशि संदत्त करने के लिए ऐसे आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, या जहां कि ऐसा स्थान प्रेसिडेंसी नगर के भीतर है वहां उस नगर में अधिकारिता रखने वाले लघुवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकेगा और ऐसा न्यायालय ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया द्वारा उस आदेश का निष्पादन करेगा या कराएगा मानो वह वाद में धन के संदाय के लिए उसके द्वारा दी गई डिक्री हो:

परन्तु जहां कि कोई ऐसे खर्चे या उसका कोई प्रभाग धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर वसूल किया जा सकता है, वहां जब तक कि कोई आवेदन किन्हीं खर्चों के उस अतिशेष की वसूली के लिए न हों जो उस उपधारा के अधीन किए गए आवेदन के पश्चात् इस कारण अनाप्त रह गया है कि उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेपों की रकम अपर्याप्त है, इस धारा के अधीन कोई आवेदन [5][ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर] न होगा।

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 51 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 117, धारा 118, धारा 119, धारा 119क और धारा 120 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 34 द्वारा (30-12-1958 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 52 द्वारा (14-12-1966 से) "निर्वाचन आयोग" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 34 द्वारा (30-12-1958 से) "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1958 के अधिनियम की धारा 35 द्वारा (30-12-1958 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

PART VII

[1][CORRUPT PRACTICES AND ELECTORAL OFFENCES]

[2][CHAPTER I.—*Corrupt Practice*

123. Corrupt practices.—The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:—

[3][(*1*) "Bribery", that is to say—

(*A*) any gift, offer or promise by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent of any gratification, to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly of inducing—

(*a*) a person to stand or not to stand as, or [4][to withdraw or not to withdraw] from being a candidate at an election, or

(*b*) an elector to vote or refrain from voting at an election, or as a reward to—

(*i*) a person for having so stood or not stood, or for [5][having withdrawn or not having withdrawn] his candidature; or

(*ii*) an elector for having voted or refrained from voting;

(*B*) the receipt of, or agreement to receive, any gratification, whether as a motive or a reward—

(*a*) by a person for standing or not standing as, or for [6][withdrawing or not withdrawing] from being, a candidate; or

(*b*) by any person whomsoever for himself or any other person for voting or refraining from voting, or inducing or attempting to induce any elector to vote or refrain from voting, or any candidate [4][to withdraw or not to withdraw] his candidature.

Explanation.—For the purposes of this clause the term "gratification" is not restricted to pecuniary gratifications or gratifications estimable in money and it includes all forms of entertainment and all forms of employment for reward but it does not include the payment of any expenses *bona fide* incurred at, or for the purpose of, any election and duly entered in the account of election expenses referred to in section 78.]

(*2*) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of the candidate or his agent, or of any other person [7][with the consent of the candidate or his election agent], with the free exercise of any electoral right:

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 65, for the heading "CORRUPT AND ILLEGAL PRACTICES AND ELECTORAL OFFENCES" (w.e.f. 28-8-1956).
2. Subs. by s. 66, *ibid*., for Chapters I and II (ss. 123 to 125) (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by Act 58 of 1958, s. 36, for cl. (*1*) (w.e.f. 30-12-1958).
4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 53, for "to withdraw" (w.e.f. 14-12-1966).
5. Subs. by s. 53, *ibid*., for "having withdrawn" (w.e.f. 14-12-1966).
6. Subs. by s. 53, *ibid*., for "withdrawing" (w.e.f. 14-12-1966).
7. Ins. by Act 58 of 1958, s. 36 (w.e.f. 30-12-1958).

भाग 7

[1][भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध]

[2][अध्याय 1—भ्रष्ट आचरण

123. भ्रष्ट आचरण—निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे—

[3][(1) "रिश्वत" अर्थात् :—

(अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षत: या परत: यह उद्देश्य हो कि—

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता [4][वापस लेने या न लेने के लिए], अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए,

अथवा जो—

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता [5][वापस ले ली या नहीं ली], अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा,

इनाम के रूप में हो,

(आ) (क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता [6][वापस लेने या न लेने के लिए] ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता [4][वापस लेने या न लेने के लिए] उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए,

चाहे हेतुक के रूप में या इनामवत् कोई परितोषण प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए करार करना ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन रूपी परितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं ।]

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या [7][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षत: या परत: हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न:

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 65 द्वारा (28-8-1956 से) "भ्रष्ट और अवैध आचरण और निर्वाचन अपराध" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 66 द्वारा (28-8-1956 से) अध्याय 1 और 2 (123 से 125 तक की धाराओं) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 36 द्वारा (30-12-1958 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस लेने" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस ले ली" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस लेने के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 36 द्वारा (30-12-1958 से) अन्त:स्थापित ।

Provided that—

(*a*) without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

(*i*) threatens any candidate or any elector, or any person in whom a candidate or an elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community; or

(*ii*) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause;

(*b*) a declaration of public policy, or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this clause.

[1][(*3*) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate:

[2][Provided that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol or a national symbol for the purposes of this clause.]

(*3A*) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.]

[3][(*3B*) The propagation of the practice or the commission of sati or its glorification by a candidate or his agent or any other person with the consent of the candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

Explanation.—For the purposes of this clause, "sati" and "glorification" in relation to sati shall have the meanings respectively assigned to them in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988).]

(*4*) The publication by a candidate or his agent or by any other person [4][with the consent of a candidate or his election agent], of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate, or in relation to the candidature, or withdrawal, [5]* * * of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election.

(*5*) The hiring or procuring, whether on payment or otherwise, of any vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person [4][with the consent of a candidate or his election agent], [6][or the use of such vehicle or vessel for the free conveyance] of any elector (other than the candidate himself, the members of his family or his agent) to or from any polling station provided under section 25 or a place fixed under sub-section (*1*) of section 29 for the poll:

---

1. Subs. by Act 40 of 1961, s. 23, for cl. (*3*) (w.e.f. 20-9-1961).
2. Ins. by Act 40 of 1975, s. 8 (w.e.f. 6-8-1975).
3. Ins. by Act 3 of 1988, s. 19 (w.e.f. 21-3-1988).
4. Ins. by Act 58 of 1958, s. 36 (w.e.f. 30-12-1958).
5. The words "or retirement from contest," omitted by s. 36, *ibid*. (w.e.f. 30-12-1958).
6. Subs. by Act 47 of 1966, s. 53, for "for the conveyance" (w.e.f. 14-12-1966).

परन्तु—

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो—

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है ;

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

[1][(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

[2][परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आबंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा ।]

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना ।]

[3][(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) में हैं ।]

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के [5]*** निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है ।

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के [6][मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा] या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा [6][ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना]:

---

1. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 23 द्वारा (20-9-1961 से) खण्ड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 8 द्वारा (6-8-1975 से) अन्तःस्थापित ।
3. 1988 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 19 द्वारा (21-3-1988 से) अन्तःस्थापित ।
4. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 36 द्वारा (30-12-1958 से) अन्तःस्थापित ।
5. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 36 द्वारा (30-12-1958 से) "या निर्वाचन लड़ने से हट जाने" शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "प्रवहण के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Provided that the hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint costs for the purpose of conveying him or them to and from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel not propelled by mechanical power:

Provided further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tramcar or railway carriage by any elector at his own cost for the purpose of going to or coming from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause.

Explanation.—In this clause, the expression "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise and whether used for drawing other vehicles or otherwise.

(*6*) The incurring or authorising of expenditure in contravention of section 77.

(*7*) The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent or, by any other person [1][with the consent of a candidate or his election agent], any assistance (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of that candidate's election, [2][from any person whether or not in the service of the Government] and belonging to any of the following classes, namely:—

(*a*) gazetted officers;

(*b*) stipendiary judges and magistrates;

(*c*) members of the armed forces of the Union;

(*d*) members of the police forces;

(*e*) excise officers;

[3][(*f*) revenue officers other than village revenue officers known as lambardars, malguzars, patels, deshmukhs or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who are remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by them but who do not discharge any police functions; and]

(*g*) such other class of persons in the service of the Government as may be prescribed:

[4][Provided that where any person, in the service of the Government and belonging to any of the classes aforesaid, in the discharge or purported discharge of his official duty, makes any arrangements or provides any facilities or does any other act or thing, for, to, or in relation to, any candidate or his agent or any other person acting with the consent of the candidate or his election agent (whether by reason of the office held by the candidate or for any other reason), such arrangements, facilities or act or thing shall not be deemed to be assistance for the furtherance of the prospects of that candidate's election;]

[5][(*h*) class of persons in the service of a local authority, university, government company or institution or concern or undertaking appointed or deputed by the Election Commission in connection with the conduct of elections.]

[6][(*8*) booth capturing by a candidate or his agent or other person.]

Explanation.—(*1*) In this section, the expression "agent" includes an election agent, a polling agent and any person who is held to have acted as an agent in connection with the election with the consent of the candidate.

---

1 Ins. by Act 58 of 1958, s. 36 (w.e.f. 30-12-1958).
2 Subs. by Act 41 of 2009, s. 6, for certain words (w.e.f. 1-2-2010).
3. Subs. by Act 58 of 1958, s. 36, for cl. (*f*) (w.e.f. 30-12-1958).
4 Ins. by Act 40 of 1975, s. 8 (w.e.f. 6-8-1975).
5. Ins. by Act 41 of 2009, s. 6 (w.e.f. 1-2-2010).
6. Ins. by Act 1 of 1989, s. 13 (w.e.f. 15-3-1989).

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से प्रचालित न होने वाला है, तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आचरण है :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है, जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा प्रचालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो ।

(6) धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना ।

(7) [1][किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं] और निम्नलिखित वर्गों में से, अर्थात् :—

(क) राजपत्रित आफिसरों,

(ख) साम्बलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,

(ग) संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों,

(घ) पुलिस बलों के सदस्यों,

(ङ) उत्पाद-शुल्क आफिसरों,

[2][(च) राजस्व आफिसर, जो लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलना है किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते, और]

(छ) सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जाएं,

में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से अन्यथा) कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [3][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपाप्त किया जाना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुप्रेरण या प्रयत्न करना :

[4][(ज) निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी या संस्था या समुत्थान या उपक्रम की सेवा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वर्ग :]

[5][परंतु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गों में से किसी वर्ग में का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता, या उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में (चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश) कोई इंतजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है, तो ऐसा इंतजाम, सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी ।]

[6][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण—(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

---

1. 2009 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 6 द्वारा (1-2-2010 से) प्रतिस्थापित ।
2. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 36 द्वारा (30-12-1958 से) उपखंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 36 द्वारा (30-12-1958 से) अंत:स्थापित ।
4. 2009 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 6 द्वारा (1-2-2010 से) अंत:स्थापित ।
5. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 8 द्वारा (6-8-1975 से) अंत:स्थापित ।
6. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित ।

(*2*) For the purposes of clause (*7*), a person shall be deemed to assist in the furtherance of the prospects of a candidate's election if he acts as an election agent [1]* * * of that candidate.]

[2][(*3*) For the purposes of clause (*7*), notwithstanding anything contained in any other law, the publication in the Official Gazette of the appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from service of a person in the service of the Central Government (including a person serving in connection with the administration of a Union territory) or of a State Government shall be conclusive proof—

(*i*) of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from service, as the case may be, and

(*ii*) where the date of taking effect of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from service, as the case may be, is stated in such publication, also of the fact that such person was appointed with effect from the said date, or in the case of resignation, termination of service, dismissal or removal from service, such person ceased to be in such service with effect from the said date.]

[3][(*4*) For the purposes of clause (8), "booth capturing" shall have the same meaning as in section 135A.]

[4][CHAPTER II.—*Minor corrupt practices*

CHAPTER III.—*Electoral offences*

[5][**125. Promoting enmity between classes in connection with election.**—Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable, with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.]

[6][**125A. Penalty for filing false affidavit, etc.**—A candidate who himself or through his proposer, with intent to be elected in an election,—

(*i*) fails to furnish information relating to sub-section (*1*) of section 33A; or

(*ii*) give false information which he knows or has reason to believe to be false; or

(*iii*) conceals any information,

in his nomination paper delivered under sub-section (*1*) of section 33 or in his affidavit which is required to be delivered under sub-section (*2*) of section 33A, as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.]

[7][**126. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll.**—(*1*) No person shall—

(*a*) convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or

(*b*) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus; or

(*c*) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto,

in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the fixed for the conclusion of the poll for any election in the polling area.

(*2*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(*3*) In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election.]

---

1. The words "or a polling agent or a counting agent" omitted by Act 47 of 1966, s. 53 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Added by Act 40 of 1975, s. 8 (w.e.f. 6-8-1975).
3. Ins. by Act 1 of 1989, s.13 (w.e.f. 15-3-1989).
4. Chapter II subs. by Act 27 of 1956, s. 66, for Chapters I and II (w.e.f. 28-8-1956).
5. Ins. by Act 40 of 1961, s. 24 (w.e.f. 20-9-1961).
6. Ins. by Act 72 of 2002, s. 5 (w.e.f. 24-8-2002).
7. Subs. by Act 21 of 1996, s. 10, for s. 126 (w.e.f. 1-8-1996).

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [1]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[2][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन—

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[3][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

[4]अध्याय 2—छोटे भ्रष्ट आचरणों

अध्याय 3—निर्वाचन अपराध

[5][**125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सप्रवर्तित करना**—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[6][**125.क. मिथ्या शपथपत्र, आदि फाइल करने के लिए शास्ति**—कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,—

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा ; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है ; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[7][**126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध**—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,—

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा ; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) इस धारा में, "निर्वाचन संबंधी बात" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है ।]

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1975 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 8 द्वारा (6-8-1975 से) जोड़ा गया ।
3. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 66 द्वारा (28-8-1956 से) अध्याय 2 को अध्याय 1आ][2] के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
5. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) अंत:स्थापित ।
6. 2002 का अधिनियम सं॰ 72 की धारा 5 द्वारा (24-8-2002 से) अंत:स्थापित ।
7. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 10 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 126 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**126A. Restriction on publication and dissemination of result of exit polls, etc.**—(*1*) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:—

(*a*) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

(*b*) in case of a bye-election or a number of bye-election held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll:

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(*3*) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "exit poll" means an opinion survey respecting how electors have voted at an election or respecting how all the electors have performed with regard to the identification of a political party or candidate in an election;

(*b*) "electronic media" includes internet, radio and television including Internet Protocol Television, satellite, terrestrial or cable channels, mobile and such other media either owned by the Government or private person or by both;

(*c*) "print media" includes any newspaper, magazine or periodical, poster, placard, handbill or any other document;

(*d*) "dissemination" includes publication in any "print media" or broadcast or display on any electronic media.

126B. Offences by companies.—(*1*) Where an offence under sub-section (*2*) of section 126A has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided the noting contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section,—

(*a*) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(*b*) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.]

127. Disturbances at election meetings.—(*1*) Any person who at a public meeting to which this section applies acts, or incites others to act, in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, [2][shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to [3][six months or with fine which may extend to two thousand rupees] or with both.]

[4][(*1A*) An offence punishable under sub-section (*1*) shall be cognizable.]

1. Ins. by Act 41 of 2009, s.7 (w.e.f. 1-2-2010).
2. Subs. by Act 1 of 1989, s. 14, for certain words (w.e.f. 15-3-1989).
3. Subs. by Act 21 of 1996, s. 11, for certain words (w.e.f. 1-8-1996).
4. Ins. by s. 11, *ibid.* (w.e.f. 1-8-1996).

[1][**126क. निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बंधन**—(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा ।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात् :—

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी ;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी :

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "निर्गम मत सर्वेक्षण" से वह राय सर्वेक्षण अभिप्रेत है जो इस संबंध में है कि निर्वाचकों ने कैसे किसी निर्वाचन में मतदान किया या इस संबंध में है कि किसी निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की पहचान सभी मतदाताओं ने कैसे की है ;

(ख) "इलैक्ट्रानिक मीडिया" के अन्तर्गत इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन भी हैं, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन, सेटेलाइट, क्षेत्रीय या केबल चेनल, मोबाइल और ऐसा अन्य मीडिया सम्मिलित है जो सरकार के या निजी व्यक्ति अथवा दोनों के स्वामित्वाधीन है ;

(ग) "प्रिंट मीडिया" के अन्तर्गत कोई समाचारपत्र, पत्रिका या नियतकालिक पत्रिका, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैंडबिल या कोई अन्य दस्तावेज भी है ;

(घ) "प्रसार" के अन्तर्गत किसी "प्रिंट मीडिया" में प्रकाशन या किसी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारण या प्रदर्शन भी है ।

126ख. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है ; और

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव—(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विश्रृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा [2][वह कारावास से, जिसकी अवधि [3][छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा,] या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[4][(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।]

---

1. 2009 के अधिनियम सं॰ 41 की धारा 7 द्वारा (1-2-2010 से) अंत:स्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 14 द्वारा (15-3-1989 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 11 द्वारा (1-8-1996 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 11 द्वारा (1-8-1996 से) अंत:स्थापित ।

(*2*) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notification under this Act calling upon the constituency to elect a member or members and the date on which such election is held.

(*3*) If any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under sub-section (*1*), he may, if requested so to do by the chairman of the meeting, require that person to declare to him immediately his name and address and, if that person refuses or fails so to declare his name and address, or if the police officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the police officer may arrest him without warrant.

[1][**127A. Restrictions on the printing of pamphlets, posters, etc.**—(*1*) No person shall print or publish, or cause to be printed or published, any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof.

(*2*) No person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster—

(*a*) unless a declaration as to the identity of the publisher thereof, signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate; and

(*b*) unless, within a reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer, together with one copy of the document,—

(*i*) where it is printed in the capital of the State, to the Chief Electoral Officer; and

(*ii*) in any other case, to the district magistrate of the district in which it is printed.

(*3*) For the purposes of this section,—

(*a*) any process for multiplying copies of a document, other than copying it by hand, shall be deemed to be printing and the expression "printer" shall be construed accordingly; and

(*b*) "election pamphlet or poster" means any printed pamphlet, hand-bill or other document distributed for the purpose of promoting or prejudicing the election of a candidate or group of candidates or any placard or poster having reference to an election, but does not include any hand-bill, placard or poster merely announcing the date, time, place and other particulars of an election meeting or routine instructions to election agents or workers.

(*4*) Any person who contravenes any of the provisions of sub-section (*1*) or sub-section (*2*) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.]

128. Maintenance of Secrecy of voting.—(*1*) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy:

[2][Provided that the provisions of this sub-section shall not apply to such officer, clerk, agent or other person who performs any such duty at an election to fill a seat or seats in the Council of States.]

(*2*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.

---

1. Ins. by Act 40 of 1961, s. 26 (w.e.f. 20-9-1961).
2. Ins. by Act 40 of 2003, s. 5 (w.e.f. 28-8-2003).

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है, जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में की गई है ।

(3) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया है और तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए, तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस आफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।

[1][127**क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन**—(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को—

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित—

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के, जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ; तथा

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सप्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।]

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा :

[2][परन्तु इस उपधारा के उपबंध ऐसे आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को, जो राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करता है, लागू नहीं होंगे ।]

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

---

1. 1961 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 26 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित ।

2. 2003 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 5 द्वारा (28-8-2003 से) अंतःस्थापित ।

129. Officers, etc., at elections not to act for candidates or to influence voting.—(*1*) No person who is [1][a district election officer or a returning officer], or an assistant returning officer, or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the returning officer or the presiding officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election do any act (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(*2*) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour—

(*a*) to persuade any person to give his vote at an election, or

(*b*) to dissuade any person from giving his vote at an election, or

(*c*) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(*3*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) or sub-section (*2*) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both.

[2][(*4*) An offence punishable under sub-section (*3*) shall be cognizable.]

130. Prohibition of canvassing in or near polling stations.—(*1*) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station, commit any of the following acts within the polling station or in any public or private place within a distance of [3][one hundred metres] of the polling station, namely:—

(*a*) canvassing for votes; or

(*b*) soliciting the vote of any elector; or

(*c*) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or

(*d*) persuading any elector not to vote at the election; or

(*e*) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election.

(*2*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

(*3*) An offence punishable under this section shall be cognizable.

131. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations.—(*1*) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station,—

(*a*) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or private place in the neighbourhood thereof, any apparatus for amplifying or reproducing the human voice, such as a megaphone or a loudspeaker,or

(*b*) shout, or otherwise act in a disorderly manner, within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighbourhood thereof,

so as to cause annoyance to any person visiting the polling station for the poll, or so as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

(*2*) Any person who contravenes, or wilfully aids or abets the contravention of, the provisions of sub-section (*1*) shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine or with both.

(*3*) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under this section, he may direct any police officer to arrest such person, and thereupon the police officer shall arrest him.

(*4*) Any police officer may take such steps, and use such force, as may be reasonably necessary for preventing any contravention of the provisions of sub-section (*1*), and may seize any apparatus used for such contravention.

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 55, for "a returning officer" (w.e.f. 14-12-1966).
2. Ins. by s. 55, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
3. Subs. by s. 56, *ibid.*, for "one hundred yards" (w.e.f. 14-12-1966).

129. निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे—(1) जो [1][कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर] या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा ।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य—

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का ; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का ; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का,

प्रयास करेगा ।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

[2][(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।]

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से [3][एक सौ मीटर] की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात् :—

(क) मतों के लिए संयाचना ;

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत को याचना करना ;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना ;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना ; और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विश्रृंखल आचरण के लिए शास्ति—(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है—

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा ; और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विश्रृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा,

कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुप्रेरण करेगा वह कारावास, से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा ।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा ।

---

1. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 55 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 55 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 56 द्वारा (14-12-1966 से) "एक सौ गज" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

132. Penalty for misconduct at the polling station.—(*1*) Any person who during the hours fixed for the poll at any polling station misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the presiding officer may be removed from the polling station by the presiding officer or by any police officer on duty or by any person authorised in this behalf by such presiding officer.

(*2*) The powers conferred by sub-section (*1*) shall not be exercised so as to prevent any elector who is otherwise entitled to vote at a polling station from having an opportunity of voting at that station.

(*3*) If any person who has been so removed from a polling station re-enters the polling station without the permission of the presiding officer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

(*4*) An offence punishable under sub-section (*3*) shall be cognizable.

[1][**132A. Penalty for failure to observe procedure for voting.**—If any elector to whom a ballot paper has been issued, refuses to observe the procedure prescribed for voting the ballot paper issued to him shall be liable for cancellation.]

[2][**133. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyance at elections.**—If any person is guilty of any such corrupt practice as is specified in clause (*5*) of section 123 at or in connection with an election, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months and with fine.]

134. Breaches of official duty in connection with election.—(*1*) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

[3][(*1A*) An offence punishable under sub-section (*1*) shall be cognizable.]

(*2*) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(*3*) The persons to whom this section applies are the [4]*** [5][district election officers, returning officers], assistant returning officers, presiding officers, polling officers and any other person appointed to perform any duty in connection with [6]* * * the receipt of nominations or withdrawal of candidatures, or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act [4]***.

[7][**134A. Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent.**—If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.]

[8][**134B. Prohibition of going armed to or near a polling station.**—(*1*) No person, other than the returning officer, the presiding officer, any police officer and any other person appointed to maintain peace and order, at a polling station who is on duty at the polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act, 1959 (54 of 1959), of any kind within the neighbourhood of a polling station.

(*2*) If any person contravenes the provisions of sub-section (*1*), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(*3*) Notwithstanding anything contained in the Arms Act, 1959 (54 of 1959), where a person is convicted of an offence under this section, the arms as defined in the said Act found in his possession shall be liable to confiscation and the licence granted in relation to such arms shall be deemed to have been revoked under section 17 of that Act.

---

1. Ins. by Act 4 of 1986, s. 2 and Sch. (w.e.f. 15-5-1986).
2. Subs. by Act 21 of 1996, s. 12, for s. 133 (w.e.f. 1-8-1996).
3. Ins. by Act 47 of 1966, s. 58 (w.e.f. 14-12-1966).
4. Certain words omitted by Act 58 of 1958, s. 37 (w.e.f. 30-12-1958).
5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 58, for "returning officers" (w.e.f. 14-12-1966).
6. The words "the preparation of an electoral roll" omitted by Act 58 of 1958, s. 37 (w.e.f. 30-12-1958).
7. Ins. by Act 47 of 1966, s. 59 (w.e.f. 14-12-1966).
8. Ins. by Act 21 of 1996, s. 13 (w.e.f. 1-8-1996).

132. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति—(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

[1][**132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा ।]

[2][**133. निर्वाचनों में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।]

134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग—(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

[3][(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।]

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी ।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है या हैं, [4]*** [5][जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग आफिसर], सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त [6]*** किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन [4]*** अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है ।

[7][**134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति**—यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[8][**134ख. मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध**—(1) रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर और किसी पुलिस आफिसर से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस-पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहृत की गई समझी जाएगी ।

---

1. 1986 के अधिनियम सं॰ 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंतःस्थापित ।
2. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 12 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 133 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 58 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।
4. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 37 द्वारा कुछ शब्दों का (30-12-1958 से) लोप किया गया ।
5. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 58 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसरों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 37 द्वारा "निर्वाचन नामावली के तैयार करने" शब्दों का (30-12-1958 से) लोप किया गया ।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 59 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
8. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 13 द्वारा (1-8-1996 से) अन्तःस्थापित ।

(*4*) An offence punishable under sub-section (*2*) shall be cognizable.]

135. Removal of ballot papers from polling station to be an offence.—(*1*) Any person who at any election [1][unauthorisedly] takes, or attempts to take, a ballot paper out of a polling station, or wilfully aids or abets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(*2*) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under sub-section (*1*), such officer may, before such person leaves the polling station, arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by a police officer:

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(*3*) Any ballot paper found upon the person arrested on search shall be made over the safe custody to a police officer by the presiding officer, or when the search is made by a police officer, shall be kept by such officer in safe custody.

(*4*) An offence punishable under sub-section (*1*) shall be cognizable.

[2][**135A. Offence of booth capturing.**— [3][(*1*)] Whoever commits an offence of booth capturing shall be punishable with imprisonment for a term which [4][shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine, and where such offence is committed by a person in the service of the Government, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine].

Explanation.—For the purposes of [5][this sub-section and section 20B], "booth capturing" includes, among other things, all or any of the following activities, namely:—

(*a*) seizure of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons, making polling authorities surrender the ballot papers or voting machines and doing of any other act which affects the orderly conduct of elections;

(*b*) taking possession of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons and allowing only his or their own supporters to exercise their right to vote and 4[prevent others from free exercise of their right to vote];

(*c*) [6][coercing or intimidating or threatening directly or indirectly] any elector and preventing him from going to the polling station or a place fixed for the poll to cast his vote;

(*d*) seizure of a place for counting of votes by any person or persons, making the counting authorities surrender the ballot papers or voting machines and the doing of anything which affects the orderly counting of votes;

(*e*) doing by any person in the service of Government, of all or any of the aforesaid activities or aiding or conniving at, any such activity in the furtherance of the prospects of the election of a candidate.]

[7][(*2*) An offence punishable under sub-section (*1*) shall be cognizable.]

[8][**135B. Grant of paid holiday to employees on the day of poll.**—(*1*) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at an election to the House of the People or the Legislative Assembly of a State shall, on the day of poll, be granted a holiday.

---

1. Subs. by Act 21 of 1996, s. 14, for "fraudulently" (w.e.f. 1-8-1996).
2. Ins. by Act 1 of 1989, s. 15 (w.e.f. 15-3-1989).
3. S. 135A renumbered as sub-section (*1*) by there of Act 21 of 1996, s. 15 (w.e.f. 1-8-1996).
4. Subs. by s. 15, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 1-8-1996).
5. Subs. by s. 15, *ibid.*, for "this section" (w.e.f. 1-8-1996).
6. Subs. by s. 15, *ibid.,* for "threatening" (w.e.f. 1-8-1996).
7. Ins. by s. 15, *ibid.* (w.e.f. 1-8-1996).
8. Ins. by s. 16, *ibid*. (w.e.f. 1-8-1996).

(4) उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।]

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा—(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र [1][अप्राधिकृत रूप से] बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

[2][**135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध**—[3][(1)] जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि [4][एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा] ।

स्पष्टीकरण—[5][इस उपधारा और धारा 20ख] के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है ;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को 4[उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना] ;

(ग) किसी निर्वाचक को [6][प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना] और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना ;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है ;

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना ।]

[7][(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।]

[8][**135ख. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी**—(1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा ।

1. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 14 द्वारा (1-8-1996 से) "कपटपूर्वक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 15 द्वारा (15-3-1989 से) अन्त:स्थापित ।
3. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 15 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 135क उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।
4. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 15 द्वारा (1-8-1996 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 15 द्वारा (1-8-1996 से) "इस धारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 15 द्वारा (1-8-1996 से) "धमकी देना" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 15 द्वारा (1-8-1996 से) अन्त:स्थापित ।
8. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 16 द्वारा (1-8-1996 से) अंत:स्थापित ।

(*2*) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (*1*) and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

(*3*) If an employer contravenes the provisions of sub-section (*1*) or sub-section (*2*), then such employer shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(*4*) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

135C. Liquor not to be sold, given or distributed on polling day.—(*1*) No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, eating house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

(*2*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, which may extend to two thousand rupees, or with both.

(*3*) Where a person is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed of in such manner as may be prescribed.]

136. Other offences and penalties therefor.—(*1*) A person shall be guilty of an electoral offence if at any election he—

(*a*) fraudulently defaces or fraudulently destroys any nomination paper; or

(*b*) fraudulently defaces, destroys or removes any list, notice or other document affixed by or under the authority of a returning officer; or

(*c*) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot paper or the official mark on any ballot paper or any declaration of identity or official envelop used in connection with voting by postal ballot; or

(*d*) without due authority supplies any ballot paper to any person [1][or receives any ballot paper from any person or is in possession of any ballot paper]; or

(*e*) fraudulently puts into any ballot box anything other than the ballot paper which he is authorised by law to put in; or

(*f*) without due authority destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot box or ballot papers then in use for the purposes of the election; or

(*g*) fraudulently or without due authority, as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts or wilfully aids or abets the doing of any such acts.

(*2*) Any person guilty of an electoral offence under this section shall,—

(*a*) if he is a returning officer or an assistant returning officer or a presiding officer at a polling station or any other officer or clerk employed on official duty in connection with the election, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both;

(*b*) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(*3*) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election or part of an election including the counting of votes or to be responsible after an election for the used ballot papers and other documents in connection with such election, but the expression "official duty " shall not include any duty imposed otherwise than by or under this Act [2]* * *.

[3][(*4*) An offence punishable under sub-section (*2*) shall be cognizable.]

137. [*Prosecution regarding certain offences.*] *Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1966 (47 *of* 1966), *s.* 61.

138. [*Amendment of Act* 5 *of* 1898.] *Omitted by the Repealing and Amending Act,* 1957 (36 *of* 1957), *s.* 2 *and the First Schedule.*

PART VIII

DISQUALIFICATIONS

139—145. [*Chapters I to III.*] *Omitted. by the Representation of the People (Amendment) Act,* 1966 (47 *of* 1966), *s.* 62 (*w.e.f.* 14-12-1966).

---

1. Ins. by Act 27 of 1956, s. 70 (w.e.f. 28-8-1956).
2. The words and figures "or by or under the Representation of the People Act, 1950" omitted by Act 58 of 1958, s. 38 (w.e.f. 30-12-1958).
3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 60, for sub-section (*4*) (w.e.f. 14-12-1966).

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती ।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है ।

136ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना—(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।]

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां—(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति—

(क) कोई नामनिर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा ; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा [1][या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा;] अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुप्रेरण करेगा,

तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा ।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति:—

(क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन [2]*** अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित होगा ।

[3][(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।]

137. [कुछ अपराधों के लिए अभियोजन ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 47) की धारा 61 द्वारा लोप किया गया ।

138. [1898 के अधिनियम 5 का संशोधन।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।

भाग 8

निरर्हताएं

139.—145. [अध्याय 1 से 3 तक ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 47) की धारा 62 द्वारा (14-12-1966 से) लोप किया गया ।

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 70 द्वारा (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित।
2. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 38 द्वारा "या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के द्वारा या के अंतर्गत" (30-12-1958 से) लोप किया गया।
3. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 60 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][CHAPTER IV.—*Powers of Election Commission in connection with Inquiries as to Disqualifications of Members.*]

146. Powers of Election Commission.—(*1*) Where in connection with the tendering of any opinion to the President under article 103 or, as the case may be, under sub-section (*4*) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), or to the Governor under article 192, the Election Commission considers it necessary or proper to make an inquiry, and the Commission is satisfied that on the basis of the affidavits filed and the documents produced in such inquiry by the parties concerned of their own accord, it cannot come to a decisive opinion on the matter which is being inquired into, the Commission shall have, for the purposes of such inquiry, the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

(*a*) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(*b*) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;

(*c*) receiving evidence on affidavits;

(*d*) requisitioning any public record or a copy thereof from any court or office;

(*e*) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(*2*) The Commission shall also have the power to require any person, subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry.

(*3*) The Commission shall be deemed to be a civil court and when any such offence, as is described in section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860), is committed in the view or presence of the Commission, the Commission may after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same and the magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case had been forwarded to him under section 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(*4*) Any proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

146A. Statements made by persons to the Election Commission.—No statement made by a person in the course of giving evidence before the Election Commission shall subject him to, or be used against him in, any civil or criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement:

Provided that the statement—

(*a*) is made in reply to a question which he is required by the Commission to answer, or

(*b*) is relevant to the subject-matter of the inquiry.

146B. Procedure to be followed by the Election Commission.—The Election Commission shall have the power to regulate its own procedure (including the fixing of places and times of its sittings and deciding whether to sit in public or in private).

1. Ins. by Act 17 of 1965, s. 2 (w.e.f. 22-9-1965).

[1][**अध्याय 4**—सदस्यों की निरर्हताओं की जांच के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्तियां।]

146. निर्वाचन आयोग की शक्तियां—(1) जहां कि, यथास्थिति, अनुच्छेद 103 के अधीन या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रपति को या अनुच्छेद 192 के अधीन राज्यपाल को कोई राय निविदत्त करने के संबंध में निर्वाचन आयोग जांच करना आवश्यक या उचित समझता है, और आयोग का समाधान हो जाता है कि ऐसी जांच में सम्पृक्त पक्षकारों द्वारा स्वयं फाइल किए गए शपथ-पत्र और पेश की गई दस्तावेजों के आधार पर वह उस मामले की, जिसकी जांच की जा रही है, विनिश्चायक राय नहीं बना सकता, वहां आयोग को ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के बारे में अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करने, हाजिर कराने और उसकी शपथ पर परीक्षा करने;

(ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य किसी भौतिक पदार्थ को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करने;

(ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रति अध्यपेक्षित करने;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने,

के बारे में, वे शक्तियां होंगी जो सिविल न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय होती हैं ।

(2) आयोग को यह शक्ति भी होगी कि वह किसी व्यक्ति से किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन रहते हुए जिसका दावा उस व्यक्ति द्वारा किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किया जा सके, ऐसी बातों या मामलों पर, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, जानकारी लेने की अपेक्षा करे ।

(3) आयोग सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जबकि कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग के सामने या उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को और अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात, जैसा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में उपबन्धित है, मामले को उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा और मजिस्ट्रेट, जिसके पास ऐसा मामला भेजा गया हो, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो मामला उसके पास दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के अधीन भेजा गया था ।

(4) आयोग के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

146क. निर्वाचन आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन—निर्वाचन आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा, मिथ्या साक्ष्य देने के अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं करेगा और न उसमें उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जाएगा:

परन्तु यह तब जबकि कथन—

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया गया है जिसका उत्तर देने के लिए वह आयोग द्वारा अपेक्षित है; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है ।

146ख. निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी अपनी बैठकों के स्थान और समय नियत करना और यह विनिश्चय करना आते हैं कि बैठक लोक हो या प्राइवेट) विनियमित करने की शक्ति होगी ।

---

1. 1965 के अधिनियम सं॰ 17 की धारा 2 द्वारा (22-9-1965 से) अंत:स्थापित।

146C. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Commission or any person acting under the direction of the Commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the foregoing provisions of this Chapter or of any order made thereunder or in respect of the tendering of any opinion by the Commission to the President or, as the case may be, to the Governor or in respect of the publication, by or under the authority of the Commission of any such opinion, paper or proceedings.]

PART IX

BYE-ELECTIONS

147. Casual vacancies in the Council of States.—[1][(*1*)] When before the expiration of the term of office of a member elected to the Council of States, his seat becomes vacant or is declared vacant or his election to the Council of States is declared void, the Election Commission shall by a notification in the Gazette of India call upon the elected members of the Legislative Assembly or the members of the electoral college concerned [2]* * *, as the case may be, to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

[3][(*2*) As soon as may be after the date of commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, bye-elections shall be held to fill the vacancies existing on that date in the seats allotted to the States of Assam, Orissa and Uttar Pradesh and the [4][Union territories of Delhi, Himachal Pradesh and Manipur.]

148. [*Casual vacancies in the electoral colleges for certain Union territories.*] *Omitted by the Territorial Councils Act,* 1956 (103 *of* 1956), *s.* 66.

149. Casual vacancies in the House of the People.—(*1*) When the seat of a member elected to the House of the People becomes vacant or is declared vacant or his election to the House of the People is declared void, the Election Commission shall, subject to the provisions of sub-section (*2*), by a notification in the Gazette of India, call upon the parliamentary constituency concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused before such date as may be specified in the notification, and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

(*2*) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such constituency for the Scheduled Castes or for any Scheduled Tribes, the notification issued under sub-section (*1*) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes or to such Scheduled Tribes, as the case may be.

150. Casual vacancies in the State Legislative Assemblies.—(*1*) When the seat of a member elected to the Legislative Assembly of a State becomes vacant or is declared vacant or his election to the Legislative Assembly is declared void, the Election Commission shall, subject to the provisions of sub-section (*2*), by a notification in the Official Gazette, call upon the assembly constituency concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused before such date as may be specified in the notification, and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

---

1. S. 147 re-numbered as sub-section (*1*) of that section by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
2. The words "or the elected members of the Coorg Legislative Council" omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and the Fifth Sch. (w.e.f. 6-9-1951).
3. Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
4. Now the National Capital Territory of Delhi and the States of Himachal Pradesh and Manipur.

146ग. सद्भावपूर्वक किए गए अभिकार्य का परित्राण—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है अथवा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल को आयोग द्वारा कोई राय निविदत्त करने के बारे में अथवा किसी ऐसी राय, कागजपत्र या कार्यवाही के आयोग के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रकाशन के बारे में है, आयोग के या आयोग के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी ।]

भाग 9

उपनिर्वाचन

147. राज्य सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां— [1][(1)] जब कि राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि के अवसान से पूर्व उसका स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या राज्य सभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तब निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, संपृक्त विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों [2]*** से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे ।

[3][(2) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन रिक्तियों को भरने के लिए उप—निर्वाचन किए जाएंगे जो असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों, और दिल्ली**, हिमाचल प्रदेश* और मणिपुर* के संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थानों में उस तारीख को विद्यमान हों ।]

148. [कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्वाचकगणों में आकस्मिक रिक्तियां।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 64 द्वारा लोप किया गया ।

149. लोक सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां—(1) जब कि लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या लोक सभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तब निर्वाचन आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए संपृक्त संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे ।

(2) यदि ऐसे हुई रिक्ति ऐसे स्थान की रिक्ति हो, जो किसी ऐसे निर्वाचन—क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए या किन्हीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट होगा कि उस स्थान को भरने के लिए व्यक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या ऐसी अनूसूचित जनजातियों का ही होगा ।

150. राज्य विधान सभाओं में हुई आकस्मिक रिक्तियां—(1) जबकि किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या विधान सभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब निर्वाचन आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए संपृक्त सभा निर्वाचन—क्षेत्र से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे ।

---

1. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) धारा 147 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
2. 1951 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (6-9-1951 से) "या कुर्ग विधान परिषद् के निर्वाचित सदस्यों" शब्दों का लोप किया गया ।
3. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित ।

* अब यह राज्य है ।

**अब राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली है।

(*2*) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such constituency for the Scheduled Castes or for any Scheduled Tribes, the notification issued under sub-section (*1*) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes or to such Scheduled Tribes, as the case may be.

151. Casual vacancies in the State Legislative Councils.—When before the expiration of the term of office of a member elected to the Legislative Council of a State, his seat becomes vacant or is declared vacant or his election to the Legislative Council is declared void, the Election Commission shall, by a notification in the Official Gazette, call upon the council constituency concerned or the members of the Legislative Assembly of the State, as the case may be, to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused, before such date as may be specified in the notification, and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

[1][**151A. Time limit for filling vacancies referred to in sections 147, 149, 150 and 151.**—Notwithstanding anything contained in section 147, section 149, section 150 and section 151, a bye-election for filling any vacancy referred to in any of the said sections shall be held within a period of six months from the date of the occurrence of the vacancy:

Provided that nothing contained in this section shall apply if—

(*a*) the remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than one year; or

(*b*) the Election Commission in consultation with the Central Government certifies that it is difficult to hold the bye-election within the said period.]

PART X

MISCELLANEOUS

152. List of members of the State Legislative Assemblies and electoral colleges to be maintained by the returning officers concerned.—(*1*) The returning officer for an election by the elected members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Council of States or for an election, by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State shall, for the purposes of such election maintain in his office in the prescribed manner and form a list of elected members or a list of members, as the case may be, of that Legislative Assembly.

(*2*) The returning officer for an election by the members of the electoral college for a [2][Union territory] [3]* * * [4]* * * to fill a seat or seats in the Council of States shall, for the purposes of such election, maintain in his office in the prescribed manner and form a list of members of the electoral college [4]***.

(*3*) Copies of the lists referred to in sub-sections (*1*) and (*2*) shall be made available for sale.

[5][**153. Extention of time for completion of election.**—It shall be competent for the Election Commission for reasons which it considers sufficient, to extend the time for the completion of any election by making necessary amendments in the notification issued by it under section 30 or sub-section (*1*) of section 39.]

154. Term of office of members of the Council of States.— [6][(*1*) Subject to the provisions of sub-sections (*2*) and (*2A*), the term of office of a member of the Council of States, other than a member chosen to fill a casual vacancy, shall be six years.]

(*2*) [7]* * * Upon the first constitution of the Council of States the President shall, after consultation with the Election Commission, make by order such provision as he thinks fit for curtailing the term of office of some of the members then chosen in order that, as nearly as may be, one-third of the members holding seats of each class shall retire in every second year thereafter.

[8][(*2A*) In order that, as nearly as may be, one-third of the members may retire on the second day of April, 1958, and on the expiration of every second year thereafter, the President shall, as soon as may be after the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, after consultation with the Election Commission, make by order such provisions as he thinks fit in regard to the terms of office of the members elected under sub-section (*2*) of section 147.]

---

1. Ins. by Act 21 of 1996, s. 17 (w.e.f. 1-8-1996).
2. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C State" (w.e.f. 1-11-1956).
3. The words "or group of such States" omitted by Act 27 of 1956, s. 77 (w.e.f. 28-8-1956).
4. Certain words omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and the Fifth Sch. (w.e.f. 6-9-1951).
5. Subs. by Act 27 of 1956, s. 78, for s. 153 (w.e.f. 28-8-1956).
6. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for sub-section (*1*) (w.e.f. 1-11-1956).
7. Certain words omitted, *ibid*. (w.e.f. 1-11-1956).
8. Ins. by *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

(2) यदि ऐसे हुई रिक्ति ऐसे स्थान की रिक्ति हो, जो किसी ऐसे निर्वाचन—क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए या किन्हीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट होगा कि उस स्थान को भरने के लिए व्यक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या ऐसी अनुसूचित जनजातियों का ही होगा ।

151. राज्य विधान परिषदों में हुई आकस्मिक रिक्तियां—जबकि राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि के अवसान से पूर्व उसका स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या विधान परिषद् के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, सम्पृक्त परिषद् निर्वाचन—क्षेत्र या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे ।

[1]**[151क. धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने के लिए समय की परिसीमा**—धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में से किसी में निर्दिष्ट किसी रिक्ति को भरने के लिए उपनिर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कराया जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें—

(क) किसी रिक्ति से संबंधित सदस्य की पदावधि का शेष भाग एक वर्ष से कम है ; या

(ख) निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर ऐसा उपनिर्वाचन कराना कठिन है ।]

भाग 10

प्रकीर्ण

152. राज्य विधान सभाओं में और निर्वाचकगणों के सदस्यों की सूची संयुक्त रिटर्निंग आफिसर रखेंगे—(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, यथास्थिति, उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची या सदस्यों की सूची ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यालय में विहित रीति और प्ररूप में रखेगा ।

(2) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए [2][संघ राज्यक्षेत्र] [3]*** के लिए निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा [4]*** निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर उस निर्वाचक गण के सदस्यों की सूची ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यालय में विहित रीति और प्ररूप में रखेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचियों की प्रतियां विक्रय के लिए उपलब्ध की जाएंगी ।

[5]**[153 निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय का विस्तारण**—निर्वाचन आयोग धारा 30 या धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा निकाली गई अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करके किसी निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय का विस्तार उन कारणों के लिए, जिन्हें वह पर्याप्त समझे, करने के लिए सक्षम होगा ।]

154. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि— [6][(1) उपधारा (2) और उपधारा (2क) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से भिन्न राज्य सभा के सदस्य की पदावधि छह वर्ष की होगी ।]

(2) [7]***राज्य सभा के प्रथम गठन पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् उस समय चुने गए सदस्यों में से कुछ की पदावधि को इस प्रकार कम कर देने के लिए ऐसा उपबंध, जिसे वह ठीक समझता हो आदेश द्वारा करेगा कि हर एक वर्ग के स्थानों को धारण करने वाले सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई तत्पश्चात् हर दूसरे वर्ष के अवसान पर निवृत्त हो जाएंगे।

[8][(2क) इसलिए कि सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई 1958 की अप्रैल के द्वितीय दिन और तत्पश्चात् हर दूसरे वर्ष के अवसान पर निवृत्त हो जाएं, राष्ट्रपति, संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे उपबंध, जैसे वह ठीक समझता हो, धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में, आदेश द्वारा करेगा।]

---

1. 1996 के अधिनियम सं॰ 21 की धारा 17 द्वारा (1-8-1996 से) अंत:स्थापित ।
2. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) "भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 77 द्वारा (28-8-1956 से) "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।
4. 1951 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (6-9-1951 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 78 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 153 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
8. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा (1-11-1956 से) अंत:स्थापित ।

(*3*) A member chosen to fill a casual vacancy shall be chosen to serve for the remainder of his predecessor's term of office.

155. Commencement of the term of office of members of the Council of States.—(*1*) The term of office of a member of the Council of States whose name is required to be notified in the Official Gazette under section 71 shall begin on the date of such notification.

(*2*) The term of office of a member of the Council of States whose name is not required to be notified under section 71 shall begin on the date of publication in the Official Gazette of the declaration containing the name of such person as elected under section 67 or of the notification issued under sub-clause (*a*) of clause (*1*) of article 80 or under any other provision announcing the nomination of such person to the Council of States, as the case may be.

156. Term of office of members of State Legislative Councils.—(*1*) The term of office of a member of the Legislative Council of a State, other than a member chosen to fill a casual vacancy, shall be six years, but upon the first constitution of the Council the Governor [1]* * * shall, after consultation with the Election Commission, make by order such provision as he thinks fit for curtailing the term of office of some of the members then chosen in order that, as nearly as may be, one-third of the members holding seats of each class shall retire in every second year thereafter.

(*2*) A member chosen to fill a casual vacancy shall be chosen to serve for the remainder of his predecessor's term of office.

157. Commencement of the term of office of members of the Legislative Councils.—(*1*) The term of office of a member of the Legislative Council of a State whose name is required to be notified in the Official Gazette under [2][section 74] shall begin on the date of such notification.

(*2*) The term of office of a member of the Legislative Council of a State whose name is not required to be notified under [2][section 74] shall begin on the date of publication in the Official Gazette of the declaration containing the name of such person as elected under section 67 or of the notification issued under sub-clause (*e*) of clause (*3*) of article 171, announcing the nomination of such person to the Council, as the case may be.

[3][**158. Return of forfeiture of candidate's deposit.**—(*1*) The deposit made under section 34 or under that section read with sub-section (*2*) of section 39 shall either be returned to the person making it or his legal representative or be forfeited to the appropriate authority in accordance with the provisions of this section.

(*2*) Except in cases hereafter mentioned in this section, the deposit shall be returned as soon as practicable after the result of the election is declared.

(*3*) If the candidate is not shown in the list of contesting candidates, or if he dies before the commencement of the poll, the deposit shall be returned as soon as practicable after the publication of the list or after his death, as the case may be.

(*4*) Subject to the provisions of sub-section (*3*), the deposit shall be forfeited if at an election where a poll has been taken, the candidate is not elected and the number of valid votes polled by him does not exceed one-sixth of the total number of valid votes polled by all the candidates or in the case of election of more than one member at the election, one-sixth of the total number of valid votes so polled divided by the number of members to be elected:

---

1. The words "or the Rajpramukh, as the case may be," omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 79, for "section 75" (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by Act 58 of 1958, s. 39, for s. 158 (w.e.f. 30-12-1958).

(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के शेष भाग के लिए सेवा करने के लिए चुना जाएगा।

155. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ—(1) राज्य सभा के ऐसे सदस्य की पदावधि जिसके नाम का शासकीय राजपत्र में धारा 71 के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है, ऐसी अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी ।

(2) राज्य सभा के ऐसे सदस्य की पदावधि, जिसके नाम का धारा 71 के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित नहीं है, यथास्थिति, निर्वाचित के रूप में ऐसे व्यक्ति के नाम को अन्तर्विष्ट रखने वाली घोषणा के धारा 67 के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या ऐसे व्यक्ति के राज्य सभा के लिए नामनिर्देशन का आख्यापन करने वाली अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन या किसी अन्य उपबंध के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी ।

156. राज्य विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि—(1) राज्य की विधान परिषद् में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से भिन्न उस परिषद् के सदस्य की पदावधि छह वर्ष की होगी किन्तु परिषद् के प्रथम गठन पर राज्यपाल [1]*** निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् उस समय चुने गए सदस्यों में से कुछ की पदावधि को इस प्रकार कम कर देने के लिए ऐसा उपबंध, जैसा वह ठीक समझे, आदेश द्वारा करेगा कि हर एक वर्ग के स्थानों को धारण करने वाले सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई तत्पश्चात् हर दूसरे वर्ष के अवसान पर निवृत्त हो जाएं ।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती की पदावधि के शेष भाग के लिए सेवा करने के लिए चुना जाएगा ।

157. विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ—(1) राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्य की पदावधि, जिसके नाम का शासकीय राजपत्र में [2][धारा 74] के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है, ऐसी अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी।

(2) राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्य की पदावधि, जिसके नाम का [2][धारा 74] के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित नहीं है, यथास्थिति, निर्वाचित के रूप में ऐसे व्यक्ति के नाम को अन्तर्विष्ट रखने वाली घोषणा के धारा 67 के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या ऐसे व्यक्ति के परिषद् के लिए नामनिर्देशन का आख्यापन करने वाली अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ङ) के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी ।

[3][**158. अभ्यर्थी के निक्षेप की वापसी का समपहरण**—(1) धारा 34 के अधीन या धारा 39 की उपधारा (2) के साथ पठित उस धारा के अधीन किया गया निक्षेप या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दिया जाएगा या इस धारा के उपबंधों के अनुसार समुचित प्राधिकारी को समपहृत हो जाएगा ।

(2) इस धारा में एतत्पश्चात् वर्णित दशाओं के सिवाय निक्षेप निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से वापस कर दिया जाएगा ।

(3) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित नहीं किया गया है या यदि मतदान के प्रारम्भ से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो निक्षेप, यथास्थिति, सूची के प्रकाशन के पश्चात् या उसकी मृत्यु के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से वापस कर दिया जाएगा ।

(4) यदि ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान हुआ है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता और उसे प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या सब अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के छठे भाग से, या निर्वाचन में एक से अधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में उस संख्या के छठे भाग से, जो ऐसे पड़े हुए विधिमान्य मतों की कुल संख्या को, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से, भाग देने पर आए, अधिक नहीं है, तो निक्षेप उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन समपहृत हो जाएगा :

---

1. विधि अनुकूलन (सं॰ 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राजप्रमुख, जैसी भी स्थिति हो" शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 27 की धारा 79 द्वारा (28-8-1956 से) धारा 75'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1958 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 39 द्वारा (30-12-1958 से) धारा 158 के स्थान पर प्रतिस्थापित

Provided that where at an election held in, accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, a candidate is not elected, the deposit made by him shall be forfeited if he does not get more than one-sixth of the number of votes prescribed in this behalf as sufficient to secure the return of a candidate.

(*5*) Notwithstanding anything in sub-sections (*2*), (*3*) and (*4*),—

(*a*) if at a general election, the candidate is a contesting candidate in more than one parliamentary constituency or in more than one assembly constituency, not more than one of the deposits shall be returned, and the others shall be forfeited.

(*b*) if the candidate is a contesting candidate at an election in more than one council constituency or at an election in a council constituency and at an election by the members of the State Legislative Assembly to fill seats in the Legislative Council, not more than one of the deposits shall be returned, and the others shall be forfeited.]

[1][**159. Staff of certain authorities to be made available for election work.**—(*1*) The authorities specified in sub-section (*2*) shall, when so requested by a Regional Commissioner appointed under clause (*4*) of article 324 or the Chief Electoral Officer of the State, make available to any returning officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with an election.

(*2*) The following shall be the authorities for the purpose of sub-section (*1*), namely:—

(*i*) every local authority;

(*ii*) every university established or incorporated by or under a Central, Provincial or State Act;

(*iii*) a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(*iv*) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a Central, Provincial or State Act or which is controlled, or financed wholly or substantially by funds provided, directly or indirectly, by the Central Government or a State Government.]

160. Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.—(*1*) If it appears to the State Government that in connection with an election held within the State—

[2][(*a*) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling stations, for counting, for storage of ballot boxes, voting machines (including voter verifiable paper audit trail) and poll related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel; or]

(*b*) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election,

that Government may by order in writing requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

[3][Provided that such premises shall be requisitioned after the issuance of the notification by the Election Commission under section 30 for such election till the date notified under clause (*e*) thereof:

Provided further that] no vehicle, vessel of animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the poll at such election.

(*2*) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(*3*) Whenever any property is requisitioned under sub-section (*1*), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

---

1. Subs. by Act 12 of 1998, s. 2 for s. 159 (w.e.f. 23-12-1997).
2. Subs. by Act 49 of 2021, s. 7, for cl. (*a*) (w.e.f. 1-8-2022).
3. Subs. by s. 7, *ibid.*, for "Provided that" (w.e.f. 1-8-2022).

परन्तु आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किए गए निर्वाचन में जहां कि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता वहां उसके द्वारा किया गया निक्षेप समपहृत हो जाएगा यदि उसे मतों की उस संख्या के छठे भाग से अधिक मत प्राप्त नहीं होते जो अभ्यर्थी हो जाने के लिए पर्याप्त रूप में इस निमित्त विहित हैं ।

(5) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी एक से अधिक संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र में या एक से अधिक सभा निर्वाचन—क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है तो एक ही निक्षेप वापस किया जाएगा और अन्य निक्षेप समपहृत हो जाएंगे ;

(ख) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन में एक से अधिक परिषद् निर्वाचन—क्षेत्रों में, या निर्वाचन में एक परिषद् निर्वाचन—क्षेत्र में और विधान परिषद् में स्थानों को भरने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है तो एक ही निक्षेप वापस किया जाएगा और अन्य निक्षेप समपहृत हो जाएंगे ।

[1][**159- कतिपय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृन्द निर्वाचन के काम के लिए उपलब्ध किए जाएंगे**—(1) जब अनुच्छेद 324 के खंड (4) के अधीन नियुक्त प्रादेशिक आयुक्त या राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर, ऐसा अनुरोध करे तब, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी रिटर्निंग आफिसर को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएंगे जितने निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(i) हर स्थानीय प्राधिकारी ;

(ii) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित हर विश्वविद्यालय ;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(iv) ऐसी कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या सारत: नियंत्रित या वित्तपोषित है ।]

160. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण—(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर होने वाले निर्वाचन के संबंध में—

[2][(क) किन्ही परिसरों की मतदान केन्द्रों के रूप में मतगणना करने, मतदान पेटियों वोटिंग मशीनों (वोटर वेरीफिएवल पेपर आडिट ट्रेल सहित) के भंडारण और मतदान हो जाने के पश्चात् मतदान संबंधी सामग्री सुरक्षा बलों और मतदान कर्मिकों के लिए आवास के लिए आवश्यता है या आवश्यकता होने संभावना है ; या]

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है,

तो वह सरकार ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्ति आदेश दे सकेगी जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

[3][परन्तु ऐसे परिसरों की धारा 30 के अधीन खंड (ङ) के अधीन तारीख अधिसूचित होने तक ऐसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के पश्चात् अध्यपेक्षा की जाएगी:

ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णत: उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए।

परन्तु यह और कि'']

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जाएगी ।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाए तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है ।

1. 1998 के अधिनियम सं॰ 12 की धारा 2 द्वारा (23-12-1997 से) धारा 159 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 7 द्वारा (1-8-2022 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 7 द्वारा (1-8-2022 से) ''परंतु'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*4*) In this section,—

(*a*) "premises" means any land, building or part of a building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;

(*b*) "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

161. Payment of compensation.—(*1*) Whenever in pursuance of section 160 the State Government requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following, namely:—

(*i*) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;

(*ii*) if any consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change:

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine:

Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation, it shall be referred by the State Government to an arbitrator appointed in this behalf by that Government for determination, and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator.

Explanation.—In this sub-section, the expression "person interested" means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under section 160 immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner of such premises.

(*2*) Whenever in pursuance of section 160 the State Government requisitions any vehicle, vessel or animal, there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the State Government on the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle, vessel or animal:

Provided that where the owner of such vehicle, vessel or animal being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine:

Provided further that where immediately before the requisitioning the vehicle or vessel was by virtue of a hire-purchase agreement in the possession of a person other than the owner, the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may agree upon, and in default of agreement, in such manner as an arbitrator appointed by the State Government in this behalf may decide.

162. Power to obtain information.—The State Government may with a view to requisitioning any property under section 160 or determining the compensation payable under section 161, by order, require any person to furnish to such authority as may be specified in the order such information in his possession relating to such property as may be so specified.

163. Powers of entry into and inspection of premises, etc.—(*1*) Any person authorised in this behalf by the State Government may enter into any premises and inspect such premises and any vehicle, vessel or animal therein for the purpose of determining whether, and if so in what manner, an order under section 160 should be made in relation to such premises, vehicle, vessel or animal, or with a view to securing compliance with any order made under that section.

(4) इस धारा में—

(क) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोंपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है ;

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो ।

161. प्रतिकर का संदाय—(1) जब कभी राज्य सरकार किसी परिसर को धारा 160 के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक;

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास-स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाए वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें :

परन्तु यह और भी जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है वहां अवधारण के लिए उसे राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पदावलि से वह व्यक्ति, जो धारा 160 के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी राज्य सरकार कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 160 के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण राज्य सरकार ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगी :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाए वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहित पूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर था वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वे सहमत हो जाएं, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभाजित की जाएगी ।

162. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति—राज्य सरकार किसी सम्पत्ति को धारा 160 के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 161 के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी सम्पत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाए ।

163. किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां—(1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 160 के अधीन आदेश किया जाए और यदि किया जाए तो किस रीति में किया जाए या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा ।

(*2*) In this section, the expressions "premises" and "vehicle" have the same meanings as in section 160.

164. Eviction from requisitioned premises.—(*1*) Any person remaining in possession of any requisitioned premises in contravention of any order made under section 160 may be summarily evicted from the premises by any officer empowered by the State Government in this behalf.

(*2*) Any officer so empowered may, after giving to any woman not appearing in public reasonable warning and facility to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door of any building or do any other act necessary for effecting such eviction.

165. Release of premises from requisition.—(*1*) When any premises requisitioned under section 160 are to be released from requisition, the possession thereof shall be delivered to the person from whom possession was taken at the time when the premises were requisitioned, or if there were no such person, to the person deemed by the State Government to be the owner of such premises, and such delivery of possession shall be a full discharge of the State Government from all liabilities in respect of such delivery, but shall not prejudice any rights in respect of the premises which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the premises is so delivered.

(*2*) Where the person to whom possession of any premises requisitioned under section 160 is to be given under sub-section (*1*) cannot be found or is not readily ascertainable or has no agent or any other person empowered to accept delivery on his behalf, the State Government shall cause a notice declaring that such premises are released from requisition to be affixed on some conspicuous part of such premises and publish the notice in the Official Gazette.

(*3*) When a notice referred to in sub-section (*2*) is published in the Official Gazette, the premises specified in such notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of such publication and be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof; and the State Government shall not be liable for any compensation or other claim in respect of such premises for any period after the said date.

166. Delegation of functions of the State Government with regard to requisitioning.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any powers conferred or any duty imposed on that Government by any of the provisions of sections 160 to 165 shall, under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by such officer or class of officers as may be so specified.

167. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 160 or section 162, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

168. [*Special provisions with respect to Rulers of former Indian States.*] *Omitted by the Rulers of Indian States (Abolition of Privileges) Act,* 1972 (54 *of* 1972), *s.* 4 (*w.e.f.* 9-9-1972).

PART XI

GENERAL

169. Power to make rules.—(*1*) The Central Government may, after consulting the Election Commission, by notification in the Official Gazette, make rules[1] for carrying out the purposes of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

[2][(*a*) the form of affidavit under sub-section (*2*) of section 33A;]

[3][(*aa*) the duties of presiding officers and polling officers at polling stations;]

[4][(*aaa*) the form of contribution report;]

1. *See* the Conduct of Election Rules, 1961, in Vol. II., *infra*.
2. Ins. by Act 72 of 2002, s. 6 (w.e.f. 24-8-2002).
3. Cl. (*a*) renumbered as cl. (*aa*) by s. 6, *ibid.* (w.e.f. 24-8-2002).
4. Ins. by Act 46 of 2003, s. 6 (w.e.f. 11-9-2003).

(2) इस धारा में "परिसर" तथा "यान" पदों के वही अर्थ हैं जो धारा 160 में हैं ।

164. अधिगृहीत परिसर से बेदखली—(1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 160 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है, उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई आफिसर उस परिसर में से संक्षेपत: बेदखल कर सकेगा ।

(2) ऐसे सशक्त कोई आफिसर ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा ।

165. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति—(1) जब कि धारा 160 के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किए जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किए जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जाएगा और कब्जे का ऐसे परिदान राज्य सरकार को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में हैं, पूर्णत: उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो ।

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 160 के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है वहां राज्य सरकार यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग में लगवाएगी और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

(3) जब कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से न रहेंगे और उनकी बाबत यह समझा जाएगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिए गए हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और राज्य सरकार उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर के संबंध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगी ।

166. अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन—राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उस सरकार पर धारा 160 से लेकर धारा 165 तक के उपबन्धों में से किसी द्वारा प्रदत्त कोई शक्तियां या अधिरोपित कोई कर्तव्य ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ऐसे आफिसर या ऐसे वर्ग के आफिसरों द्वारा प्रयुक्त या निर्वाहित किए जाएंगे जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

167. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा 160 या धारा 162 के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

168. [भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की बाबत विशेष उपबंध ।]—देशी राज्य शासक (विशेषाधिकार समाप्ति) अधिनियम, 1972 (1972 का 54) की धारा 4 द्वारा (9-9-1972 से) लोप किया गया ।

भाग 11

साधारण

169. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम[1] , निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सब निम्नलिखित बातों का, या उनमें से किसी के लिए, उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

[2][(क) धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन शपथपत्र का प्ररूप ;]

[3][(कक) मतदान केन्द्रों में पीठासीन आफिसरों और मतदान आफिसरों के कर्तव्य ;]

[4][(ककक) अभिदाय रिपोर्ट का प्ररूप ;]

1. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, जिल्द 2 में देखिए ।
2. 2002 के अधिनियम सं॰ 72 की धारा 6 द्वारा (24-8-2002 से) अंत:स्थापित ।
3. 2002 के अधिनियम सं॰ 72 की धारा 6 द्वारा (24-8-2002 से) खंड (क), खंड (कक) के रूप में पुन:संख्यांकित ।
4. 2003 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 6 द्वारा (11-9-2003 से) अंत:स्थापित ।

(*b*) the checking of voters by reference to the electoral roll;

[1][(*bb*) the manner of allocation of equitable sharing of time on the cable television network and other electronic media;]

(*c*) the manner in which votes are to be given both generally and in the case of illiterate voters or voters under physical or other disability;

(*d*) the manner in which votes are to be given by a presiding officer, polling officer, polling agent or any other person, who being an elector for a constituency is authorised or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(*e*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by a person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

[2][(*ee*) the manner of giving and recording of votes by means of voting machines and the procedure as to voting to be followed at polling stations where such machines are used;]

(*f*) the procedure as to voting to be followed at elections held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

(*g*) the scrutiny and counting of votes including cases in which a recount of the votes may be made before the declaration of the result of the election;

[2][(*gg*) the procedure as to counting of votes recorded by means of voting machines;]

(*h*) the safe custody of [3][ballot boxes, voting machines], ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers;

[1][(*hh*) the material to be supplied by the Government to the candidates of recognised political parties at any election to be held for the purposes of constituting the House of the People or the Legislative Assembly of a State;]

(*i*) any other matter required to be prescribed by this Act.

[4][(*3*) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or [5][in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made,] the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

170. Jurisdiction of civil courts barred.—No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or of any decision given by the returning officer or by any other person appointed under this Act in connection with an election.

171. [*Repeal of Act* 39 *of* 1920.] *Rep. by the Repealing and Amending Act,* 1957 (36 *of* 1957), *s.* 2 *and Sch. I* (*w.e.f.* 17-9-1957).

---

1. Ins. by Act 46 of 2003, s. 6 (w.e.f. 11-9-2003).
2. Ins. by Act 1 of 1989, s. 16 (w.e.f. 15-3-1989).
3. Subs. by s. 16, *ibid*., for "ballot boxes" (w.e.f. 15-3-1989).
4. Subs. by Act 40 of 1961, s. 29, for sub-section (*3*) (w.e.f. 20-9-1961).
5. Subs. by Act 4 of 1986, s. 2 and Sch. (w.e.f. 15-5-1986).

(ख) निर्वाचक नामावलियों के प्रति निर्देश से मतदाताओं की जांच-पड़ताल करना ;

[1][(खख) केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय की साम्यापूर्ण भागीदारी के आबंटन की रीति ;]

(ग) वह रीति जिसमें मत इन दोनों दशाओं में, अर्थात् साधारणत: और निरक्षर मतदाताओं या शारीरिक या अन्य निर्योग्यता से ग्रस्त मतदाताओं की दशाओं में, दिए जाने हैं ;

(घ) वह रीति जिसमें पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर, मतदान अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक होते हुए ऐसे मतदान केन्द्र में कर्तव्य के लिए अप्राधिकृत या नियुक्त किया गया है, जिसमें वह मत देने का हकदार नहीं है, मत दिए जाने हैं ;

(ङ) उस व्यक्ति द्वारा मत के निविदान की बाबत, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जो यह व्यपदेश कि मैं निर्वाचक हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्वाचक के रूप में मत दिए जाने के पश्चात् करता है ;

[2][(ङङ) मतदान मशीनों के द्वारा मत देने और अभिलिखित करने की रीति और ऐसे मतदान केन्द्रों पर, जहां ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, अनुसरण की जाने वाली मतदान प्रक्रिया ;]

(च) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होने वाले निर्वाचनों में मत देने के लिए किया जाना है ;

(छ) मतों की संवीक्षा और गणना, जिसके अन्तर्गत वे मामले आते हैं, जिनमें निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व मतों की पुनर्गणना की जानी है ;

[2][(छछ) मतदान मशीनों द्वारा अभिलिखित मतों की गणना की प्रक्रिया ;]

(ज) [3][मत पेटियों, मतदान मशीनों,] मतपत्रों की और निर्वाचन के अन्य कागजपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, वह कालावधि जिस तक ऐसे कागजपत्र परिरक्षित किए जाएंगे और ऐसे कागजपत्रों का निरीक्षण और पेश किया जाना ;

[1][(जज) सरकार द्वारा, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के प्रयोजनों के लिए होने वाले किसी निर्वाचन में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री ;]

(झ) ऐसी कोई अन्य बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

[4][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक संदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । [5][यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा ।] यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

170. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित—किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता न होगी कि वह रिटर्निंग आफिसर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त है, निर्वाचन के संबंध में की गई किसी कार्यवाही या किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करे ।

171. [1920 के अधिनियम 39 का निरसन ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (17-9-1957 से) निरसित ।

---

1. 2003 के अधिनियम सं॰ 46 की धारा 6 द्वारा (11-9-2003 से) अंत:स्थापित।
2. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 16 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित।
3. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 16 द्वारा (15-3-1989 से) "मतपेटियों को" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1961 के अधिनियम सं 40 की धारा 29 द्वारा (20-9-1961 से) उपधारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1986 के अधिनियम सं॰ 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) प्रतिस्थापित।

Extracts from the States Reorganisation Act, 1956

(37 of 1956)

* * * * *

The Legislative Councils

33. Madhya Pradesh Legislative Council.—(*1*) As from such date as the President may by order appoint, there shall be a Legislative Council for the new State of Madhya Pradesh.

(*2*) In the said Council there shall be [1][90] seats of which—

(*a*) the numbers to be filled by persons elected by the electorates referred to in sub-clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of clause (*3*) of article 171 shall be [2][31, 8 and 8] respectively;

(*b*) the number to be filled by persons elected by the members of the Legislative Assembly in accordance with the provisions of sub-clause (*d*) of the said clause shall be [3][31]; and

(*c*) the number to filled by persons nominated by the Governor in accordance with the provisions of sub-clause (*e*) of that clause shall be 12.

(*3*) As soon as may be after the commencement of [4][the Legislative Council Act, 1957 (37 of 1957)], the President, after consultation with the Election Commission, shall by order determine—

(*a*) the constituencies into which the said new State shall be divided for the purpose of elections to the Council under each of the sub-clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of clause (*3*) of article 171;

(*b*) the extent of each constituency; and

(*c*) the number of seats allotted to each constituency.

(*4*) As soon as may be after [5][such commencement,] steps shall be taken to constitute the said Council in accordance with the provisions of this section and the provisions of the Representation of the People Act, 1950 (43 fo 1950), and the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).

[6]* * * * *

* * * * *

1. Subs. by Act 37 of 1957, s. 6 for "72" (w.e.f. 18-9-1957).
2. Subs. by s. 6, *ibid*., for "24, 6 and 6" (w.e.f. 18-9-1957).
3. Subs. by s. 6, *ibid.,* for "24" (w.e.f. 18-9-1957).
4. Subs. by s. 6, *ibid.,* for "this Act (w.e.f. 18-9-1957).
5. Subs. by s. 6, *ibid.,* for "the appointed day" (w.e.f. 18-9-1957).
6. Proviso omitted by s. 6, *ibid.* (w.e.f. 18-9-1957).

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्धरण

(1956 का अधिनियम संख्यांक 37)

* * * * *

विधान परिषदें

33. मध्य प्रदेश विधान परिषद्—(1) ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, मध्य प्रदेश के नए राज्य के लिए एक विधान परिषद् होगी ।

(2) उक्त परिषद में [1][90] स्थान होंगे जिनमें से—

(क) अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट निर्वाचन मण्डलों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्याएं क्रमशः [2][31, 8 और 8] होंगी;

(ख) उक्त खंड के उपखंड (घ) के उपबंधों के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या [3][31] होगी; तथा

(ग) उस खंड के उपखंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 12 होगी ।

(3) राष्ट्रपति, [4][विधान परिषद् अधिनियम, 1957 (1957 का 37)] के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा—

(क) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में से प्रत्येक के अधीन परिषद् के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए उक्त नया राज्य विभाजित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ; तथा

(ग) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या,

अवधारित करेगा ।

(4) [5][ऐसे प्रारंभ] के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र इस धारा के उपबंधों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के उपबंधों के अनुसार उक्त परिषद् गठित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

[6]* * * * *

* * * * *

---

1. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 6 द्वारा (18-9-1957 से) "72" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 6 द्वारा (18-9-1957 से) "24, 6 और 6" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 6 द्वारा (18-9-1957 से) "24" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 6 द्वारा (18-9-1957 से) "इस अधिनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 6 द्वारा (18-9-1957 से) "नियत दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1957 के अधिनियम सं॰ 37 की धारा 6 द्वारा (18-9-1957 से) परन्तुक का लोप किया गया ।

EXTRACTS FROM THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

(20 OF 1963)

* * * * *

PART I

PRELIMINARY

* * * * *

2. Definitions and interpretation.—(*1*) In this Act, unless the context otherwise requires,—

* * * * *

[1][(*h*) "Union territory" means the Union territory of [2][Puducherry.]]

* * * * *

PART II

LEGISLATIVE ASSEMBLIES

3. Legislative Assemblies for Union territories and their composition.—(*1*) There shall be a Legislative Assembly for each Union territory.

[3][(*2*) The total number of seats in the Legislative Assembly of [4][the Union territory] to be filled by persons chosen by direct election shall be thirty.]

(*3*) The Central Government may nominate not more than three persons, not being persons in the service of Government, to be members of the Legislative Assembly of [4][the Union territory.]

[5][(*4*) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly of the Union territory.]

(*5*) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly [6][of [7][the Union territory]] under sub-section (*4*) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the Union territory or of the Scheduled Tribes in the Union territory, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the Union territory.

[8][*Explanation.*—In this sub-section, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year [9][2026] have been published, be construed as a reference to the [10][2001] census.]

---

1. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for cl. (*h*) (w.e.f. 30-5-1987).
2. Subs. by Act 44 of 2006, s. 7, for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).
3. Subs. by the State of Himachal Pradesh (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1973, for sub-section (*2*) (w.e.f. 25-1-1971).
4. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for "a Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).
5. Subs. by s. 65, *ibid*., for sub-section (*4*) (w.e.f. 30-5-1987).
6. Subs. by Act 86 of 1976, s. 2, for "of the Union territory of Pondicherry" (w.e.f. 30-9-1976).
7. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for "any Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).
8. Ins. by Act 19 of 1984, s. 2 (w.e.f. 8-5-1984).
9. Subs. by Act 19 of 2005, s. 2 for "2000" (w.e.f. 21-5-2005).
10. Subs. by s. 2, *ibid.,* for "1971"(w.e.f. 21-5-2005).

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 से उद्धरण

(1963 का अधिनियम संख्यांक 20)

* * * * *

भाग 1

प्रारम्भिक

* * * * *

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

* * * * *

[1][(ज) "संघ राज्यक्षेत्र" से [2][पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।]

* * * * *

भाग 2

विधान सभाएं

3. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधान सभाएं तथा उनकी संरचना—(1) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी।

[3][(2) [4][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा में ऐसे स्थानों की कुल संख्या जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, तीस होगी ।]

(3) केन्द्रीय सरकार तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार की सेवा में नहीं हैं, [4][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी ।

[5][(4) संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।]

(5) उपधारा (4) के अधीन [6][[7][संघ राज्यक्षेत्र]] की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो, यथास्थिति, उस संघ राज्यक्षेत्र को अनुसूचित जातियों की अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या से है ।

[8][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना में, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना के, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, प्रति निर्देश का अर्थ तब तक जब तक सन् [9][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह लगाया जाएगा कि वह सन् [10][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है ।]

---

1. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) खण्ड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2006 के अधिनियम सं॰ 44 की धारा 7 द्वारा (1-10-2006 से) पांडिचेरी के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1973 द्वारा (25-1-1971 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "कोई संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1976 के अधिनियम सं॰ 86 की धारा 2 द्वारा (30-5-1976 से) "पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) ''किसी संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर प्रतिस्थापित ।
8. 1984 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 2 द्वारा (8-5-1984 से) अंत:स्थापित ।
9. 2005 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 2 द्वारा (21-5-2005 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 2005 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 2 द्वारा (21-05-2005 से) "1971" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(*6*) Notwithstanding anything in sub-section (*4*), the reservation of seats for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly of the Union territory shall cease to have effect on the same date on which the reservation of seats for the Scheduled Castes in the House of the People shall cease to have effect under article 334:

Provided that nothing in this sub-section shall affect any representation in the Legislative Assembly of the Union territory until the dissolution of the then existing Assembly.]

[2][**3A. Reservation of seats for women in Legistive Assembly of Union territory of Puducherry.—**(*1*) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry.

(*2*) As nearly as may be, one-third of the seats reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry shall be reserved for women.

(*3*) As nearly as may be, one-third of the total number of seats to be filled by direct election to the Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes) shall be reserved for women in such manner as Parliament may by law determine.

3B. Reservation of seats for women to take effect:—(*1*) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Act, the provisions relating to reservation of seats for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Government of Union Territories (Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of period of fifteen years from such commencement.

(*2*) Subject to the provisions of section 3A, seats reserved for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry shall continue till such date as Parliament may by law determine.

(*3*) Rotation of seats reserved for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry shall take effect after such subsequent exercise of delimiation as Parliament may by law determine.

(*4*) Nothing in section 3A Shall affect any representation in the Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry until the dissolution of the then existing Legislative Assembly of the Union territory of Puducherry.]

4. Qualification for membership of Legislative Assembly.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of [3][the Union territory] unless he—

(*a*) is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule;

(*b*) is not less than twenty-five years of age; and

(*c*) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law.

5. Duration of Legislative Assemblies.—The Legislative Assembly of [3][the Union territory] unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency issued under clause (*1*) of article 352 is in operation, be extended by the President by order for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

* * * * *

13. Vacation of seats.—(*1*) No person shall be a member both of Parliament and of the Legislative Assembly of [3][the Union territory] and if a person is chosen a member both of Parliament and of such Assembly, then, at the expiration of such period as may be specified in the rules made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislative Assembly of the Union territory.

---

1. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for sub-section (*6*) (w.e.f. 30-5-1987).
2. Ins. by Act 39 of 2023, s. 2 (w.e.f. Date to be notified).
3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for "a Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).

[1][(6) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस तारीख से समाप्त हो जाएगा जिसको अनुच्छेद 334 के अधीन लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण समाप्त होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में तत्समय विद्यमान सभा के विघटन तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी]

[2]**[3क. पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण**—(1) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(2) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित हैं), ऐसी रीति में, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

3ख. महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना—(1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध, संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात्, पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन)अधिनियम, 2023 के प्रांरभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

(2) धारा 3क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान का ऐसी तारीख तक आरक्षित बने रहेंगे, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐसे पश्चातवीं परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे।

(4) धारा 3क की कोई बात, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है**]**

4. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं—कोई व्यक्ति [3][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

(क) वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ ले या प्रतिज्ञान करे और उस पर हस्ताक्षर करे ;

(ख) कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का हो, और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों, जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

5. विधान सभाओं की अवधि—[3][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

* * * * *

13. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति संसद् और [3][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और ऐसी विधान सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

---

1. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 2023 के अधिनियम सं॰ 39 की धारा 2 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अत:स्थापित।

3. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) ''किसी संघ राज्यक्षेत्र' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*2*) If a member of the Legislative Assembly of [1][the Union territory]—

(*a*) becomes subject to any disqualification mentioned in [2][section 14 or section 14A] for membership of the Assembly, or

(*b*) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker, his seat shall thereupon become vacant.

(*3*) If for a period of sixty days a member of the Legislative Assembly of [1][the Union territory] is without permission of the Assembly absent from all meetings thereof, the Assembly may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days, no account shall be taken of any period during which the Assembly is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

14. Disqualifications for membership.—(*1*) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of [1][the Union territory]—

(*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of [1][the Union territory], other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislative Assembly of [1][the Union territory], not to disqualify its holder; or

(*b*) if he is for the time being disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub-clause (*b*), sub-clause (*c*) or sub-clause (*d*) of clause (*1*) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.

(*2*) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of [1][the Union territory] by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union territory.

(*3*) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly of [1][the Union territory] has become disqualified for being such a member under the provisions of sub-section (*1*), the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(*4*) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

[3][**14A. Disqualification on ground of defection for being a member.**—The provisions of the Tenth Schedule to the Constitution shall, subject to the necessary modifications (including modifications for construing references therein to the Legislative Assembly of a State, article 188, article 194 and article 212 as references, respectively, to the Legislative Assembly of [2][the Union territory], section 11, section 16 and section 37 of this Act), apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of [2][the Union territory] as they apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of a State, and accordingly,—

(*a*) the said Tenth Schedule as so modified shall be deemed to form part of this Act; and

(*b*) a person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly of [1][the Union territory] if he is so disqualified under the Tenth Schedule as so modified.]

* * * * *

39. Assembly constituencies.—For the purpose of elections to the Legislative Assembly of [1][the Union territory], the Union territory shall be divided into single-member assembly constituencies in accordance with the provisions of this Part in such manner that the population of each of the constituencies shall, so far as practicable, be the same throughout the Union territory.

---

1. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65 for "a Union Territory" (w.e.f. 30-5-1987).
2. Subs. by Act 24 of 1985, s. 2, for "section 14" (w.e.f. 29-3-1985).
3. Ins. by Act 24 of 1985, s. 3 (w.e.f. 29-3-1985).

(2) यदि [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य—

(क) विधान सभा की सदस्यता के लिए [2][धारा 14 या धारा 14क] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

(3) यदि [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक विधान सभा की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो विधान सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान विधान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है ।

14. सदस्यता के लिए निरर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या [1][संघ राज्यक्षेत्र] की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने या [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा ने विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है ; अथवा

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख), उपखण्ड (ग) या उपखण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए तत्समय निरर्हित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इसलिए भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या [1][संघ राज्यक्षेत्र] की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का कोई सदस्य ऐसा सदस्य होने के लिए उपधारा (1) के अधीन निरर्हित हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

[3][**14क. सदस्य होने के लिए दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता**—संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबन्ध आवश्यक उपांतरणों के (जिनके अंतर्गत उसमें किसी राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति जो निर्देश हैं उनका क्रमश: [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा, इस अधिनियम की धारा 11, धारा 16 और धारा 37 के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाने के लिए उपांतरण हैं) अधीन रहते हुए [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं और तदनुसार—

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची को इस अधिनियम का भाग समझा जाएगा ; और

(ख) कोई व्यक्ति [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

* * * * *

39. सभा निर्वाचन-क्षेत्र—[1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वह संघ राज्यक्षेत्र इस भाग के उपबन्धों के अनुसार एक सदस्य सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रत्येक की जनसंख्या, जहां तक संभव हो, समस्त संघ राज्यक्षेत्र में वही होगी ।

---

1. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) ''किसी संघ राज्यक्षेत्र'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1985 के अधिनियम सं॰ 24 की धारा 2 द्वारा (29-3-1985 से) ''धारा 14'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1985 के अधिनियम सं॰ 24 की धारा 3 द्वारा (29-3-1985 से) अंत:स्थापित।

40. Representation of [1][Puducherry] in the House of the People.—There shall be allotted one seat to the Union territory of [1][Puducherry] in the House of the People and that Union territory shall form one parliamentary constituency.

* * * * *

51. Provision in case of failure of constitutional machinery.—If the President, on receipt of a report from the Administrator of [2][the Union territory] or otherwise, is satisfied,—

(*a*) that a situation has arisen in which the administration of the Union territory cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act, or

(*b*) that for the proper administration of the Union territory it is necessary or expedient so to do,

the President may, by order, suspend the operation of all or any of the provisions of this Act for such period as he thinks fit and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the Union territory in accordance with the provisions of article 239.

[3][**52. Authorisation of expenditure by President.**—Where the Legislative Assembly of [2][the Union territory] is dissolved, or its functioning as such Assembly remains suspended, on account of an order under section 51, it shall be competent for the President to authorise when the House of the People is not in session expenditure from the Consolidated Fund of that Union territory pending the sanction of such expenditure by Parliament.]

* * * * *

1. Subs. by Act 44 of 2006, s. 5, for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).
2. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for "a Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).
3. Ins. by Act 1 of 1980, s. 2 (w.e.f. 25-9-1979).

40. लोक सभा में [1][पुडुचेरी] का प्रतिनिधित्व—लोक सभा में, [1][पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र को एक स्थान आबंटित किया जाएगा और वह संघ राज्यक्षेत्र एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

* * * * *

51. सांविधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध—यदि राष्ट्रपति का [2][संघ राज्यक्षेत्र] के प्रशासक से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; या

(ख) संघ राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा इस अधिनियम के सभी उपबंधों का या उनमें से किसी का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा और ऐसे आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो उसे अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

[3][**52. राष्ट्रपति द्वारा व्यय को प्राधिकृत किया जाना**—जहां धारा 51 के अधीन किसी आदेश के कारण [2][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा विघटित कर दी गई है या ऐसी विधान सभा के रूप में उसके कृत्य निलंबित कर दिए गए हैं वहां,जब लोक सभा सत्र में नहीं है तब उस संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद् की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी ।]

* * * * *

1. 2006 के अधिनियम सं॰ 44 की धारा 5 द्वारा (1-10-2006 से) 'पांडिचेरी' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1987 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) ''किसी संघ राज्यक्षेत्र'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1980 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 2 द्वारा (25-9-1979 से) अन्तःस्थापित।

EXTRACTS FROM THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ACT, 1991

(1 OF 1992)

* * * * *

PART II

LEGISLATIVE ASSEMBLY

3. Legislative Assembly and its composition.—(*1*) The total number of seats in the Legislative Assembly to be filled by persons chosen by direct election from territorial constituencies shall be seventy.

(*2*) For the purpose of elections to the Legislative Assembly, the capital shall be divided into single-member assembly constituencies in accordance with the provisions of Part III in such manner that the population of each of the constituencies shall, so far as practicable, be the same throughout the Capital.

(*3*) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly, and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the Capital bears to the total population of the Capital and the provisions of article 334 shall apply to such reservation.

Explanation.—In this section, the expression "population" means the population as ascertained in the last preceding census of which the relevant figures have been published:

[1][Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 2001 census:]

[2][Provided further that any readjustment in the division of the Capital into territorial constituencies by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) on the basis of 2001 census shall take from such date as the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, specify and until such readjustment takes effect, any election to the Legislative Assembly may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment.]

4. Qualifications for membership of Legislative Assembly.—A personal shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly unless he—

(*a*) is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Schedule;

(*b*) is not less than twenty-five years of age; and

(*c*) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

5. Duration of Legislative Assembly.—The Legislative Assembly, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly:—

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency issued under clause (*1*) of article 352 is in operation, be extended by the President by order for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the proclamation has ceased to operate.

* * * * *

1. Subs. by Act 19 of 2005, s. 5 for "the proviso" (w.e.f. 21-5-2005).
2. Ins. by Act 5 of 2006, s. 3 (w.e.f. 2-3-2006).

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 से उद्धरण

(1992 का अधिनियम संख्यांक 1)

* * * * *

भाग 2

विधान सभा

3. विधान सभा और उसकी संरचना—(1) विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या सत्तर होगी ।

(2) विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, राजधानी को इस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों के अनुसार, एकल-सदस्य सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या समस्त राजधानी में यथासाध्य एक ही हो ।

(3) विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो राजधानी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात राजधानी की कुल जनसंख्या से है और ऐसे आरक्षण के संबंध में, अनुच्छेद 334 के उपबंध लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

[1][परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है :]

[2][परंतु यह और कि परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर राजधानी के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन में कोई पुन:समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन: समायोजन के प्रभावी होने तक, विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजन से पूर्व विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर कराया जा सकेगा ।]

4. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

(क) भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;

(ख) वह कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं।

5. विधान सभा की अवधि—विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा:

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन निकाली गई आपात-उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में, उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

* * * * *

---

1. 2005 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 5 द्वारा (21-5-2005 से) ''परंतुक के स्थान पर'' प्रतिस्थापित।
2. 2006 के अधिनियम सं॰ 5 की धारा 3 द्वारा (2-3-2006 से) अंत:स्थापित।

14. Vacation of seats.—(*1*) No person shall be a member both of Parliament and of the Legislative Assembly and if a person is chosen a member both of Parliament and of such Assembly, then, at the expiration of such period as is specified in or under the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and the rules made by the President under clause (*2*) of article 101 and clause (*2*) of article 190, that person's seat in Parliament shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the Legislative Assembly.

(*2*) If a member of the Legislative Assembly—

(*a*) becomes subject to any disqualification mentioned in section 15 or section 16 for membership of the Assembly, or

(*b*) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker and his resignation is accepted by the Speaker,

his seat shall thereupon become vacant:

Provided that in the case of any resignation referred to in clause (*b*), if from the information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.

(*3*) If for a period of sixty days a member of the Legislative Assembly is without permission of the Assembly absent from all meetings thereof, the Assembly may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days, no account shall be taken of any period during which the Assembly is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

15. Disqualifications for membership.—(*1*) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly—

(*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of any Union territory other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislature of any State or by the Legislative Assembly of the Capital or of any other Union territory not to disqualify its holder; or

(*b*) if he is for the time being disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub-clause (*b*), sub-clause (*c*) or sub-clause (*d*) of clause (*1*) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.

(*2*) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of any Union territory by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union territory.

(*3*) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly has become disqualified for being such a member under the provisions of sub-section (*1*), the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(*4*) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

14. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति संसद् तथा विधान सभा, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसी सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 101 के खंड (2) तथा अनुच्छेद 190 के खंड (2) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति का संसद् में स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि उसने विधान सभा में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(2) यदि विधान सभा का कोई सदस्य—

(क) सभा की सदस्यता के लिए धारा 15 या धारा 16 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, और

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

परन्तु खंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।

(3) यदि विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सभा की अनुज्ञा के बिना, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है ।

15. सदस्यता के लिए निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंड़ल द्वारा या राजधानी या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ; और

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन, संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार का किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है ।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

16. Disqualification on ground of defection.—The provision of the Tenth Schedule to the Constitution shall subject to the necessary modifications (including modifications for construing references therein to the Legislative Assembly of a State, article 188, article 194 and article 212 as references, receptively, to the Legislative Assembly, section 12, section 18 and section 37 of this Act), apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly as they apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of a State, and accordingly:—

(*a*) the said Tenth Schedule as so modified shall be deemed to form part of this Act; and

(*b*) a person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly if he is so disqualified under the said Tenth Schedule as so modified.

* * * * *

PART III

DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

38. Election Commission to delimit constituencies.—(*1*) The Election Commission shall, in the manner herein provided, distribute the seats assigned to the Legislative Assembly under section 3 to single-member territorial constituencies and delimit them having regard to the following provisions, namely:—

(*a*) all constituencies shall, as far as practicable, be delimited in such manner that the ratio between the population of each of such constituencies and the total population of the Capital is the same; and

(*b*) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Castes shall, as far as practicable, be located in areas where the proportion of their population to the total population is comparatively large.

(*2*) The Election Commission shall—

(*a*) publish its proposals for the delimitation of constituencies in the Official Gazette and also in such other manner as the Commission may consider fit, together with a notice inviting objections and suggestions in relation to the proposals and specifying a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(*b*) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;

(*c*) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine by one or more orders the delimitation of constituencies and cause such order or orders to be published in the Official Gazette; and upon such publication, the order or orders shall have the full force of law and shall not be called in question in any court.

16. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंध, आवश्यक उपांतरों के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत यह उपांतरण भी है कि उसमें राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे, क्रमशः विधान सभा और इस अधिनियम की धारा 12, धारा 18 और धारा 37 के प्रति निर्देश हैं) विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं, और तदनुसार:—

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची इस अधिनियम का भाग समझी जाएगी ; और

(ख) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने से निरर्हित होगा यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित है ।

* * * * *

भाग 3

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

38. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना—(1) निर्वाचन आयोग, धारा 3 के अधीन विधान सभा के लिए समनुदिष्ट स्थानों को एक-सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और उनका परिसीमन निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, करेगा, अर्थात्:—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्रों का, यथासाध्य, ऐसी रीति से परिसीमन किया जाएगा कि राजधानी की कुल जनसंख्या का ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या से अनुपात एक ही हो ; और

(ख) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जहां उनकी जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक हो ।

(2) **निर्वाचन आयोग,**—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से भी, जैसी आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो जिसकी या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों;

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेशों या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा ; और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेगा या रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

39. Power of Election Commission to maintain delimitation orders up-to-date.—The Election Commission may, from time to time, by notification in the Official Gazette,—

(*a*) correct any printing mistakes in any order made under section 38 or any error arising therein from inadvertent slip or omission; and

(*b*) where the boundaries of name of any territorial division mentioned in any such order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing such order up-to-date.

40. Elections to the Legislative Assembly.—(*1*) For the purpose of constituting the Legislative Assembly, a general election will be held as soon as may be, after the delimitation of all the assembly constituencies under section 38.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the Lieutenant Governor shall, by one or more notifications published in the Official Gazette, call upon all the said assembly constituencies to elect members in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and of the rules and orders made or issued thereunder as applicable under sub-section (*3*).

(*3*) The Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the rules and orders made or issued under the said Acts and all other laws for the time being in force relating to elections shall apply with necessary modifications (including modifications for construing references therein to a State, State Government and Governor as including references to the Capital, Government of the Capital and Lieutenant Governor, respectively) to, and in relation to, the general election referred to in sub-section (*1*).

* * * * *

53. Power of President to remove difficulties.—(*1*) If any difficulty arises in relation to the transition from the provisions of any law repealed by this Act or in giving effect to the provisions of this Act and in particular in relation to the constitution of the Legislative Assembly, the President may by order do anything not inconsistent with the provisions of the Constitution or of this Act which appear to him to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no order under this sub-section shall be made after the expiry of three years from the date of constitution of the first Legislative Assembly.

(*2*) Every order made under sub-section (*1*) shall be laid before each House of Parliament.

* * * * *

39. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की शक्ति—निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर:—

(क) धारा 38 के अधीन किए गए किसी आदेश में की किसी मुद्रण संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें हुई किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा ; और

(ख) वहां, जहां कि उस किसी आदेश में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं, का ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

40. विधान सभा के लिए निर्वाचन—(1) धारा 38 के अधीन सभी सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के पश्चात् विद्यमान विधान सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र साधारण निर्वाचन कराया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उपराज्यपाल, राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के, जो उपधारा (3) के अधीन लागू हैं, उपबंधों के अनुसार उक्त सभी सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सदस्यों के निर्वाचन की अपेक्षा करेगा ।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए आदेश तथा निर्वाचनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त सभी अन्य विधियां, आवश्यक उपांतरणों सहित (जिनमें उसमें अर्थान्वयन करने के लिए राज्य, राज्य सरकार और राज्यपाल के प्रति निर्देशों को क्रमशः, राजधानी, राजधानी की सरकार और उपराज्यपाल के प्रति निर्देश के रूप में सम्मिलित उपांतरण भी हैं) उपधारा (1) में निर्दिष्ट साधारण निर्वाचन को या उसके संबंध में लागू होंगी।

* * * * *

53. कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में, या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में तथा विशिष्टतया विधान सभा के गठन के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, ऐसे आदेश द्वारा, जो संविधान के या इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, कोई भी बात कर सकेगा जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश प्रथम विधान सभा के गठन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

* * * * *

THE JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) ACT, 1968

(3 OF 1968)

[23*rd March,* 1968.]

An Act to supplement the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957.

BE it enacted by Parliament in the Nineteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Act, 1968.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 9th day of February, 1968.

2. Application of sections 116A, 116B and 116C of the Representation of the People Act, 1951 to orders made by the Jammu and Kashmir High Court.—The provisions of sections 116A, 116B and 116C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), shall, so far as may be, apply to every order made by the High Court of Jammu and Kashmir subject to the following modifications, namely:—

(*a*) references therein to the High Court shall be construed as including references to the High Court of Jammu and Kashmir,

(*b*) references therein to the State Legislature or to the Speaker or Chairman thereof, shall be construed as including references to the Legislature of the State of Jammu and Kashmir and to the Speaker or Chairman thereof, and

(*c*) references therein to the provisions of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), shall, in relation to the State of Jammu and Kashmir, be construed as references to the corresponding provisions of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957 (Jammu and Kashmir Act No. IV of 1957).

3. Repeal and saving.—(*1*) The Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Ordinance, 1968 (Ord. 2 of 1968), is hereby repealed.

(*2*) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968

(1968 का अधिनियम संख्यांक 3)

[23 मार्च, 1968]

जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 को

अनुपूरित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968 कहा जा सकेगा ।

(2) यह 1968 की फरवरी के नवें दिन को प्रवृत्त हो गया समझा जाएगा ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 116क, 116ख, और 116ग का जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों को लागू होना—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 116क, 116ख, और 116ग के उपबंन्ध जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हर आदेश को निम्नलिखित उपांतरों के साथ यावत्शक्य लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) उसमें के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश आते हैं ;

(ख) उसमें के राज्य विधान-मंडल के प्रति या उसके अध्यक्ष या सभापति के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल के प्रति और उसके अध्यक्ष या सभापति के प्रति निर्देश आते हैं, तथा

(ग) उसमें के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के उपबन्धों के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 (1957 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम सं॰ 4) के तत्स्थानी उपबन्धों के प्रति निर्देश हैं ।

3. निरसन और व्यावृत्ति—(1) जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल (सप्लीमेंटरी) आर्डिनेंस, 1968 (1968 का आर्डिनेंस 2) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

THE DELIMITATION ACT, 2002

(33 OF 2002)

[3*rd June,* 2002.]

An Act to provide for the readjustment of the allocation of seats in the House of the People to the States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State, the division of each State and each Union territory having a Legislative Assembly into territorial constituencies for elections to the House of the People and Legislative Assemblies of the States and Union territories and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Delimitation Act, 2002.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "article" means an article of the Constitution;

(*b*) "associate member" means a member nominated under section 5;

(*c*) "Commission" means the Delimitation Commission constituted under section 3;

(*d*) "Election Commission" means the Election Commission referred to in article 324;

(*e*) "member" means a member of the Commission and includes the Chairperson; and

(*f*) "State" includes a Union territory having a Legislative Assembly but [1][***]

3. Constitution of Delimitation Commission.—As soon as may be after the commencement of this Act, the Central Government shall constitute a Commission to be called the Delimitation Commission which shall consist of three members as follows:—

(*a*) one member, who shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court, to be appointed by the Central Government who shall be the Chairperson of the Commission;

(*b*) the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner nominated by the Chief Election Commissioner, *ex officio*:

Provided that after the nomination of an Election Commissioner as a member under this clause, no further nomination under this clause shall be made except to fill the casual vacancy of such member under section 6; and

(*c*) the State Election Commissioner of concerned State, *ex officio*.

[2][*Explanation.*—For the purposes of clause (*c*), the State Election Commissioner of concerned State,—

(*i*) in respect of the duties of the Commission relating to a State (other than the States of Meghalaya, Mizoram and Nagaland), means the State Election Commissioner appointed by the Governor of that State under clause (*1*) of article 243K; and

(*ii*) in respect of the duties of the Commission relating to the State of Meghalaya or the State of Mizoram or the State of Nagaland, as the case may be, means a person nominated by the Governor of that State under clause (*1*) for such purposes].

4. Duties of the Commission.—(*1*) The readjustment made, on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year 1971 by the Delimitation Commission constituted under section 3 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), of the allocation of seats in the House of the People to the several States and the total number of seats in the Legislative Assembly of each State shall be deemed to be the readjustment made by the Commission for the purposes of this Act.

---

1. The words "does not enclude the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 62 (w.e.f. 31-10-2019).
2. Subs. by Act 3 of 2004, s. 2, for the *Explanation* (w.e.f. 31-10-2003).

परिसीमन अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 33)

[3 जून, 2002]

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों का प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परिसीमन अधिनियम, 2002 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ख) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ; और

(च) "राज्य" के अंतर्गत ऐसा संघ राज्यक्षेत्र भी है जिसमें विधान सभा है, [***]

3. परिसीमन आयोग का गठन—इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार यथाशक्यशीघ्र, परिसीमन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे:—

(क) एक सदस्य, जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह आयोग का अध्यक्ष होगा ;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, पदेन :

परंतु इस खंड के अधीन किसी सदस्य के रूप में निर्वाचन आयुक्त का नामनिर्देशन करने के पश्चात् इस खंड के अधीन कोई और नामनिर्देशन, धारा 6 के अधीन ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्त को भरने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ; और

(ग) संबद्ध राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन ।

[2][**स्पष्टीकरण**—खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए संबधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त से—

(i) (मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों से भिन्न) किसी राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 243ट के खंड (1) के अधीन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ; और

(ii) यथास्थिति, मेघालय राज्य या मिजोरम राज्य या नागालैंड राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, ऐसे प्रयोजनों के लिए उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।]

4. आयोग के कर्तव्य—(1) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोक सभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आबंटन का और प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन समझा जाएगा ।

---

1. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 62 द्वारा (31-10-2019 से) "किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है" शब्दों का लोप किया गया।
2. 2004 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 2 द्वारा (31-10-2003 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*2*) Subject to the provisions of sub-section (*1*) and any other law for the time being in force, the Commission shall re-adjust the division of each State into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year [1][2001]:

Provided that where on such readjustment only one seat is allocated in the House of the People to a State, the whole of that State shall form one territorial constituency for the purpose of elections to the House of the People from that State.

5. Associate members.—(*1*) The Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of each State, ten persons five of whom shall be members of the House of the People representing that State and five shall be members of the Legislative Assembly of that State:

Provided that where the number of members of the House of the People representing any State is five or less, then, all such members shall be the associate members for that State and in the latter case the total number of associate members shall be less than ten by such number as by which the total number of members of the House of the People representing that State is less than five.

(*2*) The persons to be so associated from each State shall be nominated, in the case of the members of the House of the People, by the Speaker of that House, and in the case of members of a Legislative Assembly, by the Speaker of that Assembly, having due regard to the composition of the House or, as the case may be, of the Assembly.

(*3*) The first nominations to be made under sub-section (*2*)—

(*a*) shall be made by the Speakers of the several Legislative Assemblies within one month, and by the Speaker of the House of the People within two months, of the commencement of this Act; and

(*b*) shall be communicated to the Chief Election Commissioner, and where the nominations are made by the Speaker of a Legislative Assembly, also to the Speaker of the House of the People.

(*4*) None of the associate members shall have a right to vote or to sign any decision of the Commission.

(*5*) The Commission shall have power to call upon—

(*a*) the Registrar-General and Census Commissioner, India or his nominee; or

(*b*) the Surveyor General of India or his nominee; or

(*c*) any other officer of the Central Government or State Government; or

(*d*) any expert in geographical information system; or

(*e*) any other person,

whose expertise and knowledge are considered necessary by the Commission to provide assistance to it in addition to the assistance provided by the persons referred to in sub-section (*1*) and the officers and persons so called upon shall be duty bound to assist the Commission.

(*6*) The Secretary to the Election Commission shall be the *ex officio* Secretary of the Commission and shall discharge his functions with the assistance of the employees of the Election Commission under the supervision of the Chairperson of the Commission.

---

1. Subs. by Act 3 of 2004, s. 3, for "1991" (w.e.f. 31-10-2003).

(2) आयोग उपधारा (1) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करेगा:

परंतु जहां ऐसे पुनः समायोजन पर लोक सभा में किसी राज्य के लिए केवल एक स्थान आबंटित किया जाता है वहां उस राज्य से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए संपूर्ण राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

5. सहयुक्त सदस्य—(1) आयोग प्रत्येक राज्य के संबंध में अपने कार्यों में सहायता देने के प्रयोजन के लिए दस व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जिनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे और पांच व्यक्ति उस राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे :

परंतु जहां किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या पांच या उससे कम है, वहां ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए सहयुक्त सदस्य होंगे और पश्चात्कथित दशा, में, सहयुक्त सदस्यों की कुल संख्या दस से उतनी संख्या से कम होगी जितनी से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या पांच से कम है ।

(2) प्रत्येक राज्य से इस प्रकार सहयुक्त होने वाले व्यक्तियों को, लोक सभा के सदस्यों की दशा में, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, और राज्य विधान सभा के सदस्यों की दशा में, उस विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से एक मास के अंदर विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा और दो मास के अंदर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, किए जाएंगे ; और

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसूचित किए जाएंगे, और जहां नामनिर्देशन विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, वहां लोक सभा के अध्यक्ष को भी संसूचित किए जाएंगे ।

(4) सहयुक्त सदस्यों में से किसी को भी आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) आयोग को निम्नलिखित को बुलाने की शक्ति होगी--

(क) भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त या उसका नामनिर्देशिती; या

(ख) भारत का महासर्वेक्षक या उसका नामनिर्देशिती ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी ; या

(घ) भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ ; या

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति,

जिसकी विशेषज्ञता और ज्ञान को आयोग द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त सहायता देने के लिए आवश्यक समझा जाए तथा इस प्रकार बुलाए गए अधिकारी और व्यक्ति आयोग की सहायता करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे।

(6) निर्वाचन आयोग का सचिव, आयोग का पदेन सचिव होगा और आयोग के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की सहायता से अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

---

1. 2004 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 3 द्वारा (31-10-2003 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. Casual vacancies.—If the office of the Chairperson or of a member or of an associate member falls vacant owing to his death or resignation, it shall be filled as soon as may be practicable by the Central Government or the Speaker concerned under and in accordance with the provisions of section 3 or, as the case may be, of section 5.

7. Procedure and powers of the Commission.—(*1*) The Commission shall determine its own procedure and shall, in the performance of its functions, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

(*a*) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(*b*) requiring the production of any document; and

(*c*) requisitioning any public record from any court or office.

(*2*) The Commission shall have power to require any person to furnish any information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission.

(*3*) The Commission may authorise any of its members to exercise any of the powers conferred on it by clauses (*a*) to (*c*) of sub-section (*1*) and sub-section (*2*), and any order made or act done in exercise of any of those powers by the member authorised by the Commission in that behalf shall be deemed to be the order or act, as the case may be, of the Commission.

(*4*) If there is a difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail, and acts and orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

(*5*) The Commission as well as any group of associate members shall have power to act notwithstanding the temporary absence of a member or associate member or the existence of a vacancy in the Commission or in that or any other group of associate members; and no act or proceeding of the Commission or of any group of associate members shall be invalid or called in question on the ground merely of such temporary absence or of the existence of such vacancy.

(*6*) The Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

Explanation.—For the purposes of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the territory of India.

8. Re-adjustment of number of seats.—The Commission shall, having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332, and also, in relation to the Union territories, except National Capital Territory of Delhi, sections 3 and 39 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) and in relation to the National Capital Territory of Delhi sub-clause (*b*) of clause (*2*) of article 239AA, by order, determine,—

(*a*) on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year 1971 and subject to the provisions of section 4, the number of seats in the House of the People to be allocated to each State and determine on the basis of the census figures as ascertained at the [1][census held in the year [2][2001]] the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State; and

(*b*) on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year 1971 and subject to the provisions of section 4, the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of each State and determine on the basis of the census figures as ascertained at the [census held in the year [2][2001]] the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State:

---

1. For the purposes of delimitation of Assembly and Parliamentary Constituencies, the words and figures "census held in the year 2001", wherever occurring, shall be construed as words and figures "census held in the year 2011", *vide* Act No. 34 of 2019, s. 62 (*1*) (*b*), (w.e.f. 31-10-2019).
2. Subs. by Act 3 of 2004, s. 4, for "1991" (w.e.f. 31-10-2003).

6. आकस्मिक रिक्तियां—यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति यथासाध्य शीघ्रता से यथास्थिति, धारा 3 या धारा 5 के उपबंधों के अधीन और अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा या संबद्ध अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

7. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां—(1) आयोग, अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और अपने कृत्यों का पालन करने में उसे किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात:—

(क) साक्षियों को समन करने और उनको हाजिर कराने की ;

(ख) किसी दस्तावेज का पेश किया जाना अपेक्षित करने की ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने की ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसी बातों या विषयों के बारे में, जो आयोग की राय में उसके विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हैं, जानकारी देने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(3) आयोग, अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को, उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) और उपधारा (2) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उन शक्तियों में से किसी के प्रयोग में दिए गए आदेश या किए गए किसी कार्य के बारे में यह समझा जाएगा कि, यथास्थिति, वह आदेश या कार्य आयोग का है ।

(4) यदि सदस्यों की राय में मतभेद है तो बहुमत की राय मानी जाएगी और आयोग के कार्य और आदेश बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे ।

(5) इस बात के होते हुए भी कि, कोई सदस्य या सहयुक्त सदस्य अस्थायी रूप से अनुपस्थित है; या आयोग या सहयुक्त सदस्यों के उस या किसी अन्य समूह में रिक्ति विद्यमान है, आयोग तथा सहयुक्त सदस्यों के किसी समूह को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और आयोग या किसी सहयुक्त सदस्यों के समूह का कोई कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या ऐसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर अविधिमान्य या प्रश्नगत नहीं होगी ।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

8. स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन—आयोग, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के उपबंधों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सिवाय संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 3 और धारा 39 तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, अनुच्छेद 239कक के खंड (2) के उपखंड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा—

(क) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित स्थानों की संख्या अवधारित करेगा और [1][वर्ष [2][2001] में हुई जनगणना] में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगी जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है ; और

(ख) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या अवधारित करेगा और [1][वर्ष [2][2001] में हुई जनगणना] में अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगा जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है :

---

1. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 4 द्वारा 62 (1) (ख) द्वारा (31-10-2019 से) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन के लिए ''वर्ष 2001 में हुई जनगणना'' के स्थान पर ''वर्ष 2011 में हुई जनगणना'' के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।
2. 2004 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 4 द्वारा (31-10-2003 से) ''1991'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Provided that the total number of seats assigned to the Legislative Assembly of any State under clause (*b*) shall be an integral multiple of the number of seats in the House of the People allocated to that State under clause (*a*).

9. Delimitation of constituencies.—(*1*) The Commission shall, in the manner herein provided, then, distribute the seats in the House of the People allocated to each State and the seats assigned to the Legislative Assembly of each State as readjusted on the basis of 1971 census to single-member territorial constituencies and delimit them on the basis of the census figures as ascertained, at the [1][census held in the year [2][2001]], having regard to the provisions of the Constitution, the provisions of the Act specified in section 8 and the following provisions, namely:—

(*a*) all constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience;

(*b*) every assembly constituency shall be so delimited as to fall wholly within one parliamentary constituency;

(*c*) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Castes shall be distributed in different parts of the State and located, as far as practicable, in those areas where the proportion of their population to the total is comparatively large; and

(*d*) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Tribes shall, as far as practicable, be located in areas where the proportion of their population to the total is the largest.

(*2*) The Commission shall—

(*a*) publish its proposals for the delimitation of constituencies, together with the dissenting proposals, if any, of any associate member who desires publication thereof, in the Gazette of India and in the Official Gazettes of all the States concerned and also in such other manner as it thinks fit;

(*b*) specify a date on or after which the proposals shall be further considered by it;

(*c*) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, and for the purpose of such consideration, hold one or more public sittings at such place or places in each State as it thinks fit; and

(*d*) thereafter by one or more orders determine—

(*i*) the delimitation of parliamentary constituencies; and

(*ii*) the delimitation of assembly constituencies,

of each State.

10. Publication of orders and their date of operation.—(*1*) The Commission shall cause each of its orders made under section 8 or section 9 to be published in the Gazette of India and in the Official Gazettes of the States concerned and simultaneously cause such orders to be published at least in two vernacular newspapers and publicize on radio, television and other possible media available to the public and after such publication in the Official Gazettes of the States concerned, every District Election Officer shall cause to be affixed, the Gazette version of such orders relating to the area under his jurisdiction, on a conspicuous part of his office for public notice.

---

1. For the purposes of delimitation of Assembly and Parliamentary Constituencies, the words and figures "census held in the year 2001", wherever occurring, shall be construed as words and figures "census held in the year 2011", *vide* Act No. 34 of 2019, s. 62(*1*)(*b*), (w.e.f. 31-10-2019).
2. Subs. by Act 3 of 2004, s. 5, for "1991" (w.e.f. 31-10-2003).

परंतु खंड (ख) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या, खंड (क) के अधीन उस राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों की संख्या का पूर्णांकी गुणित होगा ।

9. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों तथा 1971 की जनगणना के आधार पर यथा पुन: समायोजित प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों को इसमें नीचे उपबन्धित रीति से, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वितरित करेगा, तथा [1][वर्ष [2][2001] में हुई जनगणना] में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन संविधान के उपबंधों और धारा 8 में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप में संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा ;

(ख) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह संपूर्ण रूप से एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आ जाएं ;

(ग) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथासाध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है ; और

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, यथासाध्य ऐसे क्षेत्र में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है ।

(2) आयोग—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की, विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा ;

(ख) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं, और इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझता है, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें करेगा ; और

(घ) तत्पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा प्रत्येक राज्य के—

(i) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ; और

(ii) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन,

अवधारित करेगा ।

10. आदेशों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीख—(1) आयोग, धारा 8 या धारा 9 के अधीन किए गए अपने प्रत्येक आदेश को भारत के राजपत्र और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और साथ ही ऐसे आदेशों को कम से कम दो देशी भाषा के समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और रेडियो, टेलीविजन और जनता को उपलब्ध अन्य संभव मीडिया में प्रचारित करेगा और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में ऐसे प्रकाशन के पश्चात, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र से संबंधित ऐसे आदेशों के राजपत्रित पाठ को सार्वजनिक सूचना के लिए अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

---

1. 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 4 द्वारा 62 (1) (ख) द्वारा (31-10-2019 से) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन के लिए ''वर्ष 2001 में हुई जनगणना'' के स्थान पर ''वर्ष 2011 में हुई जनगणना'' के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।
2. 2004 के अधिनियम सं॰ 3 की धारा 4 द्वारा (31-10-2003 से) '1991' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*2*) Upon publication in the Gazette of India, every such order shall have the force of law and shall not be called in question in any court.

(*3*) As soon as may be after such publication, every such order shall be laid before the House of the People and the Legislative Assemblies of the States concerned.

(*4*) Subject to the provisions of sub-section (*5*), the re-adjustment of representation of the several territorial constituencies in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State and the delimitation of those constituencies provided for in any such order shall apply in relation to every election to the House or to the Assembly, as the case may be, held after the publication in the Gazette of India of that order and shall so apply in supersession of the provisions relating to such representation and delimitation contained in any other law for the time being in force or any order or notification issued under such law in so far as such representation and delimitation are inconsistent with the provisions of this Act:

[1][Provided that nothing in this sub-section shall apply to the delimitation orders published in relation to the State of Jharkhand.]

(*5*) Nothing in this section shall affect the representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the House or of the Assembly, as the case may be, existing on the date of publication in the Gazette of India of the final order or orders of the Commission relating to the delimitation of parliamentary constituencies or, as the case may be, of the assembly constituencies of that State and any bye-election to fill any vacancy in such House or in any such Assembly shall be held on the basis of the provisions of the laws and orders superseded by sub-section (*4*) as if the said provisions had not been superseded.

(*6*) The Commission shall endeavour to complete and publish each of its orders referred to in sub-section (*1*) in the manner provided in that sub-section, [2][within a period not later than 31st day of July, 2008] under section 3.

[3][**10A. Deferment of delimitation in certain cases.**—(*1*) Notwithstanding anything contained in sections 4, 8 and 9, if the President is satisfied that a situation has arisen whereby the unity and integrity of India is threatened or there is a serious threat to the peace and public order, he may, by order, defer the delimitation exercise in a State.

(*2*) Every order made under this section shall be laid before each House of Parliament.

10B. Delimitation Commission's order with respect to the State of Jharkhand not to have any legal effect.— Notwithstanding anything contained in sub-section (*2*) of section 10, the final orders relating to re-adjustment of number of seats and delimitation of constituencies in respect of the State of Jharkhand published under the said section *vide* Order O.N. 63(E), dated 30th April, 2007 and O.N. 110(E), dated 17th August, 2007 shall have no legal effect and the delimitation of the constituencies as it stood before the publication of the said Orders shall continue to be in force until the year 2026 in relation to every election to the House of the People or to the Legislative Assembly, as the case may be, held after the commencement of the Delimitation (Amendment) Act, 2008 (9 of 2008)].

11. Power to maintain delimitation orders up-to-date.—(*1*) The Election Commission may, from time to time, by notification in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned,—

(*a*) correct any printing mistake in any of the orders made by the Commission under section 9 or any error arising therein from an inadvertent slip or omission; and

(*b*) where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in any of the said orders are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the orders up-to-date, so, however, that the boundaries or areas or extent of any constituency shall not be changed by any such notification :

[4][Provided that the Election Commission may make such amendments, as appear to it to be necessary or expedient, for bringing the said orders up-to-date by including therein and excluding therefrom the relevant areas, consequent upon the exchange of one hundred and eleven enclaves of India and fifty-one enclaves of Bangladesh with effect from 31st July, 2015, in pursuance of the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.]

(*2*) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.

12. Repeal.—The Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), is hereby repealed.

---

1. Ins. by Act 9 of 2008, s. 2 (w.e.f. 14-1-2008).
2. Subs. by s. 2, *ibid.,* for "within two years of the Constitution of the Commission" (w.e.f. 14-1-2008).
3. Ins by s. 3, *ibid*. (w.e.f. 14-1-2008).
4. Ins. by Act 10 of 2016, s. 3 (w.e.f. 4-3-2016).

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर ऐसा प्रत्येक आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, ऐसा प्रत्येक आदेश लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा में या किसी राज्य विधान सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन और ऐसे किसी आदेश में उपबंधित उन निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, उस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात, होने वाले, यथास्थिति, उन लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना में अंतर्विष्ट ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन, जहां तक कि ऐसा प्रतिनिधित्व और परिसीमन इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, से संबंधित उपबंधों को अतिष्ठित करते हुए उसी प्रकार लागू होंगे:

[1][परंतु इस उपधारा की कोई बात झारखंड राज्य के संबंध में प्रकाशित परिसीमन आदेशों को लागू नहीं होगी ।]

(5) इस धारा की कोई बात, यथास्थिति, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों या किसी राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में आयोग के, जो अंतिम आदेश होते हैं, उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी, जब तक लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं होता है और ऐसी लोक सभा या विधान सभा की किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए कोई उपनिर्वाचन उन विधियों और आदेशों के उपबंधों के, जिन्हें उपधारा (4) द्वारा अतिष्ठित किया गया है, आधार पर इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त उपबंधों को अतिष्ठित न किया गया हो।

(6) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रत्येक आदेश को उस उपधारा में उपबंधित रीति में, धारा 3 के अधीन [2][ऐसी अवधि के भीतर जो 31 जुलाई, 2008 के बाद की नहीं होगी] पूरा करने और उसे प्रकाशित करने का प्रयास करेगा ।

[3][**10क. कतिपय मामलों में परिसीमन का आस्थगन**—(1) धारा 4, धारा 8 और धारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत की एकता और अखंडता संकट में है या शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, तो वह, आदेश द्वारा, किसी राज्य में परिसीमन कार्रवाई को आस्थगित कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

10ख. झारखंड राज्य की बाबत परिसीमन आयोग के आदेश का कोई विधिक प्रभाव न होना—धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, झारखंड राज्य की बाबत आदेश ओ.एन. 63(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2007 और ओ.एन. 110(अ), तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा उक्त धारा के अधीन प्रकाशित स्थानों की संख्या के पुन: समायोजन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अंतिम आदेशों का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और उक्त आदेशों के प्रकाशन से पूर्व यथाविद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 9) के प्रारंभ के पश्चात् कराए गए, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में वर्ष 2026 तक प्रवृत्त बना रहेगा ।]

11. परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) आयोग, धारा 9 के अधीन किए गए आदेशों में से किसी में मुद्रण संबंधी भूल या अनवधानता से हुई किसी भूल या लोप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा ; और

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं या उसके नाम में कोई परिवर्तन किए जाते हैं वहां आदेशों को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं, किंतु यह इस प्रकार करेगा कि किसी अधिसूचना से किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रफल या विस्तार में परिवर्तन नहीं होगा :

[4][परन्तु निर्वाचन आयोग, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, 31 जुलाई, 2015 से भारत की एक सौ ग्यारह बस्तियों और बांग्लादेश की इक्यावन बस्तियों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप, उक्त आदेशों में ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो सुसंगत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके तथा उसमें से सुसंगत क्षेत्रों को अपवर्जित करके उक्त आदेशों को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।]

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

12. निरसन—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

1. 2008 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 2 द्वारा (14-1-2008 से) अंत:स्थापित ।
2. 2008 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 2 द्वारा (14-1-2008 से) ''आयोग के गठन से दो वर्ष के भीतर'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2008 के अधिनियम सं॰ 9 की धारा 3 द्वारा (14-1-2008 से) अंत:स्थापित ।
4. 2016 के अधिनियम सं॰ 10 की धारा 3 द्वारा (4-3-2016 से) अन्त:स्थापित ।

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976

(108 OF 1976)

[18*th September*, 1976]

An Act to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such re-adjustment is necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

(*2*) It shall come into force on such date[1] as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "census authority" means the Registrar General and e*x officio* Census Commissioner for India;

(*b*) "Commission" means the Election Commission appointed by the President under article 324 of the Constitution;

(*c*) "Delimitation Act" means the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972);

(*d*) "last census" means the census held in India in 1971;

(*e*) "Scheduled Castes Order" means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, made by the President under article 341 of the Constitution;

(*f*) "Scheduled Tribes Orders" means the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, made by the President under article 342 of the Constitution;

(*g*) "State" means a State included in the Scheduled Castes Order and the Scheduled Tribes Orders, and includes the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands.

[2]* * * * *

1. 27-7-1977: *Vide* Notifin. No. S.O. 589(*E*), dated 27.7.1977, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(*ii*), page 2397.
2. *Rep.* by Act 19 of 1988, s. 2 and the First Sch. for s.s. 3 and 4 (w.e.f. 31-3-1988).

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 108)

[18 सितंबर, 1976]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) अभिप्रेत है ;

(घ) "अंतिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अंदमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत है ;

(छ) "राज्य" से ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित हैं और इसके अंतर्गत अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र भी है ।

[2]* * * * *

1. 27-7-1977—देखिए अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 589(अ), तारीख 27 जुलाई, 1977, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii), पृ. 2397 ।
2. 1988 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा (31-3-1988 से) धारा 3 और 4 निरसित किए गए ।

5. Determination of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.—(*1*) As soon as may be after the commencement of this Act, the population as at the last census of the Scheduled Castes or, as the case may be, of the Scheduled Tribes, in each State shall be ascertained or estimated by the census authority.

(*2*) Where by reason of the amendments made by section 3 or section 4—

(*a*) any locality in a State specified in relation to any caste or tribe in any of the parts of the Schedules to the Orders referred to in the said sections is varied so as to specify a larger area in relation to such caste or tribe, the census authority shall take into account the population figures of the caste or tribe as ascertained in the last census and in any previous census wherein the population figures of the caste or tribe in respect of the increased area had been ascertained and determine the population of that caste or tribe as on the 1st day of April, 1971 by increasing or decreasing such figures by the proportion in which the general population of the State or, as the case may be, the division, district, taluk, tahsil, police station, development block, or other territorial division in relation to which such caste or tribe has been specified by the said amendments has increased or decreased between the previous census aforesaid and the last census;

(*b*) any caste or tribe which is deemed to be both a Scheduled Caste and Scheduled Tribe in relation to a State or part thereof is varied so as to specify such caste or tribe only as a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in relation to that State or part, the census authority shall take into account the population figures of such Scheduled Caste and Scheduled Tribe as ascertained in the last census:

Provided that it shall not be necessary for the census authority to determine the population of any Scheduled Caste or Tribe as on the 1st day of April, 1971, if the population of that caste or tribe was not ascertained at the last census and in any of the previous censuses and is, in the opinion of that authority, numerically small.

Explanation.—Where the population figures of any caste or tribe in respect of any increased area referred to in clause (*a*) had been ascertained in more than one previous census, the census authority shall take into account, for the purposes of that clause, the population figures of such caste or tribe as ascertained in the previous census which is nearest in point of time to the last census.

(*3*) The population figures ascertained or determined under sub-section (*2*) shall be notified by the census authority in the Gazette of India.

(*4*) The population figures so notified shall be taken to be the relevant population figures as ascertained at the last census and shall supersede any figures previously published; and the figures so notified shall be final and shall not be called in question in any court.

6. Re-adjustment of constituencies by the Election Commission.—(*1*) After the population figures have been notified for any State under section 5, it shall be the duty of the Commission to make such amendments as may be necessary in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order), having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, of section 8 of the Delimitation Act, and of this Act, for the purpose of giving proper representation to the Scheduled Castes or, as the case may be, to the Scheduled Tribes of that State on the basis of the number of reserved seats as specified in that Order as hereunder amended by the Commission, and the First Schedule and Second Schedule to the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) shall be deemed to have been amended accordingly.

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अवधारण—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अंतिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,—

(क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के संबंध में विनिर्दिष्ट है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति के संबंध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अंतिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वर्धित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात से जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खंड, जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खंड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त पूर्वतन जनगणना और अंतिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, वृद्धि या कमी करके उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;

(ख) किसी जाति या जनजाति में जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी गई हैं, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अंतिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा:

परंतु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अंतिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है।

स्पष्टीकरण—जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्धित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहां जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अंतिम जनगणना के निकटतम है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

(4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अंतिम जनगणना के समय यथाविनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व अप्रकाशित आंकड़ों को अतिष्ठित करेंगे; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अंतिम आंकड़े होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

6. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन—(1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे आदेश में दिए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना), ऐसे संशोधन करे जो उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को ऐसे आदेश में जो आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधित किया जाए, यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के बारे में यह समझा जाएगा कि तदनुसार उनका संशोधन किया गया है।

(*2*) In making any amendments under sub-section (*1*), the Commission shall, as far as may be necessary, have regard to the provisions of clauses (*c*) and (*d*) of sub-section (*1*) of section 9 of the Delimitation Act.

(*3*) The Commission shall—

(*a*) publish its proposals for the amendments in the Gazette of India and the Official Gazette of the State concerned and also in such other manner as it thinks fit;

(*b*) specify a date on or after which such proposals will be further considered by it;

(*c*) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified; and

(*d*) thereafter make the necessary amendments in the order.

7. Procedure and Powers of the Commission.—(*1*) In the discharge of its functions under this Act, the Commission shall determine its own procedure and shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(*a*) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(*b*) requiring the production of any document; and

(*c*) requisitioning any public record from any court or office.

(*2*) The Commission shall have the power to require any person to furnish any information on such points or matters as, in the opinion of the Commission, may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission.

(*3*) The Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

Explanation.—For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the Territory of India.

8. Publication of amendments and their dates of operation.—(*1*) The Commission shall cause the amendments made by it in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 to be published in the Gazette of India and in the Official Gazettes of the States concerned.

(*2*) Upon publication in the Gazette of India, every such amendment shall have the force of law and shall not be called in question in any court.

(*3*) As soon as may be after such publication in the Gazette of India, every such amendment shall be laid before the House of the People and the Legislative Assemblies of the States concerned.

(*4*) Subject to the provisions of sub-section (*5*), the readjustment of representation of any territorial constituencies in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State necessitated by any amendments made by the Commission in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and provided for in that Order as so amended shall apply in relation to every election to the House or, as the case may be, to the Assembly, held after the publication in the Gazette of India under sub-section (*1*) of such amendments and shall so apply in supersession of the provisions relating to representation contained in the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(*5*) Nothing contained in the foregoing sub-sections shall affect the representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State, existing on the date of publication in the Gazette of India under sub-section (*1*) of the amendments made by the Commission under this Act.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने में, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों को ध्यान में रखेगा।

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा;

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा।

7. आयोग की प्रक्रिया और शास्तियां—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना;

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है।

(3) आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी।

8. संशोधनों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीखें—(1) आयोग संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसा पुन:समायोजन, जो संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में आयोग द्वारा किए गए किन्हीं संशोधनों के कारण आवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में उपबंधित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में अंतर्विष्ट प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को अतिष्ठित करते हुए इस प्रकार लागू होगा।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई भी बात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में हैं।

9. Certain other powers of Election Commission.—(*1*) The Commission may, from time to time, by notification in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned—

(*a*) correct any printing mistake in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 as amended under this Act, or any error occurring therein from any inadvertent slip or omission; and

(*b*) where the boundaries or the name of any district or any territorial division mentioned in the said Order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date.

(*2*) Every notification under this section, shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.

10. Validation of acts done previous to the commencement of the Act.—All things done, and all steps taken, before the commencement of this Act by the census authority for the determination of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or by the Commission for the purpose of re-adjustment of constituencies shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under these provisions as if such provisions were in force at the time such things were done or such steps were taken.

[1]* * * * *

1. Rep. by Act 19 of 1988, s. 2 and First Schedule for "The First and Second Sch." (w.e.f. 31-3-1998).

9. निर्वाचन आयोग की कतिपय अन्य शक्तियां—(1) आयोग, भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,—

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा संशोधित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या किसी ऐसी गलती को जो अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है; और

(ख) जहां उक्त आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

10. अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण—इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनः समायोजन के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा, की गई सभी बातें और कार्यवाहियां जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, इन उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपबंध, ऐसी बातें या कार्यवाही किए जाने के समय प्रवृत्त थे।

[1]* * * * *

---

1. 1988 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा (31-3-1998 से) निरसित किया गया।

* * * * *

2. Definitions.—(*1*) In this Act, unless the context otherwise requires,—

* * * * *

CHAPTER II

OFFENCES OF ATROCITIES

3. Punishments for offences of atrocities.—[1][(*1*) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(*a*) puts any inedible or obnoxious substance into the mouth of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or forces such member to drink or eat such inedible or obnoxious substance;

(*b*) dumps excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance in premises, or at the entrance of the premises, occupied by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(*c*) with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, dumps excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his neighbourhood;

(*d*) garlands with footwear or parades naked or semi-naked a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(*e*) forcibly commits on a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any act, such as removing clothes from the person, forcible tonsuring of head, removing moustaches, painting face or body or any other similar act, which is derogatory to human dignity;

(*f*) wrongfully occupies or cultivates any land, owned by, or in the possession of or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, or gets such land transferred;

(*g*) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights, including forest rights, over any land or premises or water or irrigation facilities or destroys the crops or takes away the produce therefrom.

Explanation.—For the purposes of clause (*f*) and this clause, the expression "wrongfully" includes—

(A) against the person's will;

(B) without the person's consent;

(C) with the person's consent, where such consent has been obtained by putting the person, or any other person in whom the person is interested in fear of death or of hurt; or

(D) fabricating records of such land;

(*h*) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do "begar" or other forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by the Government;

(*i*) compels a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves;

(*j*) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do manual scavenging or employs or permits the employment of such member for such purpose;

(*k*) performs, or promotes dedicating a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman to a deity, idol, object of worship, temple, or other religious institution as a devadasi or any other similar practice or permits aforementioned acts;

(*l*) forces or intimidates or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe—

1. Subs. by Act 1 of 2016, s. 4, for sub-section (*1*) (w.e.f. 26-1-2016).

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से उद्धरण

(1989 के अधिनियम संख्यांक 33)

* * * * *

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

अध्याय 2

अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड— [1][(1) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए,—

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा ;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश-द्वार पर मल-मूत्र, मल, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा ;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाएगा;

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरुद्ध है;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आबंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित कराएगा ;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा ।

स्पष्टीकरण—खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सदोष" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, उस व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है ; या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को "बेगार" करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु-शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा ;

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से मैला उठाने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा;

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा का निष्पादन या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा ;

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को—

---

1. 2016 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 4 द्वारा (26.1.2016 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(A) not to vote or to vote for a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;

(B) not to file a nomination as a candidate or to withdraw such nomination; or

(C) not to propose or second the nomination of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe as a candidate in any election;

(*m*) forces or intimidates or obstructs a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, who is a member or a Chairperson or a holder of any other office of a Panchayat under Part IX of the Constitution or a Municipality under Part IXA of the Constitution, from performing their normal duties and functions;

(*n*) after the poll, causes hurt or grievous hurt or assault or imposes or threatens to impose social or economic boycott upon a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or prevents from availing benefits of any public service which is due to him;

(*o*) commits any offence under this Act against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law;

(*p*) institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(*q*) gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(*r*) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;

(*s*) abuses any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by caste name in any place within public view;

(*t*) destroys, damages or defiles any object generally known to be held sacred or in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression "object" means and includes statue, photograph and portrait;

(*u*) by words either written or spoken or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote feelings of enmity, hatred or ill-will against members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(*v*) by words either written or spoken or by any other means disrespects any late person held in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(*w*) (*i*) intentionally touches a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, when such act of touching is of a sexual nature and is without the recipient's consent;

(*ii*) uses words, acts or gestures of a sexual nature towards a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

Explanation.—For the purposes of sub-clause (*i*), the expression "consent" means an unequivocal voluntary agreement when the person by words, gestures, or any form of non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific act:

Provided that a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe who does not offer physical resistance to any act of a sexual nature is not by reason only of that fact, is to be regarded as consenting to the sexual activity:

Provided further that a woman's sexual history, including with the offender shall not imply consent or mitigate the offence;

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने; या

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति कारित करेगा या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य हैं;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा;

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली-गलौज करेगा;

(न) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु" पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है;

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिह्नों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा;

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा;

(ब)(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, कामुक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, कामुक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा।

स्पष्टीकरण—उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "सहमति" पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है:

परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो कामुक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा:

परंतु यह और कि स्त्री का लैंगिक इतिहास, अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है;

(*x*) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;

(*y*) denies a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any other section thereof have a right to use or access to;

(*z*) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of a public duty;

(*za*) obstructs or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any manner with regard to—

(A) using common property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other watering place, or any bathing ghat, any public conveyance, any road, or passage;

(B) mounting or riding bicycles or motor cycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out wedding procession, or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions;

(C) entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out, any religious, social or cultural processions including jatras;

(D) entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public; or

(E) practicing any profession or the carrying on of any occupation, trade or business or employment in any job which other members of the public, or any section thereof, have a right to use or have access to;

(*zb*) causes physical harm or mental agony of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe on the allegation of practicing witchcraft or being a witch; or

(*zc*) imposes or threatens a social or economic boycott of any person or a family or a group belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.]

(*2*) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(*i*) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is capital by the law for the time being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine; and if an innocent member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence, shall be punished with death;

(*ii*) gives a fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or upwards and with fine;

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यत: उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है;

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या छुड़वाएगा:

परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी;

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,—

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान-भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना;

(आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना;

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन स्थान या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुओं का उपयोग करना; या

(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;

(यख) जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसको धमकी देगा,

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।]

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है—

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(*iii*) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(*iv*) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place for human dwelling or as a place for custody of the property by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

(*v*) commits any offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) punishable with imprisonment for a term of ten years or more against a person or property [1][knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member,] shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

[2][(*va*) commits any offence specified in the Schedule, against a person or property, knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with such punishment as specified under the Indian Penal Code (45 of 1860) for such offences and shall also be liable to fine.]

(*vi*) knowing or having reason to believe that an offence has been committed under this Chapter, causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, shall be punishable with the punishment provided for that offence; or

(*vii*) being a public servant, commits any offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

* * * * *

---

1. Subs. by Act, 1 of 2016, s. 4(*ii*) for certain words (w.e.f. 26-1-2016).
2. Subs. by s. 4(*ii*), *ibid* (w.e.f. 26-1-2016).

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणत: पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध [1][किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है] वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

[2][(vक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा;]

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए या इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

* * * * *

---

1. 2016 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 4 (ii) द्वारा (26-1-2016 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2016 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 4 (ii) द्वारा (26-1-2016 से) अन्त:स्थापित।

भाग 3

संविधान के अधीन नियम और आदेश

PART III

Rules and orders under the Constitution

PART III

RULES AND ORDERS UNDER THE CONSTITUTION

OFFICERS BEFORE WHOM CANDIDATES MAY MAKE OR SUBSCRIBE OATH OR AFFIRMATION[1]

1. In pursuance of clause (*a*) of article 84 and clause (*a*) of article 173 of the Constitution of India and in supersession of its Notification No. 3/3/66, dated the 25th April, 1967, the Election Commission [2][hereby authorises—

(*i*) the returning officer concerned and all the assistant returning officers subordinate to him,

(*ii*) all stipendiary presidency magistrates and all stipendiary magistrates of the first class, and

(*iii*) all district judges and all persons belonging to the judicial service of a State other than district judges,

as the persons] before any one of whom a person having been nominated as a candidate (hereinafter referred to as the candidate) for election to fill a seat in the Council of States, or in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State (other than Jammu and Kashmir), or in the Legislative Council of a State (other than Jammu and Kashmir) having a Legislative Council, shall make and subscribe the oath or affirmation in the form set out for the purpose in the Third Schedule to the said Constitution.

2. Notwithstanding anything contained in paragraph 1, in pursuance of clause (*a*) of the said article 84 and clause (*a*) of the said article 173, the Election Commission hereby also authorises as the person before whom the candidate may make and subscribe the said oath or affirmation,—

(*a*) where the candidate is confined in a prison, the superintendent of the prison;

(*b*) where the candidate is under preventive detention, the commandant of the detention camp;

(*c*) where the candidate is confined to bed in a hospital or elsewhere owing to illness or any other cause, the medical superintendent in charge of the hospital or the medical practitioner attending on him;

(*d*) where the candidate is out of India, the diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be or any person authorised by such diplomatic or consular representative;

(*e*) where the candidate is for any other reason unable to appear, or prevented from appearing before the returning officer concerned or any assistant returning officer as aforesaid, any other person nominated by the Election Commission on application made to it in this behalf.

Explanation.—In this notification,—

(*1*) the expression "the returning officer concerned" means—

(*a*) where a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in the House of the People from a Parliamentary Constituency or a seat in the Legislative Assembly of a State from an Assembly Constituency or a seat in the Legislative Council of a State from a Council Constituency, the returning officer for that constituency;

1. Published with the Election Commission of India Notification No. S.O. 1111, dated the 18th March, 1968, *see* Gazette of India, Extraordinary, 1968, Part II, section 3 (*ii*), Page 361.
2. Subs. by Notification No. S.O. 3798, dated 25-10-1968, for certain words.

भाग 3

संविधान के अधीन नियम और आदेश

वे अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे[1]

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड (क) तथा अनुच्छेद 173 के खंड (क) के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना संख्या 3/3/66, तारीख 25 अप्रैल, 1967 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग [2][एतद्द्वारा---

(i) सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर तथा उसके अधीनस्थ समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों को,

(ii) सभी साम्बलिक प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा सभी साम्बलिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों को, और

(iii) सभी जिला न्यायाधीशों को तथा जिला न्यायाधीशों से भिन्न सभी उन व्यक्तियों को जो किसी राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य हों,

ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है] जिनमें से किसी के भी समक्ष कोई व्यक्ति, राज्य सभा में, अथवा लोक सभा में, अथवा (जम्मू-कश्मीर से भिन्न) किसी राज्य की विधान सभा में, अथवा (जम्मू-कश्मीर से भिन्न) किसी राज्य की, जहां विधान परिषद् हो, विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभ्यर्थी कहा गया है) नामनिर्देशित हो जाने पर, उक्त संविधान की तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

2. पैरा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अनुच्छेद 84 के खंड (क) तथा उक्त अनुच्छेद 173 के खंड (क) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है, जिनके समक्ष अभ्यर्थी उक्त शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता है, तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकता है :--

(क) जहां कि अभ्यर्थी किसी कारागार में परिरुद्ध है वहां उस कारागार का अधीक्षक ;

(ख) जहां कि अभ्यर्थी निवारक निरोध में है वहां उस निरोध-शिविर का समादेशक ;

(ग) जहां कि बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अभ्यर्थी किसी अस्पताल में या किसी अन्य स्थान पर रोग-शय्या पर पड़ा है वहां उस अस्पताल का भारसाधक चिकित्सा अधीक्षक या उसकी परिचर्या करने वाला चिकित्सक ;

(घ) जहां कि अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जिसमें अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक अथवा कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति ;

(ङ) जहां कि अभ्यर्थी किसी अन्य कारण से यथा पूर्वोक्त सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा उपस्थित होने से निवारित हो गया है वहां इस निमित्त निर्वाचन आयोग को आवेदन करने पर उसके द्वारा नामनिर्देशित अन्य कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण---इस अधिसूचना में---

(1) "सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर" पद से अभिप्रेत है---

(क) जहां कि कोई व्यक्ति लोक सभा में किसी स्थान को भरने के लिए किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, अथवा किसी राज्य की विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र से, अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ;

1. देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii), पृष्ठ 361 में प्रकाशित भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 का0आ0 1111, तारीख 18 मार्च, 1968 ।

2. अधिसूचना सं0 का0आ0 3798, तारीख 25-10-1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*b*) where a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of a State, the returning officer for that election;

(*c*) where a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in the Legislative Council of a State by the members of the Legislative Assembly of that State, the returning officer for that election;

[1][(*1*A) The expressions "district judge" and "judicial service" shall have the meanings respectively assigned to them in article 236 of the Constitution of India;]

(*2*) The expressions "parliamentary constituency", "assembly constituency" and "council constituency" shall have the meanings respectively assigned to them in the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

1. Ins. by Notification No. S.O. 3798, dated 25-10-1968.

(ख) जहां कि कोई व्यक्ति राज्य सभा के किसी स्थान को भरने के लिए किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर ;

(ग) जहां कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर ;

[1][(1क) "जिला न्यायाधीश" तथा "न्यायिक सेवा" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में क्रमशः दिए गए है ।]

(2) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र", "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" तथा "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में क्रमशः दिए गए हैं ।

1. अधिसूचना सं0 का0आ0 3798, तारीख 25-10-1968 द्वारा अंतःस्थापित ।

THE PROHIBITION OF SIMULTANEOUS MEMBERSHIP RULES, 1950[1]

In exercise of the powers conferred by clause (*2*) of article 101 and clause (*2*) of article 190 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Rules, namely:—

1. These Rules may be called the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950.

2. The period at the expiration of which the seat in Parliament of a person who is chosen a member both of Parliament and of a House of Legislature of a State specified in [2]*** the First Schedule to the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution") shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of such State, shall be fourteen days from the date of publication in the Gazette of India or in the Official Gazette of the State, whichever is later, of the declaration that he has been so chosen.

[3]* * * * *

3. The period at the expiration of which the seat of a person who is chosen a member of the Legislatures of two or more States specified in the First Schedule to the Constitution in the Legislatures of all such States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of all but one of the States, shall be ten days from the later or, as the case may be, the latest of the dates of publication in the Official Gazettes of such States of the declarations that he has been so chosen.

1. Published with the Ministry of Law Notification No. F. 46/50-C, dated the 26th January, 1950, Gazette of India, Extyraordinary, P. 678.
2. The words "Part A or Part B of" omitted by Notification No. S.R.O. 2178, dated the 2nd July, 1957.
3. Proviso omitted, by *ibid*.

समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950[1]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (2) और अनुच्छेद 190 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :---

1. ये नियम समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 कहे जा सकेंगे ।

2. वह कालावधि जिसके अवसान पर उस व्यक्ति को जो संसद् के और भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) की प्रथम अनुसूची में [2]*** विनिर्दिष्ट किसी राज्य विधान-मण्डल के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, संसद् में स्थान उस दशा के सिवाय जिसमें उसने ऐसे राज्य के विधान-मण्डल में अपना स्थान पहले ही त्याग दिया है, इस घोषणा के कि वह ऐसे चुन लिया गया है भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में से जो भी तारीख पश्चात्वर्ती हो, उस तारीख से चौदह दिन की होगी :

[3]* * * * * *

3. वह कालावधि, जिसके अवसान पर उस व्यक्ति का स्थान, जो कि संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य चुन लिया गया है सब ऐसे राज्यों के विधान-मण्डलों में उस दशा के सिवाय रिक्त हो जाएगा जिसमें कि उसने एक को छोड़कर सब विधान-मण्डलों में के अपने स्थान को पहले ही त्याग दिया है, इस घोषणा के कि वह ऐसे चुन लिया गया है ऐसे राज्यों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीखों में से पश्चात्वर्ती या, यथास्थिति, सबसे पश्चात्वर्ती तारीख से दस दिन की होगी ।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 एफ0 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 1950 । भारत का राजपत्र, असाधारण, पृष्ठ 678 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 2178, तारीख 2 जुलाई, 1957 द्वारा "भाग क या भाग ख में" शब्दों का लोप किया गया।
3. अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 2178, तारीख 2 जुलाई, 1957 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1950[1]

C.O. 19

In exercise of the powers conferred by clause (*1*) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of the States concerned, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

2. Subject to the provisions of this Order, the castes, races or tribes or parts of, or groups within, castes or tribes specified in [2][Parts I to [3][XXV]] of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Castes so far as regards member thereof resident in the localities specified in relation to them in those Parts of that Schedule.

[4][3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu [5][, the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.]

[6][4. Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 1st day of May, 1976.]

1. Published with the Ministry of Law Notification No. S.R.O. 385, dated the 10th August, 1950, Gazette of India, Extraordinary, 1950, Part II, section 3, page 163.
2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.
3. Subs. by Act 6 of 2014, s. 28 and Fifth Sch. for the figure "XXIV", (w.e.f. 2-6-2014).
4. Subs. by Act 63 of 1956, s. 3 and First Sch., for paragraph 3.
5. Subs. by Act 15 of 1990, s. 2, for "or the Sikh".
6. Subs. by Act 108 of 1976, s. 3 and the First Sch., for paragraph 4 (w.e.f. 27-7-1977).

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950[1]

(सं० आ० 19)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :---

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची [2][भाग 1 से लेकर भाग [3][25]] तक में विनिर्दिष्ट है उन राज्यों के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध जहां हैं, वहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे ।

[4][3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू [5][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

[6][4. इस आदेश में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है ।]

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 385, तारीख 10 अगस्त, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1950, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 163 में प्रकाशित ।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3 2014 के अधिनियम सं. 6 की धारा 28 और पांचवी अनुसूची द्वारा (2-6-2014 से) ''24'' अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4 1956 के अधिनियम सं0 63 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा (25-9-1956 से) पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 2 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा (27-7-1977) से पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][THE SCHEDULE

PART I.—*Andhra Pradesh*

1. Adi Andhra
2. Adi Dravida
3. Anamuk
4. Aray Mala
5. Arundhatiya
6. Arwa Mala
7. Bariki
8. Bavuri
[3][9. ***]
10. Bindla
[2][11. Byagara, Byagari]
12. Chachati
13. Chalavadi
[2][14. Chamar, Mochi, Muchi, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas]
15. Chambhar
16. Chandala
17. Dakkal, Dokkalwar
18. Dandasi
19. Dhor
20. Dom, Dombara, Paidi, Pano
21. Ellamalawar, Yellammalawandlu
22. Ghasi, Haddi, Relli, Chanchandi
[2][23. Godagali, Godagula (in the districts of Srikakulam, Vizianagaram and Vishakhapatanam)]
24. Godari
25. Gosangi
26. Holeya
27. Holeya Dasari
28. Jaggali
29. Jambuvulu
[2][30. Kolupulvandlu, Pambada, Pambanda, Pambala]
31. Madasi Kuruva, Madari Kuruva
32. Madiga
33. Madiga Dasu, Mashteen
34. Mahar
[2][35. Mala, Mala Ayawaru]
36. Mala Dasari
37. Mala Dasu
38. Mala Hannai
39. Malajangam
40. Mala Masti
41. Mala Sale, Nethani
42. Mala Sanyasi
43. Mang
44. Mang Garodi
45. Manne
46. Mashti
47. Matangi
48. Mehtar
49. Mitha Ayyalvar
50. Mundala
51. Paky, Moti, Thoti

[4]* * *

53. Pamidi
54. Panchama, Pariah
55. Relli
56. Samagara
57. Samban
58. Sapru
59. Sindhollu, Chindollu
[5][60. Yatala
61. Valluvan.]

PART II.—*Assam*

1. Bansphor
2. Bhuinmali, Mali
3. Brittial Bania, Bania
4. Bhupi, Dhobi
5. Dugla, Dholi
6. Hira
7. Jalkeot
8. Jhalo, Malo, Jhalo-Malo
9. Kaibartta, Jaliya
10. Lalbegi
11. Mahara
12. Mehtar, Bhangi
13. Muchi, Rishi
14. Namasudra
15. Patni
16. Sutradhar.

1. Subs. by Act 108 of 1976, s. 3 and the First Sch., for the former Sch. (w.e.f. 27-7-1977).
2. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. . (w.e.f. 27-7-2002).
3. Omitted by Act 6 of 2014, s. 28 and Fifth Sch. (w.e.f. 1-3-2014).
4. Entry 52 omitted by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. . (w.e.f. 27-7-2002).
5. Ins. by s. 2 and the First Sch. (w.e.f. 27-7-2002) *ibid*.

[1][अनुसूची

भाग 1—आंध्र प्रदेश

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. अनामुक
4. आरे माल
5. अरुंधतिय
6. अरब माल
7. बारिकी
8. बावुरी

[3][9. ***]

10. बिंड्ल

[2][11. बैगारा, बैगारी]

12. चचाटि
13. चलवादि

[2][14. चमार, मोची, मुचि, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास]

15. चम्भार
16. चंडाल
17. डक्कल, डोक्कलवार
18. डंडासि
19. ढोर
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डलु
22. घासी, हड्डी, रेल्लि, चचन्डि

[2][23. गोडागल्ली, गोडागुला (श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापटनम जिलों में)]

24. गोडारी
25. गोसंगी
26. होलया
27. होलया दासरि
28. जग्गलि
29. जाम्बुबुलु

[2][30. कोलुपुलुवाण्डलु, पम्बांडा, पम्बाला]

31. मदासि कुरुवा, मदारि कुरुवा
32. मादिगा
33. मादिगा दासु, माटीन
34. महार

[2][35. माला, माला आयावारू]

36. माला दासरि
37. माला दासु
38. माला हन्नाइ
39. माला जंगम
40. माल मस्ति
41. माला साले, नेट्कानि
42. माला सन्यासी
43. मांग
44. मांग गारोडी
45. मन्न
46. मष्टि
47. मातंगि
48. मेहतर
49. मिताअय्यल्वार
50. मुडला
51. पाकि, मोटि, तोटि

[4]****

53. पामिडी
54. पंचम, पेरिया
55. रेल्लि
56. सामगार
57. सम्बन
58. सप्रु
59. सिंधोल्लु, चिंदोल्लु

[5][60.याताला

61. वल्लूवन ।]

भाग 2—आसाम

1. बांस फर
2. भुईमाली, माली
3. बृत्तियाल बनिया, बनिया
4. धुपी, धोबी
5. डुगला, ढोली
6. हिरा
7. जालकेवट
8. झालो, मालो, झालो-मालो
9. कैबर्त, जालिया
10. लालबेगी
11. माहरा
12. मेहतर, भंगी
13. मुचि, ऋषि
14. नामशुद्र
15. पटनी
16. सूत्रधार

---

1. 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा (27-07-1977 से) पूर्ववर्ती अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (27-07-2002 से) प्रतिस्थापित ।
3. 2014 के अधिनियम सं0 6 की धारा 28 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (01-03-2014 से) लोप किया गया ।
4. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (27-07-2002 से) प्रविष्टि 52 का लोप किया गया ।
5. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (27-7-2006 से) अंत:स्थापित ।

PART III.—*Bihar*

1. Bantar
2. Bauri
3. Bhogta
4. Bhuiya
5. Bhumij [1]***
[2][6. Chamar, Mochi, Chamar-Rabidas, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas, Charmarkar]
7. Chaupal
8. Dabgar
[2][9. Dhobi, Rajak]
[2][10. Dom, Dhangad, Bansphor, Dharikar, Dharkar, Domra]
11. Dusadh, Dhari, Dharhi
12. Ghasi
13. Halalkhor
14. Hari, Mehtar, Bhangi
15. Kanjar
16. Kurariar
17. Lalbegi
18. Mushar
19. Nat
[2][20. Pan, Sawasi, Panr]
21. Pasi
22. Rajwar
23. Turi.

PART IV.—*Gujarat*

1. Ager
2. Bakad, Bant
3. Bawa-Dedh Debh-Sadhu
[2][4. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chamar-Ravidas, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, (in Dangs district and Umergaon Taluka of Valsad district only), Nalia, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Rohit, Samgar]
[2][5. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli, Barwashia, Barwasia, Jamphoda, Zampada, Zampda, Rushi, Valmiki]
6. Chalvadi, Channayya
7. Chenna Dasar, Holaya Dasar
8. Dangashia
9. Dhor, Kakkayya, Kankayya
10. Garmatang
11. Garoda, Garo
12. Halleer
13. Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar
14. Holar, Valhar
15. Holaya, Holer
16. Lingader
17. Mahar, Taral, Dhegu Megu
18. Mahyavanshi, Dhed, Dhedh, Vankar, Maru Vankar, Antyaj
19. Mang, Matang, Minimadig
20. Mang-Garudi
21. Meghval, Meghwal, Menghvar
22. Mukri
23. Nadia, Hadi
24. Pasi
25. Senva, Shenva, Chenva, Sedma, Rawat
26. Shemalia
27. Thori
28. Tirgar, Tirbanda
29. Turi
30. Turi Barot, Dedh Barot.
[3][31. Balahi, Balai
32. Bhangi, Mehtar
33. Chamar
34. Chikwa, Chikvi
35. Koli, Kori
36. Kotwal (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mansaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha districts)].

1. Certain words omitted by Act 30 of 2000, s. 23 and the Fifth Sch. (w.e.f. 15-11-2000).
2. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch., for entry of Part III and entry of 4 of Part IV (w.e.f. 17-12-2002).
3. Ins. by Act 32 of 2002, s. 2 (w.e.f. 3-6-2002).

भाग 3—बिहार

1. बांतर
2. बाउरी
3. भोगतत
4. भुइया
5. भूमिज[1]****
[2][6. चमार, मोची, चमार-रबिदास, चमार रविदास, चमार-रोहिदास, चर्मकार]
7. चौपाल
8. दबगर
[2][9. धोबी, रजक
[2][10. डोम, धनगड, बांसफोड, धारीकर, धरकार, डोमरा]
11. दुसाध, धारी, धरही
12. घासी
13. हलालखोर
14. हाडी, मेहतर, भंगी
15. कंजर
16. कुरारियार
17. लालबेगी
18. मुसाहर
19. नट
[2][20. पान, स्वासी, पानर]
21. पासी
22. रजवार
23. तूरी ।

भाग 4—गुजरात

1. अगेर
2. बाकड़, बण्ट
3. बावा-डेढ, डेढ-साधु
[2][4.भाम्बी, भाम्भी, असादरु, असोदी, चमाडिया चमार, चमार-रविदास, चांभार, चमगार, हरलय्या, हरली, खालपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची (केवल डांग्स जिला और वलसाद जिले के उमरगांव तालुक में), नालिया, तेलगु, मोची, कमाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार]
[2][5. भंगी, महतर, ओल्गना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली, बारवाशिया, बारवासिया, जाम्फोड़ा, जम्पाड़ा, जम्पड़ा, रूशी, वाल्मीकि]
6. चलवादि चन्नय्य
7. चेन्ना दासर, होलेय दासर
8. डंगशिया
9. ढोर, कक्कया, कंकय्या
10. गरमातंग
11. गरोड़ा, गरो
12. हल्लीर
13. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार
14. होंलार, वल्हार
15. होलेय होलेर
16. लिंगादार
17. महार, तराल, धेगू, मेगू
18. महायाबंशी, धेढ, धेग वणकर, मरु वणकर, अन्मज
19. मांग, मातंग मिणिमादिग
20. मांग-गारुडी
21. मेघवल, मेघवाल, मेधवार
22. मुक्री
23. नाडिया, हाडी
24. पासी
25. सेनवा, शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
26. शेमलिया
27. थोरी
28. तीरगार, तीरबन्द
29. तुरी
30. तुरी बरोत, डेढ़ बरोत।
[3][31. बलाही, बलाई
32. भंगी, मेहतर
33. चमार
34. चिकवा, चिकवी
35. कोली, कोरी
36. कोटवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में) ।]

---

1. 2000 के अधिनियम सं0 30 की धारा 23 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
2. 2002 के अधिनियम स0. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा भाग 3 और भाग 4 (17-12-2002 से) प्रतिस्थापित ।
3. 2002 के अधिनियम सं0 32 की धारा 2 द्वारा (3-6-2002 से) अंत:स्थापित ।

PART V.—*Haryana*

1. Ad Dharmi
[1][1A. Aheria, Aheri, Hari, Heri, Thori, Turi]
2. Balmiki, Chura, Bhangi
3. Bangali
4. Barar, Burar, Berar
[2][5. Batwal, Barwala]
6. Bauria, Bawaria
7. Bazigar
8. Bhanjra
[3][9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhatoi, Bhambi, Chamar-Rohidas, Jatav, Jatava, Mochi, Ramdasia]
10. Chanal
11. Dagi
12. Darain
13. Deha, Dhaya, Dhea
14. Dhanak
15. Dhogri, Dhangri, Siggi
16. Dumna, Mahasha, Doom
17. Gagra
18. Gandhila, Gandil Gondola
[4][19. Kabirpanthi, Julaha, Kabirpanthi Julaha]
20. Khatik
21. Kori, Koli
22. Marija, Marecha
[3][23. Mazhabi, Mazhabi Sikh]
[2][24. Megh, Meghwal]
[3][25. Nat, Badi]
26. Od
27. Pasi
28. Perna
29. Pherera
[1][29A. Rai Sikh]
30. Sanhai
31. Sanhal
32. Sansi, Bhedkut, Manesh
33. Sansoi
[3][34. Sapela, Sapera]
35. Sarera
[3][36. Sikligar, Bariya]
37. Sirkiband.

PART VI.—*Himachal Pradesh*

1. Ad Dharmi
2. Badhi, Nagalu
3. Balmiki, Bhangi, Chuhra, Chura, Chuhre
4. Bandhela
5. Bangali
6. Banjara
7. Bansi
8. Barad
9. Barar, Burar, Berar
10. Batwal
11. Bauria, Bawaria
12. Bazigar
13. Bhanjra, Bhanjre
14. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Ramdasia, Mochi
15. Chanal
16. Chhimbe, Dhobi
17. Dagi
18. Darain
19. Darai, Daryai
20. Daule, Deole
21. Dhaki, Toori
22. Dhanak
23. Dhaogri, Dhuai
24. Dhogri, Dhangri, Siggi
25. Doom, Doomna, Dumna, Dumne, Mahasha
26. Gagra
27. Gandhila, Gandil, Gondola
28. Hali
29. Hesi
30. Jogi
31. Julaha, Julahe, Kabirpanthi, Keer
32. Kamoh, Dagoli
33. Karoack
34. Khatik
35. Kori, Koli
36. Lohar
37. Marija, Marecha
38. Mazhabi
39. Megh
40. Nat
41. Od
42. Pasi
43. Perna
44. Phrera, Pherera
45. Rehar, Rehara
46. Sanhai
47. Sanhal
48. Sansi, Bhedkut, Manesh
49. Sansoi
50. Sapela
51. Sarde, Sarera, Sarare, Siryare, Sarehde
52. Sikligar
53. Sipi
54. Sirkiband
55. Teli
56. Thathiar, Thathera
[5][57. Barwala]

1. Ins. by Act 24 of 2016, s. 2(*a*) (w.e.f. 30-6-2016).
2. Subs. by Act 31 of 2007, s. 2 and the First Schedule, for entries 5 and 24 of Part V (w.e.f. 29-8-2007).
3. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2, entries 9 and the First Sch. for 23, 25, 34 and 36 of Part V (w.e.f. 17-12-2002).
4. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2 for entry 19 of part V (w.e.f. 20-3-2015).
5. Ins. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. (w.e.f. 17-12-2002).

भाग 5—हरियाणा

1. आद धर्मी
[1][1क. अहेरिया, अहेरी, हारी, हेरी, थोरी, तुरी]
2. बाल्मीकी, चूहडा, भंगी
3. बंगाली
4. बराड़, बुराड़, बेराड़
[2][5. बटवाल, बरवाला]
6. बोरिया, बावरिया
7. बाजीगर
8. भंजड़ा
[3][9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोही, भटोही, भांबी, चमार-रोहिदास, जाटव, जटवा, मोची, रामदसिया]
10. चनाल
11. डागी
12. डरेन
13. ढेहा, ढैया, ढैआ
14. धानक
15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी
16. डुमना, महाशय, डूम
17. गगड़ा
18. गंढीला, गंडील, गोन्डोला
[4][19. कबीरपंथी, जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा]
20. खटीक
21. कोरी, कोली
22. मरीजा, मरेचा
[3][23. मजहबी, मजहबी सिख]
[2][24. मेघ, मेघवाल]
[3][25. नट, बादी]
26. ओड़
27. पासी
28. पेरना
29. फरेरा
[1][29क. राय सिख]
30. सनहाय
31. सनहाल
32. सांसी, भेडकूट, मनेश
33. संसोई
[3][34. सपेला, सपेरा]
35. सरेड़ा
[3][36. सिकलीगर, बारिया]
37. सिरकीबन्द

भाग 6—हिमाचल प्रदेश

1. आद धर्मी
2. बांढ़ी, नगालू
3. बाल्मीकी, भंगी, चूहड़ा, चूड़ा, चूहडे
4. बांधेला
5. बंगाली
6. बंजारा
7. बांसी
8. बरड़
9. बराड़, बुराड़ बेराड़
10. बटवाल
11. बोरिया, बावरिया
12. बाजीगर
13. भंजड़ा, भंजड़े
14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया, मोची
15. चनाल
16. छिम्बे, धोबी
17. दागी
18. दड़े
19. दराई, दरयाई
20. दाउले, दावले
21. ढाकी, तूरी
22. धानक
23. धाओगरी, धुआई
24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी
25. डूम, डूमना, डुमना, डुमने, महाशा
26. गगड़ा
27. गंधीला, गंडील, गोण्डोला
28. हाली
29. हेसी
30. जोगी
31. जुलाहा, जुलाई, कबीरपंथी, कीर
32. कमोह, डगोली
33. करोक
34. खटीक
35. कोरी, कोली
36. लोहार
37. मरीजा, मरेचा
38. मजहबी
39. मेघ
40. नट
41. ओड
42. पासी
43. पेरना
44. फेडा, फेरेडा
45. रेहाड़, रेहाड़ा
46. सनहाई
47. सनहाल
48. सांसी, भेडकूट, मनेश
49. संसोई
50. सपेला
51. सरड़े, सरेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े, सरेहड़े
52. सिकलीगर
53. सिपी
54. सिरकीबन्द
55. तेली
56. ठठियार, ठठेरा
[5][57. बारवाला] ।

---

1. 2016 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2(क) द्वारा (30-6-2016 से) अन्त:स्थापित ।
2. 2007 के अधिनियम सं0 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) भाग 5 में प्रविष्टि 5 और 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) भाग 5 में प्रविष्टि 9, 23, 25, 34 और 36 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2015 के अधिनियम सं0 4 की धारा 2 द्वारा (20-3-2015 से) भाग 5 में प्रविष्टि 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) प्रतिस्थापित ।

[1][PART VIA.—Jharkhand

1. Bantar
2. Bauri
[2][3. ***].
4. Bhuiya
5. Chamar, Mochi
6. Choupal
7. Dabajar
8. Dhobi
9. Dom, Dhangad
10. Dusadh, Dhari, Dharhi
11. Ghasi
12. Halalkhor
13. Hair, Mehtar, Bhangi
14. Kanjar
15. Kuraiar
16. Lalbegi
17. Musahar
18. Nat
19. Pan, Sawasi
20. Pasi
21 Rajwar
22. Turi.]

1. Ins. by Act 30 of 2000, s. 23 and the Fifth Sch. (w.e.f. 15-11-2000).
2. Omitted by Act 8 of 2022, s.2 (w.e.f. 8-4-2022)

[1][भाग 6क—झारखंड

1. बांतर
2. बावरी
[2][3. ***]
4. भुइया
5. चमार, मोची
6. चौपाल
7. डबाजार
8. धोबी
9. डोम, धनगद
10. दुसाध, धारी, धरही
11. धासी
12. हलालखोर
13. हेयर, मेहतर, भंगी
14. कंजर
15. कुरियार
16. लालबेगी
17. मुसहर
18. नट
19. पान, स्वासी
20. पासी
21. रजवार
22. तुरी ।]

1. 2000 के अधिनियम सं0 30 की धारा 23 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
2. 2022 के अधिनियम सं. 8 की धारा 2 द्वारा (8-4-2022 से) लोप किया गया।

PART VII.—*Karnataka*

1. Adi Andhra
2. Adi Dravida
3. Adi Karnataka
4. Adiya (in Coorg district)
5. Ager
6. Ajila
7. Anamuk
8. Aray Mala
9. Arunthathiyar
10. Arwa Mala
11. Baira
12. Bakad
13. Vant (In Belgaum, Bijapur, Dharwar and North Kanara District)
14. Bakuda
15. Balagai
16. Bandi
[1][17. Banjara, Lambani, Lambada, Lambadi, Lamani, Sugali, Sukali]
18. Bathada
19. Beda Jangam, Budga Jangam
20. Bellara
21. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli
22. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Muchi, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Rohit, Samgar
[2][23. Bhovi, Od, Odde, Vaddar, Waddar, Voddar, Woddar, Bovi (NonBesta), Kalluvaddar, Mannuvaddar]
24. Bindla
25. Byagara
26. Chakkiliyan
27. Chalavadi, Chalvadi, Channayya
28. Chandala
29. Chenna Dasar, Holaya Dasar
30. Dakkal, Dokkalwar
31. Dakkaliga
32. Dhor, Kakkayya, Kankayya
33. Dom, Dombara, Paidi, Pano
34. Ellamalwar, Yellammalawandlu
35. Ganti Chores
36. Garoda, Garo
37. Godda
38. Gosangi
39. Halleer
40. Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar
41. Handi Jogis
42. Hasla
43. Holar, Valhar
44. Holaya, Holer, Holeya
45. Holeya Dasari
46. Jaggali
47. Jambuvulu
48. Kadaiyan
49. Kalladi
50. Kepmaris
51. Kolupulvandlu
52. Koosa
[1][53. Koracha, Korachar
54. Korama, Korava, Koravar]
55. Kotegar, Metri
56. Kudumban
57. Kuravan
58. Lingader
59. Machala
60. Madari
61. Madiga
62. Mahar, Taral, Dhegu Megu
63. Mahyavanshi, Dhed, Vankar, Maru-maru-vonkar
64. Maila
65. Mala
66. Mala Dasari
67. Mala Hannai
68. Mala Jangam
69. Mala Masti
70. Mala Sale, Netkani
71. Mala Sanyasi
72. Mang, Matang, Minimadig
73. Mang Garudi, Mang Garodi
74. Manne
75. Masthi
76. Mavilan
77. Meghwal, Menghvar
78. Moger
79. Mukri
80. Mundala

1. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. for entries, 17, 53 and 54 of Part VII (w.e.f. 17-12-2002).
2. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2 for entry 23 Part VII (w.e.f. 20-3-2015).

भाग 7—कर्नाटक

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आदीय (कुर्ग जिले में)
5. आगेर
6. आजिला
7. अनामुक
8. आर्यमाला
9. अरुंथथियार
10. आर्वमाला
11. बैरा
12. बाकड़
13. बंट (बेलगाव, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी कनारा जिलों में)
14. बकुड़ा
15. बालगाई
16. बंडी
[1][17. बंजारा, लंबाणी, लम्बाडा, लम्बाडी, लमानी, सुगली, सुकली]
18. बथड़ा
19. वेड़, जंगम, बुडग जंगम
20. बेल्लारा
21. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमाली
22. भंबी, भंभी, असादरू, आसोदी, चमड़िया, चमार, चम्भार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचिगार, मोचिगार, मादार, मादिग, मोची, मुची, तेलगुमोची, कामटि मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार
[2][23. भोवी, ओड, ओड्डे, वड्डार, वड्डर, वोड्डार, वोड्डर, बोवी (बिस्ताइतर) कल्लूवाड्डार, मन्नूवड्डार]
24. विंडल
25. ब्यागरा
26. चक्किलियान
27. चलावादी, चलवादी, चनैया
28. चांडाल
29. चन्नादासर, होलयादासर
30. दक्कल, दक्कलवार
31. दक्कलिंगा
32. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या
33. डोम, डोम्बर, पड़ी, पानो
34. एल्लेमलवार, वेल्लम्मलवाण्डलु
35. गंटीचोर
36. गारोडा, गरो
37. गोड्डा
38. गोसंगी
39. हल्लीर
40. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्व
41. हंदी जोगी
42. हस्ला
43. होलार, बलहार
44. होलाय, होलेर, होलेय
45. होलेयदासरी
46. जग्गली
47. जम्बुदुल
48. कडैयन
49. कल्लादि
50. केपमारिस
51. कोलुपुलवाण्डलु
52. कूसा
[1][53. कोरचा, कोरचर
54. कोरमा, कोरवा, कोरवार]
55. कोटंगार, मैत्री
56. कुडुम्बन
57. कुरवान्ट
58. लिंगाडेर
59. मचला
60. मदारी
61. मादिग
62. महार, तराल, धेगु मेगु
63. माहयावंशी, धेड़, बणकर मारुबणकर
64. मैला
65. माल
66. मालदासरी
67. माल हन्नई
68. मालजंगम
69. मालमस्ती
70. मालसाले, नेतकानि
71. माल सन्यासी
72. मांग मातंग, मिनिमादिग
73. मांग गारुडी, मांग गारोडी
74. मन्ने
75. मश्ती
76. माविलन
77. मेघवाल, मेंघवार
78. मोगेर
79. मुक्री
80. मुंडल

---

1. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा भाग 7 की प्रविष्टियों 17, 53 और 54 के स्थान पर (17-12-2002 से) प्रतिस्थापित ।
2 2015 के अधिनियम सं0 4 की धारा 2 द्वारा (20-3-2015 से) भाग 7 की प्रविष्टि 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

81. Nadia, Hadi
82. Nalkadaya
83. Nalakeyava
84. Nayadi
85. Pale
86. Pallan
87. Pambada
88. Panchama
89. Panniandi
90. Paraiyan, Paraya
91. Paravan
92. Raneyar
93. Samagara
94. Samban
95. Sapari
96. Sillekyathas
97. Sindhollu, Chindollu
98. Sudugadu Siddha
99. Thoti
100. Tirgar, Tirbanda
101. Valluvan.

PART VIII.—*Kerala*

1. Adi Andhra
2. Adi Dravida
3. Adi Karnataka
4. Ajila
5. Arunthathiyar
6. Ayyanavar
7. Baira
8. Bakuda
[1] * * *
10. Bathada
[1] * * *
[2][12. Bharathar (other than Parathar), Paravan]
[1] * * *
14. Chakkiliyan
15. Chamar, Muchi
16. Chandala
17. Cheruman
18. Domban
[1] * * *
[1] * * *
[1] * * *
22. Gosangi
23. Hasla
24. Holeya
25. Kadaiyan
[2][26. Kakkalan, Kakkan]
27. Kalladi
[2][28. Kanakkan, Padanna, Padannan]
[3] * * *
[2][30. Kavara (other than Telugu speaking or Tamil speaking Balija, Kavarai, Gavara Gavarai, Gavarai Naidu, Balija Naidu, Gajalu Balija or Valai Chetty)]
31. Koosa
32. Kootan, Koodan
33. Kudumban
[2][34. Kuravan, Sidhanar, Kuravar, Kurava, Sidhana]
35. Maila
[4][36. Malayan (in the areas comprising the Kannur, Kasaragode, Kozhikode and Wayanad districts)]
[4][37. Mannan, Pathiyan, Perumannan, Peruvannan, Vannan Velan]
[3] * * *
[2][39. Moger (other than Mogeyar)]
40. Mundala
41. Nalakeyava
42. Nakadaya
43. Nayadi
[1] * * *
45. Pallan
[5][46. Palluvan, Pulluvan]
47. Pambada
48. Panan
[1] * * *
2[50. Paraiyan, Parayan, Sambavar, Sambavan, Sambava, Paraya, Paraiya, Parayar]
[1] * * *
[1] * * *
[1] * * *
[2][54. Pulayan, Cheramar, Pulaya, Pulayar, Cherama, Cheraman, Wayanad Pulayan, Wayanadan Pulayan, Matha, Matha Pulayan]
[1] * * *
56. Puthirai Vannan
57. Raneva
58. Samagara
59. Samban
[2][60. Semman, Chemaman, Chemmar]

1. Omitted by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. (w.e.f. 17-12-2002).
2. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. for entries 12, 26, 28, 34, 39, 50, 54 and 60 (w.e.f. 17-12-2002).
3. Omitted by Act 10 of 2003, s. 3 and the First Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
4. Subs. by Act 24 of 2016, s. 2 for entries 36 and 37 (w.e.f. 30-6-2016).
5. Subs. by the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2014, s. 2 for entry 46 (w.e.f. 1-4-2015).

81. नाडिया, हाडी
82. नलकडय
83. नलकेयव
84. नायाडि
85. पाले
86. पल्लन
87. पम्बाड़ा
88. पंचम
89. पन्नियाडि
90. परइयान, परय्या
91. परवन
92. राणीयार
93. सामगार
94. सम्बन
95. सपरी
96. सिल्लेकियथस
97. सिंघोलू, चिंदोलू
98. सुडुगाडुसिद्ध
99. तोटि
100. तीरगार, तीरबंद
101. वल्लुवन।

भाग 8—केरल

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुन्थथियार
6. अय्यमवर
7. बैरा
8. बकुडा
[1]* * *
10. बथडा
[1]* * *
[2][12. भरथर (परथर से भिन्न), परवन]
[1]* * *
14. चकिलियान
15. चमार, मुची
16. चांडाल
17. चेरुमन
18. डोम्बन
[1]* * *
[1]* * *
[1]* * *
22. गोसंगी
23. हस्ला
24. होलेय
25. कडैयन
[2][26. कक्कलन, कक्कन]
[2]7. कल्लाडी
[2][28. कणक्कन, पदन्न, पदन्नन]
[1]* * *
[2][30. कवर, (तेलुगु या तमिल भाषी बलिजा, कवरई, गावर, गावरई, गवरई नायडूबलिजा नायडू, गजालू, बलिजा या वलई चेट्टी से भिन्न)]
31. कूसा
32. कुटन, कुडन
33. कुडुम्बन
[2][34. कुरवन, सिद्धनार, कुरवार, कुरवा, सिधना]
35. मैला
[4][36. मलयन (कन्नूर, कासरागोड, कोझीकोड़ और वयनाड जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों में)]
[4][37. मण्णन, पथियन, पेरूमण्णन, पेरू वण्णन, वण्णन वेलन]
[3]* * *
[2][39. मोगेर, (मोगेयार से भिन्न)
40. मुण्डाला
41. नलकेयब
42. नलकाडय
43. नायाडी
[1]* * *
45. पल्लन
[5][46. पल्लुवन, पुल्लुवन]
47. पाम्बाडा
48. पाणन
[1]* * *
[1][50. परैयन, परयन, साम्बवर, साम्बवन, साम्बवा, परया, परैया, परयार]
[1]* * *
[1]* * *
[1]* * *
[2][54. पुलयन, चेरमर, पुलया, पुलयार, चेरमा, चेरमान, वयनाद, पुलयान, वयनंदन, पुलयान, माथा, माथा पुलयान]
[1]* * *
56. पुतिरई वण्णन
57. राणीयार
58. सामगार
59. सम्बन
[2][60. सेम्मन, चेम्मन, चेम्मर]

1. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और पहली अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) लोप किया गया ।
2. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) प्रविष्टियों 12, 26, 28, 34, 39, 50, 54 और 60 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (7-1-2003 से) लोप किया गया ।
4. 2016 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा (30-6-2016 से) प्रविष्टि 36 और 37 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 2 द्वारा (1-4-2015 से) प्रविष्टि 46 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][61. Thandan (excluding Ezhuvas and Thiyyas who are known as Thandan, in the erstwhile Cochin and Malabar areas) and (Carpenters who are known as Thachan, in the erstwhile Cochin and Travancore State), Thachar (other than Carpenter)]
62. Thoti
63. Vallon
64. Valluvan
[2] * * *
[2] * * *
67. Vetan
[3][68. Vettuvan, Pulaya Vettuvan (in the areas of erstwhile Cochin State only)
69. Nerian]

PART IX.—*Madhya Pradesh*

1. Audhelia
[3][2. Bagri, Bagdi (excluding Rajput, Thakur sub-castes among Bagri, Bagdi]
3. Bahna, Bahana
4. Balahi, Balai
5. Banchada
6. Barahar Basod
7. Bargunda
8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Bansphor, Basar
9. Bedia
10. Beldar, Sunkar
11. Bhangi, Mehtar, Balmiki, Lalbegi, Dharkar
12. Bhanumati
13. Chadar
14. Chamar, Chamari, Bairwa, Bhambhi, Jatav, Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Ramnami, Satnami, Surjyabanshi, surjyaramnami, Ahirwar, Chamar, Mangan, Raidas
15. Chidar
16. Chikwa, Chikvi
17. Chitar
[5][18. Dahait, Dahayat, Dahat, Dahiya]
19. Dewar
20. Dhanuh
21. Dhed, Dher
22. Dhobi (in Bhopal, Raisen and Sehore district)
23. Dohor
24. Dom, Dumar, Dome, Domar, Doris
25. Ganda, Gandi
26. Ghasi, Ghasia
27. Holiya
28. Kanjar
29. Katia, Patharia
30. Khatik
31. Koli, Kori
32. Kotwal (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri Ujjain and Vidisha Districts)
33. Khangar, Kanera, Mirdha
34. Kuchbandhia
35. Kumar (in Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh districts)
[3][36. Mahar, Mehra, Mehar, Mahara]
37. Mang, Mang Garodi, Mang Garudi, Dankhani Mang, Mang Mahasi, Madari, Garudi, Radhe Mang
38. Meghwal
39. Moghia
40. Muskhan
41. Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar
42. Pardhi (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha Distircts)
43. Pasi
44. Rujjhar
45. Sansi, Sansia
46. Silawat
47. Zamral
[6][48. Sargara]

PART X.—*Maharashtra*

1. Ager
2. Anamuk
3. Aray Mala
4. Arwa Mala
5. Bahna, Bahana
6. Bakad, Bant
7. Balahi, Balai
8. [4][Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Basod]
9. Beda Jangam, Budga Jangam
10. Bedar
[4][11. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chamari, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Telegu Mochi, Kamati, Mochi, Ranigar, Rohidas, Nona, Ramnami, Rohit, Samgar, Samagara, Satnami, Surjyabanshi, Surjyaramnami, Charmakar, Pardeshi Chamar;
12. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli, Hela.]

1. Subs. by Act 34 of 2014, s. 2 for entry 61 (w.e.f. 17-12-2014).
2. Omitted by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch., for entry 65 and 66 (w.e.f. 17-12-2002).
3. Subs. by *ibid*, s. 2 and the First Sch. for entry 68 of Part VIII and entry 36 of Part IX (w.e.f. 17-12-2002).
4. Subs. by Act 31 of 2007, s. 2 for entry 2 of Part IX and for entries 8 and 11 of Part X (w.e.f. 29-08-2007).
5. Subs. by Act 34 of 2014, s. 2 for entry 18 (w.e.f. 17-12-2014).
6. Ins. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. (w.e.f. 17-12-2002).

[1][61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर, जो तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं) और तच्चर (बढ़ई से भिन्न)]
62. थोटि
63. वल्लोन
64. वल्लुवन
[2]* * *
[2]* * *
67. वेटन
[3][68. वेट्टुवन, पुलया वेटटुवन (केवल पूर्व कोचीन राज्य के क्षेत्रों में)
69. नेरियन ।]

भाग 9—मध्य प्रदेश

1. औधलिया
[3][2. बागरी, बागड़ी, (बागरी, बागड़ी में राजपूत, ठाकुर उपजातियों को छोड़कर)]
3. बहना, बाहना
4. बलाही, बलाई
5. बांछड़ा
6. बरहर, बसोड़
7. वरगूंडा
8. बसोर, बुरूड़, बांसोर, बांसोड़ी, बांसफोड़, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी, धरवार
12. भानुमति
13. चडार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांवी, जाटव, मोची, रैगड़, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य-रामनामी, अहिरवार, चमार मंगन, रैदास
15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चित्तार
[5][18. दहाइत, दहायत, दहात, दहिया]
19. देवर
20. धानुक
21. धेड, धेर
22. धोबी (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)
23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर, डोरिस
25. गांडा, गांडी
26. घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर
29. कातिया, पथरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
33. खांगर, कनेरा, मिर्धा
34. कुचर्वंधिया
35. कुम्हार, (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टिकमगढ़ जिलों में)
[3][36. महार, मेहरा, मेहर, महरा]
37. मांग, मांग गरोड़ी, मांग गारूड़ी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारूड़ी, राधे मांग
38. मेघवाल
39. मोघिया
40. मुसखान
41. नट, कालबेलिया, सपेरा, नबदिगार, कुबुतर
42. पारघी (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
43. पासी
44. रूज्झर
45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट
47. झमराल
[6][48. सरगारा ।]

भाग 10—महाराष्ट्र

1. अगेर
2. अनामुक
3. आरे माला
4. आखामाला
5. बहना, बाहना
6. बाकड़, बंट
7. बलाही, बलाई
8. [4][बसोर, बुरूड़, बांसोर, बांसोडी, बासोड़]
9. बेडा जंगम, बुडगा जंगम
10. बेडर
[4][11. भांबी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाड़िया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी, मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, चर्मकार, परदेशी चमार ;
12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, कोरार, झाड़माली, हेला]

1. 2014 के अधिनियम सं0 34 की धारा 2 द्वारा (17-12-2014 से) प्रविष्टि 61 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 ओर अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) प्रविष्टि 65 एवं 66 का लोप किया गया।
3. 2002 के अधिनियम सं0 61की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा भाग 8 की प्रविष्टि 68 और भाग 9 की प्रविष्टि 36 के स्थान पर (17-12-2002 से) प्रतिस्थापित।
4. 2007 के अधिनियम सं0 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) भाग 9 की प्रविष्टि 2 और भाग 10 की प्रविष्टि 8 और 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 2014 के अधिनियम सं0 34 की धारा 2 द्वारा (17-12-2014 से) प्रविष्ट 18 के स्थान परप्रतिस्थापित ।
6. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा (17-12-2002 से) अन्त:स्थापित ।

13. Bindla
14. Byagara
15. Chalvadi, Channayya
16. Chenna Dasar, Holaya Dasar, Holeya Dasari
17. Dakkal, Dokkalwar
18. Dhor, Kakkayya, Kankayya, Dohor
19. Dom, Dumar
20. Ellamalvar, Yellammalawandlu
21. Ganda, Gandi
22. Garoda, Garo
23. Ghasi, Ghasia
24. Halleer
25. Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar
26. Holar, Valhar
27. Holaya, Holer, Holeya, Holiya
28. Kaikadi (in Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Nagpur, Wardha and Yavatmal districts and Chandrapur district, other than Rajura tahsil)
29. Katia, Patharia
30. Khangar, Kanera, Mirdha
31. Khatik, Chikwa, Chikvi
32. Kolupulvandlu
33. Kori
34. Lingader
35. Madgi
36. Madiga
37. Mahar, Mehra, Taral, Dhegu Megu
38. Mahyavanshi, Dhed, Vankar, Maru Vankar
39. Mala
40. Mala Dasari
41. Mala Hannai
42. Mala Jangam
43. Mala Masti
44. Mala Sale, Netkani
45. Mala Sanyasi
46. Mang, Matang, Minimadig, Dankhni Mang, Mang Mahashi, Madari, Garudi, Radhe Mang
47. Mang Garodi, Mang Garudi
48. Manne
49. Mashti
50. Meghval, Menghvar
51. Mitha Ayyalvar
52. Mukri
53. Nadia, Hadi
54. Pasi
55. Sansi
56. Shenva, Chenva, Sedma, Ravat
57. Sindhollu, Chindollu
58. Tirgar, Tirbanda
59. Turi.

PART XI.-*Manipur*

1. Dhupi, Dhobi
2. Lois
3. Muchi, Ravidas
4. Namasudra
5. Patni
6. Sutradhar
7. Yaithibi.

PART XII.-*Meghalaya*

1. Bansphor
2. Bhuinmali, Mali
3. Brittial Bania, Bania
4. Dhupi, Dhobi
5. Dugla, Dholi
6. Hira
7. Jalkeot
8. Jhalo, Malo, Jhalo-Malo
9. Kaibartta, Jaliya
10. Lalbegi
11. Mahara
12. Mehtar, Bhangi
13. Muchi, Rishi
14. Namasudra
15. Patni
16. Sutradhar.

13. बिंदला
14. ब्यागरा
15. चलवादि, चन्नैया
16. चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरी
17. डक्कल, डोक्कलबार
18. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या, डोहोर
19. डोम, डुमार
20. एल्लमलवार, येल्लम्मलावाण्डलु
21. गंदा, गंदी
22. गरोडा, गरो
23. घासी, घसिया
24. हल्लीर
25. हलसार, हसलार, हुल्स्वार, हलस्वार
26. होलार, वलहार
27. होलया, होलेर, होलेया होलिया
28. कैकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में)
29. कटीया, पठारिया
30. खंगार, कनेरा, मिरधा
31. खाटीक, चिकवा, चिकवी
32. कोलुपुलवाण्डलु
33. कोरी
34. लिंगादार
35. मादगी
36. मादिगा
37. मार, मेहरा, तराल, धेगु, मेगु
38. माहयावंशी, धेड, वणकर, मारूवणकर
39. माला
40. माला दासरी
41. माल हैन्नै
42. माला जंगम
43. माला मस्ती
44. माला साले, नैतकानि
45. माला सन्यासी
46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दंखगी मांग, मांग-महाशी, मदारी, गारूडी, राधे मांग
47. मांग गारोडी, मांग गारूडी
48. मन्न
49. मश्ती
50. मेघवाल, मेंघवार
51. मिठा, अय्यलवार
52. मुक्री
53. नाडीया, हाडी
54. पासी
55. सांसी
56. शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
57. सिंधौलू, चिंदौलू
58. तीरगार, तीरबंद
59. तुरी ।

भाग 11—मणिपुर

1. धुपी, धोबी
2. लईज
3. मुची, रविदास
4. नामशुद्र
5. पाटनी
6. सूत्रधार
7. येथिबि ।

भाग 12—मेघालय

1. बांसफोड
2. भुईमाली, माली
3. बत्तियाल बनिया, बनिया
4. धुपी, धोबी
5. डुगला, ढोली
6. हीरा
7. जलकेवट
8. झालो, मालो, झालो-मालो
9. कैबर्त, जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर, भंगी
13. मुची, ऋषि
14. नामशूद्र
15. पाटनी
16. सूत्रधार ।

PART XIII—[1][*Odisha*]

1. Adi Andhra
[1][2. Amant, Amat, Dandachhatra Majhi, Amata, Amath]
3. Audhelia
4. Badaik
5. Bagheti, Baghuti
6. Bajikar
7. Bari
8. [2]***
9. Basor, Burud
[3][10. Bauri, Buna Bauri, Dasia Bauri]
11. Bauti
12. Bavuri
[1][13. Bedia, Bejia, Bajia]
14. Beldar
15. Bhata
16. Bhoi
17. Chachati
18. Chakali
[4][19. Chamar, Chamara, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas, Mochi, Muchi, Satnami]
20. Chandala
21. Chandai Maru
[5]***
23. Dandasi
[3][24. Dewar, Dhibara, Keuta, Kaibarta]
25. Dhanwar
[6][26. Dhoba, Dhobi, Rajak, Rajaka]
[6][27. Dom, Dombo, Duria Dom, Adhuria Dom, Adhuria Domb]
28. Dosadha
29. Ganda
30. Ghantarghada, Ghantra
31. Ghasi, Ghasia
32. Ghogia
33. Ghusuria
34. Godagali
35. Godari
36. Godra
37. Gokha
38. Gorait, Korait
39. Haddi, Hadi, Hari
40. Irika
[1][41. Jaggali, Jaggili, Jagli]
[4][42. Kandra, Kandara, Kadama, Kuduma, Kodma, Kodama]
43. Karua
[6][44. Katia, Khatia
[45. Kela, Sapua Kela, Nalua Kela, Sabakhia Kela, Matia Kela Gaudia Khela
46. Khadala, Khadal, Khodal].
47. Kodalo, Khodalo
48. Kori
49. [2]***
50. Kurunga
51. Laban
52. Laheri
53. Madari
54. Madiga
55. Mahuria
[3][56. Mala, Jhala, Malo, Zala, Malha, Jhola]
57. Mang
58. Mangan
59. Mehra, Mahar
60. Mehtar, Bhangi
61. Mewar
62. Mundapotta
63. Musahar
64. Nagarchi
65. Namasudra
66. Paidi
67. Painda
68. Pamidi
[1][69. Pan, Pano, Buna Pana, Desua Pana, Buna Pano]
70. Panchama
71. Panika
72. Panka
73. Pantanti
74. Pap
75. Pasi
76. Patial, Patikar, Patratanti, Patua
77. Rajna
78. Relli
[7][79. Sabakhia, Sualgiri, Swalgiri]
80. Samasi
81. Sanei
82. Sapari
83. Sauntia, Santia
84. Sidhria
85. Sinduria
[3][86. Siyal, Khajuria]
87. [9]* * *
88. [9]* * *
89. Tanla
[5]* * *
[6][91. Turi, Betra]
92. Ujia
93. Valamiki, Valmiki
[8][94. Mangali (in Koraput and Kalahandi districts)
95. Mirgan (in Navrangpur districts).]

1. Subs. by Act 34 of 2014, s. 2 for "Orissa" and entries 2, 13, 41 and 69 (w.e.f. 17-12-2014).
2. Omitted by Act 24 of 2016, s. 2 (w.e.f. 30-6-2016).
3. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. for entries 10, 24, 56 and 86 (w.e.f. 17-12-2002).
4. Subs. by Act 31 of 2007, s. 2 for entries 19 and 42 (w.e.f. 29-8-2007).
5. Omitted by Act 25 of 2002, s. 2 (w.e.f. 24-5-2002).
6. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2 for entries 26, 27, 44, 45, 46 and 91 (w.e.f. 20-3-2015).
7. Subs. by Act 17 of 2017, s. 2 (w.e.f. 28-4-2017).
8. Ins. by Act 25 of 2002, s. 2 (w.e.f. 24-5-2002).
9. Omitted by Act 6 of 2024, s. 3 and the First Sch. (w.e.f. 15-02-2024).

भाग 13—[1][ओडिशा]

1. आदि आंध्र
[1][2. अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी, अमाता, अमाथ]
3. औधेलिया
4. बडैक
5. बाघेटी, बाघुटी
6. बाजीकर
7. बारी
8. [2] ***
9. बासोर, बुरूड
[1][10. बाउरी, बुना बाउरी, डसिया बाउरी]
11. बाउटी
12. बाबुरी
[1][13. बेढिया, बेजिया, बाजिया]
14. बेलदार
15. भाट
16. भोई
17. चचटी
18. चकली
[4][19. चमार, चमारा, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, मोची, मुची, सतनामी]
20. चांडाल
21. चंढाई मारू
[5]* * *
23. दंडासी
[3][24. देवर, दीबरा, केउटा, कैबरता]
25. धनवार
[6][26. धोबा, धोबी, रजक, रजाका
[6][27. डोम, डोम्बौ, डुरिया डोम, अधुरिया डोम, अधुरिया डोम्ब]
28. दोसधा
29. गंडा
30. घंटरघड़ा, घंटरा
31. घासी, घसिया
32. घोगिया
33. घुसुरिया
34. गोडागाली
35. गोडारी
36. गोडरा
37. गोखा
38. गोराईत, कोराईत
39. हाड्डी, हाडी, हरी
40. इरीका
[1][41. जग्गली, जग्गिली, जगली]
[4][42. कंडरा, कंडारा, कदम, कुड्डुमा, कोडमा, कोडामा]
43. कारूआ
[6][44. कटिआ, खाटिया
45. केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सबखिया केला, मटिया केला, गोडिया केला
46. खदाल, खादल, खोदलो]
47. कोडालो, खोडालार
48. कोरी
49. [2] ***
50. कुरुंगा
51. लवाण
52. लाहेरी
53. मदारी
54. मादिग
55. महूरिया
[3][56. माला, झाला, मालो, जाला, मल्हा, झोला]
57. मांग
58. मांगण
59. मेहरा, महार
60. मेहतर, भंगी
61. मेवार
62. मूडपोट्टा
63. मूसहर
64. नगारची
65. नामशूद्र
66. पैड्डी
67. पैण्डा
68. पामीडी
[1][69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण, बुना पाणों]
70. पंचम
71. पणिका
72. पंका
73. पाणतंति
74. पाप
75. पासी
76. पटिआल, पाटीकर, पात्रतन्ति, पटुआ
77. रजना
78. रेल्ली
[7][79. सबाखिआ, सुआलगिरि, स्वालगिरि]
80. समासी
81. सनेई
82. सपरी
83. सौतिया, सांतिया
84. सिदरिआ
85. सिंदूरिया
[3][86. सियाल, खजुरिया]
87. [9] ***
88. [9] ***
89. तानला
[5]* * *
[6][91. तूरी, बेतरा]
92. उजीआ
93. बाल्मीकि, बल्मीकि
[8][94. मंगली (कोरापुट और कालाहांडी जिलों में)
95. मीरगन (नवरंगपुर जिले में ।]

---

1. 2014 के अधिनियम सं0 34 की धारा 2 द्वारा (17-12-2014 से) ''उड़ीसा'' ओर प्रविष्टियों 2, 13, 41 और 69 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2016 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा (30-6-2016 से) लोप किया गया।
3. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) प्रविष्टि 10, 24, 56 ओर 86 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2007 के अधिनियम सं0 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) प्रविष्टि 19 और 42 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 2002 के अधिनियम सं0 25 की धारा 2 द्वारा (24-5-2002 से) लोप किया गया।
6. 2015 के अधिनियम सं0 4 की धारा 2 द्वारा (20-3-2015 से) प्रविष्टि 26, 27, 44, 45, 46 और 91 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 2017 के अधिनियम सं0 17 की धारा 2 द्वारा (28-4-2017 से) प्रतिस्थापित ।
8. 2002 के अधिनियम सं0 25 की धारा 2 द्वारा (24-5-2002 से)अंत:स्थापित ।
9. 2024 के अधिनियम सं0 6 की धारा 3 और पहली अनुसूची द्वारा (15-2-2024 से) लोप किया गया।

PART XIV—*Punjab*

1. Ad Dharmi
2. Balmiki, Chura, Bhangi
3. Bangali
4. Barar, Burar, Berar
[1][5. Batwal, Barwala]
6. Bauria, Bawaria
7. Bazigar
8. Bhanjra
[2][9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Ramdasia, Ramdasia Sikh, Ravidasia, Ravidasia Sikh]
10. Chanal
11. Dagi
12. Darain
13. Deha, Dhaya, Dhea
14. Dhanak
15. Dhogri, Dhangri, Siggi
16. Dumna, Mahasha, Doom
17. Gagra
18. Gandhila, Gandil, Gondola
19. Kabirpanthi, Julaha
20. Khatik
21. Kori, Koli
22. Marija, Marecha
[1][23. Mazhabi, Mazhabi Sikh]
24. Megh
25. Nat
26. Od
27. Pasi
28. Perna
29. Pherera
30. Sanhai
31. Sanhal
32. Sansi, Bhedkut, Manesh
33. Sansoi
34. Sapela
35. Sarera
36. Sikligar
37. Sirkiband.
[3][38. Mochi.]
[4][39. Mahatam, Rai Sikh]

PART XV—Rajasthan

1. Adi Dharmi
2. Aheri
3. Badi
4. Bagri, Bagdi
5. Bairwa, Berwa
6. Bajgar
7. Balai
8. Bansphor, Bansphod
9. Baori
10. Bargi, Vargi, Birgi
11. Bawaria
12. Bedia, Beria
13. Bhand
14. Bhangi, Chura, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Valmiki, Korar, Zadmalli
15. Bidakia
16. Bola
17. Chamar, Bhambhi, Bambhi, Bhambi, Jatia, Jatav, Jatava, Mochi, Raidas, Rohidas, Regar, Raigar, Ramdasia, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigai, Mochigar, Majar, Madig, Telugu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohit, Samgar
18. Chandal
19. Dabgar
20. Dhanak, Dhanuk
21. Dhankia
22. Dhobi
23. Dholi
24. Dome, Dom
25. Gandia
26. Garancha, Gancha
27. Garo, Garura, Gurda, Garoda
28. Gavaria
29. Godhi
30. Jingar
31. Kalbelia, Sapera
32. Kamad, Kamadia
33. Kanjar, Kunjar
34. Kapadia Sansi
35. Khangar
36. Khatik
37. Koli, Kori
38. Kooch Band, Kuchband

1. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. for entries 5 and 23 (w.e.f. 17-12-2002).
2. Subs. by Act 25 of 2002, s. 2., for entry 9 (w.e.f. 24-5-2002).
3. Ins by s. 2 *ibid.* (w.e.f. 24-5-2002).
4. Ins. by Act 31 of 2007, s. 2 and the First Sch. (w.e.f. 29-8-2007).

भाग 14—पंजाब

1. आद धर्मी
2. बाल्मीकि, चूड़ा, भंगी
3. बंगाली
4. बरड़, बुरड़, बेरड़
[1][5. बटवाल, बरवाला
6. बौरिया, बावरिया
7. बाजीगर
8. भंजड़ा
[2][9. चमार. जटिया चमार, रेहगड़, रैगढ़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया सिख, रविदसिया, रविदसिया सिख]
10. चनाल
11. डागी
12. दड़े
13. डेहा, ढैया, ढआ
14. धानक
15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी
16. डूमना, महाशा, डूम
17. गगड़ा
18. गंढीला, गण्डील, गोण्डोला
19. कबीरपंथी, जुलाहा
20. खटीक
21. कोरी, कोली
22. मरीजा, मरेचा
[1][23. मजहबी, मजहबी सिख]
24. मेघ
25. नट
26. ओड
27. पासी
28. पेरना
29. फेरेरा
30. सनहाई
31. सनहाल
32. सांसी, भेड़कुट, मनेश
33. संसोई
34. सपेला
35. सरैड़ा
36. सिकलीगर
37. सिरकीबन्द
[3][38. मोची]
[4][39. महातम, राय सिख ।]

भाग 15—राजस्थान

1. आदि धर्मी
2. अहेरी
3. बादी
4. बागरी, बागडी
5. बैरवा, बेरवा
6. बाजगर
7. बलाई
8. बांसफोर, बांसफोड़
9. बावरी
10. बर्गी, वर्गी, बिर्गी
11. बावरिया
12. बेड़िया, बेरिया
13. भांड
14. भंगी, चूड़ा, मेहतर,, औलगाना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, वाल्मीकि कोरार, झाडमाली
15. विदाकिया
16. बोला
17. चमार, भंभी, बंभी, भंबी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची, रैदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया, असादरू, असोदी, चमाढिया, चम्भार, चामगार, हरलया, हराली, खलपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहित, सामगार
18. चांडाल
19. दबगर
20. धानक, धानुक
21. धानकिया
22. धोबी
23. ढोली
24. डोम, डूम
25. गांडिया
26. गरांचा, गांचा
27. गरो, गरूड़, गुर्डा, गरोड़ा
28. गवरियां
29. गोधी
30. जीनगार
31. कालबेलिया, सपेरा
32. कामड़, कामड़िया
33. कंजर, कुंजर
34. कपाड़िया, सांसी
35. खंगार
36. खटीक
37. कोली, कोरी
38. कूच बन्द, कुचबन्द

---

1. 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) प्रविष्टि 5 और 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2002 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा (24-5-2002 से) प्रविष्टि 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2002 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा (24-5-2002 से) अन्त:स्थापित ।
4. 2007 के अधिनियम सं. 31 की धारा 2 द्वारा पहली अनुसूची (29-8-2007 से) अंत:स्थापित ।

39. Koria
40 Madari, Bazigar
41. Mahar, Taral, Dhegumegu
42. Mahyavanshi, Dhed, Dheda, Vankar, Maru,Vankar
43. Majhabi
44. Mang, Matang, Minimadig
45. Mang Garodi, Mang Garudi
46. Megh, Meghval, Meghwal, Menghvar
47. Mehar
48 Nat, Nut
49. Pasi
50. Rawal
51. Salvi
52. Sansi
53. Santia, Satia
54. Sarbhangi
55. Sargara
56. Singiwala
57. Thori, Nayak
58. Tirgar, Tirbanda
59. Turi.

PART XVI—*Tamil Nadu*

1. Adi Andhra
2. Adi Dravida
3. Adi Karnataka
4. Ajila
5. Arunthathiyar
6. Ayyanavar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
7. Baira
8. Bakuda
9. Bandi
10. Bellara
11. Bharatar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
12. Chakkiliyan
13. Chalavadi
14. Chamar, Muchi
15. Chandala
16. Cheruman
[1][17. Devendrakula Velalar [Devendrakulathan, Kadaiyan (excluding in the coastal areas of Tirunelveli, Thoothukudi, Ramanathanpuram, Pudukottai, Thanjavur, Tiruvarur and Nagapattinam districts), Kalladi, Kudumban, Pallan, Pannadi, Vathiriyan]
18. Dom, Dombara, Paidi, Pano
19. Domban
20. Godagali
21. Godda
22. Gosangi
23. Holeya
24. Jaggali
25. Jambuvulu
[1][26. Kadaiyan (in the districts of Tirunelveli, Thoothkudi, Ramanathapuram, Pudukottai, Thanjavur, Tiruvarur and Nagapattinam)]
27. Kakkalan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
28. [2][***]
29. Kanakkan, Padanna (in the Nilgiris district)
30. Karimpalan
31. Kavara (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
32. Koliyan
33. Koosa
34. Kootan, Koodan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
35. [2][***]
36. Kuravan, Sidhanar
37. Madari
38. Madiga
39. Malia
40. Mala
41. Mannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
42. Mavilan
43. Moger
44. Mundala
45. Nalakeyava
46. Nayadi
47. Padannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
48. Pagadai
49. [2][***]
50. Palluvan
51. Pambada
52. Panan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
53. Panchama
54. [2][***]
55. Panniandi
56. Paraiyan, Parayan, Sambavar

1. Subs. by Act 18 of 2021, s. 2 for entries 17 and 26 (w.e.f. 15-5-2021).
2. Omitted by s. 2, *ibid* (w.e.f. 15-5-2021).

39. कोरिया
40. मदारी, बाजीगर
41. महार, तराल, धेगुमेगु
42. माहयावंशी, ढेड़, डेड़ा, वणकर, मारु वणकर
43. मजहबी
44. मांग, मातंग, मिनिमादिग
45. मांग गारोडी, मांग गारुड़ी
46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार
47. मेहर
48. नट, नुट
49. पासी
50. रावल
51. सालवी
52. सांसी
53. सांतिया, सतिया
54. सरभंगी
55. सरगड़ा
56. सिंगीवाला
57. थोरी, नायक
58. तीरगार, तीरबन्द
59. तुरी ।

भाग 16—तमिलनाडु

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुनददियार
6. अय्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
7. बैरा
8. बकुड़ा
9. बण्डी
10. बेल्लरा
11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
12. चक्किलियन
13.चलवादि
14. चमार, मुची
15. चाण्डाल
16. चेरुमान
[1][17. देवेन्द्रकुला वेलालर [देवेन्द्रकुलथन, कडड्यन, (तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, रामनाथपुरम, पुडुक्कोट्टाई, थन्जावूर, तिरुवारुर और नागापट्टीनम जिलों के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर), कल्लादि, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरैयान]
18. डोम, डोम्बारा, पैड़ी, पानो
19. डोम्बन
20. गोडागली
21. गोड्डा
22. गोसंगी
23. होलेच
24. जग्गाली
25. जम्बुवुलु
[1][26. कडइयन (तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, रामनाथपुरम, पुडुक्कोट्टाई, थन्जावूर, तिरुवारुर और नागापट्टीनम जिलों में)]
27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
28. [2][***]
29. कनक्कन, पाडन्ना (नीलगिरि जिले में)
30. करिम्पालन
31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
32. कोलियन
33. कूसा
34. कूटन, कूड़न, (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
35. [2][***]
36. कुरवन, सिद्धनार
37. मदारी
38. मादिग
39. मैला
40. माल
41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
42. माविलान
43. मोगर
44. मुण्डाला
45. नलकेयव
46. नायाड़ी
47. पडन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
48. पगाडै
49. [2][***]
50. पल्लुवन
51. पमवाड़ा
52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
53. पंचम
54. [2][***]
55. पन्नयांडी
56. परैयन, परयन, साम्बवर

1. 2021 के अधिनियम सं. 18 की धारा 2 द्वारा (15-5-2021 से) प्रविष्टि 17 और 26 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2021 के अधिनियम सं. 18 की धारा 2 द्वारा (15-5-2021 से) लोप किया गया।

57. Paravan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
58. Pathiyan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
59. Pulayan, Cheramar
60. Puthirai Vannan
61. Raneyar
62. Samagara
63. Samban
64. Sapari
65. Semman
66. Thandan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
67. Thoti
68. Tiruvalluvar
69. Vallon
70. Valluvan
71. Vannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
72. [1][***]
73. Velan
74. Vetan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
75. Vettiyan
76. Vettuvan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)

PART XVII—*Tripura*

1. Bagdi
2. Bhuimali
3. Bhunar
[2][4. Chamar, Muchi, Chamar-Rohidas, Chamar-Ravidas]
5. Dandasi
6. Dhenuar
[2][7. Dhoba, Dhobi]
8. Dum
9. Ghasi
10. Gour
11. Gur
[2][12. Jalia Kaibarta, Jhalo-Malo]
13. Kahar
14. Kalindi
15. Kan
16. Kanda
17. Kanugh
18. Keot
19. Khadit
20. Kharia
21. Koch
22. Koir
23. Kol
24. Kora
25. Kotal
26. Mahisyadas
27. Mali
28. Mehtor
29. Musahar
30. Namasudra
31. Patni
32. Sabar.
[3][33. Dhulhi, Sabdakar, Badyakar
34. Natta, Nat.]

PART XVIII—*Uttar Pradesh*

1. Agariya [4][(excluding Sonbhadra district)]
2. Badhik
3. Badi
4. Baheliya
5. Baiga [4][(excluding Sonbhadra district)]
6. Baiswar
7. Bajaniya
8. Bajgi
9. Balahar
10. Balai
11. Balmiki
12. Bangali
13. Banmanus
14. Bansphor
15. Barwar
16. Basor
17. Bawariya
18. Beldar
19. Beriya
20. Bhantu
21. Bhuiya [4][(excluding Sonbhadra district)]
22. Bhuyiar
23. Boira
24. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava

1. Omitted by Act 18 of 2021, s. 2 (w.e.f. 15-5-2021).
2. Subs. by Act 34 of 2014, s. 2(*d*) for entries 4, 7 and 12 (w.e.f. 17-12-2014).
3. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch., for entry 33 (w.e.f. 17-12-2002).
4. Ins. by Act 10 of 2003, s. 3 and the First Sch. (w.e.f. 7-1-2003).

57. परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
59. पुलयन, चेरमार
60. पुथिरैवण्णान
61. राणीयार
62. सामगार
63. सम्बन
64. सपरी
65. सेम्मन
66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
67. थोटि
68. तिरुवल्लुवर
69. वेल्लन
70. वल्लुवन
71. वननन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
72. [1][***]
73. वेलन
74. वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
75. वेट्टियान
76. वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)।

भाग 17—त्रिपुरा

1. बागदी
2. भुईमाली
3. भुनर
[3][4. चमार, मूची, चमार-रोहिदास, चमार-रविदास]
5. दानदासी
6. धेनुअर
[2][7. धोबा, धोबी]
8. डोम
9. घासी
10. गौर
11. गुर
[2][12. जेलेया कैबर्त, झालो-भालो]
13. कहार
14. कालिन्दी
15. कान
16. कण्दा
17. कनुह
18. केवत
19. खादित
20. खारिया
21. कोच
22. कोयर
23. कोल
24. कोरा
25. कोटाल
26. महिष्यदास
27. माली
28. मेहतर
29. मुसहर
30. नमोशूद्र
31. पाटनी
32. सबर
[3][33. धुली, सब्दकार, बाद्यकार
34. नट्टा, नट ।]

भाग 18—उत्तर प्रदेश

1. अगरिया [4][(सोनभद्र जिले को छोड़कर)]
2. बधिक
3. बादी
4. बहेलिया
5. बगा [4][(सोनभद्र जिले को छोड़कर)]
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बाजगी
9. बलहार
10. बलाई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुष
14. बांसफोड़
15. बरवार
16. बंसोड़
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भंतू
21. भुईया [4][(सोनभद्र जिले को छोड़कर)]
22. भुईयार
23. बोरिया
24. चमार, घुसिया, झुसिया, जाटव

1. 2021 के अधिनियम सं. 18 की धारा 2 द्वारा (15.5.2021 से) लोप किया गया।
2. 2014 के अधिनियम सं0 34 की धारा 2 (घ) द्वारा (17-12-2014 से) प्रविष्टि 4, 7 और 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (17-12-2002 से) प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापि ।
4. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।

25. Chero [1][(excluding Sonbhadra and Varanasi districts)]
26. Dabgar
27. Dhangar
28. Dhanuk
29. Dharkar
30. Dhobi
31. Dom
32. Domar
33. Busadh
34. Gharami
35. Ghasiya
36. Gond [1][(excluding Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur Balia, Gazipur, Varanasi, [2][Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi]
37. Gual
38. Habura
39. Hari
40. Hela
41. Kalabaz
42. Kanjar
43. Kapariya
44. Karwal
45. Khairaha
[3][46. Kharwar [(excluding Benbansi) (excluding Deoria, Balia Gazipur, Varanasi and Sonbhadra districts)]]
47. Khatik
48. Khorot
49. Kol
50. Kori
51. Korwa
52. Lalbegi
53. Majhwar
54. Mazhabi
55. Musahar
56. Nat
57. Pankha [1][(excluding Sonbhadra and Mirzapur districts)]
58. Parahiya [1][(excluding Sonbhadra district)]
59. Pasitarmali
60. Patari [1][(excluding Sonbhadra district)]
61. Rawat
62. Saharya [1][(excluding Lalitpur district)]
63. Sanaurhiya
64. Sansiya
65. Shilpkar
66. Turaiha.

PART XIX—*West Bengal*

1. Bagdi, Duley
2. Bahelia
3. Baiti
4. Bantar
5. Bauri
6. Beldar
7. Bhogta
8. Bhuimali
9. Bhuiya
10. Bind
11. Chamar, Charmakar, Mochi, Muchi, Rabidas, Ruidas, Rishi
12. Chaupal
13. Dabgar
14. Damai (Nepali)
15. Dhoba, Dhobi
16. Doai
17. Dom, Dhangad
18. Dosadh, Dusadh, Dhari, Dharhi
19. Ghasi
20. Gonrhi
21. Halalkhor
[4][22. Hari, Mehtar, Mehtor, Bhangi, Balmiki]
23. Jalia Kaibartta
24. Jhalo Malo, Malo
25. Kadar
26. Kami (Nepali)
27. Kandra
28. Kanjar
29. Kaora
30. Karenga, Koranga
31. Kaur
32. Keot, Keyot
33. Khaira
34. Khatik
35. Koch
36. Konai
37. Konwar
38. Kotal
39. Kurariar
40. Lalbegi
41. Lohar
42. Mahar
43. Mal

1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 3 and the First Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Subs. by Act 20 of 2022, s. 3 and the First Sch. for "Mirzapur and Sonbhadra (w.e.f. 24-12-2022).
3. Sub. by Act 10 of 2003, s. 3 and the First Sch. for entry 46 (w.e.f. 7-1-2003).
4. Subs. by Act 25 of 2002, s. 2, for entry 22 (w.e.f. 24-2-2002).

25. चेरो [1][(सोनभद्र और वाराणसी जिलों को छोड़कर)]
26. दबगर
27. धंगड़
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. घरामी
35. घसिया
36. गोंड [1][(महाराज गंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर [2][मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशी नगर , चंदौली और भदोही)]
37. ग्वाल
38. हबूड़ा
39. हरी
40. हेला
41. कलाबाज
42. कंजर
43. कपड़िया
44. करवल
45. खराहा
[3][46. खरवार [(बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणासी और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)]]
47. खटीक
48. खोरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा [1][(सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों को छोड़कर]
58. परहिया [1][सोनभद्र जिलें को छोड़कर)]
59. पासीतरमाली
60. पटरी [1][(सोनभद्र जिले को छोड़कर)]
61. रावत
62. सहारया [1][(ललितपुर जिले को छोड़कर)]
63. सनोरिया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा ।

भाग 19—पश्चिमी बंगाल

1. बागड़ी, दुले
2. बहेलिया
3. बायती
4. बंतर
5. बौरी
6. बेलदार
7. भोगता
8. भुईमाली
9. भुइया
10. बिन्द
11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रूईदास, ऋषि
12. चौपाल
13. दबगर
14. दामाई (नेपाली)
15. धोबा, धोबी
16. दोयाई
17. डोम, धंगड़
18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही
19. घासी
20. गोनढ़ी
21. हलालखोर
[4][22. हरी, मेहतार, मेहतोर, भंगी, बाल्मीकि]
23. जालिया, कैवर्त
24. झाली मालो, मालो
25. कादर
26. कामी (नेपाली)
27. कांदरा
28. कंजर
29. कावरा
30. करेंगा, कोरंगा
31. कौर
32. केवट, केयोट
33. खैरा
34. खटीक
35. कोच
36. कोनाई
37. कोनवार
38. कोटाल
39. कुरारियर
40. लालबेगी
41. लोहार
42. महार
43. माल

1. 2003 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (7-1-2003 से) अन्त:स्थापित ।
2. 2022 के अधिनियम सं. 20 की धारा 3 ओर पहली अनुसूची द्वारा (24-12-2022 से) ''मिर्जापुर और सोनभद्र'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2003 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (7-1-2003 से) प्रविष्टि 46 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2002 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा (24-2-2002 से) प्रविष्टि 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

44. Mallah
45. Musahar
46. Namasudra
47. Nat
48. Nuniya
49. Paliya
50. Pan, Sawasi
51. Pasi
52. Patni
53. Pod, Poundra
54. Rajbanshi
55. Rajwar
56. Sarki (Nepali)
57. Sunri (excluding Saha)
58. Tiyar
59. Turi.
[1][60. Chain]

[2][PART XX—*Mizoram*

1. Bansphor
2. Bhuinmali or Mali
3. Brittial-Bania or Bania
4. Dhupi or Dhobi
5. Dugla or Dholi
6. Hira
7. Jalkeot
8. Jhalo, Malo or Jhalo-Malo
9. Kaibartta or Jaliya
10. Lalbegi
11. Mahara
12. Mehtar or Bhangi
13. Muchi or Rishi
14. Namasudra
15. Patni
16. Sutradhar.]

[3][PART XXI—*Arunachal Pradesh*

[4] * * * * *

[5][PART XXII—*Goa*

1. Bhangi (Hadi)
2. Chambhar
3. Mahar
4. Mahyavanshi (Vankar)
5. Mang.]

1. Subs. by Act 24 of 2016, s. 2 for entry 60 (w.e.f. 30-6-2016).
2. Ins. by Act 34 of 1986, s. 13 and the First Sch. (w.e.f. 20-2-1987).
3. Ins. by Act 69 of 1986, s. 16 and the First Sch. (w.e.f. 20-2-1987).
4. Omitted by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch. (w.e.f. 17-12-2002).
5. Ins. by Act 18 of 1987, s. 19 and the First Sch. (w.e.f. 30-5-1987).

44. मल्लाह
45. मुसहर
46. नामशूद्र
47. नट
48. नूनिया
49. पलिया
50 पान, सवासी
51. पासी
52. पाटनी
53. पोद, पोन्द्रा
54. राजवंशी
55. राजवार
56. शड़की (नेपाली)
57. सुनरी (साहा को छोड़कर)
58. तियर
59. तूरी
[1][60. चेन ।]

[2][भाग 20—मिजोरम

1. बांसफोर
2. भूइनमाली या माली
3. बृत्तियाल-बनिया या बनिया
4. धूपी या धोबी
5. डूगला या ढोली
6. हिरा
7. जालकेवट
8. झालो, मालो या झालो-मालो
9. कैवर्त या जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर या भंगी
13. मूची या ऋषी
14. नामशूद्र
15. पतनी
16. सूत्रधार ।]

[3][भाग 21—अरुणाचल प्रदेश

[4]* * * * * *

[5][भाग 22—गोवा

1. भंगी (हाडी)
2. चम्भार
3. माहर
4. माइयाबंशी (बन्कर)
5. मांग ।]

1. 2016 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा (30-6-2016 से) प्रविष्टि 60 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 13 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित ।
3. 1986 के अधिनियम सं0 69 की धारा 16 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित ।
4. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा (17-12-2002 से) लोप किया गया ।
5. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंत:स्थापित ।

[1][PART XXIII—*Chhattisgarh*

1. Audhelia
2. Bagri, Bagdi
3. Bahna, Bahana
4. Balahi, Balai
5. Banchada
6. Barahar, Basod
7. Bargunda
8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Bansphor, Basar
9. Bedia
10. Beldar, Sunkar
11. Bhangi, Mehtar, Balmiki, Lalbegi, Dharkar
12. Bhanumati
13. Chadar
14. Chamar, Chamari, Bairwa, Bhambhi, Jatav, Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Ramnami, Satnami, Surjyabanshi, Surjyaramnami, Ahirwar, Chamar, Mangan, Raidas
15. Chidar
16. Chikwa, Chikvi
17. Chitar
18. Dahait, Dahayat, Dahat
19. Dewar
20. Dhanuk
21. Dhed, Dher
22. Dohor
23. Dom, Dumar, Dome, Domar, Doris
24. Ganda, Gandi
[2][25. Ghasi, Ghasia, Sais, Sahis, Sarathi, Soot-Sarathi, Thanwar]
26. Holiya
27. Kanjar
28. Katia, Patharia
29. Khatik
30. Koli, Kori
31. Khangar, Kanera, Mirdha
32. Kuchbandhia
[3][33. Mahar, Mahara, Mahra, Mehar, Mehra]
34. Mang, Mang Garodi, Mang Garudi, Dankhani Mang, Mang Mahasi, Madari, Garudi, Radhe Mang
35. Meghwal
36. Moghia
37. Muskhan
38. Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar
39. Pasi
40. Rujjhar
41. Sansi, Sansia
42. Silawat
43. Zamral]
[4][44. Turi].

[5][PART XXIV—[6][*Uttarakhand*]

1. Agaria
2. Badhik
3. Badi
4. Baheliya
5. Baiga
6. Baiswar
7. Bajaniya
8. Bajgi
9. Balhar
10. Balai
11. Balmiki
12. Bangali
13. Banmanus
14. Bansphor
15. Barwar
16. Basor
17. Bawariya
18. Beldar
19. Beriya
20. Bhantu
21. Bhuiya
22. Bhuyiar
23. Boria
24. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava
25. Chero
26. Dabgar
27. Dhangar
28. Dhanuk
29. Dharkar
30. Dhobi
31. Dom
32. Domar
33. Dusadh
34. Dharmi
35. Dhariya
36. Gond
37. Gwal
38. Habura
39. Hari
40. Hela
41. Kalabaz
42. Kanjar
43. Kapariya
44. Karwal
45. Kharaita
46. Kharwar (excluding Vanwasi)

1. Ins. by Act 28 of 2000, s.19 and the Third Sch. (w.e.f. 1-11-2000).
2. Subs. by Act 24 of 2016 s. 2 for entry 25 (w.e.f. 30-6-2016).
3. Subs. by Act 24 of 2023, s. 2 for entry 33 of Part XXIII (w.e.f. 12-08-2023).
4. Ins. by Act 31 of 2007, s. 2 and the First Sch. (w.e.f. 29-8-2007).
5. Ins. by Act 29 of 2000, s. 24 and the Fifth Sch. (w.e.f. 9-11-2000).
6. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2 for "Uttaranchal" (w.e.f. 20-3-2015).

[1][भाग 23—छत्तीसगढ़

1. औधेलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बेहना, बहाना
4. बलाही, बलाई
5. बांछड़ा
6. बरहार, बसोड़
7. बरगूंडा
8. बसोर, बुरूड़, बंसोर, बंसोड़ी, बांसफोड़, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बाल्मिकी, लालबेगी, धरकर
12. भानुमती
13. चड़ार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यराम नामी, अहिरवार, चमार, मांगन, रैदास
15. चिडार
16. चिकवा, चिकवी
17. चितार
18. दहैत, दहायत, दाहात
19. देवार
20. धानुक
21. ढ़ेड़, ढेर
22. डोहोर
23. डोम, डूमार, डोम, डोमार, डोरिस
24. गांड़ा, गांडी
[2][25. घासी, घसिया, सईस, सहीस, सारथी, सूत-सारथी, थनवार]
26. होलिया
27. कंजर
28. कतिया, पथरिया
29. खटीक
30. कोली, कोरी
31. खांगर, कनेरा, मिर्धा
32. कुचबंधिया
[3][33. महार, माहरा, महरा, मेहार, मेहरा]
34. मांग, मांग गरौड़ी, मांग गारूड़ी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारूड़ी, राधे मांग
35. मेघवाल
36. मोघिया
37. मुसखान
38. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतार
39. पासी
40. रूज्झार
41. सांसी, सांसिया
42. सिलावट
43. झमराल]
[4][44. तुरी।]

[5][भाग 24 – [6][उत्तराखंड]

1. अगरिया
2. बधिक
3. बादी
4. बहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बाजगी
9. बलहर
10. बलाई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुष
14. बांसफोड़
15. बरवार
16. बसोर
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भंतू
21. भूईया
22. भुइयार
23. बोरिया
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव
25. चेरो
26. दबगर
27. घंगड़
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. धरमी
35. धारिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबूड़ा
39. हरी
40. हेला
41. कलाबाज
42. कंजड
43. कपड़िया
44. करवल
45. खरैता
46. खरवार (बनबासी को छोड़कर)

1. 2000 के अधिनियम सं0 28 की धारा 19 और तीसरी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
2. 2016 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा (30-6-2016 से) प्रविष्टि 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2023 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा (12-8-2023 से) भाग-23 की प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2007 के अधिनियम सं0 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) अंत:स्थापित ।
5. 2000 के अधिनियम सं0 29 की धारा 24 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
6. 2015 के अधिनियम सं0 4 की धारा 2 द्वारा (20-3-2015 से) 'उत्तरांचल' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

47. Khatik
48. Kharot
49. Kol
50. Kori
51. Korwa
52. Lalbegi
53. Majhwar
54. Mazhabi
55. Musahar
56. Nat
57. Pankha
58. Parahiya
59. Pasi, Tarmali
60. Patari
61. Sahariya
62. Sanaurhiya
63. Sansiya
64. Shilpkar
65. Turaiha.]

[1][PART XXV—*Telangana*

1. Adi Andhra
2. Adi Dravida
3. Anamuk
4. Aray Mala
5. Arundhatiya
6. Arwa Mala
7. Bariki
8. Bavuri
9. Beda (Budga) Jangam
10. Bindla
11. Byagara, Byagari
12. Chachati
13. Chalavadi
14. Chamar, Mochi, Muchi, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas
15. Chambhar
16. Chandala
17. Dakkal, Dokkalwar
18. Dandasi
19. Dhor
20. Dom, Dombara, Paidi, Pano
21. Ellamalawar, Yellammalawandlu
22. Ghasi, Haddi, Relli, Chanchandi
23. Godari
24. Gosangi
25. Holeya
26. Holeya Dasari
27. Jaggali
28. Jambuvulu
29. Kolupulvandlu, Pambada, Pambanda, Pambala
30. Madasi Kuruva, Madari Kuruva
31. Madiga
32. Madiga Dasu, Mashteen
33. Mahar
34. Mala, Mala Ayawaru
35. Mala Dasari
36. Mala Dasu
37. Mala Hannai
38. Malajangam
39. Mala Masti
40. Mala Sale, Nethani
41. Mala Sanyasi
42. Mang
43. Mang Garodi
44. Manne
45. Mashti
46. Matangi
47. Mehtar
48. Mitha Ayyalvar
49. Mundala
50. Paky, Moti, Thoti
51. Pamidi
52. Panchama, Pariah
53. Relli
54. Samagara
55. Samban
56. Sapru
57. Sindhollu, Chindollu
58. Yatala
59. Valluvan.]

1. Ins. by Act 6 of 2014, s. 28 and the Fifth Sch. (w.e.f. 2-6-2014).

47. खटीक
48. खरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. परहिया
59. पासी, तरमाली
60. पतरी
61. सहरिया
62. सनोरिया
63. सांसिया
64. शिल्पकार
65. तुरैहा ।]

[1][भाग 25 - तेलंगाना

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. अनामुक
4. आरे माल
5. अरुंधतिय
6. अरब माल
7. बारिकी
8. बावुरी
9. बेड (बुडग) जंगम
10. बिंड्ल
11. बैगारा, बैगारी
12. चचाटि
13. चलवादि
14. चमार, मोची, मुचि, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास
15. चम्भार
16. चंडाल
17. डक्कल, डोक्कलवार
18. डंडासि
19. ढोर
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डल
22. घासी, हड्डी, रेल्लि, चचन्डि
23. गोडारी
24. गोसंगी
25. होलया
26. होलया दासारी
27. जग्गलि
28. जाम्बुबुलु
29. कोलुपुलुबाण्डलु, पम्बांडा, पम्बाला
30. मदासि, कुरुवा, मदारी कुरुवा
31. मादिगा
32. मादिगा दासु, माटीन
33. महार
34. माला, माला आयावारु
35. माला दासरि
36. माला दासु
37. माला हन्नाइ
38. माला जंगम
39. माल मस्ति
40. माला साले, नेट्कानि
41. माला सन्यासी
42. मांग
43. मांग गारोडी
44. मन्न
45. मष्टि
46. मातंगि
47. मेहतर
48. मिताअय्यल्वार
49. मुडला
50. पाकि, मोटि, तोटि
51. पामिडी
52. पंचम पेरिया
53. रेल्लि
54. सामगार
55. सम्बन
56. सप्रु
57. सिंधोल्लु, चिंदोल्लु
58. यातला
59. वल्लूवन ।]

1. 2014 के अधिनियम सं0 6 की धारा 28 और पांचवी अनुसूची द्वारा (2-6-2014 से) अंत:स्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) [2][(UNION TERRITORIES)] ORDER 1951

C.O. 32

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, as amended by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Castes) [2][(Union Territories)] Order, 1951.

2. Subject to the provisions of this Order, the castes, races or tribes or parts of, or groups within, castes or tribes, specified in [3][Parts I to III] of the Schedule to this Order shall, in relation to the [2][Union territories] to which those parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Castes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

[4][3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu, [5][the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.]

[6][4. Any reference in this Order to a Union territory in Part I of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory, as from the first day of November, 1956, any reference to a Union territory in Part II of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory as from the first day of November, 1966 and any reference to a Union territory in Part III of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory as from the day appointed under clause (b) of section 2 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987.]

[2][THE SCHEDULE

PART I—*Delhi*

Throughout the Union territory: -

1. Adi-Dharmi
2. Agria
3. Aheria
4. Balai
5. Banjara
6. Bawaria
7. Bazigar
8. Bhangi
9. Bhil
10. Chamar, Chanwar Chamar, Jatava or Jatav Chamar, Mochi, Ramdasia, Ravidasi, Raidasi, Rehgarh or Raigar
11. Chohra (Sweeper)
12. Chuhra (Balmiki)
13. Dhanak or Dhanuk
14. Dhobi
15. Dom
16. Gharranmi
17. Julaha (Weaver)
18. Kabirpanthi
19. Kachhandha
20. Kanjar or Giarah
21. Khatik
22. Koli
23. Lalbegi
24. Madari
25. Mallah
26. Mazhabi
27. Meghwal
28. Naribut

[7][29. Nat (Rana), Badi]

30. Pasi
31. Perna
32. Sansi or Bhedkut
33. Sapera
34. Sikligar
35. Singiwala or Kalbelia
36. Sirkiband.]

---

1. Published with the Ministry of Law, Notifn. No. S.R.O. 1427A, dated the 20th September, 1951, Gazette of India, Extraordinary, 1951, Part II, Section 3, page 1198.
2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.
3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and the First Sch., for "Parts I to IV" (w.e.f. 30-5-1987).
4. Subs. by Act 63 of 1956, s. 3 and the Second Sch. for paragraph 3 (w.e.f. 25-9-1956)
5. Subs. by Act 15 of 1990, s. 3, for "or the Sikh" (w.e.f. 3-6-1990).
6. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and the First Sch., for paragraph 4 (w.e.f. 30-5-1987).
7. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the Second Sch. for entry 29 (w.e.f. 17-12-2002).

[1]संविधान (अनुसूचित जातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951

(सं० आ० 32)

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियां या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के [3][भाग 1 से 3 तक] में विनिर्दिष्ट हैं उन [2][संघ राज्यक्षेत्रों] के सम्बन्ध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहां तक, जहां तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है, जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं, जो उस अनुसूची में उन भागों में क्रमशः उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे ।

[4][3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू [5][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।]

[6][4. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है, अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1966 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है तथा अनुसूची के भाग 3 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

[2][अनुसूची

भाग 1—दिल्ली

सारे संघ राज्यक्षेत्र में--

1. आदि धर्मी
2. अगरिया
3. अहेरिया
4. बलाई
5. बंजारा
6. बावरिया
7. बाजीगर
8. भंगी
9. भील
10. चमार, चंवर, चमार, जटिया या जाटव चमार, मोची, रविदासी, रैदासी, रेहगड़ या रैगड़
11. चोहड़ा (सफाई करने वाले)
12. चूहड़ा (बाल्मीकि)
13. धानक या धानुक
14. धोबी
15. डोम
16. घर्रामी
17. जुलाहा (बुनने वाले)
18. कबीर पंथी
19. कछन्धा
20. कंजर या गियारा
21. खटीक
22. कोली
23. लालबेगी
24. मदारी
25. मल्लाह
26. मजहबी
27. मेघवाल
28. नडीवट

[7][29. नट (राणा), बाडी]

30. पासी
31. पेरना
32. सांसी या भेड़कुट
33. सपेरा
34. सिकलीगर
35. सिंगीवाला या कालबेलिया
36. सिरकीबन्द ।]

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 1427क, तारीख 20 सितम्बर, 1951, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1951, भाग 2, खंड 3, पृ0 1198 पर प्रकाशित।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) "भाग 1 से 4 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं0 63 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा (25-9-1956 से) पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 3 द्वारा "या सिख" के स्थान पर (3-6-1990 से) प्रतिस्थापित ।
6. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा (17-12-2002 से) प्रविष्टि 29 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]* * * * *

[2]* * * * *

[3][[4][PART II].—*Chandigarh*

1. Ad Dharmi
2. Bangali
3. Barar, Burar or Berar
[5][4. Batwal, Barwala]
5. Bauria or Bawaria
6. Bazigar
7. Balmiki, Chura or Bhangi
8. Bhanjra
9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi or Ravidasi
10. Chanal
11. Dagi
12. Darain
13. Dhanak
14. Dhogri, Dhangri or Siggi
15. Dumna, Mahasha or Doom
16. Gagra
17. Gandhila or Gandil Gondola
18. Kabirpanthi or Julaha
19. Khatik
20. Kori or Koli
21. Marija or Marecha
22. Mazhabi
23. Megh
24. Nat
25. Od
26. Pasi
27. Perna
28. Pherera
29. Sanhai
30. Sanhal
31. Sansoi
32. Sansi, Bhedkut or Manesh
33. Sapela
34. Sarera
35. Sikligar
36. Sirkiband.]

[6][PART III.—*Daman and Diu*

Throughout the Union territory: —

1. Bhangi (Hadi)
[5][2. Chambhar, Mochi]
3. Mahar
4. Mahyavanshi (Vankar)
5. Mang.]

[7]* * * * *

1. Part II relating to Himachal Pradesh omitted by Act 53 of 1970, s. 19 and the Second Sch. (w.e.f. 25-1-1971).
2. Parts III and IV relating to Manipur and Tripura respectively omitted by Act 81 of 1971, s. 25(2) and the Third Sch. (w.e.f. 21-1-1972).
3. Added by Act 31 of 1966, s. 27 and the Ninth Sch. (w.e.f. 1-11-1966).
4. Part V re-numbered as Part II by Act 81 of 1971, s. 25(2) and the Third Sch. (w.e.f. 21-1-1972).
5. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the Second Sch. for entry 4 of Part II and entry 2 of Part III (w.e.f. 17-12-2002).
6. Ins. by Act 18 of 1987, s. 19 and the First Sch. (w.e.f. 30-5-1987).
7. Omitted by Act 34 of 1986, s. 13 and the Second Sch. (w.e.f. 20-2-1987).

[1]* * * *

[2]* * * *

[3][[4][भाग 2]—चण्डीगढ़

1. आद धर्मी
2. बंगाली
3. बरड़, बुरड़ या बरड़
[5][4. बटवाल, बरवाला]
5. बौरिया या बावरिया
6. बाजीगर
7. बाल्मीकि, चूहड़ा या भंगी
8. भंजड़ा
9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदास या रविदासी
10. चनाल
11. डागी
12. दड़ें
13. धानक
14. ढ़ोगरी, ढ़ांगरी या सिग्गी
15. डूमना, महाशा या डूम
16. गगड़ा
17. गन्ढीला या गन्दील गोन्ढोला
18. कबीरपंथी या जुलाहा
19. खटीक
20. कोरी या कोली
21. मरीजा या मरेचा
22. मजहबी
23. मेघ
24. नट
25. ओड
26. पासी
27. पेरना
28. फरेरा
29. सनहाई
30. सनहाल
31. संसोई
32. सांसी, भेड़कूट या मनेश
33. सपेला
34. सरेरा
35. सिकलीगर
36. सिरकीबंद ।]

[6][भाग 3—दमण और दीव

समस्त संघ राज्यक्षेत्र में :—

1. भंगी (हाडी)
[5][2. चंभार, मोची]
3. माहर
4. महायावंशी (बन्कर)
5. मांग ।]

[7]* * * *

1. 1970 के अधिनियम सं0 53 की धारा 19 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (25-1-1971 से) हिमाचल प्रदेश की बाबत भाग 2 का लोप किया गया ।
2. 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा की बाबत क्रमश: भाग 3 और भाग 4 का लोप किया गया ।
3. 1966 के अधिनियम सं0 31 की धारा 27 और नवम् अनुसूची द्वारा (1-11-1966 से) अंत:स्थापित ।
4. 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) भाग 5 को भाग 2 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
5. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा (17-12-2002 से) भाग 2 की प्रविष्टि 4 और भाग 3 की प्रविष्टि 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से)
7. 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 13 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) लोप किया गया ।

[1]THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED CASTES ORDER, 1956

C.O. 52

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 19561.

2. The castes specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the State of Jammu and Kashmir:

Provided that no person who professes a religion different from the Hindu [2][, the Sikh or the Buddhist] religion.

THE SCHEDULE

1. Barwala
2. Basith
3. Batwal
[3][4. Chamar or Ramdasia, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas]
[4][5. Valmiki (in the Union territory of Jammu and Kashmir only), Chura, Bhangi, Balmiki, Mehtar]
6. Dhyar
[3][7. Doom or Mahasha, Dumna]
8. Gardi
9. Jolaha
10. Megh or Kabirpanthi
11. Ratal
12. Saryara
13. Watal.

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. S.R.O. 3135A, dated the 22nd December, 1956, Gazette of India, Extraordinary, 1956, Part II, Section 3, page 2686A.
2. Subs. by Act 15 of 1990, s. 6, for "or the Sikh" (w.e.f. 3-6-1990).
3. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the Third Sch. for entries 4, 5 and 7 (w.e.f. 17-12-2002).
4. Subs. by Act 4 of 2024, s. 2 for entry 5, (w.e.f. 12/02/2024).

[1]संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956

(सं0 आ0 52)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियां, संविधान के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी :

परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू [2][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा।

अनुसूची

1. वरवाला
2. वसीठ
3. बटवाल
[3][4. चमार या रामदासिया, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास]
[3][5. वालमीकि (केवल जम्मू-कश्मीर संघ राज्सक्षेत्र में), चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर]
6. ध्यार
[3][7. डोम या महाशा, डुमना]
8. गर्दी
9. जोलाहा
10. मेष या कबीरपंथी
11. रताल
12. सरयारा
13. वाताल ।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 3135क, तारीख 22 दिसम्बर, 1956, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1956, भाग 2, खण्ड 3, पृ0 2686क पर प्रकाशित ।
2. 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 6 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और तीसरी अनुसूची द्वारा (17-12-2002 से) प्रविष्टि 4, 5 और 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 2024 के अधिनियम सं0 4 की धारा 2 द्वारा (12-2-1990 से) प्रविष्टि 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1] [THE CONSTITUTION (DADRA AND NAGAR HAVELI) SCHEDULED CASTES ORDER, 1962

C.O. 64

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

2. The castes, races or tribes, or parts of, or groups within, castes, races or tribes specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli so far as regards members thereof resident in that Union territory:

Provided that no person, who professes religion different from the Hindu [2][, the Sikh or the Buddhist] religion, shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

THE SCHEDULE

1. Bhangi
[3][2. Chamar, Rohit]
3. Mahar
[4][4. Mahayavanshi.]

1 Published with the Ministry of Law Notifn. No. G.S.R. 390, dated the 30th June, 1962, Gazette of India, Extraordinary, 1962, Part II, section 3, page 389.
2. Subs. by Act 15 of 1990, s. 5, for "or the Sikh" (w.e.f. 3-6-1990).
3. Subs. by Act 4 of 2015, s. 3 for entry 2 (w.e.f. 20-3-2015).
4. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the Fourth Sch. (w.e.f. 17-12-2002).

[1]संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962

(सं० आ० 64)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 कहा जा सकेगा ।

2. वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के ग्रुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए, दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, जातियां समझे जाएंगे:
परंतु कोई भी व्यक्ति, जो हिंदू [2][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. भंगी

[3][2. चमार, रोहित ।]

3. माहर

[4][4. माहयावंशी ।]

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि0 390, तारीख 30 जून, 1962, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1962, भाग 2, खंड 3, पृ0 389 पर प्रकाशित ।
2. 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 5 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2015 के अधिनियम सं0 4 की धारा 3 और द्वारा (20-3-2015 से) प्रतिस्थापित ।
4. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 4 द्वारा (17-12-2002 से) प्रतिस्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION [2][(PUDUCHERRY)] SCHEDULED CASTES ORDER, 1964

C.O. 68

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution [2][(Puducherry)] Scheduled Castes Order, 1964.

2. The castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the Union territory of [2]Puducherry so far as regards members thereof resident in that Union territory:

Provided that no person, who professes a religion different from the Hindu [3][,the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

THE SCHEDULE

1. Adi Andhra
2. Adi Dravida
3. Chakkiliyan
4. Jambuvulu
5. Kuravan
6. Madiga
7. Mala, Mala Masti
8. Paky
9. Pallan
10. Parayan, Sambavar
11. Samban
12. Thoti
13. Valluvan
14. Vetan
15. Vettiyan
[4][16. Puthirai Vannan.]

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. G.S.R. 419, dated the 5th March, 1964, Gazette of India, Extraordinary, 1964, Part II, section 3(*i*), page 327.
2. Subs. by Act 17 of 2017, s. 3 for "Pondicherry" (w.e.f. 23-4-2017).
3. Subs. by Act 15 of 1990, s. 6, for "or the Sikh" (w.e.f. 3-6-1990).
4. Ins. by Act 61 of 2002, s. 2 and the Fifth Sch. (w.e.f. 17-12-2002).

संविधान [2][(पुडुचेरी)] अनुसूचित जातियां आदेश, 1964

(सं० आ० 68)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान [2][(पुडुचेरी)] अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 कहा जा सकेगा ।

2. वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के ग्रुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए [2][पुडुचेरी] के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे :

परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू [, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. चक्किलियन
4. जांबुवुलु
5. कुरावन
6. माडिगा
7. माला, मालामस्ति
8. पाकी
9. पल्लन
10. परयान, सांबवर
11. सम्बन
12. थोटी
13. वल्लुवन
14. वेडन
15. वेट्टियन ।
[4][16. पुथीरई वन्नन ।]

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 419, तारीख 5 मार्च, 1964, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1964, भाग 2, खंड 3(i), पृ0 327 पर प्रकाशित ।
2. 2017 के अधिनियम सं0 17 की धारा 3 द्वारा (23-4-2017 से) ''पांडिचेरी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 6 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।4
4. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 5 द्वारा (17-2-2002 से) अंत:स्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION (SIKKIM) SCHEDULED CASTES ORDER, 1978

C.O. 110

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Sikkim, is pleased to make the following order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.

2. The castes, races or tribes, or parts of, or groups within, castes, races or tribes specified in the Scheduled to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the State of Sikkim so far as regards members thereof resident in that State:

Provided that no person, who professes a religion different from the Hindu [2][, the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

THE SCHEDULE

1. Damai (Nepali)

2. Kami (Nepali), Lohar (Nepali)

[3]***

4. Sarki (Nepali).

1. Published with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs Notifn. No. G.S.R. 334 (E), dated the 22nd June, 1978, Gazette of India, Extraordinary, 1978, Part II, section 3 (*i*), page 545 (a).
2. Subs. by Act 15 of 1990, s. 7, for "or the Sikh" (w.e.f. 3-6-1990).
3. Entry 3 omitted by Act 34 of 2014, s. 3 (w.e.f. 17-12-2014).

[1]संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978

(सं० आ० 110)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियां, वंश या जनजातियां या जातियों, वंशों या जनजातियों के भाग या समूहों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबंध में, जहां तक उस राज्य में निवासी उसके सदस्यों का संबंध है, अनुसूचित जाति समझा जाएगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू [2][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. दमाई (नेपाली)
2. कामी (नेपाली), लोहार (नेपाली)
3. [3]***
4. सरकी (नेपाली)।

1. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 334(अ), तारीख 22 जून, 1978, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1978, भाग 2, खंड 3(i), पृ0 545(क) में प्रकाशित ।
2. 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 7 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2014 के अधिनियम सं0 34 की धारा 3 द्वारा (17-12-2014 से) लोप किया गया ।

[1]THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950

C.O. 22

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of the States concerned, is pleased to make the following Order, namely:--

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

2. The Tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in [2][Parts I to [3][XXIII] of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof residents in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

[4][3. Any reference in this Order to State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 1st day of May, 1976.]

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. S.R.O. 510, dated the 6th September, 1950, Gazette of India, Extraordinary, 1950, Part II, section 3, page 597.
2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.
3. The figure 'XVIII' has been successively subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and the Second Sch. (w.e.f. 30.5.87) and Subs. by Act 28 of 2000, s. 20 and the Fourth Sch. (w.e.f. 1-11-2000) and subs. by Act 29 of 2000, s. 25 and the Sixth Sch. (w.e.f. 9-11-2000) and subs by Act No. 30 of 2000, s. 24 and the Sixth. Sch. (w.e.f. 15-11-2000) and again subs. by Act 6 of 2014, s. 29 and the Sixth Sch. to read as above.
4. Subs. by Act 108 of 1976, s. 4 and the Second Sch for paragraph 3 (w.e.f. 27-7-1977).

[1]संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950

(सं० आ० 22)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संपृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के [2][भाग 1 से लेकर भाग [3][23] तक में विनिर्दिष्ट है, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः संबद्ध हैं, वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं ।

[4][3. इस आदेश में किसी राज्य अथवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश हैं ।]

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0 नि0 आ0 510, तारीख 6 सितंबर, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1950, भाग 2, खंड 3, पृ0 597 पर प्रकाशित।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपांतरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. अंक '18' 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) तत्पश्चात् 2000 के अधिनियम सं0 28 की धारा 20 और चौथी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) तथा 2000 के अधिनियम सं0 29 की धारा 25 और छठी अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) तथा 2000 के अधिनियम सं0 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) तत्पश्चात् 2014 के अधिनियम सं0 6 की धारा 29 तथा छठी अनुसूची द्वारा पुनःप्रतिस्थापित हो कर उपरोक्त रूप में आया ।
4. 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][THE SCHEDULE

PART I.—*Andhra Pradesh*

1. Andh [2][,Sadhu Andh]
2. Bagata
3. Bhil
4. Chenchu, [3]***
5. Gadabas [2][Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba]
6. Gond Naikpod, Rajgond [2][Koitur]
7. Goudu (in the Agency tracts)
8. Hill Reddis
9. Jatapus
10. Kammara
11. Kattunayakan
12. Kolam, [4][Kolawar]
13. Konda Dhoras, [2][Kubi]
14. Konda Kapus
15. Kondareddis
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs, [2][Kuvinga]
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, [3]*** Dulia, Holva, [3]*** Sanrona, Sidhopaiko
18. Koya, [4][Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya], Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya
19. Kulia
20. Malis [5]***
21. Manna Dhora
22. Mukha Dhora, Nooka Dhora
23. Nayaks (in the Agency tracts)
24. Pardhan
[7]25. Porja, Bondo Porja, Khond Poria Parangiperja
26. Reddi Dhoras
27. Rona, Rena
28. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Konda Savaras, Khutto Savaras
29. Sugalis, Lambadis [2][Banjara]

[5]***

31. Valmiki (in the [4][Scheduled Areas of Vishakapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram, East Godavari and West Godavari districts)]
32. Yenadis, [2][Chella Yenadi, Kappala Yenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi]
33. Yerukulas, [2][Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula]

[2][34. Nakkala, Kurvikaran

35. Dhulia, Paiko, Putiya (in the districts of Vishakhapatnam and Vijayanagaram)].

PART II.—*Assam*

[6][I. In the autonomous districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills:—]

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes including:--
   (i) Biate, Biete
   (ii) Changsan
   (iii) Chongloi
   (iv) Doungel
   (v) Gamalhou
   (vi) Gangte
   (vii) Guite
   (viii) Hanneng
   (ix) Haokip, Haupit
   (x) Haolai
   (xi) Hengna
   (xii) Hongsung
   (xiii) Harangkhwal, Rangkhol
   (xiv) Jongbe
   (xv) Khawchung
   (xvi) Khawathlang, Khothalong
   (xvii) Khelma
   (xviii) Kholhou
   (xix) Kipgen
   (xx) Kuki
   (xxi) Lengthang
   (xxii) Lhangum
   (xxiii) Lhoujem
   (xxiv) Lhouvun
   (xxv) Lupheng
   (xxvi) Mangjel

---

1. Subs. by Act 108 of 1976, s. 4 and the Second Sch., for the Schedule (w.e.f. 27-7-1977).
2. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
3. Omitted by s. 4 *ibid*.(w.e.f. 7-1-2003).
4. Subs. by s. 4, and the Second Sch. *ibid.*, for certain words. (w.e.f. 7-1-2003).
5. Omitted by Act 6 of 2014, s. 29 and the Sixth Sch. (w.e.f. 1-3-2014).
6. Subs. by Act 47 of 2003, s. 2 (w.e.f. 19-9- 2003).
7. Subs. by Act 7 of 2024, s. for entries 25 and 28 (w.e.f. 15-2-2024).

[1][अनुसूची

भाग 1–आंध्र प्रदेश

1. अन्ध [2][, साधू अन्ध]
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु [3]***
5. गडवा [2][बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा]
6. गोंड, नायकगोड, राजगोंड [2][कोइतूर]
7. गोडू (अभिकरण भूखण्डों में)
8. हिल रेड्डि
9. जातपू
10. कम्मरा
11. कडुनायकन
12. कोलम, [4][कोलावार]
13. कोंड धोरा [2][कुबी]
14. कोंड कापु
15. कोंडारेड्डि
16. कोंध, कोडि, कोदू, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कुट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध [2][कुविंगा]
17. कोटिया, वेंथो ओरिया वारत्तिका, [3]*** डुलिया, होल्बा, [3]***, सन्रोण, सिधापैको
18. कोया, [4][डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया], राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण) कोट्टू कोया, भिणे कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मालि [5]***
21. मन्ना दोरा
22. मुम्बा दोरा, नूका दोरा
23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. परधाण

[7][25. पुर्जा, बोंडो पुर्जा, खोंड पुर्जा, पेरंगीपेर्जा]

26. रेड्डि दोरा
27. रोणा, रेणा

[7][28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, खुट्टा सवार

29. सुगाली, लम्बाडी [2][बंजारा]

[5]***

31. वाल्मिकी [4][विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्व गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्र]
32. येनादि [2][चेला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी]
33. येरूकुला [2][, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कांचीपुरी येरूकुला, उप्पू येरूकुला]

[2][34. नकाला, कुरविकरन,

35. धुलिया पैको, पुटिया (विशाखापट्नम तथा विजयनगरम जिलों में)] ।

भाग 2—असम

[6][I. कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिलों में:--]

1. चाक्मा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. ह्मार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई लिंगनागम
7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी जनजातियां :--
   (i) बियाते, बियते
   (ii) चांगसान
   (iii) चंगलोई
   (iv) दौंगेल
   (v) गमल्हो
   (vi) गांगटे
   (vii) गुइते
   (viii) हान्नेग
   (ix) होकिप, होपित
   (x) होलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) होंगसंध
   (xiii) हारंगरख्वाल, रांगखल
   (xiv) जोंगबे
   (xv) खोचुंग
   (xvi) ख्वागलांग, खोथालंग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किप्पोन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेथांग
   (xxii) ल्हांगुम
   (xxiii) ल्हूजेम
   (xxiv) लहाबुन
   (xxv) लुफैंग
   (xxvi) मांजेल

1. 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
3. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) लोप किया गया ।
4. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 2014 के अधिनियम सं0 6 की धारा 29 और छठी अनुसूची द्वारा (1-3-2014 से) लोप किया गया ।
6. 2003 के अधिनियम सं0 47 की धारा 2 द्वारा (19-9-2003 से) प्रतिस्थापित ।
7. 2024 के अधिनियम सं0 7 की धारा 2 द्वारा (15-2-2024 से) प्रविष्टि 25 और 28 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(xxvii) Misao
(xxviii) Riang
(xxix) Sairhem
(xxx) Selnam
(xxxi) Singson
(xxxii) Sitlhou
(xxxiii) Sukte
(xxxiv) Thado
(xxxv) Thangngeu
(xxxvi) Uibuh
(xxxvii) Vaiphei
8. Lakher
9. Man (Tai speaking)
10. Any Mizo (Lushai) tribes
11. [1][Karbi]
12. Any Naga tribes
13. Pawi
14. Syntheng.
[2][15. Lalung].

[3][II. In the State of Assam including the Bodoland Territorial Areas District and excluding the autonomous districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills]:--

1. Barmans in Cachar
2. Boro, Borokachari
3. Deori
4. Hojai
5. Kachari, Sonowal
6. Lalung
7. Mech
8. Miri
9. Rabha
[2][10. Dimasa
11. Hajong
12. Singhpho
13. Khampti
14. Garo].

PART III.-*Bihar*

1. Asur, [2][Agaria]
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedia
[4]***
[5][6.] Bijhia
[5][7.] Birhor
[5][8.] Birjia
[5][9.] Chero
[5][10.] Chik Baraik
[5][11.] Gond
[5][12.] Gorait
[5][13.] Ho
[5][14.] Karmali
[5]15.] Kharia
[5][16.] Kharwar [2][Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia]
[5][17.].Khond
[5][18.] Kisan
[5][19.] Kora [2][Nagesia]
[5][20.] Korwa [5][Mudi-kora]
[6][[5][21.] Lohara, Lohra]
[5][22.] Mahli
[5][23.] Mal Paharia
[5][24.] Munda [2][Kumarbhag Paharia]
[5][25.] Oraon [2][Patar]
[5][26.] Parhaiya [2][Dhangar Oraon]
[5][27.] Santal
[5][28.] Sauria Paharia
[5][29.] Savar.
[2][31. Kawar
32. Kol
33. Tharu.]

1. Subs. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Ins. by s. 4 and the Second Sch. *ibid*. (w.e.f. 7-1-2003).
3. Subs. by Act 47 of 2003, s. 2 (w.e.f. 19-10-2003).
4. Omitted by Act 30 of 2000, s. 24 and the Sixth Sch. (w.e.f. 15-11-2000).
5. Item Nos. 7 to 30 renumbered as item Nos. 6 to 29 by s. 24 and the Sixth Sch., *ibid*. (w.e.f. 15-11-2000).
6. Subs. by Act 48 of 2006, s. 2 for entry 21 (w.e.f. 12-12-2006).

(xxvii) मिसाऊ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सैरहम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिगसन
(xxxii) सतल्हो
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) याडो
(xxxv) थांगज्यू
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) व्हाइफे
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाली)
10. कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. [1][करबी]
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग ।
[2][15. लालुंग] ।

[3][II. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला सहित और कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिलों को छोड़कर, असम राज्य में]:—

1. कछार में बर्मन
2. बड़ो, बड़ो कछारी
3. ड्योरी
4. होजाई
5. किछारी, सोनबाल
6. लालुग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
[2][10. डीमासा
11. हाजोंग
12. सिंघफो
13. खाम्पति
14. गारो ।]

भाग 3-बिहार

1. असुर [2][, अगरिया]
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
[4]* * *
[5][6.] बिजिया
[5][7.] बिरहोर
[5][8.] विरजिया
[5][9.] चेरो
[5][10.] चिक बराइक
[5][11.] गोंड
[5][12.] गोराइत
[5][13.] हो
[5][14.] करमाली
[5][15.] खरिया [2][ढेलकी खडिया, दुध खरिया, हिल खरिया]
[5][16.] खरवार
[5][17.] खोंड
[5][18.] किसान
[5][19.] कोरा [2][नागेसिया]
[5][20.] कोरवा [2][मुडी-कोरा]
[6][[5][21.] लोहारा, लोहरा]
[5][22.] माहली
[5][23.] माल पहरिया
[5][24.] मुन्डा 2[कुमारभाग पहारिया]
[5][25.] उरांव 2[पातार]
[5][26.] परहया 2[धांगड़ (ओरांव)]
[5][27.] संथाल
[5][28.] सोरिया पहाड़िया
[5][29.] सावर
[2][31. कवार
32. कोल
33. थारू ।]

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रतिस्थापित ।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
3. 2003 के अधिनियम सं0 47 की धारा 2 द्वारा (19-10-2003 से) प्रतिस्थापित ।
4. 2000 के अधिनियम सं0 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) लोप किया गया ।
5. 2000 के अधिनियम सं0 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) मद सं0 6 से 29 को मद संख्या 7 से 30 के रूप में पुन:संख्याकित किया गया ।
6. 2006 के अधिनियम सं0 48 की धारा 2 द्वारा (12-12-2006 से) प्रविष्टि 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

PART IV.—*Gujarat*

1. Barda
2. Bavacha, Bamcha
3. Bharwad (in the Nesses of the forest of Alech, Barada and Gir)
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
5. Charan (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
6. Chaudhri (in Surat and Valsad districts)
7. Chodhara
8. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
9. Dhodia [1][Dhodi]
10. Dubla, Talavia, Halpati
11. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
12. Gond, Rajgond
13. Kathodi, Katkari Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
14. Kokna, Kokni, Kukna

[2]***

16. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
17. Kunbi (in the Dangs district)
18. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
19. Padhar

[2]***

21. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi (excluding Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Kutch, Rajkot and Surendranagar districts)
22. Patelia
23. Pomla
24. Rabari (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
25. Rathawa
26. Siddi, [1][Siddi-Badshan] (in Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Rajkot and Surendranagar districts)

[2]***

28. Varli
29. Vitolia, Kotwalia, Barodia

[3][30. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
31. Tadvi Bhil, Bawra, Vasave
32. Padvi].

PART V.—*Himachal Pradesh*

1. Bhot, Bodh
2. Gaddi [2]***
3. Gujjar [2]***
4. Jad, Lamba, Khampa
5. Kanaura, Kinnara
6. Lahaula
7. Pangwala
8. Swangla

[1][9. Beta, Beda
10. Domba, Gara, Zoba.]

[4][11. Hattee of trans Giri area of Sirmour district.]

1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4, and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Omitted by s. 4 and the Second Sch. *ibid.* (w.e.f. 7-1-2003).
3. Ins. by Act 32 of 2002, s. 3 (w.e.f. 3-6-2002).
4. Ins. by Act. 14 of 2023, s.2 (w.e.f. 04-08-202).

भाग 4-गुजरात

1. वर्डा
2. बावचा, बामचा
3. भरवाढ़ (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में)
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डूंगरी भील,डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडबी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, बसावा, बसावे ।
5. चारण (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जगंलों के नेसों में)
6. चौधरी (सूरत और वलसाड़ जिलों में)
7. चौधरा
8. धनक, तडबी, तेतारिया, वलवी
9. धोडिया [1][ढोडी]
10. दुबला, तलाविया, हलपति
11.गमित, गम्ता, गविट, मची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी
14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा
[2]* * *
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
17. कुण्बी (डांग्स जिले में)
18. नायकडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
19. पाधर
[2]* * *
21. पर्धी, अडविचिन्चेर, फांनसे पर्धी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़,कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में)
25. राथवा
26. सिद्दी [1][, सिद्दी बादशान] (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
[2] * * *
28. वारली
29. विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया ।
[3][30. भील, भिलाला, बरेला पटेलिया
31. तदवी भील, बावरा, वसावे
32. पडवि] ।

भाग 5-हिमाचल प्रदेश

1. भोट, बोढ़
2. गद्दी [2]* * *
3. गुज्जर [2]* * *
4. जाद, लाम्बा, खम्पा
5. कनौरा, किन्नारा
6. लाहौला
7. पंगवाला
8. स्वांगला ।
[1][9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा ।]
[4][11. सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र का हाटी।]

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) लोप किया गया ।
3. 2002 के अधिनियम सं0 32 की धारा 3 द्वारा (3-6-2002 से) अंत:स्थापित ।
4. 2023 के अधिनियम सं0 14 की धारा 2 द्वारा (4-8-2023 से) अंत:स्थापित ।

PART VI.—*Karnataka*

1. Adiyan
2. Barda
3. Bavacha, Bamcha
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi
   Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
5. Chenchu, Chenchwar
6. Chodhara
7. Dubla, Talavia, Halpati
8. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi, Valvi
9. Gond, Naikpod, Rajgond
10. Gowdalu
11. Hakkipikki
12. Hasalaru
13. Irular
14. Iruliga
15. Jenu Kuruba
16. [1][Kadu Kuruba, Betta-Kuruba]
17. Kammara (in South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district)
18. Kanivan, Kanyan (in Kollegal taluk of Mysore district)
19. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
20. Kattunayakan
21. Kokna, Kokni, Kukna
22. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
23. Konda Kapus
24. Koraga
25. Kota
26. Koya, Bhine Koya, Rajkova
27. Kudiya, Melakudi
28. Kuruba (in Coorg district)
29. Kurumanas
30. Maha Malasar
31. Malaikudi
32. Malasar
33. Malayekandi
34. Maleru
35. Maratha (in Coorg District)
36. Marati (in South Kanara district)
37. Meda, [2][Medara,] [3][Medari, Gauriga, Burud]
38. [4][Naikda, Nayaka, (including Parivara and Talawara)], Chollivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka, [5][Naik, Nayak, Beda Bedar and Valmiki]
39. Palliyan
40. Paniyan
41. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi [2][Haranshikari]
42. Petelia
43. Rathawa
44. Sholaga
45. Soligaru
46. Toda
47. Varli
48. Vitolia, Kotwalia, Barodia
49. Yerava

[3][50. Siddi [6][(in Belagavi, Dharwad and Uttar Kannada districts.]

1. Subs. by Act 2 of 2023, s. 2 for entry 16 (w.e.f. 2-1-2023).
2. Ins. by Act 24 of 2012, s.2 (w.e.f. 31-5-2012).
3. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
4. Subs. by Act 4 of 2020, s.2 for "Naikda Nayaka" (w.e.f. 19-3-2020).
5. Ins. by Act 39 of 1991, s. 2 (w.e.f. 19-4-1991).
6. Subs. by Act 4 of 2020 s. 2 for "in Uttar Kannada district" (w.e.f. 19-3-2020).

भाग 6-कर्नाटक

1. अदियन
2. बर्डा
3. बवचा, बम्चा
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पवरा, वासव, वासवे
5. चेचू, चेंचवार
6. चोधारा
7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि, पदवी, वाल्वी
9. गोंड, नायकपोंड, राजगोंड
10. गोडलू
11. हक्कीपिक्की
12. हासालारू
13. इरूलर
14. इरूलिगा
15. जेनु कुरूबा
[1]16. [काडू कुरूबा, बैट्ट-कुरुबा]
17. कम्मार (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले कोल्लेगाल तालुक में)
19. काथोडी काटकारी, ढोर कथोडी, ढोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20. काट्टूनायकन
21. कोकण, कोकणी,कुक्कणा
22. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
23. कोंडा कापूस
24. कोरग
25. कोटा
26. कोया, भिने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलकुडी
28. कुरूब (कुर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मालासार
31. मलाई कुड़ी
32. मालासार
33. मालायेकान्डी
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराठी (दक्षिण कनारा जिले में)
37. मेडा, [2][मेदार] [3][मेडारी, गोरिगा, बुरुद]
38. [4][नायकडा, नायक, (जिसके अंतर्गत यरिवारा और जलवारा भी है] चौलीवाला नायक, कपाडिया नायक,मोटा नायक, नाना नायक [नाईक, नायक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि]
39. पल्लियान
40. पानियान
41. पार्धी, अडविचिंचेर, फनसे पार्धी [2][हरानशिकारी]
42. पटेलिया
43. राथावा
44. शोलगा
45. सोलीगारू
46. तोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया, वारोडिया
49. यरावा ।
[3][50. सिद्दी] [6][(बेलगवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)।]

1. 2023 के अधिनियम सं. 2 की धारा 2 द्वारा (2-1-2023 से) प्रविष्टि 16 के स्थान पर प्रतिस्थपित।
2. 2012 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा (31-5-2012 से) अंत:स्थापित ।
3. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
4. 2020 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 के द्वारा (19-3-2020 से) ''नायकडा, नायक'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1991 के अधिनियम सं0 39 की धारा 2 द्वारा (19-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
6. 2020 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 द्वारा (19-3-2020 से) ''उत्तर कन्नड़ जिले मे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

PART VII.—*Kerala*

1. Adiyan
2. Arandan [1][Aranadan]
3. Eravallan
4. Hill Pulaya [1][Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, Karavazhi Pulayan, Pamba Pulayan]
5. Irular, Irulan
6. Kadar [1][Wayanad Kadar]

[2]***

8. Kanikaran, Kanikkar
9. Kattunayakan
10. [3][Kochuvelan]

[2]***

13. Koraga

[2]***

15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan [1][Kurichiyan]
17. Kurumans [1][Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala Kuruman]
18. Kurumbas [1][Kurumbar Kurumban]
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan [1][Mala Arayan]
21. Malai Pandaram
22. Malai Vedan [1][Malavedan]
23. Malakkuravan
24. Malasar

[3][25. Malayan , Nattu Malayan, Konga Malayan (excluding the areas comprising the Kasargode, Connanore, Wayand and Kozhikode districts)]

26. Malayarayar
27. Mannan [1][to be spelt in Malayalam script in parenthesis]

[4][28. Marati (of the Hosdurg and Kasargod Taluks of Kasaragod District)]

29. Muthuvan, Mudugar, Muduvan
30. [3][Palleyan, Palliyan, Palliyar Paliyan]
33. Paniyan
34. Ulladan [1][Ullatan]
35. Uraly

[1][36. Mala Vettuvan (in Kasargode and Kannur districts)

37. Ten Kurumban, Jenu Kurumban
38. Thachanadan, Thachanadan Moopan
39. Cholanaickan
40. Mavilan
41. Karimpalan
42. Vetta Kuruman
43. Mala Panickar.]

1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Entries 7, 11, 12, 14 and 28 omitted by s. 4 and the Second Sch. *ibid.* (w.e.f. 7-1-2003).
3. Subs. by s. 4 and the Second Sch. for entries 30, 31 and 32 *ibid.* (w.e.f. 7-1-2003).
4. Ins. by Act 24 of 2013, s. 2 (w.e.f. 18-9-2013).

भाग 7-केरल

1. आडियन
2. अरांडन [1][, अरांन]
3. अरावालन्
4. हिल पुलया [1][माला पुलयान, कुरूम्बा पुलयान, कारावाजी पुलयान, पम्बा पुलयान]
5. इरूलर, इरूलन
6. कादर [1][वयानाद कादर]
[2]* * *
8. कणिक्कारण् काणिक्कर
9. काटटुनायकन्
10. [3][कोचुवेलान]
[2] * * *
13. कोरग
[2]* * *
15. कुडिया,मेलाकुडी
16. कुरिच्चियन [1][कुरिचियान]
17. कुरूमन [1][मुल्लु कुरूमुन, मुल्ला कुरूमन, माला कुरूमन]
18. कुरूम्बा [1][कुरूम्बर, कुरूम्बन]
19. महामालासार
20. मलैअरयन [1][, माला अरयन]
21. मलय पड़ारम्
22. मलवेडन [1][, माला वेडन]
23. मलकुर्बन
24. मालासार
[3][25. मलयन, नट्टू मलयन, कोंगा मलयन, (कासरगौडे, कन्नोर, वयानाद और कोजीकोडे जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर)]
26. मलयय्यर
27. मनान [1][(कोष्ठक में मलयालम लिपि में लिखा जाए)]
[4][[2][28. माराटि (कासरगोड जिले के होसदुर्ग और कासरगोड तालुक)]]
29. मुतुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. [3][पल्लेयान, पल्लियान, पल्लियार, पालियान]
33. पाणियन
34. उल्लाडन [1][, उल्लातान]
35 उरालि
[1][36. माला वेटुवन (कासरगौडे और कन्नूर जिलों में)
37. तेन कुरूम्बन, जेनु कुरूम्बन
38. थाचानाडन, थाचानाडन मूपन
39. चोलानाइकन
40. माविलन
41. करीमपालन
42. वेट्टा कुरूमन
43. माला पनिकर ।]

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रविष्टि 7, 11, 12, 14 और 28 का लोप किया गया ।
3. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रतिस्थापित ।
4. 2013 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 30, 31 और 32 के स्थान पर (18-9-2013 से) अंत:स्थापित ।

[1][PART VIII.-*Madhya Pradesh*

1. Agariya
2. Andh
3. Baiga
4. Bhaina
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando
6. Bhattra
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
8. Bhil Mina
9. Bhunjia
10. Biar, Biyar
11. Binjhwar
12. Birhul, Birhor
13. Damor, Damaria
14. Dhanwar
15. Gadaba, Gadba
16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Rajgond, Sonjhari, Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi
17. Halba, Halbi
18. Kamar
19. Karku
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri

[2]***

22. Khairwar, Kondar
23. Kharia
24. Kondh Khond, Khand
25. Kol
26. Kolam
27. Kokru, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul Bondhi, Bondeya
28. Korwa, Kodaku
29. Majhi
30. Majhwar
31. Mawasi

[2]***

33. Munda
34. Nagesia, Nagasia
35. Oraon, Dhanka, Dhangad
36. Panika (in (i) Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Umaria Sidhi and Tikamgarh districts (ii) Sevda and Datia tehsils of Datia district)
37. Pao
38. Pardhan, Pathari, Saroti

[2]***

40. Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [in (1) Bastar, Chhindwara, Mandla, Raigarh, Seoni and surguja districts, (2) Baihar tahsil of Balaghat district, (3) Betul and Bhainsdehi tehsils of Betul district, (4) Bilaspur and Katghora tahsils of Bilaspur district, (5) Durg and Balod tahsils of Durg district, (6) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspectors' Circles of Rajnandgaon district, (7) Murwara, Patan and Sihora tahsils of Jabalpur district, (8) Hoshangabad and Sohagpur tahsils of Hoshangabad district and Narsimhapur district, (9) Harsud tahsil of Khandwa district, (10) Bindra Nawagarh Dhamtari and Mahasamund tahsils of Raipur district]
41. Parja
42. Saharya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor
43. Saonta, Saunta
44. Saur
45. Sawar, Sawara
46. Sonr.]

1. Subs. by Act 28 of 2000, s. 20 and the Fourth Sch., for Part VIII (w.e.f. 1-11-2000).
2. Entries 21, 32 and 39 omitted by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).

[1[भाग 8—मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. आंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिआ, भूईहार, भूमियां, भूमिआ, भारियाड पालिहा, पांडो
6. भतरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील, मीना
9. भनजिया
10. बिआर, बीआर
11. बिझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. दमोर, दामरिया
14. धनवार
15. गडाबा,गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बिसोनहार्न मारिया, छोट मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल, मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई
17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री

[2]* * *

22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बौंडया
28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी

[2]* * *

33. मुंडा
34. नगेसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. पनिका [(i) (छतरपुर पन्ना, रीवीं, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी और टीकमगढ जिलों में और (ii) दतिया जिले की सेंवढ़ा और दतिया तहसीलों में]
37. पाव
38. परधान,पथारी, सरौती

[2]* * *

40. पारधी; बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस, पारधी, शिकारी, टकनकर टाकिया [(1) बस्तर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिवनी और सरगुजा जिलों में, (2) बालाघाट जिले की बेरह तहसील में, (3) बैतूल जिले के बैतूल और भैंसदेही तहसीलों में, (4) बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में, (5) दुर्ग जिले की दुर्ग और बलोड तहसीलों में, (6) राजनन्द गांव जिले के चौकी मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षकों के क्षेत्रों में, (7) जबलपुर जिले के मुरवारा, पाटन और सिहोर तहसीलों में, (8) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में, (9) खंडवा जिले की हरसुद तहसील में, (10) रायपुर जिले की बिंद्रा नवगढ़, धमतरी और महासमुन्द तहसीलों में]
41. परजा
42. सहारिया, सहारिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर
43. साओंता, सौंता
44. सौर

1. 2000 के अधिनियम सं0 28 की धारा 20 और चौथी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) भाग 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रविष्टि 21, 32 और 39 का लोप किया गया ।

PART IX.—*Maharashtra*

1. Andh
2. Baiga
3. Barda
4. Bavacha, Bamcha,
5. Bhaina
6. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Pando
7. Bhattra
8. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala Pawara, Vasava, Vasave
9. Bhunjia
10. Binjhwar
11. Birhul, Birhor

[1]***

13. Dhanka, Tadvi, Tetaria Valvi
14. Dhanwar
15. Dhodia
16. Dubla, Talavia, Halpati
17. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
18. [2][Gond Rajgond] Arakh, Arrakh, Agaria Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki; Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria
19. Halba, Halbi
20. Kamar
21. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari Son Kathodi, Son Katkari
22. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
23. Khairwar
24. Kharia
25. Kokna, Kokni, Kukna
26. Kol
33. Koya, Bhine Koya, Rajkoya
34. Nagesia, Nagasia
35. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
36. Oraon, Dhangad
37. Pardhan, Pathari, Saroti
38. Pardhi, Advichincher, Phans Pardhi Phanse Pardhi, Langoli Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takankar, Takia
39. Parja
40. Patelia
41. Pomla
42. Rathawa
43. Sawar, Sawara
44. Thakur, Thakar, Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar

[1]***

46. Varli
47. Vitolia, Kotwalia, Barodia.

1. Entries 12 and 45 omitted by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Subs. by s. 4 and the Second Sch. *ibid.* (w.e.f. 7-1-2003).

45. सवर, सवरा

46. सोंर ।]

भाग 9—महाराष्ट्र

1. अन्ध
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामचा
5. भैना
6. भारिआ भूमिआ भुईहार, भूमिआ, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मवासी भील,रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भुंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर

[1]* * *

13. धाणका, तडवी, तेतारिया वलवी
14. धनवार
15. घोडिया
16. दुबला, तलानिया, हलपति
17. गामित, गामता, गावित, मावचि, पडवि
18. [2][गोंड, राजगोंड] अरख, आरखा, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, विसहार्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामि मारिया, धुरू, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, औझा, राज, सोन्झारी झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-मारिया, वडेमारिया
19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन काथोडी, सोन कातकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनरवर, छत्री
23. खरवार
24. खड़िया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलाम, मन्नेवरलु
28. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
29 कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कौंध, खौंड, कांध
32. कोरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोडेया
33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेसिया,नागसिया
35. नायकडा,नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. औरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचंचेर, फंस पारधी, फंसे पारधी लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चित्तापारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया
39. परजा
40. पटेरलिया
41. पामेला
42. राथवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-ठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकार

[1]* * *

46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बरोडिया।

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रविष्टि 12 और 45 का लोप किया गया ।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रतिस्थापित ।

PART X.— *Manipur*

1. Aimol
2. Anal
3. Angami
4. Chiru
5. Chothe
6. Gangte
7. Hmar
[1][8. Kabui, Inpui, Rongmei]
[1][9. Kacha Naga, Liangmai, Zeme]
[1][10. Koirao, Thangal]
[1]1. Koireng
12. Kom
13. Lamgang
14. Mao
15. Maram
16. Maring
17. Any Mizo (Lushai) tribes
18. Monsang
19. Moyon
20. Paite
21. Purum
22. Ralte
23. Sema
24. Simte
25. Suhte
26. Tangkhul
27. Thadou
[2][28. Vaiphei]
29. Zou.
[3][30. Poumai Naga
31. Tarao
32. Kharam
33. Any Kuki tribes]
[4][34. Mate]

PART XI.—*Meghalaya*

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki Tribes including:
   (*i*) Biate, Biete
   (*ii*) Changsan
   (*iii*) Chongloi
   (*iv*) Doungel
   (*v*) Gamalhou
   (*vi*) Gangte
   (*vii*) Guite
   (*viii*) Hanneng
   (*ix*) Haokip, Haupit
   (*x*) Haolai
   (*xi*) Hengna
   (*xii*) Hongsungh
   (*xiii*) Hrangkhwal, Rangkhol
   (*xiv*) Jongbe
   (*xv*) Khawchung
   (*xvi*) Khawathilang, Khothalong
   (*xvii*) Khelma
   (*xviii*) Kholhou
   (*xix*) Kipgen
   (*xx*) Kuki
   (*xxi*) Lengthang
   (*xxii*) Lhangum
   (*xxiii*) Lhoujem
   (*xxiv*) Lhouvun
   (*xxv*) Lupheng
   (*xxvi*) Mangjel
   (*xxvii*) Misao
   (*xxviii*) Riang
   (*xxix*) Sairhem
   (*xxx*) Selnam
   (*xxxi*) Singson
   (*xxxii*) Sitlhou
   (*xxxiii*) Sukte
   (*xxxiv*) Thado
   (*xxxv*) Thangngeu
   (*xxxvi*) Uibuh
   (*xxxvii*) Vaiphei
8. Lakher
9. Man (Tai speaking)
10. Any Mizo (Lushai) Tribes
11. Mikir
12. Any Naga tribes
13. Pawi
14. Synteng
[5][15. Boro Kacharis
16. Koch
17. Raba, Rava].

1. Subs. by Act 2 of 2012, s. 2, for entries 8, 9 and 10 (w.e.f. 8-1-2012).
2. Subs. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. for entry 28 (w.e.f. 7-1-2003).
3. Ins. by s. 4 and the Second Sch. *ibid*. (w.e.f. 7-1-2003).
4. Ins. by Act 2 of 2012, s. 2 (w.e.f. 8-1-2012).
5. Ins. by Act 43 of 1987, s. 2 (w.e.f. 19-9-1987).

भाग 10—मणिपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरू
5. चौथे
6. गगते
7. हमार
[1][8. काबुई, इनपुई, रोंगमेई]
[1][9. कच्चा नागा, लियांगमई, जेमे]
[1][10. कोईराओ, थंगल]
11. कोयरेंग
12. कोम
13. लैमगैम
14. माओ
15. मराम
16. मैरिंग
17. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां
18. मोन्सैग
19. मायोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सेमा
24. सिम्टे
25. सूहटे
26. तेंगखुल
27. थाडो
[2][28. व्हाइफै]
29. जाओ
[3][30. पउमेइ नागा
31. तराओ
32. खरम
33. कोई कुकी जनजाति]
[4][34. मेट ।]

भाग 11— मेघालय

1. चाकमा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी, जैन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगाम
7. कोई कुकी जनजातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:--
   (i) बियान, बियेन
   (ii) चंगसान
   (iii) चंगलोई
   (iv) दौंगाल
   (v) गमल्हो
   (vi) गंगते
   (vii) गुइते
   (viii) हैन्नंग
   (ix) होकिप,हैपित
   (x) हौलाई
   (xi) हैंगना
   (xii) होंगसुंघ
   (xiii) ह्रांग्खोवाल, रंग्खोल
   (xiv) जंग्वे
   (xv) ख्वोचंग
   (xvi) ख्वोत्लंग, खातालग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हु
   (xix) किपगेन
   (xx) कूकी
   (xxi) लेथांग
   (xxii) लांगम
   (xxiii) ल्हाजम
   (xxiv) ल्हूबून
   (xxv) लुफेंग
   (xxvi) मांजले
   (xxvii) मिसाऊ
   (xxviii) रियांग
   (xxix) सैरहैम
   (xxx) सैलनाम
   (xxxi) सिंगूसन
   (xxxii) सितल्हो
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थारो
   (xxxv) थांग्न्यू
   (xxxvi) उइबू
   (xxxvii) व्हाइफे
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाली)
10. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां
11. मिकिर
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग
[5][15. बोरी कचरिस
16. कोच
17. राबा, रावा] ।

---

1. 2012 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा (8-1-2012 से) प्रविष्टि 8, 9 और 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रविष्ट 28 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
4. 2012 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा (8-1-2012 से) अंत:स्थापित ।
5. 1987 के अधिनियम सं0 43 की धारा 2 द्वारा (19-9-1987 से) अन्त:स्थापित ।

PART XII.—[2]*Odisha*

1. Bagata [1][Bhakta]
2. Baiga
3. Banjara Banjari
4. Bathudi [1][Bathuri]
5. Bhottada, Dhotada [1][Bhotra, Bhatra, Bhattara, Bhotora, Bhatara]

[2]["6. Bhuiya Bhuyan, Pauri Bhuyan, Paudi Bhuyan."]

7. Bhumia
8. Bhumij [1][Teli Bhumij, Haladipokhria Bhumij, Haladi Pokharia Bhumija, Desi Bhumij, Desia Bhumij, Tamaria Bhumij] [3]["Tamodia Bhumij, Tamudia Bhumij, Tamundia Bhumij, Tamulia Bhumij, Tamadia Bhumij, Tamadia, Tamaria, Tamudia"]

[2]["9. Bhunjia, Chuktia Bhunjia]"

10. Binjhal [1][, Binjhwar]
11. Binjhia, Binjhoa
12. Birhor
13. Bondo Poraja [1][Bonda Paroja, Banda Paroja] [3]["Banda Oaraham Bonda Paraja, Bondo, Bonda, Banda"]
14. Chenchu
15. Dal
16. Desua Bhumji

[2]["17. Dharua Dhuruba, Dhurva, Durva, Dhurua, Dhurava"]

18. Didayi [1][Didai Paroja, Didai]
19. Gadaba, [1][Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kapu Gadaba, Ollara Gadaba, Parenga Gadaba, Sano Gadaba]
20. Gandia
21. Ghara
22. Gond, Gondo 1[Rajgond, Maria Gond, Dhur Gond]
23. Ho
24. Holva
25. Jatapu
26. Juang
27. Kandha Gauda
28. Kawar [1][Kanwar] [3]["Kaur, Kunwar, Kaonr, Kuanr, Konwar, Kunanar, Kaanr, Koanr, Kuanwar"]
29. Kharia, Kharian 1[Berga Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Erenga Kharia, Munda Kharia, Oraon Kharia, Khadia, Pahari Kharia]
30. Kharwar

[2]["31. Khond, Kond, Kandha, Kandha Kumbhar, Nanguli Kandha, Sitha Kandha Kondh, Kui, Kui (Kandha), Buda Kondh, Bura Kandha, Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, Pengo Kandha, Raja Kondh, Raj Khond"]

32. Kisan [1][Nagesar, Nagesia]
33. Kol
34. Kolah Loharas, Kol Loharas
35. Kolha
36. Koli, Malhar
37. Kondadora
38. Kora 1[Khaira, Khayara]
39. Korua
40. Kotia
41. Koya [1][Gumba Koya, Koitur Koya, Kamar Koya, Musara Koya]
42. Kulis
43. Lodha [1][Nodh, Nodha, Lodh]
44. Madia
45. Mahali
46. Mankidi
47. Mankirdia [1][Mankria, Mankidi] [3]["Mankidia"]
48. Matya [1][Matia]
49. Mirdhas 1[Kuda, Koda]
50. Munda, Munda Lohara, Munda Mahalis [1][Nagabanshi Munda, Oriya Munda]
51. Mundari
52. Omanatya 1[Omanatyo, Amanatya]
53. Oraon [1][Dhangar, Uran] [3]["Uram, Oram, Uraon, Dhangara, Oraon Mudi"]
54. Parenga
55. Paroja [1][Parja, Bodo Paroja, Barong Jhodia Paroja, Chhelia Paroja, Jhodia Paroja, Konda Paroja, Paraja, Ponga Paroja, Sodia Paroja, Sano Paroja, Solia Paroja] [3]["Bareng Jhodia Paroja, Penga Paroja, Pengu Paroja, Porja, Selia Paroja"]
56. Pentia
57. Rajuar [3]["Rajual, Rajuad"]
58. Santal
59. Saora, Savar, Saura, Sahara [1][Arsi Saora, Based Saora, Bhimma Saora, Chumura Saora, Jara Savar, Jadu Saora, Jati Saora, Juari Saora, Kampu Saora, Kampa Soura, Kapo Saora, Kindal Saora, Kumbi Kancher Saora, Kalapithia Saora, Kirat Saora, Lanjia Soara, Lamba Lanjia Saora, Luara Saora, Luar Saora, Laria Savar, Malia, Saora, Malla Saora, Uriya Saora, Raika Saora, Sudda Saora, Sarda Saora, Tankala Saora, Patro Saora, Vesu Saora] [3]["Saara"]
60. Shabar, Lodha
61. Sounti
62. Tharua [1][Tharua Bindhani].
6 3. Muka Dora, Mooka Dora, Nuka Dora, Noka Dora (in undivided Koraput district which includes Koraput, Nowrangapur, Raagada and Malkangiri districts.
64. Konda Reddy, Konda Reddi"

1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Subs. by Act 6 of 2024, s. 4 and the Second Sch. for part XII-Orissa and entries 6,9,17 & 31.
3. Ins. by Act 6 of 2004, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 15-02-2024).

[2][भाग 12—ओड़िसा

1. बागता [1][भक्त]
2. बइगा
3. बनजारा, वणजारी
4. बथुड़ी [1][बथूरी]
5. भौत्तड़ा, धोत्तडा [1][भोतरा, भातरा, भट्टारा, भोटोरा, भतरा]
[2][6. भुइयां, भूयां, पाउडि भूयां, पाउडि भूयां]
7. भूजिआ
8. भूमिज [3][तामडिया भूमिज, हलादी पोखरिया भूमिज, हलादी पोखरिया भूमिया, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भमिज] [3][तामडिया भूमिज, तामुडिया, भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामूलीया भूमिज, तामडिया, तामरिआ, तामुडिया
[2][9. भुन्जिआ, चुकटिआ, भुन्जिआ]
10. बिझाल [1][, बिंझवार]
11. बिंझिआ, बिंझोआ
12. बीरहोर
13. बोंडु परजा [1][, बोंडुपरजा, बांडा परजा] [3][बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा, बंडा]
14. चेन्चू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. [2][धारूआ, धुरूबा, धुर्वा, दुरूआ, धुरूआ, धुरवा]
18. दिदयी [1][, दीदाई परजा, दीदाई]
19. गादबा [1][बोदो गादबा, गुतोब गादबा, कापु गादबा, ओलारा गादबा, पेरेंगा गादबा, सेनो गादबा]
20. गांडिया
21. घरा
22. गोंड, गोंडो [1][राजगोंड, मारिया गोंड, धुरगोंड]
23. हो
24. होलवा
25. जातपु
26. जुआंग
27. कंधगोड
28. कावार [1][, कनवार] [3][कउर, कुँवर, कुँवर, कुंवर, कुअंर कुँवर]
29. खरिआ, खरिआन [1][, बेरगा खरिआ, ढेलकी खरिआ, दुध खरिया, एरेंगा खरिआ, मुंडा खरिआ, ओरांव खरिआ, खडिआ, पहाड़ी खरिआ]
30. खरवार
[2][31. खोंड, कोंड, कन्ध, कन्ध, कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा, कन्धा, कोंध, कुई, (कुई), बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड]
32. किसान [1][, नागेसर, नागेसिया]
33. कोल
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार
35. कोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोन्डादोरा
38. कोरा [1][, खेरा, खयारा]
39. कोरूआ
40. कुटिया
41. कोया [1][, गुंबा कोया, कोयटुर, कोया, कमर कोया,मुसारा कोया]
42. कुली
43. लोधा [1][, नोध, नोधा, लोध]
44. मादिआ
45. महालि
46. मांकिडी
47. मांकिरडिआ [, मांकरिया, मांनकिडी] [3][मांकिडिआ]
48. माटिया [1][, मटिया]
49. मिर्घा, [1][कुडा, कोडा]
50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली [1][, नागबंशी मुंडा, उडिया मुंडा]
51. मुंडारी
52. औमनात्या [1][, ओमानात्यो, अमानात्य]
53. उराओ [1][, धांगर, उराव, उराम, ओराम, उराओ, धांगर, ओरान मुदी]
54. पेरेंगा
55. परोजा, [1][परजा, बोडो परोजा, बरोंग झोडिया परोजा, छेलिया परोजा, झोडिया परोजा, कोंडा परोजा, परोजा, पोंगा परोजा, सोडिया परोजा, सेनो परोजा, सोलिया परोजा] [3][बारेंग, झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा सेलिआ परजा]
56. पेंटिया
57. राजुआर [3][राजुआल, राजुआड]
58. सांताल
59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा [1][आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जारा सावर, जादू साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा सौरा, कापो साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कालापिठिआ साओरा, किराट साओरा, लंजिया साओरा, लाम्बा लंनिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लरिया सावर, मालिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पात्रो साओरा, बेसु साओरा [3][, सअर]
60. शबर,लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ [1][, धारूआ बिंधानी] ।
63. अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अन्तर्गत कोरापुट, नवरंगपूर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिलें आते हैं) मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा।
64. कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि।]

---

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
2. 2024 के अधिनियम से 6 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (15.2.2024 से) ''भाग 12 उड़ीसा'' और प्रविष्ट 6, 9, 17 और 31 के स्थान पर प्रति:स्थापित।।
3. 2024 के अधिनियम सं0 6 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (15-2-2024 से) अंत:स्थापित ।

PART XIII.—*Rajasthan*

1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
7. Kokna, Kokni, Kukna
8. Koli Dhor, Tokre koli, Kolcha, Kolgha
9. Mina
10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. Patelia
12. Seharia, Sehria, Sahariya.

PART XIV.—*Tamil Nadu*

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Eravallan
4. Irular
5. Kadar
6. Kammara (excluding Kanyakumari distrct and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
7. Kanikaran, Kanikkar (in kanyakumari District and Shenkottah [1][and Ambasamudram taluks] of Tirunelveli district)
8. Kaniyan, Kanyan
9. Kattunayakan
10. Kochu Velan
11. Konda Kapus
12. Kondareddis
13. Koraga
14. Kota (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan
17. Kurumbas (in the Nilgiris district)
18. Kurumans
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan
21. Malai Pandaram
22. Malai Vedan
23. Malakkuravan
24. Malasar
25. Malayali (in Dharmapuri, North Arcot, Pudukottai, Salem, South Arcot and Tiruchirapali districts)
26. Malayekandi
27. Mannan
28. Mudugar, Muduvan
29. Muthuvan
30. Palleyan
31. Palliyan
32. Palliyar
33. Paniyan
34. Sholaga
35. Toda (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
36. Uraly

[2][37. Nari Koravan, Kurivikkaran]

PART XV.—*Tripura*

1. Bhil
2. Bhutia
3. Chaimal
4. Chakma
5. Garoo
6. Halam [3][Bengshel, Dub, Kaipeng, Kalai, Karbong, Lengui, Mussum, Rupini, Sukuchep, Thangchep]
7. Jamatia
8. Khasia
9. Kuki, including the following sub-tribes:—
   (*i*) Balte
   (*ii*) Belalhut
   (*iii*) Chhalya
   [4](*iiia*) Darlong

1. Subs. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Ins. by Act 1 of 2023, s. 2 (w.e.f. 2-1-2023).
3. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2023).
4. Ins. by Act 9 of 2022, s. 2 (w.e.f. 18-4-2022).

भाग 13—राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथौड़ी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक,मोटा नायक, नाना नायक
11. पटलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया।

भाग 14—तमिलनाडु

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरवल्लन
4. इरूलर
5. काडर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरूनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा [1][और अम्बासमुद्रम तालुकों] में)
8. कनियन, कन्यन
9. काट्टुनायक्कन
10. कोचुवेलन
11. कोन्डा कपूस
12. कोन्डारेड्डि
13. कोरागा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेली जिले के शेन्कोटटा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया,मेला कुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूमान्स (नीलगिरि जिले में)
18. कुरूमान्स
19. महा मल्लेसर
20. मलै अरैयन
21. मालै पंडाराम
22. मालै वेडन
23. मलक्कुरवन
24. मल्लेसर
25. मल्याली (धर्मपुरी उत्तरी अर्काट, पुडुकोटटाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरूचिरापल्ली जिलों में)
26. मलयेकंडी
27. मान्नन
28. मुडुगर,मुडूवन
29. मुदुवन
30. पल्लेयन
31. पल्लियन
32. पल्लयर
33. पनियन
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेली जिले के शेन्कोटटा तालुक को छोड़कर)
36. उरली ।

[2][37. नरिकुरवन, कुरुविक्कारन]

भाग 15—त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चौमल
4. चकमा
5. गारो
6. हलाम [3][बेंगशेल, डुब, केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रूपिनी, सुकुचेप, थांगचेप]
7. जमातिया
8. खसिया
9. कुकी, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उप जनजातियां भी हैं :--
   (i) बांल्ते
   (ii) बेललहत
   (iii) छाल्य
   [4](iiiक) छाल्य

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) प्रतिस्थापित ।
2. 2023 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (2-1-2023 से) अंत:स्थापित ।
3. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
4. 2022 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा (18-4-2022 से) अंत:स्थापित ।

(*iv*) Fun
(*v*) Hajango
(*vi*) Jangtei
(*vii*) Khareng
(*viii*) Khephong
(*ix*) Kuntei
(*x*) Laifang
(*xi*) Lentei
(*xii*) Mizel
(*xiii*) Namte
(*xiv*) Paitu, Paite
(*xv*) Rangchan
(*xvi*) Rangkhole
(*xvii*) Thangluya
10. Lepcha
11. Lushai
12. Mag
13. Munda, Kaur
14. Noatia [1][Murashing]
15. Orang
16. Riang
17. Santal
18. Tripura, Tripuri, Tippera
19. Uchai.

PART XVI.—*West Bengal*

1. Asur
2. Baiga
3. Badia, Bediya
4. Bhumij
5. Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo
6. Birhor
7. Birjia
8. Chakma
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Garo
12. Gond
13. Gorait
14. Hajang
15. Ho
16. Karmali
17. Kharwar
18. Khond
19. Kisan
20. Kora
21. Korwa
22. Lepcha
23. Lodha, Kheria, Kharia
24. Lohara, Lohra
25. Magh
26. Mahali
27. Mahli
28. Mal Pahariya
29. Mech
30. Mru
31. Munda
32. Nagesia
33. Oraon
34. Parhaiya
35. Rabha
36. Santal
37. Sauria Paharia
38. Savar
[1][39. Limbu (Subba)
40. Tamang.]

[2][PART XVII.—*Mizoram*

1. Chakma
2. Dimasa(Kachari)
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi and Jaintia, (including Khasi, Synteng or Pnar, War, Bhoi or Lyngngam)
7. Any Kuki tribes, including,--
(*i*) Baite or Biete
(*ii*) Changsan
(*iii*) Chongloi
(*iv*) Doungel
(*v*) Gamalhou

1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Ins. by Act 34 of 1986, s. 14 and the Third Sch. (w.e.f. 20-2-1987).

(iv) फुन
(v) हजांगो
(vi) जंगते
(vii) खरेंग
(viii) केफंग
(ix) कुन्तेई
(x) लाइफंग
(xi) लेनतेई
(xii) मिजेल
(xiii) नमते
(xiv) पाईतु, पाइते
(xv) रंगचान
(*xvi*) रंखल
(*xvii*) थंग्लुया
10. लेप्चा
11. लसाई
12. मग
13. मुन्डा, कौर
14. नोआतिया [1][,मुरासिंग]
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा
19. उचई ।

भाग 16—पश्चिमी बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया, बिदिआ
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, ढुकपा, कगाते, तिब्बती, योलमो
6. बिरहोड़
7. बिरजिया
8. चाकमा
9. चेरी
10. चिक बारैक
11. गारो
12. गोंड
13. गोड़त
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधा, खेड़िया, खाड़िया
24. लौहारा, लौहरा
25. मघ
26. माहली
27. महली
28. माल पहाडिया
29. मेच
30. म्रू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाढैया
35. राभा
36. संथाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर
[1][39. लिम्बु (सुब्बा)
40. तमंग] ।

[2][भाग 17—मिजोरम

1. चाक्कमा
2. डिमासा (कछारी)
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी और जैन्तिया (जिनके अन्तर्गत खासी, सिन्तेंग या प्नार, वार, भोई या लिंगाम हैं)
7. कोई कुकी जनजातियां, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:--
   (i) बियाते या बियते
   (ii) चंगसान
   (iii) चंगलोई
   (iv) दोंगेल
   (v) गमल्हो

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अन्त:स्थापित ।
2. 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 14 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित ।

(*vi*) Gangte
(*vii*) Guite
(*viii*) Hanneng
(*ix*) Haokip or Haupit
(*x*) Haolai
(*xi*) Hengna
(*xii*) Hongsungh
(*xiii*) Hrangkhwal or Rangkhol
(*xiv*) Jongbe
(*xv*) Khawchung
(*xvi*) Khawathlang or Khothalong
(*xvii*) Khelma
(*xviii*) Kholhou
(*xix*) Kipgen
(*xx*) Kuki
(*xxi*) Lengthang
(*xxii*) Lhangum
(*xxiii*) Lhoujem
(*xxiv*) Lhouvun
(*xxv*) Lupheng
(*xxvi*) Mangjel
(*xxvii*) Missao
(*xxviii*) Riang
(*xxix*) Sairhem
(*xxx*) Selnam
(*xxxi*) Singson
(*xxxii*) Sitlhou
(*xxxiii*) Sukte
(*xxxiv*) Thado
(*xxxv*) Thangngeu
(*xxxvi*) Uibuh
(*xxxvii*) Vaiphei
8. Lakher
9. Man (Tai-speaking)
10. Any Mizo (Lushai) tribes
11. Mikir
12. Any Naga tribes
13. Pawi
14. Synteng]
[1][15. Paite.]

[2][PART XVIII.—*Arunachal Pradesh*

All tribes in the State including:—

1. [3]***
2. Aka
3. Apatani
[4][4. Nyishi]
[5][5. Galo]
[6][6. Tai Khamti];
7. Khowa
[6][8. Mishmi-Kaman (Miju Mishmi), Idu (Mishmi), Taraon (Digaru Mishmi];
[6][9. Monpa, Memba, Sartang, Sajolang (Miji)"]
[6][10. Nocte, Tangsa, Tutsa, Wancho].
11. Sherdukpen
12. Singpho.]
[1][13. Hrusso
14. Tagin
15. Khamba
16. Adi.]

[7][PART XIX.—*Goa*

1. Dhodia
2. Dubla (Halpati)
3. Naikda (Talavia)
4. Siddi (Nayaka)
5. Varli]
[1][6. Kunbi
7. Gawda
8. Velip.]

1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
2. Ins. by Act 69 of 1986, s. 17 and the Third Sch.(w.e.f. 20-2-1987).
3. Omitted by Act 32 of 2021, s. 2 (w.e.f. 13-8-2021).
4. Subs. by Act 14 of 2008, s. 2 for entry 4 (w.e.f. 1-4-2008).
5. Subs. by Act 2 of 2012, s. 2 (w.e.f. 8-1-2012).
6. Subs. by Act 32 of 2021, s. 2 for entries 8, 9 and 10 (w.e.f. 13-8-2021).
7. Ins. by Act 18 of 1987, s. 19 (b) and the Second Sch. (w.e.f. 30.5-1987).

(vi) गंगते
(vii) गुइते
(viii) हैन्नंग
(ix) हौकिप या हपित
(x) हौलाई
(xi) हेंगना
(xii) होनसुंघ
(xiii) ह्राग्खोबाल या रन्खोल
(xiv) जंग्बे
(xv) ख्चौचंग
(xvi) ख्चौत्लंग या खोतालंग
(xvii) खेलमा
(xviii) खोल्हु
(xix) किपगेन
(xx) कूकी
(xxi) लेंथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्हाजम
(xxiv) ल्होबुन
(xxv) लुफेंग
(xxvi) मांजेल
(xxvii) मिसाऊ
(xxviii) रियांग
(xxix) सैरहैम
(xxx) सैल्नाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितलहौ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांग्ल्यू
(xxxvi) उइबू
(xxxvii) व्हाइफे

8. लाखरे
9. मान (ताई बोलने वाली)
10. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां
11. मिकिर
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सितेंग]
[1][15. पाइते] ।

[2][भाग 18—अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सब जनजातियां :—

1. [3]***
2. आकन
3. अप्तनी
[4][4. निशि]
[5][5. गालो]
[6][6. ताई खाम्ती
7. खोवा
[6][8. मिशमी-कामन (मिजु मिश्मी)ए इदु (मिश्मी), तारेन (दिगारु मिश्मी)]
[6][9. मोन्पा, मेम्बा, सरताड; सजोलाड् (मिजी)]
[6][10. नोक्त, ताडसा, तुत्सा, वान्चो]
11. शेरडूक्पेन
12. सिंग्फो ।]
[1][13. हुरूसो
14. टेगिन
15. खाम्बा
16. आदि] ।

[7][भाग 19—गोवा

1. ढोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नायकड़ा (तलविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वरली ।]
[1][6. कुन्बी,
7. गावड़ा
8. वेलिप] ।

1. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अन्त:स्थापित ।
2. 1986 के अधिनियम सं0 69 की धारा 17 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित ।
3. 2021 के अधिनियम सं0 32 की धारा 2 द्वारा (13-8-2021 से) लोप किया गया।
4. 2008 के अधिनियम सं0 14 की धारा 2 द्वारा (1-4-2008 से) प्रविविष्ट 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 2012 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा (8-1-2012 से) प्रतिस्थापित ।
6. 2021 के अधिनियम सं0 32 की धारा 2 द्वारा (13-8-2021 से) प्रविष्ट 8, 9 और 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19(ख) और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंत:स्थापित।

[1][PART XX.—*Chhattisgarh*

1. Agariya
2. Andh
3. Baiga
4. Bhaina
[2][5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Bhuinya, Bhuiyan, Bhuyan, Paliha, Pando.]
6. Bhattra
7. Bil, Bhilala, Barela, Patelia
8. Bil Mina
9. Bhunjia
10. Biar, Biyar
11. Binjhwar
12. Birhul, Birhor
13. Damor, Damaria
14. Dhanwar [3][Dhanwar, Dhanuwar]
15. Gadaba, Gadba
16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, [4][Abhuj Maria,] Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bimma, Bhuta, Koilabhuta, Kolibhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond, Gowari Hill Maria, Kandra, Kalanga, Hatola, Koitar, Koya, Khirwar, Hirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Minghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj Gond, Sonjhari, Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi
17. Halba, Halbi
18. Kamar
19. Karku
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
21. Khairwar, Kondar
22. Kharia
23. [2][Kond, Kondh], Khond, Kandh
24. Kol
25. Kolam
26. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihar, Nahul, Bondhi, Bondeya
27. Korwa, [2][Hill Korwa,] Kodaku
28. Majhi
29. Majhwar
30. Mawasi
31. Munda
32. Nagesia, Nagasia [3][Kisan]
33. Oraon, Dhanka, Dhangad
34. Pao
35. Pardhan, Pathari, Saroti
36. Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [in (*i*) Bastar, Dantewara, Kanker, Raigarh, Jashpurnagar, Surguja and Koria districts, (*ii*) Katghora, Pali, Kartala and Korba tahsils of Korba districts, (*iii*) Bilaspur, Pendra, Kota and Takhatpur tahsils of Bilaspur district, (*iv*) Durg, Patan, Gunderdehi, Dhamdha, Balod, Gurur and Dondilohara tahsils of Durg district, (*v*) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspector Circles of Rajandgon district, (*vi*) Mahasamund, Saraipali and Basna tahsils of Mahasamund district, (*vii*) Bindra-Navagarh Rajim and Deobhog tahsils of Raipur district, and (*viii*) Dhamtari, Kurud and Sihava tahsils of Chamtari district]
37. Parja
38. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor
39. Saonta, Saunta
40. Saur
41. Sawar, Sawara [3][Saunra, Saonra]
42. Sonr.]

[3][43. Binhia]

1. Ins. by Act 28 of 2000, s. 20 and the Fourth Sch. (w.e.f. 1-11-2000).
2. Subs by Act 13 of 2023, s. 2 for entries 5, 23 (w.e.f. 04-08-2023).
3. Ins. by Act 13 of 20123, s. 2 for entries 43 (w.e.f. 04-08-2023).
4. Ins. by Act 24 of 2013, s. 2 (w.e.f. 18-9-2013).

[1][भाग 20—छत्तीसगढ़

1. अगरिया
2. आंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिया, भुईहार, भूमिया, भूमिया, भरिया, भूईया, भूईयाँ, भूयां, पालिहा, पांडो या पंडो या पण्डो]
6. भत्तरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भुंजिया
10. बियार, बीआर
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामरिया
14. धनवार [3][धनुहार, धनुवार]
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, [4][(अबूझ मारिया)] बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसन हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार मोध्या, मोगिया, मोंध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारीं, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई
17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. खैरवार, कोंदर
22. खरिया
23. [2][कोंद, खोंड] कांध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू, बोपची, मोवसी, निहाल, नाहुल, बोधी, बोडिया
27. कोरवा, [4][पहाड़ी कोरवा] कोडाकू
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुंडा
32. नगेसिया, नागासिया [3][किसान]
33. उरांव, धानका, धनगढ़
34. पाव
35. परधान, पथारी, सरोती
36. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली परधी, फांस पारधी, शिकारी, टानककार, टाकिया [(i) बस्तर, दंतेवाला, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले में (ii) कोरबा जिले की कटधोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसीलों में (iii) बिलासपुर जिले की बिलासपुर, पेंडरा, कोटा और तखतपुर तहसीलों में (iv) दुर्ग जिले की दुर्ग, पाटन, गुंडेरदही, धमधा, बालौद, गुरूर और डोंडीलोहारा तहसीलों में (v) राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक सर्किलों में (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सराईपाली और बसना तहसीलों में (vii) रायपुर जिले की बिंद्रानवागढ़ राजिम और देवभोग तहसीलों में और (viii) धमतरी जिले के धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसीलों में
37. परजा
38. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहेरिया, सोसिया, सोर
39. साओंता, सौंता
40. सौर
41. सवर, सवरा [3][सौंरा संवरा
42. सोंर ।]

[3][43. बिंझिया]

---

1. 2000 के अधिनियम सं0 28 की धारा 20 और चौथी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
2. 2023 के अधिनियम सं0 13 की धारा 2 द्वारा (4-8-2023 से) प्रविष्टि 5 और 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2023 के अधिनियम सं0 13 की धारा 2 द्वारा (4-8-2023 से) प्रविष्टि 43 के स्थान पर अंत:स्थापित।
4. 2013 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा (18-9-2013 से) अंत:स्थापित ।

[1][PART XXI.—[2][*Uttarakhand*]

1. Bhotia
2. Buksa
3. Jannsari
4. Raji
5. Tharu.]

[3][PART XXII.—*Jharkhand*

1. Asur [4][, Agaria]
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedi
6. Binjhia
7. Birhor
8. Birjia
9. Chero
10. Chick Baraik
11. Gond
12. Gorait
13. Ho
14. Karmali
15. Kharia [4][, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia]
16. [5][Kharwar, Bhogta, Deshwari, Ganjhu, Dautalbandi (Dwalbandi), Patbandi, Raut, Maajhia, Khair (Kheri);]
17. Khond
18. Kisan [4][, Nagesia]
19. Kora [4][, Mudi-Kora]
20. Korwa
21. Lohra
22. Mahli
23. Mal Pahariya [4][, Kumarbhag Paharia]
24. Munda [4] [Patar] [6][, Tamaria (Tomadio)]
25. Oraon [4][, Dhangar (Oraon)]
26. Parhaiya
27. Santhal
28. Sauria Paharia
29. Savar
30. Bhumij.]

[4][31. Kawar
32. Kol.
[6]["33, Puran".]

[7][PART XXIII.—*Telangana*

1. Andh, Sadhu Andh
2. Bagata
3. Bhil
4. Chenchu
5. Gadabas, Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba
6. Gond, Naikpod, Rajgond, Koitur
7. Goudu (in the Agency tracts)
8. Hill Reddis
9. Jatapus
10. Kammara
11. Kattunayakan
12. Kolam, Kolawar
13. Konda Dhoras, Kubi
14. Konda Kapus
15. Kondareddis
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs, Kuvinga
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dulia, Holya, Sanrona, Sidhopaiko
18. Koya, Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya, Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya
19. Kulia
20. Manna Dhora
21. Mukha Dhora, Nooka Dhora
22. Nayaks (in the Agency tracts)
23. Pardhan
24. Porja, Parangiperja
25. Reddi Dhoras
26. Rona, Rena
27. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Khutto Savaras
28. Sugalis, Lambadis, Banjara
29. Thoti (in Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts)
30. Yenadis, Chella Yenadi, Kappala Yenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi
31. Yerukulas, Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula
32. Nakkala, Kurvikaran.]

---

1. Ins. by Act 29 of 2000, s. 25 and the Sixth Sch. (w.e.f. 9-11-2000).
2. Subs. by Act 52 of 2006, s. 3, for "Uttaranchal" (w.e.f. 1-1-2007).
3. Ins. by Act 30 of 2000, s. 24 and the Sixth Sch. (w.e.f. 15-11-2000).
4. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).
5. Subs. by Act 8 of 2022, s. 3 for entry 16 (w.e.f. 8-4-2022).
6. Ins. by Act 8 of 2022, s. 3 (w.e.f. 8-4-2022).
7. Ins. by Act 6 of 2014, s. 29 and the Sixth Sch. (w.e.f. 2-6-2014).

[1][भाग 21 —[2][उत्तराखंड]

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जन्नासरी
4. राजी
5. थारू ।]

[3][भाग 22— झारखंड

1. असुर [4][, अगरिया]
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. जेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोराइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया [4][, ढेलकी खारिया, दूध खारिया, हिल खारिया]
[5][(16). खारवार, भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबन्दी (द्वालबंदी), पटबन्दी, राउत, माझिया, खैरी (खेरी)]
17. खोंड
18. किसान [4][, नागेसिया]
19. कोरा [4][, मुडी-कोरा]
20. कोरवा
21. लोहरा
22. माहली
23. माल पहारिया [4][, कुमारभाग पहारिया]
24. मुण्डा [4][, पतार] [6][, तमरिया (तमड़िया]
25. उरांव [4][, ढांगर (उरांव)]
26. परहैया
27. संथाल
28. सौरिया पहाड़िया
29. सावर
30. भूमिज ।]
[4][31. कवार
32. कोल ।]
[6][,''33 पुरान'']

[7][भाग 23 - तेलंगाना

1. आंध्र, साधू आंध्र
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु
5. गडवा, बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा
6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. गोडू, (अभिकरण भूखंडो में)
8. हिल रेड्डि
9. जातपू
10. कम्मरा
11. कडुनायकन
12. कोलम, कोलावार
13. कोंडधोरा, कुबी
14. कोड कापु
15. कोडारेड्डि
16. कोंध, कोडि, कोध, देसेय कोंध, डोंगारिया कोंध, कुट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, वेंथो ओरिया, वारत्तिका, डुलिया, होल्वा, सनरोण, सिधोपैको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राशकोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिण कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मन्ना दोरा
21. मुक्खा दोरा, नूका दोरा
22. नायक (अभिकरण भूखंडों में)
23. परधाण
24. पुर्जा, परांगीपेरजी
25. रेड्डी दोरा
26. रोणा, रेणा
27. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
28. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
29. तोटि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वारंगल जिलों में)
30. येनादी, चेला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
31. येरुकुल्लास, कोरचा, डब्बा येरुकुल्ला, कुंचापुरी येरुकुल्ला, उपु येरुकुल्ला
32. नक्काला, कुरविकरन ।]

---

1. 2000 के अधिनियम सं0 29 की धारा 25 और छठी अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
2. 2006 के अधिनियम सं0 52 की धारा 3 द्वारा (1-1-2007 से) "उत्तरांचल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 2000 के अधिनियम सं0 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
4. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।
5. 2022 के अधिनियम सं0 8 की धारा 3 द्वारा (8-4-2022 से) प्रविष्ट 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 2022 के अधिनियम सं. 8 की धारा 3 द्वारा ((8-4-2022 से) अंत:स्थापित।
7. 2014 के अधिनियम सं0 6 की धारा 29 और छटी अनुसूची द्वारा (2-6-2014 से) अन्त:स्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) [2][(UNION TERRITORIES)] ORDER, 1951

(C.O. 33)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, as amended by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) [2][(Union Territories)] Order, 1951.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in [3][Parts I and II] of the Schedule to this Order shall, in relation to the [2][Union territories] to which those parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those parts of that Schedule.

[4][3. Any reference in this Order to a Union territory in Part I of the Schedule shall be construed as a reference to that territory constituted as a Union territory as from the 1st day of November, 1956 [5]*** [6][and any reference to a Union territory in Part II of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory as from the day appointed under clause (b) of section 2 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987)].]

---

[7][THE SCHEDULE

[8]* * * * *

[9]* * * * *]

[10][PART I.—*Lakshadweep*]

Throughout the Union territory:—

Inhabitants of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands who, and both of whose parents, were born in those Islands:

[11][Provided that the children who are born to inhabitants of Lakshadweep in any other place in the Mainland of India shall be deemed to be inhabitants born in the islands if such children settle permanently in the islands.

Explanation.—The term "settle permanently" shall have the same meaning as defined under clause 3(*1*)(*d*) of the Lakshadweep Panchaysts Regulation, 1994 (Reg. 4 of 1994).]

[12] [PART II.—Daman and Diu

Throughout the Union territory:—

1. Dhodia
2. Dubla (Halpati)
3. Naikda (Talavia)
4. Siddi (Nayaka)
5. Varli.]

[13]* * * * * * *

[14]* * * * * * *

---

1. Published with the Ministry of Law, Notifin. No. S.R.O. 1427B, dated the 20th September, 1951, Gazette of India, Extraordinary, 1951, Part II, s. 3, page 1198G.
2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, for certain words.
3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and the Second Sch., for "Part I" (w.e.f. 30-5-1987).
4. Subs. by Act 81 of 1971, s. 26(*2*) and Sch. Fifth, for para. 3 (w.e.f. 21-1-1972).
5. Certain words omitted by Act 69 of 1986, s. 17 and the Fourth Sch. (w.e.f. 20-2-1987).
6. Ins. by Act 18 of 1987, s. 19 and the Second Sch. (w.e.f. 30-5-1987).
7. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, for the Sch.
8. Part I relating to Himachal Pradesh omitted by Act 53 of 1970, s. 20 and Sch. Fourth (w.e.f. 25-1-1971).
9. Parts II and III relating to Manipur and Tripura respectively omitted by Act 81 of 1971, s. 26(*2*) and Sch. Fifth (w.e.f. 21-1-1972).
10. Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) (Adaptation of Laws) Order, 1974, for certain words (w.e.f. 1-11-1973).
11. Ins. by Act 2 of 2009, s. 2.
12. Ins. by Act 81 of 1971, s. 26(*2*) and Sch. Fifth (w.e.f. 21-1-1972).
13. Part II omitted by Act 34 of 1986, s. 14 and the Fourth Sch. (w.e.f. 20-2-1987).
14. Part III omitted by Act 69 of 1986, s. 17 and the Fourth Sch. (w.e.f. 20-2-1987).

[1]संविधान (अनुसूचित जनजातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951

(सं० आ० 33)

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जो इस आदेश की अनुसूची के [3][भाग 1 और भाग 2] में विनिर्दिष्ट हैं उन [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः संबद्ध हैं, वहां तक, जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों के निवासी हैं जो उस अनुसूची में उन भागों में क्रमशः उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

[4][3. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 [5]*** को संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है, [6][और अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 का 18 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित राज्य-क्षेत्र के प्रति निर्देश है] ।]

[7][अनुसूची

[8]* * * * * * *

[9]* * * * * * *

[10][भाग 1—लक्षद्वीप]

समस्त संघ राज्यक्षेत्र में--

लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप के वे निवासी जो और जिनके माता-पिता दोनों ही, उन द्वीपों में जन्मे हैं ।

[11][परन्तु ऐसे बालक जो लक्षद्वीप के निवासियों से भारत के मुख्य भू-भाग में किसी अन्य स्थान पर जन्म लेते हैं, द्वीपों में जन्मे निवासी समझे जाएंगे यदि ऐसे बालक द्वीपों में स्थायी रूप से बस जाते हैं ।

स्पष्टीकरण--"स्थायी रूप से बस जाते हैं" पद का वही अर्थ होगा जो लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 (1994 का विनियम 4) के खंड 3(1)(घ) में परिभाषित है ।]

[12][भाग 2—दमण और दीव

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में :--

1. ढोडिया
2. दुबमा (हलपती)
3. नायकडा (तलाविया)
4. सिद्दी (नायक)
5. बरली ।]

[13]* * * * * * *

[14]* * * * * * *

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0 नि0 आ0 1427ख, तारीख 20 सितम्बर, 1951, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1951, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 1198जी पर प्रकाशित ।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) "भाग 1" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 26(2) और पांचवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1986 के अधिनियम सं0 69 की धारा 17 और चौथी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।
7. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपांतरण) आदेश, 1956 द्वारा अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1970 के अधिनियम सं0 53 की धारा 20 और चतुर्थ अनुसूची द्वारा (25-1-1971 से) हिमाचल प्रदेश की बाबत भाग 1 का लोप किया गया ।
9. 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 26(2) और पांचवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा की बाबत क्रमशः भाग 2 और भाग 3 का लोप किया गया ।
10. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (नाम परिवर्तन) (विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। (1973 के अधिनियम सं0 34 की धारा 4 द्वारा संशोधित ।)
11. 2009 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा (7-1-2009 से) अंतःस्थापित ।
12. 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 26(2) और पांचवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।
13. 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 14 और चौथी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) भाग 2 का लोप किया गया ।
14. 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 17 और चौथी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) भाग 3 का लोप किया गया ।

[1]THE CONSTITUTION (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1959

(C.O. 58)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands so far as regards members thereof [2][resident in that Union territory].

---

[3][THE SCHEDULE

1. Andamanese, Chariar, Chari, Kora,Tabo, Bo, Yere, Kede, Bea, Balawa, Bojigiyab, Juwai, Kol
2. Jarawas
3. Nicobarese
4. Onges
5. Sentinelese
6. Shom Pens.]

1. Published with the Ministry of Law Notifin. No. G.S.R. 405, dated the 31st March, 1959, Gazette of India, Extraordinary, 1959, Part II, s. 3(*i*), page 151.
2. Subs. by Act 108 of 1976, s. 4 and the Second Sch., for certain words (w.e.f. 27-7-1977).
3. Subs. by s. 4 and the Second Sch. *ibid*., for the Sch. (w.e.f. 27-7-1977).

[1]संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959

(सं० आ० 58)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ठ हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रयोजनों के लिए वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है [2][संघ राज्यक्षेत्र में निवासी] हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

---

[3][**अनुसूची**

1. अंडमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे, केडा, बीया, बालाबा, बोजिगियाब, जुबाई, कोल
2. जरावा
3. निकोबार निवासी
4. ओंगे
5. सेंटीनेली
6. शोम पेन ।]

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 405, तारीख 31 मार्च, 1959, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1959, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 151 पर प्रकाशित।
2. 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION (DADRA AND NAGAR HAVELI) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1962

(C.O. 65)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli so far as regards members thereof resident in that Union territory.

THE SCHEDULE

1. Dhodia
2. Dubla including Halpati
3. Kathodi
4. Kokna
5. Koli Dhor including Kolgha
6. Naikda or Nayaka
7. Varli.

1. Published with the Ministry of Law, Notifn. No. G.S.R. 891, dated the 30th June, 1962, Gazette of India, Extraordinary, 1962, Part II, s. 3(*i*), page 389.

[1]संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

(सं० आ० 65)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वहां तक के उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

अनुसूची

1. ढोडिया
2. दुबला जिनके अन्तर्गत हलपति आते हैं
3. कोथोडी
4. कोकना
5. कोली ढोर जिनके अन्तर्गत कोलघा आते हैं
6. नायकडा या नायक
7. वरली ।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 891, तारीख 30 जून, 1962, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1962, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 389 पर प्रकाशित।

[1]THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) (UTTAR PRADESH) ORDER, 1967

(C.O. 78)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Uttar Pradesh, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution of India, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhotia
2. Buksa
3. Jannsari
4. Raji
5. Tharu.

[2][6.Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari,Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, [3][Mirzapur Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi]])

7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)
8. Saharya (in the district of Lalitpur)
9. Parahiya (in the district of Sonbhadra)
10. Baiga (in the district of Sonbhadra)
11. Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)
12. Agariya (in the district of Sonbhadra)
13. Patari (in the district of Sonbhadra)
14. Chero (in the districts of Sonbhadra and Varanasi)
15. Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra)].

---

1. Published with the Ministry of Law, Notifn. No. G.S.R. 960, dated the 24th June, 1967, Gazette of India, Extraordinary, 1967, Part II, s. 3(*i*), page 311.
2. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 07-01-2003).
3. Subs/. by Act 20 of 2022, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 24-12-2022).

[1]संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

(सं० आ० 78)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के युथ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं भारत के संविधान के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में वहां तक जहां तक कि उनके सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

अनुसूची

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जैनसरी
4. राजी
5. थारू

[2][6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, [3][मिर्जापुर सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली ओर भदोही]

7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में) ।]

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि0 960, तारीख 24 जून, 1967, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1967, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 311 में प्रकाशित।
2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (07-01-2003 से) अंत:स्थापित ।
3. 2022 के अधिनियम सं0 20 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (24-12-2022 से) प्रतिस्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION (NAGALAND) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1970

(C.O. 88)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Nagaland, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Nagaland so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Naga
2. Kuki
3. Kachari
4. Mikir
5. Garo.

1. Published with the Ministry of Law, Notifin. No. G.S.R. 1099, dated the 23rd July, 1970, Gazette of India, Extraordinary, 1970, Part II, s. 3(*i*), page 641.

[1]संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970

(सं० आ० 88)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने नागालैंड राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए, नागालैंड राज्य के संबंध में, वहां तक, जहां तक कि उसके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां जाएंगे ।

अनुसूची

1. नागा
2. कूकी
3. कछारी
4. मिकिर
5. गारो ।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 1099, तारीख 23 जुलाई, 1970, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1970, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 641 में प्रकाशित।

[1]THE CONSTITUTION (SIKKIM) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1978

(C.O. 111)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Sikkim, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Sikkim so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhutia (including Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa,Tibetan, Tromopa, Yolmo).
2. Lepcha.
[2][3. Limboo.
4. Tamang.]

1. Published with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Notifin. No G.S.R. 335(E), dated the 22nd June, 1978, Gazette of India, Extraordinary, 1978, Part II, s. 3(*i*), page 546.
2. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch. (w.e.f. 7-1-2003).

[1]संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978

(सं० आ० 111)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियां या जनजातीय समुदायों के लोगों या समूहों को संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबंध में, जहां तक उस राज्य में निवासी उसके सदस्यों का संबंध है, अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. भूटिया (चुम्बिपा, दोपथाया, डुकपा, कगाते शेरपा, तिब्बितन, ट्रोमोपा, योलमों सहित) ।

2. लेपचा ।

[2][3. लिम्बू ।
4. तमंग ।]

1. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 335(अ), तारीख 22 जून, 1978, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1978, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 546 पर प्रकाशित ।

2. 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-1-2003 से) अंत:स्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1989

(C.O. 142)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Jammu and Kashmir so far as regards members thereof resident in that State.

"THE SCHEDULE

PART I.—*Union territory of Jammu and Kashmir*

1. Bakarwal
2. Balti
3. Beda
4. Bot, Boto
5. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin
6. Changpa
7. Gadda Brahmin
8. Gaddi
9. Garra
10. Gujjar
11. Koli
12. Mon
13. Paddari Tribe
14. Pahari Ethnic Group
15. Purigpa
16. Sippi.

PART II.—*Union territory of Ladakh*

1. Bakarwal
2. Balti
3. Beda
4. Bot, Boto
5. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin
6. Changpa
7. Gaddi
8. Garra
9. Gujjar
10. Mon
11. Purigpa
12. Sippi."

1. Published with the Ministry of Law, Justice, and Company Affairs, Notifin No. G.S.R. 882(E), dated 7th October, 1989, Gazette of India Extraordinary, 1989, Part II, sec. 3(*i*).
2. Subs. by Act 3 of 2024, s. 2 for the Schedule (w.e.f. 12-2-2024).

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989

(सं० आ० 142)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजातियों, समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, जहां कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

---

[2][**अनुसूची**

भाग 1—जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दा ब्राह्मण
8. गद्दी
9. गर्रा
10. गूजर
11. कोली
12. मोन
13. पाडरी जनजाति
14. पहाड़ी जातीय समूह
15. पुरिगपा
16. सिप्पी''].

भाग 2—लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दी
8. गर्रा
9. गूजर
10. मोन
11. पुरिगपा
12. सिप्पी]''

---

1. विधि, न्याय ओर कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.आ. 882(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 1989, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, उपखंड 3(*i*) में प्रकाशित।
2. 2024 के अधिनियम सं. 3 की धारा 2 द्वारा (12-2-2024) से) अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]THE CONSTITUTION (PUDUCHERRY) SCHEDULED TRIBES ORDER, 2016
"C.O.268"

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Puducherry) Scheduled Tribes Order, 2016.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities specified in the Schedule to this Order, shall for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of Puducherry so far as regards members thereof resident in that Union territory.

THE SCHEDULE

Irular (including Villi and Vettaikaran)

1. Published with the Ministry of Law and Justice, Notifin No. GSR 1167(E), Dated the 22nd December, 2016, Gazette of India, Extraordinary, 2016, Part-II, s. 3(*i*).

[1]संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016

(सं० आ० 268)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, उस संघ राज्यक्षेत्र में, जहां तक उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

अनुसूची

इरुलर (विल्ली और वेट्टैकारन् सहित) ।

1. विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना सं0 स0का0नि0 1167(अ), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(i), तारीख 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित ।

भाग 4

निरर्हताओं को हटाने संबंधित विधियां

PART-IV

LAWS RELATING TO REMOVAL OF DISQUALIFICATION

PART-IV

THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1959

ACT NO. 10 OF 1959

[4*th April,* 1959.]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of Parliament.

BE it enacted by Parliament in the Tenth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance (such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of Parliament is entitled under [1][the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954)], any conveyance allowance, house-rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office;

(*b*) "statutory body" means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force;

(*c*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body.

3. Certain offices of profit not to disqualify.—It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of Parliament, namely:—

(*a*) any office held by a Minister, Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State, whether *ex officio* or by name;

[2][(*aa*) the office of a Leader of the Opposition in Parliament;]

[3][(*ab*) the office of Deputy Chairman, Planning Commission;]

[4][(ac) the office of [5][each leader and each deputy leader] of a recognised party and a recognised group in either House of Parliament;]

[6][(*ad*) the office of the Chairperson of the National Advisory Council constituted by the Government of India in the Cabinet Secretariat *vide* Order No. 631/2/1/2004-Cab., dated the 31st May, 2004;]

(*b*) the office of Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in Parliament or of a Parliamentary Secretary;

[3][(*ba*) the office of chairperson of—

(*i*) the National Commission for Minorities constituted under section 3 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992);

[7][(*ii*) the National Commission for the Scheduled Castes constituted under clause (1) of article 338 of the Constitution;

(*iia*) the National Commission for the Scheduled Tribes constituted under clause (1) of article 338A of the Constitution;]

(*iii*) the National Commission for Women constituted under section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990);]

1. Subs. by Act 54 of 1993, s. 2, for the words "the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954" (w.e.f. 27-8-1993).
2. Ins. by Act 33 of 1977, s. 12 (w.e.f. 1-11-1977).
3. Ins. by Act 54 of 1993, s. 3 (w.e.f. 19-7-1993).
4. Ins. by Act 5 of 1999, s. 5 (w.e.f. 5-2-1999).
5. Subs. by Act 18 of 2000, s. 5, for "each leader" (w.e.f. 7-6-2000).
6. Ins. by Act 31 of 2006, s. 2 (w.e.f. 18-8-2006).
7. Subs. by Act 28 of 2013, s. 2 for sub-clause (ii) (w.e.f. 20-9-2013).

भाग 4

संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959

1959 का अधिनियम संख्यांक 10

[4 अप्रैल, 1959]

यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन के कतिपय लाभ के पद उनके धारकों को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न करेंगे,

अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम**—यह अधिनियम संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रतिकरात्मक भत्ता'' से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रातिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद् सदस्य, [1][संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के अधीन हकदार है], किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ता या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है;

(ख) ''कानूनी निकाय'' से किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद् ,बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या न हो;

(ग) ''अकानूनी निकाय'' से ऐसे व्यक्तियों को कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो।

3. **कतिपय लाभ के पद पर निरर्हित न करेंगे**—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात्:—

(क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से, धृत कोई पद;

[2][(कक) संसद् में विपक्षी नेता का पद;]

[3][(कख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद;]

[4][(कग) संसद् के किसी सदन में किसी मान्यताप्राप्त दल और किसी मान्यताप्राप्त समूह के [5][प्रत्येक नेता और प्रत्येक उपनेता,] का पद;]

[6][(कघ) भारत सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय में आदेश सं॰ 631/2/1/2004-मंत्रिमंडल, तारीख 31 मई, 2004 द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष का पद;]

(ख) संसद् में मुख्य सचेतक, उपमुख्य सचेतक या सचेतक का पद या संसदीय सचिव का पद;

[3][(खक) निम्नलिखित के अध्यक्ष का पद—

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग;

[7][(ii) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;

(iiक) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;]

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग;]

---

1. 1993 के अधिनियम सं॰ 54 की धारा 2 द्वारा (27-8-1993 से) ''संसद सदस्य वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1977 के अधिनियम सं॰ 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1997 से) अन्त:स्थापित।
3. 1993 के अधिनियम सं॰ 54 की धारा 3 द्वारा (19-7-1993 से) अन्त:स्थापित।
4. 1999 के अधिनियम सं॰ 5 की धारा 5 द्वारा (5-2-1977 से) अन्त:स्थापित।
5. 2000 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 5 द्वारा (7-6-2000 से) ''प्रत्येक नेता'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 2006 के अधिनियम सं॰ 31 की धारा 2 द्वारा (18-8-2006 से) अन्त:स्थापित।
7. 2013 के अधिनियम सं॰ 28 की धारा 2 द्वारा (20-9-2013 से) उपखंड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*c*) the office of a member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948), or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952);

(*d*) the office of a member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;

(*e*) the office of sheriff in the city of Bombay, Calcutta or Madras;

(*f*) the office of chairman or member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of a university or any other body connected with a university;

(*g*) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government for any special purpose;

(*h*) the office of chairman or member of a committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

[1][(*i*) the office of chairman, director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (*h*), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance, but excluding (*i*) the office of chairman of any statutory or non-statutory body specified in Part I of the Schedule, and (*ii*) the office of chairman or secretary of any statutory or non-statutory body specified in Part II of the Schedule;]

(*j*) the office of village revenue officer, whether called a *lambardar, malguzar, patel deshmukh* or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharged any police functions.

[2][(*k*) the office of Chairman, Deputy Chairman, Secretary or Member (by whatever name called) in any statutory or non-statutory body specified in the Table;

(*l*) the office of Chairperson or trustee (by whatever name called) of any Trust, whether public or private, not being a body specified in the Schedule;

(*m*) the office of Chairman, President, Vice-President or Principal Secretary or Secretary of the Governing Body of any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law relating to registration of societies, not being a body specified in the Schedule.]

[3][*Explanation 1*].—For the purposes of this section, the office of [4][chairman, Deputy Chairman or secretary] shall include every office of that description by whatever name called.

[5][*Explanation 2*.—In clause (*aa*), the expression "Leader of the Opposition" shall have the meaning assigned to it in the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977).]

[6][*Explanation 3*.—In clause (*ac*), the expressions "recognised party" and "recognised group" shall have the meanings assigned to them in the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998 (5 of 1999).]

4. Temporary suspension of disqualification in certain cases.—If a person being a member of Parliament who immediately before the commencement of this Act held an office of profit declared by any law repealed by this Act not to disqualify the holder thereof for being such member, becomes so disqualified by reason of any of the provisions contained in this Act, such office shall not, if held by such person for any period not extending beyond a period of six months from the commencement of this Act disqualify him for being a member of Parliament.

5. Repeals.—The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1950 (19 of 1950), the Parliament Prevention of Disqualification Act, 1951 (68 of 1951), the Prevention of Disqualification Act, 1953 (1 of 1954), and any provision in any other enactment which is inconsistent with this Act are hereby repealed.

---

1. Subs. by Act 54 of 1993, s. 3, for clause (i) (w.e.f. 19-7-1993).
2. Ins. by Act 31 of 2006, s. 2 (w.e.f. 18-8-2006).
3. Explanation re-numbered as Explanation 1 thereof by Act 33 of 1977, s. 12 (w.e.f. 1-11-1977).
4. Subs. by Act 54 of 1993, s. 3, for "chairman or secretary" (w.e.f. 27-8-1993).
5. Explanation 2 ins. by Act 33 of 1977, s. 12 (w.e.f. 1-11-1977).
6. Explanation 3 ins by Act 5 of 1999 s. 5 (w.e.f. 7-1-1999).

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) या रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित या बनाए रखे गए किसी बल के सदस्य का पद;

(घ) किसी राज्य में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद;

(ङ) मुम्बई, कलकत्ता या मद्रास के नगर में शेरिफ का पद;

(च) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संसक्त किसी अन्य निकाय की सिंडीकेट, सिनेट, कार्यपालिका समिति, परिषद् या कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रत्यायोग या मिशन के सदस्य का पद;

(ज) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले की जांच करने या उसके बारे में सांख्यिकियां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;

[1][(झ)] किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु इसमें (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, और (ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद, सम्मिलित नहीं है;]

(ञ) चाहे लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से कहे जाने वाला ऐसे ग्राम राजस्व आफिसर का पद जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिसको पारिश्रमिक उसके द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है, किन्तु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करता;

[2][(ट) सारणी में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ठ) किसी न्यास के, चाहे वह लोक न्यास हो या प्राइवेट, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई निकाय नहीं है, अध्यक्ष या न्यासी का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ड) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय के, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निकाय नहीं है, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद।]

[3][**स्पष्टीकरण 1**]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए [4][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव] के पद के अन्तर्गत उस प्रकार का हर पद आएगा चाहे वह किसी भी नाम से कहा जाए।

[5][**स्पष्टीकरण 2**—खंड (कक) में ''विपक्षी नेता'' पद का वही अर्थ होगा जो उसका संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) में है।]

[6][**स्पष्टीकरण 3**—खंड (कग) में, ''मान्यताप्राप्त दल'' और ''मान्यताप्राप्त समूह'' पद के वही अर्थ हैं जो संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) में हैं।]

4. कतिपय दशाओं में निरर्हता का अस्थायी निलम्बन—यदि संसद् सदस्य होते हुए कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व ऐसा लाभ का पद धारण करता था जिसे इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया गया था, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के कारण ऐसे निरर्हित हो जाता है तो ऐसा पद उसको संसद् सदस्य रहने के लिए निरर्हित न करेगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास की कालावधि से आगे विस्तृत न होने वाली किसी कालावधि के लिए धृत है।

5. निरसन—संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 19), संसद निरर्हता निवारण अधिनियम, 1951 (1951 का 68), निरर्हता निवारण अधिनियम, 1953 (1954 का 1) और किसी अन्य अधिनियमिति में का कोई उपबन्ध, जो इस अधिनियम से असंगत है, निरसित किए जाते हैं।

---

1. 1993 के अधिनियम सं॰ 54 की धारा 3 द्वारा (19-7-1973 से) खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2006 के अधिनियम सं॰ 31 की धारा 2 द्वारा (18-8-2006 से) अंत:स्थापित।
3. 1977 के अधिनियम सं॰ 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया।
4. 1993 के अधिनियम सं॰ 54 की धारा 3 द्वारा (27-8-1993 से) ''अध्यक्ष या सचिव'' स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1977 के अधिनियम सं॰ 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अंत:स्थापित।
6. 1999 के अधिनियम सं॰ 5 की धारा 5 द्वारा (7-1-1999 से) अंत:स्थापित।

THE SCHEDULE
[*See* section 3(*i*)]
PART I
BODIES UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

Air India International Corporation established under section 3 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Air Transport Council constituted under section 30 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Board of Directors of the Export Risks Insurance Corporation 1*** Limited.

Board of Directors of the Heavy Electricals [1]*** Limited.

Board of Directors of the Hindustan Cables [1]*** Limited.

Board of Directors of the Hindustan Insecticides [1]*** Limited.

Board of Directors of the Hindustan Machine Tools [1]*** Limited.

Board of Directors of the Hindustan Shipyard Limited.

Board of Directors of the [2][Hindustan Chemicals and Fertilizers Limited].

Board of Directors of the National Coal Development Corporation (Private) Limited.

Board of Directors of the National [3][Industrial] Development Corporation [1]*** Limited.

Board of Directors of the national Instruments [1]*** Limited.

Board of Directors of the National Small Industries Corporation [1]*** Limited.

Board of Directors of the Neyveli Lignite Corporation (Private) Limited.

Board of Directors of the Sindri Fertilizers and Chemicals [1]*** Limited.

Board of Directors of the State Trading Corporation of India [1]*** Limited.

Central Warehousing Corporation established under section 17 of the Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956 (28 of 1956).

Coal Board established under section 4 of the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952 (12 of 1952).

Coal Mines Labour Housing Board constituted under section 6 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

Commissioners for the Port of Calcutta.

Committee for the allotment of land in the township of Gandhidham.

Company Law Advisory Commission constituted under section 410 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Cotton Textiles Fund Committee constituted under the Textile Funds Ordinance, 1944 (Ord. 34 of 1944).

Dock Labour Board, Bombay, established under the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, made under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Dock Labour Board, Calcutta, established under the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, made under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Dock Labour Board, Madras, established, under the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1946, made under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Forward Markets Commission established under section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).

Indian Airlines Corporation established under section 3 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Industrial Finance Corporation of India established under section 3 of the Inudstrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948).

1. The brackets and word "Private)" omitted by Act 58 of 1960, s. 3 and the Second Schedule. (w.e.f. 26-12-1960).
2. Subs. by Act 58 of 1960, s. 3 and the Second Schedule, for "Nangal Fertilizers and Chemicals (Private) Limited" (w.e.f. 26-12-1960).
3. Ins. by s. 3 and the Second Sch., ibid. (w.e.f. 26-12-1960).

अनुसूची

[धारा 3(i) देखिए]

भाग 1

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 30 के अधीन गठित एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल।

एक्सपोर्ट रिस्क्स इंश्योरेंस कारपोरेशन [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान केबल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

[2][हिन्दुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड] का निदेशक बोर्ड।

नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

नेशनल [3][इंडस्ट्रीयल] डेवलपमेंट कारपोरेशन [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

सिन्द्री फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 17 के अधीन स्थापित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन।

कोल माइंस (कंजरवेशन एंड सेफ्टी) ऐक्ट, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 के अधीन स्थापित कोल बोर्ड।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 6 के अधीन गठित कोल माइंस लेबर हाउसिंग बोर्ड।

कलकत्ता के पत्तन के कमिश्नर।

गांधीधाम नगर में भूमि के आबंटन के लिए समिति।

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 के अधीन गठित कंपनी ला एडवाइजरी कमीशन।

टेक्सटाइल फंड्स आर्डिनेंस, 1944 (1944 का 34) के अधीन गठित काटन टेक्सटाइल फंड कमेटी।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई बाम्बे डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, बाम्बे।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई कलकत्ता डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्पलायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, मद्रास।

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम (रेगुलेशन), 1952 (1952 का 74) की धारा 3 के अधीन स्थापित फारवर्ड मार्केट्स कमीशन।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया।

---

1. 1960 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (26-12-1960 से) ''(प्राइवेट)'' शब्द और कोष्ठकों का लोप किया गया।

2. 1960 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (26-12-1960 से) ''नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1960 के अधिनियम सं॰ 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (26-12-1960 से) अन्त:स्थापित।

Licensing Committee constituted under rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, made under the Industries (Development of Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Mining Boards constituted under secton 12 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

National Co-operative Development and Warehousing Board established under section 3 of the Agricultural Produce (Development and Waterhousing) Corporations Act, 1956 (28 of 1956).

Rehabilitation Finance Administration constituted under section 3 of the Rehabilitation Finance Administration Act, 1948 (12 of 1948).

Tariff Commission established under section 3 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951).

Trustees of the Port of Bombay.

Trustees of the Port of Madras.

Trustees or Commissioners of any major port as defined in the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), other than the Port of Calcutta, Bombay or Madras.

Bodies under State Governments

Andhra Pradesh

Agricultural Improvement Fund Committee constituted under section 3 of the Hyderabad Agricultural Improvement Act, 1952.

Co-operative Agricultural and Marketing Development Fund Committee.

Livestock Purchasing Committee.

Assam

Adhi Conciliation Boards constituted under section 2A of the Assam Adhiars Protection and Regulation Act, 1948.

Assam Evacuee Property Management Committee constituted under secton 12 of the Assam Evacuee Property Act, 1951.

Assam Text Book Committee.

Bihar

Mining Board for Coal Mines.

Text Book and Education Literature Committee.

Bombay

Allocation Committee (Allopathic) under the Employees' State Insurance Scheme.

Allocation Committee (Ayurvedic) under the Employees' State Insurance Scheme.

Board to conduct over-all supervision of the business and affairs of the *Narsinggiriji* Mills, Sholapur.

Bombay Housing Board constituted under section 3 of the Bombay Housing Board Act, 1948.

Bombay State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

Bombay State Electricity Consultative Council constituted under section 16 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

Medical Service Committee under the Employees' State Insurance Scheme.

Pharmaceutical Committee under the Employees' State Insurance Scheme.

Regional Transport Authority for Ahmedabad, Aurangabad, Bombay, Nagpur, Poona, Rajkot and Thana constituted under section 44 of the *Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Saurashtra Housing Board constituted under section 3 of the Saurashtra Housing Board Act, 1954.

State Transport Authority constituted under section 44 of the *Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Vidarbha Housing Board constituted under section 3 of the Madhya Pradesh Housing Act, 1950.

---

*Now see the relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन बनाए गए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग आफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स रूल्स, 1952 के नियम 10 के अधीन गठित लाइसेंसिंग कमेटी।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित माइनिंग बोर्ड।

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 3 के अधीन स्थापित नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड।

पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, 1948 (1948 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित रिहेबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन।

टैरिफ कमीशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित टैरिफ कमीशन।

बाम्बे के पत्तन के ट्रस्टीज।

मद्रास के पत्तन के ट्रस्टीज।

कलकत्ता, मुम्बई या मद्रास पत्तन से भिन्न, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में यथापरिभाषित किसी महापत्तन के ट्रस्टीज या कमिश्नर।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट ऐक्ट, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट फंड कमेटी।

को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी।

लाइव स्टाक परचेजिंग कमेटी।

आसाम

आसाम अधियार्स प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऐक्ट, 1948 की धारा 2क के अधीन गठित अधि काउंसिलियेशन बोर्ड्स।

आसाम इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित आसाम इवैकुई प्रापर्टी मैनेजमेंट कमेटी।

आसाम टेक्स्ट बुक कमेटी।

बिहार

माइनिंग बोर्ड फार कोल माइंस।

टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल लिट्रेचर कमेटी।

मुम्बई

एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (एलोपैथिक)।

एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (आयुर्वेदिक)।

नरसिंगगिरिजी मिल्स, शोलापुर के कारबार और कामकाज के सर्वोपरि पर्यवेक्षण के संचालन के लिए बोर्ड।

बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित बाम्बे हाउसिंग बोर्ड।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंसल्टेटिव काउंसिल।

एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंश स्कीम के अधीन मेडिकल सर्विस कमेटी।

एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंश स्कीम के अधीन फार्मेस्यूटिकल कमेटी।

*मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, पुणे, राजकोट और थाणा के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी।

सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1954 की धारा 3 के अधीन गठित सौराष्ट हाउसिंग बोर्ड।

*मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित राज्य ट्रांसपोर्ट अथारिटी।

मध्य प्रदेश हाउसिंग ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित विदर्भ हाउसिंग बोर्ड।

---

*अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए।

Kerala

Board of Examiners appointed under rule 8 of the Travancore-Cochin Boiler Attendants Rules, 1954.
Panel of Assessors constituted under rule 63 of the Travancore-Cochin Boiler Attendants Rules, 1954.
Panel of Assessors constituted under the Travancore-Cochin Economiser Rules, 1956.

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Housing Board constituted under section 3 of the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1950.
Mahakoshal Housing Board.

[1][*Tamil Nadu*]

Committee to select Books for Study for S.S.L.C. Examination.
Landing and Shipping Fees Committes for Minor Ports.
Local Committee constituted under regulation 10A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.
Madras Board of Transport.
[2][Tamil Nadu State Electricity Board] constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).
Madras State Electricity Consultative Council constituted under section 16 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).
Port Conservancy Boards.
Port Trust Boards of Minor Ports.
State Board of Communications.
Text Books Committee.

[3][*Karnataka*]

Board of Management, Mysore Iron and Steel Works, Bhadravathi.
Board of Management of Industrial Concerns.

Orissa

Appeal Committee under the Board of Secondary Education.
Orissa Board of Communications and Transport.
Regional Transport Authority constituted under section 44 of the *Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).
State Transport Authority constituted under section 44 of the *Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Punjab

Punjab State National Workers (Relief and Rehabilitation) Board.

Rajasthan

City Improvement Trust, Kota, constituted uner the City of Kota Improvement Act, 1946.
Excise Appellate Board, Ajmer.
Rajasthan State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).
Urban Improvement Board, Jaipur.

Uttar Pradesh

Government Cement Factory Board.
Local Committees for Agra, Kanpur, Lucknow and Saharanpur appointed under section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).
Sub-Committee to select books for Educational Expansion Department.
U.P. Sugar and Power Alcohol and Labour Housing Board constituted under section 10 of the U.P. Sugar and Power Alcohol Industries Labour Welfare and Development Fund Act, 1950.

---

1. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1970, for "Madras" (w.e.f. 14-1-1969).
2. Subs. ibid., for "Madras State Electricity Board". (w.e.f. 14-1-1969).
3. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
*Now see the relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

केरल

ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 8 के अधीन नियुक्त बोर्ड आफ एग्जामिनर्स।
ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 63 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स।
ट्रावनकोर-कोचीन इकोनोगाइजर रूल्स, 1956 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड।
महाकौशल हाउसिंग बोर्ड।

[1][तमिलनाडु]

एस॰एस॰एल॰सी॰ परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए पुस्तक चयन करने वाली कमेटी।
छोटे पत्तनों के लिए लैंडिंग एंड शिपिंग फीस कमेटीज।
एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेंश (जनरल) रेगुलेशन्स, 1950 के विनियम 10क के अधीन गठित लोकल कमेटी।
मद्रास बोर्ड आफ ट्रांसपोर्ट।
विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित [2][तमिलनाडु राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड]।
विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सलटेटिव काउंसिल।
पोर्ट कंजरवेंसी बोर्ड्स।
छोटे पत्तनों के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड्स।
स्टेट बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स।
टेक्स्ट बुक्स कमेटी।

[3][कर्नाटक]

बोर्ड आफ मैनेजमेंट, मैसूर आइरन एंड स्टील वर्क्स, भद्रावती।
बोर्ड आफ मैनेजमेंट आफ इंडट्रियल कन्सर्न्स।

उड़ीसा

बोर्ड आफ सेकेन्डरी के अधीन अपील कमेटी।
उड़ीसा बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स एंड ट्रांसपोर्ट
*मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी।
*मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी।

पंजाब

पंजाब स्टेट नेशनल वर्कर्स (रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन) बोर्ड।

राजस्थान

सिटी आफ कोटा इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1946 के अधीन गठित सिटी एम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोटा।
एक्साइज अपीलेट बोर्ड, अजमेर।
विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।
अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर।

उत्तर प्रदेश

गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी बोर्ड।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अधीन नियुक्त आगरा, कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर के लिए स्थानीय समितियां।

शिक्षा विस्तार विभाग के लिए पुस्तक चयन करने वाली उपसमिति।

यूपी शुगर एंड पावर अल्कोहल इंडस्ट्रीज लेबर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड ऐक्ट, 1950 की धारा 10 के अधीन गठित यूपी शुगर एंड पावर अल्कोहल एंड लेबर हाउसिंग बोर्ड।

---

1. .मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) ''मद्रास'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) ''मद्रास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) ''मैसूर'' शब्द के स्थान के स्थान पर प्रतिस्थापित।

*अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए।

West Bengal

Licensing Board constituted under the regulations made under rule 45 of the Indian Electricity Rules, 1956.

West Bengal Housing Board constituted under the West Bengal Development Corporation Act, 1954.

BODIES IN UNION TERRITORIES

Delhi Development Authority constituted under section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

Delhi Electricity Power Control Board constituted under section 5 of the Bombay Electricity (Special Powers) Act, 1946, as applied to Delhi.

Delhi State Electricity Council constituted under section 16 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

PART II

BODIES UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

Advisory Committee for the Air-India International Corporation appointed under section 41 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Advisory Committee for the Indian Airlines Corporation appointed under section 41 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Central Silk Board constituted under section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948).

Coffee Board constituted under section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).

Coir Board constituted under section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953).

Development Council for Acids and Fertilizers established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Alkalis and Allied Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Bicycles established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Drugs, Dyes and Intermediates established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Food Processing Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Heavy Electrical Engineering Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Internal Combustion Engines and Power Driven Pumps established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Light Electrical Engineering Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Machine Tools established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Non-ferrous Metals including alloys established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Oil-based and Plastic Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Sugar Industry established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Textiles made of artificial silk including artificial Silk Yarn established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

पश्चिमी बंगाल

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 45 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन गठित लाइसेंसिंग बोर्ड।

वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कारपोरेशन एक्ट, 1954 के अधीन गठित वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड।

संघ राज्यक्षेत्रों में के निकाय

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी।

दिल्ली को यथा लागू बाम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1946 की धारा 5 के अधीन गठित दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रोल बोर्ड।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल।

भाग 2

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त एयर इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी।

केन्द्रीय रेशम-बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित सेंट्रल सिल्क बोर्ड।

कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित कॉफी बोर्ड।

कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन गठित क्वायर बोर्ड।

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार एसिड्स एंड फर्टिलाइजर्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार अल्कली एंड अलाईड इंडस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार बाइसिकिल्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार ड्रग्स, डाइस एंड इंटरमिडिएट्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउंसिल फार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार हैवी इलैक्ट्रिकल इंजीनियनिंग इंडस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार हैवी इन्टरनल कम्बश्चन एंजिन्स एंड पावर ड्रिवन पम्प्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार लाइट इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार मशीन टूल्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार नान-फेरस मेटल्स इन्क्लूडिंग एलाइज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार आयल बेस्ड एण्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार शुगर इंडस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टैक्सटाइल्स मेड आफ आर्टिफिशियल सिल्क इन्क्लूडिंग आर्टिफिशियल सिल्क यार्न।

Development Council for Textiles made of Wool, including woollen yarn, hosiery, carpets and druggets established under under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Durgah Committee, Ajmer, constituted under section 4 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

Indian Central Arecanut Committee.

Indian Central Coconut Committee constituted under section 4 of the Indian Coconut Committee Act, 1944 (10 of 1944).

Indian Central Cotton Committee constituted under section 4 of the Indian Cotton Cess Act, 1923 (14 of 1923).

Indian Central Jute Committee.

Indian Central Oilseeds Committee constituted under section 4 of the Indian Oilseeds Committee Act, 1946 (9 of 1946).

Indian Central Sugarcane Committee.

Indian Central Tobacco Committee.

Indian Lac Cess Committee constituted under section 4 of the Indian Lac Cess Act, 1930 (24 of 1930).

Rubber Board constituted under section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947).

Tea Board constituted under section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953).

BODIES UNDER STATE GOVERNMENTS

Andhra Pradesh

Market Committee constituted under section 4 of the Hyderabad Agricultural Market Act No. II of 1339 F.

Market Committee constituted under section 4A of the Madras Commercial Crops Markets Act, 1933.

Bihar

Bihar State Board of Religious Trusts.

Bihar Subai Majlis Awqaf.

Bodh Gaya Temple Advisory Committee constituted under section 15 of the Bodh Gaya Temple Act, 1949.

Bodh Gaya Temple Management Committee constituted under section 3 of the Bodh Gaya Temple Act, 1949.

Kerala

Administration Committee for Coir Purchase Scheme.

Malabar Market Committee constituted under section 4A of the Madras Commercial Crops Markets Act, 1933.

Tapioca Market Expansion Board.

[1][*Tamil Nadu*]

Area Committee for Hindu Religious and Charitable Endowments constituted under section 12 of the Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1951.

Madras State Wakf Board constituted under section 9 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954).

Punjab

State Marketing Board constituted under section 3 of the Patiala Agricultural Produce Markets Act, 2004.

[2]* * * * *

[3][TABLE

[*See* section 3(*k*)]

S.No.	*Name of body*
(1)	(2)
1.	The Tripura Khadi and Village Industries Board, a body constituted under the Tripura Khadi and Village Industries Act, 1966.
2.	The Uttar Pradesh Development Council.
3.	The Irrigation and Flood Control Commission, Uttar Pradesh.

1. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) (Adaption of Laws on Union Subjects) Order, 1970, for "Madras" (w.e.f. 14-1-1969).
2. Part III omitted by Act 54 of 1993, s. 4 (w.e.f. 19-7-1993).
3. Ins. by Act 31 of 2006, s. 3 (w.e.f. 18-8-2006).

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टेक्सटाइल्स मेड आफ वूल इन्क्लूडिंग वूलन यार्न, होजरी, कार्पेट्स एंड ड्रगट्स।

दरगाह ख्वाजा साहिब ऐक्ट, 1955 (1955 का 36) की धारा 4 के अधीन गठित दरगाह कमेटी, अजमेर।

इंडियन सेंट्रल अरिकानट कमेटी।

इंडियन कोकोनट कमेटी ऐक्ट, 1944 (1944 का 10) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी।

इंडियन काटन सेल्स ऐक्ट, 1923 (1923 का 14) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी।

इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी।

इंडियन आयल सीड्स कमेटी ऐक्ट, 1946 (1946 का 9) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल आयल सीड्स कमेटी।

इंडियन सेंट्रल शूगरकेन कमेटी।

इंडियन सेंट्रल टोबेको कमेटी।

इंडियन लेक सेस ऐक्ट, 1930 (1930 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन लेक सेस कमेटी।

रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबर बोर्ड।

चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित टी बोर्ड।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

1339 एफ॰ के हैदराबाद एग्रिकल्चरल मार्केट ऐक्ट नं॰ 2 की धारा 4 के अधीन गठित मार्केट कमेटी।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मार्केट कमेटी।

बिहार

बिहार स्टेट बोर्ड आफ रिलिजिस ट्रस्ट्स।

बिहार सुबाई मजलिस ओकाफ।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 15 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल टेम्पल एडवाइजरी कमेटी।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी।

केरल

क्वायर परचेज स्कीम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मालाबार मार्केट कमेटी।

टपीओका मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड।

[1][तमिलनाडु]

मद्रास हिन्दू रिलिजिस एंड चैरिटेबिल एंडाउमेण्ट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित हिन्दू रिलिजिस एंड चैरिटेबल एंडाउमण्ड्स के लिए एरिया कमेटी।

वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 9 के अधीन गठित मद्रास स्टेट वक्फ बोर्ड।

पंजाब

पटियाला एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट, 2004 की धारा 3 के अधीन गठित स्टेट मार्केटिंग बोर्ड।

[2]* * * * *

[3][सारणी

[धारा 3(ट) देखिए]

क्रम सं॰	निकाय का नाम
(1)	(2)
1.	त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज ऐक्ट, 1966 के अधीन गठित निकाय।
2.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कांउन्सिल।
3.	इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल कमीशन, उत्तर प्रदेश।

1. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) ''मद्रास'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1993 के अधिनियम सं॰ 54 की धारा 4 द्वारा (19-7-1993 से) भाग 3 का लोप किया गया।

3. 2006 के अधिनियम सं॰ 31 की धारा 3 द्वारा (18-8-2006 से) अंत:स्थापित।

(1)	(2)
4.	The Indian Statistical Institute, Calcutta.
5.	The West Bengal Handicrafts Development Corporation Limited.
6.	The West Bengal Small Industries Development Corporation Limited.
7.	The West Bengal Industrial Development Corporation Limited.
8.	The Sriniketan Santiniketan Development Authority, a body constituted under the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 (West Bengal Act No. 13 of 1979).
9.	The Haldia Development Authority, a body constituted under the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 (West Bengal Act No. 13 of 1979).
10.	The West Bengal Minorities Development and Finance Corporation, a body constituted under the West Bengal Minorities Development and Finance Corporation Act, 1995.
11.	The Hooghly River Bridge Commissioners, constituted under the Hooghly River Bridge Act, 1969 (West Bengal Act No. 36 of 1969).
12.	The Board of Wakf, West Bengal, a body constituted under the Wakf Act, 1995 (43 of 1995).
13.	The State Fisheries Development Corporation Limited, West Bengal.
14.	The West Bengal State Haj Committee, constituted under the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002).
15.	The Asansol Durgapur Development Authority, West Bengal, a body constituted under the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 (West Bengal Act No. 13 of 1979).
16.	The West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited.
17.	The West Bengal Handloom and Powerloom Development Corporation Limited.
18.	The West Bengal Khadi and Village Industry Board.
19.	The Society for Self-employment for Urban Youth, a society registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961 (West Bengal Act No. 26 of 1961).
20.	The Tirumala Tirupathi Devasthanams Board.
21.	The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, an authority constituted under section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986).
22.	The National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Limited (NAFED).
23.	The Indian Farmer Fertilizers Co-operative Limited (IFFCO).
24.	The Krishak Bharati Co-operative Limited (KRIBHCO).
25.	The National Co-operative Consumers Federation of India Limited (NCCF).
26.	The Auroville Foundation established under sub-section (*1*) of section 10 of Auroville Foundation Act, 1988 (54 of 1988).
27.	The National Commission of Enterprises in the Unorganised Section.
28.	The Planning Board (Asiatic Society) established under sub-section (*1*) of section 8 of the Asiatic Society Act, 1984 (5 of 1984).
29.	The Delhi Rural Development Board.
30.	The Maulana Azad Education Foundation.
31.	The Indira Gandhi National Centre for the Arts.
32.	The Dr. Ambedkar Foundation.
33.	The Bihar State Board of Religious Trust, a body constituted under the Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 (Bihar Act No. 1 of 1951).

(1)	(2)
4.	इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।
5.	वेस्ट बेंगाल हेंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
6.	वेस्ट बेंगाल स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
7.	वेस्ट बेंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
8.	श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय।
9.	हल्दिया डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय।
10.	वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1995 के अधीन गठित निकाय।
11.	हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स, हुगली रिवर ब्रिज ऐक्ट, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 36) के अधीन गठित।
12.	पश्चिमी बेंगाल वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के अधीन गठित निकाय।
13.	स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, वेस्ट बेंगाल।
14.	पश्चिमी बेंगाल राज्य हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) के अधीन गठित निकाय।
15.	आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बेंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय।
16.	वेस्ट बेंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
17.	वेस्ट बेंगाल हेंडलूम एण्ड पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
18.	वेस्ट बेंगाल खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड।
19.	सोसाइटी फार सेल्फ इंप्लाइमेंट फार अरबी यूथ, वेस्ट बेंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 (1961 का पश्चिमी बेंगाल अधिनियम संख्यांक 26) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।
20.	तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम् बोर्ड।
21.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के अधीन गठित प्राधिकरण।
22.	नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड)।
23.	इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको)।
24.	कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)।
25.	नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ)।
26.	आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आरोविल प्रतिष्ठान।
27.	नेशनल कमीशन आफ इन्टरप्राइजेज इन अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर।
28.	एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी)।
29.	दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड।
30.	मौलाना आजाद एजुकेशन फांउडेशन।
31.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र।
32.	डॉ॰ अंबेडकर फॉउंडेशन।
33.	बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, बिहार हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन गठित निकाय।

(1)	(2)
34.	The Research and Information System for the Non-Aligned and other Developing Countries.
35.	The Indian Institute of Psychometry.
36.	The Uttar Pradesh Film Development Council.
37.	The Uttar Pradesh Provincial Co-operative Federation.
38.	The Uttar Pradesh Co-operative Federation Limited.
39.	The National Co-operative Union of India.
40.	The Uttar Pradesh Krishi and Gram Vikas Bank.
41.	The Uttar Pradesh Co-operative Bank Limited.
42.	The Indian Council for Cultural Relations.
43.	The Board of Control—A.N. Sinha Institute of Social Studies, Patna.
44.	All India Council for Sports.
45.	The Howrah Improvement Trust.
46.	The Dalit Sena, 12, Janpath, New Delhi.
47.	The Social Justice Trust, 12, Janpath, New Delhi.
48.	The Bahujan Foundation (Charitable Trust), Lucknow, Uttar Pradesh.
49.	The Bahujan Prerna Charitable Trust, Delhi.
50.	The Central Wakf Council established under section 9 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995).
51.	The Nehru Memorial Museum and Library (NMML).
52.	The Jalianwala Bagh Memorial Trust.
53.	The Haj Committee of India constituted under section 3 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002).
54.	The Mallickghat Phoolbazar Parichalan Committee.
55.	The West Bengal Fisheries Corporation Limited.]

(1)	(2)
34.	रिसर्च एण्ड इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर नॉन-अलाइड एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज।
35.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री।
36.	उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल।
37.	उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कोऑपरेटिव फेडरेशन।
38.	उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड।
39.	नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया।
40.	उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम विकास बैंक।
41.	उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
42.	इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स।
43.	बोर्ड आफ कन्ट्रोल—ए॰एन॰ सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पटना।
44.	ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स।
45.	हावड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट।
46.	दलित सेना, 12, जनपथ, नई दिल्ली।
47.	सोशल जस्टिस ट्रस्ट, 12, जनपथ, नई दिल्ली।
48.	बहुजन फॉउंडेशन (चेरिटेबल ट्रस्ट) लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
49.	बहुजन प्रेरणा चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली।
50.	केन्द्रीय वक्फ परिषद्, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 के अधीन स्थापित।
51.	नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइबेरी (एनएमएमएल)।
52.	जलियांवाला बाग स्मारक न्यास।
53.	भारत की हज समिति हज समिति, अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 3 के अधीन गठित।
54.	मल्लिकघाट फूलबाजार परिचालन कमेटी।
55.	वेस्ट बेंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड।]

ACTS OF THE STATE LEGISLATURES RELATING TO REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS

(Updated to the extent of information received from the concerned State Governments)

Contents

1. The Assam State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1950.
2. The Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1950.
3. The Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951.
4. The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1952.
5. The Andhra Pradesh Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualifications Act, 1953.
6. The Karnataka Legislature (Prevention of Disqualification) Act. 1956.
7. The Maharashtra Legislature Members (Removal of Disqualification) Act, 1956.
8. The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956.
9. The Gujarat Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1960.
10. The Orissa Offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1961.
11. The Jammu and Kashmir State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1962.
12. The Nagaland State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1964.
13. The Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirharta Adhiniyam, 1967.
14. The Tamil Nadu Legislature Members (Prevention of Disqualification) Act, 1967.
15. The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971.
16. The Parliamentary Secretary (Payment of Special Allowance and Prevention of Disqualification) Act, 1971.
17. The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971.
18. The Manipur Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1972.
19. The Prevention of Disqualification (Members of the Legtislative Assembly of Meghalaya) Act, 1972.
20. The Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1972.
21. The Haryana State Legislature (Prevention of Disqualifications) Act, 1974.
22. The Mizoram Union Territory Legislature Members' (Removal of Disqualifications Act, 1975.
23. The Arunachal Pradesh Legislature Members (Prevention of Disqualifications) Act, 1977.
24. The Sikkim Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act. 1978
25. The Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1979.
26. The Goa, Daman and Diu Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1982.
27. The Pondicherry Members of The Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994.
28. The West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 2007.

निरर्हताओं को हटाने संबंधी राज्य विधान-मंडलों के अधिनियम

(संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त हुई जानकारी तक अद्यतन)

विषय सूची

1. असम राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1950
2. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950
3. विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951
4. पंजाब राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1952
5. आंध्र प्रदेश वेतन और पेंशन का संदाय और निरर्हता हटाना अधिनियम, 1953
6. कर्नाटक विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1956
7. महाराष्ट्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1956
8. राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956
9. गुजरात विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1960
10. उड़ीसा लाभ का पद (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1961
11. जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1962
12. नागालैंड राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1964
13. मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967
14. तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1967
15. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1971
16. संसदीय सचिव (विशेष भत्ता संदाय और निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971
17. उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971
18. मणिपुर विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972
19. निरर्हता-निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अधिनियम, 1972
20. त्रिपुरा राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972
21. हरियाणा राज्य विधान-सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1974
22. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1975
23. अरुणाचल प्रदेश विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1977
24. सिक्किम विधान सभा सदस्य निरर्हता हटाना अधिनियम, 1978
25. विधान सभा (निरर्हता हटाना) संशोधन अधिनियम, 1979
26. गोवा, दमण और दीव विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1982
27. पांडिचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994
28. पश्चिमी बंगाल विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 2007।

THE ASSAM STATE LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1950

ASSAM ACT XIII OF 1950

[30*th March,* 1950.]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as and for being a member of the Assam Legislative Assembly.

Preamble.—WHEREAS it is expedient to provide in accordance with the provisions of article 191(1)(a) of the Constitution that the holders of the offices hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Assam Legislative Assembly;

It is hereby enacted as follows: —

1. Short title, extent and commencement.—(*1*) This Act may be called the Assam State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1950.

(*2*) It extends to the whole of Assam.

(*3*) It shall come into force on the date on which the Assam State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1950 (Assam Ordinance No. II of 1950), ceases to operate.

2. Removal of certain disqualifications—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Assam Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto [1][in so far as it is an office of profit under the State Government].

THE SCHEDULE

1. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of Assam.

2. The office of Government Pleaders or Public Prosecutor.

3. The office of part-time Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government educational institution.

4. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

5. Gaonburha, chowkidar whether called by this or any other title.

[2][6. The office of the [3][Minister of State and] Deputy Minister to the Government of Assam].

[4][6A. Any office held by a Minister, Minister of State, Deputy Minister or Parliamentary Secretary for the State of Assam.]

[5][7. The office of Chairman [6][and Director of the Assam State Warehousing Corporation and of Public Sector Corporations like Major Industries Development Corporation and Small Industries Development Corporation, etc., and Chairman]. Vice-Chairman, or members of any Committee, Board or Authority appointed by the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

8. Any office under the Government which is not a whole-time office remunerated either by salary or fees.

9. The office of the Chief Executive Member and the other Executive Members of a District Council in an Autonomous District and of the members nominated to such a District Council by the Governor.]

[7][10. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.]

[8][11. Any office held in the Auxiliary Air Force or Air Defence Reserve.]

---

1. Added by Assam Act VIII of 1970.
2. Ins. by Assam Act XXIII of 1950.
3. Ins. by Assam Act VI of 1967.
4. Ins. by Assam Act VIII of 1970.
5. Ins. by Assam Act VIII of 1952.
6. Added by Assam Act X of 1974.
7. Ins. by Assam Act XIV of 1954, s. 2.
8. Ins. by Assam Act XVIII of 1957.

असम राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1950

(1950 का असम अधिनियम संख्यांक 13)

[30 मार्च, 1950]

असम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं को हटाने के लिए उपबंध करने वाला अधिनियम

उद्देशिका—संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के उपबंधों के अनुसार यह उपबंध करना समीचीन है कि इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक असम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होंगे;

यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम असम राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1950 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण असम पर होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसको असम राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हताओं का हटाना) अध्यादेश, 1950 (1950 का असम अध्यादेश सं॰ 2) प्रवर्तन में नहीं रहता।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना—कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह इसमें संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद, [1][जब तक कि वह राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद है] को धारण करता है, कोई व्यक्ति असम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा।

अनुसूची

1. असम राज्य के संसदीय सचिव का पद।

2. सरकारी प्लीडरों या लोक अभियोजक का पद।

3. सरकारी शैक्षिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद।

4. चिकित्सा व्यवसायी जो सरकार को अंशकालिक सेवा दे रहे हैं।

5. गोवनवरा, चौकीदार, चाहे वे इस नाम से या किसी अन्य शीर्षक से पुकारे जाएं।

[2][6. असम सरकार के [3][राज्यमंत्री और] उपमंत्री का पद।]

[4][6क. असम सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव द्वारा धारित कोई पद।]

[5][7. असम राज्य भांडागार निगम और मुख्य औद्योगिक विकास निगम और लघु उद्योग विकास निगम, आदि पब्लिक सेक्टर निगमों के अध्यक्ष [6][और निदेशक तथा भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकरण के अध्यक्ष], उपाध्यक्ष या सदस्य का पद।

8. सरकार के अधीन कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है और जिसके लिए वेतन या फीस का पारिश्रमिक नहीं है।

9. किसी स्वशासी जिले में मुख्य कार्यकारी सदस्य और अन्य कार्यकारी सदस्यों तथा ऐसी जिला परिषद् में राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद।]

[7][10. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडिट कोर में धृत कोई पद।]

[8][11. सहायक वायु सेना या वायु रक्षा रिजर्व में धृत कोई पद।]

---

1. 1970 के असम अधिनियम सं॰ 8 द्वारा जोड़ा गया।
2. 1950 के असम अधिनियम सं॰ 23 द्वारा अंत: स्थापित।
3. 1967 के असम अधिनियम सं॰ 6 द्वारा अंत: स्थापित।
4. 1970 के असम अधिनियम सं॰ 8 द्वारा अंत: स्थापित।
5. 1952 के असम अधिनियम सं॰ 8 द्वारा अंत: स्थापित।
6. 1974 के असम अधिनियम सं॰ 10 द्वारा जोड़ा गया।
7. 1954 के असम अधिनियम सं॰ 14 की धारा 2 द्वारा अंत: स्थापित।
8. 1957 के असम अधिनियम सं॰ 18 द्वारा अंत: स्थापित।

THE BIHAR LEGISLATURE (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1950

BIHAR ACT NO. 16 OF 1950

[29th *March*, 1950.]

An Act to provide that holders of certain offices shall not be disqualified for being chosen as, or for being, members of the Bihar Legislative Assembly or the Bihar Legislative Council.

WHEREAS it is expedient to provide that holders of certain offices shall not be disqualified for being chosen as, or for being, members of the Bihar Legislative Assembly or the Bihar Legislative Council.

It is hereby enacted as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1950.

2. Removal of disqualifications for membership.—A person shall not be [1][and shall be deemed never to have been] disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Bihar Legislative Assembly or the Bihar Legislative Council by reason only of the fact that he holds any of the offices, being offices of profit, mentioned in the Schedule.

3. Repeal of Bihar Ordinance 1 of 1950.—The Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1950 (Bihar Ordinance No. 1 of 1950) is hereby repealed.

THE SCHEDULE

[2][(*1*) The offices of the State Minister and the Deputy Minister.]

(*2*) The office of Parliamentary Secretary.

[3][(*3*)] Any office in the Territorial Army constituted under the Territorial Army Act, 1948.

[4][(*4*) Any office in the National Cadet Corps constituted under the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948).]

[5][(*5*) The office of the Chairman or member of any Committee or body appointed by the Central or a State Government or by a servant of the Government:

Provided that the Chairman or any member of such Committee or body does not receive any remuneration other than compensatory allowance.]

[6][*Explanation*.—For the purpose of this item "Compensatory allowance" shall mean—

(*i*) the travelling allowance, daily allowance, or any allowance in the shape of honorarium, which may be paid to the holder of the office for the purpose of reimbursing the personal expenditure incurred by him in attending the meetings of the committee or body or performing any other functions as the holder of the said office; and

(*ii*) the allotment of quarter and the provision for conveyance, and such other facilities, privileges and amenities to the holder of the office or cash payment in lieu thereof as the State Government, the Board or the managing authority of the committee or the body, as the case may be, may, by order made in this behalf, on such terms and conditions as may be mentioned therein, from time to time, determine.]

[7][*(6)* Any office under an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government.

Explanation.—For the purpose of this clause, the expression "controlled business" and the word "insurer" shall have the meanings respectively assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).

---

1. Ins. by Bihar Act 33 of 1956, s. 2.
2. Subs. by Bihar Act 25 of 1975, for item (1).
3. Item (2) re-numbered as item (3), *ibid*.
4. Ins. by Bihar Act 34 of 1953, s. 2. The said section also prescribes that the items and *Explanation* shall be deemed always to have been added in the main Act.
5. Subs. by Bihar Act 1 of 1971, s. 2.
6. Subs. by Bihar Act 10 of 1975, s. 2 and shall be deemed always to have been substituted.
7. Added by Bihar Act 33 of 1956, s. 3.

बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950

(1950 का बिहार अधिनियम संख्यांक 16)

[29 मार्च, 1950]

यह उपबंध करने के लिए अधिनियम कि कुछ पदों के धारक बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे।

चूंकि यह उपबंध करना इष्टकार है कि कुछ पदों के धारक बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे।

अत: निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950 है।

2. **सदस्यता के लिए अनर्हताओं का हटाया जाना**—केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह अनुसूची में वर्णित लाभ के पद होने वाले पदों में से किसी को धारण करता है कोई व्यक्ति बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होगा [1][और कभी भी अनर्ह न हुआ समझा जाएगा]।

3. **1950 के बिहार अध्यादेश 1 का निरसन**—बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अध्यादेश, 1950 (1950 का बिहार अध्यादेश 1) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुसूची

[2][(1) राज्यमंत्री या उपमंत्री के पद; और]

(2) संसदीय सचिव का पद।

[3][(3)] प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के अधीन गठित प्रादेशिक सेना में कोई पद।

[4][(4) राष्ट्रीय छात्र सैनिक गुल्म अधिनियम, 1948 (1948 का 31) के अधीन गठित राष्ट्रीय छात्र सैनिक गुल्म में कोई पद।]

[5][(5) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अथवा सरकार के सेवक द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद बशर्ते कि ऐसी समिति या निकाय का अध्यक्ष या कोई सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ता के सिवाय अन्य कोई पारिश्रमिक न लेता हो:

परंतु यह कि ऐसी समिति या निकाय सभापति या कोई अन्य सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है।]

[6][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनार्थ ''प्रतिकरात्मक भत्ता'' से अभिप्रेत होगा:—

(i) पदधारी को समिति या निकाय की बैठक में उपस्थित होने अथवा उक्त पदधारी के रूप में कोई अन्य कृत्य संपादित करने में उसके द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ दिया जाने वाला यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता या मानदेय के रूप में दिया जाने वाला भत्ता; और

(ii) पदधारी को क्वार्टर का आबंटन और उसके लिए सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं, विशेषाधिकारों तथा सुख-साधनों, अथवा उनके बदले में नकद भुगतान का उपबंध जैसा कि, यथास्थिति, राज्य सरकार बोर्ड, अथवा समिति या निकाय का प्रबंध-प्राधिकारी, इस निमित्त दिए गए आदेश द्वारा, उसमें यथाउल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर, समय-समय पर अवधारित करें।]

[7][(6) ऐसे किसी बीमाकर्ता के अधीन कोई पद जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए ''नियंत्रित कारबार'' पद और ''बीमाकर्ता'' शब्द का वही अर्थ होगा जो अर्थ कि क्रमश: उनका जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) में है।

---

1. 1956 का बिहार अधिनियम सं॰ 33 की धारा 2 द्वारा अंत: स्थापित।
2. 1975 का बिहार अधिनियम सं॰ 25 द्वारा मद (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1975 का बिहार अधिनियम सं॰ 25 द्वारा मद (2) को मद (3) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
4. 1953 का बिहार अधिनियम सं॰ 34 की धारा 2 द्वारा अंत: स्थापित। उक्त धारा यह भी विहित करती है कि खंड और व्याख्या के बारे में यह समझा जाएगा कि वे मूल अधिनियम में सदैव जुड़े हुए हैं।
5. 1971 का बिहार अधिनियम सं॰ 1 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1975 का बिहार अधिनियम सं॰ 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।
7. 1956 का बिहार अधिनियम सं॰ 33 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।

(*7*) The office of an agent or other like office under the Central Government or the State Government for the purpose of effecting sales of, or collecting subscriptions towards, National Plan Certificates for such Commission as the Central Government may have fixed in that behalf or without such commission.

Explanation. —For the purpose of the clause, a National Plan Certificate include:—

(*i*) 12 years' National Savings Certificate;

(*ii)* 10 years' National Plan Certificate; and

(*iii)* any other savings certificate or Government Securities notified as such by the Central Government.]

[1][(*8*) The office of a member in the Auxiliary Air Force or the Air Defence Reserve raised and maintained under the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952).]

[2][(*9*) The office of the acting Chairman under clause (1) of article 184 of the Constitution of India], and

[3][(*10*) The office of the acting Speaker under clause (1) of article 180 of the Constitution of India.]

1. Added by Bihar Act 33 of 1956, s. 3.
2. Added by Bihar Act 2 of 1957, s. 2 and shall be deemed always to have been substituted.
3. Added by Bihar Act 25 of 1975, s. 2 and shall be deemed always to have been added.

(7) ऐसे कमीशन पर, जैसा कि केंद्रीय सरकार ने उस निमित्त नियत किया हो ऐसे कमीशन के बिना राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्रों का विक्रय प्रभावी करने या उनके निमित्त अंशदान संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अभिकर्ता का पद या अन्य तद्रूप पद।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए:—

(i) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र;

(ii) 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र; और

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई अन्य बचत प्रमाणपत्र या सरकारी प्रतिभूतियां, राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र के अंतर्गत हैं।

[1][(8) रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) के अधीन खड़े किए गए और बनाए रखे गए सहायक बल या विमान प्रतिरक्षा रिजर्व बल में सदस्य का पद।]

[2][(9) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 184 के खंड (1) के अधीन कार्यकारी सभापति का पद;] तथा

[3][(10) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) के अधीन कार्यकारी अध्यक्ष का पद।]

1. 1956 का बिहार अधिनियम 33 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।
2. 1956 का बिहार अधिनियम 2 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया और सदैव जोड़ा गया समझा जाएगा।
3. 1956 का बिहार अधिनियम 25 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया और सदैव जोड़ा गया समझा जाएगा।

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1951

ACT NO. 15 OF 1951

Preamble.—Whereas, pursuant to sub-clause (*a*) of clause (1) of article 191 of the Constitution of India read with article 238 thereof, it is expedient to declare certain offices as offices which will not disqualify the holders thereof being chosen as, and for being, members of the Legislative Assembly of the State of Kerala. It is hereby enacted as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951.

(*2*) It shall come into force at once.

2. Removal of certain disqualifications for membership.— A person shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of the State of Kerala by reason only—

(*i*) that he is in receipt of the salaries or allowances to which he is entitled under the law for the time being in force relating to the payment of salaries and allowances to members of the Legislative Assembly of the State of Kerala or of travelling and daily allowances while serving as member of any Committee or Board constituted by the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India; or

(*ii*) that he holds under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India an office which is not remunerated either by salary or by fees payable out of the Consolidated Fund of India or of any such State; or

(*iii*) that he is a member of the Committee constituted to translate the Constitution of India into Malayalam; or

(*iv*) that he holds an office in any educational institution other than a Government institution; or

(*v*) that he holds an office in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act XXXI of 1948), or in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (Central Act LVI of 1948); or

(*vi*) that he is a member of the Air Defence Reserve or the Auxiliary Air Force raised under the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952);

(*vii*) that he holds the office of Chairman or member of the Kerala State Law Commission; or

(*viii*) that he is the Chairman or the Vice-Chairman or a member of the State Planning Board constituted by the Government or a member of the Backward Classes Reservation Commission constituted by the Government.

3. **Removal of Certain other disqualifications for membership.—**A person shall not be deemed to be or to have been disqualified for being a member of the Legislative Assembly of the State of Kerala by reason only that such person had prior to the commencement of this Act held under the State Government an office which was not a whole time office or that he had held an office in any educational institution other than a Government institution.

विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 15)

उद्देशिका—भारत के संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) के अनुसरण में कुछ पदों को ऐसे पद घोषित करना समीचीन है जो उनके धारकों को केरल राज्य की विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या बने रहने से निरर्हित नहीं करेंगे। निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **सदस्यता के लिए कतिपय निरर्हताओं का हटाना**—कोई भी व्यक्ति केरल राज्य की विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए केवल निम्नलिखित कारणों से निरर्हित नहीं होगा:—

(i) कि वह केरल राज्य की विधान सभा के सदस्यों को वेतन और भत्तों के संदाय से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वेतन और भत्ते अथवा भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किसी समिति या बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा, करते समय यात्रा और दैनिक भत्ते पाने का हकदार है; या

(ii) कि वह भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके लिए भारत या किसी ऐसे राज्य की संचित निधि से संदेय वेतन या फीस द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता; या

(iii) कि वह भारत के संविधान के मलयालम में अनुवाद के लिए गठित समिति का सदस्य है; या

(iv) कि किसी सरकारी संस्था से भिन्न किसी शैक्षिक संस्था में कोई पद धारण करता है; या

(v) कि वह राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 31) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 56) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए प्रादेशिक सेना में कोई पद धारण करता है; या

(vi) कि वह रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित वायु रक्षा रिजर्व या सहायक वायु बल का एक सदस्य है; या

(vii) कि वह केरल राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करता है; या

(viii) कि वह सरकार द्वारा गठित राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य है या सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आरक्षण आयोग का सदस्य है।

3. **सदस्यता के लिए कतिपय अन्य निरर्हताओं का हटाना**—कोई भी व्यक्ति केरल राज्य विधान सभा का सदस्य होने के लिए केवल इस कारण निरर्हित नहीं होगा या निरर्हित नहीं समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद धारण किया है जो पूर्णकालिक पद नहीं है अथवा उसने सरकारी संस्था से भिन्न किसी शैक्षिक संस्था में कोई पद धारण किया है।

THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1952

PUNJAB ACT NO. 7 OF 1952

[9*th August,* 1952.]

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being chosen as, and for being, members of the State Legislature.

It is hereby enacted as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1952.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 26th day of January, 1950.

2. Prevention of disqualification for membership of State Legislature.—A person shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Punjab State Legislature by reason only of the fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or under the Government of the State of Punjab, namely:—

(*a*) Lambardar;

[1][(*b*) Sub-Registrar, whether departmental or honorary, notary Public, Oath Commissioners or an official receiver who is not a whole-time salaried Government servant, or any person who holds any office of profit under an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Central Act No. 9 of 1956);]

[2][(*c*) Officers, non-commissioned officers and persons enrolled under the Territorial Army Act, 1948 (Act LVI of 1948); persons enrolled under the National Cadet Corps Act, 1948 (Act XXXI of 1948); and persons of the Auxiliary Air Force or the Air Defence Reserve under the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952 (Act LXII of 1952)];

[3][(*cc)* the office of a member of the Punjab Home Guards constituted under the Punjab Home Guards Act, 1947, or the office of a member of the Civil Defence Service deemed to be constituted under section 7 of the Defence of India Act, 1962;]

(*d*) Officer in the Army Reserve of Officers;

(*e*) a member of any statutory body or authority, or a member of any Committee or other body appointed or constituted by the Punjab Government [4][for the Union Government] and who is not in receipt of a salary but who;

(f) a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary;

[5][(*g*) A Deputy Minister;]

[6][(*h)* the office of the adviser and Co-ordinator (Prohibition) set up temporarily for the period commencing on the 11th June, 1963 and ending on the 7th November, 1963 and the office of the Honorary Adviser to the State Government Co-operation Department or any other Department.]

[7]* * * * *

3. Repeal.—The Punjab Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1937 and the Punjab Provisional Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1950, are hereby repealed.

1. Subs. by Punjab Act 33 of 1957, Schedule.
2. Subs. by Punjab Act 41 of 1956, s. 2 previously, it was amended by Punjab Act 7 of 1954.
3. Ins. by Punjab Act 3 of 1963, s. 2.
4. Subs. by Punjab Act 23 of 1981, s. 2.
5. Ins. by Punjab Act 25 of 1956, s. 2.
6. Ins. by Punjab Act 8 of 1964.
7. S. 2-A omitted by Punjab Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Orders, 1968, which was ins. by Punjab Act 40 of 1960, s. 2.

पंजाब राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1952

(1952 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 7)

[9 अगस्त, 1952]

कतिपय लाभ के पदों के धारकों को राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न होना घोषित करने के लिए

अधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1952 है।

(2) यह 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. राज्य विधान-मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता-निवारण—कोई व्यक्ति पंजाब विधान-मंडल का सदस्य चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए केवल इस तथ्य के आधार पर निरर्हित न होगा कि वह भारत सरकार के अधीन या पंजाब राज्य की सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों में से कोई पद धारण करता है, अर्थात्:—

(क) लम्बरदार;

[1][(ख) उप-रजिस्ट्रार, चाहे वह विभागीय हो या अवैतनिक, नोटरी पब्लिक, शपथ आयुक्त या ऐसा कोई शासकीय रिसीवर जो पूर्णकालिक वैतनिक सरकारी सेवक नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे बीमाकर्ता के अधीन कोई पद धारण करता है जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्यांक 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है;]

[2][(ग) अधिकारी, अनायुक्त अधिकारी और प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 56) के अधीन अभ्यावेशित व्यक्ति; राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 31) के अधीन अभ्यावेशित व्यक्ति; तथा रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 62) के अधीन सहायक वायुसेना या वायु रक्षा रिजर्व के व्यक्ति;]

[3][(गग) पंजाब होमगार्ड अधिनियम, 1947 के अधीन गठित पंजाब होमगार्ड के सदस्य का पद, या भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अधीन गठित समझी जाने वाली सिविल रक्षा सेवा के सदस्य का पद;]

(घ) अधिकारियों की रिजर्व सेना में अधिकारी;

(ङ) किसी कानूनी निकाय या प्राधिकारी का सदस्य या [4][संघ सरकार के लिए] पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त या गठित किसी समिति या अन्य निकाय का कोई सदस्य जो वेतन प्राप्त नहीं कर रहा है किन्तु जिसे अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में केवल यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता संदत्त किया जाता है;

(च) संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव;

[5][(छ) उपमंत्री;]

[6][(ज) 11 जून, 1963 से प्रारम्भ होकर 7 नवम्बर, 1963 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अस्थाई रूप से बनाया गया सलाहकार और समन्वयक (प्रतिषेध) का पद और राज्य सरकार सहकारिता विभाग या किसी अन्य विभाग में अवैतनिक सलाहकार का पद;]

[7]* * * * *

3. निरसन—पंजाब विधान सभा (निरर्हताओं का हटाया जाना) अधिनियम, 1937 और पंजाब अंत:कालीन विधान सभा (निरर्हताओं का हटाया जाना) अधिनियम, 1950 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

---

1. 1957 के पंजाब अधिनियम सं॰ 33 की अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1956 के पंजाब अधिनियम सं॰ 41 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित, इसके पूर्व 1954 के पंजाब अधिनियम सं॰ 7 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।
3. 1963 के पंजाब अधिनियम सं॰ 3 की धारा 2 द्वारा अंत: स्थापित।
4. 1981 के पंजाब अधिनियम सं॰ 23 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1956 के पंजाब अधिनियम सं॰ 25 की धारा 2 द्वारा अंत: स्थापित।
6. 1964 के पंजाब अधिनियम सं॰ 8 द्वारा अंत: स्थापित।
7. पंजाब विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा धारा 2क का, जिसे 1960 के पंजाब अधिनियम सं॰ 40 की धारा 2 द्वारा अंत: स्थापित किया गया था, लोप किया गया।

THE ANDHRA PRADESH PAYMENT OF SALARIES AND PENSION AND REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS ACT, 1953

ACT NO. II OF 1954

[21st *January*, 1954.]

An Act to provide for the salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers, the Chief Whip in the Assembly, the Speaker, the Deputy Speaker, Parliamentary Secretaries and members of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and the Chairmen of the Planning and Development Committees and the Leader of the Opposition in the Andhra Pradesh Legislative Assembly and the Whips in the Legislative Assembly [1] [and also to provide for the pension of persons served as members of the Legislative Assembly and Legislative Council.]

WHEREAS it is expedient to provide by an Act of the Legislature for the salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers, the Chief Whip in the Assembly, the Speaker, Deputy Speaker, Parliamentary Secretaries and members of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and the Chairmen of the Planning and Development Committees, and the Leader of the Opposition in Andhra Pradesh Legislative Assembly and also the Whips in the Legislative Assembly [1][and for the pension of persons served as members of the Legislative Assembly and Legislative Council].

AND WHEREAS it is necessary to remove the disqualification imposed on holders of certain offices for being chosen as, and for being, members of the said Legislative Assembly; it is hereby enacted as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Andhra Pradesh Payment of [2][Salaries and Pension] and Removal of Disqualifications Act, 1953.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on 4th January, 1954.

* * * * *

10. Removal of certain disqualifications.—No person shall be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly on the ground only that he holds any of the offices specified in the Schedule to this Act.

1. Added by the Andhra Pradesh Act 28 of 1985, s. 2 (w.e.f. 31-10-1984).
2. Subs. by s. 3, *ibid.*, for "salaries" (w.e.f. 31-10-1984) and published in Andhra Pradesh Gazette, Extraordinary, Part IV-B, S. No. 47, dated 8-11-1985.

आंध्र प्रदेश वेतन और पेंशन का संदाय और निरर्हता हटाना अधिनियम, 1953

(1954 का अधिनियम संख्यांक 2)

[21 जनवरी, 1954]

मंत्रियों, उपमंत्रियों, विधान सभा में सचेतक, आंध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संसदीय सचिवों और सदस्यों तथा आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की योजना और विकास समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता तथा विधान सभा में सचेतकों के वेतन और भत्तों का उपबंध करने के लिए [1][तथा विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य के रूप में सेवा कर चुके व्यक्तियों की पेंशन का भी उपबंध करने के लिए अधिनियम।

विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा मंत्रियों, उपमंत्रियों, विधान सभा के मुख्य सचेतक, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय सचिवों और सदस्यों तथा आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में योजना और विकास समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों तथा विधान सभा के सचेतकों [1][और विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के रूप में सेवा कर चुके व्यक्तियों की पेंशन के लिए भी उपबंध करना समीचीन है।]

कतिपय पदों के धारकों पर उक्त विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए और बने रहने के लिए अधिरोपित निरर्हता का हटाया जाना आवश्यक है अत: यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आन्ध्र प्रदेश [2][वेतन और पेंशन] का संदाय तथा निर्रहता हटाना अधिनियम, 1953 है।

(2) यह 4 जनवरी, 1954 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

* * * * *

10. कतिपय निरर्हताओं का हटाना—कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करता है, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा।

---

1. 1985 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं॰ 28 की धारा 2 द्वारा (31-10-1984) से जोड़ा गया।
2. 1985 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं॰ 28 की धारा 3 द्वारा (31-10-1984 से) प्रतिस्थापित तथा आन्ध्र प्रदेश के राजपत्र, तारीख 8-11-1985, असाधारण क्रम सं॰ 47 के भाग IV-बी में प्रकाशित।

THE [1][KARNATAKA LEGISLATURE] (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1956

No. 4 of 1957

(*Received the assent of the Governor on the Fifteenth day of January,* 1957.)

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being chosen as, or for being members of the [1][Karnataka Legislative Assembly] and the [1][Karnataka Legislative Council].

Whereas it is expedient to declare that certain offices should not, under certain conditions, disqualify or be deemed to have disqualified, the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the [1][Karnataka Legislative Assembly] and the [1][Karnataka Legislative Council];

Be it enacted by the [1][Karnataka State] Legislature in the Seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the [1][Karnataka Legislature] (Prevention of Disqualification) Act, 1956.

2. **Definitions**.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Committee" means any Committee, Commission, Council, Board or any other body of one or more persons whether statutory or not, set up by the Government of India or the Government of any State;

(b) "Compensatory allowance" means such sum of money as the Central Government, or the Government of any State, as the case may be, may determine as being payable to the Chairman or any other member of a Committee by way of travelling allowance, daily allowance, sitting fee, conveyance allowance or house rent allowance for the purpose of enabling the Chairman or other member to recoup any expenditure incurred by him in attending any meeting of a Committee or performing any other function as a member of a Committee.

(*c*) "Statutory body" means any corporation, board, company, society or any other body of one or more persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any Central Law or the law of any State for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

3. **Removal of certain disqualifications**.—It is hereby declared that the following offices shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified, the holders thereof for being chosen as, or for being members of the [2][Karnataka Legislative Assembly] or the [2][Karnataka Legislative Council]:

[3][(*a*) the offices of the Chairman, the Speaker, the Deputy Chairman, the Deputy Speaker, the Minister of State, the Deputy Minister, the Parliamentary Secretary, the leaders of the Opposition or the Government Chief Whip in the Legislative Assembly or in the Legislative Council.]

(*b*) the offices held in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act XXXI of 1948), in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (Central Act LVI of 1948), and in the Auxiliary Air Forces Act, 1952 (Central Act LXII of 1952);

[4][(*bb)* the office of a member of the Home Guards constituted under the [3] [Karnataka] Home Guards Act, 1962;]

[5][(*bbb) (*xxx)]

[5][(*c*) (xxx)]

[6][(*c1*) the offices of the President and the Vice-President of a Municipal Council under the Karnataka Municipalities Act, 1964.

(*c2*) the Mayor or the Deputy Mayor of a Municipal Corporation constituted under the Karnataka Municipal Corporations Act, 1976.

(*c3*) the offices of Adhyaksha and Upadhyaksha of the Zilla Panchayats, Taluk Panchayats and Grama Panchayats constituted under the Karnataka Panchayat Raj Act, 1993.]

[6][(*d*) the offices of the Chairman, Vice-Chairman, President, Vice-President, Director, of the Governing body or a Member by whatever name any of the aforesaid office is called, of any Committee (by whatever name called) or of any Society registered under any other law relating to registration of societies.]

---

1. Adapted by the Karnataka Adaptations of Laws Order, 1973 (w.e.f. 1.11.1973).
2. Adapted by the Karnataka Adaptations of Laws Order, 1973 (w.e.f. 1.11.1971).
3. Deemed to have been substituted by Act 17 of 2006 (w.e.f. 24.1.1957).
4. Ins. by Karnataka Act 35 of 1962 (w.e.f. 27.12.1962).
5. Omitted by Karnataka Act 17 of 2006 (w.e.f. 4.11.2006).
6. Subs. by *ibid,* (w.e.f. 4.11.2006).

कर्नाटक विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1956

(1957 का अधिनियम संख्यांक 4)

(तारीख 15 जनवरी, 1957 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई)

यह घोषणा करने के लिए अधिनियम कि लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को कर्नाटक विधान सभा और कर्नाटक विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने से निरर्हित नहीं करेंगे।

यह घोषित करना समीचीन है कि कतिपय पद, कतिपय दशाओं में उनके धारकों को मैसूर विधान सभा और मैसूर विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहे के लिए निरर्हित नहीं करेंगे या निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। यह घोषणा करने के लिए अधिनियम कि लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को [1][कर्नाटक विधान सभा] और [1][कर्नाटक विधान परिषद्] के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने से निरर्हित नहीं करेंगें।

यह घोषित करना समीचीन है कि कतिपय पद कतिपय दशाओं में उनके धारकों को मैसूर विधान सभा और मैसूर विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेंगे या निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे।

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में [1][कर्नाटक राज्य विधान-मण्डल] द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1][कर्नाटक राज्य विधान-मंडल] (निर्रहता हटाना) अधिनियम, 1956 है।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समिति'' से अभिप्रेत है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी हो या नही;

(ख) ''प्रतिकरात्मक भत्ते '' से अभिप्रेत है ऐसी धनराशि जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, बैठक फीस, वाहन भत्ते या मकान किराया भत्ते या के रूप में अध्यक्ष या अन्य सदस्य को समिति के किसी अधिवेशन के उपस्थित होने के लिए उपगत किसी व्यय की पूर्ति के लिए अथवा समिति के सदस्य के रूप में किसी अन्य कृत्य के निष्पादन के लिए संदेय अवधारित की जाए;

(ग) ''कानूनी निकाय'' से अभिप्रेत है ऐसा निगम, बोर्ड, कंपनी, सोसायटी अथवा एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो किसी केन्द्रीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य की विधि द्वारा या के अधीन और ऐसी किसी विधि के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित किया गया हो।

3. **कतिपय निरर्हताओं का हटाना**—यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पद उनके धारकों को [1][कर्नाटक विधान सभा] या [2][कर्नाटक विधान परिषद्] के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेंगे और कभी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे:—

[3](क) सभापति, अध्यक्ष, उप सभापति, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, विपक्ष के नेताओं या विधान सभा अथवा विधान परिषद् में सरकारी मुख्य सचेतकों के पद;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 31) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए राष्ट्रीय कैडेट कोर में, प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 56) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए प्रादेशिक सेना में और सहायक रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम सं॰ 62) के अधीन सहायक वायु सेना और वायु रक्षा रिजर्व में धारित पद;

[4][(खख) [4][कर्नाटक] होम गार्ड अधिनियम, 1962 के अधीन गठित होम गार्ड के सदस्य का पद;]

[5][(खखख) (XXX)]

[5][(ग)(XXX)]

[6][(ग1) कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964 के अधीन नगर परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद।

(ग2) कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 के अधीन गठित नगर निगम का महापौर या उप-महापौर।

(ग3) कर्नाटक पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 के अधीन गठित जिला परिषद्, तालुक पंचायत और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद)]

[6][(घ) शासी निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, निदेशक के पद या किसी समिति (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात) या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का उपरोक्त में से किन्हीं पदों के चाहे किसी भी नाम से ज्ञात कोई सदस्य।]

---

1. कर्नाटक अनुकूलन विधियां आदेश, 1973 द्वारा (1-11-1973 से) अंगीकृत किया गया।
2. कर्नाटक अनुकूलन विधियां आदेश, 1973 द्वारा (1-11-1971 से) अंगीकृत किया गया।
3. 2006 के अधिनियम सं॰ 17 द्वारा (24-1-1967 से) प्रतिस्थापित किया समझा जाएगा।
4. 1962 के कर्नाटक अधिनियम सं॰ 35 द्वारा (27-12-1962 से) अंत:स्थापित किया गया।
5. 2006 के कर्नाटक अधिनियम सं॰ 17 द्वारा (4-11-2006 से) लोप किया गया।
6. आईबीआईडी द्वारा (4-11-2006) से प्रतिस्थापित किया गया।

[1][THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1956]

ACT NO. LII OF 1956

[12*th December*, 1956.]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as, and for being, a member of, [2][the Maharashtra Legislative Assembly and the Maharashtra Legislative Council].

WHEREAS by the Constitution of India provision has been made for declaring by Act of the State Legislature any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the said Constitution not to disqualify its holder for being chosen as, and for being, a member of a State Legislature.

AND WHEREAS it is expedient to make such declaration; It is hereby enacted in the Seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement**.—[3][(*1*) This Act may be called the Maharashtra Legislature Members (Removal of Disqualification) Act, 1956.]

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1956.

2. **Removal of certain disqualification**s.—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of, the [4][Maharashtra Legislative Assembly] or the [5][Maharashtra Legislative Council] merely by reason of the fact that he holds any of the offices specified in Schedule I appended hereto.

3. Temporary provisions.—For the removal of doubt, it is hereby declared that a person deemed to have been elected or chosen as a member of the Bombay Legislature under section 28 or section 34 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) shall not be deemed to be disqualified for being elected or chosen as, or for being, a member of the said Legislature merely by reason of the fact that he holds an office declared, by any of the Acts specified in Schedule II or any other law in force immediately before the 1st day of November, 1956, to be an office of profit which shall not disqualify the holder for being elected or chosen as, or for being, a member of a State Legislature.

4. **Repeal**.—The Bombay Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1951 (Bom. XXV of 1951) is hereby repealed.

SCHEDULE I*

(*See* section 2)

1. The office of the Parliamentary Secretaries to the Ministers of the [6] [Government of Maharashtra].

2. The office of part-time professors or lecturers in a Government college.

3. Any office in the National Cadet Corps. The Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force.

4. Any office in the Home Guards.

5. Any office in a village defence party (by whatever name called) constituted by or under the authority of the State Government.

[7]6. * * * * *

7. The office of the Secretaries of the District of Regional Development Boards constituted by the State Government (by whatever name called):

Provided that the holders of such office do not hold any other office of profit under the State Government.

8. Any office under an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance [Emergency Provisions Act, 1956 (9 of 1956)].

1. For Statement of Objects and Reasons, *see* Bombay Government Gazette, 1956, Part V, pages 345-346.
2. Subs. by Mah. Act 15 of 1980 and Sch., for "the Bombay Legislative Assembly and the Bombay Legislative Council".
3. Subs., *ibid*., for sub-section (*1*).
4. Subs. by the Maharashtra Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1960, for "Bombay Legislative Assembly".
5. Subs., *ibid*., for "Bombay Legislative Council".
6. Subs., *ibid*., "Government of Bombay".
7. Entry 6 omitted by Mah. Act 2 of 1964, s. 3.
***See* also section 6(*4*) of Mah. Act 37 of 1961.

महाराष्ट्र विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1956

(भाग 4—निरर्हताओं को हटाने संबंधित विधियां)

[1][महाराष्ट्र विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1956]

(1956 का अधिनियम संख्यांक 52)

[12 दिसंबर, 1956]

[2][महाराष्ट्र विधान सभा और महाराष्ट्र विधान परिषद् के] सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं के हटाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान में राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा यह घोषित करने के लिए उपबंध है कि भारत सरकार या उक्त संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद उसके धारक को राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेगा;

और ऐसी घोषणा करना समीचीन है, भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—[3][(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1956 है।]

(2) यह 1 नवंबर, 1956 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना—कोई भी व्यक्ति [4][महाराष्ट्र विधान सभा] या [5][महाराष्ट्र विधान परिषद्] का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं होगा कि वह इससे उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी पद का धारक है।

3. अस्थायी उपबंध—शंका हटाने के लिए वह घोषित किया जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 28 या धारा 34 के अधीन मुंबई विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित या चुना गया समझा गया कोई भी व्यक्ति उक्त विधान मंडल या सदस्य निर्वाचित किए जाने या चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए केवल इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं समझा जाएगा कि वह अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम द्वारा 1 नवंबर, 1956 से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा घोषित लाभ का पद धारण करता है और इससे वह राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा।

4 निरसन—मुंबई विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता का हटाना) अधिनियम, 1951 (1951 का मुंबई अधिनियम 25) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुसूची 1*

(धारा 2 देखिए)

1. [6][महाराष्ट्र सरकार] के मंत्रियों के संसदीय सचिवों के पद।

2. किसी सरकारी महाविद्यालय में अंशकालिक आचार्य या प्राध्यापक का पद।

3. राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, वायु रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना में कोई पद।

4. होमगार्ड में कोई पद।

5. राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा या के अधीन किसी ग्राम रक्षा दल (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) में कोई पद।

[7]* * * * * *

7. राज्य सरकार द्वारा जिला या प्रादेशिक विकास बोर्डों (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) के सचिवों का पद:

परंतु यह कि ऐसे पद का धारक राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो।

8. किसी बीमाकर्ता, जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित है, के अधीन कोई पद।

---

1. उद्देश्यों और कारणों का कथन के लिए, मुंबई सरकार राजपत्र, 1956, भाग 5, पृ॰ 345-346 देखिए।
2. 1980 के महाराष्ट्र अधिनियम 15 की अनुसूची द्वारा ''मुंबई विधान सभा और मुंबई विधान परिषद्'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1980 के महाराष्ट्र अधिनियम 15 की अनुसूची उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. महाराष्ट्र विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 द्वारा ''मुंबई विधान सभा'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. महाराष्ट्र विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 द्वारा ''मुंबई विधान परिषद्'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. महाराष्ट्र विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 द्वारा ''मुंबई सरकार'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1964 के महाराष्ट्र अधिनियम 2 की धारा 3 द्वारा प्रविष्टि 6 का लोप किया गया।

*1961 के महाराष्ट्र अधिनियम सं॰ 37 की धारा 6(4) भी देखिए।

Explanation.—For the purpose of this entry the expressions "controlled business" and "insurer" shall have the meanings assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).

9. The office of an Honorary Medical Officer or Honorary Assistant Medical Officer in a hospital under Government management.

[1][9A. The office of Chairman or member of the committee of any co-operative society (which is registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to the registration of co operative societies) to which appointment is made by the State Government, or the office of liquidator or joint liquidator to which appointment is made by the Registrar of Co-operative Societies, or the office of nominee of the Registrar whether appointed individually or to a board of nominees.]

10. The office of the Chairman or member of the [2][Labour Welfare Board] constituted under the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bom. XL of 1953).

[3][10A. The office of a member of the Maharashtra Industrial Development Corporation nominated under clause (*b*), (*c*) or (*d*), of sub-section (*1*), of section 4 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1961), by reason only of his holding such office.]

[4][10AA. The office of a member of the Maharashtra Industrial Development Corporation nominated under clause (*d*), (*e*), (*f*), (*g*) or (*h*) in section 4 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1961), by reason only of his holding such office.]

[5][10B. The office of a member (including the Chairman, Vice-Chairman, member-secretary) of the Maharashtra State Khadi and Village Industries Board, or of the Maharashtra State Khadi and Village Industries Council constituted under the Bombay Khadi and Village Industries Act, 1960 (Bom. XIX of 1960) or the office of a member of any committee constituted under that Act.]

11. The office of the Chairman or member of any committee or body appointed by the Central or State Government:

Provided that the Chairman or any member or such committee or body does not receive any remuneration other than the compensatory allowance.

Explanation.—For the purpose of this entry, "compensatory allowance" shall mean the travelling allowance, the daily allowance or such other allowances which is paid to the holder of the office for the purpose of meeting the personal expenditure in attending the meeting of the committee or body or in performing any other functions as the holder of the said office.

[6][12. The office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or the [7][Maharashtra Public Service Commission.]

13. The following offices held under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) to provide medical benefit to insured person under the said Act, that is to say,—

(*a*) the office of an Insurance Medical Practitioner,

(*b*) the office of a part-time medical officer or specialist in a hospital, dispensary, nursing home, maternity home or other institution established by the Employees' State Insurance Corporation or the State Government, and

(*c*) the office of a medical practitioner appointed to provide medical benefit to insured persons in any private hospital, dispensary, nursing home or maternity home or other institution recognised for the purpose by the Employees' State Insurance Corporation or the State Government.]

[8][14.The office of the Chairman or member of the Maharashtra State Police Commission appointed by the State Government.]

[9][15. The office of a member of the Maharashtra Housing and Area Development Authority (including the President and the Vice-President thereof) constituted under the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah. XXVIII of 1977), or a member of any of the Housing and Area Development Boards (including the Chairman and the Vice-Chairman thereof) established under that Act, or a member of any Panchayat (including the Sarpanch and Upasarpanch thereof) established under that Act, by reason only of his holding such office.]

1. Ins. by Mah. Act 23 of 1963, s. 3.
2. Subs. by the Maharashtra Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1960, for "Bombay Labour Welfare Board".
3. Ins. by Mah. Act 3 of 1962, s. 69.
4. Subs. by Mah. Act 44 of 1981.
5. Ins. by Mah. Act 28 of 1965, s. 39.
6. Added by Bom. Act 52 of 1958, s. 2.
7. Subs. by the Maharashtra Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1960 for "Bombay Public Service Commission".
8. Entry 14 added by Mah. Act 15 of 1962, s. 2.
9. Subs. by Mah. Act 28 of 1977, s. 192, for entry 15.

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ ''नियंत्रित कारबार'' और ''बीमाकर्ता'' पदों के वही अर्थ होंगे जो जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) में उनके हैं।

9. सरकारी प्रबंध के अधीन किसी अस्पताल के अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी या अवैतनिक सहायक चिकित्सा अधिकारी का पद।

[1][9क. किसी सहकारी सोसाइटी (सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती है) के अध्यक्ष या समिति के सदस्य का पद, जिस पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है अथवा समापक या संयुक्त समापक का पद जिस पर नियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियों द्वारा की जाती है अथवा रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती का पद चाहे उसकी नियुक्ति वैयक्तिक रूप से की गई हो या नामनिर्देशितियों के बोर्ड पर।]

10. मुंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953 [2](1953 का मुंबई अधिनियम 40) के अधीन गठित [3][श्रम कल्याण बोर्ड] के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

[3][10क. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के सदस्य का पद जिसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 3) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ), (ङ), (च), (छ) या (ज) के अधीन केवल उस पद का धारक होने के कारण नाम निर्देशित किया गया हो।]

[4][10कक. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के सदस्य का पद जिसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 3) की धारा 4 के खंड (घ), (ङ), (च), (छ) या (ज) के अधीन केवल उस पद का धारक होने के कारण नाम निर्देशित किया गया हो।]

[5][10ख. मुंबई खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1960 (1960 का मुंबई अधिनियम 19) के अधीन गठित महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग परिषद् के सदस्य (इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य सचिव भी है) का पद या उक्त अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य का पद।]

11. केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद:

परंतु यह कि ऐसी समिति या निकाय या अध्यक्ष या कोई सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा हो।

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ ''प्रतिकर भत्ते' से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता या ऐसा अन्य भत्ता जो उक्त पद के धारक को समिति या निकाय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अथवा उक्त पद के धारक के रूप में कोई अन्य कृत्य निष्पादित करने के लिए अपने वैयक्तिक व्यय की पूर्ति के प्रयोजनार्थ संदत्त किया जाता हो, अभिप्रेत है।

[6][12. केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग या [7][महाराष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग] द्वारा ली जा रही किसी परीक्षा के परीक्षक का पद।

13. उक्त अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा फायदा देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन धृत निम्नलिखित पद अर्थात्:—

(क) बीमा चिकित्सा व्यवसायी का पद,

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह या अन्य संस्था में अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ का पद, और

(ग) किसी प्राइवेट अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम या प्रसूति गृह अथवा कर्मचारी राज्य बीमा या राज्य सरकार से इस प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था से बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा फायदा देने के लिए नियुक्त चिकित्सा व्यवसायी का पद।]

[8][14. महाराष्ट्र राज्य पुलिस आयोग के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य का पद।]

[9][15. महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (1977 का महाराष्ट्र अधिनियम 28) के अधीन गठित महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सदस्य का पद (इसमें उसके उप-सभापति हैं) या उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित आवास और क्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य (इसमें उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है) अथवा उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित पंचायत के किसी सदस्य का पद (इसमें उसके सरपंच और उप-सरपंच भी हैं), उसके केवल उक्त पद को धारण करने के कारण।]

---

1. 1963 के महाराष्ट्र अधिनियम 23 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
2. महाराष्ट्र विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 द्वारा ''मुंबई श्रम कल्याण बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1962 के महाराष्ट्र अधिनियम 3 की धारा 69 द्वारा अंत:स्थापित।
4. 1981 के महाराष्ट्र अधिनियम 44 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1965 के महाराष्ट्र अधिनियम 28 की धारा 39 द्वारा अंत:स्थापित।
6. 1958 के मुंबई अधिनियम 52 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
7. महाराष्ट्र विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 द्वारा ''मुंबई लोक सेवा आयोग'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. प्रविष्टि 14, 1962 के महाराष्ट्र अधिनियम 15 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
9. प्रविष्टि 15, 1977 के महाराष्ट्र अधिनियम 28 की धारा 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][16. The office of the member (including the Chairman or Vice-Chairman) of the Authority constituted under the Bombay Metropolitan Region Development Authority Act, 1974 (Mah. IV of 1975) or of any of its committees or Boards constituted under that Act.]

[2][17. The office of the Chairman or a member of the Maharashtra State Law Commission constituted by the State Government.]

[3][18. The office of a member (including the Chairman and the Vice-Chairman) of the Maharashtra State Road Transport Corporation constituted under the Road Transport Corporation Act, 1950 (LXIV of 1950) or of any of its committees constituted under that Act.]

[4][19. The office of the Chairman, Vice-Chairman or any other member of the Board of Directors (by whatever name called) of any other Corporation, owned or controlled by the State Government, which is not mentioned in any of the above entries in this Schedule and to which appointment is made by the State Government.

Explanation.—For the purpose of this entry,—

(*1*) the expression "a corporation" means any body corporate and shall include a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in its application to the State of Maharashtra, or any body constituted under any law for the time being in force;

(*2*) the expression "a corporation controlled by the State Government" shall include a corporation in which not less than twenty-five per cent. of the paid up share capital is held by the State Government.]

[5][20. The office of the Executive President of the Maharashtra State Planning Board.]

[6][21. The office of the *Sabhapati* of the Freedom Fighters High Power Committee constituted by the State Government.]

[7][22. The office of the Chairman of the vidarbha Development Board, the Marathwada Development Board and the Development Board for the rest of Maharashtra, established by the Governor of Maharashtra under the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra Order, 1994, issued in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994.]

[8][23. The offices of the Chief Whip or Whip in the Maharashtra State Legislature.

Explanation.—(*1*) The expression "chief Whip"or "Whip", relation to the Maharashtra Legislative Assembly, means that Member of the House who is, for the time being, declared by the party forming the Government to be the Chief Whip or Whip in that House and recognized as such by the Speaker; and includes a member of the House, who, is for the time being, declared as such by the party having at-least ten per cent. of the total members of the House and recognized as such by the Speaker; and

(*2*) The expression "Chief Whip"of "whip", in relation to the Maharashtra Legislative Council, means that Member of the House who is, for the time being, declared by the party forming the Government to be the chief Whip or whip in that House and recognized as such by the chairman; and includes a member of the House, who, is for the time being, declared as such by the party having at-least ten per cent. of the total members of the House and recognized as such by the Chairman.]

SCHEDULE II

(*See* section 3)

(1) The Hyderabad Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1955 (Hyderabad Act XVIII of *1955*).

(2) The Madhya Pradesh Offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1950 (Madhya Pradesh Act VII of *1950*).

(3) The Saurashtra Legislative Assembly (Prevention of Disqualification Act, 1950 (Saurashtra Act VI of *1950*).

(4) Section 28 (5) of the States Reorganisation Act, 1956 (XXXVII of *1956*).

---

1. Entry 16 ins. by Mah. Act 4 of 1975, s. 10(*2*).
2. Entry 17 ins. by Mah. Act 7 of 1978, s. 2.
3. Entry 18 added by Mah. Act 23 of 1980, s. 2.
4. Entry 19 added by Mah. Act 38 of 1981, s. 2.
5. Entry 20 was added by Mah. 6 of 1993, s.2.
6. Entry 21 was added by Mah. 1 of 1996, s.2.
7. Entry 22 was added by Mah. 13 of 2001, s.2.
8. Entry 23 was added by Mah. 56 of 2017, s.2.

[1][16. मुंबई महानगरपालिका प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 4) के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्य (इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी है) या उक्त अधिनियम के अधीन गठित उसकी समितियों या बोर्डों में से किसी के सदस्य का पद।]

[2][17. राज्य सरकार द्वारा गठित महाराष्ट्र राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद।]

[3][18. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) के अधीन गठित महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अथवा उक्त अधिनियम के अधीन गठित उसकी समितियों के किसी सदस्य का पद।]

[4][19. राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या निदेशक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) का पद जो इस अनुसूची में उपर्युक्त प्रविष्टियों में से किसी में से उल्लिखित नहीं है और जिस पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है।]

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ—

(1) ''निगम'' पद से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को यथा लागू सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई निकाय भी सम्मिलित है;

(2) ''राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन निगम'' के अंतर्गत ऐसा निगम भी है जिसकी समादत्त शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धृत है।]

[5][20. महाराष्ट्र राज्य योजना बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष का पद।]

[6][21. राज्य सरकार द्वारा गठित स्वतंत्रता सेनानी उच्च स्तरीय समिति के सभापति का पद।]

[7][22. विदर्भ विकास बोर्ड, मराठवाड़ा विकास बोर्ड और शेष महाराष्ट्र हेतु विकास बोर्ड के अध्यक्ष का पद जो महाराष्ट्र के उप राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष उप राज्यपाल का विशेष दायित्व) आदेश, 1994 के अनुसरण में जारी आदेश विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट हेतु विकास बोर्ड आदेश, 1994, द्वारा स्थापित किया गया था।]

[8][23. महाराष्ट्र विधान-मंडल में मुख्य व्हिप या व्हिप का पद।

स्पष्टीकरण—(1) ''मुख्य व्हिप'' या ''व्हिप'' पद से महाराष्ट्र विधान सभा के संबंध में उस सदन का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो, तत्समय, सरकार बनाने वाले दल द्वारा उक्त सदन में मुख्य व्हिप या व्हिप होने के लिए घोषित किया जाए और सभापति द्वारा उसे ऐसी मान्यता दी जाए; और इसके अंतर्गत सदन का ऐसा सदस्य भी सम्मिलित है, जिसे, तत्समय, किसी ऐसे दल द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है जिसके पास सदन के कुल सदस्यों की कम से कम दस प्रतिशत संख्या है और उसे इस प्रकार सभापति द्वारा मान्यता दी गई है; और

(2) ''मुख्य व्हिप'' या ''व्हिप'' पद से महाराष्ट्र विधान परिषद के संबंध में उस सदन का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो, तत्समय, सरकार बनाने वाले दल द्वारा उस सदन में मुख्य व्हिप या व्हिप होने के लिए घोषित किया जाए और अध्यक्ष द्वारा उसे ऐसी मान्यता दी जाए; और इसके अंतर्गत सदन का ऐसा सदस्य भी सम्मिलित है, जिसे तत्समय, किसी ऐसे दल द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है जिसके पास सदन के कुल सदस्यों की कम से कम दस प्रतिशत संख्या है और उसे इस प्रकार अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई है।]

अनुसूची 2

(धारा 3 देखिए)

(1) दि हैदराबाद लेजिस्लेटिव एसेम्बली (प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) अधिनियम, 1955 (1955 का हैदराबाद अधिनियम 18)

(2) दि मध्य प्रदेश आफिसेस ऑफ प्रोफिट (रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) अधिनियम, 1950 (1950 का मध्य प्रदेश अधिनियम 7)।

(3) दि सौराष्ट्र लेजिस्लेटिव एसेम्बली (प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) अधिनियम, 1950 (1950 का सौराष्ट्र अधिनियम 6)।

(4) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 28(5)।

---

1. प्रविष्टि 16, 1975 के महाराष्ट्र अधिनियम 4 की धारा 10(2) द्वारा अंत:स्थापित।
2. प्रविष्टि 17, 1978 के महाराष्ट्र अधिनियम 7 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
3. प्रविष्टि 18,1980 के महाराष्ट्र अधिनियम सं॰ 23 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
4. प्रविष्टि 19, 1981 के महाराष्ट्र अधिनियम सं॰ 38 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
5. प्रविष्टि 20, 1993 के महाराष्ट्र अधिनियम सं॰ 6 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
6. प्रविष्टि 21, 1996 के महाराष्ट्र अधिनियम सं॰ 1 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
7. प्रविष्टि 22, 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम सं॰ 13 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
8. प्रविष्टि 23, 2017 के महाराष्ट्र अधिनियम सं॰ 56 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1956

ACT NO. 7 OF 1957

[11*th January*, 1957.]

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly of the State.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law declaring the offices of profit in the State which shall not disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly of the State.

BE it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956.

(*2*) It shall come into force at once.

2. Interpretation.—(*1*) In this Act unless the subject on context otherwise requires, "State" means the new State of Rajasthan as formed by section 10 of the States Reorganisation Act, 1956 (Central Act 37 of 1956).

(*2*) The provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act 8 of 1955) in force in the prereorganisation State of Rajasthan shall as far as may be, apply *mutatis mutandis* to this Act.

3. Removal and prevention of disqualification for membership of the State Legislative Assembly. —It is hereby declared that the following offices shall not disqualify, and shall be deemed never to have disqualified, the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the State Legislative Assembly, namely:—

(*a*) the office of a Minister of State or a Deputy Minister;

[1][(*aa*) the office of the Government Chief Whip;]

[2][(*aaa*) the office of the Deputy Government Chief Whip;]

(*b*) the office of a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary;

[3][(*bb*) the office of the Leader of the Opposition in the Rajasthan Legislative Assembly;]

(*c*) the office of a Chairman or the member of a committee set up for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an enquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter; provided that the holder of any such office is not in receipt of, or entitled to, any fee or remuneration other than compensatory allowance;

(*d*) the office held by officers in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act 31 of 1948) or in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (Central Act 56 of 1948) or in the Auxiliary Air Force or the Air Defence Reserve raised under the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952 (Central Act 62 of 1952);

(*e*) the office of a Chairman or a member of the committee other than any such committee as is referred to in clause (*c*);

(*f*) the office of a chairman, director, member or any officer of a statutory body, where the power to make any appointment to any such office or the power to remove any person therefrom is vested in the Government;

(*g*) the office of profit under an insurer, the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Central Act 9 of 1956).

---

1. Ins. and shall be deemed always to have been ins. by Rajasthan Act 7 of 1969, s. 5 and published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-A, dated 16-4-1969.

2. Ins. by Rajasthan Act 4 of 1981, s. 16(*a*) and published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-A, dated 2-4-1981.

3. Ins. by s. 16(*b*), *ibid*.

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956

(1957 का अधिनियम संख्यांक 7)

[11 जनवरी, 1957]

लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए अधिनियम

यत: राज्य में के लाभ के जो पद उनके धारकों को राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेंगे उनकी घोषणा करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान-सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. निर्वचन—(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में, ''राज्य'' से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा निर्मित नया राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) पुनर्गठन-पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित यावत्शक्य इस अधिनियम पर लागू होंगे।

3. राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का निराकरण एवं निवारण—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पद, उनके धारकों को राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरहित नहीं करेंगे या उन्होंने कभी भी निरर्हित किया है, यह नहीं समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) राज्य मंत्री या उप मंत्री का पद;

[1][(कक) सरकारी मुख्य सचेतक का पद;]

[2][(ककक) सरकारी उप-मुख्य सचेतक का पद;]

(ख) संसदीय सचिव या अवर संसदीय सचिव का पद;]

[3][(खख) राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता का पद;]

(ग) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण की सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले में जांच करने या इसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयोजन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद यदि ऐसे किसी पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते कोई फीस प्राप्त न करता हो या किसी पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन समुत्थापित और संधारित राष्ट्रीय कैडेट कोर में या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 56) के अधीन समुत्थापित और संधारित प्रादेशिक सेना में या आरक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 62) के अधीन समुत्थापित सहायक वायु सेना या एयर डिफेंस रिजर्व में के अधिकारियों द्वारा धारित पद;

(ङ) खण्ड (ग) में यथानिर्दिष्ट किसी समिति से भिन्न समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(च) किसी कानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या किसी अधिकारी का पद जहां किसी ऐसे पद पर किसी को नियुक्त करने की शक्ति या किसी व्यक्ति को वहां से हटाने की शक्ति सरकार में निहित हो;

(छ) किसी ऐसे बीमाकर्ता, जिसके नियन्त्रित व्यापार का प्रबंध जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है के अधीन लाभ का पद।

---

1. 1969 के राजस्थान अधिनियम सं॰ 7 की धारा 5 द्वारा अन्त: स्थापित और सदैव अन्त: स्थापित किया गया समझ जाएगा और तारीख 16-4-1969 का राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4क में प्रकाशित।
2. 1981 के राजस्थान अधिनियम सं॰ 4 की धारा 16(क) द्वारा अन्त:स्थापित और तारीख 2-4-1981 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4क में प्रकाशित।
3. 1981 के राजस्थान अधिनियम सं॰ 4 की धारा 16(ख) द्वारा अन्त: स्थापित।

Explanation.—In this section, unless the subject or context otherwise requires,—

(*i*) "committee" means any committee, commission, council, board or any other body of persons whether a statutory body or not, set up by Government;

(*ii*) "compensatory allowance" means such sum of money as the Government may determine as being payable to the Chairman or any other member of a committee by way of travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance or house rent allowance for the purpose of enabling the Chairman or other member to recoup any expenditure incurred by him in attending any meeting of a committee or performing any other function as a member of the committee;

[1][(*iii*) "daily allowance" means such daily allowance as shall not exceed the amount of daily allowance admissible to a Member of the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 3 of 1976), as amended from time to time, and the rules made thereunder;]

(*iv*) "insurer" means an insurer as defined in clause (*5*) of section 2 of the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Central Act 9 of 1956);

(*v*) "statutory body" means any corporation, board, company, society or any other body of persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any law for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

4. Repeal.—The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Ordinance, 1956 (Rajasthan Ordinance 10 of 1956) is hereby repealed.

1. Subs. by Rajasthan Act 3 of 1976, s. 2 and published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-A, dated 24-1-1976, (w.e.f. 1-4-1975).

स्पष्टीकरण—जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस धारा में,—

(i) ''समिति'' से सरकार द्वारा गठित कोई समिति, आयोग, परिषद् ,बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो, अभिप्रेत हैं;

(ii) ''प्रतिकारात्मक भत्ता'' से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जिसका समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने या समिति के सदस्य के रूप में कोई अन्य कृत्य करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने में अध्यक्ष या सदस्य को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, प्रवहण भत्ते या गृह किराए भत्ते के रूप में संदेय होना सरकार अवधारित करे;

[1][(iii) ''दैनिक भत्ता'' से तात्पर्य ऐसे दैनिक भत्ते से है जो समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 (1976 का राजस्थान अधिनियम 3) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य विधान सभा के सदस्य को अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की रकम से अधिक नहीं होगा;]

(iv) ''बीमाकर्त्ता'' से जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 9) की धारा 2 के खण्ड (5) में परिभाषित बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(v) ''कानूनी निकाय'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या निर्मित या किसी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोगकर्ता और कृत्यों का पालनकर्ता, कोई निगम, बोर्ड, कंपनी, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे निगामित हो या न हो, अभिप्रेत है।

4. **निरसन**—राजस्थान विधान सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अध्यादेश, 1956 (1956 का राजस्थान अध्यादेश 10) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

1. 1976 के राजस्थान अधिनियम 3 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित और राजस्थान के राजपत्र, असाधरण, भाग 4क, तारीख 24-1-1976 में (1-4-1975 से) प्रकाशित।

THE GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1960

GUJARAT ACT NO. 1 OF 1960

[22*nd September*, 1960.]

An Act to provide for the removal of certain disqualification for being chosen as, and for being a member of the Gujarat Legislive Assembly.

WHEREAS by the Constitution provision has been made for declaring by Act of the State Legislature any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the said Constitution not to disqualify its holder for being chosen as, and for being a member of a State Legislature.

AND WHEREAS it is expedient to make such declaration; It is hereby enacted in the Eleventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Gujarat Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1960.

(*2*) It shall come into force on the 1st day of May, 1960.

2. Removal of certain disqualifications.—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being a member of the Gujarat Legislative Assembly merely by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto.

3. Repeal of Guj. Ord. No. V of 1960.—The Gujarat Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1960 is hereby repealed.

THE SCHEDULE

(*See* section 2)

1. The office of Parliamentary Secretary to a Minister of the Government of Gujarat.

1A. Any office held by a Minister, Minister of State or Deputy Minister, whether *ex officio* or by name.

2. The office of part-time professor or lecturer in a Government College.

3. Any office in the National Cadet Corps, the Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force.

4. Any office in the Home Guards.

5. Any office in a village defence party (by whatever name called) constituted by or under the authority of the State Government.

6. The office of a member of the Advisory Board constituted under the Bombay Wild Animals and Wild Birds Protection Act, 1951 (Bom. Act XXIV of 1951) or any corresponding law in force in any part of the State of Gujarat.

7. The office of Secretary of the District or Regional Development Boards constituted by the State Government (by whatever name called):

Provided that the holder of such office does not hold any other office of profit under the State Government.

8. Any office under an insurer the management of whose controlled business have vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (IX of 1956).

Explanation—For the purpose of this entry, the expression "controlled busines" and "insurer" shall have the meanings assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provision) Act, 1956 (IX of 1956).

9. The office of a Honorary Medical Officer or Honorary Assistant Medical Officer in a hospital under Government management.

10. The office of Chairman or member of the Labour Welfare Board constituted under the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bom. XL of 1 956).

गुजरात विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1960

(1960 का गुजरात अधिनियम संख्यांक 1)

[22 सितंबर, 1960]

गुजरात विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं के हटाने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

संविधान में, विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा यह घोषित किए जाने के लिए उपबंध है कि भारत सरकार या उक्त संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारक राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा।

ऐसी घोषणा की जानी समीचीन है; भारत गणराज्य के ग्यारहवे वर्ष में यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात्:—

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गुजरात विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1960 है।

(2) यह 1 मई, 1960 को प्रवृत्त होगा।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना—कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करता है, गुजरात विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा।

3. 1960 के गुजरात अध्यादेश सं॰ 5 का निरसन—गुजरात विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अध्यादेश, 1960 का निरसन किया जाता है।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. गुजरात सरकार के किसी मंत्री के संसदीय सचिव का पद।

1क. किसी मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री, चाहे पदेन हो या नाम द्वारा धारित कोई पद।

2. किसी सरकारी कॉलेज में अंशकालिक आचार्य या प्राध्यापक का पद।

3. राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, वायु रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना में कोई पद।

4. होमगार्ड में कोई पद।

5. राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा या के अधीन किसी ग्राम रक्षा दल (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) में कोई पद।

6. मुंबई वन्य पशु और वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 (1951 का मुम्बई अधिनियम 24) या गुजरात राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त तत्संबंधी विधि के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्य का पद।

7. राज्य सरकार द्वारा जिला या प्रादेशिक विकास बोर्ड (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) के सचिव का पद:

परंतु यह कि ऐसे पद का धारक राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो।

8. किसी बीमाकर्ता, जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित है, के अधीन कोई पद।

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ, ''नियंत्रित कारबार'' और ''बीमाकर्ता'' के वही अर्थ होंगे जो जीवनबीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) में उनके हैं।

9. सरकारी प्रबंध के अधीन किसी अस्पताल के अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी या अवैतनिक सहायक चिकित्सा अधिकारी का पद।

10. मुंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953 (1956 का मुम्बई अधिनियम 40) के अधीन गठित श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

11. The office of Chairman, Vice-Chairman, Director, Secretary or member of any Committee or Statutory body appointed by the Central or State Government:

Provided that the Chairman, Vice-Chairman, Director, Secretary or Member of such Committee or Statutory body does not receive any remuneration other than compensatory allowance nor does her receive any facilities other than such facilities (including furnished office, staff, vehicle and free residential accommodation) as are deemed by Government to be essential for the efficient performance of his duties as such.

Explanation—For the purpose of this entry, "compensatory allowance" shall mean the traveling allowance, the daily allowance or such other allowance which is paid to the holder of the office for the purpose of meeting his personal expenditure in attending the meetings of the Committee or body or in performing any other functions as the holder of the said office.

12. The office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or the Gujarat Public Service Commission.

13. The following offices held under the Employees State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948) to provide medical benefit to insured persons under the said Act, that is to say—

(*a*) the office of an Insurance Medical Practitioner.

(*b*) the office of a part-time medical officer or specialist in a hospital, dispensary, nursing home, maternity home or other institutions established by the Employees' State Insurance Corporation or the State Government, and

(*c*) the office of a medical practitioner appointed to provide medical benefit to insured persons in any private hospital, dispensary, nursing home or maternity home or other institution recognised for the purpose by the Employee's State Insurance Corporation the State Government.

14. The office of a Director of the Gujarat Industrial Development Corporation nominated under clause (*b*), (*c*) or (*d*) of sub-section (*1*) of section 4 of the Gujarat Industrial Development Act, 1962 Guj. (XXIII of 1962) by reason only of his holding such office.

15. The Office of Chairman or Member of the Gujarat Tribal Development Corporation constituted under the Gujarat Tribal Development Corporation Act, 1972 (Guj 5 of 1972).

16. The Office of Chairman or Member of the Gujarat State Social Welfare Advisory Board.

17. The Office of Chairman or Member of the Gujarat Backward Classes Board.

18. The Office of Chairman or Member of the Gujarat Minorities Board.

19. The Office of Chairman or Member of the Gujarat Scheduled Castes Economical Development Corporation Limited.

20. The Office of Chairman or Member of the Gujarat State Scheduled Castes Welfare Advisory Board.

21. The Office of Chairman or Member of the Gujarat Women's Economic Development Coporation.

22. The Office of Chairman or Member of the Gujarat Landless Labourers and Halpati Housing Board.

23. The Office of the Executive Chairman and of the Additional Executive Chairman of the High Level Committee for effective implementation of the 20 Point Economic Programme.

24. The Office of Government Chief Whip, Government Deputy Chief Whip or Government Whip.

25. The Office of Chairman of the Film Development Corporation of Gujarat Limited.

26. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Road Transport Corporation established under the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).

11. केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद:

परंतु यह कि ऐसी समिति या निकाय का अध्यक्ष या कोई सदस्य प्रतिकर भत्ते से भिन्न कोई पारिश्रमिक प्राप्त न करता हो और न ही ऐसी कोई सुविधा (इसमें सुसज्जित कार्यालय कर्मचारिवृन्द, यान या मुफ्त निवासीय आवास है) जो सरकार द्वारा अध्यक्ष या सदस्य में अपने कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त करता हो।

स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ ''प्रतिकर भत्ते'' से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता या ऐसा अन्य भत्ता जो उक्त पद के धारक को समिति या निकाय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अथवा उक्त पद के धारक के रूप में कोई अन्य कृत्य निष्पादित करने के लिए अपने वैयक्तिक व्यय की पूर्ति के प्रयोजनार्थ संदत्त किया जाता हो, अभिप्रेत है।

12. केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग या गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही किसी परीक्षा के परीक्षक का पद।

13. उक्त अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सीय फायदा देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, (1948 का 34) 1948 के अधीन धृत निम्नलिखित पद, अर्थात्:—

(क) बीमा चिकित्सा व्यवसायी का पद,

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह या अन्य संस्था में अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ का पद, और

(ग) किसी प्राइवेट अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम या प्रसूति गृह अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राज्य सरकार से इस प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था में बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा फायदा देने के लिए नियुक्त चिकित्सा व्यवसायी का पद।

14. केवल इस कारण कि वह ऐसा पद धारण कर रहा है, गुजरात उद्योग विकास निगम का गुजरात उद्योग विकास अधिनियम, 1962 (1962 का गुजरात अधिनियम 23) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख), (ग) या (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य का पद।

15. गुजरात आदिवासी विकास निगम अधिनियम, 1972 (1972 का गुजरात अधिनियम 5) के अधीन गठित गुजरात आदिवासी विकास निगम के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

16. गुजरात राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

17. गुजरात पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

18. गुजरात अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

19. गुजरात शेड्यूल्ड कास्ट इकॉनामिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

20. गुजरात राज्य अनुसूचित जाति कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

21. गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

22. गुजरात भूमिहीन श्रमिक और हलपट्टी आवासन बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

23. बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के दक्ष क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और अपर कार्यकारी अध्यक्ष का पद।

24. सरकारी मुख्य सचेतक का पद।

25. फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड के अध्यक्ष का पद।

26. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) के अधीन स्थापित गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष का पद।

27. The Office of Chairman or Director of the Gujarat Dairy Development Corporation Limited.

28. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Handloom Development Corporation Limited.

29. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Export Corporation Limited.

30. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Warehousing Corporation established under the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962).

31. The Office of Chairman or Director of Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited.

32. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Forest Development Corporation Limited.

33. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Financial Corporation established under the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951).

34. The Office of Chairman or Director of the Gujarat Mineral Development Corporation Limited.

35. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Seeds Corporation Limited.

36. The Office of Chairman or Director of the Gujarat Agro-Industries Corporation Limited.

37. The Office of Chairman or Director of the Gujarat Tractor Corporation Limited.

38. The Office of Chairman or Director of the Gujarat Water Resources Development Corporation Limited.

39. The Office of Chairman or Director of the Gujarat State Wakf Board established under the Wakf Act, 1995 (43 of 1995).

40. The Office of Chairman or Director of the Gujarat Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

27. गुजरात डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

28. गुजरात स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

29. गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

30. भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1950 (1962 का 58) के अधीन स्थापित गुजरात राज्य भाण्डागारण निगम के अध्यक्ष का पद।

31. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

32. गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

33. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन गुजरात राज्य वित्तीय निगम के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

34. गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

35. गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

36. गुजरात ऐग्रो-उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

37. गुजरात ट्रेक्टर निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

38. गुजरात जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

39. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के अधीन गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड स्थापना निगम के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

40. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित गुजरात प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष या निदेशक का पद।

[1][THE ORISSA OFFICES OF PROFIT (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1961]

ORISSA ACT NO. XXVI OF 1961

[21*st December*, 1961.]

An Act to Declare Certain Offices of Profit under the Government of India or Government of any State not to Disqualify their holders for being chosen as or for being Members of the Orissa Legislative Assembly

BE it enacted by the Legislature of the State of Orissa in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and extent.—(*1*) This Act may be called the Orissa Offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1961.

(*2*) It extends to the whole of the State of Orissa.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance [such allowance not exceeding (*i*) in the case of Committees set up by or bodies under the Central Government, the amount of daily allowance to which a member of Parliament is entitled under the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) and (*ii*) in the case of Committee set up by or bodies under the State Government, the amount of daily allowance to which a member of the Orissa Legislative Assembly is entiled under the Orissa Legislative Assembly Members' Salaries and Allowances Act, 1954], any conveyance allowance, house-rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office;

(*b*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body;

(*c*) "statutory body" means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force.

3. Certain offices of profit not to disqualify.—It is hereby declared that none of the following Offices in so far as it is an Office of profit under the Government of *India or the Government of any State,* shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being a member of the *Orissa Legislative Assembly*, namely:—

(*a*) any office held by a Minister [2][*Minister of State*] or Deputy Minister for the Union or for any State, whether *ex officio* or by name;

(*b*) the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the Orissa Legislative Assembly or of Parliament and Legislative Assembly of any other State;

(*c*) the office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in any Legislative Assembly or in Parliament or the Office of a Parliamentary Secretary;

(*d*) the office of a member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948, (31 of 1948) the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948) or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952; (62 of 1952).

(*e*) the office of a member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;

(*f*) the office of Chairman or member of the Syndicate, Senate, executive committee, council or court of a University or any other body connected with a University;

(*g*) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government *of India or of any State or sent outside the State of Orissa by the Government of the said State* for any special purpose;

(*h*) the office of Chairman or member of a Committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office, is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(*i*) the office of Chairman, Director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (*h*), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than

1. For the Statement of Objects and Reasons, *see* Orissa Gazette, Extraordinary, dated the 4th October 1961 (No. 681).
2. Ins. by Orissa Act 3 of 1974, s. 2.

[1]ओडिशा लाभ का पद (निर्रहता हटाना) अधिनियम, 1961

ओडिशा (1961 का ओडिशा अधिनियम, संख्यांक 26)

[21 दिसम्बर, 1961]

भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन पुन: स्थापित करने के कुछ अधिकारियों को उड़ीसा विधान सभा का सदस्य होने के नाते अयोग्य घोषित न करने का एक अधिनियम

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ओड़िशा लाभ का पद (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1961 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण ओड़िशा राज्य पर होगा।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रतिकारात्मक भत्ता'' से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जो किसी पद धारक को, उस पद के कृत्यों के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन गठित समितियों या निकायों के मामले में, जिसे संसद् सदस्य, संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के अधीन दैनिक भत्ते की रकम का हकदार है; और

(*ii*) राज्य सरकार के अधीन गठित समितियों या निकायों के मामले में, उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा, जिसके लिए ओड़िशा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य ओड़िशा राज्य विधान-मंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 के अधीन हकदार है किसी वाहन भत्ते, मकान किराया भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है;

(ख) ''अकानूनी निकाय'' से ऐसे व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो;

(ग) ''कानूनी निकाय'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्ति का अन्य निकाय अभिप्रेत है चाहे वह निगमित हो या न हो;

3. **कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे**- यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई पद, उसके धारक को ओड़िशा राज्य विधान-मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेंगे जहां तक वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद हैं, अर्थात्:—

(क) किसी मंत्री [2][राज्य मंत्री] या संघ या किसी राज्य का उपमंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से धृत कोई पद;

(ख) ओड़िशा विधान सभा, या संसद् और किसी अन्य राज्य के विधान सभा का सभापति या उप सभापति का कोई पद;

(ग) किसी विधान सभा या संसद् में या संसदीय सचिव के कार्यालय में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद;

(घ) राष्ट्रीय कैडेर कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56), या रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) के अधीन बनाए रखे गए या पोषित किसी भी सेना के सदस्य का पद;

(ङ) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित होम गार्ड के सदस्य का पद;

(च) विश्वविद्यालय से संबंद्ध सिंडिकेट सीनेट, कार्यकारी समिति, परिषद् या विश्वविद्यालय की सभा या कोई अन्य निकाय का पद;

(छ) भारत या किसी राज्य की सरकार या उक्त राज्य की सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए ओड़िशा राज्य के बाहर भेजे गए किसी डेलिगेशन या मिशन के सदस्य का पद;

(ज) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे मामले की जांच करने या उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिल कर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

(झ) खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी निकाय से भिन्न कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद धारक, प्रतिकारात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, लेकिन इसके (*i*)अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट कोई

1. उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए, उड़ीसा राजपत्र, असाधारण, तारीख-4, अक्तूबर , 1961 (681 सं॰) देखें।
2. 1914 के उड़ीसा अधिनियम सं॰ 3 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

compensatory allowance but excluding (*i*) the office of Chairman of any statutory or non-statutory body specified in Part I of the Schedule, and (*ii*) the office of Chairman or Secretary of any statutory or non-statutory body specified in Part II of the Schedule;

(*j*) the office of village revenue officer, whether called a lambarder, Gauntia, Karjee, Karanam, Sarvarakar or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by him, but does not discharge any police functions.

4. Temporary suspension of disqualification in certain cases.—If a person being a member of the Orissa Legislative Assembly who immediately before the commencement of this Act held an office of profit declared by any law repealed by this Act not to disqualify the holder thereof for being such member, becomes so disqualified by reason of any of the provisions contained in this Act, such office shall not, if held by such person for any period not extending beyond a period of six months from the commencement of this Act, disqualify him for being a member of the Orissa Legislative Assembly.

5. Repeal.—The Orissa offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1951 and any provision in any other enactment which is inconsistent with this Act are hereby repealed.

SCHEDULE

[*See* section 3 (*i*)]

PART I

BODIES UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

Air-India International Corporation establihed under section 3 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Air Transport Council constituted under section 30 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Board of Directors of the Expert Risks Insurance Corporation (Private) Limited

Board of Directors of the Heavy Electricals (Private) Limited

Board of Directors of the Hindustan Cables (Private) Limited

Board of Directors of the Hindustan Insecticides (Private) Limited

Board of Directors of the Hindustan Machine Tools (Private) Limited

Board of Directors of the Hindustan Shipyard Limited

Board of Directors of the Nangal Fertilizers and Chemicals (Private) Limited

Board of Directors of the National Coal Development Corporation (Private) Limited

Board of Directors of the National Development Corporation (Private) Limited

Board of Directors of National Instruments (Private) Limited

Board of Directors of the National Small Industries Corporation (Private) Limited

Board of Directors of the Neyveli Lignite Corporation (Private) Limited

Board of Directors of the Sindri Fertilizers and Chemicals (Private) Limited

Board of Directors of the State Trading Corporation of India (Private) Limited

Central Warehousing Corporation established under section 17 of the Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956 (28 of 1956).

Coal Board established under section 4 of the Coal Mines (Conservation and Safety)/Act, 1952 (12 of 1952).

Coal Mines Labour Housing Board constituted under section 6 of the Coal Mines/Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

Commissioners for the Port of Calcutta

Committee for the allotment of land in the township of Gandhidam

कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, और (*ii*) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट कोई कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद;

(ञ) ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लंबरदार, गौंटिया, करजी, करनाम, सरवारकर से या किसी अन्य नाम से बुलाया जाता हो, जिनका कर्त्तव्य भू-राजस्व इक्ट्ठा करना है और जिसे उसके द्वारा एकत्रित भू-राजस्व की रकम में अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है, लेकिन वह किसी पुलिस के कार्यों का निर्वहन नहीं करता है।

निरसन-ओड़िशा लाभ का पद (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951 और किसी अन्य अधिनियमिति में कोई उपबंध जो इस अधिनियम के साथ असंगत है इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

4. कतिपय मामलों में निरर्हता का अस्थायी निलंबन-यदि कोई व्यक्ति, ओडिशा विधान सभा का सदस्य होते हुए, जो इस अधिनियम के प्रारंम्भ से ठीक पहले इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए किसी विधि द्वारा घोषित लाभ का पद धारित करता है, तो उसके धारक को ऐसे सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, इस अधिनियम में निर्दिष्ट उपबंधों के किसी कारण से निरर्हित नहीं होगा, ऐसा पद, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से छह मास की अवधि से अनधिक की अवधि के लिए धारण किया जाता है, तो उसे उड़ीसा विधान सभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

5. निरसन-ओड़िशा लाभ का पद (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951 और कोई अन्य अधिनियमिति जो इस अधिनियम के असंगत है के किसी उपबंध का निरसन किया जाता है।

अनुसूची

[धारा 3(i) देखिए]

भाग 1

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय निगम।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 30 के अधीन गठित वायु परिवहन परिषद्।

विशेषज्ञ जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक।

मंडल भारी विद्युत (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक।

मंडल हिन्दुस्तान केबल्स (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

मंडल हिन्दुस्तान कीटनाशी (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

मंडल हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

मंडल हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का निदेशक।

मंडल नांगल उर्वरक और रासायनिक (प्राईवेट) लिमिटेड।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

मंडल राष्ट्रीय विकास निगम (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

बोर्ड राष्ट्रीय उपकरण (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

बोर्ड राष्ट्रीय लद्यु उद्योग निगम (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

बोर्ड नेयवेली लिग्नाइट निगम (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

बोर्ड सिंदरी उर्वरक और रसायन (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

बोर्ड भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राईवेट) लिमिटेड का निदेशक।

बोर्ड कृषि उपज (विकास और भंडागार) निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 28) की धारा 17 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भंडागार निगम।

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 के अधीन स्थापित कोयला बोर्ड।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 6 के अधीन गठित कोयला खान श्रम आवासन बोर्ड।

कलकत्ता के पत्तन के लिए आयुक्त।

गांधी डैम के नगर-क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिए समिति।

Company Law Advisory Commission constituted under section 410 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Cotton Textiles Fund Committee constituted under the Textile Funds Ordinance 1944 (34 of 1944).

Dock Labour Board, Bombay, established under the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 made under the Dock. Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Dock Labour Board, Calcutta, established under the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Dock Labour Board, Madras, established under the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 made under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Forward Markets Commission established under section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).

Indian Air Lines Corporation established under secton 3 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Industrial Finance Corporation of India established under section 3 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948).

Licensing Committee constituted under rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, made under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Mining Boards constituted under section 12 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

National Co-operative Development and Warehousing Board established under section 3 of the Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956 (28 of 1956).

Rehabilitation Finance Administration constituted under section 3 of the Rehabilitation Finance Administration Act, 1948 (12 of 1948).

Tariff Commission established under section 3 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951).

Trustees of the Port of Bombay.

Trustees of the Port of Madras.

Trustees of Commissioners of any major Port as defined in the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) other than the Port of Calcutta, Bombay or Madras.

BODIES UNDER THE GOVERNMENT OF ORISSA

Appeal Committee under the Board of Secondary Education.

Orissa Board of Communications and Transport.

Regional Transport Authority constituted under section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

State Transport Authority constituted under section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Board of Directors of the Orissa Mining Corporation Limited.

Board of Directors of the Orissa State Warehousing Corporation.

PART II

BODIES UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

Advisory Committee for the Air-India International Corporation appointed under section 41 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Advisory Committee for the Indian Air Lines Corporation appointed under section 41 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Central Silk Board constituted under section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948).

Coffee Board constituted under section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).

Coir Board constituted under section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953).

Development Council for Acids and Fertilisers established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 के अधीन गठित कंपनी विधि सलाहकारी आयोग।

टेक्सटाइल निधि अध्यादेश, 1944 (1944 का 34) के अधीन गठित सूती टेक्सटाइल निधि समिति।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाए गए, मुंबई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक श्रमिक बोर्ड, मुंबई।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाए गए, कोलकाता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक श्रमिक बोर्ड, कोलकाता।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाए गए, मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक श्रमिक बोर्ड, मद्रास।

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 के अधीन स्थापित अग्रिम बाजार आयोग।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय हवाई लाइन निगम।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारत का औद्योगिक वित्त निगम।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन बनाए गए, औद्योगिक परिवचन का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 के अधीन गठित अनुज्ञापन समिति।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित खान बोर्ड।

पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, 1948 (1948 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित पुनर्वास वित्त प्रशासन टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 (1951 का 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित टैरिफ आयोग।

मुंबई के पत्तन का न्यासी।

मद्रास के पत्तन का न्यासी।

कोलकाता, मुंबई या मद्रास के पत्तन से अन्यथा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में यथा परिभाषित कोई महापत्तन।

उड़ीसा सरकार के अधीन निकाय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन अपील समिति।

संचार और परिवहन का ओड़िसा बोर्ड।

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण।

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण।

ओड़िशा खान निगम लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

ओड़िशा राज्य के भंडागारण निगम का निदेशक बोर्ड।

भाग 2

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय निगम के लिए सलाहकारी समिति।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त हवाई लाइन निगम के लिए सलाहकारी समिति।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड।

कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित कॉफी बोर्ड।

कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन गठित कयर बोर्ड।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित क्षार और सहबद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद्।

Development Council for Alkalis and Allied Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Bicycles established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Drugs, Dyes and Intermediates established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Food Processing Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Heavy Electrical Engineering Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Internal Combustion, Engines and Power Driven Pumps established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Light Electrical Engineering Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Machine Tools established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Non-ferrous Metals including alloys established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for oil-based and Plastic Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Sugar Industry established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Textiles made of artificial silk including artificial silk yarn established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Textiles made of wool, including woollen yarn hosiery, carpets and druggets established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Durgah Committee, Ajmer, constituted under section 4 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

Indian Central Arecanut Committee.

Indian Central Coconut Committee constituted under section 4 of the Indian Coconut Committee Act, 1944 (10 of 1944).

Indian Central Cotton Committee constituted under section 4 of the Indian Cotton Cess Act, 1923 (14 of 1923).

Indian Central Jute Committee.

Indian Central Oil-seeds Committee constituted under section 4 of the Indian Oil-seeds Committee Act, 1946 (9 of 1946).

Indian Central Sugarcane Committee.

Indian Central Tobacco Committee.

Indian Lac Cess Committee constituted under section 4 of the Indian Lac Cess Act, 1930 (24 of 1930).

Rubber Board constituted under section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947).

Tea Board constituted under section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953).

BODIES UNDER THE GOVERNMENT OF ORISSA

Board of Wakfs constituted under the Muslim Wakfs Act, 1954 (29 of 1954).

Board of Secondary Education constituted under the Orissa Secondary Education Act, 1952 (Orissa Act 10 of 1953).

Regulated Market Committee.

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित साइकिल के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित औषधि, रंजक और मध्यवर्ती के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास बोर्ड।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित आंतरिक दहन इंजन और शक्ति चालित पंप के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित हल्के विद्युत इंजीनियरी उद्योग के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित मशीन औजार के लिए विकास बोर्ड।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित मिश्रधातु, सहित अलौह धातुओं के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित तेल आधारित और प्लास्टिक उद्योग के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित कृत्रिम रेशम के सूत सहित कृत्रिम रेशम से बने टेक्सटाइल के लिए विकास परिषद्।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित ऊनी सूत होजरी सहित ऊन से बने टेक्सटाइल के लिए विकास परिषद्।

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 4 के अधीन गठित दरगाह समिति अजमेर।

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति।

भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 का 10) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति।

भारतीय कपास उपकर अधिनियम, 1923 (1923 का 14)।

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति।

भारतीय तेल बीज समिति अधिनियम, 1946 (1946 का 9) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय केन्द्रीय तेल-बीज समिति।

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति।

भारतीय केन्द्रीय तंबाकू समिति।

भारतीय लाक्षा उपकर अधिनियम, 1930 (1930 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय लाक्षा उपकर समिति।

रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबड़ बोर्ड।

चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित बोर्ड।

ओड़िशा सरकार के अधीन निकाय।

मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) के अधीन गठित वक्फ बोर्ड।

ओड़िशा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1952 (1953 का ओड़िशा अधिनियम 10)।

विनियमित बाजार समिति।

THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1962

(ACT NO. XVI OF 1962)

[*Received the assent of the Sadar-i-Riyasat on 16th July, 1962 and published in Government Gazette dated 18th July, 1962.*]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being members of the Jammu and Kashmir State Legislature.

BE it enacted by the Jammu and Kashmir State Legislature in the Thirteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Jammu and Kashmir State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1962.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance (such allowance not exceeding the amount of the daily allowance to which a member of the Jammu and Kashmir State Legislature is entitled under the Salaries and Allowances of Members of Jammu and Kashmir State Legislature Act, 1960), any conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office;

(*b*) "statutory body" means any Corporation, Committee, Commission, Council, Board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force;

(*c*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body.

3. Certain offices of profit not to disqualify.—It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of Jammu and Kashmir or the Government of India, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Jammu and Kashmir State Legislature, namely:—

(*a*) any office held by a Minister of State or Deputy Minister whether *exofficio* or by name;

(*b*) the office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in either House of the Jammu and Kashmir State Legislature;

(*c*) the office of a Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary [1][or any advisor including political advisor to Chief Minister];

(*d*) the office of Chairman or member of the syndicate, senate, executive committee, council or Court of the [2][University of Jammu, University of Kashmir or any other University established in the State under any law for the time being in force];

[3][(*dd*) the office of Chairman or member of a Committee, Commission or Board set up by the Government whether under a statute of by executive order, for or in connection with the:—

(*i*) prevention of corruption,

(*ii*) development of the State in planned manner,

(*iii*) land reforms;]

(*e*) the office of a member of any Delegation or Mission sent outside India by a Government for any special purpose;

(*f*) the office of Chairman or member of a Committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

1. Ins. by J&K Act XV of 2009, s. 2.
2. Subs. by J&K Act XVI of 2006, s. 2.
3. Cl. (*dd*) ins. by J&K Act II 1963.

जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1962

(1962 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम संख्यांक 16)

[16 जुलाई, 1962 को सदर-ए-रियासत की अनुमति प्राप्त हुई और तारीख 18 जुलाई, 1962 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।]

सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों को उनके धारकों को जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित न करने की घोषणा करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1962 है।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रतिकरात्मक भत्ता'' से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जो किसी पद धारक को, उस पद के कृत्यों के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए जम्मू-कश्मीर विधान-मंडल का कोई सदस्य जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल अधिनियम, 1960 के अधीन हकदार है), किसी वाहन भत्ते, मकान किराया भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है;

(ख) ''कानूनी निकाय'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद् बोर्ड या व्यक्ति का अन्य निकाय अभिप्रेत है चाहे वह निगमित हो या न हो;

(ग) ''अकानूनी निकाय'' से ऐसे व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो।

3. **कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे**—यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई पद, उसके धारक को जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेंगे जहां तक वे भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर सरकार के अधीन लाभ के पद हैं, अर्थात्:—

(क) किसी मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से, धृत कोई पद;

(ख) जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल में किसी भी सदन में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद;

(ग) मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव का पद [1][या मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सहित कोई सलाहकार ;

(घ) सिंडीकेट, सिनेट, कार्यकारी समिति, परिषद या न्यायालय के अध्यक्ष या सदस्य का पद [2][तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य में स्थापित जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वद्यिालय या कोई अन्य विश्वविद्यालय] या मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सहित कोई सलाहकार;

[3][(घघ) सरकार द्वारा कानून के अधीन या किसी कार्यकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित के संबंध में स्थापित किसी समिति, आयोग या बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद—

(*i*) भ्रष्टाचार हटाना,

(*ii*) आयोजित रीति से राज्य का विकास,

(*iii*) भूमि सुधार;]

(ङ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी डेलिगेशन या मिशन के सदस्य का पद;

(च) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे मामले की जांच करने या उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;

---

1. जम्मू-कश्मीर अधिनियम 2009 का 15 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
2. जम्मू-कश्मीर अधिनियम 2006 का 16 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
3 जम्मू-कश्मीर अधिनियम 2009 का II 1963 द्वारा अंत:स्थापित खंड (घघ)।

(*g*) the office of the Chairman, Director or member of any statutory or non-staturory body other than any such body as is referred to in [1][clause (*dd*) or] clause (*f*) if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance.

Explanation.—For the purposes of this section, the office of Chairman or Secretary shall include every office of that description by whatever name called;

[2][(*h*) the office of of the Chairman, Vice-Chairman, Managing Director, Director or Member by whatever name called, of—

(*i*) the Jammu and Kashmir Handloom Development Corporation;

(*ii*) the Jammu and Kashmir Agro Industries Development Corporation;

(*iii*) the Jammu and Kashmir Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Corporation;

(*iv*) the Jammu and Kashmir Cements Limited;

(*v*) the Jammu and Kashmir Women's Development Corporation;

(*vi*) the Jammu and Kashmir State Industries Development Corporation (SIDCO);

(*vii*) the Jammu and Kashmir Small Scale Industries Development Corporation;

(*viii*) the Jammu and Kashmir Industries Limited;

(*ix*) the Jammu and Kashmir Handicrafts (Sales and Export);

(*x*) the Jammu and Kashmir Minerals Limited;

(*xi*) the Jammu and Kashmir Forest Corporation;

(*xii*) the Jammu and Kashmir State Financial Corporation;

(*xiii*) the Jammu and Kashmir Tourism Development Corporation;

(*xiv*) the Jammu and Kashmir Cable Car Corporation;

(*xv*) the Jammu and Kashmir State Road Transport Corporation;

(*xvi*) the Jammu and Kashmir Horticulture Produce Marketting and Processing Corporation Limited;

(*xvii*) the Jammu and Kashmir Police Housing Corporation;

(*xviii*) the Jammu and Kashmir Social Welfare Advisory Board;

(*xix*) the Board constituted under the Jammu and Kashmir Muslim Specified Wakaf Properties (Management and Regulation) Act, 2004;

(*xx*) the State Wakaf Council constituted under the Jammu and Kashmir Wakafs Act, 2001;

(*xxi*) the Jammu and Kashmir Advisory Board for Development of Pahari Speaking People;

(*xxii*) the Jammu and Kashmir Advisory Board for Development of Gujjars and Bakerwals;

(*xxiii*) the Jammu and Kashmir Advisory Board for Welfare and Development of Scheduled Castes;

(*xxiv*) the Board constituted under Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988;

(*xxv*) the Board constituted under Shri Amar Nath Ji Shrine Act, 2000; and

(*xxvi*) such other Corporation, body or board as the Government may, from time to time, specify by notification in the Government Gazette in this behalf:

Provided that the holder of such office is not entitled to any remuneration other than the compensatory allowances, if any, received by such person till the enforcement of the Jammu and Kashmir State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2006 shall be deemed to be compensatory allowance.

1. Ins. by J.&K. Act XV of 2006, s. 2.

(छ) [1][खंड (घघ)] या खंड (च) में निर्दिष्ट किसी निकाय से भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक, प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष या सचिव के पद के अंतर्गत उस प्रकार का हर पद आएगा चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए।

[2][(ज) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक या सदस्य चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए,—

(*i*) जम्मू-कश्मीर हथकरधा निकास निगम;

(*ii*) जम्मू-कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम;

(*iii*) जम्मू-कश्मीर अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग निगम;

(*iv*) जम्मू-कश्मीर सीमेंट लिमिटेड;

(*v*) जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम;

(*vi*) जम्मू-कश्मीर राज्य उद्योग विकास निगम (एस आई डी सी ओ);

(*vii*) जम्मू-कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम;

(*viii*) जम्मू-कश्मीर उद्योग लिमिटेड;

(*ix*) जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प (विक्रय और निर्यात्);

(*x*) जम्मू-कश्मीर खनिज लिमिटेड;

(*xi*) जम्मू-कश्मीर वन निगम;

(*xii*) जम्मू-कश्मीर राज्य वित्त निगम;

(*xiii*) जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम;

(*xiv*) जम्मू-कश्मीर केबल यान निगम;

(*xv*) जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम;

(*xvi*) जम्मू-कश्मीर उद्यान कृषि उपज विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड;

(*xvii*) जम्मू-कश्मीर पुलिस आवासन निगम;

(*xviii*) जम्मू-कश्मीर सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड;

(*xix*) जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विनिर्दिष्ट वक्फ सम्पत्ति (प्रबंध और विनियम) अधिनियम, 2004 के अधीन गठित बोर्ड;

(*xx*) जम्मू-कश्मीर वक्फ अधिनियम, 2001 के अधीन गठित राज्य वक्फ परिषद्;

(*xxi*) पहाड़ी बोलने वाले लोगों के विकास के लिए जम्मू कश्मीर सलाहकार बोर्ड;

(*xxii*) गुज्जर और बक्करवाल के विकास बोर्ड के लिए जम्मू कश्मीर सलाहकार; बोर्ड

(*xxiii*) अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए जम्मू कश्मीर सलाहकार बोर्ड;

(*xxiv*) श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड अधिनियम, 1988 के अधीन गठित बोर्ड;

(*xxv*) श्री अमरनाथ जी श्राईन अधिनियम, 2000 के अधीन गठित बोर्ड;

(*xiv*) इस निमित, सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे अन्य निगम, निकाय या बोर्ड:

परंतु यह कि इस पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है; यदि जम्मू कश्मीर राज्य विधान-मंडल (अर्हता हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई भत्ता प्राप्त किया गया है, को प्रतिकरात्मक भत्ता माना जाएगा।

---

1. 2006 के जम्मू-कश्मीर अधिनियम सं॰ 2 द्वारा अंत:स्थापित।

(*i*) the office of the Chairman, President, Vice-President or Principal Secretary of the Governing body of any society registered under the Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat 1998 or any other law relating to registration of society not being a body specified in clause (*h*).

[1]**[3-A. Special Provisions.**—(*1*) Notwithstanding any judgment or order of any court or tribunal or any order or opinion of any other authority, the office mentioned in clauses (*h*) and (*i*) of section 3 of the Principal Act shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified holders thereof for being chosen as, or for being, a member of either House of the State Legislature as if the Principal Act as amended by his Act, had been in force at all meterial times.

(*2*) For the removal of doubts, it is hereby clarified that any petition or reference pending before any court or any other authority on the date of commencement of this Act shall be disposed of in accordance with provisions of the principal Act, as amended by this Act].

4. Repeal.—The Jammu and Kashmir Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1957 is hereby repealed.

---

1. *Vide* J. and K. Act XVI of 2006, s. 2, instant provision has been inserted which as per numbering has been assigned the No.3-A by the Editor. It may be noted that in the Original Act, the instant provision has been numbered as "3. Special Provisions".

(*i*) जम्मू-कश्मीर सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1998 या सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित जो खंड (ज) में विनिर्दिष्ट निकाय नहीं है, किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी के शासी निकाय सभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव का पद।

[1][3. क. विशेष उपबंध—(1) मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ज) और खंड (झ) में वर्णित किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या अन्य प्राधिकरण, पद के किसी आदेश या राय, की किसी बात के होते हुए भी, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदन के सदस्य को सदस्य के रूप में चुने जाने से या चुने जाने पर, धारकों का निरर्हित या कभी निरर्हित किया गया नहीं समझा जाएगा, जैसे कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त था।

(2) शांकाओं को हटाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित किसी याचिका या निर्देश को इस इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा।]

4. निरसन—जम्मू कश्मीर विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1957 को निरसित किया जाता है।

1. जम्मू-कश्मीर अधिनियम, 2006 का 16 की धारा 2 द्वारा, तत्काल उपबंध-अंत:स्थापित किए जा चुके है जिन्हें संपादक द्वारा संख्यांक के अनुसार सं॰ 3 दी गई है। यह नोट किया जाए कि मूल अधिनियम में तत्काल उपबंध को ''3 विशेष उपबंध'' के रूप में संख्यांकित किया गया है।

NAGALAND STATE LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1964

(NAGALAND ACT NO. 1 OF 1964)

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as and for being a member of the Nagaland Legislative Assembly.

WHEREAS it is expedient to provide in accordance with the provisions of article 191(1)(*a*) of the Constitution of India that the holders of the offices hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Nagaland Legislative Assembly.

It is hereby enacted in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(*1*) This Act may be called the Nagaland State Legislature Members (Removal of Disqualification) Act, 1964.

(*2*) It extends to the whole of Nagaland.

(*3*) It shall be deemed to have come into force on the 11th day of February, 1964.

2. Removal of certain disqualifications.—A person shall not be deemed never to have been disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Nagaland Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. Any office held by a Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

2. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of India or to the Government of Nagaland.

3. The office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip in Parliamentary or is the Nagaland Legislative Assembly.

4. The office of the Chairman, Vice-Chairman or member of any Regional Tribal Area, Range or Village Council constituted in Nagaland under any existing law or Regulation.

5. The office of Government Pleader or Public Prosecutor.

6. The office of part-time Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government educational institutions.

7. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

8. The office of Chairman, Vice-Chairman or member or members of any Committee, Board or Authority apppointed by the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

9. Gaonbura, Chowkidar whether called by this or any other title.

10. Any office under the Government which is not a whole-time office remunerated either by salary of fees.

11. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

12. Any office held in Auxiliary Air Force of Air Defence Reserve.

नागालैंड राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1964

(1964 का नागालैंड अधिनियम संख्यांक 1)

नागालैंड विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं को हटाने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के उपबंधों के अनुसार यह उपबंध करना समीचीन है कि नागालैंड विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए इसमें इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक निरर्हित न होंगे।

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागालैंड राज्य विधान-मंडल सदस्य निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1964 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण नागालैंड पर है।

(3) यह 11 फरवरी, 1964 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना—इस तथ्य के आधार पर कि कोई व्यक्ति इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है, नागालैंड विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्ह न होगा या कभी भी निरर्ह हुआ न समझा जाएगा।

अनुसूची

1. संघ या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धारित कोई पद।

2. भारत सरकार या नागालैंड सरकार के संसदीय सचिव का पद।

3. संसद् या नागालैंड विधान सभा में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद।

4. किसी विद्यमान विधि या विनियम के अधीन नागालैंड में गठित किसी प्रादेशिक जनजाति क्षेत्र, रेंज या ग्राम परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद।

5. सरकारी प्लीडर या लोक अभियोजक का पद।

6. सरकारी शैक्षणिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद।

7. सरकार को अंशकालिक सेवा प्रदान करने वाला चिकित्सा व्यवसायी।

8. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या सदस्यों का पद।

9. गांवबुरा, चौकीदार चाहे वह इस नाम से पुकारा जाता है या किसी अन्य नाम से।

10. सरकार के अधीन वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक वाला ऐसा कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है।

11. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद।

12. सहायक वायु बल या वायु रक्षा रिजर्व में धारित कोई पद।

MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRHARTA NIVARAN ADHINIYAM, 1967

ACT NO. 16 OF 1967

[14*th July,* 1967.]

An Act to declare offices of the profit not to disqualify their holders for being chosen as or for being members of the State Legislature [Received the assent of the Governor on the 14th July, 1967 assent first published in the Madhya Pradesh Gazette, Extraordinary, on the July, 1967.

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirharta Nivaran Adhiniyam, 1967.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires.—

(*a*) "Committee" means any committee, council, board or any other body of persons whether a statutory body or not set up by the Central Government of any State Government;

(*b*) "Statutory body" means any corporation, board, company, society or any other body of persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any law for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

3. Prevention of disqualifications.—(*1*) A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly or the Madhya Pradesh Legislative Council by reason only of the fact that he holds any of the offices of profit under Government specified in the Schedule.

(*2*) Subject to the provisions of sub-section *(1)* no person holding the office of the Chairman or member of any Committee, shall be disqualified at any time for being chosen as, or for being, a member of the Madhya Pradesh Legislative Council by reason only of the fact that he holds such office:

Provided that the holder of any such office is not in receipt of any fee, allowances or remuneration other than travelling or daily allowances, not execeeding—

(*i*) the travelling allowance and daily allowance admissible to a first grade officer, serving under the State Government if such holder is not a member of the said Legislative Assembly or the Legislative Council; and

(*ii*) the travelling allowance and daily allowance admissible to a member of the House of the People or a member of the State Legislative Assembly, the State Legislative Council according as the office held is under the control of the Central Government or the State Government, if such holder is a member of the said Legislative Assembly or Legislative Council.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, the expression "Chairman" shall include 'President'.

4. Repeal.— The Madhya Pradesh Legislative Assembly Prevention of Disqualification Act, 1956 (1 of 1957) is hereby repealed.

THE SCHEDULE

List of offices of profit under Government

[*Vide* section 3(*1*)]

1. Speaker and Deputy Speaker of the State Legislative Assembly.

2. Chairman and Deputy Chairman of the State Legislative Assembly.

3. Minister of State.

4. Deputy Minister.

5. Parliamentary Secretary.

मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967

(1967 का अधिनियम संख्यांक 16)

[14 जुलाई, 1967]

कतिपय लाभ के पदों को उनके धारकों को राज्य विधान-मंडल के सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित न बनाने वाले घोषित करने हेतु अधिनियम तारीख 14 जुलाई, 1967 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' असाधारण में तारीख 17 जुलाई, 1967 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए:–

1. **संक्षिप्त नाम**—यह अधिनियम मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 कहा जा सकेगा।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''समिति'' से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी समिति, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो;

(ख) ''कानूनी निकाय'' से अभिप्रेत है तत्समय, प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया या किसी भी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला तथा कृत्य करने वाला कोई भी निगम, बोर्ड, कंपनी, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई, अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो।

3. **निरर्हता निवारण**—(1) कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश विधान सभा या मध्य प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिए केवल इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं होगा कि वह सरकार के अधीन लाभ के पदों में से, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, कोई भी पद धारण करता है।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो किसी समिति के सभापति या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय मध्य प्रदेश विधान सभा या मध्य प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है:

परंतु किसी ऐसे पद के धारक को निम्नलिखित से अनधिक यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते से भिन्न कोई फीस, भत्ता या पारिश्रमिक नहीं मिलता हो–

(*i*) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो, तो राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के आफिसर के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता; और

(*ii*) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य न हो, तो लोक सभा के सदस्य या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य के लिए, धारण किए गए पद के केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होने की दशा के अनुसार स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''सभापति'' के अंतर्गत अभिव्यक्ति ''अध्यक्ष'' आएगी।

4. **निरसन**—मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन आफ डिस्क्वालीफिकेशन ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1957) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

[धारा 3(1) देखिए]

1. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
2. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति।
3. राज्य मंत्री।
4. उप-मंत्री।
5. संसदीय सचिव।

6. Advocate General.

7. Government Pleader.

8. Public Prosecutor defined as in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898).

9. Any person appointed as, or performing the functions of a Petal under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959) of a Manjhi or a Chalki in Baster District.

10. Official Receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920).

11. Sarpanch of an irrigation panchayat as defined in the rules made under section 62 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (III of 1931).

12. Any office in the National Cadet Corps or the Territorial Army.

13. Any office in the Auxiliary Air Force or the Air Defence Reserve raised under the Reserved and Auxiliary Air Force Act, 1952 (62 of 1952).

14. Member of the Naval, Military, Air Forces or any other armed forces of the Union during the period, the Proclamation of Emergency by the President of India, dated the 26th October, 1962, force and six remains in months thereafter.

15. Any office under an insurer the management of whose controlled business is vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).

Explanation.—For the purpose of item 15 "insurer" and "controlled business" shall have the meanings respectively assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).

16. The office of the Leader of opposition in the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Explanation.—For the purpose of item 16, the Leader of the opposition shall have the meaning assigned to it in the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Virodhi Dal ka Neta (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

17. Chairman and Vice-Chairman or President and Vice-President or Managing Director or Director of a Statutory Body, or a member of any committee by whatever name any of the aforesaid office is called.

Explanation.—For the purpose of item 17, the office mentioned therein shall include any other office held jointly with the office or any office held jointly with the office mentioned in item 17 in the statutory body.

18. Secretary of the Madhya Pradesh Khadi and Village Industries Board.

6. महाधिवक्ता।

7. सरकारी प्लीडर।

8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) में यथापरिभाषित लोक अभियोजक।

9. मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में मांझी या चाकी के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति।

10. प्रोविन्शियल इन्साल्वेंसी ऐक्ट, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसीवर।

11. मध्य प्रदेश इरीगेशन ऐक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 62 के अधीन बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच।

12. नेशनल केडिट कोर या प्रादेशिक सेना में को कोई भी पद।

13. रिजर्व्ड एंड आक्जीलरी ऐयर फोर्सेस ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 62 सन् 1952) के अधीन स्थापित की गई आक्जीलरी एयर फोर्स या एयर डिफेंस रिजर्व में का कोई भी पद।

14. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक 26 अक्तूबर, सन् 1962 के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात् छः मास के दौरान संघ की नौ-सेना, स्थल सेना, वायु सेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों का सदस्य।

15. ऐसे बीमाकर्ता के अधीन, जिसके कि नियंत्रित कारबार का प्रबंध लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्रावीजन्स) ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो, कोई भी पद।

स्पष्टीकरण—मद 15 के प्रयोजन के लिए ''बीमाकर्ता'' तथा ''नियंत्रित कारबार'' के वही अर्थ होंगे जो कि लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्रावीजन्स) ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं।

16. मध्य प्रदेश विधान सभा में विरोधी दल के नेता का पद।

स्पष्टीकरण—मद 16 के प्रयोजन के लिए विरोधी दल के नेता का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्य प्रदेश विधान-मंडल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में दिया गया है।

17. किसी कानूनी निकाय का सभापति तथा उप-सभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबंध संचालक या संचालक या किसी समिति का कोई सदस्य, भले ही पूर्वोक्त पदों में से कोई पद किसी भी नाम से ज्ञात हो।

स्पष्टीकरण—मद 16 के प्रयोजन के लिए, उस पद के लिए जो इसमें वर्णित है, अंतर्गत आएगी, किसी कानूनी निकाय में उस पद के साथ संयुक्ततः धारित कोई अन्य पद या किसी पद के साथ संयुक्ततः भारित मद 17 में वर्णित पद।

18. मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सचिव।

[1]THE TAMIL NADU LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1967

TAMIL NADU ACT NO. 3 OF 1967

[10*th April,* 1967.]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders for being chosen as, or for being, members of the State Legislature.

BE it enacted by the Legislature of [1]Tamil Nadu in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (*1*) This act may be called the [1]Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1967.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1964.

2. Certain offices of profit not to disqualify.—It is hereby declared that none of the offices specified in the Schedule shall disqualify, or shall be deemed ever to have disqualified, the holder thereof for being chosen as, or for being, member of the Legislative Assembly.[2]

3. Amendment of [1]Tamil Nadu Act XX of 1951.—In the [1]Tamil Nadu Payment of Salaries and Removal of Disqualifications Act, 1951 (Tamil Nadu Act XX of 1951),—

(*1*) in the long title, the words "and for the removal of certain disqualifications" shall be omitted;

(*2*) in the preamble, the second paragraph shall be omitted;

(*3*) in section 1, the words "and Removal of Disqualifications" shall be omitted; and

(*4*) section 11 shall be omitted.

4. Amendment of section 17, [1]Tamil Nadu Act 3 of 1963.—In section 17 of the [1]Tamil Nadu Home Guard Act, 1953 (*Tamil Nadu Act 3 of 1953):—

(*1*) sub-section *(1)* shall be omitted; and

(*2*) the brackets and figure "(2)" occuring at the commencement of sub-section (*2*) shall be omitted.

5. Repeal of Madras Ordinance 4 of 1966.—The Madras Legtislature (Prevention of Disqualifications) Ordinance 1966 (Madras Ordinance 4 of 1966), is hereby repealed.

THE SCHEDULE

(*See* section 2)

1. The office of Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State.

2. The office of Chief Government Whip, Deputy Chief Government Whip, Government Whip or Parliamentary Secretary.

3. The office of Sheriff in the City of Madras.

4. The office of member of any delegation or mission sent outside India by the Government of any special purpose.

5. The office of member of a committee (not being a body specified in item 11), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into or collecting statistics in respect of any such matter.

1. Subs. by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1969.
2. Consequent on the abolition of the Tamil Nadu Legislative Council by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986 (Central Act 40 of 1986), the term "or of the Legislative Council" occurred in s. 2, the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Act 1967, omitted by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1987 (Tamil Nadu Government Gazette No. 654, Part IV, s. 2. dt. 28.10.1987).

[1]तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1967

(1967 का तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 3)

[10 अप्रैल, 1967]

राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों के धारकों को निरर्हित न होना घोषित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठारहवे वर्ष में [1]तमिलनाडु के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से या अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1]तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1967 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 1964 को प्रवृत्त हुआ समक्षा जाएगा।

2. कतिपय लाभ के पद निरर्हित नहीं करेंगे—यह घोषित किया जाता है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करेगा या कभी भी निरर्ह किया हुआ न समझा जाएगा।[2]

3. 1951 के [1]तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 20 का संशोधन—[1]तमिलनाडु वेतन संदाय और निरर्हताओं का हटाना अधिनियम, 1951 (1951 का *तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 20) में,—

(1) वृहत् नाम में से ''और कतिपय निरर्हताओं को हटाने के लिए'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(2) उद्देशिका के दूसरे पैरा का लोप किया जाएगा;

(3) धारा 1 में से ''और निरर्हताओं का हटाना'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(4) धारा 11 का लोप किया जाएगा।

4. 1963 के [1]तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 3 की धारा 17 का संशोधन—[1]तमिलनाडु होमगार्ड अधिनियम, 1953 (1953 के *तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 17 में:—

(1) उपधारा (1) का लोप किया जाएगा; और

(2) कोष्ठक और अंक ''(2)'' जो उपधारा (2) के प्रारंभ में आते हैं का, लोप किया जाएगा।

5. 1966 के मद्रास अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन—मद्रास विधान-मंडल (निरर्हताओं का हटाया जाना) अध्यादेश, 1966 (1966 के मद्रास अध्यादेश 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. संघ या किसी राज्य के राज्यमंत्री या उपमंत्री का पद।

2. मुख्य सरकारी सचेतक, उप मुख्य सरकारी सचेतक सरकारी सचेतक या संसदीय सचिव का पद।

3. मद्रास नगर के शैरिफ का पद।

4. सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत से बाहर भेजे गए किसी प्रतिनिधि मंडल या मिशन के सदस्य का पद।

5. लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में या उसकी जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी विषय के संबंध में सांख्यिकी एकत्रित करने के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए अस्थाई रूप से बनाई गई किसी समिति के (जो मद 11 में विनिर्दिष्ट निकाय न हो) सदस्य का पद।

---

1. तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्पादन) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम 40) द्वारा तमिलनाडु विधान परिषद् के उत्पादन के परिणामस्वरूप तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 में ''या विधान परिषद् के पद का तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1987 द्वारा लोप किया गया तमिलनाडु सरकार राजपत्र सं॰ 654, भाग 4, खंड 2, तारीख 28-10-1987)।]

6. The office of member of any forces raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act XXXI of 1948), the Territorial Army Act, 1948 (Central Act LVI of 1948), or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1954 (Central Act LXII of 1952).

7. The office of member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State.

[1][7A. The office of member of a District Development Council.]

8. The office of honorary medical officer or honorary Assistant Medical Officer in any hospital maintained by the Government.

9. The office of Examiner or Assistant Examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union or State Public Service Commission.

10. The office of Director of the—

(*1*) [2][***]

(*2*) [2][***]

[3][(*2*) (*a*) Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Limited;]

[4][(*2*) (*b*) Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation (Private) Limited;]

(*3*) [2][***]

11. The office of Chairman [5][Vice-Chairman], member or secretary of the—

(*1*) Advisory Committee for a Rural Extension Training Centre;

(*2*) Advisory Committee for Iron and Steel under Agricultural Quota and Agricultural Implements;

(*3*) Board of Examiners for Cinema Operators;

(*4*) Board of Visitors under rule 41 of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls, (Tamil Nadu) Rules, 1958;

(*5*) Committees for the selection of Auxiliary Nurse Midwife pupils;

(*6*) Committee for the selection of Nurse Pupils;

(*7*) Forage Resources Board;

(*8*) [7][Tamil Nadu] State Film Advisory Board;

(*9*) Managing Committees for the Aftercare Homes at Madras and Vellore;

(*10*) State Agricultural Advisory Committee;

(*11*) State Campaign Committee for Freedom from Hunger;

(*12*) State Committee on Employment;

(*13*) State Level Co-ordination Committee on Training;

(*14*) State Social Welfare Board;

(*15*) Allocation Committee under the Employees State Insurance (Medical Benefit) Panel System Rules, 1954.

(*16*) Board of Examination [1]Tamil Nadu;

(*17*) Board of Studies to review the existing syllabi and curricula for the various courses conducted in the polytechnics and to suggest suitable modifications;

1. Ins. by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1971.
2. Omitted by the Tamil Nadu (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1975 (Tamil Nadu Act No. 53 of 1975).
3. Ins. *ibid.*
4. Sub-item (2-B) of item 10 ins. by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1986 (Tamil Nadu Act No. 26 of 1986).
5. Ins. by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualifications) Amendment Act, 1989 (Tamil Nadu Act No. 12 of 1989).
6. Subs. by the Tamil Nadu Adaptation of Laws (Second Amendment) Order, 1969.
7. Subs. by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1970.

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 31), प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 56) या रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 62) के अधीन बनाई गई या पोषित किसी सेना के सदस्य का पद।

7. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद।

[1][7क. जिला विकास परिषद् के सदस्य का पद।]

8. सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी का पद।

9. केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या संघ या राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के लिए परीक्षक या सहायक परीक्षक का पद।

10. निम्नलिखित के निदेशक का पद—

(1) [2][***]

[2](2) [2][***]

[3][(2) (क) तमिलनाडु हैंडिक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड]।

[4][(2) (ख) तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस इकोनोमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड]।

(3) [2][***]

11. निम्नलिखित के अध्यक्ष, [5][उपाध्यक्ष], सदस्य या सचिव का पद—

(1) एडवाइजरी कमेटी फार ए रूरल एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर;

(2) एडवाइजरी कमेटी फार आयरन एंड स्टील अंडर एग्रीकल्चरल कोटा एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लिमेंटस;

(3) बोर्ड आफ एक्जामिनर फार सिनेमा आपरेटर;

(4) बोर्ड आफ विजीटर अंडर रूल 41 आफ दि सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्राफिक इन वुमन एंड गर्लस[6] (तमिलनाडु) रूल्स, 1958 ;

(5) कमेटी फार दि सेलेक्शन आफ औक्जिलियरी नर्स मीडवाइफ पुपील्स;

(6) कमेटी फार दि सेलेक्शन आफ नर्स पुपील्स;

(7) फोरेज रिसोर्सेस बोर्ड;

[7](8) [तमिलनाडु] स्टेट फिल्म एडवाइजरी बोर्ड;

(9) मैनेजिंग कमेटीज फार दि आफटरकेयर होम्स ऐट मद्रास एंड वैलोर;

(10) स्टेट एग्रीकल्चरल एडवाइजरी कमेटी;

(11) स्टेट कम्पेन कमेटी फार फ्रिडम फ्राम हंगर;

(12) स्टेट कमेटी आन इमप्लाएमेंट;

(13) स्टेट लेवल को-आरडीनेशन कमेटी आन ट्रेनिंग ;

(14) स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड ;

(15) एलोकेशन कमेटी अंडर दी इम्प्लाइज स्टेट इनश्योरेंस (मेडिकल बेनिफिट) पैनल सिस्टम रूल्स,1954 ;

(16) बोर्ड आफ एक्जामिनेशनस [1]तमिलनाडु;

(17) बोर्ड आफ स्टडीज टु रिव्यू दि एक्जिसटिंग सिलेबी एंड करीकुला फार दि वेरियस कोर्सेस कंडक्टेड इन दी पोलिटेकनिकस एंड टु सजेस्ट सुटेबल मोडिफिकेशनस;

1. तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा अंत:स्थापित।
2. तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 53) द्वारा लोप किया गया।
3. तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 26) द्वारा मद 10 की उपमद (2ख) अंत: स्थापित।
4. तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 26) द्वारा मद 10 की उपमद (2ख) अंत:स्थापित।
5. तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1989 (1989 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 12) द्वारा अंत:स्थापित।
6. तमिलनाडु विधि अनुकूलन (दूसरा संशोधन) आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

(*18*) Greater Madras Road Development and Traffic Planning Committee;

(*19*) Madras City Road Development and Traffic Planning Committee;

(*20*) [1][Tamil Nadu Road Development and Traffic Planning Committee;]

(*21*) Medical Service Committee;

(*22*) Project Level Committees for Rural Industries at Nanguneri, Omalur and Sriperumpudur;

(*23*) State Level Advisory Committee for Rural Industries;

(*24*) Wenlock Downs Advisory Committee;

(*25*) Inspection Committee, [1][Tamil Nadu];

(*26*) [2][Tamil Nadu Khadi and Village Industries Board established under the [1]Tamil Nadu Khadi and Village Industries Board Act, 1959 [([2]Tamil Nadu Act 18 of 1969)]];

(*27*) [1]Tamil Nadu Housing Board constituted under the Tamil Nadu State Housing Board Act, 1961 ([1]Tamil Nadu Act 17 of 1961);]

(*28*) [3][***];

[4][(*29*) Panchayat Development Consultative Committee on Administration and Works, Production Programmes and Welfare Services Programmes;

(*30*) State Cotton Committee;

(*31*) All India Handicrafts Board;

(*32*) Central Advisory Committee for Consumer Co-operatives;

(*33*) Central Committee on Employment;

(*34*) Central Poultry Development Advisory Council;

(*35*) Coal Development Council;

(*36*) Committee on Untouchability, Economic uplift and Educational Development of Scheduled Castes;

(*37*) Court of the Forest Research Institute and Colleges, Dehradun;

(*38*) Employees' State Insurance Corporation;

(*39*) Export Advisory Committee for Books and Periodicals;

(*40*) Film Export Advisory Committee;

(*41*) Khadi and Village Industries Committee;

(*42*) Indian Coconut Development Council;

(*43*) Indian Sugarcane Development Council;

(*44*) Medical Benefit Council of the employees' State Insurance Corporation;

(*45*) Mental Health Advisory Committee;

(*46*) National Committee for International Council of Scientific Unions;

(*47*) National Committee on Training in Community Development and Extension;

(*48*) National Commission on Labour;

(*49*) National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee;

(*50*) National School Health Council;

---

1. Subs. by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1970.
2. Subs. by the Tamil Nadu Adaptation of Laws order, 1969.
3. Omitted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1983 (Tamil Nadu Act No. 5 of 1983)
4. Ins. by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1971.

(18) ग्रेटर मद्रास रोड डेवलपमेंट एंड ट्रैफिक प्लानिंग कमेटी;

(19) मद्रास सिटी रोड डेवलपमेंट एंड ट्रैफिक प्लानिंग कमेटी;

(20) [1][तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट एंड ट्रैफिक प्लानिंग कमेटी];

(21) मेडिकल सर्विस कमेटी;

(22) प्रोजेक्ट लेवल कमेटीस फार रूरल इंडस्ट्रीज ऐट नांगुनेरी, ओमालूर एंड श्रीपेरंम्पुदूर;

(23) स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी फार रूरल इन्डस्ट्रीज;

(24) वेनलाक डाउन्स एडवाइजरी कमेटी;

(25) इंसपेक्सन कमेटी, [1][तमिलनाडु];

(26) [2]तमिलनाडु खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड ऐक्ट, 1959 [2][तमिलनाडु अधिनियम 1969 का 18] के अधीन स्थापित तमिलनाडु खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड;

(27) [1]तमिलनाडु स्टेट हाऊसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1961 (1961 का [1]तमिलनाडु अधिनियम 17) के अधीन गठित तमिलनाडु हाऊसिंग बोर्ड;]

(28) [3][***]

[4][(29) पंचायत डेवलपमेंट कंसलटेटिव कमेटी आन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्कस, प्रोडक्सन प्रोग्रामस एंड वेलफेयर सर्विसेज प्रोग्राम्स;]

(30) स्टेट कॉटन कमेटी;

(31) ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्टस बोर्ड;

(32) सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी फार कंज्युमर को-आपरेटिव्स;

(33) सेंट्रल कमेटी आन इम्प्लाएमेंट;

(34) सेंट्रल पॉल्ट्री डेवलपमेंट एडवाइजरी कौंसिल;

(35) कोल डेवलपमेंट कौंसिल;

(36) कमेटी आन अनटचेबिलिटि, इकोनोमिक अपलिफ्ट एंड एजूकेशनल डवलेपमेन्ट आफ शिड्यूल कास्ट्स;

(37) कोर्ट आफ दी फौरेस्ट रिसर्च इंस्ट्टियूट एंड कालेजेज, देहरादून;

(38) एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन;

(39) एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी फार बुक्स एंड पीरिओडिकल्स;

(40) फिल्म एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी;

(41) खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज कमेटी;

(42) इंडियन कोकोनट डेवलपमेंट कौंसिल;

(43) इंडियन सूगरकेन डेवलपमेंट कौंसिल;

(44) मेडिकल बेनिफिट कौंसिल आफ दी इम्लाइज स्टेट इनश्योरेंस कारपोरेशन;

(45) मेंटल हेल्थ एडवाइजरी कमेटी;

(46) नेशनल कमेटी फार इंटरनेशनल कांसिल आफ सांइटिफिक यूनियनस;

(47) नेशनल कमेटी आन ट्रेनिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन;

(48) नेशनल कमीशन आन लेबर;

(49) नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन लाएजन कमेटी;

(50) नेशनल स्कूल हेल्थ कौंसिल;

---

1. तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण), (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 5) द्वारा लोप किया गया।
4. तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण), (संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा अंत: स्थापित की गई।

(51) Panel for Air-Conditioning and Refrigeration Industry;

(52) Railway Catering and Passenger Amenities Committee;

(53) Small Scale Industries (Official Level) Committee;

(54) State Advisory Committee for the Territorial Army in Delhi;

(55) Standing Technical Committee;

(56) State Advisory Committee for the Territorial Army in the State of Bihar;

(57) Selection Committees for the Marine Fisheries Training Centres at Colachel, Tuticorin, Mandapam, Nagapattinam, Cuddalore, Mettur and Madras;

(58) Tamil Nadu Agro-Industries Corporation];

[1][*(59)* Tamil Nadu State Board for Salt and Allied Chemicals;

(60) Sub-Committee to fix ex-mill and ex-depot prices of yarn produced in Co-operative Spinning Mills;]

(61) State Level Advisory Committee for Co-operative Spinning Mills;

(62) Committee for selecting drama scripts and troupes on Family Planning];

[2]*(63*) State Wakf Board;

(64) Minimum Wages Advisory Committee for employment in various trades, appointed under section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948);

(65) Minimum Wages (State) Advisory Board, appointed under section 7 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948);

(66) Press Accreditation Committee;

(67) State Level Advisory Committee for Co-operative Sugar Mills;

(68) State Labour Advisory Board;

(69) Tamil Nadu Tourism Development Corporation Limited;

(70) Tamil Nadu State Tube Wells Corporation Limited;

(71) Second Backward Classes Commission constituted in G.O.Ms. No. 3078, Social Welfare Department, dated the 13th December, 1982;

(72) State Advisory Board for National Savings;

(73) State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited;

(74) Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Limited;

(75) Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited;

(76) Tamil Nadu Small Industries Corporation Limited;

(77) Tamil Nadu Textile Corporation Limited;

(78) Tamil Nadu Ceramics Limited;

(79) Tamil Nadu Handloom Finance and Trading Corporation Limited;

(80) Tamil Nadu Theatre Corporation Limited;

(81) Tamil Nadu Forest Plantation Corporation Limited;

(82) Tamil Nadu Tea Plantation Corporation Limited;

(83) Tamil Nadu Dairy Development Corporation Limited;

---

1. Ins. by the Tamil Nadu (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1975 (Tamil Nadu Act No. 53 of 1975).
2. Ins. by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1983 (Tamil Nadu Act No. 5 of 1983).

(51) पैनल फार एयर-कंडिशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री;

(52) रेलवे कैटरिंग एंड पैसेंजर एमिनिटिज कमेटी;

(53) स्माल स्केल इंडस्ट्रीज (आफिशियल लेवल) कमेटी;

(54) स्टेट एडवाइजरी कमेटी फार दी टेरिटोरियल आर्मी इन दिल्ली;

(55) स्टैंडिंग टेकनिकल कमेटी;

(56) स्टेट एडवाइजरी कमेटी फार दी टेरिटोरियल आर्मी इन दी स्टेट आफ बिहार;

(57) सेलेक्सन कमेटिज फार दी मेरीन फिसरिज ट्रेनिंग सेन्टर ऐट कोलाचल, तुतिकोरिन, मंडपम, नागापत्नम, कुडालोर मेत्तुर एंड मद्रास;

(58) तमिलनाडु एग्रो-इन्डस्ट्रिज कारपोरेशन;

[1][(59) तमिनाडु स्टेट बोर्ड फार साल्ट एंड एलाइड केमिकल्स;

(60) को-आपरेटिव स्पिनिंग मिलों में उत्पादित सूत की एक्स मिल और एक्स डिपो कीमतें तय करने के लिए उप समिति;

(61) स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी फार को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स;

(62) कमेटी फार सिलेक्टिंग ड्रामा स्क्रीप्टस एंड टूप्स आन फैमिलीप्लानिंग;

[2](63) स्टेट वक्फ बोर्ड;

(64) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 के अधीन नियुक्त मिनिमम वेजेज एडवाइजरी कमेटी फार एम्प्लाएमेंट इन वैरियस ट्रेडस;

(65) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 7 के अधीन नियुक्त मिनिमम वेजेज (स्टेट) एडवाइजरी बोर्ड;

(66) प्रेस ऐक्रेडीटेशन कमेटी;

(67) स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी फार को-ऑपरेटिव शूगर मिल्स;

(68) स्टेट लेबल एडवाइजरी बोर्ड;

(69) तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड;

(70) तमिलनाडु स्टेट ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड;

(71) जी॰ओ॰ एम्स संख्या 3078 समाज कल्याण विभाग, दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 द्वारा गठित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग;

(72) स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फार नेशनल सेविंग्स;

(73) स्टेट इंडस्ट्रीज प्रोमोशन कारपोरेशन आफ तमिलनाडु लिमिटेड;

(74) तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड;

(75) तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड;

(76) तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड;

(77) तमिलनाडु टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड;

(78) तमिलनाडु सेरामिक्स लिमिटेड;

(79) तमिलनाडु हैंडलूम फिनान्स एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड;

(80) तमिलनाडु थिएटर कारपोरेशन लिमिटेड;

(81) तमिलनाडु फॉरेस्ट प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड;

(82) तमिलनाडु टी प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड;

(83) तमिलनाडु डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड;

---

1. तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 53) द्वारा अंत:स्थापित।

2. तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1983 (1983 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 5) द्वारा अंत:स्थापित की गई।

(84) Tamil Nadu Sugarcane Farm Corporation Limited;

(85) Tamil Nadu Harijan Housing and Development Corporation Limited;

(86) Tamil Nadu Agro-Engineering and Service Co-operative Federation Limited];

[1]*(87)* State Organising Committee for Nehru Yuvak Kendras,].

1. Ins. by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1986 (Tamil Nadu Act No. 26 of 1986).

(84) तमिलनाडु सुगरकेन फार्म कॉरपोरेशन लिमिटेड;

(85) तमिलनाडु हरिजन हाऊसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड;

(86) तमिलनाडु एग्रो-इंजीनियरिंग एंड सर्विस को-औपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड;

[1](87) स्टेट और्गेनाइजिंग कमेटी फार नेहरू युवक केन्द्र।

1. तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम सं॰ 26) द्वारा मद (11) की उपमद (87) अंत:स्थापित।

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS), ACT, 1971[1]

ACT NO. 7 OF 1971

[18th *May*, 1971.]

An Act to declare certain offices of profit under the Government of India, or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution not to disqualify their holders for being chosen as, or for being, members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971.

(*2*) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means such sum of money as the Government may determine as being payable to the holder of an office by way of travelling allowance, daily allowance, sitting allowance, conveyance allowance or house rent allowance for the purpose of [2]*** performing the functions of that office;

(*b*) "statutory body" means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force;

(*c*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body.

3. Prevention of disqualifications for membership of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh.—A person shall not be disqualified for being chosen as, and or being a member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the Government of any State:—

(*a*) the office of the Deputy Minister or Minister of State;

(*b*) any office held by a Minister, member of State, or Deputy Minister, whether *ex officio* or by name;

[3][(*b-a*) the office of the Political Advisor to the Chief Minister;]

(*c*) the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly or of Parliament or of the Legislative Assembly of any other State;

(*d*) the office of the Chief Parliamentary Secretary or Parliamentary Secretary;

(*e*) the office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in any Legislative Assembly or in Parliament;

(*f*) the office of village revenue officer whether called a lamberdar, malguzar, patel, deshmukh or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police functions;

(*g*) any office of the National Cadet Corps, the Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force under any law for the time being in force;

(*h*) the office of a member or a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;

(*i*) the office of Chairman or member of the Syndicate, Senate, Executive Committee, Council or Court of a University or any other body connected with a University;

1. Published in the Extraordinary Gazette of Himachal Pradesh on 18-5-1971.
2. Omitted by H. P. Act 15 of 1981 for certain words, (w.e.f. 18-5-1971).
3. Added by H. P. Act 11 of 2005, cl. (*b-a*). (w.e.f. 24-1-2005).
4. Added by H. P. Act 13 of 1996, cl. (*j-a*), (w.e.f. 1-7-1994).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1971[1]

(1971 का अधिनियम संख्यांक 7)

[18 मई, 1971]

भारत सरकार या संविधान की पहली अनूसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों को उनके धारकों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित न करने की घोषणा करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा निम्नलिखित अधिनियमित करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1971 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रतिकर भत्ते'' से अभिप्रेत है ऐसी धनराशि जो सरकार किसी पद धारक को अपने पद के कृत्यों के [2]*** निष्पादन के प्रयोजनार्थ यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, बैठक भत्ते, वाहन भत्ते या मकान किराया भत्ते के रूप में संदेय रूप में अवधारित करे;

(ख) ''कानूनी निकाय'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है;

(ग) ''अकानूनी निकाय'' से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का हटाना—कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए केवल इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं होगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद धारण करता है :—

(क) उपमंत्री या राज्यमंत्री का पद :

(ख) किसी मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धृत कोई पद चाहे पदेन हो या केवल नाम में;

[3](ख-क) मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार का पद;

(ग) हिमाचल प्रदेश विधान सभा या संसद् या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(घ) मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव का पद;

(ङ) किसी विधान सभा या संसद् में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद;

(च) ग्रामीण राजस्व अधिकारी का पद चाहे वह लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए जिसका कर्तव्य भू-राजस्व का संग्रह करना है और जिसे पारिश्रमिक के रूप में उसके द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम का एक अंश या कमीशन मिलता है किंतु वह पुलिस का कोई कृत्य नहीं करता है;

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, वायु रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना का कोई पद;

(ज) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी होम गार्ड के सदस्य का पद;

(झ) किसी विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी निकाय के सिंडिकेट, सिनेट, कार्यकारी समिति, परिषद् या सभा के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

---

1. हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र में 18-5-1971 को प्रकाशित।
2. 1981 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 15 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया, (18-5-1971 से प्रभावी)।
3. 2005 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 11, के खंड (ख-क) द्वारा जोड़ा गया, (24-1-2005 से प्रभावी)।
4. 1996 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 13, के खंड (ञ-क) द्वारा जोड़ा गया, (1-7-1994 से प्रभावी)।

(j) the office of the Vice-Chancellor of any University;

[1][(*j-a*) the office of the Chairman or Vice-Chairman of any statutory or non-statutory body, where the power to make the appointment or power to remove the person from the office is vested in the State Government;]

(*k*) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government of India or the Government of any State or sent outside the State of Himachal Pradesh by the Government of the said State for any special purpose;

(*l*) the office of chairman or member of a committee (whether consisting of one or more members) set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(*m*) the office of [2][*******], director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (*l*) if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(*n*) the office of any honorary medical officer or honorary assistant medical officer in a hospital under Government management;

(*o*) a person drawing his service pension, political pension or grant, mansab, charitable grant or commutation sum of compensation in respect of a jagir, inam or other grant;

(*p*) the office of an agent or other like office for the purpose of effecting sales of or collecting subscription towards National Plan Certificates or any other savings certificates or Government securities notified as such by the Central Government for such commission as the Central Government may have fixed in that behalf or without such commission;

(*q*) the office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or any State Public Service Commission;

(*r*) the office of Sarpanch or member of a Panchayat under any law for the time being in force [2][;]

[3][(*s*) notwithstanding anything contained in clauses (*l*) and (*m*) of this section, the office of [4][the Chairman, Vice-Chairman, or] Member of Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed by the Government of India [5][or the office of the Deputy Chairman of the Himachal Pradesh State Planning Board constituted by the State Government.]

4. **Determination of question arising after the commencement of the Act**.—Any question arising after the commencement of this Act as to any office being an office of profit under the Government of India or the Government of any State shall be determined as if the provisions of this Act had been in force at all material dates.

5. Repeal and saving.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Ordinance, 1971 (Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 1971) is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 25th January, 1971.

1. The words and sign "chairman or vice-chairman," deleted *vide* H.P. Act No. 13 of 1996 and this amendment shall be and shall always be deemed to have been made with effect from 1st day of July, 1994 *vide* H.P. Act No. 15 of 1997.
2. Subs. for the sign "1" *vide* H.P. Act No. 8 of 1979.
3. Clause (*s*) added *vide* H.P. Act No. 8 of 1979.
4. Ins. *vide* H.P. Act No. 7 of 1981.
5. Ins. *vide* H.P. Act No. 26 of 1979.

(ञ) किसी विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पद;

[1][(ञ-क) किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, जहां पद पर नियुक्ति की शक्ति या व्यक्ति को पद से हटाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।]

(ट) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य के बाहर किसी विशेष प्रयोजनार्थ भेजे गए किसी प्रतिनिधि मंडल या मिशन के सदस्य का पद;

(ठ) सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ या लोक महत्व के किसी मामले की बाबत किसी अन्य प्राधिकरण अथवा ऐसे किसी विषय की बाबत जांच करने या आंकड़े) एकत्रित करने के प्रयोजनार्थ अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति (एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) के अध्यक्ष या सदस्य का पद यदि उक्त पद धारक प्रतिकर भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;

(ड) खंड (ठ) में निर्दिष्ट किसी निकाय से भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के [2][*****], निदेशक या सदस्य का पद यदि उस पद का धारक प्रतिकर भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;

(ढ) सरकारी प्रबंध के अधीन किसी अस्पताल में किसी अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी या अवैतनिक सहायक चिकित्सा अधिकारी का पद;

(ण) ऐसा व्यक्ति जो अपनी जागीर, इनाम या अन्य अनुदान की बाबत अपनी सेवा पेंशन, राजनैतिक पेंशन या अनुदान, मनसब, पूर्त अनुदान या प्रतिकर की संराशित राशि ले रहा है;

(त) राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र या किसी अन्य बचत प्रमाणपत्र या केंद्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करने या केंद्रीय सरकार द्वारा नियत कमीशन के लिए या बिना कमीशन के अभिदाय एकत्रित करने के प्रयोजनार्थ किसी अभिकर्ता का पद या वैसा ही कोई अन्य पद;

(थ) केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा धृत किसी परीक्षा के लिए परीक्षक का पद;

(द) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरपंच या पंचायत के सदस्य का पद[2][;]

[3][(ध) इस धारा के खंड (ठ) और (ड) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, [4][भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद।][5]

4. अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् उत्पन्न होने वाले प्रश्न का अवधारण—इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद के लाभ का पद होने के संबंध में उत्पन्न कोई प्रश्न इस प्रकार अवधारित किया जाएगा जैसे कि इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक तारीखों को प्रवृत्त थे ।

5. निरसन और व्यावृत्ति—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अध्यादेश, 1971 (1971 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश सं॰ 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वोक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी जैसे कि यह अधिनियम 25 जनवरी, 1971 को प्रारंभ हुआ हो ।

---

1. 1996 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 13, द्वारा, ''अध्यक्ष या उपाध्यक्ष'' शब्दों का लोप किया गया तथा यह संशोधन हमेशा 1997 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 15 द्वारा 1 जुलाई, 1994 से प्रभावी होगा और हुआ समझा जाएगा।
2. 1979 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 8, द्वारा ''1'' चिन्ह को प्रतिस्थापित किया गया।
3. 1979 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 8, द्वारा खंड (ध) जोड़ा गया।
4. 1981 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 7, द्वारा अंत:स्थापित।
5. 1979 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं॰ 26, द्वारा अंत:स्थापित।

THE PARLIAMENTARY SECRETARY (PAYMENT OF SPECIAL ALLOWANCE AND PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971

(ACT NO. 12 OF 1971)

[11*th June*, 1971]

An Act to provide for the payment of special allowance to the Parliamentary Secretary and to declare that the office of the Parliamentary Secretary shall not disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being a member of the Legislative Assembly of *Puducherry.

BE it enacted by the Legislative Assembly of *Puducherry in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement—(*1*) This Act may be called the Parliamentary Secretary (Payment of Special Allowance and Prevention of Disqualification) Act, 1971.

(2) It shall come into force at once.

2. Payment of special allowance to the Parliamentary Secretary—A member of the Legislative Assembly of Puducherry, who is appointed as Parliamentary Secretary, shall, in addition to the salary and other allowances to which he is entitled from time to time as such member, be paid a special allowance of [2][one thousand and five hundred rupees per month].

3. Office of Parliamentary Secretary not to disqualify—It is hereby declared that the office of Parliamentary Secretary shall not disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of *Puducherry.

*Now "Puduchery"*vide* The Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006) s. (w.e.f. 1-10-2006).
1. Amended *vide* Act 8 of 2009 (w.e.f. from 1.1.2005).

संसदीय सचिव (विशेष भत्ता संदाय और निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 12)

[11 जून, 1971]

संसदीय सचिव को विशेष भत्ते का संदाय करने और यह घोषित करने के लिए कि संसदीय सचिव का पद *पांडिचेरी विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करेगा,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में *पांडिचेरी विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसदीय सचिव (विशेष भत्ता संदाय और निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. संसदीय सचिव को विशेष भत्ते का संदाय—पांडिचेरी विधान सभा के किसी सदस्य को, जिसे संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, समय-समय पर ऐसे सदस्य के रूप में वेतन और अन्य भत्तों के अतिरिक्त, जिसके लिए कि वह हकदार है, [1][एक हजार पांच सौ रुपए प्रति मास] विशेष भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

3. संसदीय सचिव के पद का निरर्हित न होना—यह घोषित किया जाता है कि संसदीय सचिव का पद उसके धारक को *पांडिचेरी विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए, निरर्हित न करेगा ।

---

* पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 5 द्वारा अब, ''पुडुचेरी'' (1.10.2006 से प्रभावी)।

1. 2009 के अधिनियम सं. 8 द्वारा संशोधित (1.1.2005 से प्रभावी)।

[THE] UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971

U. P. ACT NO. 15 OF 1971

[17*th July,* 1971]

An Act to declare certain offices of profit under the Government shall, not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the State Legislature.

It is hereby enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of [1][honorarium, daily allowance], conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office, such allowance in the case of daily allowance, house rent allowance or travelling allowance being not higher in rates and not admissible on conditions more favourable than those applicable under any law for the time being in force made under Article 195 of the Constitution;

(*b*) [2][* * *]

(*c*) [2][* * *]

(*d*) "the State" means the State of Uttar Pradesh.

3. Certain offices of profit not to disqualify.—It is hereby declared that none of the following offices in so far as it is an office of profit under the Government of India or the State Government shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the State Legislature, namely:—

(*a*) the office of Minister of State for Deputy Minister, or of Parliamentary Secretary to a Minister, either for the Union or for the State;

(*b*) the office of a member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Act XXXI of 1948) the Territorial Army Act, 1948 (Act LVI of 1948), or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (Act LXII of 1952);

(*c*) while a Proclamation of Emergency under Article 352 of the Constitution is in operation, the office of an officer, by whatever name called, of the Indian Army, the Indian Air Force or the Indian Navy, or of any Reserve Force, or of a member of any civil defence service;

(*d*) any office in the Home Guards constituted by or under any Law for the time being in force or under the authority of the State Government;

(*e*) any office in a village defence party, by whatever name called, constituted by or under any law for the time being in force or under the authority of the State Government;

(*f*) the office of Chairman or a member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of a University or any other body connected with a University or of the managing committee, by whatever name called, of any educational institution receiving aid out of State funds;

(*g*) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government of India or the State Government for any special purpose;

(*h*) the office of Chairman or Deputy Chairman of the State Evaluation Advisory Board in the Planning Department of the State Government;

(*i*) the office of the Chairman or a member of the Committee of Management of a co-operative society nominated by the State Government under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U. P. Act XI of 1966);

1. Subs. by U.P. Act 10 of 2006, s. 2 (w.e.f. 1-6-2006).
2. Omitted by U.P. Act 39 of 2006, s. 2 (w.e.f. 11-12-2006).

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971)

[17 जुलाई, 1971]

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान-मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम**—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

2. **परिभाषाएं**—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पदधारी को [1]मादनेय, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में, न तो उन दरों से अधिक हो और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों,

(ख) [2][* * * *]

(ग) [2][* * * *]

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ।

3. **कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे**—एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो उसके धारक को राज्य विधान-मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद;

(ख) नेशनल केडेट कोर अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 31, 1948), टेरिटोरियल आर्मी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 56, 1948), या रिजर्व एंड आग्जीलियरी एयर फोर्सेज अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 62, 1952) के अधीन संगृहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद;

(ग) जबकि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित होम गार्ड्स में कोई पद;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) में कोई पद;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबंध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद;

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्याकंन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) के अधीन किसी सहकारी समिति को प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद;

---

1. 2006 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (1-6-2006 से प्रभावी)।
2. 2006 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 39 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया (11-12-2006 से प्रभावी)।

(*j*) the office of the Chairman or a member of the Irrigation Commission appointed by the State Government;

(*k*) the office of the Chairman or a member of the Labour Commission appointed by the State Government;

(*l*) the office of the Chairman or a member of the Pay Commission appointed by the State Government;

(m) the office of Chairman, Deputy Chairman or a member or Secretary of a committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government of India or the State Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(*n*) subject to the provisions of section 10 of the Representation of the People Act, 1951 (Act XVIII of 1951) the office of Chairman, Deputy Chairman, Director, member or Secretary of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (*h*), clause (*i),* clause (*j*), clause (*k)*, clause (*l*), or clause (*m*), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(*o*) the office of a village revenue officer, whether called *lambardar, pradhan, sargroh, malguzar*, village Siana, Khat Siana, or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police functions;

(*p)* the office of an agent (for commission, or without commission by whatever name called, for the sale of or for the collection of subscriptions towards Government Securities as defined in the Indian Securities Act, 1920 (Act X of 1920), or any savings certificates issued by the Government of India;

(*q*) an office of profit in connection with the management of any property taken over by Government of India or the State Government for a limited period under a law made under sub-clause (*b*) of clause (*l*) of Article 31-A of the Constitution, when held by a person who was employed in connection with the management of that property before such taking over;

(r) any office, which is not a whole time office, for the performance of any special duty, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(*s*) the office of a panel lawyer (including a panel lawyer appointed under section 127-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950), if the holder of such office is not entitled to any retainer or salary, by whatever name called;

(*t*) the office of a Notary Public or Oath Commissioner, or Commissioner or Receiver or amicus curiae appointed by any court or by the Collector or an Official Receiver but not including an Official Liquidator;

[1](*u*) the office of Chairman, Deputy Chairman, or a member of the State Planning Commission,

(*v)* the office of the Chairman or a member of the Committee appointed by the State Government by Office Memorandum No. 4519-B/33-111-71, dated December 13, 1971, of the Panchayati Raj (*2*) Department of the State Government;

(*w*) the office of the Chairman or a member of the Revenue Judiciary Re-organisation Committee appointed by the Revenue Department of the State Government;

(x) the office of the Chairman or member (whether called Director or by any other name) of each of the following statutory bodies, namely:—

(1) Uttar Pradesh State Financial Corporation,

(2) Uttar Pradesh State Road Transport Corporation,

(3) Uttar Pradesh State Warehousing Corporation,

(4) Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad;

(5) Uttar Pradesh State Small Industries Corporation Ltd.

(6) Uttar Pradesh State Agro-Industrial Corporation Ltd.

(7) Uttar Pradesh Cement Corporation Ltd.

1. Ins. by the President's Act 14 of 1973 as re-enacted by U. P. Act 30 of 1974. (w.e.f. 12-6-1973).

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ड) लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संगृहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ढ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951) की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), या खंड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गई मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाए, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो;

(त) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1920 (ऐक्ट संख्या 10, 1920) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं बचत प्रमाणपत्रों की बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31क के खंड (1) के उपखंड (ख) के अधीन बनाई गई विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिए जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायाचित हो;

(द) कोई पद जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ध) पैनल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 127ख के अधीन नियुक्त कोई पैनल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के लिए हकदार न हो;

(न) लेख्य-प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा एमीकस क्यूरी का पद अथवा सरकारी आदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं है;

[1](प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद;

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 4519-बी/33-III-71, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व न्यायिक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद;

(भ) निम्नलिखित कानूनी निकायों से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात्:—

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन,

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन,

(3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन,

(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,

(5) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड,

(6) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,

(7) उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,

1. 1973 के राष्ट्रपति अधिनियम सं॰ 14 द्वारा अंत:स्थापित, 1974 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं॰ 30 द्वारा ;12-6-1973 से प्रभावी), पुन: अधिनियमित।

(8) Uttar Pradesh State Industrial Corporation Ltd.

(9) Uttar Pradesh State Sugar Corporation Ltd.

(10) Uttar Pradesh State Textile Corporation Ltd.

(11) Uttar Pradesh State Bridges Corporation Ltd.

(12) Uttar Pradesh Export Corporation.

(13) Hill Development Corporation Ltd.

(14) Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Ltd.

(15) Indian Turpentine and Rosin Company Ltd.

(16) Uttar Pradesh State Handloom Corporation.

(17) Poorvanchal Vikas Nigam Ltd.

(18) Bundelkhand Vikas Nigam Ltd.

(19) Uttar Pradesh Vikas Parishad.

(20) Uttar Pradesh Jal Nigam.

(21) Uttar Pradesh Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad.

(22) Uttar Pradesh Sinchai Evam Badh Niyantran Ayog.

(23) Uttar Pradesh Film Vikas Parishad.

(24) Uttar Pradesh Rajya Khadya Evam Avashyak Vastu Nigam.

(25) Uttar Pradesh Khadi Board.

(26) Utrar Pradesh Paryatan Vikas Nigam.

(27) Uttar Pradesh Rajya Sahkari Ganna Samiti Sangh Ltd.

(28) Uttar Pradesh Mahila Kalyan Nigam.

(29) Pradushan Niyantran Board.

(30) Bhootpurva Sainik Kalyan Nigam.

(31) Uttar Pradesh Matsya Vikas Nigam Ltd.

(32) Uttar Pradesh Rajya Karmachari Kalyan Nigam.

(33) Beej Vikas Nigam.

(34) Waqf Vikas Nigam.

(35) Uttar Pradesh Hindi Sansthan.

(36) Uttar Pradesh Desco.

(37) Project Corporation.

(38) Uttar Pradesh Van Nigam.

(39) Poultry Evam Livestock Specialities Limited.

(40) Ganna Shodh Parishad Uttar Pradesh.

(41) Ganna Kisan Sansthan.

(8) उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,

(9) उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड,

(10) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड,

(11) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेस कारपोरेशन लिमिटेड,

(12) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन,

(13) हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,

(14) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड,

(15) इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड,

(16) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन,

(17) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड,

(18) बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड,

(19) उत्तर प्रदेश विकास परिषद्,

(20) उत्तर प्रदेश जल निगम,

(21) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद,

(22) उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बांध नियंत्रण आयोग

(23) उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद्,

(24) उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

(25) उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड,

(26) उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम,

(27) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी गन्ना समिति संघ,

(28) उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम,

(29) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(30) भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम,

(31) उत्तर प्रदेश मत्सय विकास निगम लिमिटेड,

(32) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,

(33) बीज विकास निगम,

(34) वक्फ विकास निगम,

(35) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,

(36) उत्तर प्रदेश डेस्को,

(37) प्रोजेक्ट कारपोरेशन,

(38) उत्तर प्रदेश वन निगम,

(39) पॉल्ट्र एवं लाइवस्टॉक स्पेशिएलटी लिमिटेड,

(40) गन्ना शोध परिषद्, उत्तर प्रदेश,

(41) गन्ना किसान संस्थान,

(42) Ganna Beej Vikas Nigam.

(43) Pradeshik Cooperative Union.

(44) Alpasankhyak Vitta Evam Vikas Nigam.

(45) Uttar Pradesh Pichhada Varg Vitta Evam Vikas Nigam.

(46) Samaj Kalyan Nigam.

(47) Sudoor Samvedan Upayog Kendra.

(48) Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan.

(49) Uttar Pradesh Yuva Kalyan Parishad.

(50) Uttar Pradesh Anusuchit Jati Vitta Evam Vikas Nigam.

(51) Uttar Pradesh Sahkari Avas Sangh.

(52) Uttar Pradesh Pravidhik Siksha Parishad.

(53) Uttar Pradesh Vaikalpik Oorja Vikas Sansthan.

(54) Bis Sutriya Karyakram Karyanvayan Samiti Uttar Pradesh.

(55) Uttar Pradesh Gramin Avas Parishad.

(56) Vittiya Sansadhan Paramarshdata, Uttar Pradesh.

(57) Uttar Pradesh Anusuchit Jati Evam Janjati Ayog.

(58) Uttar Pradesh Nagarik Parishad.

(59) Pradeshik Cooperative Sericulture Federation, Uttar Pradesh.

(60) Uttar Pradesh Rajya Vyapar Kar Salahkar Samiti.

(61) Bhartendu Natya Akadami, Lucknow.

(62) Uttar Pradesh Alpasankhyak Ayog.

(63) Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog.

(64) Uttar Pradesh State Horticulture Food Processing Federation.

(65) Uttar Pradesh Shram Nirman Sahakari Sangh.

(66) Uttar Pradesh Goseva Ayog.

(67) Uttar Pradesh Rajya Pichada Varg Ayog.

(68) Bhu-Upyog Parishad.

(69) Uttar Pradesh Upbhokta Sahkari Sangh.

(70) Shram Kalyan Parishad, Uttar Pradesh.

(71) Vigyan Evam Prodyogiki Parishad, Uttar Pradesh.

(72) Nyuntam Vetan Salahkaar Board, Uttar Pradesh.

(73) Rajya Lalit Kala Acadami.

(74) Acharya Narendra Dev Antarrashtriya Bouddh Vidya Shodh Sanshthan.

(42) गन्ना बीज विकास निगम,

(43) प्रादेशिक कोऑपरेटिव संस्थान,

(44) अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम,

(45) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,

(46) समाज कल्याण निगम,

(47) सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,

(48) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,

(49) उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद्,

(50) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,

(51) उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ,

(52) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद,

(53) उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,

(54) बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, उत्तर प्रदेश,

(55) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्,

(56) वित्तीय संसाधन परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश,

(57) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,

(58) उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्,

(59) प्रादेशिक कॉऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन उत्तर प्रदेश,

(60) उत्तर प्रदेश राज्य व्यापार कर सलाहकार समिति,

(61) भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ,

(62) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग,

(63) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग,

(64) उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग फेडरेशन,

(65) उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण सहकारी संघ,

(66) उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग,

(67) उत्तर प्रदेश राज्य पिडछ़ा वर्ग आयोग,

(68) भू-उपयोग परिषद्,

(69) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ,

(70) श्रम कल्याण परिषद् उत्तर प्रदेश,

(71) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तर प्रदेश,

(72) न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश

(73) राज्य ललित कला अकादमी,

(74) आचार्य नरेन्द्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान,

(75) Arthik Paramarshdata Uttar Pradesh Shaasan.

(*76)* Uttar Pradesh Packs Federation.

(77) U.P. Co-operative Bank.

(78) Uttar Pradesh Bhoomi Vikas Bank.

(79) Zila Sahkari Bank.

[1]*[(80)* Uttar Pradesh State Handloom Development Board.

[2](*y*) [***] *omitted*

(*z*) the office of Chairman or a member, or, as the case may be, of the Controller, if any, of the Sunni Central Board or Shia Central Board of Waqfs in Uttar Pradesh.

Explanation.—For the purposes of this section, the office of Chairman, Deputy Chairman, or Secretary shall include every office of that description by whatever name called.

4. Repeal of certain Acts –The following Acts are hereby repealed:

(1) The United Provinces Legislative Members Removal of Disqualification Act, 1940;

(2) The Uttar Pradesh Parliamentary Secretaries (Removal of Disqualification) Act, 1950;

(3) The Uttar Pradesh Legislature Members (Prevention of Disqualification) Act, 1951;

(4) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) Act, 1952;

(5) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification (Second) Act, 1952;

(6) The Uttar Pradesh State Legislature Members Prevention of Disqualification (Supplementary) Act, 1953;

(7) The Uttar Pradesh Legislature Members (National Plan Loan) (Prevention of Disqualification) Act, 1954 ;

(8) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) Act, 1955;

(9) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Life Insurance) (Prevention of Disqualification) Act, 1956;

(10) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification), (Supplementary) Act, 1956;

1. Ins. by U.P. Act 39 of 2006, s. 3 (w.e.f. 11-12-2006).

2. Omitted by U.P. Act 10 of 2006, s. 3 (w.e.f. 20-3-2006).

(75) आर्थिक परामर्शदाता उत्तर प्रदेश शासन,

(76) उत्तर प्रदेश पैक्स फेडरेशन,

(77) यू.पी. कोऑपरेटिव बैंक,

(78) उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक,

(79) जिला सहकारी बैंक,

[1][(80) उत्तर प्रदेश स्टेट हेण्डलूम डेवलपमेंट बोर्ड]

[2](म) [***] लोप किया गया

(य) उत्तर प्रदेश में वक्फ के सुन्नी केन्द्रीय बोर्ड या शिया केन्द्रीय बोर्ड के यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य या नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद।

स्पष्टीकरण:– इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अंतर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों।

4. कतिपय अधिनियमों का निरसन—निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं:—

(1) दि यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव मेंबर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1940 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 7, 1940),

(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1950 ई0),

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1951),

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1952),

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1952),

(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1953),

(7) उत्तर प्रदेश विधान-मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1954),

(8) उत्तर प्रदेश विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1955),

(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1956),

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनूपूरक) अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1957)।

---

1. 2006 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं॰ 39 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित (11-12-2006 से प्रभावी)।
2. 2006 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं॰ 10 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित (20-3-2006 से प्रभावी)।

THE MANIPUR LEGISLATURE (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1972

MANIPUR ACT NO. 2 OF 1973

[9th February, 1973]

An Act to declare in accordance with the provisions contained in sub-clause (a) of clause (1) of article 191 of the Constitution of India that the holders of certain offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India shall not be disqualified for being chosen as, and for being, members of the Manipur Legislative Assembly.

It is hereby enacted by the Legislature of Manipur in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Manipur Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1972.

(*2*) It shall come into force at once.

2. Removal of certain disqualification for membership.—(*1*) It is hereby declared that a person shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Manipur Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India, namely:—

(*a*) an office of the Parliamentary Secretary or Deputy-Chairman of the State Planning Board, Manipur or the Chairman of the Hill Areas Committee of the Manipur Legislative Assembly;

(*b*) an office which is not a whole time office remunerated either by salary or by fees;

(*c*) the office of a Minister of State or of a Deputy Minister;

(*d*) the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the Manipur Legislative Assembly;

(*e*) the office of the Chief Whip or Deputy Chief Whip or Whip in Parliament or in the Manipur Legislative Assembly;

(*f*) Chairman of the District Council, Manipur;

(*g*) Chairman of the Manipur State Pay Commission;

(*h*) Chairman or Vice-Chairman, Manipur Khadi and Village Industries Board, Imphal.

(*2*) Notwithstanding any judgment or order of any Court or Tribunal, the aforesaid offices from clauses (*c*) to (*h*) shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the Manipur Legislative Assembly as if this Act had been in force on 6th day of February, 1973.

मणिपुर विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972

1973 का मणिपुर अधिनियम संख्यांक 2

[9 फरवरी, 1973]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार यह घोषित करने के लिए कि भारत सरकार या संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ के कतिपय पद, उनके धारकों को मणिपुर विधान सभा के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्रहित नही करेंगे, अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मणिपुर विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मणिपुर विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **सदस्यता के लिए कतिपय निर्रहता हटाना**—(1) यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति मणिपुर विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए केवल इस तथ्य के कारण से निरर्हित नहीं होगा कि वह भारत सरकार या संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन निम्नलिखित लाभ के पदों में से किसी को धारण करता है, अर्थात्:—

(क) संसदीय सचिव या राज्य योजना बोर्ड मणिपुर के उपाध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष का कोई पद;

(ख) कोई पद जो ऐसा पूर्णकालिक पद नहीं है जिसका पारिश्रमिक वेतन या फीस द्वारा दिया जाता है;

(ग) किसी राज्य मंत्री या किसी उप मंत्री का पद;

(घ) मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(ङ) संसद् या मणिपुर विधान सभा में मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद;

(च) अध्यक्ष, जिला परिषद्, मणिपुर;

(छ) अध्यक्ष, मणिपुर राज्य वेतन आयोग;

(ज) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मणिपुर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, इम्फाल ।

(2) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, खंड (ग) से खंड (ज) तक के पूर्वोक्त पद, उनके धारकों को मणिपुर विधान सभा के सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए उसी प्रकार निरर्हित नहीं करेंगे या कभी भी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे, मानो यह अधिनियम 6 फरवरी, 1973 को प्रवृत्त हो गया था ।

THE PREVENTION OF DISQUALIFICATION (MEMBERS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF MEGHALAYA) ACT, 1972

MEGHALAYA ACT NO. 3 OF 1972

[23*rd April*, 1972.]

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being chosen as, and for being, members of the Legislative Assembly of Meghalaya.

BE it enacted by the Legislature of Meghalaya in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows: —

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Prevention of Disqualification (Members of the Legislative Assembly of Meghalaya) Act, 1972.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. Removal of disqualification in certain cases.—A person shall not be disqualified or shall not be deemed ever to have been disqualified for being a member of the Legislative Assembly of Meghalaya by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule in so far as it is an office of profit under the State Government.

3. Repeal of Meghalaya State Ordinances 1 and 5 of 1972. —The Prevention of Disqualification (Members of the Legislative Assembly of the State of Meghalaya) Ordinance, 1972 and the Prevention of Disqualification (Members of the Legislative Assembly of the State of Meghalaya) Ordinance, 1972 are hereby repealed.

THE SCHEDULE

(*See* section 2)

1. Any office held by a Minister, Minister of State, Deputy Minister or Parliamentary Secretary for Meghalaya.

[1][1A. The Office of the Leader of the Opposition.]

2. The Office of the Minister of State or the Deputy Minister to the Government of Meghalaya.

3. The Office of the Parliamentary Secretary to the Government of Meghalaya.

4. The Office of the Government Pleader or Public Prosecutor [2] ‘‘[‘‘.’]"[[3]"which terms shall include Additional Government Pleader, Government Advocate, Additional Public Prosecutor, Assistant Government Pleader, Assistant Public Prosecutor and any other Advocate or Pleader specially appointed by the Government to conduct State cases before any Court or Tribunal.]"

5. The Office of the part-time Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government Educational Institutions.

6. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

7. The Office of the Chairman, Vice-Chairman, or member of any Committee, Board or authority appointed by the Government of India or Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

Explanation 1.—"Committee" means any Committee, Commission, Council or any other body of one or more persons, whether statutory or not, set up by the Government of India or the Government of any State.

Explanation 2.—"Board or Authority" means any Corporation, Company Society or any other body of one or more persons whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any Central Law or Law of any State for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

1. Ins. by Meghalaya Act 5 of 1983, s. 2(i).
2. Omitted by *S.* 2(ii), *ibid.*
3. Ins. by *S.* 2(ii), *ibid.*

निरर्हता-निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अधिनियम, 1972

(1972 का मेघालय अधिनियम संख्यांक 3)

[23 अप्रैल, 1972]

कतिपय लाभ के पदों के धारकों को मेघालय विधान-सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने के लिए निरर्हित न होना घोषित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मेघालय विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरर्हता-निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अधिनियम, 1972 है ।

(2) यह 21 जनवरी, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कतिपय मामलों में निरर्हताओं का हटाना—कोई व्यक्ति मेघालय विधान सभा के सदस्य होने के लिए इस तथ्य के कारण निरर्हित न होगा या कभी भी निरर्हित हुआ न समझा जाएगा कि वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है, जहां तक यह राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद है।

3. मेघालय राज्य के 1972 के अध्यादेश संख्यांक 1 और 5 का निरसन—निरर्हता निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अध्यादेश, 1972 और निरर्हता निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अध्यादेश, 1972 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. मेघालय के किसी मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव द्वारा धारित कोई पद ।

[1][क. विपक्ष के नेता का पद ।]

2. मेघालय सरकार के राज्यमंत्री या उपमंत्री का पद ।

3. मेघालय सरकार के संसदीय सचिव का पद ।

4. सरकारी प्लीडर या लोक अभियोजक का पद [2]''[' . ']'' [[3]''इस पद के अन्तर्गत अपर सरकारी प्लीडर, सरकारी अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी प्लीडर, सहायक लोक अभियोजक और ऐसा कोई अन्य अधिवक्ता या प्लीडर भी है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष राज्य के मामलों को संचालित करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो ।]'' ।

5. सरकारी शैक्षणिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद।

6. चिकित्सा व्यवसायी जो सरकार को अंशकालिक सेवा प्रदान कर रहा है ।

7. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

स्पष्टीकरण 1—''समिति'' से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई समिति, आयोग, परिषद् या एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी हो या न हो अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2—''बोर्ड या प्राधिकारी'' से तत्समय प्रवृत्त किसी केन्द्रीय विधि या किसी राज्य की विधि द्वारा या उसके अधीन या ऐसी किसी विधि के अधीन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करके स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया कोई निगम, कंपनी, सोसाइटी या एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो अभिप्रेत है ।

---

1. 1983 का मेघालय अधि. सं. 5 की धारा 2(i) द्वारा अंत:स्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 2(ii) द्वारा लोप किया गया।
3. पूर्वोक्त की धारा 2(ii), द्वारा अंत:स्थापित।

[1][*Explanation* 3.—For the removal of the doubt, the word "Chairman" or "Vice Chairman" wherever appearing in this schedule includes and shall be deemed to have always included a Co-Chairman or Deputy Chairman respectively.]

[2][7A. The office, whether whole-time or not of the Chairman, Vice-Chairman, Deputy Chairman or member of the State Planning Board or [3][of the State Level Public Grievances Committee] or any other Board [4][or Committee] constituted by the State Government of Meghalaya.

8. Any office under the Government which is not a whole-time office remunerated either by salary or fees.

[5][x x x]

10. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

11. The office of the Speaker or Deputy Speaker of the Legislative Assembly of Meghalaya.

12. The office of the Chairman or Vice-Chairman of the Municipal Board.

13. Any office in a Village Defence Party (by whatever name called) constituted by or under the authority of the State Government.

14. The office of Chairman or Member of the Committee or any Co-operative Society (which is registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to the registration of Cooperative Societies) to which appointment is made by the State Government, or the office of Liquidator or Joint Liquidator to which appointment is made by the Registrar of Co-operative Societies or the office of nominee of the Registrar whether appointed individually or to a Board of nominees.

[6][15. The office of Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip of the Ruling or Opposition Party or groups.

16. The office of a Chairman or Deputy Chairman of any Board or Committee, or any office, which a member of the Meghalaya Legislative Assembly holding it enjoys the facilities, privileges or status of a Minister or a Minister of State, as the case may be.]

[7][17. Chairman, Vice-Chairman, Deputy Chairman or Director of a Joint Sector company.]

1. Ins. by Meghalaya Act 8 of 2006, s. 2(*a*).
2. Ins. by Meghalaya Act 13 of 1979, s. 2.
3. Ins. by Meghalaya Act 10 of 1985, s. 2.(*i*)(*a*).
4. Ins. by s. (2)(*i*)(*b*), *ibid*.
5. Omitted by Meghalaya Act 12 of 2015, s. 2.
6. Ins. by Meghalaya Act 10 of 1985, s.2.(*ii*).
7. Ins. by Meghalaya Act 8 of 2006, s.2(*b*).

[1][**स्पष्टीकरण 3**—शकाओं को दूर करने के लिए ''सभापति'' या ''उप-सभापति'' शब्द इस अनुसूची में जहां कहीं आते हैं क्रमशः सह-सभापति या उप-सभापति सम्मिलित है और सम्मिलित समझे जाएंगे।

[2][7क. मेघालय राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य योजना बोर्ड या [3][राज्य स्तर की लोक शिकायत समिति] या किसी अन्य बोर्ड [4][या समिति] का सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद, चाहे वह पूर्णकालिक हो या न हो।

8. सरकार के अधीन वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक वाला ऐसा कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है।

[5][xxx]

10. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद ।

11. मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ।

12. नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ।

13. राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन गठित ग्राम रक्षा दल में (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) कोई पद ।

14. समिति या किसी सहकारी सोसाइटी में (जो सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी) अध्यक्ष या सदस्य का ऐसा पद जिस पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है या शासकीय समापक या संयुक्त समापक जिसकी नियुक्ति सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है या रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती का पद, चाहे इसकी नियुक्ति की जाती है या नामनिर्देशितियों के बोर्ड द्वारा की जाती है ।

[6][15. शासक या विपक्षी पार्टी या ग्रुप में मुख्य-सचेतक, उप-मुख्य सचेतक या सचेतक का पद ।

16. किसी बोर्ड या समिति या किसी कार्यालय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद जिसे मेघालय विधान सभा का सदस्य धारण कर रहा है और वह, यथास्थिति, मंत्री या राज्यमंत्री की सुविधाओं, विशेषाधिकारों या प्रास्थिति का उपभोग कर रहा है।]

[7][17. संयुक्त सेक्टर कंपनी का सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष या निदेशक।]

---

1. 2006 का मेघालय अधिनियम सं. 8 की धारा 2(क) द्वारा अंतःस्थापित।
2. 1979 का मेघालय अधिनियम सं. 13 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1985 का मेघालय अधिनियम सं. 10 की धारा 2(i) (क) द्वारा अंतःस्थापित।
4. पूर्वोक्त की धारा 2(i) (ख) द्वारा अंतःस्थापित।
5. 2015 का मेघालय अधिनियम सं. 12 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।
6. 1985 का मेघालय अधिनियम सं. 10 की धारा 2(ii) द्वारा अंतःस्थापित।
7. 2006 का मेघालय अधिनियम सं. 8 की धारा 2(ख) द्वारा अंतःस्थापित।

THE TRIPURA STATE LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1972

[27*th July,* 1972.]

An Act to provide for the removal of disqualifications for being chosen as, and for being, a member of the Tripura Legislative Assembly.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Tripura in the Twenty - third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1972.

(*2*) It extends to the whole of Tripura.

(*3*) It shall be deemed to have come into force wirh effect from the twentieth day of March, 1972.

2. Removal of certain disqualifications.—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Tripura Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule in so far as it is an office of profit under the [1][Government of India or the State Government].

SCHEDULE

(*See* section 2)

1. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of Tripura.

2. The office of the Public Prosecutor, Government Pleader or Government Advocate.

3. The office of the Minister of State and Deputy Minister to the Government of Tripura.

4 The offices or the Speakcr, Deputy Speaker and Leader of the Opposition in the Tripura Legislative Assembly.

5. The offices of the Chairman, Vice-Chairman, or members of any committee, board or authority, statutory or otherwise, appointed by the Government of India or the Government of any State.

6.[1][Any office under the Government of India or under the State Government which is not a whole-time office remunerated by honorarium, allowances, salaries or fees].

7. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

1. Amended by theTripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1976.

त्रिपुरा राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972

[27 जुलाई, 1972]

त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए निरर्हताओं को हटाने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में त्रिपुरा विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम त्रिपुरा राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण त्रिपुरा पर है ।

(3) यह 20 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना—कोई व्यक्ति त्रिपुरा विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए इस तथ्य के कारण निरर्हित न होगा कि वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है, जहां तक कि वह पद [1][भारत सरकार या राज्य सरकार] के अधीन कोई लाभ का पद है ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. त्रिपुरा सरकार के संसदीय सचिव का पद ।

2. लोक अभियोजक, सरकारी प्लीडर या सरकारी अधिवक्ता का पद ।

3. त्रिपुरा सरकार के राज्य मंत्री और उपमंत्री का पद ।

4. त्रिपुरा विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्षी दल के नेता का पद ।

5. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी में, चाहे वह कानूनी हो या अन्यथा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

6. [1][भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद, जो मानदेय, भत्तों, वेतन या फीसों के रूप में पारिश्रमिक वाला पूर्णकालिक पद नहीं है, ।]

7. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद ।

1. त्रिपुरा राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

THE HARYANA STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1974

HARYANA ACT NO. 41 OF 1974

[13*th December,* 1974.]

An Act to delcare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being elected as, or for being, members of the Legislature of the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance, any conveyance allowance, house-rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office.

(*b*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body;

(*c*) "statutory body" means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force.

3. Certain offices of profit not to disqualify.—(*1*) It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of the State of Haryana, shall disqualify the holder thereof for being elected as, or for being, a member of the Legislature of the State of Haryana, namely:—

(*a*) Lambardar;

(*b*) Sub-Registrar, whether departmental of honorary, Notary, Oaths Commissioner, Official Receiver, not being a whole-time salaried Government employee, or any other person who is serving under an insurer, the management of whose controlled business has vested in Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Parliament Act 9 of 1956);

(*c*) member of any force raised, maintained or constituted, as the case may be, under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act 50 of 1948), the Territorial Army Act, 1948 (Central Act 31 of 1948), or the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952 (Parliament Act 62 of 1952), the Haryana Home Guards Act, 1974 (Haryana Act 31 of 1974);

(d) officer, in Army Reserve of Officers;

[1][(*e*) chairman, Deputy Chairman, Pradhan, Deputy Pradhan, Director or member of any statutory on non-statutory body, whether he is elected or nominated or appointed by Union Government or State Government or any of its officer, whether or not he receives any remuneration including compensatory allowance during compliance of his duties;]

(*f*) Parliamentary Secretary or Parliamentary Under-Secretary;

(*g*) honorary adviser of State Government in any department thereof;

1. Subs. by Haryana Act 4 of 1981, s.1, for cl. (e).

हरियाणा राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1974

(1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 41)

[13 दिसबंर, 1974]

सरकार के अधीन कतिपय ऐसे लाभ-पद, जिनके धारक हरियाणा राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या सदस्य होने के लिए निर्रहित नहीं होंगे, घोषित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हरियाणा राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1974 है।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रतिकरात्मक भत्ता'' से अभिप्रेत है, किसी पद के धारक को उस पद के कृत्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ता, कोई सवारी भत्ता, मकान-किराया भत्ता या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय कोई धनराशि;

(ख) ''अकानूनी निकाय'' से अभिप्रेत है किसी कानूनी निकाय से भिन्न कोई व्यक्ति-निकाय;

(ग) ''कानूनी-निकाय'' से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड अथवा अन्य व्यक्ति-निकाय चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं ।

3. **कतिपय लाभ-पदों द्वारा निरर्हित न किया जाना**—(1) इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी पद जहां तक वह भारत सरकार या हरियाणा राज्य सरकार के अधीन लाभ-पद है अपने धारक को हरियाणा राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या बने रहने के लिए निर्रहित नहीं करेगा, अर्थात्:—

(क) लंबरदार;

(ख) सब-रजिस्ट्रार, चाहे विभागीय हो अथवा अवैतनिक विपत्र प्रमाणक, नोटरी, शपथ आयुक्त, कोई शासकीय रिसीवर जो पूर्णकालिक वैतनिक सरकारी कर्मचारी न हो या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसे बीमाकर्ता के अधीन सेवा करता हो जिनके नियंत्रित कारबार का प्रबंध जीवन-बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का संसद् अधिनियम 9) के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है;

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 50), प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 31) अथवा रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम, 1952 (1952 का संसद् अधिनियम 62), अथवा हरियाणा गृह-रक्षा दल अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 31) के अधीन, यथास्थिति, बनाए गए, रखे गए अथवा गठित किसी बल का सदस्य;

(घ) रिजर्व-अधिकारी सेना में, अधिकारी;

[1][(ङ) किसी कानूनी या अकानूनी निकाय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप-प्रधान, निदेशक या सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया हो, चाहे जिसे अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान प्रतिकर भत्ते सहित कोई पारिश्रमिक मिलता हो या नहीं;]

(च) संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव;

(छ) राज्य सरकार के किसी विभाग में उस सरकार का अवैतनिक सलाहकार;

---

1. 1981 के हरियाणा अधिनियम सं. 4 की धारा 1 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*h*) chairman of an Improvement Trust constituted under the Punjab Town Improvement Act, 1922 (Punjab Act 4 of 1922), and he Chairman of the Haryana State Agricultural Markeing Board constituted under section 3 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961) ;

(*i*) chairman of the Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) corporation Limited and chairman of Haryana Agro-Industries Corporation Limited;

(*j*) chairman or the vice-chairman or the deputy chairman or any member of the Haryana State Planning Board or Haryana Khadi and Village Industries Board or the Haryana Harijan Kalyan Nigam or the Haryana State Social Welfare Advisory Board ; and

[1][(*k*) an advocate appointed by the State Government to conduct any specific suit, case or other proceedings before any Court, Tribunal or other Authority on behalf of or against the State Government to assist Enquiry Commission or to assist the parties or to represent them before an Enquiry Commission appointed under the Enquiry Commission Act, 1952, or any other law for the time being in force.]

(*2*) It is hereby further declared that none of the following offices in so far as it is an office of profit under the Government of India, the Government of State of Haryana or the Government of any other State, shall disqualify the holder thereof for being elected as, or for being, a member of the Legislature of the State of Haryana, namely:—

(*a*) Minister;

(*b*) State Minister;

(*c*) Deputy Minister.

4. Repeal.—The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1952, in its application to the State of Haryana, is hereby repealed.

1. Ins by Haryana Act 24 of 1980, s 2.

(ज) पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (1922 का पंजाब अधिनियम 4) के अधीन गठित किसी सुधार न्यास का अध्यक्ष तथा पंजाब कृषि उपज-मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष;

(झ) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड का अध्यक्ष तथा हरियाणा कृषि-उद्योग-निगम लिमिटेड का अध्यक्ष;

(ञ) हरियाणा राज्य योजना बोर्ड या हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड या हरियाणा हरिजन कल्याण निगम या हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष या प्रतिस्थानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य; और

[1][(ट) किसी न्यायालय, अधिकरण, अथवा अन्य प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी विशिष्ट वाद, मामले या अन्य कार्यवाही का संचालन करने के लिए, अथवा जांच आयोग की सहायता के लिए या जांच आयोग अधिनियम, 1952, या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त जांच आयोग के समक्ष किन्हीं पक्षकारों की सहायता के लिए या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त कोई अधिवक्ता;]

(2) इस अधिनियम द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी पद, जहां तक वह भारत सरकार, हरियाणा राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद है उसके धारक को हरियाणा राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेगा:—

(क) मंत्री;

(ख) राज्यमंत्री;

(ग) उपमंत्री ।

4. निरसन—पंजाब राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1952, जहां तक वह हरियाणा राज्य को लागू है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

1. 1980 के हरियाणा अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

THE MIZORAM UNION TERRITORY LEGISLATURE MEMBERS' (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS ACT, 1975)

ACT NO. 8 OF 1975

[27*th December,* 1975.]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as and for being a member of the Mizoram Legislative Assembly.

Preamble.—Whereas it is expedient to provide in accordance with the provisions of article 191 (1) (*a*) of the Constitution of India that the holders of the offices hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Mizoram Legislative Assembly.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth (25th) Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extend and commencement.—(*1*) This Act may be called the Mizoram Union Territory Legislature Members' (Removal of Disqualifications) Act, 1975.

(*2*) It extends to the whole of Mizoram.

(*3*) It shall be deemed to have come into force on the 10th May, 1972.

2. Removal of certain disqualifications.—A person shall not be and shall be deemed never to have been disqualified or being chosen as or for being, a member of the Mizoram Legislative by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. Any office held by a Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

2. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of India or to the Government of Mizoram.

3. The office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in Parliament or in the Mizoram Legislative Assembly.

4. The [1][office of the Chief Executive Member, Executive Member, Chairman], Vice-Chairman or Member of any Autonomous District Councils and the President, Vice-President or member of any Village Council constituted in Mizoram under any existing law or Regulation.

5. The office of the Government Pleader or Public Prosecutor.

6. The office of the part-time, Professor, Lecturer, Instructor or teacher in Government Educational Institutions.

7. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

8. The office of Chairman, Vice-Chairman, or Member of any Committee, Board or Authority appointed by the Government of India or the Government of any State or Union territory specified in the First Schedule to the Constitution of India.

9. Any office under the Government which is not a whole-time office remunerated either by salary or fees.

10. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

11. Any office held in Auxiliary Air Force or Air Defence Reserve.

---

1. Subs. by Mizoram Union Territory Legislative Members (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1986 (Act 5 of 1986), s.2.

मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1975

1975 का अधिनियम संख्यांक 8

[27 दिसम्बर, 1975]

मिजोरम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए कतिपय निरर्हताओं के हटाए जाने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

उद्देशिका—भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के उपबंधों के अनुसार यह उपबंध करना समीचीन है कि मिजोरम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने के लिए इसमें इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक निरर्हित न होंगे:

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष 25 वें में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1975 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मिजोरम पर है।

(3) यह 10 मई, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना—कोई व्यक्ति मिजोरम विधानसभा के सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए इस तथ्य के कारण निरर्हित न होगा या कभी भी निरर्हित हुआ न समझा जाएगा कि वह इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है।

अनुसूची

1. संघ या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धारित कोई पद।

2. भारत सरकार या मिजोरम सरकार के संसदीय सचिव का पद।

3. संसद् या मिजोरम विधान सभा में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद।

4. किसी स्वायत्त जिला परिषद् में [1][मुख्य कार्यकारी सदस्य, कार्यकारी सदस्य, अध्यक्ष] उपाध्यक्ष या सदस्य और किसी विद्यमान विधि या विनियम के अधीन मिजोरम में गठित किसी ग्राम परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य [1][का पद]।

5. सरकारी प्लीडर या लोक अभियोजक का पद।

6. सरकारी शैक्षणिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद।

7. सरकार को अंशकालिक सेवा प्रदान करने वाला चिकित्सा व्यवसायी।

8. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद।

9. सरकारी के अधीन, वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक वाला ऐसा कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है।

10. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद।

11. सहायक वायु बल या वायु रक्षा रिजर्व में धारित कोई पद।

---

1. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम सं॰ 5) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE ARUNACHAL PRADESH LEGISLATURE MEMBERS (PREVENTION OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1977

ACT NO. 4 OF 1977

[19*th September,* 1977.]

An Act to provide for the prevention of certain disqualifications for being chosen as, and for being, a member of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly.

Preamble.—WHEREAS it is expedient to provide in accordance with the provisions of section 14(*i*)(*a*) of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) that the holders of the offices hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly.

It is hereby enacted by the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commenement.—(*i*) This Act may be called the Arunachal Pradesh Legislature Members (Prevention of Disqualifications) Act, 1977.

(*ii*) It extends to the whole of Arunachal Pradesh.

(*iii*) It shall come into force at once.

2. Removal of certain disqualifications for membership.—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices being offices of profit specified in the Schedule appended hereto.

THE SHEDULE

(*See* section 2)

1. Gaonbura, whether called by this or any other title.

2. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps or Auxiliary Air force or Air Defence Reserve.

3. The office of Chairman, Vice-Chairman or members of any committee, society, board or authority appointed by the Government of India or the Government of any State or Union territory specified in the First Schedule to the Constitution of India.

Explanation 1.—"Committee" means any Committee, Commission, Council or any other body of one or more persons, whether statutory or not, set up by the Government of India or the Government of any state.

Explanation 2.—"Board" or "authority" means any corporation, company, society or any other body of one or more persons whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any Central law or law of any State for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

[1][*Explanation* 3.—For the purpose of this section, the office of Chairman shall include every office of that description by whatever name called and the office of Vice-Chairman shall include every office of that description by whatever name called.]

4. Any office under the Government, which is not a whole-time office remunerate either by salary or fees [2][or any office under the Government which is declared by the State Government to be not an office or profit within the meaning of article 191(1)(*a*) of the Constitution of India].

5. The office of part-time professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Governmental educational institutions.

6. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

7. Any office in the Home Guard which is riot whole-time and is not remunerated by salary or fees.

8. The office of Village Volunteer in the SSB Organisation.

1. Ins. by Arunachal Pradesh Act 9 of 2006, s.2(*1*). (*w.e.f.* 15-5-2006).
2. Ins. by s. 2(*2*) *ibid,* (*w.e.f.* 15-5-2006).

अरुणाचल प्रदेश विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1977

1977 का अधिनियम संख्यांक 4

[19 सितम्बर, 1977]

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं के निवारण का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

उद्देशिका—संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 14(i)(क) के उपबंधों के अनुसार या उपबंध करना समीचीन है कि इसमें इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होंगे।

भारत गणराज्य के अठ्ठाईसवें वर्ष में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(*i*) इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम अरुणाचल प्रदेश विधान मंडल सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1977 है।

(*ii*) इसका विस्तार संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश पर होगा।

(*iii*) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. सदस्यता के लिए कतिपय निरर्हताओं का हटाना—कोई भी व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाभ के पदों में से कोई पद धारण करता है।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. गोवनबरा, चाहे इस नाम से या किसी अन्य शीर्षक से पुकारा जाए।

2. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडिट कोर या सहायक वायु सेना या वायु रक्षा रिजर्व में कोई पद।

3. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा नियुक्त किसी समिति, सोसाइटी, बोर्ड या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद।

स्पष्टीकरण 1—''समिति'' से भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा स्थापित एक या अधिक व्यक्तियों की समिति, आयोग, परिषद् या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह कानूनी हो या नहीं।

स्पष्टीकरण 2—''बोर्ड'' या ''प्राधिकरण'' से किसी केंद्रीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य की विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने वाला एक या अधिक व्यक्तियों का कोई निगम, कंपनी, सोसाइटी या अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

[1][**स्पष्टीकरण 3**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष के पद में उस विवरण का प्रत्येक पद चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, सम्मिलित होगा और उपाध्यक्ष के पद में उस विवरण का प्रत्येक पद चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो सम्मिलित होगा।]

4. सरकार के अधीन ऐसा कोई पद जो वेतन या फीसों के रूप में पारिश्रमिक वाला पूर्णकालि पद नहीं है [2][या सरकार के अधीन कोई पद जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अर्थ के भीतर लाभ का पद न होना राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है।]

5. सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद।

6. चिकित्सा व्यवसायी जो सरकार को अंशकालिक सेवा देता है।

7. होमगार्ड में कोई पद जो पूर्णकालिक न हो और जिसके लिए वेतन और फीस का पारिश्रमिक नहीं है।

8. एस.एस.बी. संगठन में ग्राम स्वयंसेवक का पद।

---

1. 2006 के अरुणाचल प्रदेश अधिनियम सं. 9 की धारा 2(1), (15.5.2006 से प्रभावी) द्वारा अंत:स्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 2 (2) (15.5.2006 से प्रभावी) द्वारा अंत: स्थापित।

9. Any office held by [1]***[...], [2][Chief Minister, Minister], Minister of State or Deputy Minister for the Union or any State specified in the Constitution of India.

[3][10. The Leader of Opposition as defined in the Salary and Allowances of the Leader of Opposition in the Arunachal Pradesh Legislative Assembly Act, 2005.]

[4][11. The office of the Speaker and Deputy Speaker of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly.

12. The office of the Chief Whip and Deputy Chief Whip in the Arunachal Pradesh Legislative Assembly or of a Parliamentary Secretary.

13. The office of the Advisor to the Chief Minister of Arunachal Pradesh.]

1. Omitted by Arunachal Pradesh Act 9 of 2006 s.2 (*w.e.f.* 15-5-2006).
2. Ins. by s.2(*3*) *ibid*. (*w.e.f.* 15-5-2006).
3. Ins. by the Salary and Allowances of the Leader of Opposition in the Arunachal Pradesh Legislative Assembly Act, 2005, s. 12 (*w.e.f.* 13-3-2006).
4. Ins. by Arunachal Pradesh Act 9 of 2006, s.2(*4*). (*w.e.f.* 15-5-2006).

9. संघ या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के [1]***[...], [2][मुख्यमंत्री, मंत्री], राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धृत कोई पद।

[3][10. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अधिनियम 2005 में विपक्षी दल के नेता के वेतन और भत्तो में यथापरिभाषित विपक्षी दल का नेता।

[4][11. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के सभापति और उपसभापति का पद।

12. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा या संसदीय सचिव में मुख्य सचेतक और उपमुख्य संचेतक पद।

13. अरुणाचल के मुख्यमंत्री के सलाहकार का पद।]

1. 2006 के अरुणाचल प्रदेश अधिनियम सं. 9 की धारा 2 (15.5.2006 से प्रभावी) द्वारा लोप किया गया।
2. पूर्वोक्त की धारा 2(3) (15.5.2006 से प्रभावी) द्वारा अंत:स्थापित।
3. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अधिनियम, 2005 की धारा 12 (13.3.2006 से प्रभावी) में विपक्षी दल के नेता के वेतन और भत्तों द्वारा अंत:स्थापित।
4. 2006 के अरुणाचल प्रदेश अधिनियम सं. 9 की धारा 2(4) (15.5.2006 से प्रभावी) द्वारा अंत:स्थापित।

THE SIKKIM LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS ACT, 1978

SIKKIM ACT NO. 5 OF 1978

[31st *March*, 1978.]

An Act to declare that certain offices are not to disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, member of the Legislative Assembly of the State of Sikkim.

WHEREAS it is expedient to declare that certain offices are not to disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim;

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India by the Legislature of Sikkim, as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Sikkim Legislative Assembly Members Removal of Disqualifications Act, 1978.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of November, 1977.

2. Definitions.—In this Act, unles the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance, conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office.

(*b*) "Legislative Assembly" means the Legislative Assembly of the State of Sikkim.

(*c*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body.

(*d*) "State Government" means the Government of the State of Sikkim.

(*e*) "Statutory Body" means any Corporation, Committee, Commission, Council, Board or other body of persons whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force.

3. Certain offices not to disqualify.—It is declared that none of the following offices under the Government of India or the State Government, shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as or for being, a member of the Legislative Assembly, namely:—

(*a*) the office of the Minister of the State or the Deputy Minister, either for the union or for the State of Sikkim;

(*b*) the office of a member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948, the Territorial Army Act, 1948, or the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952;

(*c*) any office in the Home Guard constituted by or under any law for the time being in force under the authority of the State Government;

(*d*) the office of the Chairman or a member of the Syndicate, Senate, Executive Council or Court of a University or any Committee, by whatever name called, of any educational institution receiving aid out of the State funds;

(*e*) the office of the Chairman or a member of the Committee of management of a Co-operative Society nominated or appointed by the State Government under any law relating to co-operative societies for the time being in force in the State of Sikkim;

(*f*) the office of the Chairman or a member of the planning commission or Committee or Board or similar other authorities appointed by the State Government;

(*g*) the office of the Chairman or a member of the Labour Commission appointed by the State Government;

(*h*) the office of the Chairman or a member of the Pay Commission appointed by the State Government;

(*i*) the office of the Chairman or a member of the Board of the Directors of the State Trading Corporation;

(*j*) the office of the Chairman or a member of the Board of Directors of the State Bank of Sikkim;

(*k*) the office of the Chairman or a member of the State Electricity Advisory Board of the State Electricity Board appointed by the State Government;

सिक्किम विधान सभा सदस्य निरर्हता हटाना अधिनियम, 1978

(1978 का सिक्किम अधिनियम संख्यांक 5)

[31 मार्च, 1978]

कतिपय लाभ के पदों के धारकों को सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न होना घोषित करने के लिए

अधिनियम

यह घोषित करना समीचीन है कि कतिपय पद सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए उनके धारकों को निरर्हित नहीं करेंगे।

सिक्किम विधान-मंडल द्वारा भारत गणराज्य के उन्नतीसवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिक्किम विधान सभा सदस्य निरर्हता हटाना अधिनियम, 1978 है।

(2) यह 3 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) ''प्रतिकारात्मक भत्ता'' से ऐसी कोई धनराशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को पद के कृत्यों का निष्पादन करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की पूर्ति करने में उसे सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ता, प्रवहण भत्ता, मकान किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में संदेय है।

(ख) ''विधान सभा'' से सिक्किंत राज्य की विधान सभा अभिप्रेत है।

(ग) ''अकानूनी निकाय'' से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है।

(घ) ''राज्य सरकार'' से सिक्किम राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(ङ) ''कानूनी निकाय'' से कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे यह निगमित हो या नहीं, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो।

3. **कतिपय पद निरर्हित न किया जाना**—यह घोषित किया जाता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद उसके धारक को विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न करेगा या कभी भी निरर्हित किया हुआ नहीं समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) संघ या सिक्किम राज्य की सरकार के राज्यमंत्री या उपमंत्री का पद;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948, प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 या रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई या अनुरक्षित किसी सेना के सदस्य का पद;

(ग) राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित होमगार्ड में कोई पद;

(घ) किसी विश्वविद्यालय की सिंडिकेट, सीनेट, कार्य परिषद् या सभा या राज्य विधि से सहायता पाने वाले किसी शैक्षणिक संस्था की किसी समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ङ) सिक्किम राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में नामनिर्देशित या नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(च) योजना आयोग या समिति या बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त इसी प्रकार के किसी अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष का सदस्य का पद;

(झ) राज्य व्यापार निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ञ) सिक्किम स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य विद्युत बोर्ड में राज्य विद्युत सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(*l*) the office of the Chairman or member of the Sikkim Khadi and Village Industries Board appointed by the State Government;

(*m*) the office of the Chairman or a member of the Board of the Sikkim Nationalised Transport appointed by the State Government;

(*n*) the office of the Chairman or a member of the Board of Directors of the Sikkim Mining Corporation appointed by the State Government;

(*o*) the office of the Chairman or a member of the Scheduled Caste Welfare Board appointed by the State Government;

(*p*) the office of the Block Mandal appointed by the State Government;

(*q*) the office of the Chairman, Deputy Chairman or a member or Secretary of any Committee, Commission, Corporation or similar other authorities constituted by the Government of India or the State Government or any other authority in respect of any public matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance or any residential accommodation or any arrangement for conveyance to facilitate the performance of the function of such office.

Explanation.—For the purpose of this Act, the office of Chairman, Deputy Chairman or Secretary shall include every office of that description, by whatever name called.

4. Repeal.—The Sikkim Legislative Assembly Members Removal of Disqualifications Ordinance, 1977, is hereby repealed.

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिक्किम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिक्किम राष्ट्रीयकृत यातायात बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिक्किम खनन निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ण) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(त) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ब्लाक मंडल का पद;

(थ) किसी सार्वजनिक मामले के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा गठित किसी समिति, आयोग, निगम या ऐसे ही किसी अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक, प्रतिकारात्मक भत्ता या वास सुविधा या ऐसे पद के कृत्यों के निष्पादन को सुकर बनाने के लिए प्रवहण की किसी व्यवस्था से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अंतर्गत उसी प्रकार का प्रत्येक पद है, चाहे यह किसी भी नाम से ज्ञात हो।

4. **निरसन**—सिक्किम विधान सभा सदस्य निरर्हता हटाना अध्यादेश, 1977 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) AMENDMENT ACT, 1979

ACT NO. 4 OF 1979

An Act further to amend the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951.

Preamble.—WHEREAS it is expedient further to amend the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951, for the purpose hereinafter appearing;

BE it enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1979.

2. Amendment of section 2.—Section 2 of the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951 (15 of 1951) (hereinafter referred to as the principal Act), shall be renumbered as sub-section (*l*) thereof, and after sub-section (*1*) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*2*) No person shall be disqualified or deemed ever to have been disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of the State of Kerala by reason only—

(*i*) that he holds or has held the office of the Chairman of a Government Company.

Explanation.—For the purposes of this clause, "Government Company" means a company in which not less than fifty-one per cent. of the paid up share capital is held by the Government of Kerala or jointly by the Central Government and the Government of Kerala, and includes a company which is a subsidiary of any such company; or

(*ii*) that he holds or has held the office of the Chairman of a Corporation established or constituted by or under any Central or State Act and owned or controlled by the Government of Kerala".

3. Repeal and savings.—(*1*) The Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Amendment Ordinance, 1978 (Ord. 30 of 1978), is hereby repealed.

(*2*) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act as amended by this Act as if this Act had come into force on the 29th day of December, 1978.

विधान सभा (निरर्हता हटाना) संशोधन अधिनियम, 1979

(1979 का अधिनियम संख्यांक 4)

विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951
का और संशोधन करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—यह समीचीन है कि इसमें इसके पश्चात् वर्णित प्रयोजन के लिए विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951 का और संशोधन किया जाए;

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधान सभा (निरर्हता हटाना) संशोधन अधिनियम, 1979 है।

2. **धारा 2 का संशोधन**—विधान सभा (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951 (1951 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) कोई व्यक्ति, केरल राज्य की विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए केवल निम्नलिखित कारण से निरर्हित नहीं होगा और कभी भी निरर्हित हुआ नहीं समझा जाएगा कि—

(*i*) वह किसी सरकारी कंपनी के अध्यक्ष का पद धारण करता है या कर चुका है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सरकारी कंपनी" से अभिप्रेत है ऐसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केरल सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार द्वारा संयुक्तत:, धृत है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है जो ऐसी किसी कंपनी की समनुषंगी है; या

(*ii*) वह किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित और केरल सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अध्यक्ष का पद धारण करता है या कर चुका है"।

3. **निरसन और व्यावृत्ति**—(1) विधान सभा (निरर्हता हटाना) संशोधन अध्यादेश, 1978 (1978 का अध्यादेश 30) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन उसी प्रकार की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 29 दिसंबर, 1978 को प्रवृत्त हो गया था।

THE GOA, DAMAN AND DIU MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1982

No. 1 of 1982

[19*th February*, 1982.]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Goa, Daman and Diu Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1982.

(*2*) It shall come into force at once.

2. Removal of certain disqualifications.—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu merely by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended to this Act.

[1][SCHEDULE

1. The office of a member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;

2. Any office in connection with the affairs of the Goa University or any committee, council or body connected with the Goa University;

3. The office of Chairman, Economic Development Corporation, Goa, Daman and diu;

4. The office of Chairman, Kadamba Transport Corporation Limited;

5. The office of Chairman, Goa, Daman and Diu Housing Board;

6. The office of Chairman, Goa, Daman and Diu Tourism Development Corporation Limited;

7. The office of Chairman, Goa, Handicrafts Rural and Small Scale Industries Corporation Limited;

8. The office of Chairman, Goa, Daman and Diu Industrial Development Corporation;

9. The office of Chairman, Director or member of a statutory or non-statutory body or committee or corporation constituted by the Government of Goa, Daman and Diu:

Provided that the Chairman, Director or member of any of the aforesaid committees or bodies or corporations is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance.

Explanation.—For the purpose of the aforesaid entries—

(*i*) "Compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance [such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of the Legislative Assembly is entitled under the Goa, Daman and Diu Salary, Allowances and Pension of the Members of the Legislative Assembly Act, 1964 (2 of 1965)], any conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office;

(*ii*) "statutory body" means any corporation committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force;

(*iii*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body.]

1. Subs. by the Goa, Daman and Diu Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Amendment Act, 1985 (Act No. 11 of 1985), s. 2.

गोवा, दमन और दीव विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1982

(1982 का अधिनियम संख्यांक 1)

[19 फरवरी, 1982]

गोवा, दमन और दीव विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्ये बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं को हटाने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में गोवा, दमन और दीव विधान सभा द्वारा यह अधिनियमित हो, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा, दमन और दीव विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1982 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. कतिपय निरर्हताओं को हटाना—कोई व्यक्ति, केवल इस तथ्य के कारण कि वह इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करता है गोवा, दमन और दीव विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा।

[1][**अनुसूची**

1. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद;

2. गोवा विश्वविद्यालय या गोवा विश्वविद्यालय से संबंधित किसी समिति, परिषद् या निकाय के कार्यकलाप से संबद्ध कोई पद;

3. आर्थिक विकास निगम, गोवा, दमन और दीव के अध्यक्ष का पद;

4. कदम्बा परिवहन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पद;

5. गोवा, दमन और दीव आवासन बोर्ड के अध्यक्ष का पद;

6. गोवा, दमन और दीव पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पद;

7. गोवा हस्तशिल्प, ग्रामीण तथा लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पद;

8. गोवा दमन और दीव औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष का पद;

9. गोवा, दमन और दीव सरकार द्वारा गठित किसी कानूनी या अकानूनी निकाय या समिति या निगम के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद:

परंतु यह कि पूर्वोक्त किसी समिति या निकाय या निगम का अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त प्रविष्टियों के प्रयोजनार्थ—

(*i*) ''प्रतिकरात्मक भत्ता'' से किसी पद धारक को, उस पद के कृत्यों के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की पूर्ति करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ संदेय दैनिक भत्ता (यह भत्ता गोवा, दमन और दीव विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1964 (1965 का 2) के अधीन विधान सभा सदस्य जितने दैनिक भत्ते की रकम का हकदार है उससे अधिक नहीं होगा,] प्रवहण भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता की धनराशि अभिप्रेत है;

(*ii*) ''कानूनी निकाय'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है;

(*iii*) ''अकानूनी निकाय'' से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है।]

---

1. 1985 के गोवा, दमन और दीव विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम (1985 का अधिनियम सं॰ 11) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE PUDUCHERRY MEMBERS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1994

ACT NO. 13 OF 1994

[17*th November,* 1994.]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being members of the Legislative Assembly of Puducherry.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Puducherry in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

(1) Short title and commencement.—(*1*) This Act may be called the Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994.

(*2*) It shall come into force at once.

(2) Definition.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance, such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of the Legislative Assembly is entitled under the Salary, Allowance and Pension of Members of the Legislative Assembly (Puducherry) Act, 1964 any conveyance allowance, house rent allowance or traveling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office;

(*b*) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body;

(*c*) "Schedule" means the Schedule appended to this Act; and

(*d*) "statutory body" means any corporation committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force.

3. Certain offices of profit not to disqualify.—It is hereby declared that none of the offices specified in the Schedule shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being a Member of the Legislative Assembly of Puducherry.

[1][SCHEDULE

(*See* section 3)

The office of Chairman, President, Vice-Chairman, Vice-President, Director or Member of any of the following statutory or non-statutory bodies, namely:—

A. STATUTORY BODIES:

1. Puducherry Market Committee. } Registered under the Puducherry
2. Karaikal Market Committee. } Agricultural Produce Markets Act, 1973.
3. Yanam Market Committee. }
4. Puducherry State Social Welfare Board.
5. Puducherry Planning Authority.
6. Puducherry Women's Commission.
7. Puducherry State Wakf Board.
8. Puducherry Ground Water Authority.
9. Puducherry Seed Certification Agency.
10. Puducherry Building and other Construction Workers Welfare Board.

B. CORPORATIONS:

1. Puducherry Adi-Dravidar Development Corporation Limited (PADCO).

1. Subs. by the Puducherry Act 5 of 2009 (*w.e.f.* 25-9-2009).

पुडुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 13)

[17 नवम्बर, 1994[

यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पद उनके धारकों को पुडुचेरी विधान सभा के सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करें,

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में पुडुचेरी विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पुडुचेरी विधार सभा सदस्य (निर्रहता निवारण) अधिनियम, 1994 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रतिकरात्मक भत्ता'' से किसी पद के धारक को, उस पर के कृत्यों के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की पूर्ति करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए संदेय दैनिक भत्ते, जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई विधान सभा सदस्य, विधान सभा (पुडुचेरी) सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1964 के अधीन हकदार है, किसी प्रवहण भत्ते, मकान किराया भत्ते या यात्रा भत्ते की धनराशि अभिप्रेत है;

(ख) ''अकानूनी निकाय'' से व्यक्तियों का कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है, जो कानूनी निकाय से भिन्न हो;

(ग) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और

(घ) ''कानूनी निकाय'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो अभिप्रेत है।

3. कतिपय लाभ के पदों का निरर्हित न होना: यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी पद उसके धारक को पुडुचेरी विधान सभा का सदस्य चुने जाने या रहने के लिए निरर्हित नहीं करेगा।

[1][अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

निम्नलिखित कानूनी या अकानूनी निकायों के सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति, उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद अर्थात्:-

अ. कानूनी निकाय:

1. पुडुचेरी बाजार समिति।
2. कराईकल बाजार समिति।
3. यनम बाजार समिति।

} पुडुचेरी कृषि उपज बाजार अधिनियम 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत।

4. पुडुचेरी राज्य समाज कल्याण बोर्ड।
5. पुडुचेरी योजना प्राधिकरण।
6. पुडुचेरी महिला आयोग।
7. पुडुचेरी राज्य वक्फ बोर्ड।
8. पुडुचेरी भूजल प्राधिकरण।
9. पुडुचेरी बीज प्रमाणन अभिकरण।
10. पुडुचेरी भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

आ. निगम:

1. पुडुचेरी आदि—द्रविदार विकास निगम लिमिटेड (पीएडीसीओ)।

---

1. पुडुचेरी अधिनियम सं. 5, 2009 (25.9.2009 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. Puducherry Agro Service and Industries Corporation Limited (PASIC).
3. Puducherry Agro Products Food and Civil Supplies Corporation Limited (PAPSCO).

1. Puducherry Power Corporation Limited.
2. Puducherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDIC).
3. Puducherry Distilleries Limited.
4. Puducherry Electronics Limited.
5. Puducherry Textiles Corporation Limited.
6. Swadeshi/Bharathi Textiles Corporation Limited.
7. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Limited.
8. Puducherry Tourism Development Corporation Limited.
9. Puducherry Road Transport Corporation Limited.
10. Puducherry Corporation for the Development of Women and Handicapped Persons Limited.

C. SOCIETIES:

1. Pandit Jawaharlal Nehru College of Agriculture and Research Institute, Karaikal (PAJANCOA & RI).
2. Perunthalaivar Kamarajar Krishi Vigyan Kendra, Puducherry.
3. Krishi Vigyan Kendra, Karaikal.
4. Puducherry Agricultural Workers Welfare Society.
5. Rajiv Gandhi College of Veterinary and Animal Sciences.
6. Bharathiar Palkalai Koodam.
7. Puducherry Institute of Linguistics and Culture.
8. Puducherry Experimental Solar Pond Power Project Society.
9. Fish Farmers Development Agency, Puducherry.
10. Fish Farmers Development Agency, Karaikal.
11. Fish Farmers Development Agency, Yanam.
12. Puducherry State Fishermen Co-operative Federation.
13. Fishing Harbour Management Society.
14. Mahatma Gandhi Post-graduate Institute of Dental Sciences.
15. Mother Therasa Post-graduate and Research Institute of Health Sciences.
16. Perunthalaivar Kamarajar Medical College and Research Institute.
17. Puducherry Medical Relief Society.
18. Puducherry Institute of Post-Matric Technical Education (PIPMATE).
19. Puducherry Engineering College.
20. Perunthalaivar Kamarajar Institute of Engineering and Technology, Karaikal.
21. Puducherry Society for Higher Secondary Education.
22. Puducherry Unorganised Labour Welfare Society.
23. Franco-Indian Vocational Training Institute Society.
24. Puducherry State Sports Council.

2. पुडुचेरी ऐग्रो सेवा और उद्योग निगम लिमिटेड (पीएसीआईसी)।
3. पुडुचेरी ऐग्रो उत्पाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (पीएपीएससीओ)।

1. पुडुचेरी विद्युत निगम लिमिटेड।
2. पुडुचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और विनिद्यान निगम लिमिटेड (पीआईपीडीआईसी)।
3. पुडुचेरी आसवनी लिमिटेड।
4. पुडुचेरी इलेक्ट्रानिक लिमिटेड।
5. पुडुचेरी वस्त्र निगम लिमिटेड।
6. स्वदेशी/भारती वस्त्र निगम लिमिटेड।
7. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड।
8. पुडुचेरी पर्यटन विकास निगम लिमिटेड।
9. पुडुचेरी सड़क परिवहन निगम लिमिटेड।
10. पुडुचेरी महिला तथा दिव्यांगजल विकास निगम लिमिटेड।

इ. समितियां:

1. पंडित जवाहर लाल नेहरू कृषि महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, कराईकल।
(पीएजेएएनसीओए एवं आर आई)
2. पेंरूथलैवर कामराजार कृषि विज्ञान केंद्र, पुडुचेरी।
3. कृषि विज्ञान केन्द्र, कराईकल।
4. पुडुचेरी कृषि कर्मकार कल्याण समिति।
5. राजीव गांधी पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान महाविद्यालय।
6. भारथिअर पुलकलै कुदम।
7. पुडुचेरी, भाषा विज्ञान तथा संस्कृति संस्थान।
8. पुडुचेरी प्रयोगात्मक सौर तालाब विद्युत परियोजना समिति।
9. मछली किसान विकास अभिकरण, पुडुचेरी।
10. मछली किसान विकास अभिकरण, कराईकल।
11. मछली किसान विकास अभिकरण, यनम।
12. पुडुचेरी राज्य मछलीपालक सहकारी परिसंघ।
13. मछली पालन बंदरगाह प्रबंध समिति।
14. महात्मा गांधी दंत्त चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान।
15. मदर टेरेसा स्वास्थ्य विज्ञान स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान संस्थान।
16. पेरूंथलैवर कामराजार चिकित्सा महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान।
17. पुडुचेरी चिकित्सा अनुतोष समिति।
18. पुडुचेरी पश्च-मैट्रिक तकनीकी शिक्षा संस्थान (पीआईपीएमएटीई)।
19. पुडुचेरी इंजीनियरी महाविद्यालय।
20. पेरूंथलैवर कामराजार इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, कराईकल।
21. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समिति, पुडुचेरी।
22. असंगठित श्रम कल्याण समिति, पुडुचेरी।
23. फ्रेंको-इंडियन व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान समिति।
24. पुडुचेरी राज्य खेल परिषद्।

25. Rajiv Gandhi School of Sports.

26. Puducherry Society for the Care of the Aged (PONCARE).

27. Puducherry Institute of Hotel Management and Catering Technology.

28. Building Centre, Villianur, Puducherry.

29. Building Centre, Poovam, Karaikal.

30. Puducherry e-governance Society.

31. Puducherry Urban Development Agency.

32. District Institute of Education and Training.

33. Renewable Energy Agency of Puducherry.

34. Puducherry Building Centre.

35. Puducherry Council for Science and Technology.

36. Puducherry Fishermen Distress Relief Society.

37. District Rural Development Agency.

38. Puducherry Management and Productivity Council.

39. Puducherry AIDS Control Society.

40. Sainik Welfare Board:

Provided that the holder of any such office is not in receipt of, or entitled to, any fee or remuneration other than compensatory allowance].

25. राजीव गांधी खेल विद्यालय।

26. वृद्ध देखरेख समिति पुडुचेरी (पीओएनसीएआरई)।

27. होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान पुडुचेरी।

28. भवन केंद्र, विलियानूर, पुडुचेरी।

29. भवन केंद्र, पूवम, कराईकल।

30. ई-गवर्नेंस समिति, पुडुचेरी।

31. शहरी विकास अभिकरण पुडुचेरी।

32. शिक्षा और प्रशिक्षण जिला संस्थान।

33. नवीकरणीय उर्जा अभिकरण पुडुचेरी।

34. पुडुचेरी भवन केंद्र।

35. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् पुडुचेरी।

36. मछलीपालक कष्ट अनुतोष समिति पुडुचेरी।

37. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

38. पुडुचेरी प्रबंधन और उत्पादकता परिषद्।

39. पुडुचेरी एड्स नियंत्रण समिति।

40. सैनिक कल्याण बोर्ड।

परंतु यह कि ऐसे किसी पद के किसी धारक ने प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कोई फीस या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है और न ही वह उसके लिए हकदार है।]

THE WEST BENGAL LEGISLATURE (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 2007

West Bengal Act No. 11 of 2007

[29*th August,* 2007.]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India shall not disqualify the holders thereof for being chosen as. or for being members of the West Bengal Legislative Assembly.

Whereas it is expedient to declare in accordance with the provisions contained in sub-clause (*a*) of clause (1) of article 191 of the Constitution of India that the holders of certain offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule of the said Constitution shall not be disqualified for being chosen as, and for, being members of the West Bengal Legislative Assembly;

It is hereby enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows:—

1. Short title and Commencement.— (*1*) This Act may be called the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 2007.

(*2*) It shall come into force at once.

2. Removal of certain disqualifications for membership.— It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being a member of the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

(*a*) any office held by a Minister, Minister of State or Deputy Minister of the State of West Bengal, whether *ex-officio* or by name;

(*b*) the office of the Leader of the Opposition in the West Bengal State Legislature;

(*c*) the office of the Chairperson of any Committee of the West Bengal Legislative Assembly;

(*d*) the office of Chief Government Whip, Deputy Chief Whip or Whip in the West Bengal Legislative Assembly or the office of a Parliamentary Secretary;

(*e*) the office of Sheriff in the city of Kolkata;

(*f*) the office of Chairman or member of the Syndicate. Senate. Executive Committee, Council or Court of any University in the State of West Bengal or any other body connected with a University;

(*g*) the office of a member of any delegation or mission constituted by the Government of India or the State Government for any special purpose;

(*h*) the office of member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act. 1948, the Territorial Army Act, 1948 or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act. 1952 or the office of a member of a Home Guard constituted under any law in the State of West Bengal;

(*i*) the office of member of any *Zilla Parishad*, *Panchayat Samiti,* Siliguri *Mahakuma Parishad* or Darjeeling Gorkha Hill Council;

(*j*) the office of Mayor, Deputy Mayor, Mayor-in-council, Chairman, Vice¬Chairman. Chariman-in-council or Councillor of any municipality or municipal corporation in the State of West Bengal;

(*k*) the office of Chairperson or member of State Planning Board and District Planning Committee of any district of the State of West Bengal;

(*l*) the office of Chairman, Deputy Chairman or Vice-Chairman, Director or member of any statutory or non-statutory body specified in the Schedule annexed to this Act.

3. Act to have overriding effect over judgement order etc.—(*1*) Notwithstanding any judgement or order of any court or tribunal or order or opinion of any other authority, the offices mentioned in clauses (a) to (1) of section 2 shall

पश्चिमी बंगाल विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 2007

(2007 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 11)

[29 अगस्त, 2007]

भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों के धारकों को पश्चिमी बंगाल विधान-सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न होना, घोषित करने के लिए

अधिनियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) में अंतर्विष्ट उपबधों के अनुसार यह घोषित करना समीचीन है कि भारत सरकार या उक्त संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों के धारक पश्चिम बंगाल विधान-सभा सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित नहीं होंगे।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में पश्चिमी बंगाल विधान-मंडल द्वारा यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **सदस्यता के लिए कतिपय निरर्हताओं का हटाना**—यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी पद केवल जब तक यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद रहता है तो उसका धारक पश्चिमी बंगाल विधान सभा का सदस्य चुने जाने और उसका सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा अर्थात्:—

(क) मंत्री द्वारा धृत कोई पद, पश्चिमी बंगाल राज्य का राज्य मंत्री या उप मंत्री, चाहे पदेन या नाम द्वारा;

(ख) पश्चिमी विधान मंडल में विपक्ष के नेता का पद;

(ग) पश्चिमी बंगाल विधान सभा की किसी समिति के सभापति का पद;

(घ) मुख्य सरकार सचेतक, उप मुख्य सचेतक, पश्चिमी बंगाल विधान सभा सचेतक का पद या संसदीय सचिव का पद;

(ङ) कोलकाता शहर में शैरिफ का पद;

(च) पश्चिमी बंगाल में किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी अन्य निकाय के सींडिकेट, सीनेट, कार्यकारी समिति, परिषद् या न्यायालय के सभापति या सदस्य का पद;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी प्रतिनिधिमंडल या मिशन के सदस्य का पद;

(ज) राष्ट्रीय केडिट कोर अधिनियम, 1948, प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 या रिज़र्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई या अनुरक्षित किसी बल के सदस्य का पद या पश्चिमी बंगाल राज्य में किसी विधि के अधीन गठित होम गार्ड के सदस्य का पद;

(झ) किसी जिला परिषद्, पंचायत समिति, सिलीगुड़ी महाकुमा परिषद् या दार्जलिंग गोरखा हिल परिषद् के सदस्य का पद;

(ञ) पश्चिमी बंगाल राज्य में किसी नगरपालिका या नगर निगम के मेयर, उप-मेयर, परिषद में मेयर, सभापति, उपसभापति, परिषद् में सभापति या पार्षद का पद;

(ट) पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्य योजना बोर्ड या किसी जिले की जिला योजना समिति के सभापति या सदस्य का पद;

(ठ) इस अधिनियम में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी निकाय या अकानूनी निकाय के सभापति, उपसभापति या उप-सभापति, निदेशक या सदस्य का पद;

3. **अधिनियम का निर्णय, आदेश आदि पर अध्यारोही प्रभाव**—(1) किसी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय या आदेश, या किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश या राय के होते हुए भी, धारा 2 के खंड (क) से खंड (ठ) में वर्णित पद के धारकों को निरर्हित नहीं करेगा या यह

not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as. or being, a member of the West Bengal State Legislative Assembly as if this Act had been in force at all material times.

(*2*) Nothing contained in sub-section (1) shall be construed as to entitle any person who has vacated a seat owing to any order or judgement as aforesaid, to claim any reinstatement or any other claim in that behalf.

(*3*) For the removal of doubts, it is hereby clarified that any petition or reference pending before any court or other authority on the date of commencement of this Act shall be disposed of in accordance with the provisions of this Act.

4. Repeal of West Bengal Act VI of 1952.— The West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act. 1952, is hereby repealed.

THE SCHEDULE

[*See* section 2(1)]

1. Kolkata Metropolitan Development Authority.

2. Asansol Durgapur Developement Authority.

3. Siliguri Jalpaiguri Developement Authority.

4. Haldia Development Authority.

5. Sriniketan Santiniketan Development Authority.

6. Burdwan Development Authority.

7. Bhangore Rajarhat Area Development Authority.

8. Digha Development Authority.

9. Kolkata Metropolitan Planning Committee.

10. West Bengal Industrial Development Corporation Limited.

11. West Bengal Industrial Infrastructure Developement Corporation Ltd.

12. West Bengal Small Industries Development Corporation Limited.

13. West Bengal Handicrafts Development Corporation Limited.

14. West Bengal Minorities Development and Finance Corporation Ltd.

15. West Bengal Handloom and Powerloom Development Corporation Ltd.

16. West Bengal *Khadi* and Village Industry Board.

17. Society for Self-Employment for Urban Youth, a society registered under the West Bengal Societies' Registration Act, 1961.

18. State Fisheries Development Corporation Limited. West Bengal.

19. West Bengal Fisheries Corporation Limited.

20. Board of Wakf, West Bengal, a body constituted under the Wakf Act, 1995.

21. West Bengal State Haj Committee, constituted under the Haj Committee Act, 2002.

22. Central Wakf Council established under section 9 of the Wakf Act, 1995.

23. Haj Committee of India, constituted under section 3 of the Haj Committee Act, 2002. .

24. West Bengal Minorities' Commission.

समझा जाएगा कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने से उसका धारक कभी निरर्हित नहीं हुआा है, जैस कि यह अधिनियम सभी तात्विक समय से प्रवृत्त रहा है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यथा पूर्वोक्त किसी आदेश या निर्णय के चलते कोई व्यक्ति जिसने एक स्थान रिक्त किया है, उस निमित पुन: स्थापन का दावा करने या किसी अन्य दावे का हकदार होगा।

(3) शंकाओ को हटाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारी, पर किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित याचिका या निर्देश का, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।

4. **1952 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं. 6 का निरसन**—पश्चिमी बंगाल विधानमंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1952 का निरसन किया जाता है।

अनुसूची

(धारा 2(1) देखिए)

1. कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण।
2. आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण।
3. सीलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण।
4. हल्दिया विकास प्राधिकरण।
5. श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरण।
6. बुर्दवान विकास प्राधिकरण।
7. भंगॉर राजारहाट क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
8. दीघा विकास प्राधिकरण।
9. कोलकाता मेट्रोपालिटन योजना समिति।
10. पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।
11. पश्चिमी बंगाल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।
12. पश्चिमी बंगाल लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड।
13. पश्चिमी बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड।
14. पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यंक विकास और वित्त निगम लिमिटेड।
15. पश्चिमी बंगाल हथकरघा और मशीनकरघा (पॉवरलूम) विकास निगम लिमिटेड।
16. पश्चिमी बंगाल खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड।
17. शहरी युवा हेतु स्व:नियोजन सोसायटी, पश्चिमी बंगाल सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाटी।
18. राज्य मछली पालन विकास निगम लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल।
19. पश्चिमी बंगाल मछली पालन विकास निगम लिमिटेड।
20. वक्फ बोर्ड, पश्चिमी बंगाल, वक्फ अधिनियम, 1995 के अधीन गठित निकाय।
21. हज समिति अधिनियम, 2002 के अधीन गठित, पश्चिमी बंगाल राज्य हज समिति।
22. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 के अधीन स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद्।
23. हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन गठित भारत की हत समिति।
24. पश्चिमी बंगाल, अल्पसंख्यंक आयोग।

25. West Bengal Board of Madrasah Education .

26. West Bengal Urdu Academy.

27. Planning Board (Asiatic Society) established under section 8 of the Asiatic Society Act, 1984.

28. West Bengal Comprehensive Area Development Corporation.

29. West Bengal State Rural Development Association.

30. Society for Training and Research on *Panchayat* and Rural Development.

31. West Bengal Forest Development Corporation Limited.

32. West Bengal Wasteland Development Corporation Limited.

33. West Bengal Pulpwood Development Corporation Limited. .

34. State Board for Wildlife. West Bengal.

35. West Bengal Labour Welfare Board.

36. West Bengal Cooperative Milk Federation Limited.

37. West Bengal *Go-Sampad Bikash Sanstha.*

38. West Bengal Dairy and Poultry Development Corporation Limited.

39. West Bengal Livestock Development Corporation Limited.

40. Mother Dairy Limited.

41. Society for Training and Research and Urban Governance.

42. West Bengal State Council for Technical Education.

43. West Bengal State Council for Vocational Education and Training.

44. West Bengal Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development and Finance Corporation.

45. West Bengal Tribal Development Cooperative Corporation.

46. West Bengal Backward Classes Development and Finance Corporation.

47. *Sundarban* Development Authority.

48. *Sundarban* Insfrastructure Development Corporation Limited.

49. West Bengal State Fishermen's Cooperative Federation Limited.

50. West Bengal Ceramic Development Corporation Limited.

51. West Bengal Food Processing and Horticulture Development Corporation Limited.

52. West Bengal Power Development Corporation Limited.

53. West Bengal Renewable Energy Development Authority.

54. West Bengal Agro-Industries Corporation Limited.

55. West Bengal State Minor Irrigation Corporation Limited.

56. West Bengal State Seed Corporation Limited.

57. West Bengal Essential Commodities Supply Corporation Limited.

25. पश्चिमी बंगाल, मदरसा शिक्षा बोर्ड।

26. पश्चिमी बंगाल, उर्दू अकादमी।

27. एशियाटिक सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 8 के अधीन स्थापित योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसायटी)।

28. पश्चिमी बंगाल समग्र क्षेत्र विकास निगम।

29. पश्चिमी बंगाल राज्य ग्रामीण विकास संगम।

30. पंचायत और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सोसायटी।

31. पश्चिमी बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड।

32. पश्चिमी बंगाल बंजर भूमि विकास निगम लिमिटेड।

33. पश्चिमी बंगाल लुगदी लकड़ी विकास निगम लिमिटेड।

34. वन्यजीव राज्य बोर्ड, पश्चिमी बंगाल।

35. पश्चिमी बंगाल श्रम कल्याण बोर्ड

36. पश्चिमी बंगाल सहकारी दुग्ध परिसंघ लिमिटेड।

37. पश्चिमी बंगाल गो-संपद विकास संस्था।

38. पश्चिमी बंगाल डेयरी और मुर्गी पालन विकास निगम लिमिटेड।

39. पश्चिमी बंगाल पशुधन विकास निगम लिमिटेड।

40. मदर डेयरी लिमिटेड।

41. प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और शहरी शासन के लिए सोसायटी।

42. पश्चिमी बंगाल राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद्।

43. पश्चिमी बंगाल राज्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्।

44. पश्चिमी बंगाल अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां विकास और वित्त निगम।

45. पश्चिमी बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम।

46. पश्चिमी बंगाल पिछड़ा वर्ग विकास और वित्त निगम।

47. सुंदरबन विकास प्राधिकरण।

48. सुदंरबन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

49. पश्चिमी बंगाल राज्य मछलीपालन सहकारी परिसंघ लिमिटेड।

50. पश्चिमी बंगाल चीनी मिट्टी विकास निगम लिमिटेड।

51. पश्चिमी बंगाल खाद्य प्रसंस्करण तथा बागवानी विकास निगम लिमिटेड।

52. पश्चिमी बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड।

53. पश्चिमी बंगाल नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

54. पश्चिमी बंगाल ऐग्रो-उद्योग विकास निगम लिमिटेड।

55. पश्चिमी बंगाल राज्य लघु सिंचाई विकास निगम लिमिटेड।

56. पश्चिमी बंगाल राज्य बीज निगम लिमिटेड।

57. पश्चिमी बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति विकास निगम लिमिटेड।

58. West Bengal State Consumers Federation Limited.

59. Society of Self-Employment of Unemployed Youth. West Bengal.

60. Institute of Environmental Studies and Wetland Management.

61. West Bengal State Literacy Mission.

62. West Bengal *Sishu Siksha* Mission.

63. Kolkata State Transport Corporation Limited.

64. North Bengal State Transport Corporation Limited.

65. South Bengal State Transport Corporation Limited.

66. West Bengal Surface Transport Corporation Limited.

67. Kolkata Tramways Corporation Limited.

68. West Bengal Transport Infrastructure Development Corporation Limited.

69. West Bengal State Sports Council.

70. West Bengal Mountaineering and Adventure Sports Foundation.

71. West Bengal State Council of Bio-Technology.

72. State Productivity Council, West Bengal.

73. *Paschimbanga Rajya Prarambhik Siksha Unnayan Sanstha.*

74. West Bengal Council for Science and Technology.

75. Centre for Archaeological Studies and Training. .

76. Netaji Institute of Asian Studies.

77. Wesi Bengal Horticulture Development Society.

78. *Uttarbanga Unnayan Parshad.*

79. *Paschimanchal Unnayan Parshad.*

80. West Bengal State Marketing Board.

81. West Bengal State Consumers' Cooperative Federation.

82. West Bengal State Cooperative Marketing Federation.

83. West Bengal Housing Board.

84. West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation Limited.

85. West Bengal Films Development Corporation Limited.

86. *Roopkala Kendra.*

87. Mass Media Centre, West Bengal.

88. West Bengal Minerals Development and Trading Corporation Limited.

89. West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited.

90. West Bengal State Leather Industries Corporation Limited.

58. पश्चिमी बंगाल राज्य उपभोक्ता परिसंघ निगम लिमिटेड।

59. बेरोज़गार युवा स्व:रोजगार सोसासटी, पश्चिमी बंगाल।

60. पर्यावरणीय अध्ययन तथा आर्द्रभूमि प्रबंधन संस्थान।

61. पश्चिमी बंगाल राज्य साक्षरता मिशन।

62. पश्चिमी बंगाल शिशु शिक्षा मिशन।

63. कोलकाता राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।

64. उत्तरी बंगाल राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।

65. दक्षिणी बंगाल राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।

66. पश्चिमी बंगाल सतह परिवहन निगम लिमिटेड।

67. कोलकाता ट्रॉमवेज़ निगम लिमिटेड।

68.पश्चिमी बंगाल परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

69. पश्चिमी बंगाल राज्य खेल परिषद्।

70. पश्चिमी बंगाल पर्वतारोहण तथा साहसिक खेल प्रतिष्ठान।

71. पश्चिमी बंगाल राज्य जैव-प्रौद्योगिकी परिषद्।

72. राज्य उत्पादकता परिषद्, पश्चिमी बंगाल।

73. पश्चिमी बंगाल राज्य प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन संस्था।

74. पश्चिमी बंगाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद्।

75. पुरातत्व अध्ययन और प्रशिक्षण केंद्र।

76. नेताजी एशियन अध्ययन संस्थान।

77. पश्चिमी बंगाल बागवानी विकास सोसाइटी।

78. उत्तरबंगा उन्नयन परिषद्।

79. पश्चिमांचल उन्नयन परिषद्।

80. पश्चिमी बंगाल राज्य विपणन बोर्ड।

81. पश्चिमी बंगाल राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसंघ।

82. पश्चिमी बंगाल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ।

83. पश्चिमी बंगाल आवासन बोर्ड ।

84. पश्चिमी बंगाल आवासन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

85. पश्चिमी बंगाल फिल्म विकास निगम लिमिटेड।

86. रूपकला केंद्र।

87. मास मीडिया केंद्र, पश्चिम बंगाल।

88. पश्चिमी बंगाल खनिज विकास तथा व्यापार निगम लिमिटेड।

89. पश्चिमी बंगाल औषध निर्माण तथा फाइटो रसायनिक विकास निगम लिमिटेड।

90. पश्चिमी बंगाल राज्य चमड़ा उद्योग निगम लिमिटेड।

91. West Bengal State Handloom Weavers' Cooperative Society Limited.

92. *Paschim Banga Resham Silpi Samabaya Mahasangha Limited.*

93. Basumati Corporation Limited.

94. Kolkata Improvement Trust.

95. Howrah Improvement Trust.

96. Jaigaon Development Authority.

97. Medinipur-Kharagpur Development Authority.

98. West Bengal Social Welfare Board.

99. West Bengal Commission for Women.

100. West Bengal Women's Development Undertaking.

101. West Bengal Pollution Control Board.

102. West Bengal Heritage Commission.

103. Durgapur Projects Limited.

104. West Bengal State Council of Science and Technology.

105. Hooghly River Bridge Commissioners.

106. West Bengal Tourism Development Corporation.

107. West-.Bengal Cooperative Milk Producers' Federation.

108. State Animal Welfare Board.

109. West Bengal Cooperative Housing Federation.

110. Health and Family Welfare Samitis at State, District and Block levels.

111. All Swasthya Samitis of Medical Colleges and Hospitals and Decentralized Hospitals and Medical Teaching Institutions.

112. Rogi Kalyan Samitis for District Hospitals, Sub-divisional/State General Hospitals, Block Primary Health Contres/Rural Hospitals.

113. The West Bengal State Medicinal Plants Board.

114. All Professional councils constituted under different Acts which have provisions of including members of West Bengal Legislative Assembly.

115. State Supervisory Board for pre-conception and prenatal diagnostic techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994. .

91. पश्चिमी बंगाल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी सोसायटी लिमिटेड।

92. पश्चिमी बांगा रेशम शिल्पी समाबया महासंघ लिमिटेड।

93. बासुमती निगम लिमिटेड।

94. कोलकाता सुधार न्यास।

95. हावड़ा सुधार न्यास

96. जयगांव विकास प्राधिकरण।

97. मदिनीपुर-खड़गपुर विकास प्राधिकरण।

98. पश्चिमी बंगाल समाज कल्याण बोर्ड।

99. पश्चिमी बंगाल महिला आयोग।

100. पश्चिमी बंगाल महिला विकास उपक्रम।

101. पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

102. पश्चिमी बंगाल विरासत आयोग।

103. दुर्गापूर परियोजना लिमिटेड।

104. पश्चिमी बंगाल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद्।

105. हुगली नदी पुल आयुक्त।

106. पश्चिमी बंगाल पर्यटन विकास निगम।

107. पश्चिमी बंगाल सहकारी दुग्ध उत्पाद परिसंघ।

108. राज्य पशु कल्याण बोर्ड।

109. पश्चिमी बंगाल सहकारी आवासन परिसंघ।

110. राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति।

111. चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल तथा विकेंद्रीकृत अस्पताल तथा चिकित्सा शिक्षण संस्था की सभी स्वास्थ्य समितियां।

112. जिला अस्पतालों, उपमंडलीय/राज्य सामान्य अस्पताल,ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण अस्पताल के लिए रोगी कल्याण समितियां।

113. पश्चिमी बंगाल राज्य औषधीय वनस्पति बोर्ड।

114. विभिन्न अधिनियमों के अधीन गठित सभी वृत्तिक परिषद्, जिसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल विधान सभा के सदस्यों के उपबंध भी हैं।

115. गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड।